राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 4] चौदहवीं विधान सभा के चौथे सत्र का तेईसवां दिवस [संख्या : 12

गुरुवार,

19 मार्च, 2015

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: नमस्कार। नमस्कार। श्री मदन राठौड़।

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रदेश में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने की योजना

263. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार प्रदेश में हथकरघा व कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए आसान ऋण सुविधा, सब्सिडी व करों में राहत देने का विचार रखती है?

(2) क्या सरकार पूर्व में स्वीकृत व कार्यरत हथकरघा व कुटीर उद्योगों को कच्चे माल के क्रय पर व उत्पादित माल के विक्रय पर करों में दी जा रही राहत को चालू रखने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उद्योग मंत्री (श्री गजेन्द्रसिंह): (1) हथकरघा व कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण एवं अनुदान की सुविधा उपलब्ध करवायी जाती है एवं बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना के अन्तर्गत आसान ऋण की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। आर आई पी एस-2014 के अन्तर्गत ऐसे उद्योगों को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जाती हैं:-

1. ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित होने वाले सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को विद्युत शुल्क में 75 प्रतिशत छूट;
2. 10 वर्षों के लिए सी एस टी में 1 प्रतिशत की छूट;

(श्री गजेन्द्रसिंह)

3. कच्चा माल एवं प्रोसेसिंग तथा पैकेजिंग मैटेरियल पर (फ्यूल के अलावा) प्रवेश कर में 50 प्रतिशत छूट; एवं
4. लोन एग्रीमेंट्स, टाइटल डीड, लीज कांट्रेक्ट हेतु मुद्रांक शुल्क में प्रति दस्तावेज 100 रुपये की छूट। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम की स्थापना के लिए सम्पत्ति स्थानांतरण या बिला सम्पत्ति स्थानांतरण सामान्य मोर्टगेज के साथ लोन लेने पर मुद्रांक शुल्क में प्रति दस्तावेज 500 रुपये की छूट।

हथकरघा (हैण्डलूम) कर मुक्त है। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 8.7.2009 में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी के कुटीर उद्योगों को कर में राहत दी गई है।

(2) हथकरघा व कुटीर उद्योगों को वर्तमान में दी जा रही करों में राहत को कम करने अथवा वापस लेने का प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है।

श्री अध्यक्ष: पहला पूरक प्रश्न।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत 2014-15 में उद्योग विभाग की चयनित समिति द्वारा पाली जिले की विभिन्न बैंकों को जो आवेदन स्पांसर किये गये थे, क्या उन सभी आवेदकों को ऋण वितरण कर दिया गया है? यदि नहीं, तो उन बैंकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा सकती है?

दूसरा, क्या यह सही है कि अनेक ऐसी बैंकें हैं जो आपको सहयोग करती ही नहीं हैं, फिर भी अपन उन बैंकों को सहयोग करते जा रहे हैं?

तीसरा यह बताएं कि कुटीर व खादी ग्रामोद्योग के तहत पंजीकृत उद्योगों को वैट टैक्स छूट का प्रमाण पत्र प्रति वर्ष जारी करना चाहिये, वह कितने वर्षों से नहीं किया गया है, जिसके कारण से सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट उनसे टैक्स वसूल कर रहा है?

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय मंत्री महोदय, जवाब दीजिए।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 2014-15 में केन्द्र सरकार से 66 करोड़ रुपये सब्सिडी देने का टारगेट था। इसमें लगभग

(श्री गजेन्द्रसिंह)

80 परसेंट से ज्यादा टारगेट पूरा कर दिया गया है। 66 करोड़ में से अभी सेंक्शन 58 करोड़ रुपये हैं और डिस्बर्समेंट 36 करोड़ रुपये का कर दिया गया है।

माननीय सदस्य से यह कहना चाहूंगा कि यदि कोई ऐसे बैंक हैं जहां पर आपको किसी तरह की कठिनाई हो रही है, या लोन डिस्बर्समेंट में कोई असुविधा है, तो आप मुझे उस लिस्ट से सूचित करें, मैं अवश्य उस पर कार्यवाही करूंगा।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): नहीं, पहले वाला ही आधा है।

श्री अध्यक्ष: वह भी आ जायेगा। दूसरा भी कर लो आप।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): नहीं, उसमें यह था कि आपके यहां से टैक्स छूट का प्रमाण पत्र जारी होता है, वह कई वर्षों से नहीं हुआ। यह अभी मैंने किया है। पहले वाले में ही है।

श्री अध्यक्ष: अब दूसरा और कर लीजिए।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): टैक्स छूट का प्रमाण पत्र जारी नहीं करने के कारण से सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट उनसे वसूली की कार्यवाही कर रहा है, जबकि आपने उनकी टैक्स छूट कर रखी है। यह मेरे पहले सवाल का ही अधूरा हिस्सा है।

दूसरा यह है कि क्या मुख्य मंत्री स्वावलंबन योजना राजस्थान में बंद कर दी गई है? और यदि कर दी है तो कब की गई और क्यों कर दी गई? क्या सरकार पुन: उसको चालू करना चाहती है? इतना बता दीजिए।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय, दोनों प्रश्नों का जवाब दे दो।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री स्वावलंबन योजना 2013-14 में एक पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर एक साल के लिए शुरू की गयी थी और 10 लाख रुपये का लोन दिलाना उसका मेन उद्देश्य था और 8 प्रतिशत इंटरेस्ट की सब्सिडी देना था। माननीय सदस्य यह सही फरमा रहे हैं कि एक साल के बाद यह स्कीम बंद कर दी गई है। इसकी मैं पूरी जानकारी लूंगा कि क्यों यह स्कीम बंद की गई है और इसको चालू करने में हमें क्या-क्या कदम लेने हैं। मैं माननीय सदस्य को अवगत कराऊंगा।

श्री अध्यक्ष: वह पहला जवाब नहीं आया, जो वसूल कर रहे हैं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): प्रमाण पत्र समय पर जारी करना चाहिये और कई वर्षों से टैक्स छूट का प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रहे हैं। इसके कारण से वसूली हो रही है।

श्री अध्यक्ष: इसका जवाब और दे दीजिए।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे फिगर के अनुसार सब्सिडी और वैट की जो रिबेट है, अधिकांश यूनिट को मिल चुकी है। यदि कोई ऐसी यूनिट है, तो माननीय सदस्य मुझे बता दें जहां कठिनाई आ रही है। मैं उसकी पूरी जांच करा लूंगा।

श्री अध्यक्ष: डोटासराजी। पूरक प्रश्न।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि वर्ष 2013-14 में बजट घोषणा में बुनकर संघ की सदस्य समिति के सदस्यों को, बुनकरों को आवश्यक उपकरण एवं कार्यशील पूंजी पेटे अनुदान राशि उपलब्ध कराने की घोषणा की गई थी। यह राशि कई महीनों तक अनुदान के रूप में नहीं दी गई। ऐसे कितने बुनकर हैं जिनको यह राशि अभी तक भी नहीं मिली है? और यह देरी से देने या नहीं देने के लिए ऐसे दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का क्या मंत्रीजी विचार रखते हैं? कब तक इन लोगों को लाभान्वित कर दिया जायेगा? ये मेरे प्रश्न हैं।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैं यह अवगत कराना चाहूंगा कि यह जितनी भी लिस्ट है, जिन बुनकरों को पेमेंट नहीं मिला है, जिनको लोन नहीं मिले हैं, यह बुनकर क्रेडिट कार्ड के आधार पर होता है, उसकी मैं लिस्ट मंगाकर, उसको देखकर, उस पर आवश्यक कार्यवाही करूंगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अनुदान राशि?

श्री अध्यक्ष: श्री शंकर सिंह राजपुरोहित।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा, हथकरघा और लघु कुटीर उद्योग हकीकत में मानवों को ज्यादा रोजगार देने वाले विषय हैं। जिस-जिस जिले में हथकरघा उद्योग, लघु उद्योग, जैसे जालौर जिले में खेसले बनाने का है, जूतियां बनाने का है, ऐसे उद्योगों को प्रोत्साहन करने के लिए पहले कैम्प

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

लगाया करते थे, इन दिनों उद्योग विभाग कैम्प नहीं लगा रहा है। इनको प्रोत्साहन करने के लिए क्यों नहीं लगा रहे हैं और कब से वापस प्रारम्भ करेंगे? क्योंकि यह जब बढ़ेगा तो आपकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जिन कैम्पों के बारे में फरमा रहे हैं, ये पंचायत समिति लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर लगाये जा रहे हैं। मेरी सूची के अनुसार, अभी तक 2014-15 में डिस्ट्रिक्ट में 34 कैम्प का हमारा लक्ष्य था, 34 हमने पूरे कर लिये हैं; पंचायत समिति में 240 का लक्ष्य था, वे हमने 209 पूरे कर लिये हैं। माननीय सदस्य, जालौर के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि जालौर में डिस्ट्रिक्ट लेवल कैम्प का एक का लक्ष्य था, वह एक हमने कर दिया और पंचायत समिति स्तर पर 7 थे, हमने 7 कर दिये। यदि आपको कोई आशंका है कि कैम्प और बढ़ाने चाहिये, अवेयरनेस और बढ़ानी चाहिये, तो इसकी मैं पूरी जांच करके...

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): आधे जालौर जिले में ...(व्यवधान) एक उद्योग है ...(व्यवधान) आपकी कागजी कार्यवाही में कैम्प हो रहे हैं। इन कैम्पों का कहीं प्रचार नहीं हो रहा है। इन कैम्पों को सीरियसली आप चालू करें और कैम्पों को बढाएं। जालौर जिले की यह मांग है।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। विराजिए। तीसरा पूरक प्रश्न। श्री हबीबुर्रहमान।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी बुनकरों को लोन दिया गया था, जो सरकार ने माफ किया। उसकी माफी के बाद भी आज बैंक नोटिस देती है कि ये पैसे आप जमा कराओ। वे लोग मर चुके हैं, इस दुनिया में ही नहीं हैं। इसका, मंत्रीजी, आप क्या करोगे?

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बैंक के अपने नियम-कानून हैं, बैंक इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। वह आर बी आई से सम्बन्धित है। यदि कोई डिफाल्टर रहा है, उसने पेमेंट नहीं किया है, तो यह डायरेक्ट फाइनेंस का मामला है, बैंक का मामला है। कोई डिफाल्टर है तो

(श्री गजेन्द्रसिंह)

डिफाल्टर के ऊपर तो बैंक जो नार्मल कार्यवाही करती है, वह कार्यवाही तो करेगी ही।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। दूसरा प्रश्न। श्री हीरालाल निवाई।

निवाई में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की योजना

264. श्री हीरालाल (निवाई): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई के विभिन्न कस्बों व गांवों में पेयजल में फ्लोराइड व अन्य विषैले तत्वों की मात्रा मानक मात्रा से कितनी अधिक है? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के कस्बों/गांव व ढाणियों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व किस प्रकार व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र के सिरस गांव में पेयजल में अत्यधिक मात्रा में फ्लोराइड है? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त गांव में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए क्या योजना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्रीमती किरण माहेश्वरी): (1) विधान सभा क्षेत्र निवाई में कस्बा निवाई तथा निवाई एवं पीपलू तहसील के क्रमश: 204 व 118 ग्राम सम्मिलित हैं। कस्बा निवाई में बीसलपुर-दूदू वृहत् पेयजल परियोजना से निर्धारित मानक अनुरूप गुणवत्ता का पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

समेकित प्रबंध सूचना तंत्र (आईएमआईएस) की दिनांक 1 अप्रैल, 2014 की स्थिति के अनुसार विधान सभा क्षेत्र निवाई की तहसील निवाई के 204 ग्राम/ढाणियों (75 ग्राम एवं 129 ढाणियां) के स्थानीय भू-जल में फ्लोराइड एवं नाइट्रेट की मात्रा निर्धारित मानक मात्रा से अधिक है। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

विधान सभा क्षेत्र निवाई की तहसील पीपलू के समस्त ग्राम/ढाणियों को बीसलपुर-दूदू वृहत् पेयजल परियोजना से लाभान्वित किया जा चुका है।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

(2) जी हां। तात्कालिक समाधान के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र निवाई के फ्लोराइड प्रभावित उक्त 75 ग्राम एवं 129 ढाणियों में से 21 ग्राम एवं 6 ढाणियों को दूरस्थ स्थित सही गुणवत्ता के जल स्रोत निर्मित कर लाभान्वित कर दिया गया है। विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

तहसील निवाई के एक ग्राम खण्डवा को मानक गुणवत्ता एवं मात्रा के स्वच्छ पेयजल से लाभान्वित करने हेतु माह सितम्बर, 2014 में राशि रुपये 86.77 लाख की स्वीकृत योजना का कार्य प्रगति पर है।

बीसलपुर-दूदू वृहत् पेयजल परियोजना से तहसील निवाई के समस्त ग्राम/ढाणियों को लाभान्वित करने हेतु दिनांक 24.8.2012 को राशि रुपये 112.88 करोड़ की स्वीकृति जारी की गई। योजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ करने हेतु दिनांक 25.3.2013 को राशि रुपये 118.00 करोड़ का कार्यादेश दिया गया तथा परियोजना पर अब तक रुपये 34.49 करोड़ की राशि व्यय की गई है। परियोजना का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है तथा दिनांक 3.10.2015 तक पूर्ण करना निर्धारित है।

(3) जी नहीं। तहसील निवाई के ग्राम सिरस (वर्ष 2011 की कुल जनसंख्या-2,947) की पम्प एवं टैंक जल योजना अन्तर्गत निर्मित एवं क्रियाशील दो नलकूपों से उपलब्ध कराये जा रहे पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा क्रमश: 0.9 एवं 1.0 मिलिग्राम प्रति लीटर है जो निर्धारित मानक मात्रा 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर की सीमा में है। इसके अतिरिक्त, ग्राम में विभाग द्वारा स्थापित एवं क्रियाशील 31 हैण्डपम्पों में से 22 हैण्डपम्पों से उपलब्ध कराये जा रहे पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा भी निर्धारित मानक मात्रा की सीमा में है।

उक्त ग्राम सहित तहसील निवाई के समस्त ग्रामों को प्रगतिरत बीसलपुर-दूदू वृहत् पेयजल परियोजना से दिनांक 3.10.2015 तक लाभान्वित करना निर्धारित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पर्याप्त जवाब आ गया। फिर अब पूरक प्रश्न करेंगे क्या?

श्री हीरालाल (निवाई): एक।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न।

श्री हीरालाल (निवाई): ज्यादा नहीं पूछूंगा। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से मैं पूछना चाह रहा हूं, वनस्थली-निवाई में महिला विश्वविद्यालय है जहां देश-विदेश की छात्राएं पढ़ने आ रही हैं। फ्लोराइडयुक्त पानी पीने से उनके दांत पीले हो जाते हैं। हालांकि पी एच ई डी से बीसलपुर योजना में उपलब्ध कराया जा रहा है लेकिन वह कम है। साथ ही, निवाई के देहात को अब तक बीसलपुर का मीठा पानी नहीं मिला है। निवाई देहात को यह मीठा पानी कब तक उपलब्ध कराया जाएगा?

साथ ही एक छोटा-सा और है। पीपलू तहसील के 18 गांवों में एक साल से पानी बंद है-अब्बास नगर खास, अरण्याकाकड़, बसीपुरा, फजलपुरा, गुढारामदा, शाड़ीखुर्द, इब्राहिमाबाद, इस्लामपुरा गाता, जीवली, जैवाड़िया, झीराना, ककासकुण्ड, मुंडिया, मुर्तिया नगर, पासरोट्या, रसूलपुरा, शफीपुरा और बिलायतीपुरा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन गांवों में एक साल से पानी बंद है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, मंत्री महोदया, इन गांवों का पानी बंद है। इनका कोई ऐसा हल निकालें ताकि इन गांवों को पीने का पानी मिल जाए। साथ ही, मेरे विधान सभा क्षेत्र में पीपलू, चनानी, खण्डदेवत, पलई, खण्डवा की योजना....

श्री अध्यक्ष: भाषण नहीं, सवाल कीजिए।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय मंत्री महोदया, इसके लिए भी आप बता दें तो ठीक रहे।

श्री अध्यक्ष: हां, सवाल कीजिए।

श्री हीरालाल (निवाई): निवाई देहात के लिए बीसलपुर का मीठा पानी कब तक उपलब्ध हो जाएगा? अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा यही निवदेन है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, माननीय सदस्य ने बहुत सारे सवाल एक साथ पूछे हैं। पहला उनका सवाल था, उसमें उन्होंने यह चिंता व्यक्त की कि वनस्थली के अन्दर विद्यापीठ है। उस विद्यापीठ में बीसलपुर परियोजना से हम लोग अभी 15 लाख लीटर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करा रहे हैं। आने वाले समय में जैसे ही यह योजना पूरी हो जाएगी, उनको जितने पानी की आवश्यकता है, हम लोग उनको पूरा करवा देंगे।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

दूसरा, उनका प्रश्न था कि वृहत् पेयजल परियोजना कब तक पूरी होगी। यह आलरैडी मैंने अपने जवाब में दे दिया है कि इसे हम लोग 3.10.2015 तक पूरा कर देंगे। उसके लिए हमने बराबर रिव्यू मीटिंग्स भी ली हैं। हम एश्योर करते हैं कि हम लोग समयबद्धता के अन्दर इस कार्य को पूरा करेंगे।

साथ ही इन्होंने पूछा कि 18 पीपलू के गांव हैं जिनके अन्दर वाटर सप्लाई बंद हो चुकी है। उसके बारे में, अध्यक्षजी, आपके माध्यम से मैं उनको कहना चाहूंगी कि ये 18 गांव हैं जिनमें वाटर सप्लाई बंद है, उसका मेन कारण है कि वाटर चार्जेज जमा नहीं हुए हैं। वाटर चार्जेज जमा करना है, वह विलेज लेवल की वाटर सप्लाई एंड सेनिटेशन कमेटी है उनको जमा करना है। यह विलेज वाटर सप्लाई सेनिटेशन कमेटी ने जमा नहीं किये, इस वजह से बंद है। वे जैसे ही जमा कर देंगे, चालू हो जाएगा।

इसके अलावा आपने एक और प्रश्न किया, वह खण्डवा के संदर्भ में किया। खण्डवा में आपके यहां पर हमने योजना स्वीकृत की है। 3.9.2014 को 5 योजनाएं हमने आपके क्षेत्र में स्वीकृत की हैं। 5 योजनाओं में एक पीपलू की है, एक चनानी की है, खण्डदेवत की है, पलई की है और खण्डवा की है। पीपलू की योजना है वह 132 लाख की है, जिसका कार्यादेश 3.11.2014 को दे दिया है; कार्य पूर्ण होने की तिथि मई, 2015 है। इसी तरीके से ग्राम पंचायत चनानी है उसके अन्दर 25 लाख की योजना स्वीकृत की है और 23.12.2015 तक यह कार्य पूरा हो जाएगा। खण्डदेवत है उसमें सितम्बर, 2014 को हमने 66 लाख 34 हजार की योजना स्वीकृत की है, जो 12.2.2015 तक पूरी हो जानी थी। वह नलकूप कार्य पूर्ण, उच्च जलाशय, पाइप लाइन, इत्यादि, ये सारे काम कम्प्लीट हुए हैं लेकिन कुछ काम बाकी है। उसको भी हम इस मार्च तक कम्प्लीट कर देंगे।

इसके अलावा, पलई गांव इन्हीं के विधान सभा क्षेत्र का है, वहां पर भी हम लोगों ने 81 लाख 47 हजार की योजना स्वीकृत की है, जो मई, 2015 तक पूरी होनी है। खण्डवा में इन्होंने पूछा, उसमें खुलाकुआं, भूतल जलाशय, पाइप लाइन, यह 86 लाख 77 हजार की योजना हमने स्वीकृत की है और उसे भी मई, 2015 तक पूरा कर देंगे, जिसमें नलकूप कार्य पूर्ण होगा, उच्च जलाशय, पाइप लाइन, इत्यादि, ये सारे काम उसके अन्दर ही हैं। ये सारी योजनाएं समयबद्धता की सीमा में कम्प्लीट हों, इसकी हम चिंता करेंगे।

श्री अध्यक्ष: विस्तार से पर्याप्त जवाब आ गया है। दूसरा प्रश्न करेंगे?

श्री हीरालाल (निवाई): अध्यक्ष महोदय, समय से पहले, 50 साल की उम्र में ही बुड्ढे हो जाते हैं मेरे क्षेत्र में। देहात में, निवाई देहात में, पीपलू में लोग कुबड़े हो जाते हैं, बुड्ढे हो जाते हैं, पैरों से चलने-फिरने की स्थिति नहीं होती। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से निवेदन करूंगा कि पानी जल्दी ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजो। निर्मल कुमावत। निवाई से सम्बन्धित है, मैं निवाई से सम्बन्धित ही, नहीं तो अलाउ नहीं करूंगा।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): निवाई से ही सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष: निवाई से। हां, बोलिए।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि जिस प्रोजेक्ट की, बीसलपुर-दूदू-निवाई परियोजना की आपसे बात की, उसी पैकेज में सांभर-फुलेरा का प्रोजेक्ट भी शामिल है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, जवाब देने की जरूरत नहीं है। बैठिये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): निवाई से सम्बन्धित...

श्री अध्यक्ष: नहीं, बिलकुल नहीं। नहीं, बिलकुल नहीं। मैंने आपको पहले ही...

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: बिलकुल नहीं।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): मैं कोई सवाल नहीं कर रहा। एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: यह नहीं दिलाया जा सकता जवाब।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): काम बहुत धीमे चल रहा है। उसको आप समीक्षा करके जल्दी काम करवाएं।

श्री अध्यक्ष: बैठिए आप। यह नहीं हो सकता। आपका निवाई से सम्बन्धित है? नहीं है। जितेन्द्रजी, निवाई से सम्बन्धित है? बोलिये। निवाई से सम्बन्धित होना चाहिए।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (खण्डार): बिलकुल, अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि निवाई से लगते हुए गांव नटवाड़ा, कंवरपुरा, सुहाड़.....

श्री अध्यक्ष: विराजिये। नहीं, जवाब नहीं।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (खण्डार): इनमें भी फ्लोराइड पानी की समस्या बहुत ज्यादा है।

श्री अध्यक्ष: अगला सवाल। श्री गोतम कुमार। अगला सवाल। श्री गोतम कुमार।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय का निवाई क्षेत्र रहा है।

श्री अध्यक्ष: निवाई मेरा भी कार्यक्षेत्र रहा है। (व्यवधान) विराजिए। निवाई मेरा भी कार्यक्षेत्र रहा है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आपको याद ही नहीं है कि आपका कौन-कौन सा क्षेत्र रहा है।

श्री अध्यक्ष: यह तो सही है।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कल आपने बताया ही है, इनका पूरा राजस्थान क्षेत्र है। कल ही बताया है।

मंगलवाड़ से बड़ी सादड़ी तक टू-लेन सड़क बनाने की योजना

265. श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में मंगलवाड़ से बड़ी सादड़ी टू-लेन सड़क बनाने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो इस घोषणा की क्रियान्विति की वर्तमान स्थिति क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त सड़क की शीघ्र स्वीकृति जारी कर कार्य प्रारम्भ कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री युनुस खान): (1) जी हां। राज्य सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2013-14 में मंगलवाड़-डूंगला-बड़ी सादड़ी-नीमच (राज्य सीमा तक) कुल 90 किलोमीटर सड़क का निर्माण 135.00 करोड़ रुपये की लागत से आगामी वर्ष में बी.ओ.टी. आधार पर हाथ में लेने की घोषणा की गई थी। प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। उक्त कार्य की बी.ओ.टी. योजना में

(श्री युनुस खान)

निर्माण हेतु निविदा मई, 2013 में आमंत्रित की गई थी परन्तु किसी भी संवेदक द्वारा निविदा में भाग नहीं लिया गया। निविदा की प्रति परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है। यह सड़क चित्तौड़गढ़ एवं प्रतापगढ़ जिले से गुजरती है। उक्त सड़क का 46.60 किलोमीटर भाग चित्तौड़गढ़ जिले में है।

विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी (जिला चित्तौड़गढ़) के मंगलवाड़-बड़ी सादड़ी (राज्य राजमार्ग संख्या-15) के किलोमीटर 44/400 से 91/0 (46.600 किलोमीटर) के चौड़ाईकरण (टू-लेन) एवं सुदृढ़ीकरण हेतु राशि रुपये 54.80 करोड़ की लागत आएगी, जो वर्तमान में किसी भी योजना में स्वीकृत नहीं है।

उक्त सड़क का 29.500 किलोमीटर भाग प्रतापगढ़ जिले में है जो वर्तमान में राशि रुपये 22.12 करोड़ की लागत से सी.आर.एफ. योजना में स्वीकृत है, जिसका कार्य प्रगति पर है। स्वीकृति की प्रति परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी की उक्त मंगलवाड़-बड़ी सादड़ी सड़क (46.600 किलोमीटर) के चौड़ाईकरण (टू-लेन) एवं सुदृढ़ीकरण हेतु राशि रुपये 54.80 करोड़ की लागत आएगी, जिसकी स्वीकृति राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगी।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री अध्यक्ष: विराजिये। पहला पूरक प्रश्न।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार बजट में की गई घोषणा को इम्प्लीमेंट करने के लिये प्रतिबद्ध है या नहीं? वर्ष 2013-14 के बजट में 135 करोड़ की 90 किलोमीटर की सड़क की घोषणा की गई थी, आप बता रहे हैं कि वायेबल नहीं है, इस कारण से कोई कंसेशनर नहीं आया। वायेबल होने और नहीं होने का तो पहले देखना चाहिए, घोषणा होने से पहले देखना चाहिए था सरकार को। अगर नहीं है तो वहां के लोगों का क्या दोष है, साहब? वहां के लोग आज मूलभूत, यह जो सड़क है, उससे वंचित रह रहे हैं। लाखों लोग उस पर आते-जाते हैं। उससे बहुत परेशानी हो रही है। आधी सड़क प्रतापगढ़ जिले की बन चुकी है। चित्तौड़ जिला क्यों वंचित रह गया है? मेरा माननीय मंत्री महोदय से सवाल है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। मंत्री महोदय।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय,

(श्री युनुस खान)

बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने यह मुद्दा उठाया कि सरकारें जो सड़कें पी.पी.पी. पर घोषित करती हैं, वे वायेबल हैं या नहीं हैं, बिना होने के कारण भी घोषणा कर देती हैं। इसमें, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा, सरकार के पास उसकी वायेबिलिटी का कोई भी ऐसा मापदण्ड तब तक नहीं है, जब तक उसका परीक्षण नहीं हो जाए। इसलिए सरकारें अपने संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर जिन सड़कों का निर्माण कर सकती हैं, उनका तो अपने संसाधनों से करती हैं। शेष कार्य, वे पी.पी.पी. मोड पर घोषित करके, उसके बाद में फीजिबल स्टडी की निविदाएं निकालती हैं। फीजिबल स्टडी में चार महीने लगते हैं। उसके बाद में वह वायेबल है या नहीं है, उसकी पूरी जांच आती है। यह सड़क उसी श्रेणी में आई। इसकी भी दो बार निविदा निकाली गई लेकिन इस पर कोई भी संवेदक नहीं आया। मैंने प्रश्न के जवाब में यह बात कही।

दूसरी बात, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस सड़क की माननीय सदस्य चर्चा कर रहे हैं, यह बात सही है कि इस सड़क की हालत ठीक नहीं है, तीन मीटर चौड़ी है। माननीय सदस्य ने पहले भी इस विधान सभा में, प्रथम सत्र में 21 फरवरी, 2014 को भी इसी सड़क को लेकर मुद्दा उठाया था। उसके बाद में जब पिछला बजट सत्र था, उसमें भी 19 जुलाई, 2014 को आपने यह बात उठाई। अब तारांकित प्रश्न संख्या 1833 के माध्यम से अपनी बात को इन्होंने कहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि यह सड़क 76 किलोमीटर थी, तीन मीटर चौड़ी थी। 2013 में सी.आर.एफ. में कुछ 30 किलोमीटर का सैंक्शन स्वीकृत हो गया और यह 46 किलोमीटर की सड़क अभी शेष है जो तीन मीटर है, जो माननीय सदस्य के विधान सभा क्षेत्र से होकर गुजरती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, 5 मई, 2014 को भी हमने सी.आर.एफ. के लिए भारत सरकार को, क्योंकि शेष सड़क, जो 30 किलोमीटर का हिस्सा है, वह सी.आर.एफ. में बन रही है; 5 मई, 2014 को भी इस सड़क के लिए हमने सी.आर.एफ. के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था, लेकिन केन्द्र सरकार ने यह कहकर इस प्रस्ताव को वापस लौटा दिया कि इस वर्ष हम सिर्फ पुलिया निर्माण के लिए पैसे देंगे। गत वित्तीय वर्ष में पुलिया निर्माण हेतु सी.आर.एफ. में पैसा दिया गया था, इस वर्ष हम सड़कों के निर्माण में देंगे।

(श्री युनुस खान)

मानननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि 31 मार्च को जो यह वित्तीय वर्ष खतम हो रहा है, उसमें प्रायोरिटी के आधार पर उन्होंने एक सप्ताह पहले हमारे से कुछ सड़कों की सूची मांगी थी। उसमें हमने नौ सड़कें, लगभग 247 करोड़ रुपये राशि की दिल्ली में भेजी हैं। उसमें प्राथमिकता के आधार पर इसको भेजा है।

मैं सदन को यही आश्वस्त कर सकता हूं कि मैं मेरे प्रयासों के माध्यम से कोशिश करूंगा कि 31 मार्च के पहले हो जाए। 31 मार्च के पहले नहीं हो, तो मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2015-16 के बजट में सी.आर.एफ. में केन्द्र सरकार से लगभग 54 करोड़ रुपये की राशि आएगी, उससे सड़क को स्वीकृत कराएंगे।

श्री अध्यक्ष: पर्याप्त जवाब आ गया। और करेंगे दूसरा पूरक प्रश्न?

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि पिछले साल पर्ची के माध्यम से जब मैंने प्रश्न उठाया था, तब आपने आश्वासन दिया था कि इसी वित्तीय वर्ष में यह रोड बना देंगे। मेरा तो आपसे आग्रह है, अगर पिछले वर्ष नहीं बन पायी, लेकिन इस साल आप कोशिश करके, इस 2014-15 के बजट में जरूर बनवा दें। निश्चित रूप से उस क्षेत्र की जनता पर आभार होगा, क्योंकि इस क्षेत्र में लाखों लोग इस रोड पर से गुजरते हैं।

श्री अध्यक्ष: बस। कह चुके आप।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): वायेबिलिटी को ध्यान में नहीं रखते हुए, कैसे भी करके इस रोड को बनवाएं।

श्री अध्यक्ष: कह चुके आप। श्री हबीबुर्रहमान।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): एक मिनट, मंत्रीजी से जवाब दिलवाएं।

श्री अध्यक्ष: अच्छा। हां, मंत्रीजी। सारी। (व्यवधान) अभी आप बैठिये, वे जवाब दे रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय, दूसरे सवाल का जवाब, आश्वस्त कर दीजिये। (व्यवधान) आश्वस्त कर दीजिये।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो पी.पी.पी. में यह सड़क थी, उसे हमने निकाल लिया। इसलिए वायेबिलिटी ...(व्यवधान)

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): बिना टोल रोड के लिये।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): जी हां। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब वी.जी.एफ. का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि इसके 30 किलोमीटर में सी.आर.एफ. से निर्माण हो रहा है, सात मीटर चौड़ी रोड का; बाकी 46 किलोमीटर जो बची है, उसका भी हम सी.आर.एफ. में करवाएंगे। इसलिए वहां अभी कोई टोल प्रस्तावित नहीं है।

मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, मैंने आपको पहले भी कहा कि दो बार आपने सदन में, तीन बार आपने इस विषय को उठाया है, अब आपको इस विषय को बार-बार उठाने की जरूरत नहीं है। हम करवा देंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री श्रीचंद कृपलानी। (व्यवधान) माननीय, विराजिये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि जिस मंगलवाड़-बड़ी सादड़ी सड़क ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: एक मिनट, विराजिये। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मैं निवेदन करता हूं कि पी.पी.पी. मोड में आप नेशनल हाई-वे के पार्ट को किस तरह से डालते हैं?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। आप विराजिये।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): अध्यक्ष महोदय, आप अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। नई सड़क को तो पी.पी.पी. मोड में ... (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): सुराना साहब, मेरा नाम लिया है।

श्री अध्यक्ष: बैठिये। श्रीचन्दजी, मैं आपको मौका दूंगा। वरिष्ठ सदस्य कुछ क्वेरी कर रहे हैं, कर लेने दीजिये। (व्यवधान) बैठिये आप। केसारामजी, बैठिये।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, नई सड़कों को तो पी.पी.पी. मोड में डालने का, जिसकी वायेबिलिटी भी नहीं है, समझ में आता है...

श्री अध्यक्ष: श्रीचंदजी, बैठिये।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): लेकिन आपने जो बीकानेर से सूरतगढ़ नेशनल हाई-वे प्रोजेक्ट को पी.पी.पी. मोड में डाला है, जो राष्ट्रीय

(श्री मानिक चन्द सुराना)

सड़कें बनी हुई हैं, एन.एच. हैं, उनको भी पी.पी.पी. मोड में डालने का क्या कारण है? मैं यह जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय लूणकरणसर से आने वाले सदस्य ने जो मुद्दा उठाया है, मैंने आपसे इस प्रश्न के जवाब में यह बात कही थी कि चाहे वह राज्य सरकार है, चाहे केन्द्र सरकार है, उसके संसाधन सीमित हैं। सड़कों की लम्बाई हर वर्ष बढ़ती चली जाती है। आज राजस्थान में 2 लाख 5 हजार किलोमीटर सड़कों का संधारण राज्य सरकार करती है। हम हर वर्ष 10 हजार किलोमीटर सड़कों का भी रिन्यूअल करें, या उनमें काम करें, तो एक सड़क का इस औसत से भी 20 साल बाद में नम्बर आता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 20 साल बाद में उस सड़क के दुबारा पुनर्निर्माण या पैच-वर्क करने का नम्बर आता है। इसलिए सरकारों के पास, मैंने कहा, चाहे वह केन्द्र की सरकार है, चाहे राज्य की सरकार है, उनके संसाधन सीमित हैं। इसलिये चाहे वह एन.एच.ए.आई. की हो, चाहे एन.एच. की हो, चाहे स्टेट हाई-वे हो, चाहे एम.डी.आर. हो, चाहे वह ओ.डी.आर. हो, चाहे वह विलेज रोड हो, उनको डवलप करने के लिए, सरकार अपने संसाधनों को खर्च करने के बाद में, कुछ सड़कें ऐसी हैं, जिन पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, हैवी वीहिकल्स निकलते हैं। जिस सूरतगढ़ और बीकानेर सड़क की बात कही, वास्तव में वह पी.पी.पी. में चल रही है। उस पी.पी.पी. वर्क में भी डिले हुआ है। इस बात को हमने पर्सनली भी देखा है कि यह डिले हुआ है, उस कंसेशनर से भी बात की है, केन्द्र सरकार से भी बात की है। हमारे विभाग ने उसमें और गति लाते हुए, उसको तेज गति से...।

माननीय सदस्य का जवाब यही है कि सरकार के पास संसाधन सीमित हैं। इसलिए चाहे वह एन.एच.ए.आई. की हो, चाहे एन.एच. की हो, चाहे स्टेट हाई-वे, लेनी पड़ेंगी। पूर्ववर्ती सरकारों ने भी लिया है, चाहे वह केन्द्र की हो, राज्य की सरकार हो। वर्तमान सरकार भी ले रही है। इसलिए संसाधन, मतलब, प्राइवेट सेक्टर से लेकर उनको डवलप करने की एक प्रक्रिया बनी हुई है और उसके नियम-कायदे बने हुए हैं।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। प्रद्युम्न सिंहजी। तीसरा सवाल हो गया यह।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): साहब, मैं तो रह ही गया बीच में।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): साहब, हम चित्तौड़ वाले, बेगूं वाले रह गये।

श्री अध्यक्ष: मैं सबको अलाउ नहीं कर सकता। तीन को ही कर सकता हूं। आप बैठिये। अच्छा, आपको पुकारा जाएगा इसके बाद।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार की जो योजनाएं थीं, माननीय मंत्री महोदय जैसा कह रहे थे कि भारत सरकार से फिर रिक्वेस्ट करेंगे, अमुक योजना में लेने के लिए। सी.एस.एस. का आपने नाम लिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने तो डिवोल्यूशन बढ़ाकर, 32 परसेंट से 42 परसेंट करके, सब चीजों से हाथ खड़े कर दिये हैं। हर योजना के अन्दर जबरदस्त कटौती की गयी है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): इसका क्या लेना-देना है इससे?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): है कैसे नहीं? कैसे नहीं है इससे?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप सुन लो। ज्यादा योग्य मत बनो हर चीज में।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): क्या मतलब है? सुनिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): हमारे को भी जानकारी है भारत सरकार की।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): सुनिए, आपके जिले का है। माननीय मंत्री महोदय ने यहां पर अभी आश्वासन दिया है कि हम पुन: भारत सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे। तो, माननीय मंत्री महोदय, जिन योजनाओं को आप भारत सरकार को भेजेंगे, अगर वहां से इनकी, आपकी मांग मंजूर नहीं हुई तो क्या आप अपने संसाधनों से इन सड़कों का कार्य आरम्भ करेंगे या नहीं? यह बताने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। बता दिया उन्होंने।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आपको कुछ नहीं मिलने वाला है वहां से।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है, मैं उसमें बता दूं कि सी.आर.एफ. में कोई कटौती नहीं की गयी है। हमारे से केन्द्र

(श्री युनुस खान)

सरकार ने चला करके ये प्रपोजल मांगे थे और 9 प्रपोजल्स, जैसा कि मैंने बताया, 247 करोड़ के भेजे हैं।

जहां तक राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने बात कही है, वह सी.एस.एस., सेंटर स्पोन्सर्ड स्कीम्स हैं, उनमें कटौती करके, 10 परसेंट पैसा बढ़ाया गया है। सी.आर.एफ. और सी.एस.एस., दोनों अलग-अलग हैं।

इसलिए मैं आपको इतना और आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिन सड़कों को हमने पी.पी.पी. में ले रखा है और माननीया मुख्य मंत्रीजी ने 20 हजार किलोमीटर सड़कों के लिए और उनको मेगा हाई-वे के रूप में विकसित करने की बात कही है, जिनमें वायेबिलिटी नहीं आएगी तो उन सड़कों को हम छोड़ने वाले नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उनको ए.डी.बी. और वर्ल्ड बैंक से हम लोन लेकर विकसित कराएंगे क्योंकि राजस्थान को सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाना है, सड़कों में सुदृढ़ प्रदेश बनाना है। इसलिए मैं हाउस को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसकी चिंता नहीं करें।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। श्रीचन्द कृपलानी। उसके बाद आप। (व्यवधान) नहीं, आपका क्या लेना-देना है बड़ी सादड़ी से? नहीं, नहीं। श्रीचन्द कृपलानी। नो, नो। चित्तौड़ के विधायकों को लूंगा मैं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूं, पहले तो मेरा यह निवेदन है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे साइज के हिसाब से इस माइक को करवाओ, साहब। मेरे कमर में ही दर्द हो गया। यहां दर्द हो गया, गले में भी दर्द हो गया, साहब। थोड़ा माइक लम्बा करवाओ, साहब, मेरी लम्बाई के हिसाब से। मेरी हाथ जोड़कर विनती है, साहब।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): या इनकी हाइट कम करवाओ।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): हाइट कम तो, आप जैसी थोड़े ही हो सकती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: वह घनश्यामजी करवाएंगे हाइट। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): जैसे बड़ी सादड़ी-मंगलवाड़ रोड की बात अभी चल रही है, मंत्रीजी ने जो जवाब दिया; मेरा मंत्री महोदय से निवेदन

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

है, आपने सड़क की 90 किलोमीटर की स्वीकृति के बारे में बताया, फिर आपने कहा कि सी.आर.एफ. में 30 किलोमीटर सड़क बड़ी सादड़ी से नीमच, मध्य प्रदेश बार्डर तक का निर्माण हो गया। मंत्री महोदय, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं और निवेदन भी करना चाहता हूं कि..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सवाल कीजिए। सवाल कीजिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): हां, सवाल कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: हां।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): क्या वह 30 किलोमीटर सड़क, जिसके लिए आप कह रहे हैं कि सी.आर.एफ. में स्वीकृत हो गयी, वह पूर्ण हो गयी है? नम्बर वन।

नम्बर टू, वह पूर्ण नहीं हुई, लेकिन उस सड़क का जो 15-20 किलोमीटर का निर्माण हुआ, उसमें इतना करप्शन हुआ। तीन बार उसकी शिकायतें आपके पास आयीं कि नहीं आयीं? यह मुझे बताएं। उसकी रिपेयरिंग भी नहीं हुई है। नई सड़क नहीं बनी।

नम्बर तीन, इस...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठिये। एक पूरक प्रश्न में आप सब भाषण दिये जा रहे हो। विराजिए। जवाब आ जाएगा।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): इस सड़क से सम्बन्धित ही पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): इस सड़क से सम्बन्धित ही पूछ रहा हूं, साहब, मैं।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। वे जवाब दे रहे हैं।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): एक मिनट। साथ ही यह भी बता देना कि यह बड़ी सादड़ी-मंगलवाड़ तक, फतहसर तक...(व्यवधान) आगे करने का विचार है क्या आपके पास? घोड़ा चौराहा तक।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप लिखित में ले लिया करो।

श्री अध्यक्ष: सम्बन्धित नहीं है वैसे तो।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): बहुत जरूरी है।

श्री अध्यक्ष: ज्यादा हो जाएंगे।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): नहीं, यह तो बहुत जरूरी है, साहब।

श्री अध्यक्ष: इस सम्बन्ध में है न? बड़ी सादड़ी से सम्बन्धित है? दूसरा नहीं। नहीं, आप श्रीचन्दजी का जवाब दीजिए। नहीं, नहीं, इसको आप नहीं बढ़ाएं। बहुत इम्पोर्टेंट सड़कें हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको परमिशन दीजिए। यह तो ऊधम भी नहीं करते हैं।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्व की बात कह रहा हूं मैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ऊधम भी नहीं करते हैं।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है, निम्बाहेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो मुद्दा उठाया है, मैंने इस सड़क का निवेदन किया था, 76 किलोमीटर लम्बी सड़क है वह, उसमें से 30 किलोमीटर का सी.आर.एफ. में काम चल रहा है। जो वर्तमान में काम चल रहा है, उसमें उस 30 किलोमीटर में से लगभग 20 किलोमीटर सड़क बी टी हो चुकी है, बाकी लगभग 10 किलोमीटर का काम बाकी है। जो शिकायतें प्रारम्भिक तौर पर आयी थीं, उनकी जांच भी करवायी है। उसकी गुणवत्ता को अच्छा बनाने के लिए आवश्यक निर्देश भी जारी कर दिये गये हैं। मैं आपको यह आश्वस्त करता हूं कि 30 अप्रैल तक जो बाकी शेष कार्य है, होना तो पहले चाहिए था, माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें देरी हुई, किन्हीं कारणों से शिकायत थी, जांच हुई; तो अब 30 अप्रैल तक यह सड़क पूर्ण हो जाएगी।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत इम्पोर्टेंट है।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट। यह सुरेश धाकड़, 'आक्या' और उसके बाद आप। फिर सवाल नहीं होंगे। श्री सुरेश धाकड़। वे चित्तौड़ के ही हैं।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाह रहा हूं कि बेगूं विधान सभा हैडक्वार्टर भी है, उपखण्ड मुख्यालय भी है; एन.एच. से बेगूं को जोड़ने की मात्र छह किलोमीटर लम्बाई की सड़क है, उसकी दूरी छह किलोमीटर है, लेकिन वहां पर स्थिति यह है कि अगर कोई किसी शादी में जाना हो और बेगूं से निकले चित्तौड़ आने के लिए, तो रास्ते में कहीं उसको नहाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तभी शादी अटेंड कर पाएगा।

श्री अध्यक्ष: विराजिए विराजिए।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): एक निवेदन और, कि सावंरियाजी प्रसिद्ध स्थल है।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): नहीं, इसी में छोटा-सा है। सावंरियाजी प्रसिद्ध स्थल है, श्रीनाथजी से...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप विराजिए। नहीं, आप विराजिए। मिस्टर 'आक्या'। नहीं, आप विराजिए। वह सब जवाब नहीं दिलवा सकता। नहीं, आप विराजिए।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): सांवरियाजी से श्रीनाथजी अगर किसी भी मोड पर सड़क बना दी जाए तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे।

श्री अध्यक्ष: सांवरियाजी अलग है, यह बड़ी सादड़ी का है। मिस्टर 'आक्या'।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, कह ही तो रहे हैं ये। पहले भी तीन बार बात हो चुकी है। तीन बार बात पहले हो चुकी और अब दुबारा बात कर रहे हैं। बना थोड़े ही रहे हैं। यह सारी बात, बात कर रहे हैं। वाक् युद्ध हो रहा है। सबको करने दो न वाक् युद्ध। बनाएंगे नहीं। एक ड्रम आज तक नहीं डाला 16 महीने में। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप विराजिए। बिना अनुमति के बोल रहे हैं। (व्यवधान) इनके बाद। केवल इस सड़क से सम्बन्धित। (व्यवधान)

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि बड़ी सादड़ी से भदेसर चौराहा और बड़ी सादड़ी से बंसी होता हुआ जो बांसवाड़ा रोड था, उसका सर्वे भी हो चुका है और 'सुराज संकल्प यात्रा' में घोषणा भी हो चुकी है और आपने भी आश्वासन दिया कि इसको बहुत जल्दी करवाएंगे। भदेसर से बड़ी सादड़ी तक

(श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या')

जाने में, 30 किलोमीटर की दूरी है और उसको जाने में कम से कम दो घंटे लगते हैं। उसको अगर आप नया नहीं बना सकते तो उसकी रिपेयर करवाने की या उसके पैच निकालने के लिए आप आज ही बताएं।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। विराजिए। नो, नो, इसको ज्यादा नहीं (व्यवधान)

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बेगूं और चित्तौड़ से आने वाले दोनों माननीय सदस्यों ने जो मुद्दे उठाये हैं, वे दोनों मुद्दे अलग हैं। उनको सरकार...(व्यवधान)

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): बड़ी सादड़ी वाला अलग नहीं है, साहब।

श्री अध्यक्ष: मिस्टर 'आक्या', डिस्टर्ब मत कीजिए। (व्यवधान)

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये दोनों इश्यू, जैसा कि आपने कहा कि छह किलोमीटर की सड़क शेष है; अभी हमने 2,000 किलोमीटर सड़कें मिसिंग लिंक में बनाने की घोषणा की है, माननीय सदस्य सुझाव देंगे और अगर जोन-आफ-कंसिडरेशन में आएगा तो हम जरूर लेंगे।

चित्तौड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो मुद्दा उठाया है, अलग सड़क है, अलग राशि स्वीकृत की जाएगी, अलग बात है। तो उसको दिखवा कर, जो भी कार्यवाही होगी, उसको करेंगे।

श्री अध्यक्ष: मिस्टर मालवीया।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से इस बात की जानकारी लेना चाहूंगा, और यह बहुत महत्व की बात है, आपने प्रतापगढ़ तक तो कह दिया लेकिन यह सड़क आगे जाकर आपके दाहोद तक जाती है, गुजरात राज्य तक। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर ये जितने भी ठेकेदार काम करते हैं, वहीं की मिट्टी है, वहीं की गिट्टी है, वहीं की रेत है और उस क्षेत्र में ब्लैक सोइल है, ये सड़कें 12 महीने के अन्दर-अन्दर टूट जाती हैं। कई बार यह बात सदन में उठी है, मीटिंग्स में भी उठी है कि आप वहां पर ठेकेदारों को पाबंद करें, लोकल गिट्टी का उपयोग नहीं करें। आप जाकर देखेंगे तो सड़कों के किनारे ही ठेकेदारों ने अपने बड़े प्लांट लगा लिये, वहीं की गिट्टी लगा रहे हैं।

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया)

न तो उसकी क्वालिटी के बारे में कोई जांच होती है और, बल्कि सरकार से बिल लगाया जाता है कि 20 किलोमीटर से हम गिट्‌टी ला रहे हैं, 10 किलोमीटर से हम रेत ला रहे हैं। किसानों की जमीनों को उन्होंने खराब करके रख दिया है। आप बी.ओ.टी. में करवाओ, पी.पी.पी. मोड पर करवाओ, कैसे भी करवाओ, लेकिन जितना गड़बड़ हो रहा है, पूरा सदन इसको स्वीकार करता होगा।

दूसरी सबसे बड़ी, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बड़े-बड़े काम हो रहे हैं, सौ करोड़ के, दो सौ करोड़ के, मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि विभाग का कोई अधिकारी या कर्मचारी वहां पर जाता है? उनके ही अधिकारी, उनके ही कर्मचारी और रातों-रात गिट्‌टी डाल रहे हैं, रातों-रात डामर हो रहा है और 12 महीने में आपकी सड़क टूट रही है।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। बस, इसके बाद सवाल नहीं होगा।

श्री जीतमल खांट (राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजिए आप। बिलकुल नहीं। हां, माननीय मंत्री महोदय, इस सवाल का जवाब दीजिए। इसके बाद नहीं होगा।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हालांकि ये 113 नम्बर सड़क की बात कर रहे हैं; एन.एच. 113 की बात कर रहे हैं माननीय सदस्य। यह निम्बाहेड़ा से प्रतापगढ़ 72 किलोमीटर है और पी.पी.पी. माडल पर 511 करोड़ रुपये में इस सड़क का निर्माण हो रहा है और अभी यह सड़क निर्माणाधीन है। अभी जब उदयपुर सम्भाग में 'सरकार-आपके-द्वार' गयी थी, उस दौरान स्वयं माननीया मुख्य मंत्रीजी ने इस सड़क का दौरा किया था। निर्माण के दौरान ही गुणवत्ता की जो शिकायतें आई थीं, उस दौरान माननीया मुख्य मंत्रीजी ने निर्देश देकर एफ आई आर दर्ज करवायी और इस संवेदक को बकायदा अरेस्ट किया गया। उसको हमने पाबन्द किया है और रेगुलर मानिटरिंग कर रहे हैं।

जहां तक माननीय सदस्य ने गिट्‌टी का मुद्दा उठाया, यह बात सही है कि कुछ संवेदक, जो अपने टेण्डर में जिन शर्तों का लिखकर देते हैं, उनका पालन नहीं करते। इस तरीके की जहां-जहां भी शिकायतें आती हैं, सरकार उन पर कार्यवाही करती है। मैं आपके माध्यम से सदन को इतना ही आश्वस्त

(श्री युनुस खान)

करना चाहता हूं कि जहां-जहां भी संवेदक कानून की अवहेलना करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।

प्रश्न संख्या-266

श्री अध्यक्ष: अगला सवाल। श्रीमती गोलमा और डा. किरोड़ी लाल। नहीं हैं?

(अनुपस्थितः कृपया आगे देखें)

इसके अगला सवाल। श्री मनोज कुमार।

सादुलपुर के सरपंचों के विरुद्ध गबन के लम्बित प्रकरणों पर कार्यवाही

267. श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर (चूरू) में पूर्व संरपचों एवं पंचायत स्तर के जन-प्रतिनिधियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार, गबन एवं अनियमितता के प्रकरण कार्यवाही के अभाव में लम्बित हैं? यदि हां, तो पंचायतवार, नामवार एवं लम्बित प्रकरणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा ऐसे कई भ्रष्टाचार, गबन एवं अनियमितताओं के प्रकरणों में कार्यवाही के सम्बन्ध में पत्रावली रोक रखी गयी है अथवा अभियोजन की स्वीकृति नहीं देने के कारण दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं हो रही है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) पंचायत समिति राजगढ़ की ग्राम पंचायत सांखू के तत्कालीन सरपंच के विरुद्ध वर्ष 2009 से 2014 तथा तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत सूरतपुरा के विरुद्ध वर्ष 2004 से 2009 के लम्बित गबन के प्रकरण पर अब तक हुई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री सुरेन्द्र गोयल): माननीय अध्यक्ष महोदय, (1) जी नहीं। विभाग को भ्रष्टाचार, गबन एवं अनियमितताओं के प्रकरण प्राप्त होने पर उन पर समुचित कार्यवाही की जाती है। कार्यवाही के अभाव में प्रकरण लम्बित नहीं हैं। प्रकरण प्रक्रियाधीन हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट-'क' पर संलग्न है।

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

(2) जी नहीं। पंचायती राज संस्थाओं के जन-प्रतिनिधियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार, गबन एवं अनियमितताओं के प्रकरणों पर पंचायती राज अधिनियम की धारा 38 एवं 39 के तहत पद से हटाने, निलम्बन, सदस्यता समाप्त करने के प्रावधान हैं। सरपंचों, उप-सरपंचों एवं वार्ड पंचों के विरुद्ध उक्त धाराओं के तहत कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिसूचना दिनांक 28.9.1999 द्वारा सम्भागीय आयुक्तगण को राज्य सरकार की शक्तियां प्रदत्त की गयी हैं एवं विभागीय पत्र दिनांक 3.7.2014 द्वारा पूर्व सरपंचों, उप-सरपंचों, वार्ड पंचों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु सम्भागीय आयुक्तगण को विस्तृत दिशा-निर्देश भी जारी किये गये हैं, जिनकी प्रतियां परिशिष्ट-'ख' पर संलग्न हैं।

(3) पंचायत समिति राजगढ़ के ग्राम पंचायत सांखू की 4 शिकायतें प्राप्त हुई हैं एवं ग्राम पंचायत सूरतपुरा की एक शिकायत प्राप्त हुई, जिन पर की गयी कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-'ग' पर संलग्न है।

(सूची, प्रतियां व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री अध्यक्ष: पहला पूरक प्रश्न।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सबसे पहले तो मैं मंत्रीजी को एक बात अवगत कराना चाहता हूं कि आपका जो जवाब अभी दिया गया है, उसमें आपके विभाग की 6 त्रुटियां हैं, जो मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। आपके इस जवाब में 6 त्रुटियां हैं। क्रम नम्बर, आपने जो सूची मुझे दी है परिशिष्ट-क पर, इसमें दो नम्बर दिया है रूपाराम बेनीवाल, सरपंच ग्राम पंचायत कालवास, पंचायत समिति तारानगर, जो मेरे इस सवाल से कोई सम्बन्ध नहीं है। क्रम संख्या-6 पर ग्राम पंचायत खंडवा, पंचायत समिति राजगढ़; ग्राम पंचायत खंडवा, मेरी पंचायत समिति में नहीं है। नम्बर आठ पर मेरी ग्राम पंचायत सांखू, उसमें लिखा है कि पंचायत समिति तारानगर, जो कि राजगढ़ पंचायत समिति में है। क्रम संख्या 19 पर ग्राम पंचायत सदाऊ लिखा है, मेरी पंचायत समिति में ग्राम पंचायत सदाऊ नहीं है।

पंचायत समिति में इस तरीके के जवाब, अगर आपके लिखित में 6 जगह त्रुटियां हैं, इतने छोटे-से में, तो क्या हो सकता है इन हालात का? इसलिए इनके खिलाफ, जिन्होंने गलत लिखा है, उनके खिलाफ कार्यवाही करें। मंत्री महोदय, सबसे पहले तो मेरा यह निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: इसका जवाब आ जाने दीजिये। फिर दूसरा कर लेना।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने कहा है कि यह क्षेत्र मेरे विधान सभा क्षेत्र में नहीं हैं, यह सादुलपुर विधान सभा क्षेत्र का इन्होंने मुझे खण्ड-1 में पूछा है। उसमें 36 व्यक्तियों के खिलाफ जांच विचाराधीन है। उनमें जिन-जिनके खिलाफ जांच विचाराधीन थी, उनके बारे में आपको विस्तार से अवगत कराया गया है।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): आपको त्रुटियों का कह रहा हूं मैं। इसमें गलत लिखा है आज भी। इसमें त्रुटियां हैं। मैं यह आपको 6 संख्या बता रहा हूं, यह गलत लिखा है।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय सदस्य, आपने जिन 6 आदमियों के नाम बताये हैं, उनके खिलाफ प्राथमिक जांच चल रही है। आपने यह कहा है कि सादुलपुर विधान सभा क्षेत्र का नहीं है, यही कहा है ना, मैं आप लोगों को कहता हूं कि यह सादुलपुर विधान सभा....(व्यवधान)

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): मंत्री महोदय, यह सादुलपुर की नहीं, ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप बैठिये अभी। जवाब देने दीजिये आप।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): जवाब ही गलत है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बार-बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। वह तो आप कह चुके। बैठिये आप। इनका जवाब आने दीजिये।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): इनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे? जवाब आपके कर्मचारियों ने दिया है, इसमें गलत अंकन किया है। इसके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे? सबसे पहले यह जरूरत है।

श्री अध्यक्ष: जवाब आने दीजिये। हां, बैठिये आप। आप बैठिये। आमने-सामने नहीं। बैठिये। अब जवाब आएगा।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ऐसा है, आप जैसा माननीय सदस्य बता रहे हैं कि गलत अंकन किया है, मेरे पास जवाब आया है कि सादुलपुर विधान सभा क्षेत्र के इन 36 व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिक जांच और विस्तृत जांच विचाराधीन है। तो अगर कोई तथ्य मेरे

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

सामने प्रस्तुत किया होगा तो मैं उसकी जांच कराऊंगा और जांच करके जो भी नियमानुसार विधिसम्मत कार्यवाही हो सकती है, करूंगा।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): धन्यवाद, मंत्री महोदय।

श्री अध्यक्ष: दूसरा सवाल।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): अब सवाल यह है, मंत्री महोदय, आपने परिशिष्ट-ख पर मुझे जवाब दिया है कि इनके खिलाफ विस्तृत कार्यवाही करने के लिए सम्भागीय आयुक्त को राज्य सरकार की शक्तियां प्रदत्त कर दी गयीं और 1999 में आपने लैटर जारी किया कि जितनी भी जांच विचाराधीन हैं, उनका 90 दिन में निस्तारण किया जाए। 90 दिन के बाद, आपने 15 साल बाद दूसरा लैटर लिखा है 3.7.2014 को। 36 जो शिकायतें आपने मुझे अंकित कराई हैं, ये 36 शिकायत 1999 से लेकर आज दिन तक पेंडिंग हैं, लम्बित हैं।

एक आपने 'जी नहीं' का कहा पहले सवाल में। उसमें मैं यह कहना चाहता हूं, जब राज्य सरकार की शक्तियां सम्भागीय आयुक्त को प्रदत्त कर दी गयीं तो उसके बाद 'जी नहीं', कि हमारी कोई जांच लम्बित या पेंडिंग नहीं है। सारी पेंडिंग हैं, वे सरकार की हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इनको कब तक निस्तारित कर दिया जाएगा?

दूसरा सवाल है कि जो गबन पाया गया 36 पंचायत सरपंचों के खिलाफ, क्या विभाग के द्वारा इनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण भी दर्ज कराये गये हैं? कराये गये हैं, तो इनका विवरण बताएं।

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, मैं इनसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह शिकायत प्राप्त होने पर एक जांच की प्रक्रिया तय होती है और जांच की प्रक्रिया में, जैसे ही शिकायत प्राप्त होने पर राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के नियम 22-ए के तहत प्राथमिक जांच की जाती है। प्राथमिक जांच होने के बाद में, सही पाये जाने पर समस्त आरोपित जन-प्रतिनिधि को नियम 22-ए के तहत आरोप पत्र जारी किया जाता है, आरोप पत्र का जवाब पेश करने हेतु उसको समय दिया जाता है। समय देने के बाद में, अगर जांच में वह खंडन करता है बाई-द-वे, तो उसके खिलाफ 22(3) के अन्तर्गत कार्यवाही करते हैं और विस्तृत जांच करवाई जाती है। विस्तृत जांच करने के

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

बाद में, 22(7) के तहत उसके खिलाफ सम्बन्धित जन-प्रतिनिधि को सुनवाई का अवसर दिया जाता है। तो यह लम्बी प्रक्रिया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, तो जितना समय लगता है, ऐसे राजस्थान के अन्दर, मैं निवेदन करूं, ऐसे राजस्थान के अन्दर 4,042 प्रकरण पूरे राजस्थान में विचाराधीन हैं शिकायतों के, और मुझे माननीय सदस्य को बताते हुए बहुत खुशी है कि इस साल के अन्दर हमने 662 शिकायतों का निस्तारण कर दिया है और अभी पूरे राजस्थान लेवल के सिर्फ 26 प्रकरण अभियोजन स्वीकृति के लिये पेंडिंग हैं, और अभी जो नई शिकायतें आई हैं सरपंचों की, वे सिर्फ 261 हैं।

मैं माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहता हूं कि जो शिकायतें प्राप्त होती हैं, विभाग अपने स्तर पर कार्यवाही करता है और कार्यवाही में कोई समय लगता है और वह समय, कभी यह अधिकारी नहीं रहता है, कभी वह कागज वहां चला गया, कभी वहां चला गया; इस कारण से समय लगता है। तो समय लगना अलग बात है, परन्तु उसके ऊपर ठोस कार्यवाही होती है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न। श्री ललित कुमार।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): मेरा एक क्वेश्चन और है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, विराजिये। दो हो गये, बैठिये।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): नहीं, एक तो मैंने त्रुटि बताई है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, हो गया। नो, नो, नो।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): एक ही पूरक प्रश्न किया है। एक में तो इसकी त्रुटि बताई है मैंने। एक पर्टिकुलर बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: आपको इनको जवाब देने की जरूरत नहीं है।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): एक मिनट, साहब। मेरा सवाल ही खतम हो जाएगा। अब सिर्फ एक सवाल।

श्री अध्यक्ष: नहीं, जवाब देने की जरूरत नहीं है।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): क्वेश्चन का मेरा एक मात्र सवाल है। मैं पूछना चाहता हूं कि सिर्फ एफ आई आर का आदेश हो गया...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप बैठिये। आप स्थान ग्रहण कीजिये। आप लम्बे-लम्बे पूरक प्रश्न कर रहे हैं। नहीं, आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): मैंने कहा आपराधिक प्रकरण दर्ज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं...

श्री अध्यक्ष: कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): इसका जवाब नहीं आया। फिर अर्थ क्या रहा? जवाब ही मेरा असंतोष जनक है।

श्री अध्यक्ष: आप मिल लेना, असंतुष्ट हों, तो। विराजिये। ललित कुमार।

श्री ललित कुमार (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि जिस प्रकार उन्होंने बताया कि 4 हजार मुकदमे पैंडिंग हैं और पिछले एक वर्ष में 600 में सुनवाई हो गयी है, मेरी पंचायत किशनगंज में ख्यावदा ग्राम पंचायत में, माननीय, 4 साल से पैंडिंग है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह अलग हो गया। अलग सवाल है। अलग सवाल हो गया। आप मिल लेना।

श्री ललित कुमार (किशनगंज): कोई समय सीमा निर्धारित करने की, 90 दिन बताये माननीय मंत्रीजी ने, तो इसकी कोई समय सीमा निर्धारण का, 90 दिन का...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: वह तो कह दिया। आप विराजिये। समय सीमा के बारे में जवाब दे दीजिये।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सादुलपुर का क्वेश्चन है और माननीय सदस्य को बताया...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हां, वह मैंने कह दिया इसके लिए। समय सीमा का बता दीजिये।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): समय सीमा कोई तय नहीं होती है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो भी प्रकरण मेरे सामने लाया जाएगा, मैं उसको रेलेवेंट निस्तारण करने की कार्यवाही करने के लिए कार्यवाही करूंगा।

श्री अध्यक्ष: हबीबुर्रहमानजी। रेलेवेंट करना।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा, जो सरपंच गलत मार्कशीट से सरपंच बने हैं, उसके बारे में क्या करेंगे?

श्री अध्यक्ष: यह नया सवाल आ गया। देखिये, यह अलग सवाल है। आप अलग सवाल पूछ लो। मालवीयजी।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय पंचायती राज मंत्रीजी ने अभी सदस्यों के और इनके निलम्बन के बारे में आपने एक लम्बी प्रक्रिया बतायी है। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से इनसे सिर्फ इतनी-सी बात पूछना चाह रहा हूं, हमारे पूर्व मंत्रीजी आदरणीय कटारिया साहब भी यहां पर विराजमान हैं, चाहे कोई पार्टी का सरपंच हो या पदाधिकारी हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, कानून सबके लिए बनाया हुआ है; मैं इतनी-सी बात पूछना चाह रहा हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के 11 सरपंचों को बिना नोटिस दिये ...

श्री अध्यक्ष: देखिये, मिस्टर मालवीया, यह आपकी विधान सभा क्षेत्र का मैं जवाब नहीं दिलवा सकता।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): एक सार्वजनिक भी तो, पंचायती राज की पूरे राजस्थान के नियम-कानून की बात हो रही है, सर। यह तो सबके लिए बात हो रही है, सर।

श्री अध्यक्ष: वह जवाब दे दिया उन्होंने। अब आपकी पंचायती का अलग...(व्यवधान) नहीं आ सकता।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): हर पंचायत समिति के सब सदस्यों के निलम्बन की बात हो रही है, सर।

श्री अध्यक्ष: हां, वह तो दे दिया, प्रक्रिया बता दी। (व्यवधान)

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): निलम्बन की हो रही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हां, प्रक्रिया बता दी।

श्री जीतमल खांट (राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन): सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है बांसवाड़ा जिले का। बांसवाड़ा जिले का सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मंत्री बोल ही नहीं सकता। (व्यवधान) ये पंचायती राज मंत्री अक्षम हैं क्या जो आप बोल रहे हों बीच में?

श्री जीतमल खांट (राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन): यह 11 सरपंच जो निलम्बित किये हैं न, इनकी जांच कराओ। यह निलम्बित किये गये सरपंच हैं न...(व्यवधान) आपके कार्यकाल में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजिये। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह सस्ती लोकप्रियता के लिए...। माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज मंत्रीजी सक्षम हैं, ये जवाब देंगे। ये बीच में कैसे अलाउ कर रहे हैं? (व्यवधान) यह अंकित नहीं होगा, इनके लिए लागू नहीं हो रहा है क्या? (व्यवधान) अंकित नहीं होगा, इनके लिए लागू नहीं हो रहा है क्या? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजिये। स्थान ग्रहण कीजिए। स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अंकित नहीं होगा... (व्यवधान) इनका अंकित नहीं होगा ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए...। मंत्रीजी सक्षम हैं, जवाब दे देंगे। (व्यवधान)

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): मुझे एक बात कहने दो ... (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): डोटासराजी, अंकित होगा। (व्यवधान) ये इनके घोटाले हैं, इसलिए आप छिपाने की बात कर रहे हों। (व्यवधान)

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): आप ठहरिये। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): सरपंचों ने गलती की है, उनके खिलाफ में कार्यवाही होगी। (व्यवधान)

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): यह बात, जवाब मैं दे रहा हूं। अगर भ्रष्टाचार हुआ तो मैं खड़ा हूं न यहां पर। (व्यवधान) सर, इतना-सा निवेदन करना चाह रहा हूं, सरपंच ने अगर भ्रष्टाचार किया है, उसको जेल भेज

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया)

दो, कोई एतराज नहीं है, उसको जेल भेजो। (व्यवधान) मैं इतना-सा निवेदन करना चाहता हूं कि बिना जांच से आपने निलम्बन कैसे किया? (व्यवधान) बिना जांच से निलम्बन कैसे किया? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: आप तो बता दीजिए कि...(व्यवधान) जो आपके पेंडिंग थे...(व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): आप इनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): बचाने की कोई बात नहीं कहता...(व्यवधान) उसको जेल भेज दो आप, कोई एतराज नहीं होगा। (व्यवधान)...

श्री जीतमल खांट (राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन): बचाने का प्रश्न है। (व्यवधान) बांसवाड़ा जिले का आपके पंचायती राज मंत्री रहते हुए आपने क्या किया? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: आपने एक भी निर्णय नहीं किया और आप जान बूझकर उन सरपंचों को, जो आपके सरपंच हैं, उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं ...(व्यवधान)...

श्री जीतमल खांट (राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन): आपने क्या किया? ...(व्यवधान)... पांच साल तक पंचायती राज में भ्रष्टाचार होता रहा बड़े पैमाने पर ...(व्यवधान)... माननीय अध्यक्ष महोदय, पांच साल तक भ्रष्टाचार होता रहा। पंचायती राज मंत्री थे ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: विराजिये। ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य मंत्री किन नियमों में बोल रहे हैं? ...(व्यवधान)... किसने अनुमति दी राज्य मंत्री को? (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन): आपने क्यों नहीं कार्यवाही की? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अगला सवाल। (व्यवधान)

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब नहीं आया? (व्यवधान) मैं बैठूंगा नहीं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये। विराजिये।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): नहीं बैठूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं बैठूंगा मैं आज। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सुश्री कीर्तिकुमारी। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन): पंचायत समिति आनन्दपुरी के अन्दर...(व्यवधान) आपकी पंचायत समिति थी, आप पंचायती राज के मंत्री थे, आपने क्यों नहीं जांच करवायी? (व्यवधान)

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब आने दो मैं नहीं बैठूंगा अभी। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब...(व्यवधान) नहीं बैठूंगा मैं। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): आप मंत्री थे तब। (व्यवधान) अगर कार्यवाही करते...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्यवाही होनी चाहिए। (व्यवधान) सरपंचों ने चोरी की है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन...(व्यवधान) एक राज्य मंत्री बीच में आवाज उठा रहा है... (व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य: राज्य मंत्री जी कह रहे हैं, जांच होनी चाहिए। (व्यवधान) राज्य मंत्री जी बता रहे हैं, उसकी जांच होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): आप गरीबों का नुकसान कर रहे हो, माननीय अध्यक्ष महोदय। जब आपने जांच करायी और जांच करने के बाद में कोर्ट ने कह दिया, कोर्ट ने निलम्बन निरस्त कर दिया, कोर्ट की बात को मानने के लिए भी तैयार नहीं हो। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो हाउस को कंट्रोल में लाओ। (व्यवधान)

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर गरीब को न्याय कैसे मिल सकता है? (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन): मैं कह रहा हूं, बांसवाड़ा जिले में राजस्थान का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): हाउस आर्डर में लो न। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो हाउस आर्डर में नहीं है। चाहे जो खड़ा हो जाता है। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन): मैं कह रहा हूं, राजस्थान का, आनन्दपुरी की 11 पंचायतों की अगर जांच करा ली जाए, बांसवाड़ा के अन्दर राजस्थान में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार निकलेगा और यह दबाने का प्रयास न करें। (व्यवधान) यह क्या बात होती है? (व्यवधान)

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): मेरे एक क्वेश्चन के उत्तर में आ चुका है यह। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार वहां ही है। (व्यवधान) मेरे एक क्वेश्चन के उत्तर में पहले यह आ चुका है।

श्री हीरालाल (निवाई): इनके भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए। (व्यवधान)

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): पहले मेरे एक क्वेश्चन के उत्तर में आ चुका है यह बांसवाड़ा का प्रकरण। (व्यवधान) सबसे ज्यादा अव्यवस्था वहीं है। इस सदन ने पारित किया है...(व्यवधान)

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब तक मेरे प्रश्न का...(व्यवधान) तब तक मैं किसी कीमत पर नहीं बैठूंगा। (व्यवधान) आप किसी से भी जांच करा दो, किसी को भी जेल भेज दो लेकिन प्रक्रिया और नियम के बाद आप भेज सकते हो। उसके पहले, मैं भी मंत्री रहा हूं, मैंने ऐसे कभी भेदभाव नहीं किया। (व्यवधान) ऐसा हमने कभी भी भेदभाव नहीं किया है। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन): माननीय मंत्री जी, 11 पंचायतों की...(व्यवधान) निलम्बित किये गये सरपंचों की जांच करें आप। (व्यवधान) आप पूरी तत्परता के साथ में जांच करें। (व्यवधान) इतना बड़ा घोटाला (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई): इनके बांसवाड़ा जिले की भी जांच होनी चाहिए। (व्यवधान) मंत्री होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भ्रष्टाचार हुआ है तो जांच होनी चाहिए। (व्यवधान) आपके इलाके में भ्रष्टाचार हुआ...(व्यवधान) जांच होनी चाहिए, माननीय अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब नहीं आयेगा तो मैं आज नहीं बैठूंगा। (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई): भ्रष्टाचार की जांच नहीं करायेंगे क्या? (व्यवधान) जहां भ्रष्टाचार हुए हैं, जांच क्यों नहीं होगी? (व्यवधान)

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): कराओ, कराओ जांच। (व्यवधान) हम भी यही कह रहे हैं, जांच कराओ। ये दोषी हैं 99 से लेकर 15 साल तक...

श्री हीरालाल (निवाई): भ्रष्टाचार हुआ है तो जांच होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): कराओ, जांच करने वाले आप हों। (व्यवधान) जांच का सबसे बड़ा मुद्दा है। (व्यवधान) या सरपंचों को पावर दे दो गबन करने की। (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, भ्रष्टाचार हुआ है बांसवाड़ा में, जांच होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन): भ्रष्टाचार हुआ है बांसवाड़ा में। (व्यवधान) अगर यह भ्रष्टाचार साबित नहीं होता है तो मैं राजस्थान की विधान सभा से त्याग पत्र दे दूंगा। (व्यवधान)

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): आप सरपंचों को गबन करने की पावर दे रहे हैं। कितना ही गबन करें भले...(व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन): अगर यह भ्रष्टाचार साबित नहीं होता है, आनन्दपुरी की पंचायत समिति का पूरा, माननीय मंत्रीजी, पूरी आनन्दपुरी पंचायत समिति की जांच करायें। अगर भ्रष्टाचार साबित नहीं होता है तो मैं राजस्थान की विधान सभा से त्याग पत्र दे दूंगा। (व्यवधान)

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): निलम्बन के बारे में तो आज पूरे दिन भर बोलता रहूंगा। (व्यवधान) आप कितनी भी टेबल ठोक लो, आप कुछ भी बात कर लो। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन): राजस्थान की विधान सभा से त्याग पत्र देने के लिए तैयार हूं। (व्यवधान)

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि हम नियम से सस्पेंड करते हैं...(व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन): ...और आज बात करने के लिए तैयार नहीं हैं ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, जांच कराने वाले बैठे हैं...(व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन): माननीय मंत्रीजी, मैं आपसे चाहूंगा कि पंचायत समिति आनन्दपुरी की सारी पंचायतों की जांच करवायी जाए और माननीय मालवीया जी के कार्यकाल की...(व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): मंत्रीजी, बोलो, मैं जांच कराऊंगा इसकी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): साहब, मंत्रीजी कह रहे हैं, जांच... (व्यवधान)

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): जांच कराने की बात ही चल रही है ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आसन पैरों पर है। (व्यवधान) बैठिये। (व्यवधान)। आसन पैरों पर है। बैठिये। बैठिये।

अगला सवाल सुश्री कीर्तिकुमारी। (व्यवधान)

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): अध्यक्ष महोदय, मैं फिर खड़ा हुआ हूं। एक मंत्री के होते हुए दूसरा मंत्री जवाब दे रहा है। (व्यवधान) मुझ पर आरोप लगा रहे हों, ...(व्यवधान)... मैं घोषणा करता हूं कि महेन्द्र मालवीया का एक रुपया भी निकल गया तो सदन से इस्तीफा दूंगा। यह महेन्द्र मालवीया घोषणा करता हूं। मैं सदन में घोषणा करता हूं। मैं जेल जाने के लिए तैयार बैठा हूं। (व्यवधान) एक रुपये का भ्रष्टाचार निकल गया तो मैं यहां से इस्तीफा देकर जाऊंगा। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन): जांच करवायी जानी चाहिए आनन्दपुरी पंचायत समिति की। पंचायत समिति आनन्दपुरी की जांच करवायी जानी चाहिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय गृह मंत्रीजी कुछ कहना चाहते हैं। आप थोड़ा विराज जाइये। माननीय गृह मंत्रीजी। (व्यवधान) इसके बाद आप बोल लेना।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन इतना ही है कि माननीय सदस्य ने जो अभी कहा है, वह प्रकरण इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है और इसका जवाब अभी मेरे पास नहीं है। इन्होंने जो प्रश्न उठाया, वह बांसवाड़ा जिले का उठाया है। 11 सरपंचों के खिलाफ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ; जो ये मुझे विस्तृत रूप से दे देंगे, उसकी जानकारी करवा कर के माननीय सदस्यों को संतुष्ट करूंगा। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): वे आरोप लगा रहे हैं, इनकी जांच कराओ।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): और क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, अभी इस प्रकरण से सम्बन्धित तो है नहीं।

श्री अध्यक्ष: इसीलिए मैंने इनसे भी कह दिया कि आप विराज जाइये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जो विषय उठा है, सामान्य व्यक्ति के द्वारा भी किसी सरपंच के खिलाफ अगर कोई शिकायत आती है तो विभाग का यह दायित्व बनता है कि उसकी जांच करायी जाए। मैं यह पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि जो भी मुझे शिकायत प्राप्त हुई, मैंने सक्षम अधिकारी के पास भेज कर, उसकी सारी जानकारी करने के बाद ही, जो कार्यवाही मुझे उचित लगी, वही कार्यवाही मैंने की है। अगर किसी को संदेह है तो फिर से आप जिस लेवल पर उसको देखना चाहें, जिस लेवल पर उसका विश्लेषण करना चाहें, आप हंड्रेड परसेंट कर लें। मैंने जो कार्यवाही की, कानून के तहत रहते हुए, जानकारी करने के बाद, सक्षम अधिकारी को उसकी जांच देने के बाद, उसके तथ्य आने के बाद, उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही की है। मैं बिलकुल विश्वास के साथ सारे सदन को बता रहा हूं और अगर कोई चाहता भी है तो इस सारी पंचायत समिति की सारी लिस्टों को लेकर के, हाउस की कमेटी बना कर के, जांच करा लो, पता लग जायेगा क्या हुआ और क्या नहीं हुआ।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं फिर एक निवेदन कर रहा हूं। साहब, मेरी बात तो सुन लो आप। बात तो सुननी पड़ेगी, साहब।

श्री अध्यक्ष: इर्रेलेवेंट सवाल किया आपने।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): मैं खाली एक बात कहूंगा, एक के ऊपर कभी नहीं कहूंगा।

श्री अध्यक्ष: हां, वह एक बात कहकर बैठिये।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): एक बात कहूंगा मैं। जीतमल जी...

श्री जीतमल खांट (राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन): कमेटी बनाकर के इसका फैसला, आनन्दपुरी, पूरी आनन्दपुरी पंचायत समिति की जांच करायी जाए।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको बोलने के लिए आपने परमिशन दी है क्या?

श्री जीतमल खांट (राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन): बांसवाड़ा, मैं कह रहा हूं, कमेटी के माध्यम से पूरी जांच करायी जाए।

श्री अध्यक्ष: आपने इर्रेलेवेंट सवाल किया है। कोई सम्बन्ध नहीं था।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): मैं एक ही बात कहना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: पंचायत राज मंत्रीजी अपनी स्थिति साफ कर चुके। पंचायत राज मंत्रीजी, वह गृह मंत्रीजी ने तो सही बात कही।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): माननीय गृह मंत्रीजी ने कहा, उसमें से एक बात तो कह लेने दो, सर।

श्री अध्यक्ष: नहीं। नहीं होगा।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): गृह मंत्री जी ने जो कहा, इसमें मुझे एक बात तो पूछ लेने दो, सर।

श्री अध्यक्ष: नहीं।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): एक बात तो मैं पूछूंगा, सर।

श्री अध्यक्ष: नहीं होगा। गृह मंत्रीजी से सवाल नहीं होगा। सुश्री कीर्तिकुमारी।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): सर, मेरी एक बात सुन लें। सदन में सही बात मैं कहना चाहता हूं। सर, मेरी सुनो। मैं एक ही बात कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण करें।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी बात को सुनो आप।

प्रदेश के उपखण्ड व तहसील कार्यालयों में रिक्त पद

268. सुश्री कीर्तिकुमारी (माण्डलगढ़):- क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश के उपखण्ड व तहसील कार्यालयों में कर्मचारियों के कितने स्वीकृत पद हैं व उनमें से कितने पद रिक्त हैं?

(2) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, राजस्व (श्री अमराराम) : (1) प्रदेश में उपखण्ड व तहसील कार्यालयों में कर्मचारियों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बिना जांच से, बिना नोटिस से, द्वेषता की भावना से इन 11 सरपंच को सस्पेंड किया है। ये जांच कराने की बात कह रहे हैं...(व्यवधान) पूरे राजस्थान की करा लो। महेन्द्र मालवीया पूरे राजस्थान का मंत्री था, मात्र आनन्दपुरी, बागीदौरा का नहीं था। आप तो पूरे राजस्थान की जांच कराइये।

राज्य मंत्री, राजस्व (श्री अमराराम) : (2) रिक्त पदों को भरे जाने हेतु प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को लिखा गया है।

राज्य में प्रथम चरण में 1,400 पटवारियों के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु सीधी भर्ती पटवार प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। पदोन्नति से सम्बन्धित रिक्त पदों को भरे जाने हेतु राजस्व मण्डल

(श्री अमराराम)

राजस्थान, अजमेर एवं सम्बन्धित सम्भागीय आयुक्तों को निर्देशित किया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त। आपका जवाब आ गया।

(12.00 बजे)

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

मांगीलाल आर्य, श्री, पूर्व सदस्य

माननीय सदस्य गण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं हाल ही में दिवंगत हुए इस विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री मांगीलाल आर्य के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

पूर्व राज्य मंत्री श्री मांगीलाल आर्य का जन्म 25 दिसम्बर, 1925 को पाली जिले के नाड़ौल गांव में हुआ। आपने 'हिन्दी साहित्य रत्न' की उपाधि प्राप्त की।

श्री मांगीलाल आर्य सातवीं तथा आठवीं राजस्थान विधान सभा में जालौर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक रहे। आप जून, 1980 से जुलाई, 1981 तक कृषि तथा पशुपालन विभाग के उप मंत्री एवं फरवरी, 1988 से मार्च, 1990 के दौरान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, निर्वाचन, विधि एवं न्याय, पर्यावरण और वन विभाग के राज्य मंत्री रहे। आपके पास आयुर्वेद तथा भेड़ एवं ऊन विभाग का स्वतंत्र प्रभार भी रहा। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप राजकीय उपक्रम समिति, अनुसूचित जाति कल्याण समिति तथा वित्त, करारोपण, आबकारी, शिक्षा, भाषा, वक्फ विभागों की संसदीय कार्य परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे। श्री आर्य कारागृहों की सलाहकार समिति के सदस्य भी रहे।

श्री आर्य अपने सार्वजनिक जीवन में नगरपालिका, पाली के सदस्य तथा ग्राम पंचायत नाड़ौल के वार्ड पंच रहे। आप भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। आप वर्ष 1991 से 1993 तक राष्ट्रीय सफाई आयोग तथा 1993 से 1998 तक राज्य सफाई आयोग के अध्यक्ष रहे। सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन हेतु प्रयत्नशील रहे श्री आर्य ने समाज के कमजोर वर्ग की सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक उन्नति हेतु सक्रिय योगदान दिया।

(श्री अध्यक्ष)

श्री मांगीलाल आर्य का दिनांक 14 मार्च, 2015 को निधन हो गया।

मैं अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगत के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत श्री मांगीलाल आर्य को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें तथा उनके शोक संतप्त परिजन को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दें।

माननीय सदस्यगण, कृपया दो मिनट खड़े रहकर दिवंगत की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें।

(तदनन्तर सदन ने दो मिनट मौन खड़े रहकर को श्रद्धांजलि अर्पित की)

अनुपस्थिति अनुमति

भवानी सिंह राजावत, श्री, सदस्य, को 16 मार्च, 2015 से सत्रांत तक

मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री भवानी सिंह राजावत, सदस्य, विधान सभा ने शारीरिक अस्वस्थता के कारण दिनांक 16 मार्च, 2015 से सत्रांत तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

कल्याण सिंह चौहान, श्री, सदस्य, को 19 मार्च, 2015 से सत्रांत तक

मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री कल्याण सिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा ने शारीरिक अस्वस्थता के कारण दिनांक 19 मार्च, 2015 से सत्रांत तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

(श्री अध्यक्ष)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

1. श्री घनश्याम, सदस्य की ओर से प्रदेश में ओलावृष्टि से फसलों की भारी तबाही तथा किसानों की जन-धन की हुई हानि के सम्बन्ध में।

घनश्याम जी, इसमें तो 3 घंटे चर्चा हो गई है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): क्या हुआ?

श्री अध्यक्ष: 3 घंटे चर्चा हो चुकी है आपके स्थगन प्रस्ताव पर। विराजो। विराजो।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, वे घनश्याम जी नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष: सारी, सारी, आई एम सारी। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): वे घनश्याम दूसरे हैं।

श्री अध्यक्ष: यह घनश्याम, घनश्याम में ही थोड़ा हो गया।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): हां, वे दूसरे घनश्याम जी हैं।

श्री अध्यक्ष: घनश्याम, घनश्याम में गड़बड़ हो गया। आप विराजिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आपको भ्रम क्यों हो रहा है, लेकिन?

श्री अध्यक्ष: कई बार मैं भी भ्रमित हो जाता हूं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): अध्यक्ष महोदय, ये सत्ताधारी पार्टी में हैं, ये स्थगन प्रस्ताव क्यों देंगे? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: भ्रमित होना मानव स्वभाव है और यहां पर जो एक से एक बैठे हैं दिवंगत...(व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): यह तो भूतों की विधान सभा हो जाएगी, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह विधान सभा भूतों की विधान सभा हो जाएगी, सबको दिवंगत करोगे तो।

श्री अध्यक्ष: हां, मैं दिग्गज शब्द बोलना चाहता था लेकिन अभी मैंने दो बार दिवंगत, दिवंगत कहा तो वही दिमाग में रह गया। इसलिए मैं क्षमा

(श्री अध्यक्ष)

चाहता हूं। यहां जो भी दिग्गज-दिग्गज लोग बैठे हैं, वे सब भ्रमित करने के मास्टर हैं। इसलिए मैं भी भ्रमित हो जाता हूं। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, दिवंगत कहने से उम्र सौ वर्ष हो जाती है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, क्षमा चाहता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, लगता है कि उम्र का असर हो गया आप पर। यह मुझे लग रहा है।

श्री अध्यक्ष: यह भी है। मैं 81 साल पूरे कर रहा हूं, 22 मार्च को 82 में आ जाऊंगा। यह सही है, जिस तरह से शारीरिक स्वस्थता और शारीरिक अस्वस्थता ...।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): हुजूर, चेहरे का नूर बरकरार है, उसके बावजूद भी।

श्री अध्यक्ष: आपके द्वारा दिए हुए टानिक से ही यह सब हो रहा है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, 22 मार्च को पार्टी होनी चाहिए आपकी तरफ से।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): 81 वर्ष का होने पर सहस्र चंद्र दर्शन का कार्यक्रम होता है और सारे सदन को आप सहस्र चंद्र दर्शन, जो शास्त्रोक्त है, उसमें बुलाएं और सबको जिमाएं। रात के समय वह पार्टी होती है, चांद के उगने पर।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): राजेन्द्र जी वाला टानिक भी दिलाना सबको।

श्री अध्यक्ष: मैं आपकी मांग को स्वीकार करता हूं, लेकिन व्यवस्था सब आपको करनी पड़ेगी। (व्यवधान) मैं कर दूंगा, लेकिन व्यवस्था सब आपको करनी पड़ेगी।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): व्यवस्था की जिम्मेदारी घनश्याम जी की। (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): बाकी व्यवस्था भी यही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: सब इनको करने दो। सक्षम हैं ये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, भोजन होगा, या डिनर होगा? यह भी बता दो।

श्री अध्यक्ष: यह किसी शास्त्र का उन्होंने उदाहरण दिया है ना, तो उस शास्त्र में जैसा होता है वैसा घनश्याम जी करेंगे। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: क्या उम्मीद करते हो? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: 2. श्री मनोज कुमार, सदस्य की ओर से शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत राज्य के निजी विद्यालयों को पुनर्भरण राशि का भुगतान नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

3. अशोक, सदस्य की ओर से हिण्डौली स्थित रामसागर झील में मत्स्य पालन करने से सिंघाड़े की फसल को नुकसान होने तथा पेयजल प्रदूषित होने के सम्बन्ध में।

4. श्री सुखराम, सदस्य की ओर से माउंट आबू को ईको-सेंसेटिव जोन घोषित करने के उपरांत भी इसका मास्टर प्लान नहीं बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

5. श्रीमती अंजु देवी धानका, सदस्या की ओर से बस्सी के वार्ड नं. 12 में स्थित सरकारी शराब की दुकान को अन्यत्र स्थापित करने के सम्बन्ध में।

6. श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से जिला नागौर में पिछले 10 माह में 10 बार फायरिंग होने तथा प्रदेश में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं के सम्बन्ध में। गृह विभाग की बहस में आ चुका है।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं।

7. श्री धीरज गुर्जर, सदस्य की ओर से प्रदेश में नील गाय (रोजड़ों) द्वारा फसल को पहुंचाए जा रहे नुकसान को रोकने हेतु प्रत्येक तहसील में बिला नाम एवं चरागाह भूमि का चयन कर, उस क्षेत्र की तारबंदी कर, इनको बंद करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में।

8. श्री मानिक चन्द सुराना, सदस्य की ओर से प्रदेश की मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना में कार्यरत करीब 3,265 कम्प्यूटर आपरेटर्स को 15 माह का बकाया मानदेय देने एवं इनकी सेवा अवधि में वृद्धि करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

9. श्री रमेश, सदस्य की ओर से राज्य में सिलिकोसिस बीमारी के तेजी से बढ़ते प्रकोप और निरन्तर हजारों मजदूरों की कथित मौतों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री धीरज गुर्जर, श्री मानिक चन्द सुराना एवं श्री रमेश को अपने-अपने प्रस्ताव की विषय-वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्री ललित कुमार, सदस्य की ओर से द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा, 2013 में किशनगंज-शाहबाद टी एस पी/सहरिया क्षेत्र के 42 अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के सम्बन्ध में।
2. श्री शंकर सिंह, सदस्य की ओर से राज्य की अति पिछड़ा वर्ग आरक्षण सूची में रावत जाति को सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में।
3. श्री रामहेत सिंह यादव, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास की नगरपालिका खैरथल व किशनगढ़ बास में सीवरेज व गन्दे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
4. श्री लादूराम, सदस्य की ओर से बाड़मेर जिले के गुढामालानी एवं जालौर जिले की सांचौर तहसील में उनालु हवा चलने से जीरा व इसबगोल की फसल को हुए नुकसान का सर्वे करवाकर मुआवजा देने के सम्बन्ध में।
5. श्री नारायण सिंह देवल, सदस्य की ओर से जिला जालौर में साक्षरता की दर बढ़ाये जाने हेतु वर्तमान में स्थित प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में।
6. श्रीमती संजना आगरी, सदस्या की ओर से सोजत मास्टर प्लान में दर्ज कराई गई आपत्तियों के आधार पर नये सिरे से मास्टर प्लान का प्रारूप तैयार करवाने के सम्बन्ध में।
7. म. रणधीर सिंह भींडर, सदस्य की ओर से उदयपुर में उच्च न्यायालय

(श्री अध्यक्ष)

की खण्ड पीठ की स्थापना की आवश्यकता के सम्बन्ध में।

8. श्री पूरणमल सैनी, सदस्य की ओर से संविदाकर्मी पशु चिकित्सकों का नियमितीकरण करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में।

9. श्री तरुण राय कागा, सदस्य की ओर से राज्य में अनुसूचित जाति वर्ग के विकास हेतु बजट में आवश्यक धनराशि का प्रावधान सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में।

10. श्री हरिसिंह रावत, सदस्य की ओर से जिला राजसमंद को देवनारायण विकास बोर्ड से जोड़े जाने के सम्बन्ध में।

11. मास्टर मामन सिंह यादव, सदस्य की ओर से राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के क्षेत्रीय कार्यालय, भिवाड़ी में क्षेत्रीय अधिकारी का पद समाप्त कर देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

12. श्री शैतान सिंह, सदस्य की ओर से पोकरण-फलसूण्ड-बालोतरा-सिवाना लिफ्ट परियोजना के अन्तर्गत पैकेज 3-ब के 71 गांवों में पेयजल उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

आज दिनांक 19 मार्च, 2015 को शून्य काल में बोलने हेतु 33 पर्चियां प्राप्त हुई, जिनमें शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गईं, जो निम्नांकित हैं:-

1. श्री भागीरथ चौधरी, किशनगढ़ उप खण्ड मुख्यालय पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के खण्ड कार्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में।

2. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा, भारत सरकार की खनन नीति की जानकारी होने के बावजूद सीमेंट कम्पनियों से मिलीभगत कर खानों का आबंटन नीलामी से न कर राजस्व का भारी नुकसान किये जाने के सम्बन्ध में।

3. श्री मदन राठौड़, पाली जिले से गुजरने वाले नेशनल हाइवे 14 के फोर लेन निर्माण में रही त्रुटियों के कारण हो रही दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में।

4. श्री भैराराम चौधरी, विधान सभा क्षेत्र ओसियां में ओलावृष्टि से किसानों को हुए नुकसान के सम्बन्ध में।

श्री धीरज गुर्जर।

(श्री अध्यक्ष)

(अनुपस्थित)।

धीरज कुमार नहीं हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजना में कार्यरत कम्प्यूटर आपरेटर्स को बकाया मानदेय का भुगतान व सेवा अवधि में वृद्धि

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव चिकित्सा मंत्रीजी से सम्बन्धित है। मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजना में जो 3,265 कम्प्यूटर आपरेटर काम कर रहे हैं, ये प्राय: फरवरी, 2012 में नियुक्त किये गये, टेम्प्रेरी अपांइटमेंट हुआ। इनको मैन-विद -मशीन, यानी मशीन अपने घर से लानी थी। कम्प्यूटर जो 40-45 हजार का है, वह उन्होंने खरीद कर नौकरी में एप्लाई किया। उनका चयन हुआ, टेम्प्रेरी अपाइंटमेंट हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, 29 नवम्बर, 2013 से लगाकर और आज तक उनकी तनख्वाह बाकी है। नवम्बर, 2013 से लगाकर माननीय चिकित्सा मंत्रीजी को 29.10.2014 को सैकड़ों कम्प्यूटर आपरेटर्स ने अप्लाई किया और इनके निर्देशों से यह सूचना मंगवाई गई कि कितने लोग इससे प्रभावित हैं। वह सूचना, माननीय मंत्रीजी, आपके यहां से 29.10.2014 को कलेक्ट की गई।

मेरा निवेदन है कि जब तक आपने उनको नौकरी पर रख छोड़ा है, चाहे वह टेम्प्रेरी अपाइंटमेंट है, वह भी मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना के तहत नियुक्तियां हैं, ऐसी स्थिति में जब हाई कोर्ट ने भी 9.1.2015 को आदेश दे दिया है, 9.1.2015 को माननीय मंत्री महोदय, मैंने मेरे स्तर पर कापी प्राप्त की है, मैंने मेरे स्थगन में कोट किया है, हाई कोर्ट ने यह कहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, ''Consequently, the instant writ petition is disposed of with the direction that the respondents shall assess whether any dues are outstanding in favour of the petitioners. Any amount being found due shall be paid to the petitioners forthwith. The prayer for being continued on the post shall be considered and dealt with by a reasonable speaking order.''

माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में मेरा निवेदन है, बहुत संक्षेप में, कि जिन कम्प्यूटर आपरेटर्स की तनख्वाहें बाकी हैं, पिछले चौदह-पन्द्रह महीने

(मानिक चन्द सुराना)

की, जिसके लिए माननीय हाई कोर्ट ने आपको निर्देशित 9.1.2015 को किया है, उसके अनुसार जिसका अंकन मैंने स्थगन प्रस्ताव में किया है, मेरा निवेदन है, माननीय मंत्रीजी, जब हाई कोर्ट भी कह चुका कि इनकी जो तनख्वाह बाकी है वह उनको दे दी जाएं, तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस स्थगन प्रस्ताव के उत्तर में राज्य सरकार की जो भी नीति है, उसकी घोषणा भी करें और मेरा निवेदन है कि जितने टेम्प्ररेरी अपाइंटमेंट विभिन्न विभागों में हैं, उनमें जिस तरह विद्यार्थी मित्रों को 20 परसेंट इंटरव्यू के मार्क्स देकर नियमित किया गया है, उसी तरह से आप बाकी विभागों में भी उनको यथा सम्भव नियम बनाकर और उनको जितनी योग्यताएं हैं आपके पद के अनुकूल, उनको नियमित करने की कृपा करें। इसी निवेदन के साथ मेरी बात को समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, आप रेस्पोंड करेंगे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने स्थगन प्रस्ताव के जरिये जो प्रश्न सदन में उठाया है, उसके बारे में मेरा निवेदन है कि मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना जब प्रारम्भ हुई थी 2011-12 में, तो मैन-विथ-कम्प्यूटर 3,671 लोगों को आर एम आर एस द्वारा, स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा और प्लेसमेंट एजेंसियों द्वारा 6,500 रुपये मानदेय पर नियुक्त किया गया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती सरकार के समय में भी 5.2.2013 को निर्णय हो गया था कि इस नि:शुल्क दवा योजना के अन्दर इन्फोर्मेशन असिस्टेंट, आई ए की नियुक्ति की जाए। इसीलिए उन्होंने 3,617 पदों का सृजन किया गया। उसी समय पूर्ववर्ती सरकार ने यह निर्णय कर लिया था कि स्थायी तौर पर इन्फोर्मेशन असिस्टेंट आने के बाद इनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया जाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके पश्चात् जब इनमें से लगभग 636 के अलावा आई ए सब जगह आ गये हैं तो इनकी सेवाएं समाप्त की गईं। आज विभाग में 636 जगह पर ये लोग काम कर रहे हैं।

इसमें भी शक नहीं, माननीय सदस्य आपने कहा कि इनका वेतन बकाया है और यह बात भी सही है कि यह मामला उच्च न्यायालय में गया, माननीय उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच ने विभाग को निर्देशित किया है कि इनके बकाया वेतन का भुगतान किया जाए।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा, मैंने अभी उच्च न्यायालय के आदेश को पढ़ा नहीं है, मैं उसको मंगवाऊंगा और जिस किसी ने भी एक दिन भी विभाग में किसी भी रूप में नौकरी की है, उसको निश्चित तौर पर वेतन का भुगतान भी करेंगे और ये जो 636 अब काम कर रहे हैं, इनके बकाया वेतन का भुगतान भी करेंगे। मैं समझता हूं कि 29 नवम्बर, 2013 से जो वेतन बाकी की बात कर रहे हैं, उस समय तो नहीं परन्तु इस बात को मैं स्वीकार कर रहा हूं कि पिछले दस और ग्यारह महीने के बीच का कुछ कार्मिकों का वेतन बकाया है, जिसको हम निश्चित समयावधि के अन्दर, माननीय अध्यक्ष महोदय, हम वेतन भी भुगतान करने का पूरा-पूरा प्रयास करेंगे और भुगतान करेंगे।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण करें। श्री रमेश। स्थान ग्रहण कीजिए। श्री रमेश।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): आप शीघ्र भुगतान करें, इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

सिलिकोसिस बीमारी के प्रकोप के चलते मजदूरों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे राज्य में 19 जिलों में 30 लाख लोग मजदूरी का काम करते हैं, जो खनन के क्षेत्र में काम करते हैं, जिनमें से लगभग 50 हजार लोग सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित हैं। सरकार इसके प्रति बिलकुल गम्भीर नहीं है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको मेरे करौली जिले का देना चाहता हूं। 20 हजार लोग इस सिलिकोसिस की बीमारी से पीड़ित पाये गये। उनकी जांच भी हो चुकी है। मात्र 350 लोगों को राहत दी जाती है। सिलिकोसिस का स्टेट लेवल पर, जहां राजस्थान में 7 मेडिकल कालेज हैं, उनसे सम्बन्धित हैडक्वार्टर पर, जिला अस्पताल पर, यह बोर्ड बना हुआ है। आर्थिक सहायता जो दी जानी थी, वह केवल 350 लोगों को मिली है। इस प्रकार पूरे राजस्थान में एक वर्ष के अन्दर हजारों लोग इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं, मृत्यु हो चुकी है और लोग आर्थिक सहायता के लिए जो बोर्ड बना हुआ है वहां चक्कर काटते-काटते थक

(श्री रमेश)

चुके हैं। मेरे करौली जिले के मरीजों की चक्कर काटते-काटते मृत्यु हो चुकी है। कितना गम्भीर विषय है कि हजारों लोग इससे पीड़ित हैं।

सरकार संवेदनशीलता की बात करती है, हमारे माननीय मंत्री भी कहते हैं, पिछली बार सदन में इन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि जो खनन मजदूर हैं, उनका सर्वे कराया जाएगा, उनकी मास्क की व्यवस्था करायी जाएगी; जो इस बीमारी से पीड़ित लोग हैं उनको आर्थिक सहायता दी जाएगी; जो लोग अभी जीवित हैं उनका इलाज करवाया जाएगा, लेकिन न तो कोई इलाज हुआ, न मृत व्यक्तियों को आर्थिक सहायता दी गयी।

ये सरकार के अधिकारी किस तरह लापरवाह हैं, कि जयपुर में एक सप्ताह, आखिरी शुक्रवार की बोर्ड की जो मीटिंग होती है, जो सर्टिफाई करती है कि यह सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित है और इसको आर्थिक सहायता मिले; करौली जिले में एक महीने में 16 लोगों की जांच की जाती है और पूरे राजस्थान में 40 से अधिक लोगों की जांच आज तक किसी भी महीने नहीं की गयी। काफी जिले ऐसे हैं जहां इस प्रोसीजर और सिस्टम को लागू तक भी नहीं किया गया। धौलपुर जिले में राज्य सरकार ने पैसे दे दिये, उस हैड में पैसे पड़े हैं, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से एक भी पैसा वहां वितरित नहीं हुआ है। भरतपुर के बंसी पहाड़पुर में 40 लोग चिह्नित किये गये, उनको कोई सहायता नहीं मिली। इसी प्रकार, पूरे राजस्थान में अजमेर, दौसा, धौलपुर, करौली, कोटा, भीलवाड़ा, अजमेर, इस तरह 19 जिले हैं जिनमें 50 हजार से अधिक लोग इस बीमारी से ग्रस्त हैं। सरकार बिलकुल लापरवाह है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे दोषी अधिकारी जिन्होंने आर्थिक सहायता वहां तक नहीं पहुंचायी और पीड़ित व्यक्तियों की उनके प्रमाण-पत्र लेने के लिए चक्कर काटते-काटते मृत्यु इस दरमियान हो जाती है, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सरकार कार्यवाही करे। दौसा में जो मोल्डिंग का काम करते हैं, 4-5 हजार लोग हैं, उनको आज तक किसी प्रकार की सहायता नहीं मिल रही है, क्योंकि वे डाइरेक्ट खनिज क्षेत्र में कार्य नहीं करते हैं। वहां भी 4 से 5 हजार लोग इस बीमारी से ग्रस्त हैं।

मैं कहना चाहूंगा कि सरकार द्वारा जो बोर्ड गठित करने की बात की गयी थी कि जिला लेवल पर एक बोर्ड का गठन किया जाएगा और हरसम्भव प्रयास किये जाएंगे, उनको आर्थिक मदद मिले, खनन मजदूरों का इलाज हो,

(श्री रमेश)

लेकिन अभी तक न तो जिला लेवल पर कोई बोर्ड बना है और न ही कोई इस तरह की व्यवस्था की है। आपने यह भी कहा था कि जो माइन्स आनर्स हैं, उनके माध्यम से भी खान को गीला करके खनन कार्य किया जाएगा, नियम भी बनाये कि मास्क की व्यवस्था भी उन मजदूरों के लिए की जाएगी, लेकिन वह भी माइन्स आनर्स ने कोई व्यवस्था नहीं की है।

यह एक भयंकर बीमारी है। अगर समय पर इस बीमारी को नहीं रोका गया, इसका इलाज नहीं किया गया, तो राजस्थान में एक दिन ऐसा आएगा कि खनन क्षेत्र में जो हमें राजस्व प्राप्ति होती है, खनन के माध्यम से जो लोगों की जीविका चलती है, वे कोई खान की तरफ झांकने नहीं जाएंगे। यह एक ऐसा इतिहास नहीं बन जाय।

तो समय रहते जो हमारे लाखों मजदूर भाई हैं, जिनका परिवार, जिनकी रोजी-रोटी इससे चलती है, इस पर सरकार को गम्भीर होना चाहिए। इस पर विचार करके, जो दोषी अधिकारी हैं, क्योंकि इसमें एक सिस्टम ऐसा है, बोर्ड के माध्यम से सर्टिफिकेट जाएगा, सर्टिफिकेट के बाद में कलक्टर के यहां जाएगा, कलक्टर खान विभाग को डिमांड करेगा, खान विभाग वित्त विभाग में भेजेगा, फिर वित्त विभाग के बाद वापस उसी पैटर्न से माइनिंग विभाग में आएगी, फिर कलक्टर के यहां जाएगी। इस तरह का जो प्रोसीजर है, इसका बिलकुल स्वतंत्र बोर्ड बने और जिला लेवल पर उसकी जांच से आर्थिक सहायता तक एक अलग विशेष सैल बने।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए आप। (व्यवधान) कह चुके आप।

श्री रमेश (सपोटरा): एक विशेष व्यवस्था हो। गरीब की बात है। जो राजस्थान में मृत्यु हो रही हैं, उनमें सबसे ज्यादा एस सी के लोगों की हो रही हैं।

श्री अध्यक्ष: ध्यान आकर्षित कर लिया आपने।

श्री रमेश (सपोटरा): यह गम्भीर विषय है। राजस्थान के जो अधिकारी बैठे हैं, विभाग से सम्बन्धित, उनकी वजह से सरकार में बजट होने के बावजूद भी गरीबों को मदद नहीं की गयी।

श्री अध्यक्ष: माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी।

श्री रमेश (सपोटरा): मैं आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही कर

(श्री रमेश)

पीड़ित व्यक्तियों को मुआवजा दिलाएं और उनकी मदद करें और आगे के लिए इनको आगाह करें कि समय पर इनको सहायता मिले।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सपोटरा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा किया है। इन्होंने पूर्व में भी इसी सदन के अन्दर सिलिकोसिस बीमारी के बारे में चिन्ता की थी।

राजस्थान के अन्दर 20 जिलों में 34 ब्लाक ऐसे हैं जिनमें व्यापक स्तर पर खनन का कार्य होता है। जहां खनन का कार्य होता है, वहां वातावरण के अन्दर सिलिका और सिलिकान डाइआक्साइड कण खनन कार्य से मिलने वाली धूल के साथ मिलते हैं। यही कण वहां काम करने वाले श्रमिक के फेफड़ों में जाते हैं, जिनको क्रिस्टल या सिलिका कण कहते हैं। इसी कण के कारण, धीरे-धीरे जब वे फेफड़ों में जमा हो जाते हैं तो सिलिकोसिस रोग हो जाता है। लंग्स में इंफेक्शन, सिलिका स्प्रेएबल, अलग-अलग इस प्रकार की बीमारियां हैं।

अध्यक्ष महोदय, यह सही बात है कि पिछले वर्षों में सरकार के निर्देश के पश्चात् भी मात्र 7 मेडिकल कालेज में बोर्ड बनाये थे। आज गरीब आदमी, श्रमिक, जो वहां पत्थर तोड़ रहा है और पत्थर तोड़ने के साथ-साथ इस बीमारी से ग्रसित हो जाय, वह मेडिकल कालेज में आकर बोर्ड के सामने उपस्थित हो और उसके बाद बोर्ड चिह्नित करे कि सिलिकोसिस उसके हो गई है। नियम तो यह है सिलिकोसिस के लिए अगर बोर्ड तय कर देता है, उसको एक लाख रुपये तत्काल देने पड़ते हैं। सिलिकोसिस से मृत्यु हो जाय तो 3 लाख रुपये देने का प्रावधान है।

अध्यक्ष महोदय, 8 दिसम्बर को हमने पहली बार जिला स्तर पर, जिस बात का जिक्र माननीय सदस्य कर रहे थे, जिला स्तर पर Pneumoconiosis Board बना दिये हैं, जिसमें एक चेस्ट और टीबी का स्पेशलिस्ट है, एक रेडियो डाइग्नोसिस का, एक जनरल मेडिसिन का।

इसके अलावा, इस बीमारी के बारे में जो आपने चिन्ता व्यक्त की, वह चिन्ता मुझे भी है। मेरी दृढ़ मान्यता है कि हमारा पत्थर उद्योग तब पनपेगा, जब इसमें काम करने वाले श्रमिक की हम चिन्ता करेंगे।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में The Rajasthan Epidemic Diseases Act, 1957 बना हुआ है जिसके अन्तर्गत हर महीने विभाग को सूचना देनी पड़ती है कि इस बीमारी से कितने पीड़ित लोग आये और उनके उपचार के लिए क्या-क्या कदम उठाये गये। उसमें इस बीमारी को नोटिफाई किया है।

अध्यक्ष महोदय, Pneumoconiosis Board अगर तय कर देता है कि इसको सिलिकोसिस है तो उसको एक लाख रुपये की सुविधा के साथ-साथ, बी पी एल में जिस तरह मुफ्त में इलाज करने का प्रावधान है, उस तरह इलाज करने का प्रावधान भी सरकार ने तय किया है। हमने अब तक 111 कैम्प लगाये। उसमें से 1,504 श्रमिक, जिनमें सिलिकोसिस के सिम्टम्स पाये गये, उनका इलाज भी हुआ और उसमें 56 लोगों की डैथ भी हुई।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर इसके लिए राजस्थान हैल्थ एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड बना है, इस बोर्ड में धनराशि आती है। सैस से, माइन्स डिपार्टमेंट के माध्यम से हमारे पास आती है। इसमें शक नहीं कि 2011 के अन्दर जो 25 करोड़ रुपये की राशि आयी, उसमें से 13 करोड़ रुपये अनस्पेंट रहे, वापस चले गये। इसी तरह 2012-13 में भी 22 करोड़ 63 लाख रुपये की राशि आई, जिसमें 11 करोड़ रुपये अनस्पेंट चले गये।

मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को धन्यवाद तो इसलिए देना चाहूंगा कि आपने उस श्रमिक की चिंता की है जो आज हमारी सारी माइंस इंडस्ट्री का मेरुदण्ड है। मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि यह राशि पिछले वर्षों में जो खर्च नहीं हुई, आपका स्थगन मुझे प्राप्त होते ही मैंने कोशिश की कि मैं सारी चीज को देखूं, सारी जानकारी तो मुझे नहीं मिली पर इसमें शक नहीं कि जो राशि माइंस डिपार्टमेंट ने हमें दी, उस राशि का हम उपयोग नहीं कर पाये। हमने खुद ने, डिपार्टमेंट ने तय किया था कि इसके लिए हम मोबाइल यूनिट बनाएंगे, जिससे मोबाइल यूनिट हर जगह पर जाएगी, उसमें एक्स-रे मशीन फिट होगी, उसी में दूसरे इलाज की पद्धति भी होगी, ताकि वहां जाकर मोटे तौर पर जाकर डायग्नोसिस कर लें कि इसमें ट्यूबरक्लोसिस और सिलिकोसिस के सिम्टम्स हैं या नहीं, पर वह नहीं खरीदी गई।

मैं इसके लिए जांच भी कराऊंगा, रेस्पोंसिबिलिटी भी फिक्स करूंगा और भविष्य में सिलिकोसिस बीमारी के लिए हर तीन महीने में हमारे प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा के स्तर पर, राजस्थान में कितनी जगह पर यह

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

बीमारी है, क्या स्थिति है, क्या इसमें बी पी एल की सुविधा उनको मिली या नहीं मिली, क्या इसमें जो जिला स्तर पर बोर्ड बना है उसने सिलिकोसिस बीमारी के कारण जिनको चिह्नित किया उनको एक लाख रुपये की सुविधा मिली या नहीं मिली, यह करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, यह पहली बार शुरू हो रहा है, हालांकि यह हिस्सा जरूर था उसका। हमने इसको नोटिफाई करने के बाद, राजस्थान एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट में स्वत: ही इसकी तरफ विभाग का ध्यान चला गया। इसलिए मैं आश्वस्त करना चाहूंगा...

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो मंत्री जी ने कहा कि हमने जिला लेवल पर बोर्ड बना दिये हैं, जिला लेवल पर बोर्ड आपके यहां कागजों में बन गये हैं, परन्तु क्रियान्वित नहीं हो रहे हैं, काम नहीं हो रहा है किसी जिले में। पैसे का जो बताया है कि हमारी सरकार ने यह पैसा दिया है, पर वह जो आर्थिक मदद है, उसमें पीड़ित व्यक्ति जिन्दा है उसको एक लाख रुपये मिले हैं, मृत्यु हो गई उसके परिवार को तीन लाख रुपये मिले हैं, या उसका इलाज हो, परन्तु नहीं हो पा रहा है, साहब। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने पहले भी इसी सदन में आश्वासन दिया था और कहा था कि यह कार्यवाही होगी और पीड़ित व्यक्ति को सहायता मिलेगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आ गया, अब आप बैठिये। (व्यवधान) रिपीट करने से कोई फायदा नहीं। पूरा कह चुके आप, रिपीट करने से कोई फायदा नहीं। यह सब पूछ चुके आप।

श्री रमेश (सपोटरा): लेकिन मैं यह चाहता हूं कि जो कार्यवाही इन्होंने नहीं की, जो इन्होंने आदेश दिये उनकी पालना नहीं हुई, तो दोषी अधिकारियों के खिलाफ माननीय मंत्री महोदय क्या कार्यवाही करेंगे? यह बताएं हमें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इस बार सरकार ने पहली बार 35 करोड़ का प्रावधान किया है और मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि मैं मेरे स्तर पर इस पूरी चीज को दिखवाऊंगा। जिला स्तर पर हमने न्यूमोकोनियोसिस बोर्ड का गठन कर लिया है, पर किसी जिले के अन्दर विधिवत रूप से नहीं हुआ तो सप्ताह में कोशिश करेंगे कि जहां आपके ये 19 जिले हैं इनमें इस बोर्ड की एक सप्ताह में एक मीटिंग निश्चित तौर पर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हो जाए, ताकि इस प्रकार के रोगी आएं, वे चिह्नित भी हो जाएं और उन्हें लाभ भी मिल जाए। जहां कमी-खामी रही, वहां कार्यवाही भी करेंगे।

मैं आपसे यह सहयोग भी चाहूंगा, चूंकि आपकी इस मामले में जानकारी है, इसलिए आप हमें सूचना करते रहें, ताकि हम उस अनुसार आगे की हमारी कार्य योजना बनाएंगे।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। श्री ललित।

श्री रमेश (सपोटरा): दोषी अधिकारियों की वजह से जो लोग मर गये, मृत्यु हो गई, उनको आर्थिक मदद नहीं मिली और उनके खिलाफ मंत्रीजी कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब आप बैठिये। बार-बार नहीं। (व्यवधान) मैं फिर आपको अलाउ नहीं करूंगा आगे से। आप बैठिये।

श्री रमेश (सपोटरा): कार्यवाही नहीं कर रहे हैं और गरीब लोग मर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठ जाओ आप। आ गया सब जवाब। (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): कहां आ गया? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठिये आप। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, यदि आपकी आज्ञा हो तो एक मिनट?

श्री अध्यक्ष: बैठिये। तीन मिनट की जगह 30 मिनट ले गये हैं। फिर मैं आइंदा अलाउ नहीं करूंगा। 3 मिनट की जगह 30 मिनट ले गये और फिर भी बोलेंगे। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आपसे निवेदन कर रहा हूं कि फिर मैं अलाउ नहीं करूंगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि माननीय सदस्य ने बड़ा संवेदनशील मुद्दा यहां सदन में उठाया और माननीय मंत्री महोदय ने भी बड़ी अच्छी तरह से इसको रेस्पोंड किया। सवाल यह है, आपकी भावना अच्छी है लेकिन जमीनी हकीकत में लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। आपने बोर्ड बना दिया, बोर्ड कांस्टिट्यूट कर दिया जिला स्तर पर, लेकिन अभी तक वे फंक्शन ठीक प्रकार से नहीं कर रहे हैं। धौलपुर जिले में भी बहुत भयंकर समस्या है।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

मैं आपसे यह चाहूंगा कि आप किसी भी जन-प्रतिनिधि को इस बोर्ड में डाल दें और उसकी रेगुलर मीटिंग हो, तो उससे उसका लाभ मिलेगा; आपके जो डाक्टर, अधिकारी, वहां पर उनके ऊपर एक प्रकार का अंकुश रहेगा। मेरे सुझाव पर अगर आप विचार कर लें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और इस समस्या से लोगों को निदान मिल जाएगा। यही मेरा सुझाव है।

श्री अध्यक्ष: सुझाव उत्तम है। आप कह चुके न सारा, अब क्या रेस्पोंड कर रहे हैं? बोलिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह जो बोर्ड है, यह टेक्निकल अधिकारियों का बोर्ड है, डाक्टर्स का बोर्ड है, पर मैं यह आश्वस्त करता हूं कि इस बोर्ड की मीटिंग की सूचना इन 20 जिलों के अन्दर, जिस-जिस विधान सभा क्षेत्र में यह खनन का कार्य होता है, उनके विधायकों को सूचना जरूर दे देंगे कि इतनी-इतनी तारीख तो बोर्ड बैठेगा, ताकि आपको मालूम पड़े कि बोर्ड काम कर रहा है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, वह बहुत बढ़िया सुझाव है कि किसी जन-प्रतिनिधि को आप मेम्बर बनाएं। तो क्या बुरा है?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): राजेन्द्र जी, भले ही वह टेक्निकल बोर्ड है लेकिन लाभ यह होगा, उन पर एक प्रकार का अंकुश रहेगा कि अगर हमने बोर्ड की मीटिंग नहीं बुलाई तो हमारे खिलाफ उच्च अधिकारियों को लिखकर कार्यवाही की जाएगी। इस बात को ध्यान में रखकर मैंने यह सुझाव दिया है। यह मेरा आपको सुझाव है और आप इस पर विचार कर लें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर मैं इस पर विचार भी करूंगा, अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट में इस डिजीज को लिया हुआ है, आपका सुझाव ठीक है, जन-प्रतिनिधियों के सामने हरेक चीज को रखना कोई बुरी बात नहीं है। मैं मानता हूं कि सिलिकोसिस के बारे में राजस्थान में जिस प्रकार का काम होना चाहिए, उस तरह से नहीं हुआ, परन्तु, अध्यक्ष महोदय, आइंदा इसमें शिथिलता नहीं रहेगी।

श्री अध्यक्ष: नियम 295 । श्री ललित कुमार।

सूचना

कोटा में चम्बल नदी में तेल रिसाव के कारण कारित प्रदूषण पर शीघ्र नियंत्रण

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: ललित कुमार इधर हैं।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): कोटा में एक भीषण दुर्घटना हुई है, चम्बल नदी में इतना गंदा पानी हो गया है क्योंकि वहां थर्मल से तेल रिसाव हुआ है। लगभग 600 लीटर की मात्रा में तेल रिसाव हुआ है, जिसने पूरी चम्बल नदी को घेर लिया है। उसमें मछलियां मरी हुई बाहर पड़ी हैं। पानी अब अकेलगढ़ की तरफ बढ़ रहा है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। विराजिये। विराजिये।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): यदि वहां पर कार्यवाही करके इसको नहीं रोका गया तो पानी दूषित रूप में लोगों के पेट में जाने वाला है।

श्री अध्यक्ष: आप बोल लिये, आपने ध्यान आकर्षित कर दिया, विराजिये।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): मेरा निवेदन है कि इस पर तुरन्त कार्यवाही कराकर उस तेल को रुकवाया जाए और चम्बल नदी को साफ किया जाए।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये। श्री ललित।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

किशनगंज/शाहबाद टी.एस.पी./सहरिया क्षेत्र के अभ्यर्थियों को अध्यापक (द्वितीय श्रेणी) परीक्षा, 2013 में नियुक्ति

श्री ललित कुमार (किशनगंज): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र किशनगंज-शाहबाद को टी.एस.पी./सहरिया क्षेत्र मानकर आर.पी.एस.सी. व सरकार द्वारा 10.9.2012 की द्वितीय श्रेणी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में टी.एस.पी./सहरिया क्षेत्र में टी.एस.पी. की कट-आफ के आधार पर 8 अभ्यर्थियों व इससे पूर्व की भर्तियों

(श्री ललित कुमार)

में नियुक्तियां दी गईं। वे अभ्यर्थी आज स्थायी हो गये हैं और मेरे विधान सभा क्षेत्र किशनगंज-शाहबाद व जिले में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

इसी प्रकार, वरिष्ठ अध्यापक द्वितीय श्रेणी प्रतियोगी परीक्षा 2013 में सरकार द्वारा निकाली गई। इसके नोटिफिकेशन शुद्धि हेतु 31.7.2014 को आर.पी.एस.सी. की वेबसाइट पर निकाला, जिसमें आयोग द्वारा शुद्धि पत्र में टी.एस.पी./सहरिया क्षेत्र के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अनारक्षित वर्ग हेतु पद आरक्षित दर्शाये गये हैं। ''अत: इस परीक्षा में टी.एस.पी./सहरिया क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के साथ ही आरक्षित वर्ग के पुरुष व महिला अभ्यर्थी जो टी.एस.पी. क्षेत्र के हैं, वे आयोग की वेबसाइट rpsconline.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध लिंक का चयन कर उपलब्ध प्रपत्र में आनलाइन आवेदन करें। आनलाइन सूचना दिनांक 1.8.2014 से दिनांक 7.8.2014 तक ही दी जा सकती है। उक्त दिनांक के पश्चात् किसी भी प्रकार के पत्राचार पर विचार नहीं किया जावेगा।'' इस आर.पी.एस.सी. की प्रेस विज्ञप्ति से किशनगंज-शाहबाद को टी.एस.पी./ सहरिया क्षेत्र माना गया है।

इसी आधार पर आर.पी.एस.सी.ने 11 वर्ष पूर्व 25.11.2004 को भी एक आदेश दिया था, जिसमें यह कहा गया था कि राज्य सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र (जनजाति उपयोजना क्षेत्र) में निवासित अनुसूचित जनजातियों को राज्य सरकार के द्वारा प्रदत्त सभी आधारभूत सुविधाओं के मापदण्ड राज्य सरकार के बारां जिले की शाहबाद एवं किशनगंज तहसील के सहरिया क्षेत्र में भी तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे। वर्ष 2004 के इस आदेश में सहरिया जाति न मानकर सहरिया क्षेत्र कहा गया।

इस आधार पर ही वर्ष 2012 की द्वितीय श्रेणी वरिष्ठ अध्यापकों को नियुक्ति दी गई थी। इसी आधार पर वर्ष 2013 में द्वितीय श्रेणी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती की सभी प्रक्रियाएं पूरी की गईं और आर.पी.एस.सी. द्वारा घोषित परिणाम में किशनगंज-शाहबाद में 42 अभ्यर्थियों का विभिन्न विषयों में 18.9.2014 को आर.पी.एस.सी. द्वारा वेबसाइट पर टी.एस.पी./सहरिया क्षेत्र की कटआफ के आधार पर सभी अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित कर दिया गया था। इसके बाद सभी अभ्यर्थियों के दस्तावेज का सत्यापन भी कर लिया गया।

(श्री ललित कुमार)

परन्तु इसके बाद 10.1.2015 को आर.पी.एस.सी. में रिवाइज्ड रिजल्ट निकाला गया, जिसमें सभी अभ्यर्थियों को बिना कोई कारण बताये नियुक्ति से बाहर कर दिया गया।

अत: द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2014 में किशनगंज-शाहबाद टी.एस.पी./सहरिया क्षेत्र के नियुक्ति से वंचित रहे 42 अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: श्री शंकर सिंह (अनुपस्थित)।

श्री रामहेत सिंह यादव।

खैरथल व किशनगढ़ बास नगरपालिका क्षेत्र में सीवरेज व गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था का अभाव

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र खैरथल व नगरपालिका किशनगढ़ बास में सीवरेज व गंदे पानी की निकासी नहीं है। नगरपालिका खैरथल की आबादी लगभग 55,000 व नगरपालिका किशनगढ़ बास की आबादी लगभग 25,000 है। उक्त दोनों नगरपालिकाएं एन.सी.आर. क्षेत्र में आती हैं। नगरपालिका खैरथल में औद्योगिक क्षेत्र व राजस्थान की प्रमुख कृषि उपज मण्डी भी है। नगरपालिका किशनगढ़ बास में बरसात के दिनों में पानी की निकासी सही नहीं होने के कारण आमजन को आवागमन में कठिनाई होती है। उक्त दोनों नगरपालिकाओं की दूरी लगभग आठ किलोमीटर है। दूरी कम होने पर उक्त दोनों नगरपालिकाओं में व्यापारियों व आमजन का आवागमन काफी बड़ी संख्या में रहता है। उक्त दोनों नगरपालिकाओं में सीवरेज व्यवस्था व गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से उक्त क्षेत्र के लोगों में भारी रोष है।

अत: मैं सदन के माध्यम से निवेदन करता हूं कि नगरपालिका खैरथल व नगरपालिका किशनगढ़ बास में सीवरेज व्यवस्था व गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था करवाई जाये, जिससे आमजन को आवागमन में आसानी हो सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री लादूराम।

गुढ़ामालानी (बाड़मेर) व सांचोर (जालौर) में जीरे व इसबगोल की फसलों को कारित नुकसान का मुआवजा

श्री लादूराम (गुढ़ामालानी): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के तहत निवेदन है कि बाड़मेर जिले के गुढ़ामालानी व जालौर जिले की सांचौर तहसील में जीरे की फसल व इसबगोल (घोड़ा जीरा) में पिछले 15-20 दिनों में उनालू हवा (विपरीत दिशा में) चलने, सुबह के समय ओस पड़ने तथा दिनांक 13 मार्च, 2015 को बरसात होने के कारण गुढ़ामालानी क्षेत्र तथा पड़ोसी तहसील सांचौर में जीरे व घोड़ा जीरे की फसल में भारी नुकसान हुआ है। करीब 100 प्रतिशत जीरे व घोड़ा जीरे की फसल को नुकसान हो गया है, जिसकी सम्बन्धित जिला कलक्टर महोदय वीडियोग्राफी के द्वारा भी जांच करा सकते थे।

इस बारे में मैंने दिनांक 11, 13 व 14 मार्च, 2015 को जिला कलक्टर, बाड़मेर व एस डी एम, धोरीमन्ना; एस डी एम, गुढ़ामालानी से उपरोक्त विषय में विस्तार से टेलीफोन पर चर्चा की और उनसे अनुरोध किया कि रबी क्रोप जीरा व घोड़ा जीरा की फसल को उपरोक्त हुए नुकसान के बारे में इनके हलके के पटवारियों को विस्तार से जांच के आदेश देने का कष्ट करें तथा ऐसी खराब हुई फसल के लिए गिरदावरी सही होना जरूरी है।

इस प्रकार हुए भारी नुकसान के कारण प्रभावित किसान की आंखों से आंसू बह रहे हैं। ऐसे किसानों की कमर टूट गई है।

माननीया मुख्य मंत्रीजी मार्च, 2006 में हुई बरसात के कारण हुए जीरे की फसल के खराबे को देखने के लिए तीन दिन बाद ही हेलिकाप्टर से धोरीमन्ना के पास दूदू गांव में स्वयं पधारी थीं तथा वहां पूरे बाड़मेर जिले में जीरा व घोड़ा जीरा के हुए नुकसान की उसी वर्ष राज्य सरकार के खजाने से मुआवजे की भरपाई की रकम तुरन्त दी थी।

श्री अध्यक्ष: आप अपना 295 वाला पढ़िये। 295 पढ़िये आप। हां, पढ़िये। भाषण नहीं। मैं यही तो कह रहा हूं कि आप 295 वाला पढ़िये। भाषण नहीं।

श्री लादूराम (गुढ़ामालानी): मैं 295 वाला ही पढ़ रहा हूं।

अत: इस बारे में माननीया मुख्य मंत्रीजी व माननीय आपदा राहत मंत्रीजी से निवेदन है कि उपरोक्त फसलों का तुरन्त परीक्षण व जांच करवाकर,

(श्री लादूराम)

बाड़मेर कलक्टर तथा जालौर कलक्टर को अविलम्ब जांच करवाने के आदेश दें, ताकि किसानों को मुआवजे की राशि तुरन्त दिलवाई जा सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री नारायण सिंह देवल। आ गया, आपका भाषण आ गया। श्री नारायण सिंह देवल।

जालौर में साक्षरता दर में सुधार हेतु रिक्त पदों की पूर्ति

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 1986 के नियम 295 के तहत ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि जालौर जिला अरावली पर्वतमाला की श्रृंखला में बसा हुआ है। राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी छोर पर अन्तरराज्यीय सीमा पर बसा जिला अपने आप में पिछड़ा हुआ है। दक्षिण में गुजरात, पश्चिम में बाड़मेर जिला एवं पूरब में जिला सिरोही, उत्तर में पाली जिले की सीमा लगती है। जिला जालौर भौगोलिक स्थिति अनुसार 10,640 वर्ग किलोमीटर में बसा हुआ है, जो भारत के त्रिपुरा राज्य के बराबर है।

मेरा विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा, जिला जालौर में दक्षिण की ओर गुजरात राज्य की सीमा पर जिला मुख्यालय से 120 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। साक्षरता के क्षेत्र में जालौर जिला अंतिम पायदान पर है। जिले का प्रतिशत 55.58 प्रतिशत है। महिला साक्षरता में भी अंतिम पायदान पर है। रानीवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में राजस्थान की सबसे बड़ी दूध डेयरी है। रानीवाड़ा विधान सभा क्षेत्र कभी जालौर जिले में चमन था, परन्तु जिला डार्क जोन में होने के कारण पिछड़ गया है। हमारा जिला राजस्थान की शैक्षणिक दृष्टि से अंतिम पायदान पर है और जिले में महिला साक्षरता की दर मात्र 38 प्रतिशत के साथ अंतिम स्थान पर है।

जिला जालौर उद्योगों की दृष्टि से भी पिछड़ा हुआ है। जिले में वर्तमान में मात्र एक उद्योग है ग्रेनाइट का, वह भी जालौर शहर में है। जालौर जिले के निवासी विकास की ओर अग्रसर तो होना चाहते हैं मगर योजनाओं की कमी है, क्योंकि साक्षरता की कमी है।

जिले में साक्षरता की दर बढ़ाये जाने हेतु वर्तमान में स्थित प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में रिक्तियों को भरा जाये और ग्राम स्तर पर साक्षरता की अलख जगाने हेतु आखर पाठशालाएं खोली जाकर ग्रामीणों को इसका

(श्री नारायण सिंह देवल)

फायदा लेने हेतु समझाइश की जाये ताकि युवा पीढ़ी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती संजना आगरी।

सोजत नगरपालिका में आपत्तियों के मद्देनजर नये मास्टर प्लान का निर्माण

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के जरिये सोजत नगरपालिका के नगरीय विकास विभाग द्वारा मास्टर प्लान वर्ष 2013 के अनुमोदन के बाबत बताना चाहती हूं कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन की सोजत सहित आसपास के ग्राम बिलवास, धिनवास, बासनी नृसिंह, बासनी मूथा, बासनी तिलवाडिया, रेंदड़ी, बासनी मदावता, सरदारपुरा, धंधेड़ी रामासनी बाला राजस्व गांवों को सम्मिलित करते हुए मास्टर प्लान बनाने के लिए अधिकृत करने की तारीख 13 जनवरी, 2010 की अधिसूचना सार्वजनिक रूप से प्रसारित व प्रकाशित नहीं हुई है। ऐसी स्थिति को देखते हुए, बनाया गया मास्टर प्लान निरस्त-योग्य है।

विभाग द्वारा रिकार्डानुसार मास्टर प्लान बनाने हेतु 13.2.2010 को अधिसूचना जारी करने से पूर्व दिनांक 20.8.2009 के आदेश से आवास विकास लिमिटेड द्वारा कौनसा मास्टर प्लान का प्रारूप बना लिया गया, उसका भी प्रकाशन नहीं हुआ। मास्टर प्लान का जो प्रारूप बनाया गया, इसमें आधार बिन्दु के मुकाम नहीं दर्शाये गये, खसरा नम्बर भी नहीं दर्शाये गये व आवासीय कालोनियों को कामर्शियल दिखाया गया। नगरपालिका शहर के सीमांकन में आने वाले कुछ वार्डों को मास्टर प्लान से वंचित रखा गया।

साथ ही, नगरपालिका शहर की आबादी उस समय 30 से 35,000 के लगभग थी। ना ही सम्बन्धित अधिकारियों को इसकी जानकारी मिली कि मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। ग्रामीण अंचल के मेहंदी उत्पादन करने वाले काश्तकारों को जब यह जानकारी मिली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसमें उनके पूर्वजों द्वारा भी मेहंदी का उत्पादन किया जाता रहा है। सूचना प्राप्त होने पर व्यवसायियों व काश्तकारों द्वारा सैकड़ों आपत्तियां उपखण्ड अधिकारी के समक्ष पेश की गई।

नगरपालिका, सोजत द्वारा 30.5.2011 को सर्वसम्मति से मास्टर

(श्रीमती संजना आगरी)

प्लान को निरस्त करने हेतु प्रस्ताव लिया गया। सैकड़ों आपत्तियां पेश करने के बाद उसका निराकरण नहीं हुआ। नगरीय विकास विभाग में गलत तरीके से क्षेत्र की जनता को भ्रमित करने की नीयत से पत्र क्रमांक प.10(215) नविवि.3/2009 जयपुर दिनांक 19.10.2011 को श्री प्रदीप कुमार, उप नगर नियोजक का हस्ताक्षरशुदा अधिशासी अधिकारी, सोजत को प्रेषित किया गया। जानकारी मिलने पर वकील द्वारा उपखण्ड अधिकारी, सोजत को उस पत्र में वर्णित कथनों के अनुसार मास्टर प्लान के नक्शे अवलोकनार्थ उपलब्ध कराने हेतु पत्र दिनांक 21.12.2011 के जरिये अवगत करवाया गया कि इस पत्र में वरिष्ठ नगर नियोजक विभाग, जोन जोधपुर को विभिन्न पत्रों दिनांकित के जरिये सूचित हुआ कि नगरीय विकास विभाग के मास्टर प्लान के नक्शे की प्रति सोजत नगरपालिका में नहीं भेजी गई।

इस तरीके से नगरीय विकास विभाग द्वारा बाले-बाले, गलत तरीके से 19.10.2011 को सोजत मास्टर प्लान के सम्बन्ध में जारी किये गये पत्र की कार्रवाई को निरस्त किया जाना न्याय संगत है। ऐसा मास्टर प्लान जिसका नक्शा नहीं बना, उसका अनुमोदन पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने अपनी पार्टी के भू-माफियाओं को बचाने की आड़ में किया है।

माननीया मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि विश्व प्रसिद्ध मेहंदी का उत्पादन करने वाले काश्तकारों के साथ हुए कुठाराघात से बचाने के लिए सोजत मास्टर प्लान को दर्ज आपत्तियों के आधार पर निरस्त कर नये सिरे से, वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए, मास्टर प्लान का प्रारूप तैयार करवाया जाये जो कि जन हित में होगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री शंकर सिंह रावत। मैंने पहले पुकारा था तब आप नहीं थे, आइंदा ध्यान रखें।

रावत जाति को अति पिछड़ा वर्ग आरक्षण सूची में सम्मिलित किया जाना

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि राजस्थान में रावत समाज 14 विधान सभा एवं 6 लोक सभा क्षेत्रों में निवास करता है। अलवर, भरतपुर, उदयपुर, चित्तौड़ एवं प्रतापगढ़, इत्यादि जिलों में रावत समाज को गत कई वर्षों से अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का लाभ मिल रहा है।

श्री अध्यक्ष: आपस में बातचीत नहीं।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): इसका उदाहरण श्री धनसिंह रावत उदयपुर सम्भाग से सांसद एवं वर्तमान में विधायक हैं तथा श्रीमती शकुन्तला रावत जो आरक्षित (एस.टी.) कोटे से वर्तमान में विधायक हैं। ऐसे अन्य कई समानान्तर स्थिति में मौजूद हैं। जबकि अजमेर, राजसमंद, पाली एवं नागौर जिले में रहने वाले रावत समाज की आम जनता उक्त आरक्षण से वंचित है।

इस प्रकार रावत समाज के साथ एक-म्यान-में-दो-तलवार की स्थिति क्यों अपनाई जा रही है? राजस्थान राज्य एक है, संविधान एक है, रावत समाज एक है, जिले अलग-अलग हैं। फिर रावत समाज के लोगों को एक समान अधिकार क्यों नहीं मिल पा रहे हैं?

वर्ष 2003 से 2008 तक भाजपा सरकार के कार्यकाल में पिछड़े वर्ग में अति पिछड़ा वर्ग की सूची बनाई गई थी। उस सूची में गुर्जर, रायका तथा रावत, इत्यादि जातियों को अति पिछड़ा आरक्षण सूची में सम्मिलित किया गया था। लेकिन किन्हीं षड्यंत्रकारियों द्वारा मात्र रावत समाज का नाम सूची से पृथक कर दिया गया है।

रावत समाज, गुर्जर समाज से भी सर्वे के अनुसार अधिक पिछड़ा हुआ है। इस समाज के लोगों की आर्थिक स्थिति अति दयनीय है। दूसरी तरफ, रावत समाज भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से ही वोट बैंक रहा है और आज भी है।

अत: माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि राजस्थान सरकार अति पिछड़ा वर्ग आरक्षण सूची में रावत जाति को भी सम्मिलित किये जाने की कृपा करावें एवं राजस्थान में बसने वाले पूरे रावत समाज को समान रूप से आरक्षण दिये जाने की व्यवस्था करावें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: म. रणधीर सिंह भीण्डर।

उदयपुर में उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की स्थापना

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि उदयपुर में हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना के लिए विगत कई वर्षों से आंदोलन चल रहा है। मेवाड़ वागड़ क्षेत्र आदिवासी बहुल क्षेत्र है तथा यहां का बहुत बड़ा इलाका संविधान की पांचवी अनुसूची के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र है जिसके सम्बन्ध में विशेष प्रावधान संविधान में किये

(म. रणधीर सिंह भीण्डर)

हुए हैं। मेवाड़ वागड़ क्षेत्र का काफी बड़ा इलाका आदिवासी बहुल इलाका होने के कारण इस इलाके के लिए कई कानून इस तरह से बनाये गये हैं जो राज्य के दूसरे इलाकों में लागू नहीं हैं। पैसा एवं वन अधिकार मान्यता कानून इनमें मुख्य कानून हैं। आदिवासी इलाके में खनन एवं भूमि अधिग्रहण के भी विशेष प्रावधान बनाये हुए हैं। आदिवासी इलाके में रहने वाली जनजातियों एवं अन्य लोगों के लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था की हुई है जो राज्य के अन्य हिस्सों में किया जाना सम्भव नहीं है। आदिवासी बहुल इलाका होने के कारण उदयपुर में जनजाति आयुक्त का संवैधानिक पद कायम किया हुआ है और जनजाति आयुक्त वर्ष 1980 से मेवाड़ वागड़ के इलाकों में सुचारु शासन की व्यवस्था को देखते हैं।

अनुसूचित जनजाति क्षेत्र होने के कारण इस इलाके के सुशासन के लिए जनजाति परामर्श समिति का गठन किया हुआ है जो इस इलाके के विकास एवं लोगों के हित में प्रस्ताव पारित कर सरकार को उन प्रस्तावों पर कार्य करने के लिए निर्देश देती है। जनजाति क्षेत्र होने के कारण पांचवीं अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार राज्य के महामहिम राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह इस क्षेत्र में देश की संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को लागू होने से रोक दें, या इस इलाके के लिए विशेष कानून बनाने की सिफारिश कर दें। संविधान की पांचवीं अनुसूची के अनुसार अधिसूचित क्षेत्र के लिए बजट में भी अलग प्रावधान रखने की व्यवस्था है, जो कि और किसी क्षेत्र के लिए नहीं है।

अधिवक्ताओं के प्रतिनिधि मण्डल ने जब माननीय मुख्य सचिव एवं विधि सचिव से जयपुर में वार्ता की एवं उन्हें भी जब इन तथ्यों से अवगत कराया तो उन्होंने भी यह स्वीकार किया कि यह स्थिति इस क्षेत्र को राज्य के अन्य क्षेत्रों से पृथक महत्व प्रदान करती है। यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची में भी मेवाड़ वागड़ क्षेत्र को विशिष्ट स्थान दिया गया है।

अत: मेरा सदन के माध्यम से सरकार को उपरोक्त आधार पर निवेदन है कि उदयपुर में भी उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ की स्थापना कर इस क्षेत्र की आम जनता को राहत प्रदान करावें। साथ ही, जब तक स्थायी खण्ड पीठ की स्थापना की प्रक्रिया शुरू होती है, तब तक उदयपुर में सर्किट

(म. रणधीर सिंह भीण्डर)

बेंच स्थापित किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करावें एवं उदयपुर सहित सभी सम्भागों में सर्विस ट्रिब्यूनल्स, गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान, ट्रिब्यूनल्स सहित सभी अधिकरणों की बेंचें स्थापित कराई जावें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: यह बहुत पुरानी मांग है उदयपुर की और मैं जब बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था, तब से यह मांग चली आ रही है। बहुत ड्यू है, वाजिब भी है। लेकिन इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका माननीय नंदलालजी मीणा निभा सकते हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इसमें पहल करें और उदयपुर में...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप निर्देश प्रदान करें सरकार को। आप अपने अधिकारों का प्रयोग तो करके देखो ना।

श्री अध्यक्ष: मैं तो व्यक्तिगत, जो मेरा भी सम्बन्ध है उदयपुर से; नहीं, नहीं, मैं नंदलालजी मीणा से निवेदन ही कर सकता हूं कि वे इसमें अगुवाई करेंगे तो सफलता मिलने की उम्मीद है। (व्यवधान) माननीय नंदलालजी मीणा।

आप शांत रहिए। मैं अगला नाम पुकार रहा हूं। श्री पूरण मल सैनी।

मैं भूल गया था। माननीय गुलाबचन्दजी कटारिया से भी निवेदन है कि इसमें पहल करें और यह मांग पूरी होने की स्थिति आ सकती है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात पहली बार सदन के ध्यान में लायी है कि शिड्यूल एरिया है, इस शिड्यूल एरिया के लिए सरकार को भी और राज्यपाल महोदय को विशेष शक्ति प्राप्त है। अगर इस दिशा में आगे बढ़ा जाए तो इसका रास्ता खोजा जा सकता है।

श्री अध्यक्ष: मैंने इसीलिए तो गृह मंत्रीजी व माननीय नंदलालजी मीणा की तरफ संकेत किया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, विधि मंत्री तो मैं हूं, मुझसे तो कोई उम्मीद नहीं है और आपको उम्मीद इनसे है और इनसे है। मुझसे तो उम्मीद करें, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: नहीं, माननीय विधि मंत्रीजी, आपसे सबसे ज्यादा उम्मीद है और उदयपुर की हाई कोर्ट बेंच स्थापना में आप बहुत आधारभूमि बन सकते हैं। यह मेरा आपसे भी निवेदन है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): निश्चित तौर, अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, 295 के विशेष उल्लेख में यह चर्चा ही वर्जित है, अध्यक्ष को भी नहीं है, और अधिकार है तो फिर सब क्षेत्रों की मांगों पर चर्चा होगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): रेजिडुअल पावर है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप एक बात सुन लीजिए, मैं विशेष स्थिति में यहां बैठा हूं और मेरे से सम्बन्धित था। तो आखिर में 295 तो उठा नहीं सकता। तब मैं यह कब बोलता? तो यह अवसर आते ही मैंने इस अवसर का प्रयोग कर लिया। इसलिए आपका एतराज वाजिब होते हुए भी, इसको सही माना जाए।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): अध्यक्ष महोदय, आप अपने चैम्बर में, वह भी बाथरूम में कर सकते हों। बाहर निकलकर के तो नहीं। यहां पर तो मर्यादाएं दूसरी हैं।

श्री अध्यक्ष: अब ये आपसे सीखूंगा। श्री पूरण मल सैनी।

(13.00 बजे)

संविदाकर्मी पशु चिकित्सकों का नियमितीकरण

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत संविदाकर्मी पशु चिकित्सकों के नियमितीकरण नहीं किये जाने से हो रही परेशानी विषयक विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि पशुपालन विभाग द्वारा प्रदेश में 472 पशु चिकित्सकों को 19 सितम्बर, 2013 को समेकित पारिश्रमिक पर नियुक्ति दी गई थी। एक वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् इनकी सेवा में 30 नवम्बर, 2014 तक विस्तार किया गया। तत्पश्चात् से इनकी सेवा अवधि में कोई विस्तार नहीं किया गया एवं उक्त पशु चिकित्सक बिना किसी वेतन के कार्य कर रहे हैं।

पशु चिकित्सकों के अभाव में पशुपालकों को अप्रशिक्षित (झोलाछाप) व्यक्तियों से उपचार कराने को मजबूर होना पड़ता है जिससे पशुपालकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। विभाग द्वारा संचालित बहुत-सी महत्वपूर्ण योजनाएं पशु चिकित्सकों के अभाव में लक्ष्य से कोसों दूर हैं। प्रदेश में पशु

(श्री पूरणमल सैनी)

चिकित्सकों की काफी आवश्यकता है। उसके बावजूद भी पशु चिकित्सकों का आर्थिक व मानसिक शोषण किया जा रहा है।

अत: मेरा सरकार से निवेदन है कि पशु धन, पशुपालक व पशु चिकित्सकों के हितों को ध्यान में रखते हुए इनको नियमित करने का मार्ग प्रशस्त करें तथा पशु चिकित्सकों के साथ हो रहे अन्याय व दुर्व्यवहार को समूल नष्ट करते हुए सभी समेकित पारिश्रमिक वेतन पशु चिकित्सा अधिकारियों को नियमित करने हेतु अतिशीघ्र कार्यवाही करें।

धन्यवाद। जय भीम।

श्री अध्यक्ष: श्री तरुण राय कागा।

अनुसूचित जाति वर्ग के विकास हेतु बजट में आवश्यक धनराशि का प्रावधान सुनिश्चित किया जाना

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के तहत आपके माध्यम से मैं सरकार का निम्न ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं:-

अनुसूचित जाति वर्ग सम्बन्धी समस्या –

- अनुसूचित जाति वर्ग के सर्वोन्मुखी विकास के लिए अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत केन्द्र एवं राज्य सरकार के द्वारा वार्षिक बजट में भारी मात्रा में प्रावधान किया जाता है, किन्तु धरातलीय स्थिति इनसे भिन्न रहती है। अधिकांश योजनाओं का पैसा इस वर्ग के विकास पर खर्च नहीं किया जाकर अन्यत्र उपयोग कर लिया जाता है, जो कि इस वर्ग के लोगों के हितों पर कुठाराघात है।
- उदाहरण के तौर पर अनुसूचित जाति वर्ग के सामाजिक विकास हेतु सम्बल योजनान्तर्गत करोड़ों की राशि जारी की गई थी, किन्तु उचित प्रबंधन एवं निगरानी के अभाव में यह पैसा भी इस वर्ग के लोगों के काम नहीं आ सका। पिछले दो वर्षों के बजट में इस योजना के लिए आवश्यक राशि का प्रावधान नहीं करने से भी इस योजना के काफी कार्य लम्बित पड़े हैं।
- पिछले तकरीबन 7-8 वर्षों के राज्य सरकार के बजट पर दृष्टिपात करें तो स्पष्टत: पता चलता है कि राज्य के कुल आयोजना व्यय के

(श्री तरुण राय कागा)

बजट में अनुसूचित जाति उपयोजना बजट की राशि में भारी कटौती की गई है और नियमानुसार इस वर्ग के लिए 17.16 प्रतिशत राशि का आबंटन न किया जाकर काफी कम मात्रा में राशि का आबंटन किया जाता है, जो सीधे तौर पर इस वर्ग के हितों को कुप्रभावित करता है।

- एक तरफ तो सरकार द्वारा इस वर्ग के विकास हेतु बजट में आवश्यक राशि का आबंटन नहीं किया जा रहा है और दूसरी तरफ अल्प मात्रा में राशि आवंटित कर उपयुक्त निगरानी व प्रबंधन नहीं होने की वजह से वह राशि भी इस वर्ग के लोगों के लिए कारगर साबित नहीं हो पा रही है व दूसरे कार्यों पर व्यय कर दी जाती है। इस तरह दोनों तरफ से इस वर्ग को राज्य सरकार की अनदेखी की मार सहनी पड़ रही है।
- राज्य सरकार को इस मामले की गम्भीरता पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और इस वर्ग के उत्थान हेतु विशेष प्रयास करते हुए बजट में आवश्यक राशि के आबंटन का प्रावधान सुनिश्चित करना अनिवार्य है। इस वर्ग के कल्याण हेतु आवश्यक योजनाओं पर विशेष देख-रेख एवं निगरानी समिति का होना भी जरूरी है, ताकि आबंटित राशि में किसी तरह की हेर-फेर न हो सके।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री हरिसिंह रावत।

राजसमन्द जिले को देवनारायण विकास बोर्ड से जोड़ा जाना

श्री हरिसिंह रावत (भीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विधान सभा के प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत जिला राजसमन्द में गुर्जर समाज की बहुतायत को ध्यान में रखते हुए देवनारायण विकास योजना बोर्ड से जोड़े जाने के सम्बन्ध में निवेदन है कि हमारा जिला राजसमन्द एक सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा जिला है। हमारा जिला भौगोलिक दृष्टि से भी देखा जाए तो पहाड़ी एवं मगरा क्षेत्र होने से कृषि भूमि भी नाम मात्र की है एवं वर्षा भी औसत से कम ही होती है। इस क्षेत्र में गुर्जर समाज की जनसंख्या भी काफी है, जिनका जीवन स्तर भी सामान्य स्तर से नीचे है। इस समाज का जीविका उपार्जन का साधन भी कृषि एवं पशु एवं भेड़पालन ही रहा है एवं शिक्षा की दृष्टि से भी काफी पिछड़ा हुआ समाज है।

(श्री हरिसिंह रावत)

आपके माध्यम से निवेदन है कि गुर्जर समाज के उत्थान के लिए अगर देवनारायण विकास योजना में जोड़ा जाए तो इस समाज का आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास हो सकेगा।

अत:, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे जिले में गुर्जर समाज की बहुतायत को ध्यान में रखते हुए देवनारायण विकास योजना में जोड़कर इसका लाभ मेरे जिले में रह रहे गुर्जर समाज को दिलायें, जिससे मेरे जिले के गुर्जर समाज के लोग आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: मा. मामन सिंह यादव।

भिवाड़ी स्थित राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के क्षेत्रीय कार्यालय में क्षेत्रीय अधिकारी का समाप्त पद

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया व कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से क्षेत्रीय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण कार्यालय, भिवाड़ी, तहसील तिजारा, जिला अलवर में कांग्रेस सरकार में समाप्त किये गये क्षेत्रीय अधिकारी के पद को पुन: सृजित करने बाबत निवेदन करना चाहता हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र तिजारा में क्षेत्रीय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण कार्यालय, भिवाड़ी, तहसील तिजारा, जिला अलवर में क्षेत्रीय अधिकारी का पद कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए समाप्त कर दिया गया। कांग्रेस राज में इस पद को समाप्त करने के बाद से औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी, खुशखेड़ा, टपूकड़ा और चौपानकी में प्रदूषण चरम सीमा पर पहुंच गया। अधिकारियों की मिलीभगत एवं भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण इस क्षेत्र में प्रदूषण बढ़ गया है और पर्यावरण की स्थिति दयनीय हो गयी है। क्षेत्रीय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण कार्यालय भिवाड़ी में होने तथा क्षेत्रीय अधिकारी का पद न होने के कारण यहां के क्षेत्रवासियों एवं उद्यमियों को परेशानी हो रही है एवं छोटे-छोटे कार्य के लिए बार-बार क्षेत्रीय कार्यालय अलवर जाना पड़ता है। क्षेत्रीय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण कार्यालय का भवन होने के परन्तु क्षेत्रीय अधिकारी न होने से इस भवन का पूर्ण उपयोग नहीं हो रहा है।

अत: माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री महोदय से निवेदन है कि क्षेत्रीय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण कार्यालय, भिवाड़ी, तहसील तिजारा,

(मास्टर मामन सिंह यादव)

जिला अलवर में कांग्रेस सरकार में समाप्त किये गये क्षेत्रीय अधिकारी के पद को पुन: सृजित करने के लिए महती कृपा करावें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: राजाखेड़ा से आने वाले माननीय विधायक, आपसी चर्चा मत कीजिये। इधर आइये आप अपनी सीट पर।

श्री शैतान सिंह।

पोकरण-फलसूण्ड-बालोतरा-सिवाना लिफ्ट परियोजना के पैकेज 3-ब के गांवों में पेयजल की उपलब्धता

श्री शैतान सिंह (पोकरण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के द्वारा पोकरण-फलसूण्ड-बालोतरा-सिवाना लिफ्ट परियोजना के अन्तर्गत पैकेज 3ब में 71 गांवों में पेयजल वितरण के कार्यो बाबत निवेदन करना चाहता हूं।

उक्त कार्य मुख्य अभियंता परियोजना कार्यालय, जोधपुर द्वारा निविदा संख्या 5/11-12 के क्रम में मैसर्स आई वी आर सी एल लिमिटेड कम्पनी हैदराबाद को जारी किया गया। इस कम्पनी को मुख्य अभियंता परियोजना जोधपुर कार्यालय आदेश संख्या...104.14 करोड़ तथा शेष राशि 10 वर्ष संधारण हेतु आबंटित थी। कार्य आदेश के अनुसार फर्म को 3.9.2012 को कार्य शुरू करके 24 माह में 2.9.2014 को पूर्ण करना था। फर्म द्वारा कार्य धीमी गति से शुरू किया गया तथा अगस्त 2013 के बाद कार्य पूर्णतया बंद कर दिया गया। विभाग द्वारा समय-समय पर कार्य शुरू करने हेतु लिखा गया तथा अंतिम नोटिस जारी करने के उपरान्त भी कार्य शुरू नहीं किया गया। विभाग द्वारा कार्य रिअसाइन करने हेतु एजेंडा नोट मुख्य अभियंता कार्यालय द्वारा 23.1.2015 को उच्च स्तर पर कार्यवाही हेतु सेक्रेटरी आर.डब्ल्यू.एस.एस. एम बी, जयपुर को प्रेषित किया गया।

अगस्त 2013 तक कम्पनी द्वारा सिर्फ 13 प्रतिशत कार्य किया गया। कार्यानुसार विवरण निम्न है:-

कुल पाइपलाइन	सप्लाई	पाइपलाइन लगायी	शेष पाइपलाइन
741.35 किमी	180.45 किमी	118.53 किमी	560.90 किमी
स्टोरेज टैंक	कुल	कार्य शुरू किया गया	शेष

(श्री शैतान सिंह)

सी.डब्ल्यू.आर	3	शून्य	3
एस.आर	16	3	13
पम्प हाउस	5	शून्य	5
पंपिंग मशीनरी	5	शून्य	5

फर्म को 111.95 करोड़ के कार्य आदेश के विरुद्ध माह अगस्त 2013 तक 15.27 करोड़ का भुगतान किया गया तथा कम्पनी को मोबिलाइजेशन अग्रिम राशि 10.41 करोड़ (10 प्रतिशत) की वसूली मय-ब्याज फर्म के अन्य जगहों के कार्य से कर दी गई है।

इस सम्बन्ध में लेख है कि उक्त कलस्टर में शामिल 71 गांवों में से 58 गांवों को बिलिया हैड वर्क्स व 13 गांवों को अजासर हैड वर्क्स से लाभान्वित किया जाना है तथा उक्त दोनों हैड वर्क्स पर जनवरी, 2014 से पूर्ण रूप से पानी उपलब्ध है। कम्पनी को कार्य शुरू करने बाबत माननीय प्रमुख शासन सचिव, जयपुर द्वारा दिनांक 25.11.2014 तथा माननीय मंत्री जलदाय विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा दिनांक 2.12.2014 को मीटिंग ली गई। इसके उपरांत कम्पनी द्वारा आज दिनांक तक न तो कोई कार्य योजना दी गई है तथा न ही कार्य शुरू किया गया।

अत: निवेदन है कि उक्त कार्य को उसी फर्म से पेनल्टी लगाकर उसी से तत्काल शुरू करवाया जावे ताकि समय की बचत हो सके। पुन: निविदा आमंत्रित कराने से विलम्ब रहेगा।

श्री अध्यक्ष: पर्ची के द्वारा बोलने हेतु, श्री भागीरथ चौधरी।

अनुरोध एवं मांग

हिन्दी फीचर फिल्म में राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न व राजस्थान विधान सभा भवन के बिना अनुमति चित्रण पर कार्यवाही की मांग

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फोर्मेशन। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक विषय उठाया था और माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय ने आश्वस्त किया था कि मैं उस पूरी पिक्चर को दिखाऊंगा और अगर उसमें सदन का दुरुपयोग किया गया है तो उस फिल्म के डाइरेक्टर के खिलाफ...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा, अध्यक्ष महोदय, वास्तव में यह

(श्री रामलाल शर्मा)

गरिमा से जुड़ा हुआ प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, यह सदन गरिमापूर्ण है व पूरे राजस्थान की जनता की भावनाओं की आस्था का केन्द्र है।

अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपसे चाहूंगा कि आप उसमें स्वयं प्रसंज्ञान लें और इस प्रकार की फिल्म के ऊपर तत्काल प्रतिबंध लगाने का काम करें। अध्यक्ष महोदय, वास्तव में इस सदन के सदस्यों की गरिमा का विषय है।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि अब तक उन्होंने इस विषय पर क्या कार्यवाही की?

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): माननीय मंत्री महोदय ने सदन को आश्वस्त किया था कि मैं इसमें जांच करुंगा, सदन में इस बात को रखूंगा, सदन को अवगत कराऊंगा। सदन की गरिमा से जुड़ा हुआ विषय है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपने ध्यान खींच लिया है, माननीय मंत्रीजी भी बैठे हैं, कुछ कहना चाहे तो कहें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि 10 मार्च को चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य ने इस सदन में यह बात उठाई थी कि 'डर्टी पालिटिक्स' फिल्म में राजस्थान विधान सभा का मुख्य द्वार और उसके पोस्टर में भी राजस्थान विधान सभा का चित्रण किया गया है। अध्यक्ष महोदय, यह भी सही है कि उस वक्त मैंने कहा था कि हम इस पूरे मामले की जांच करवायेंगे, सरकार जांच करवायेगी।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में फिल्म शूटिंग रेग्यूलेशंस रूल्स बने हुए हैं। ये रूल्स 2012 के बने हैं। इनका नोटिफिकेशन भी 7.3.2013 से जारी है। इन रूल्स के अनुसार, कोई भी फिल्म निर्माता शूटिंग करता है तो उसको काम्पीटेंट अथोरिटी से उसकी परमिशन लेनी पड़ती है और इस रूल के सैक्शन 3 में काम्पीटेंट अथोरिटी माना है कमिश्नर को और कलक्टर को। यहां सदन में बात कहने के पश्चात् मैंने जिला कलक्टर जयपुर और जिला पुलिस कमिश्नर, साउथ से बात की थी। उन्होंने दोनों ने अपने पत्र में यही कहा; जयपुर कलक्टर का पत्र क्रमांक है न्याय ग्रुप/2/13.3.2015, उन्होंने कहा कि

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

'डर्टी पालिटिक्स' फिल्म की शूटिंग की परमिशन हमसे नहीं ली गई। इसी तरह, पुलिस उपायुक्त ने भी अपने पत्र 13.3.2015 में कहा कि शूटिंग की अनुमति नहीं ली गई है।

अध्यक्ष महोदय, एक नेशनल एम्ब्लम एण्ड नेम एक्ट, 1950 बना हुआ है। उसकी धारा 3 में यह लिखा है कि नेशनल एम्ब्लम या नाम का प्रयोग केन्द्र सरकार या उसके प्राधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता। इसी नेशनल एम्ब्लम एण्ड नेम एक्ट 1950 में 17 नम्बर पर आइटम दिया गया है, उसमें लिखा है, राज्यों की विधान सभाओं को नेशनल एम्ब्लम के अधिनियम के दायरे में शामिल किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि जब 'डर्टी पालिटिक्स' की जांच कराई तो जो रेग्यूलेशन, 2012 बने, उसके अनुसार ना तो सम्बन्धित निर्माता ने फिल्म शूटिंग के लिए अनुमति ली। उसके अलावा, नेशनल एम्ब्लम एण्ड नेम एक्ट 1950 है, उसकी धारा 3 में लिखा है कि जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट या उसके एप्रोप्रिएट कोई काम्पीटेंट अथोरिटी अनुमति नहीं देती, तब तक उसमें जो 17 आइटम बताये गये हैं, जिसमें राजस्थान विधान सभा भी है, संसद भी है, उच्च न्यायालय भी है, विभिन्न राज्यों के सचिवालय भी हैं, उनके दृश्य का चित्रण नहीं किया जा सकता। इससे स्पष्ट होता है कि इसमें कहीं न कहीं त्रुटि रही है।

इन सारी जांच के आधार पर मैंने मुख्य सचिव महोदय को कहा है कि इसके आधार पर वे आवश्यक कार्यवाही करें।

यह सदन की गरिमा से जुड़ा हुआ सवाल था। माननीय सदस्य ने उठाया। अध्यक्ष महोदय, आपकी भावना भी यही थी। आपने मुझे व्यक्तिगत तौर पर भी कहा था कि आप इसको दिखवाओ, हमने दिखवाया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब कोई सवाल नहीं होगा इस पर।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): अध्यक्ष महोदय, सारे विधान सभा की गरिमा का विषय है, आपकी गरिमा का भी विषय है, हम चाहते हैं कि आपकी तरफ से निर्देश हों कि इसके खिलाफ एफ आई आर दर्ज हो, इस पर बैन लगे।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। सारा विषय आ गया है।

अध्यक्ष: श्री भागीरथ चौधरी।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

किशनगढ़ उपखण्ड मुख्यालय पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के खण्ड कार्यालय की स्थापना

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने पर्ची के माध्यम से मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरा जो किशनगढ़ उप-खण्ड है, वह अजमेर जिले का एक महत्वपूर्ण उप-खण्ड मुख्यालय है। वहां पर तीन उप-खण्ड कार्यालय हैं, किशनगढ़, अराई और रूपनगढ़। डामर की सड़कों की लम्बाई करीबन 825 किलोमीटर है, जो राज्य सड़क मार्ग 46 किलोमीटर, जिला सड़क एम डी आर 59 किलोमीटर एवं अन्य जिला सड़कें ओ डी आर 100 किलोमीटर एवं ग्रामीण सड़कें 620 किलोमीटर में विभक्त हैं। इन सभी सड़कों का निर्माण कार्य, रख-रखाव इन तीनों उप-खण्ड कार्यालयों के अधीन होता है। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि सवा आठ सौ किलोमीटर से भी ज्यादा की सड़कों का है और हर कार्य करने के लिए अजमेर जाना पड़ता है। इस वजह से सुचारु रूप से कोई काम ही नहीं हो पाता है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि मेरे किशनगढ़ में पी डब्ल्यू डी का एक्स ईएन आफिस खोला जाये ताकि सुचारु रूप से काम हो सके।

आज उप-खण्ड मुख्यालय में हमारे यहां हर तरह के आफिस हैं, जिनमें पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भी है, राजकीय महाविद्यालय है, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है और तहसील कार्यालय, पुलिस उप-अधीक्षक है, सात पुलिस थाने हैं, उप-कोषागार है, जिला परिवहन कार्यालय है, पांच न्यायालय हैं। यह सभी के होने के बावजूद भी आज सार्वजनिक निर्माण विभाग का एक्स ईएन आफिस नहीं होने की वजह से सड़कों के रखरखाव में बहुत बड़ी कठिनाई आ रही है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि यहां किशनगढ़ मुख्यालय पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के नवीन खण्ड कार्यालय की अति आवश्यकता महसूस हो रही है। इस कार्यालय के अभाव में विभिन्न सड़कों का समुचित विकास नहीं हो रहा है।

(श्री भागीरथ चौधरी)

अत: मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरा जो उपखण्ड मुख्यालय है वह मार्बल नगरी, किशनगढ़ औद्योगिक नगरी है, वहां सार्वजनिक निर्माण विभाग का खण्ड कार्यालय खोला जाये, ताकि किशनगढ़ में सड़कों का रखरखाव है वह समुचित ढंग से हो सके। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे वहां एक्स ईएन आफिस खोलने का आश्वासन जरूर दें।

श्री अध्यक्ष: बोल चुके हैं आप। आप रेस्पोंड करेंगे?

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो मुद्दा उठाया है, अभी घोषणा तो नहीं होगी लेकिन यह ....

श्री अध्यक्ष: विचार करेंगे।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): वर्तमान में हमारे जितने खण्ड बने हुए हैं, वे लगभग 130 खण्ड सिविल में काम कर रहे हैं; पूरे राजस्थान में टोटल 194 खण्ड हैं उनमें से 130 खण्ड ही सिविल में काम कर रहे हैं, जो विभिन्न विधान सभा क्षेत्रों को कवर करते हैं, जो पर्याप्त नहीं हैं। इसलिए सरकार यह महसूस करती है और हमारा विभाग भी यह महसूस करता है कि इनका पुनर्सीमांकन और पुनर्गठन होना चाहिए, क्योंकि जिस खण्ड में इनका किशनगढ़ आता है, वह खण्ड वास्तव में आठ उपखण्डों से मिलकर बना हुआ है और बहुत दूरी तक फैला हुआ है।

इसलिए पूरे राजस्थान का ही हम पुनर्गठन करेंगे। उस समय माननीय सदस्य, जो अजमेर से आने वाले हैं, उन सबके साथ...

श्री अध्यक्ष: किशनगढ़ से।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मैं यह कह रहा हूं, अजमेर जिले से जितने माननीय सदस्य आ रहे हैं, क्योंकि इनके यहां पर विधान सभा क्षेत्र की दृष्टि से तीन ही खण्ड खुले हैं, तो उनका पुनर्गठन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि इनके खण्ड में भी, आप देखिये, अध्यक्ष महोदय, अजमेर है,

(श्री युनुस खान)

किशनगढ़, अराई, रूपनगढ़, नसीराबाद, पीसांगन, मांगलियावास, पुष्कर और श्रीनगर हैं। तो यह बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया। इसलिए उसका पुनर्गठन करने की आवश्यकता है।

इसी तरह से, अलवर के माननीय सदस्य ने भी...

श्री अध्यक्ष: वहीं का जवाब दीजिए। आगे मत बढ़िए।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इसलिए हम इनका पुनर्गठन करेंगे तो इनकी बात का ध्यान रखेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री गोविन्दसिंह डोटासरा।

भारत सरकार की नीलामी वाली खनन नीति की सूचना पश्चात् भी मिलीभगत से खानों के आबंटन के कारित राजस्व का नुकसान

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि पूर्व सरकार ने 10.1.2011 से 9.2.2011 के मध्य आवेदन मांगे थे वृहद् सीमेंट प्लांट स्थापित करने के लिए, खनन पट्टे जारी करने के लिए, लेकिन केन्द्र सरकार की मंशा को देखते हुए, जो आबंटन अपन खानों का करते हैं उसमें राजस्व की हानि होती है और नीलामी से अगर किया जाए तो इससे राजस्व की और ज्यादा बढ़ोतरी होगी; केन्द्र सरकार की नई आबंटन नीति नीलामी के द्वारा की जानी थी, उसके इंतजार में पेंडिंग रखा गया। केन्द्र सरकार द्वारा नई खनन नीति में माइंस एंड मिनरल्स डवलपमेंट एंड रेग्यूलेशन अमेंडमेंट ओर्डिनेंस 2015 का ड्राफ्ट ओर्डिनेंस 16.11.2014 को प्रकाशित कर दिया गया, जिसका 12.1.2015 को गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। जहां सरकार ने 2012-13 में बजरी की 80 खानें थीं, उसका राजस्व हमने 58 करोड़ रुपये माना था, नीलामी के द्वारा किया गया तो 460 करोड़ राजस्व की प्राप्ति राज्य सरकार को हुई ।

तो भारत सरकार के इस ओर्डिनेंस के, ड्राफ्ट ओर्डिनेंस के जारी होने के बाद में, सरकार के अधिकारियों को, सबको इसकी जानकारी होने के बावजूद चार बड़ी सीमेंट कम्पनियां, लफार्ज इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, श्री सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड, इमामी सीमेंट लिमिटेड, वंडर सीमेंट कम्पनी लिमिटेड, इन चारों कम्पनियों को नीलामी से नहीं देकर, खनन पट्टे आनन-फानन में इस एक महीने के अन्दर जारी किये गये, जिससे 2 हजार करोड़ रुपये की राजस्व हानि राज्य सरकार को हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हर

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

सरकार जो भी वेलफेयर के काम करती है, वह राजस्व से जो आय होती है, उससे किये गये।

यही नहीं, इन चार सीमेंट कम्पनियों को ही नहीं, इस एक महीने के दौरान 700 से ज्यादा खनन पट्टे जारी किये गयें। उन अधिकारियों के द्वारा, जिन अधिकारियों को यह ज्ञान था कि भारत सरकार ने जो ओर्डिनेंस जारी किया है वह नीलामी के द्वारा अब खनन पट्टे जारी होने हैं। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गम्भीर और पूरे प्रदेश के राजस्व का, आमजन का हित करने वाला निर्णय था। इन अधिकारियों ने किनकी सहमति से, कैसे भारत सरकार की नीति को, इसमें मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उदयपुर से इनके स्वीकृति के प्रस्ताव कब प्राप्त हुए, इन्होंने मंशा पत्र कब जारी किये? एम एम डी आर एक्ट 1957 की धारा 6(1) (बी) के तहत 3.10.2014 को खान मंत्रालय द्वारा जब निर्देश दिये गये कि भारत सरकार की, दस किलोमीटर से ज्यादा होगी, तो परमिशन पहले लेनी पड़ेगी। इन सब नियमों की अनदेखी करते हुए, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार के खान विभाग के अधिकारियों ने, सरकार की नालेज में लाये कि नहीं लाये, किस प्रकार से किया, यह जांच का विषय है। हमारे खनन राज्य मंत्री हैं, बहुत शरीफ और सीधे आदमी हैं। पता नहीं, इनको कब जेल की हवा खिला दें, मंत्री खान विभाग के, कि इन्होंने किस प्रकार से दो हजार करोड़ रुपये का खान घोटाला करने का काम इस नाक के नीचे किया है। इस सरकार की नालेज में आने के बाद खान के अधिकारियों ने किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी जांच कराई जाए, न्यायिक जांच कराई जानी चाहिए। चार सीमेंट कम्पनियों को बेजा फायदा देने का राज्य सरकार ने काम किया है। अधिकारियों की मिलीभगत से, अधिकारियों ने जो काम किया है, इनके खिलाफ एफ आई आर दर्ज होनी चाहिए कि किस प्रकार से इन्होंने राजस्व को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। इनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए और इनसे वसूल करना चाहिए। इनका मंशा पत्र है, वह निरस्त करके, सात सौ-सवा सात सौ खानों की न्यायिक जांच करवाई जानी चाहिए।

एक तरफ भारत सरकार यह कह रही है कि नीलामी के द्वारा दो, तो आखरी दिन भी, सवा सौ खानें, जिस दिन गजट नोटिफिकेशन हुआ 12 जनवरी,

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

2015 को भारत सरकार की नई खनन नीति का, उस दिन भी, माननीय मंत्री महोदय, अध्यक्ष महोदय के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं, आपकी नालेज में है कि नहीं, आप ध्यान कर लें, सवा सौ खानों का आबंटन हुआ है। इस प्रकार से बेजा फायदा लोगों को दिया गया, खनन माफियाओं को दिया गया है।

मैं आपके माध्यम से केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि इस दो हजार करोड़ के घोटाले का पर्दाफाश किया जाए, यह राजस्व उनसे वसूला जाए। इनके खनन पट्टे निरस्त करके, नीलामी करके, यह पैसा उन किसानों को, दो हजार करोड़ रुपये, किसानों को अतिवृष्टि से, ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है, उसकी पूर्ति करने में लगाया जाए।

यह बहुत बड़ा चिंता का विषय है। सरकार की नालेज में आने के बावजूद, इस प्रकार से आनन-फानन में चार बड़ी सीमेंट कम्पनियों को 34.33 किलोमीटर एरिया दिया गया है। इससे बड़ा गम्भीर अपराध, मैं समझता हूं, कोई हो नहीं सकता।

सदन चल रहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप खान मंत्रीजी को निर्देश दें कि इसकी न्यायिक जांच करवाई जाए और न्यायिक जांच कराकर इनके पट्टे निरस्त किये जाएं, और नीलामी के द्वारा इन खानों का आबंटन किया जाए, नीलाम की जाएं, जिससे दो हजार करोड़ रुपये का जो राजस्व है, आय प्राप्त हो सके, राजस्थान के विकास में काम में आ सके। जिन अधिकारियों ने जान-बूझकर, जानकारी होते हुए भी, जो अपराध किया है, उनके खिलाफ एफ आई आर लाज हो, उनके खिलाफ एक्शन लें। उनको सस्पेंड या टर्मिनेट, जो भी प्रोसेस हो, उसके मुताबिक किया जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री मदन। आप रेस्पोंड करेंगे?

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, 2010 में पूर्ववर्ती सरकार ने सोचा कि प्रदेश में सीमेंट प्लांट लगाये जाएं। उसके लिए सीमेंट ग्रेड खनिज लाइम-स्टोन है, उसके खनिज पट्टे जारी करने के लिए 19 ब्लाक बनाये गये, उनके लिए आवेदन मांगे गये। जो सिस्टम है उस हिसाब से प्रक्रिया चल रही थी। उनका 2013 में इंटरव्यू लिया, 2014 में इंटरव्यू लिया। ऐसी कम्पनियों को जो विश्व प्रसिद्ध कम्पनियां हैं, लफोर्ज, वगैरह जो फ्रांस की बहुत ही विश्व प्रसिद्ध है; यहां भी जो कम्पनियां हैं, जिनको अलाटमेंट किया है, उनका बहुत अनुभव है, बहुत सक्षम हैं। मैं यह देखता-करता

(श्री राज कुमार रिणवां)

हूं कि कितने-कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, कितना इन्वेस्टमेंट आएगा, कितना रेवेन्यू है, रायल्टी है, कितना सेल्सटैक्स है, कितना प्रदेश को लाभ होने वाला है।

2011 में एम एम डी आर एक्ट लोक सभा में पेश हो गया था। तीन साल तो उस सरकार ने इंतजार कर लिया और एक साल हमने इंतजार कर लिया। इसके चलते हम अपने प्रदेश को पिछड़ा तो कर नहीं सकते। हमारे यहां नदियां तो हैं नहीं। हमारे पास तो रेवेन्यू का कोई आधार है तो वे खानें हैं। इसके अन्दर भी, नदियां हैं नहीं और मानसून की यह स्थिति है कि दस में से छह बार फेल हो जाता है, बीच में ही आपदाएं आती हैं। हमारी 46 परसेंट रेवेन्यू इससे आती है।

इस कारण से, हम उनको किसी को नहीं करें और कहीं भी, एक मिनट में, माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर कोई गड़बड़ मिल जाए तो आप जो मर्जी कह दीजिए। इनका एकदम से, ट्रांसपेरेंट तरीके से हमने सारी जांच करके इनको अलाटमेंट दिये हैं। अलाटमेंट देने के बाद भी, केन्द्र में जाएगी-करेगी, वहां भी भू-वैज्ञानिक है, उसके बाद एन्वायरनमेंट है, सारी की सारी परमिशन के बाद काम होगा। तो इतनी कोई हड़बड़ाहट वाली बात नहीं है।

ये बताते ही हैं तो हमने तो आपके काम को आगे बढ़ाया है। यह जो सैंक्शन है, यह अलाटमेंट का निर्णय तो आप लोगों ने ही कर दिया था, सारा। मैं, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको बताता हूं, तत्कालीन सरकार के टाइम में सुधांशु पंत साहब उस टाइम में माइन्स सेक्रेटरी थे। उन्होंने यह सुझाव मांगा चीफ सेक्रेटरी से कि हमें क्या करना चाहिये, यह अलाटमेंट करें या इसका आक्शन करें। उन्होंने फिर एक संयुक्त मीटिंग बुलाई फाइनेंस सेक्रेटरी की, खुद माइन्स सेक्रेटरी थे, सारों ने मिलकर एक निर्णय लिया। निर्णय यह लिया कि ''The matter discussed in the light of the advice given by the Law Department and we admitted to go ahead with the permission of the allotment.'' उन्होंने खुद ने यह कहा कि अलाटमेंट से ही काम किया जाए। यह इनका, खुद की सरकार का निर्णय है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक और बहुत खतरनाक बात बताता हूं। हमने कोई भी काम नियम, प्रावधान, कानून के विरुद्ध में नहीं किया है। इन्होंने नियम के विरुद्ध भी किया है। आपको बतायें...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जवाब तो दो। ...(व्यवधान)

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): एक मिनट। मैं आपकी हर बात का जवाब दे दूंगा। पांच मिनट अगर...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आर्डिनेंस जारी हो गया। उसके बावजूद आपने नीलाम क्यों नहीं की...(व्यवधान) आपने गुपचुप आबंटन क्यों किया...(व्यवधान)

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): आर्डिनेंस जारी होने के बाद में हमने एक खान नहीं...(व्यवधान) 12 हजार खानों को, 12.1.2015 को हमने...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपने नीलामी क्यों नहीं की? इस बात का जवाब दे दीजिये आप। (व्यवधान) अगर आप इसको नीलाम करते, मंत्री महोदय, तो दो हजार करोड़ रुपये राजस्व के इस राजस्थान को, इसकी जनता के लिए प्राप्त होते।

श्री रमेश (सपोटरा): इतना बड़ा घोटाला। (व्यवधान)

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): नहीं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बिलकुल हमने जनता के फायदे के लिए किया है। आपने तो 2012 के अन्दर, जिस टाइम में लोक सभा में आर्डिनेंस चल रहा था, उस टाइम में सात, कोर्ट के अन्दर स्टे था, उसके बाद सात लाइमस्टोन की और चार आयरन-ओर की, इन्होंने अलाटमेंट किया है। कितना बड़ा अपराध इन्होंने किया है। हमने तो नियमों में काम किया है। कहीं भी इस तरह का काम नहीं किया है।

जहां तक...(व्यवधान) जहां तक छोटी खानों का सवाल है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नीलामी करते, 2,000 करोड़ राजस्थान को राजस्व के प्राप्त होते, जनता का विकास होता, प्रदेश का। आपको इतनी जल्दी क्या थी कि 12 तारीख को गजट नोटिफिकेशन है और 12 तारीख को आपने किये हैं? आपने छह दिन पहले, नौ दिन पहले आबंटन किये हैं। इतनी क्या जल्दी आ गई आपको?

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): अभी तो बहुत ब्लाक पड़े हैं। आपके बनाये हुए चार ब्लाकों के अलावा 15 ब्लाक और पड़े हैं हमारे पास। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मंत्रीजी, यह आपकी जानकारी में है कि नहीं, लेकिन इन अधिकारियों ने बेजा फायदा लेकर के दो हजार करोड़ का, राजस्थान के प्रदेश का राजस्व का नुकसान किया है।

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): चार ब्लाक हुए हैं, अभी तो 15 और पड़े हैं। अभी वह भी पेंडिंग चल रहा है। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष: इस विषय पर चर्चा समाप्त। श्री मदन राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान) एक मिनट। एक मिनट। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, उलटा चोर कोतवाल को डांटे। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में समाप्त...(व्यवधान) एक सैकण्ड, एक सैकण्ड। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह जो 19 ब्लाकों की चर्चा कर रहे हैं...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप नहीं। (व्यवधान) आप इंटर वीन कर रहे हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप पूछ लेना ना। (व्यवधान) हां, मैं कर रहा हूं। इनके बिहाफ पर कर रहा हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ऐसे नहीं। आपने अधिकारियों को बचाने का ठेका ले रखा है क्या? आपने अधिकारियों को बचाने का ठेका ले रखा है क्या? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ताकि रिकार्ड पर सही बात जाए, ताकि रिकार्ड पर सही बात जाए। अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बोल रहा हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जब खान मंत्री बोल रहे हैं, अध्यक्षजी ने उनको अनुमति दी है, तो आप बीच में कैसे बोल सकते हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैं इनकी अनुमति से बोल रहा हूं। आप विराजें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं, कैसे बोल सकते हैं आप? खान मंत्रीजी बोलेंगे।

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): मैं बोल रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो मेरे ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैं बोल सकता हूं, मेरा अधिकार है। (व्यवधान)

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो मेरे सम्माननीय साथी कहते हैं कि आपकी बजट घोषणा है, आप रोजगार क्यों नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे रहे? आज खान विभाग से दो करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष काम मिल रहा है। आज एक खान होगी तो कितने उद्योग-धंधे चलेंगे। अगर चार साल से इंतजार कर रहे हैं तो एम.एम.डी.आर. का कब तक इंतजार करेंगे? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): एक सेकण्ड। एक सेकण्ड। अध्यक्ष महोदय, एक सेकण्ड। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, ये जिन 19 ब्लाकों की बात कर रहे हैं, 14.10.2010 ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): संसदीय कार्य मंत्रीजी का कोई इसमें सवाल नहीं है। खान मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। आप नाहक सदन में गतिरोध करना चाहते हैं। (व्यवधान) आपकी मंशा ठीक नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ना, ना, मैं परमिशन से बोल रहा हूं। (व्यवधान) मैं परमिशन से बोल रहा हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप बचाना चाहते हैं इस मामले में। अधिकारियों से मिलीभगत है क्या आपकी?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैं परमिशन से बोल रहा हूं। मैं बता रहा हूं, मेरी मिलीभगत है, किसकी मिलीभगत है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, परमिशन खान मंत्रीजी को दी है।

श्री अध्यक्ष: संसदीय कार्य मंत्री को बोलने का अधिकार होता है। मैंने उनको अनुमति दी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): केवल संसदीय बात पर।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, आन ए पाइंट आफ आर्डर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, 14.10.2010 को ...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आन ए पाइंट आफ आर्डर। (व्यवधान) आन ए पाइंट आफ आर्डर। (व्यवधान) यह क्या बात हुई?

श्री अध्यक्ष: पाइंट आफ आर्डर। हां, विराजिये। संसदीय कार्य मंत्रीजी, विराजिये। पाइंट आफ आर्डर हैं।

व्यवस्था का प्रश्न

सम्बन्धित मंत्री के स्थान पर अन्य मंत्री द्वारा वक्तव्य का औचित्य नहीं

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी व्यवस्था की ओर आपका थोड़ा ध्यान लाना चाहता हूं। माननीय मंत्रिमण्ड्ल की संयुक्त जिम्मेदारी है, सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन किसी भी मंत्री को, अन्य किसी मंत्री का जवाब, जब तक मुख्य मंत्रीजी अधिकृत नहीं करें, तब तक देने का अधिकार नहीं है। एक बात। वैसे मंत्रिमण्डल की संयुक्त जिम्मेदारी है और वे बोल सकते हैं।

लेकिन मैं एक बात यह कहना चाहता था कि इन्होंने गलती की, उनके सारे निर्णय मंत्रिमण्डल की उप समिति ने रोक दिये थे। इसलिये हमको इस बात का जवाब देना है कि जन हित में यह कैसे था। मूल बात यह है। अगर यह जन हित में नहीं था तो हमको रोक देना चाहिए। क्योंकि राज्य के हित का बहुत बड़ा सवाल है।

यह इसका आप स्पष्टीकरण कर दें कि यह राज्य के हित में किया है। हम इसका स्वागत करेंगे।

व्यवस्था

संसदीय कार्य मंत्री किसी भी समय इंटरवीन कर सकते हैं

श्री अध्यक्ष: माननीय विधायक ने पाइंट आफ आर्डर उठाया है। मैं आपसे निवेदन करूं, मैं भी पार्ट रहा हूं, हिस्सा रहा हूं, सरकार का भी, प्रतिपक्ष में भी। आपने जो कहा, सच है, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री जो होता है, उसको हर वक्त इंटरवीन करने का भी अधिकार है, बोलने का भी अधिकार है। उसी के अन्तर्गत मैंने उनको बोलने का मौका दिया। इसलिए वे बोल रहे हैं।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

भारत सरकार की नीलामी वाली खनन नीति की सूचना पश्चात् भी मिलीभगत से खानों के आबंटन से कारित राजस्व का नुकसान

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्रीजी बाद में बोल लेते, अपनी बात रख लेते। (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई): सुनो तो सही आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठो ना। (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): मेरा निवेदन है, ये चार खानें नहीं हैं। चार खानों के अलावा पांच सौ खानें, प्रति जिले में, राजस्थान के पूरे जिलों में आबंटित की हैं। उनका भी जवाब दे दें, संसदीय मंत्रीजी, किस आधार पर कीं, कितनी किस आधार पर कीं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: उनको बोलने दीजिये। माननीय विधायक, माननीय विधायक, बैठिये। आपको जवाब दे रहे हैं। उनको डिस्टर्ब मत कीजिये। (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): यह चार-पांच हजार का घोटाला है, माननीय अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान) मैं एक बात बोल रहा हूं, इस बात को गम्भीरता से लो आप।

श्री अध्यक्ष: देखिये, आप बोल रहे थे, किसी को नहीं टोका। (व्यवधान) मैं कह रहा हूं, मैंने किसी को नहीं टोका। लगातार आप बोलते रहे, आप भी बोलते रहे, मैंने नहीं टोका। अब जो जवाब आ रहा है, उसको भी आपको बिना टोका-टाकी के सुनना चाहिए। (व्यवधान) बैठिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उसका जवाब खान मंत्री दें, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान) संसदीय मंत्रीजी संसदीय परम्पराओं की तो बात कर सकते हैं लेकिन खान का जवाब नहीं दे सकते ये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, प्रश्नगत जिन 19 ब्लाकों की चर्चा की गई है...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप बीच में खान का जवाब नहीं दे सकते। आप संसदीय परम्परा (व्यवधान) आप तो इनकी हेठी कराना चाहते हो।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट। मैंने अनुमति दी है और इसलिए बोलने का अधिकार है। आप नहीं रोक सकते। (व्यवधान) बोलिये आप। (व्यवधान) संसदीय कार्य मंत्रीजी को बोलने दीजिये। (व्यवधान) मैंने बोलने की अनुमति दी है और इसलिए सुनना पड़ेगा आपको।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): खान मंत्री बोलेंगे। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): खान मंत्री बोलेंगे। (व्यवधान) खान पर केवल खान मंत्री जवाब देंगे। संसदीय कार्य मंत्री संसदीय परम्पराओं के बारे में ज्ञान दे सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): खान मंत्री जवाब देंगे।

श्री अध्यक्ष: थोड़ा ज्ञान लेकर आओ। Joint responsibility of the ministry, number one और उसमें भी संसदीय कार्य मंत्री, नम्बर दो, वे हर समय हर विषय पर बोल सकते हैं। इसलिए आप डिस्टर्ब मत कीजिये, मैंने कह दिया। (व्यवधान) वे देंगे जवाब। मैंने अनुमति दी है। (व्यवधान) इसको रख लीजिये आप। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन परम्पराओं से और नियमों से चलता है। बाकायदा खान मंत्री मौजूद हैं, खान मंत्री जवाब देंगे।

श्री अध्यक्ष: एक शब्द मत लिखो। (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): **×××**

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): **×××**

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। एक भी शब्द अंकित नहीं होगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): **×××**

श्री घनश्याम (टोडाभीम): **×××**

श्री रामनारायण (नसीराबाद): **×××**

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं निवेदन कर रहा था (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। (व्यवधान) संसदीय मंत्री बोलें, वही नोट हो। इधर से एक शब्द भी नोट नहीं हो। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): **×××**

श्री रमेश (सपोटरा): **×××**

श्री अध्यक्ष: यह मेरा अधिकार है। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा। यह मेरा अधिकार है कि मैं किसको इजाजत देता हूं। (व्यवधान) दे दें, उनकी मर्जी। (व्यवधान) उनकी मर्जी है। (व्यवधान) जोंइट रेस्पांसिबिलिटी है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): ×××

श्री घनश्याम (टोडाभीम): ×××

श्री रामनारायण (नसीराबाद): ×××

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मेरे एक साथी ने, 'डर्टी पालिटिक्स' की बात चला रहे थे पिछले दिनों, आपने देखा, यह 'डर्टी पोलिटिक्स' पिक्चर हम ही बनवाते हैं। आपको पता है कि तीन पीढ़ियों से मेरे परिवार को आदर्श परिवार कहते हैं और लोग उनकी कहानी-किस्से परमार्थ के सुनाते हैं। इस तरह के आरोप, कभी 600 करोड़, कभी 1,000 करोड़, कभी 2,000 करोड़, यह मानवता है क्या?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): ×××

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): कितना विषपान आप इसमें करवा देते हैं? (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): ×××

श्री घनश्याम (टोडाभीम): ×××

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): आपने पिछली बार हमारी माननीया मुख्य मंत्रीजी पर 22,500 करोड़ का आरोप लगाया था और ... (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): आपने माथुर आयोग बैठाया था, आपकी सरकार थी। आपको तो सिर्फ बोलना है, इसलिए...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): ×××

श्री घनश्याम (टोडाभीम): ×××

श्री अध्यक्ष: मैंने नहीं लगाया। (व्यवधान)

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): यह जो एक-दूसरे पर आरोप लगाना है, यह छोड़ो। सत्यता के साथ चलो। प्रदेश के प्रति दोनों की जिम्मेदारी है। यहां पर रोजगार बढ़ें, यहां की सम्पन्नता बढ़ें ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री मदन राठौड़। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): ×××

श्री घनश्याम (टोडाभीम): ×××

श्री रामनारायण (नसीराबाद): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अनुमति दी है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, कौनसा राठौड़ बोलेगा? कौनसा राठौड़ बोले? वह राठौड़ बोले या यह राठौड़ बोले?

श्री अध्यक्ष: अभी यह राठौड़ बोलेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि एम.एम.डी.आर. आर्डिनेंस संशोधन दिनांक 12.1.2015 को केन्द्र सरकार ने जारी किया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न गत जो बातें इन्होंने 17 ब्लाक्स के बारे में कही हैं ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): ×××

श्री घनश्याम (टोडाभीम): ×××

श्री रामनारायण (नसीराबाद): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हुकूमत इनके पास थी तो 14.10.2010 को ...(व्यवधान) 14.10.2010 से 15.10.2013 तक माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान) एम.एम.डी.आर. एक्ट के रूल 59 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र मांगे, जब कांग्रेस का राज था। जिन 17 ब्लाक्स के लिए आवेदन इन्होंने मांगे ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): ×××

श्री घनश्याम (टोडाभीम): ×××

श्री रामनारायण (नसीराबाद): ×××

श्री अध्यक्ष: वे संसदीय कार्य मंत्री हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, एम.एम.डी.आर. एक्ट, 1960 के नियम 26 के अन्तर्गत, 26(3) के अन्तर्गत जो पत्र ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इधर से अंकित नहीं हो। इधर से अंकित नहीं हो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): जिसके माध्यम से कमी पूर्ति करते हैं, वे इनके राज में आये, इन्हीं 17 के लिए। आवेदकों की ... (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): ×××

श्री घनश्याम (टोडाभीम): ×××

श्री रामनारायण (नसीराबाद): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): एक मिनट। घोटाला किसने किया, वह बता रहा हूं। (व्यवधान) विराजो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): ×××

श्री घनश्याम (टोडाभीम): ×××

श्री रामनारायण (नसीराबाद): ×××

श्री अध्यक्ष: इधर का कोई नोट नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये हमारी बात सुनना नहीं चाहते और सौ चूहे खा कर बिल्ली हज को

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

चली। सौ चूहे खा कर बिल्ली हज को चली। सारे कुकर्म आप करो। ये कुकर्म इनके हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कुकर्म इनके हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): ×××

श्री घनश्याम (टोडाभीम): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री रामनारायण (नसीराबाद): ×××

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): जो खान अलाट की है, अगर एक भी नियम-विरुद्ध हुई है तो ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): ×××

श्री घनश्याम (टोडाभीम): ×××

श्री रामनारायण (नसीराबाद): ×××

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): प्रसिद्ध प्रतिष्ठान है वह। हमने किसी को फायदा नहीं दिया है। एकदम नियमों में है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर नियमों में नहीं हो तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): ×××

श्री घनश्याम (टोडाभीम): ×××

श्री रामनारायण (नसीराबाद): ×××

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): बिलकुल ये बिना मतलब की बात करते हैं। हमने चार अलाटमेंट की हैं। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): पहले आपका निर्णय था अलाटमेंट करने का। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री राजकुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): आपके चीफ सेक्रेटरी का, फाइनेंस सेक्रेटरी का है यह, इसको अलाट किया जाए। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): आपको तो हर चीज में भ्रष्टाचार नजर आता है। (व्यवधान) आगे जरूरत होगी तो हम आगे गाइडलाइन्स लेंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): अभी इस प्रक्रिया में दो साल लगेंगे पूरी होने में। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): ×××

श्री घनश्याम (टोडाभीम): ×××

श्री रामनारायण (नसीराबाद): ×××

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): पांच-पांच हजार लोगों को एक-एक प्लांट में कम से कम रोजगार मिलेगा और 35 करोड़ रुपया हर प्लांट से रेवेन्यू, सेल्स टैक्स मिलेगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): हमने नियमों में अलाट किया है इसको।

श्री अध्यक्ष: अब आप बैठिये। श्री मदन राठौड़। अब आप बैठिए। नहीं, बहुत समय ले चुके हैं आप। आप भी बैठिये। आप भी बैठिये। नहीं, मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। मैं इजाजत इतनी ही दे रहा हूं। आप बैठ जाइए। क्या मतलब है यह?

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री अध्यक्ष: हां, बैठना पड़ेगा। मेरी अनुमति के बिना नहीं बोल सकते। बैठिये। मैं कह रहा हूं, बैठिये। मैं कह रहा हूं, बैठिये। नो, हाथा-जोड़ी। बैठ जाइये। श्री मदन राठौड़।

राष्ट्रीय राजमार्ग-14 के फोर लेन निर्माण में त्रुटियों के कारण कारित दुर्घटनाएं

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, पाली जिले में दो राष्ट्रीय राजमार्ग जो फोर लाइन में तब्दील हुए, इसमें कई त्रुटियां हैं जिनके कारण से लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। इस विषय पर मैंने पहले भी, थोड़े सम्बन्धित विषय पर मैंने बात रखी थी। कल रात को भी पुराड़ा पर, इसी एन.एच. 14 पर, पुराड़ा पर एक भूदाराम नाम के, मीणा जाति के व्यक्ति का एक्सिडेंट में देहांत हो गया। लोग वहां पर धरने पर बैठे हैं और इस समय भी धरने पर हैं, डैड बाडी उठा नहीं रहे हैं। कल उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग जाम किया था और मुझे भी वहां पर हस्तक्षेप करना पड़ा, उस मार्ग को खुलवाने के लिए बहुत प्रयास करने पड़े।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि यह जो राष्ट्रीय राजमार्ग 14 और राष्ट्रीय राजमार्ग 65, जो फोर लेन में तब्दील हुए हैं, इनमें कई त्रुटियां हैं और ऐसी-ऐसी त्रुटियां हैं कि आपको भी आश्चर्य होगा। एक पुराड़ा गांव है जहां पर पुल बना हुआ है। वहां पर पुल तो बना दिया, फोर लेन पर पुल बना हुआ है लेकिन अन्दर मिट्टी भरी हुई है और अभी तक मिट्टी निकाली नहीं है। लोगों को सड़क के ऊपर से निकलना पड़ रहा है जिसके कारण से वहां पर दुर्घटनाएं हो रही हैं। वहां पर 12 लोग तो अभी तक मर चुके हैं और 52 दुर्घटनाएं हुई हैं अभी भी।

मैं आपसे एक बात निवेदन करना चाहूंगा, मैं आपसे शेयर भी करना चाहूंगा, आप भी एक दुर्घटना में; एक बात मैं बताऊं कि आप और हम साथ-साथ में थे, अचलारामजी भी साथ में थे और इसी मार्ग पर अपन जा रहे थे तो कैसे आपकी गाड़ी उलटी हो गयी और ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं बच गया था।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आपको भगवान ने बचाया था। यह स्थिति आपको पता है। तो मैं आपको बताऊं कि दुर्घटनाएं जब होती हैं तो किसी को छोड़ती नहीं हैं, न अध्यक्ष को, न और किसी सामान्य नागरिक को, लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह बताना चाहूंगा, पहले भी मैंने मंत्रीजी से निवेदन किया था कि यह जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है, इसने गम्भीरता नहीं दिखायी। जब पहले सर्वे हुआ था तो उस सर्वे में भी कई त्रुटियां इन्होंने रख दीं। कई ऐसे-ऐसे गांव हैं जिनको दो टुकड़ों में बांट दिया। मैं

(श्री मदन राठौड़)

आपको बताना चाहूंगा कि सोजत, सोजत में जो मोड़ बंटा है, वहां पर दो भागों में बांट दिया और वह परवाह ही नहीं की, जबकि बाई-पास बनना चाहिए था। इसके आगे यदि, अपन विचार करें, जाड़न में, जाड़न को भी दो टुकड़ों में बांट दिया और वहां पर भी कई दुर्घटनाएं हो गयीं। आमरण अनशन तक लोगों को करना पड़ा और माननीय विधायक, मारवाड़ जंक्शन और हमको हस्तक्षेप करना पड़ा और आश्वासन देना पड़ा कि हम इसमें वहां पर अंडर-पास बनवाने का काम करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा, इसी प्रकार से पाली जिले में आप देखिए कि हेमावास पर, हेमावास का जो क्रोसिंग है, जहां पर मेगा-वे निकलता है, लेकिन वहां पर इन्होंने पुल नहीं बनाया। इसके कारण से लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोग मरते जा रहे हैं। एक मैं आपको बताऊं, इसी प्रकार से आगे यदि केनपुरा, ऐसे ही और आगे यह रानीवाला जो मार्ग है, वहां पर भी ब्रिज बनना चाहिए था।

यह तो एक बहुत बड़ी त्रुटि है कि वहां पर इन्होंने ब्रिज नहीं बनाया, लेकिन और आश्चर्य करेंगे आप कि जहां पर इन्होंने ब्रिज बनाये, वहां पर सर्विस रोड्स नहीं बनायीं। हमारी स्टेट की जो रोड्स हैं, उन रोड्स से कोई व्यक्ति आएगा तो फोर लेन पर चढ़ेगा कैसे? जब तक आप सर्विस रोड नहीं बनाएंगे तो उस फोर लेन पर किस प्रकार से चढ़ना होगा? लोग उलटी साइड में चढ़ते हैं और रोंग साइड में पहले जाकर, फिर सही दिशा में आते हैं। इसमें इनकी दुर्घटनाएं हो जाती हैं और वे लोग मरते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गम्भीरता के साथ आपको निवेदन करना चाहूंगा कि यह राष्ट्रीय राजमार्ग जो बना है फोर लेन में, यह बना है बड़े लोगों के लिए, दूरी से आने वाले लोगों के लिए। मेरे लोग तो वहां पर मरते जा रहे हैं। उनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं हुई है। मंत्रीजी ने पहले घोषणा की थी और वहां पर इन अधिकारियों को मेरे साथ में भेजा भी था, कलक्टर को भी साथ में लिया, स्थानीय पी.डब्ल्यू.डी. के अधिकारियों को भी लिया, उन्होंने आश्वासन जरूर दिया लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ी बात है।

एक मैं आपको बताऊं कि एन एच 65, जो एम.डी.आर. 13 पर, यह पाइंट भी आप देख लें, मंत्रीजी। एम.डी.आर. 13 पर जब वह ट्रैक्टर चढ़ने लगा,

(श्री मदन राठौड़)

क्योंकि जब ऊंचाई दे रखी है, अब बराबर स्लोप नहीं दिया तो ट्रैक्टर वाला एक्सीलरेटर पर दबाव रखेगा, हैवी गीयर में रखेगा। ऊपर चढ़ते ही एक दूसरा वाहन आया, उसने उस ट्रैक्टर के तीन टुकड़े कर दिये।

अध्यक्ष महोदय, जो रूपावास वाला मार्ग है एन.एच. 65 पर, यानी इस प्रकार की लापरवाही, मैं सोचता हूं कि मंत्रीजी को यह जवाब देना चाहिये कि इसमें किस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, ताकि मेरे इलाके के लोग मरे नहीं। मेरे इलाके के लोग मर रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, यह ठीक बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आप केवल बड़े लोगों को, दूर से आने वाले लोगों के लिए ....(व्यवधान) नहीं, अध्यक्ष महोदय, ये सही कह रहे हैं।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): अध्यक्ष महोदय, वहां मेरा भी इलाका लगता है। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): हमने भी अनेक बार लिखकर दिया है।

श्री अध्यक्ष: नो, आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): हमने मंत्रीजी को लिखकर दिया है। हमारी सेम समस्या है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह पर्ची आपकी है। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैं वह भी बात रखना चाहूंगा कि रोड को भी दो टुकड़ों में तोड़ दिया गया है। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): हमारे यहां भी वही सेम एन.एच. है, वह ही एन.एच. है, वे ही दुर्घटनाएं हुई हैं। मैंने मंत्रीजी को अनेक बार लिखकर दिया है। वह ही एन.एच. है, वे ही दुर्घटनाएं हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मुझे अफसोस है कि मुझे कहना पड़ेगा आपके लिए। पर्ची उन्होंने दी है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आफिसेज सड़क के एक तरफ हैं और पूरा इलाका दूसरी तरफ है। तो रोड की भी यह समस्या बरकरार है। मैं आपको बताऊं, वहां पर रेलिंग और लगा रहे हैं। यदि किसी नागरिक को भी दूसरी तरफ अपने आफिस में जाना पड़े, पुलिस थाना, एस.डी.ओ. आफिस, सब दूसरी तरफ हैं। वह केवल टेलीफोन से बात कर सकता है, या हाथ से ही इशारा कर

(श्री मदन राठौड़)

सकता है। सड़क पार करने की उसकी स्थिति नहीं है। यदि करेगा, तो मरेगा। यह स्थिति रोड की भी बनी हुई है।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से कई ऐसे क्षेत्र हैं। इसका आप सुदृढ़ीकरण करवाओ और बहुत जल्दी से जल्दी करवाओ, नहीं तो मेरे लोग मर रहे हैं। रोज धरने हो रहे हैं। रोज उनको मुआवजे की घोषणा करनी पड़ रही है।

श्री अध्यक्ष: आप यह बात दस बार रिपीट कर चुके।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी से इंटरवीन करें।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): अध्यक्ष महोदय, यह जो मेरी पीड़ा है, पाली से, एन.एच. 14 से जुड़ने वाले डेमपुरा चौराहे पर इसी तरह से दुर्घटनाएं होती हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय। (व्यवधान) नहीं, आप बैठिये। आप बैठिये। केवल उनका ही जवाब होगा। केवल मंत्री महोदय का जवाब होगा।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): इसी से सम्बन्धित है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पर्ची से सम्बन्ध होता है, वे बोल लिये। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): इसी से सम्बन्धित है। (व्यवधान) मैं निवेदन कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, सम्बन्धित का सवाल नहीं है। पर्ची से जिस विधायक ने उठाया...(व्यवधान) नहीं, पर्ची पर डिबेट अलाउ नहीं कर सकता। बैठिये। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: नो, नो। माननीय मंत्री महोदय। ...(व्यवधान)...

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर विषय है।

श्री अध्यक्ष: गम्भीर है, तो आप उठाइये। (व्यवधान) आप उठाइये, पर अभी नहीं। आप उठाइये अलग से। एक पर्ची दी है उन्होंने और पर्ची पर पर्ची देने वाले को ही बोलने का अधिकार होता है। फिर जनरल डिबेट कैसे अलाउ कर सकता हूं?

हां, माननीय मंत्री महोदय।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस एन.एच.ए.आई. के मार्ग संख्या एन.एच.14 की चर्चा हो रही है और जितने माननीय सदस्य खड़े होकर चिन्ता व्यक्त कर रहे हैं, उनके सभी के विधान सभा क्षेत्र में यह फोर लेन का निर्माण कार्य चल रहा है और समय-समय पर वहां हुई दुर्घटनाओं के बारे में सबने चिन्ता व्यक्त की है। इसमें, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पूरे राजस्थान के लिए, हमारे इस हाउस के लिए भी चिन्ता का विषय है कि राजस्थान भर में लगभग 25 हजार दुर्घटनाएं होती हैं। माननीय गृह मंत्रीजी ने भी जिक्र किया था कि पूरे राजस्थान में एक वर्ष में लगभग 1,500 हत्याएं होती हैं तो पूरा राजस्थान विचलित हो जाता है। दुर्घटनाओं में सिर्फ पिछले पांच वर्षों का हम आंकड़ा देखें तो साढ़े 9 हजार लोग मौत को प्राप्त हो जाते हैं। उनकी मौत दुर्घटनाओं में हो जाती है। यह वास्तव में राजस्थान के लिए, सरकार के लिए चिन्ता का विषय है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हमारे सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो मुद्दा उठाया, यह बात सही है कि कल रात्रि को एक दुर्घटना हुई। एक साइकिल सवार के ट्रक ने टक्कर मारी और उसकी मृत्यु हो गयी। मृत्यु का कारण कहीं न कहीं इस एन एच आई की रोड पर जो कंसेशनर काम कर रहा है, उसकी लापरवाही भी है और उसमें कार्य में हो रही देरी भी है। रात भर धरना भी रहा और अभी वह धरना तो उठा लिया गया, और वहां जो सर्विस लेन का काम नहीं हुआ, वह भी वहां के स्थानीय अधिकारियों ने आश्वस्त करके काम शुरू कर दिया। तो वह लाश तो उठा ली गयी है और वहां काम भी शुरू कर दिया गया है। (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आ रहा हूं, आ रहा हूं। प्रत्येक माननीय सदस्य जो चिन्ता व्यक्त कर रहे थे, सभी पर आ रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नेशनल हाइवे 14 के बारे में ही बोलिये आप। उसी का जवाब दीजिये।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): जी। मैं नेशनल हाइवे 14 के बारे में ही आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी 25 तारीख को पी.डब्ल्यू.डी. की डिमांड है। उस डिमांड के बाद में, यहां पर एल एण्ड टी इस रोड का कंसेशनर है और एन.एच.ए.आई. के जो उच्चाधिकारी हैं, जो रीजनल मैनेजर हैं उनको; मेरे सारे अधिकारी हैं उनको, और इस

(श्री युनुस खान)

एन.एच.ए.आई. की 244 किलोमीटर में जहां-जहां इसके निर्माण कार्य में त्रुटियां रही हैं, क्योंकि जगह-जगह, माननीय ब्यावर से आने वाले सदस्य ने भी अभी कुछ दिन पहले पर्ची के माध्यम से 11 मार्च को उठाया; अभी, माननीय अध्यक्ष महोदय, 13 मार्च को तारांकित प्रश्न हमारे माननीय सदस्य, मारवाड़ जंक्शन...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह सब जवाब 25 को दे देना, आज तो इसका जवाब दीजिये। (व्यवधान) केवल इसी का।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मैं इसी का जवाब दे रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें इतना ही है कि सारे जन-प्रतिनिधियों के साथ में, एन.एच.ए.आई., कंसेशनर, सार्वजिनक निर्माण विभाग और मैं स्वयं और सारे जन-प्रतिनिधि बैठकर, जो-जो त्रुटियां हैं, उन त्रुटियों के सुधार के लिए भारत सरकार को हम भेजेंगे और जहां सम्भव है, उसको हम दूर करवाएंगे।

श्री अध्यक्ष: बहुत अच्छा। श्री भैराराम चौधरी।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): एक मिनट, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। एक मिनट। (व्यवधान) एक मिनट लूंगा। (व्यवधान) माननीय मंत्री महोदय, एक मिनट।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): वह तो आज ही हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, मीटिंग ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठिये। हां, बोलिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि राज्य सरकार का एन एच ए आई के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। आप सुनिये, मैं आपसे कह रहा हूं। (व्यवधान) एक मिनट रुक जाओ। कोई सामंजस्य नहीं है। आपकी बात वे सुनते नहीं हैं, राज्य सरकार की बात सुनते नहीं हैं। धौलपुर के अन्दर जो ओवर-ब्रिज बन रहा है, अध्यक्ष महोदय, मैं बता रहा हूं, कम से कम 50 हजार आदमियों ने दरख्वास्त करके भारत सरकार को भेजा; लोगों ने दस्तखत किये अंडर-पास के लिए। धौलपुर शहर को दो हिस्सों में बांट दिया है। तीन किलोमीटर तक कहीं निकलने का रास्ता नहीं है। यह भी मांग हो रही है।

तो मैं चाहूंगा, कोई मेकेनिज्म आप इस किस्म का डवलप करें जिससे कि इनके ऊपर कोई कंट्रोल तो रहे आपका।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ज्ञानजी, बोलो न। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, मैं अलाउ नहीं करूंगा। नहीं, उन्होंने कंट्रोल वाली बात कही।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): राजस्थान की जनता को कष्ट हो रहा है। ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): ये धौलपुर का बोल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारा इसी में हैं, हमको आपने अलाउ नहीं किया। आप धौलपुर का अलाउ कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मंत्री महोदय, वह तो आज ही शुरू करवाओ आप।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, कोई मेकेनिज्म नहीं है। उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है इनका। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। (व्यवधान) आप बैठिये न।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आप वह आज ही शुरू करा सकते हैं। जब तक मिट्टी निकाल...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप व्यक्तिगत मिल लेना। भैराराम चौधरी।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): नहीं, वे बोल रहे हैं ना, साहब। नहीं, वह आज हो सकता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, मैं अलाऊ नहीं करूंगा। (व्यवधान) भैरारामजी चौधरी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, आप खाना खा लो ना।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। नहीं। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट आप मेरी बात तो सुन लें। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, जो काम हो सकता है...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, आप खाना खा लो ना। .(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): जो काम आज हो सकता है, वह कब भारत सरकार से बात करेंगे? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। भैराराम चौधरी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, आप खाना खा लीजिये। आपकी सेहत के लिए भूखा रहना ठीक नहीं है। (व्यवधान) खाना खा लीजिये। सभापति महोदय आ जायेंगे फिर। .(व्यवधान)

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, वाकई में यह बहुत गम्भीर है। गम्भीर विषय है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: गम्भीर विषय है, तो आप अलग से उठाइये। (व्यवधान)

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): प्रतिदिन लोगों की मृत्यु हो रही है। इसलिए निवेदन कर रहे हैं आपसे।

श्री अध्यक्ष: 25 तारीख को डिस्कस हो रहा है, आप बोल लेना। (व्यवधान) 25 तारीख को डिस्कस हो रहा है, आप सब बोल लेना। बैठिये अभी। बैठिये। हां, भैराराम चौधरी। बहुत बोल चुके, इसमें अब क्या है? यह जो विषय है, इस पर तीन घंटे तक बहस हो चुकी। (व्यवधान)

ओसियां में ओलावृष्टि से किसानों को कारित नुकसान

श्री भैराराम चौधरी (ओसियां): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विषय बता रहा हूं उसकी थोड़ी-सी और कनेक्टिविटी है रेवेन्यू विभाग की तरफ। यह तो शायद बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। तो थोड़ा आप सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष: सुना दीजिये।

श्री अध्यक्ष: माननीय अध्यक्ष महोदय, आप खाना खा लीजिये, सभापति महोदय आ जाएंगे। (व्यवधान)

श्री भैराराम चौधरी (ओसियां): माननीय अध्यक्षजी, जो राजस्थान के अन्दर किसानों का नुकसान हुआ है और उस नुकसान के अन्दर लघु एवं सीमांत कृषक का जो दायरा रखा है, माननीय राजस्व मंत्रीजी यहां बैठे हैं, ...

श्री अध्यक्ष: आप अपनी बात समाप्त कीजिये जल्दी। इसका कारण मैं बताता हूं आपको। इस विधान सभा का नियम है कि जिस विषय पर एक बार चर्चा हो चुकी है।

श्री भैराराम चौधरी (ओसियां): ओलावृष्टि पर है।

श्री अध्यक्ष: ओलावृष्टि पर भी हो चुकी है। यह हो चुका है, ओलावृष्टि भी आ चुकी है। इसलिए आप अपनी बात दो मिनट में बता दीजिये।

श्री भैराराम चौधरी (ओसियां): दो मिनट तो दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष: दो मिनट।

श्री भैराराम चौधरी (ओसियां): गांवों के अन्दर हमारी संयुक्त परिवार प्रथा है। वहां पर घर के अन्दर, जैसे बोलने चाहिये, बड़े-बुजुर्ग रहते हैं, उनकी उम्र 70 साल, 80 साल, 90 साल भी होती है। उनके तीन-चार बेटे होते हैं, उनकी जमीन का बंटवारा नहीं होता है और उनके पोतों की, पड़पोतों की भी वाइफ आ जाती हैं। उनकी जमीन, आन-ग्राउंड लेवल पर तो उनका बंटवारा होता है, लेकिन राजस्व विभाग के अन्दर बंटवारा नहीं होता है। जब तक राजस्व विभाग के अन्दर बंटवारा नहीं होता है, तब तक वह लघु या सीमांत कृषक की श्रेणी में नहीं आता है और उसको मुआवजे की राशि के रूप में एक रुपया भी मिलना नसीब नहीं होगा।

इसलिये मैं आपको इस सदन के माध्यम से यह बात बताना चाहता हूं कि राजस्थान एक सांस्कृतिक स्टेट है और इसके अन्दर संयुक्त परिवार प्रथा है। जब घर के अन्दर दादाजी, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, तब तक अपनी जमीन

(14.00 बजे)

के ऊपर वे क्लेम नहीं कर सकते; न उसका बेटा कर सकता है, न उसका पोता कर सकता है। क्योंकि हमारी सांस्कृतिक विचारधारा ही ऐसी है कि जब तक घर में बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, अपनी प्रोपर्टी पर, जमीन पर अपना हक नहीं जताते। जब उनके दादाजी को 100 वर्ष हो जाते हैं तो उनके पोतों के नाम नहीं होती है। जब वे फोत होते हैं तो जमीन उनके बेटों के नाम होती है। तब तक उनके पड़-पोते भी अपनी आपसी सहमति से अपने खेत में; अपने बेटे, पोते और पड़-पोते तक; उदाहरण के तौर पर मान लिया जाए कि उसकी सौ बीघा जमीन है तो उनके पोते और पड़-पोते भी अपनी सहमति से अपनी खेती करते हैं, पर राजस्व रिकार्ड के अन्दर उनका नाम नहीं होने की वजह से उनको ओलावृष्टि का कोई भी मुआवजा नहीं मिलेगा।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री भैराराम चौधरी (ओसियां): दूसरा, मैं एक चीज कहना चाहूंगा बीमा कम्पनी के बारे में। एक ही मिनट।

श्री अध्यक्ष: नहीं, अब नहीं। बिलकुल नहीं। मैंने आपको अलाउ कर दिया।

श्री भैराराम चौधरी (ओसियां): एक ही मिनट और लूंगा।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, दो मिनट अलाउ कर दिया। आप विराजिये।

श्री भैराराम चौधरी (ओसियां): एक ही मिनट।

श्री अध्यक्ष: नहीं, कृपया विराजिये। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे। श्री गजेन्द्रसिंह।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का राजस्थान वित्त निगम के लेखों पर पृथक अंकेक्षण प्रतिवेदन (वर्ष 2013-14)

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 की धारा 37(6) के अन्तर्गत 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए राजस्थान वित्त निगम के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पृथक अंकेक्षण प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री पुष्पेन्द्र सिंह अनुपस्थित हैं। उनकी जगह, राजेन्द्र राठौड़जी, संसदीय कार्य मंत्री, आप रखिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण सदन की मेज पर रखता हूं:-

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का 13वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण (वर्ष 2012-13)

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का तेरहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण, वर्ष 2012-13;

अजमेर विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का 14वां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे (वर्ष 2013-14)

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत अजमेर विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का चौदहवां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे, वर्ष 2013-14, एवं

जोधपुर विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का 13वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे (वर्ष 2012-13)

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत जोधपुर विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का तेरहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे, वर्ष 2012-13.

श्री अध्यक्ष: श्री राजकुमार रिणवां, पर्यावरण राज्य मंत्री।

राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2013-14)

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, राजस्थान राज्य जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 21(3) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: याचिका का उपस्थापन। श्री धीरज गुर्जर।

याचिका

कोटड़ी (भीलवाड़ा) स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में डाक्टर्स के रिक्त पदों की पूर्ति

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, जिला भीलवाड़ा की तहसील कोटड़ी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्वीकृत डाक्टर्स के सभी पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन। श्री प्रद्युम्न सिंह, सभापति, सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति।

समिति प्रतिवेदन

सरकारी आश्वासनों संबंधी (क्रम संख्या-1)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति, 2014-15 के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: विधायी कार्य। पुर:स्थापित किये जाने वाले विधेयक। डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2015 । श्री राजेन्द्र राठौड़।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2015

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

पुर:स्थापित कीजिए आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर (संशोधन) विधेयक, 2015 प्रस्तुत करेंगे, श्री प्रभू लाल सैनी।

महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर (संशोधन) विधेयक, 2015

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

विधेयक को पुर:स्थापित कीजिए।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: राजस्थान झील (संरक्षण और विकास) प्राधिकरण विधेयक, 2015 । श्री राजपाल सिंह शेखावत, प्रभारी मंत्री।

राजस्थान झील (संरक्षण और विकास) प्राधिकरण विधेयक, 2015

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, राजस्थान झील (संरक्षण और विकास) प्राधिकरण विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान झील (संरक्षण और विकास) प्राधिकरण विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

विधेयक को पुर:स्थापित कीजिए।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, राजस्थान झील (संरक्षण और विकास) प्राधिकरण विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: इसके जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखिये।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत राजस्थान झील (संरक्षण और विकास) प्राधिकरण विधेयक अध्यादेश, 2015 (2015 का अध्यादेश संख्यांक-1) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2015-2016 । द्वितीय अवस्था। अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान।

श्रीमती किरण माहेश्वरी।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 27 - पेयजल योजना की प्रस्तुति

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करती हूं कि मांग संख्या 27-पेयजल योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

62,01,74,26,000/- (बासठ अरब एक करोड़ चौहत्तर लाख छब्बीस हजार) तक की राशि प्रदान की जावे।

(मांग संख्या 27 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री अध्यक्ष: डाक्टर राम प्रताप, जल संसाधन मंत्री।

मांग संख्या 46 - सिंचाई (इंदिरा गांधी नहर परियोजना सहित) की प्रस्तुति

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 46-सिंचाई (इंदिरा गांधी नहर परियोजना सहित) के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 30,59,85,24,000/- (तीस अरब उनसठ करोड़ पिचासी लाख चौबीस हजार) तक की राशि प्रदान की जावे।

(मांग संख्या 46 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

श्री अध्यक्ष: दूसरी रखिये।

मांग संख्या 38 - लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण की प्रस्तुति

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 38-लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,30,54,99,000/- (एक अरब तीस करोड़ चौवन लाख निन्यानवे हजार) तक की राशि प्रदान की जावे।

(मांग संख्या 38 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

श्री अध्यक्ष: अब हमारे पास चार घंटे हैं। वैसे तो सामान्यत: यह राय बनी थी कि छह बजे हाउस को स्थगित कर दिया जाए, लेकिन दो-दो विषयों पर बोलना है और बोलने वाले भी कोई ज्यादा अधिक भी नहीं हैं। अगर वे ठीक समय सीमा में बोलें, पांच से दस मिनट के बीच में, तो छह बजे तक हमारी ये दोनों बहस समाप्त हो जायेंगी। उसके बाद दोनों मंत्रियों का जवाब आ जायेगा और उसके बाद यह हाउस स्थगित होगा।

तो मैं आपसे सबसे निवेदन करता हूं कि स्वयं पर ही अनुशासन रखते हुए आप अपनी बहस प्रारम्भ करें। आपको चालू नहीं करना। आज की बहस प्रारम्भ करेंगे। श्री राजेन्द्र सिंह भादू।

मांग संख्या 27, 46 व 38 पर विचार

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 46-सिंचाई पर आपकी अनुमति से बोलना चाहता हूं।

(14.09 बजे)

(श्री प्रद्युम्न सिंह, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में इंदिरा गांधी नहर, भाखड़ा नहर और गंग कैनाल का पानी सिंचाई के लिए लिया जाता है। इसके साथ-साथ घग्घर नदी में भी बारिश के दिनों में पानी आता है। इसके अलावा, इस क्षेत्र में ट्यूबवेल्स भी हैं। माननीय सभापति महोदय, इंदिरा गांधी नहर के प्रथम चरण में गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों की लगभग 18 लाख बीघा जमीन सिंचित होती है। इसी तरह से अमरसिंह ब्रांच, सिद्धमुख ब्रांच को मिलाते हुए भाखड़ा से भी लगभग 20 लाख बीघा जमीन में सिंचाई होती है।

माननीय सभापति महोदय, इंदिरा गांधी नहर का जब निर्माण शुरू हुआ, उस वक्त इसका निर्माण पूरा नहीं होने की वजह से, यहां पानी की जो अधिकतम मात्रा थी, उसका उपयोग गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में लिया गया। कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिनको सी ए डी विभाग द्वारा अनकमांड या टाइड-कमांड घोषित किया गया लेकिन किसानों ने पूरी कोशिश करके उस क्षेत्र के अन्दर पानी लगाया। इसके अलावा, जितना पानी बचा था, उसको हमारे सूरतगढ़ के समीप बनी हुई कृत्रिम झीलों में लगातार 20 सालों तक डालकर उन झीलों को भरा गया। एक समय ऐसा आ गया कि उन कृत्रिम झीलों में 40-50 फीट तक पानी बढ़ गया।

माननीय सभापति महोदय, जिस क्षेत्र को कमांड घोषित नहीं किया गया था, जो अनकमांड था या टाइड-कमांड था, उसके अन्दर किसानों को पानी दिया गया और आज भी वे किसान पानी लगा रहे हैं। कुछ लोगों का पानी उसमें बंद कर दिया गया लेकिन वह पानी लगने की स्थिति में हैं। उसके बाद में राज्य सरकार द्वारा उस पानी को पूर्णतया बंद कर दिया गया। किसानों को उससे बड़ी तकलीफ हो रही है। माननीय सभापति महोदय, मैं इस ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जो भूमि सिंचित पानी के योग्य है और जिसमें पानी लगाया जा सकता है, उसके लिए जो पानी की उपलब्धता है उसको देखते हुए उस एरिये को वापस कमांड किया जाए। यह उस क्षेत्र के किसानों के लिए सबसे बड़ी बात है।

(श्री राजेन्द्र सिंह भादू)

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा, इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र की जो मुख्य नहर है, वह और उसके आसपास की, चाहे सूरतगढ़ ब्रांच है या अनूपगढ़ ब्रांच है, वह सारी बंधाई की नहरें होने की वजह से और कृत्रिम झीलों के अन्दर पानी रहने की वजह से, हमारे सूरतगढ़ के अन्दर, पीलीबंगा के रावतसर क्षेत्र में सेम की समस्या होती रही। उस सेम की समस्या के रहते लगभग डेढ़ लाख बीघा जमीन आज दलदल हो चुकी है। वह कृषि योग्य नहीं रही, या उसके अन्दर पानी भरा पड़ा है। जब तक इंदिरा गांधी की मुख्य नहर, सूरतगढ़ ब्रांच और अनूपगढ़ ब्रांच की लाइनिंग दुबारा से करके, जब तक पक्का दुबारा से निर्मित नहीं किया जाएगा, तब तक यह सेम की समस्या बनी रहेगी। इससे हमें पानी की बहुत बचत होगी। अगर इस सीपेज की समस्या का हल कर दिया जाए तो कम से कम 250-300 क्यूसेक्स पानी की बचत की जा सकती है।

इसके अलावा, असमय में जो पानी आता है, यहां पिछले दिनों घग्घर बहाव क्षेत्र में पानी आया और पंजाब से ओटू हैड, हरियाणा से होते हुए, जो पानी हमारे क्षेत्र में प्रवेश किया, वह एकदम काला और गंदा पानी आया। उस पानी को हमने सेम नाले के माध्यम से छोड़ा। वहां जिन लोगों ने फसलें काश्त कर रखी थीं, रबी की फसल की बिजाई की हुई थी, वह बिलकुल पकने पर थी, चाहे वह गेहूं हो, सरसों हो, जौ हो, जैसी भी फसलें थीं, वे सूरतगढ़ तहसील और पीलीबंगा तहसील की सैकड़ों बीघा की फसलें नष्ट हो गई, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस सम्बन्ध में आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस सारे के सारे पानी का संग्रह किया जाए। आज शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और महंगी चीज अगर है तो पानी है। इस पानी की बचत के लिए, जो कई दफा व्यर्थ में बह जाता है, इसको संग्रहित करके या तो इंदिरा गांधी नहर की मुख्य नहर में डाला जाए, या इसको फ्लो से, जहां से भी पानी निकलता हो, नीची जगह देखकर के इसका एक सेम नाला बनाया जाए, जिससे सेम से तो हमें राहत मिले ही मिले, साथ ही इस पानी का उपयोग हो सके।

इस पानी का उपयोग करने के लिए पिछले लम्बे समय से सिंगरासर ब्रांच की बात चल रही है। 165 आर डी मुख्य नहर के ऊपर, कानोर हैड के

(श्री राजेन्द्र सिंह भादू)

पास से सिंगरासर माइनर का निर्माण हो जाए तो वहां 50-60 गांवों की, जब माननीया मुख्य मंत्री 2008 में नहरी दौरे पर पधारी थीं तो उन्होंने भी उस क्षेत्र को देखा था। वहां के हजारों किसान उनसे मिले थे और इस नहर की मांग की थी। माननीया मुख्य मंत्री वसुंधराजी ने तत्कालीन सिंचाई मंत्री सांवरलालजी जाट को निर्देश देकर एक कमेटी का गठन किया। जल संसाधन आयोग के पूर्व अध्यक्ष की अध्यक्षता में कमेटी बनी। उन्होंने इस मांग को ठीक बताते हुए और उस क्षेत्र की भूमि को उपजाऊ बताते हुए सिंगरासर माइनर की आवश्यकता पर बल दिया था।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि उस सिंगरासर माइनर का निर्माण इंदिरा गांधी नहर से पानी लेकर किसी भी सूरत में किया जाए जिससे उस क्षेत्र के किसानों को लाभ होगा। उसके अन्दर फ्लो से भी पानी लग सकता है। फ्लो से नहीं, तो कोई लिफ्ट, या फव्वारा, बूंद-बूंद पद्धति से भी उस क्षेत्र को पानी लगाकर किसानों को राहत प्रदान की जाए।

इसके साथ-साथ, इंदिरा गांधी नहर में से कंवरसेन जो लिफ्ट निकलती है, उसके अन्दर मीरचंद माइनर, फुलैजी माइनर, मालेर माइनर और सीधे मोघे लगे हुए हैं। मीरचंद माइनर का निर्माण ठीक ढंग से नहीं हुआ था। उसकी वजह से मीरचंद माइनर के किसानों को पूरा पानी नहीं मिल रहा है। यहां तक कि उनके जो मोघे लगे हुए हैं, उनमें भी पूरा पानी नहीं है। मात्र 3 क्यूसेक्स पानी की कमी होने की वजह से 9 व 10 एम सी एम के जो किसान हैं, उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 1, 3 और 4 मोघों पर जो पानी चलता है, वह बिलकुल ना के बराबर चलता है। इससे किसानों को बड़ी दिक्कत रहती है। माननीय सभापति महोदय, मैं आज आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि मीरचंद माइनर के अन्दर 3 क्यूसेक्स पानी की कमी को पूरा करके किसानों को राहत प्रदान की जाए। वह टीबा क्षेत्र होने की वजह से, जहां फव्वारों से या बूंद-बूंद सिंचाई से पानी लग सकता है, वह लगाया जाए। उस नहर का क्षेत्रफल और बढ़ाया जाए ताकि किसानों को उससे और अधिक लाभ मिल सके। यह कंवरसेन लिफ्ट पर होना जरूरी है।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी को और विशेष रूप से माननीया मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद भी देना

(श्री राजेन्द्र सिंह भादू)

चाहूंगा कि उन्होंने इन सारी बातों के लिए एक कमेटी का गठन करके 2,885 करोड़ रुपए की स्कीम बनाकर केन्द्र सरकार को भेजी है। माननीय सिंचाई मंत्री जी और माननीया मुख्य मंत्रीजी इसको मंजूर कराकर, इस सेम की समस्या का और नहरों के अन्दर जो पानी बढ़ाने का मामला है, उसको ठीक करायेंगे।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा, हमारे क्षेत्र में जो भाखड़ा की नहरें हैं, पी बी एम की नहरें हैं, उनकी टेलें बिलकुल कच्ची हैं। उनमें सफाई पूरी नहीं होने की वजह से किसान उसका भरपूर फायदा नहीं उठा पाते हैं। पानी मोघों पर कम मिलता है। इनको भी पक्की और साफ कराने की जरूरत है। इसके साथ-साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारे बहुत मोघे और छोटे-छोटे नक्के और खालों का काम बीच-बीच में पेंडिंग पड़ा है। वह कार्य आजकल जयपुर के सिंचाई विभाग में होता है। इसलिए उन मोघों को ठीक करवाने के लिए राज्य सरकार और सिंचाई विभाग इस बारे में फैसला करें, क्योंकि जब तक उन मोघों को ठीक नहीं कराया जाएगा तब तक काम नहीं होगा।

माननीय सभापति महोदय, इसमें मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा कि उन मोघों के लिए जो काम यहां हनुमानगढ़ में हो सकता है, उसको जयपुर से वापस हनुमानगढ़ में, पूर्व की भांति, शिफ्ट किया जाए, ताकि उस क्षेत्र में किसानों को राहत मिले। मोघे और जो नक्के हैं, उनका काम वहीं हो सके।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा एक निवेदन आपसे और करना चाहूंगा कि जो फसलों का मामला है, वह ऐसे समय में लिया जा रहा है, जबकि एक बार पटवारी नहीं होने की वजह से सिंचाई विभाग द्वारा ऐसे मामलों को बंद कर दिया गया था। किसानों के मन में यह बात थी कि शायद मामला लिया नहीं जाएगा, लेकिन अब वह मामला, लगातार पिछले 8-10 सालों का जो पेंडिंग आबियाना है, उसको लेने की बात सरकार कर रही है। पटवारी भी आये-दिन किसान के घर पहुंचता है और ब्याज समेत पैसे मांगता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि आबियाना की असल वसूली भी किसान की माफ की जाए। अगर फिर भी सिंचाई विभाग यह उपयुक्त समझे, तो बगैर ब्याज के उस आबियाने की वसूली की जाए। पूरी राशि का ब्याज माफ किया जाए।

श्री सभापति: समाप्त करें। माननीय सदस्य, एक मिनट में समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़): माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से नहरों के चारों तरफ कई जगह मिट्टी चढ़ी हुई है। एस पी डी नहर में जिस तरह का मामला है, यह सारी सफाई की बात है।

सबसे महत्वपूर्ण बात उस क्षेत्र में इन्दिरा गांधी नहर के खाळों की और भाखड़ा क्षेत्र में खाळों की है। सी ए डी विभाग द्वारा उन खाळों का निर्माण कराया जाकर किसानों को राहत दी जाए। ये सारी की सारी जरूरी ऐसी बातें हैं जिन पर अभी आवश्यकता है काम करने की, जिनको देखने की जरूरत है। माननीय सभापति महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार इस ओर ध्यान देकर किसानों के लिए पक्के खाळों का निर्माण कराये; चाहे इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र हो या भाखड़ा क्षेत्र हो, वहां कराए और मोघों के दुरुस्तीकरण का कार्य भी गम्भीरता से किया जाए और जो मामले का काम है, उसको भी गम्भीरता से ले।

माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय भागीरथजी चौधरी।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 27, 38 और 46 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, मैं आदरणीया मुख्य मंत्रीजी और हमारी जलदाय मंत्री को पहले तो बहुत-बहुत बधाई देना चाहूंगा कि मेरी सात वर्षों से लम्बित शहरी जल योजना, जो अटकी पड़ी थी, उसके लिए आपने 185 करोड़ 20 लाख रुपए की वित्तीय सैंक्शन प्रदान की है। उसके लिए मैं बहुत-बहुत बधाई देना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, आज यह स्थिति है, पहले 2003 से 2008 में जब भा ज पा की सरकार थी, तब मेरे विधान सभा क्षेत्र के हर गांव, ढाणी और शहर में बीसलपुर का पानी पहुंचा था, परन्तु दुर्भाग्य से बीच में पूर्ववर्ती पांच साल की कांग्रेस की सरकार में जिन गांवों में पानी पहुंचा था, उनमें किसी तरह की जो कोई लाइन टूट गई हो, तो वापस उसके रखरखाव की कोई चिन्ता नहीं की। इसलिए आज मेरे ग्रामीण क्षेत्र में, माननीय सभापति महोदय, ऐसी स्थिति बनी हुई है कि वह एक मुख्य टंकी से पाइपलाइन से पानी जाता है, गावं में वह सीमेंट की पाइपलाइन है और वह जगह-जगह से टूट गई है, इस वजह से कई गांवों में तो साल-साल, दो-दो साल से पानी नहीं जा रहा है।

(श्री भागीरथ चौधरी)

इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदयाजी से निवेदन करना चाहूंगा कि वास्तव में आज गांवों में पीने के पानी की बहुत विकट समस्या है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में पूरे में फ्लोराइड का पानी है, भूमि में पूरी में नीचे पीने लायक पानी नहीं है। एक ही मात्र पीने के पानी का स्रोत है बीसलपुर परियोजना। तो मेरा निवेदन है कि जो सड़क, कई जगह सड़कें बनती हैं और जे सी बी से उस पाइपलाइन को तोड़ दिया जाता है। इसलिए आज यह स्थिति है कि पूरे मेरे क्षेत्र में, गांव में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था सही ढंग से नहीं हो पा रही है।

माननीय सभापति महोदय, मेरा मंत्री महोदयाजी से आपके माध्यम से निवेदन है, आज यह हास्यास्पद स्थिति बनी हुई है कि डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर जो अधिकारी बैठते हैं पी एच ई डी के, उनको कोई अधिकार नहीं दिया हुआ है, और इसकी वजह से छोटे-छोटे काम के लिए स्वीकृति लेने के लिए जयपुर आना पड़ता है। इस वजह से सारी स्थिति चरमरा गई है। आज सवा साल के अन्दर यह स्थिति बनी है ...(व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है, मैं चाहूंगा कि जब डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर सक्षम अधिकारी हैं, उनको कम से कम ऐसा अधिकार मिलना चाहिए ताकि कोई पाइप टूट जाए तो तुरन्त ऐसी वह राशि स्वीकृत कर सकें। उन गांवों में पीने का पानी, माननीय सभापति महोदय, आपको ध्यान है, पीने का पानी सबसे जरूरी है। यदि एक दिन भी पीने का पानी नहीं मिले तो कितनी तकलीफ होती है इन्सान को। इसलिए मैं चाहूंगा आपके माध्यम से मंत्री महोदयाजी से कि उनको जिले में एक सक्षम स्वीकृति दें ताकि वह तुरन्त काम हो सके।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, आज सिंचाई की मैं बात करूं, सिंचाई मंत्रीजी, आज दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि अंग्रेजों के समय में जो तालाब और मोरियां बनी थीं, आजादी के बाद कई ऐसे तालाब और मोरियां हैं, चाहे सरकार किसी की रही हो, आज उनकी कोई सुध-बुध नहीं ले रहा है। माननीय सभापति महोदय, वर्षा तो पहले भी कम होती थी, बुजुर्ग कहते हैं कि इतना अकाल पड़ता था, भयंकर, कि पेड़ों की छाल तक इन्सान खाने पर मजबूर हो जाता था। वर्षा पहले भी कम होती थी लेकिन पहले जो वर्षा होती थी, वह अपने गन्तव्य जगह पर, जहां बहाव होता था, वहां पानी चला जाता था। दूसरा, नदियों के अन्दर बजरी की परत होती थी, वह स्टोरेज का काम करती थी, उससे कुओं में जल स्तर बढ़ता था।

(श्री भागीरथ चौधरी)

लेकिन दुर्भाग्य से इन्सान ने इतना दोहन किया इस प्रकृति का और उसका परिणाम है कि आज किसान बरबाद हो रहा है, गांव बरबाद हो रहे हैं और हर इन्सान दु:खी हो गया है। आज हालत यह है कि आज गांव में तालाब और मोरियां हैं, देश आजाद होने के बाद कई मोरियां ऐसी हैं जिनकी आज तक किसी ने कोई सुध-बुध नहीं ली है और उन मोरियों से तालाब में पानी जाता नहीं है। इससे न तो उन कुओं में पानी का जल स्तर बढ़ता है और न ही पानी की समस्या से निजात मिलती है।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा मेरा सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन है कि दुर्भाग्य से, पता नहीं, कब एक नियम बना दिया कि जितनी भी मोरियां हैं तालाब की, वे पंचायती राज को दे दीं। अब पंचायती राज के पास पैसा नहीं है, इसलिए उन तालाब और मोरियों का कोई रखरखाव नहीं है। आज इर्रिगेशन में जो भी तालाब हैं, उनकी तो फिर भी थोड़ी-बहुत-सुध-बुध हो रही है, उनका रखरखाव हो रहा है और बाकी जो पंचायती राज को जितने भी तालाब दिये हैं, उनमें एक में भी एक रुपये का काम नहीं होता है। इस वजह से आज पूरे तालाब खाली पड़े हैं। जो उनके पानी की आवक है, जिनको मोरियां बोलते हैं, नहर, वे सारी की सारी बन्द पड़ी हैं। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, मैं सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जितने भी तालाब और मोरियां हैं, वे सिंचाई विभाग में आनी चाहिए ताकि उसमें फंड देकर उनका रखरखाव हो सके, नहीं तो आने वाले समय में बड़ी विकट समस्या होने वाली है।

मैंने कहा कि पानी और वर्षा तो पहले भी कम थी, परन्तु पानी जहां जाना था, तालाब में, वहां जाता था। अब तालाब में पानी जाने की ही स्थिति नहीं है। हर मोरी पर अतिक्रमण हो गया है। इस वजह से आज भयावह स्थिति बनी हुई है।

माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र का दो मिनट में कहना चाहूंगा।

श्री सभापति: एक मिनट में समाप्त करें।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में तालाबों में पानी के आवक की जो मोरियां हैं, उनको खुलवाने की सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वह जरूर करें। मेरे

(श्री भागीरथ चौधरी)

किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में काचरिया गांव के तालाब में नहर बनाने की आप कृपा करावें। मेरे विधान सभा क्षेत्र में डींडवाड़ा गांव में मदन सागर और जय सागर तालाब की नहरों का पक्का निर्माण कराएं ताकि किसानों को सिंचाई की व्यवस्था हो सके। आज किसान को कुछ नहीं चाहिए। माननीय सभापति महोदय, सिर्फ उसके खेत को पानी मिल जाए तो फिर किसी की जरूरत नहीं है। अनुदान, अनुदान की भी जरूरत नहीं है। हर खेत को पानी मिल जाए तो हर गांव में खुशहाली आ जाए, हर आदमी को रोजगार मिल जाए।

माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि मेरे काचरिया गांव में तालाब है और वहां भी मोरियों की कोई सुध-बुध नहीं ली गई। मैं जलदाय मंत्रीजी और सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आज सबसे ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता है। वर्षा कम होती है, इसलिए उन मोरियों की जरूर सुध लें, वरना गांवों में कहने लगे हैं बुजुर्ग कि देश के आजाद होने के बाद इन तालाबों और मोरियों की ओर सरकार बिलकुल ध्यान ही नहीं दे रही है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से यही निवेदन है कि आप जरूर सिंचाई की जो व्यवस्था है किसान की, उस पर ध्यान देंगे।

आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: डा. मंजू बाघमार।

डा. मंजू बाघमार (जायल): माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने मुझे मांग संख्या 27- पेयजल पर बोलने का मौका दिया।

मैं अपने विधान सभा क्षेत्र जायल की पेयजल की गम्भीर समस्या की ओर माननीय मंत्री महोदया का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। मेरे विधान सभा क्षेत्र जायल के अन्दर मातासुख कसनाऊ क्षेत्र है, वहां लिग्नाइट खनन के दौरान बड़ी मात्रा में जो खारा पानी निकल रहा है, उसको जायल क्षेत्र में उपयोग में लेने के लिए एक योजना बनायी गयी थी। उस योजना के तहत पानी साफ करके 120 गांवों के अन्दर वितरण किया जाना था। उस योजना के तहत आर एस एम एम लिमिटेड द्वारा 20 एम एल डी क्षमता का एक आर ओ

(डा. मंजू बाघमार)

प्लांट लगातार 13 एम एल डी साफ पानी पी एच ई डी को उपलब्ध कराया जाना था ताकि जायल क्षेत्र के 120 गांवों को पेयजल उपलब्ध कराया जा सके।

सभापति महोदय, वर्तमान में इस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगी कि जायल क्षेत्र में मातासुख परियोजना जो चल रही है, जिसके ऊपर उस समय 124 करोड़ रुपये खर्च का प्रावधान किया गया था और वर्तमान में उसके ऊपर 137 करोड़ रुपया खर्च किया जा चुका है, लेकिन अभी भी वहां पर जो 13 एम एल डी पानी लोगों की आवश्यकता है, वह पानी वहां पर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। पिछले एक साल में यह स्थिति है कि वहां मात्र तीन या चार एम एल डी पानी उपलब्ध हो पा रहा है। वह पानी बिलकुल प्यूरिफाई नहीं हो पा रहा है। वहां की समस्या यह है कि वहां के लोगों के स्वास्थ्य पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। यहां तक कि लोगों में खाज और खुजली की समस्या हो रही है। पशुओं के पीने लायक भी वह पानी नहीं है और उससे पशुओं के अन्दर भी बांझपन की समस्या उत्पन्न हो गई है।

मैं मंत्री महोदया का ध्यान भी आकर्षित करना चाहूंगी कि इस योजना के तहत सरकार द्वारा पानी की जो कास्ट दी जा रही है, वह 42.41 रुपये प्रति किलोलीटर के हिसाब से पानी की कास्ट दी जा रही है। पानी बहुत ही महंगा दिया जा रहा है और उससे सरकार को बहुत ही वित्तीय नुकसान हो रहा है।

मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगी कि जायल के 120 गांव जो मातासुख परियोजना से पेयजल प्राप्त कर रहे हैं, उनको नागौर लिफ्ट योजना के अन्दर द्वितीय चरण से जोड़ा जाना प्रस्तावित है, जो वर्ष 2017 तक पूर्ण होगा। सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से निवेदन है कि नागौर हैडवर्क्स के ऊपर इंदिरा गांधी नहर का पानी 74 एम एल डी वहां पर एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। उसमें नागौर-गोगालाव से लेकर फड़रोद तक, 35 किलोमीटर तक, अस्थायी पाइपलाइन जुड़वा दी जाती है तो कुछ करोड़ रुपये का ही खर्चा होगा, जबकि सरकार द्वारा आर एस एम एम लिमिटेड को 2-3 करोड़ रुपये प्रति महीने उस पानी के लिए पैसा दिया जा रहा है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा यह निवेदन है कि अस्थायी रूप से वह पाइपलाइन जुड़वा दी जाय तो निश्चित रूप से वहां के 120 गांवों को पानी उपलब्ध हो जाएगा। गर्मियों के अन्दर तो स्थिति तो यह हो जाती है कि वहां पर बिलकुल ही पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है और लोग 500-700 रुपये देकर

(डा. मंजू बाघमार)

टैंकर से पानी उपलब्ध करवाते हैं। गरीब जनता के लिए इतना पैसा देना बिलकुल सम्भव नहीं है।

इसके अलावा, मैं माननीय मंत्री महोदया से यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि मई व जून के अन्दर हम नये ट्यूबवेल और हैण्डपम्प खुदवाते हैं और ट्रांसपोर्टेशन से भी, टैंकर से पानी उपलब्ध करवाते हैं। तो उसका जो खर्चा आता है, उस खर्चे से यदि फड़रोद से लेकर गोगालाव तक अस्थायी पाइपलाइन जुड़वा दी जाय तो 2-3 करोड़ रुपये का खर्च होगा तथा सरकार को वित्तीय नुकसान से भी बचाया जा सकता है।

बार-बार माननीय मुख्य मंत्री महोदया को भी इस समस्या से अवगत कराया गया है, माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने भी इस समस्या को बहुत गम्भीरता से लेते हुए इसके ऊपर तुरन्त कार्यवाही की है, लेकिन बार-बार अखबारों में भी यही आता है कि जायल क्षेत्र के 120 गांवों को पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, केवल तीन या चार एम एल डी पानी उपलब्ध हो पा रहा है। वहां पेयजल की भयंकर समस्या है।

आर एस एम एम लिमिटेड है, उसने डोशियन कम्पनी को आर ओ प्लांट लगाने व ट्रीटमेंट करने का कांट्रेक्ट दे रखा है। वह कम्पनी ट्रीटमेंट करके पी एच ई डी को उपलब्ध कराती है। अब जो थ्री पार्टी का कांट्रेक्ट हो रहा है, उसके अन्तर्गत यह हो रहा है कि जायल क्षेत्र को बिलकुल भी पानी नहीं मिल रहा है। जायल क्षेत्र की जनता पेयजल के अभाव में प्यासी बैठी हुई है। जबकि आर ओ प्लांट में कभी बिजली की कमी हो जाती है, कभी रसायन की कमी हो जाती है, कभी वहां पर किसी और चीज की कमी हो जाती है। आधे से ज्यादा समय तक वह प्लांट बंद रहता है। क्या जायल क्षेत्र की जनता को प्यासे ही मरने दिया जाय, या उसके लिए माननीय मंत्री महोदया कोई ऐसा कार्य करेंगी जिससे कि दो-तीन करोड़ के अन्दर वहां कोई इमरजेंसी पाइपलाइन जुड़वा दी जाय? तो निश्चित रूप से इस समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से यही निवेदन करना चाहूंगी कि जायल क्षेत्र में 120 गांवों के अन्दर, वहां पर पूरा स्ट्रक्चर बन चुका है, 108 टंकियां बन चुकी हैं, पाइपलाइन बिछ चुकी है, वहां पर केवल पाइपलाइन को अस्थायी रूप से जोड़ा जाना है। यदि उस पाइपलाइन की साइज इस प्रकार की हो, जो नागौर लिफ्ट योजना के

(डा. मंजू बाघमार)

अन्दर द्वितीय चरण योजना का प्रस्तावित किया जाना है, जिसके टेण्डर हो चुके हैं, उसी साइज के पाइप यदि वहां जोड़ दिये जायं, चूंकि अधिकारियों द्वारा यह कहा जाता है कि नागौर हैडवर्क्स पर इतना पानी नहीं है, मेड़ता के अन्दर वह पानी पिलाया जाना है, जबकि मेड़ता को तो उस पानी को पिलाने में एक साल लगेगा। क्यों नहीं जायल के अन्दर भी इस तरह की व्यवस्था कर दी जाय? ताकि जितनी उस पानी की कास्ट उस कम्पनी को देनी पड़ रही है, उस एवज में तो पाइपलाइन जुड़ जाएगी और जायल क्षेत्र के 120 गांवों के अन्दर, चूंकि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिछ चुका है, वहां पेयजल की समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा।

इसके अलावा, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया से यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि मेरे क्षेत्र के अन्दर दो परियोजनाएं और हैं, मीठा मांजरा और लालगढ़ परियोजना, वहां पर कुछ गांवों को उन योजनाओं के द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन वहां पर 5-5 ट्यूबवेलों में से 3-3 ट्यूबवेल तो खराब पड़े हैं और पानी का जलस्तर बहुत नीचे जा चुका है, जिससे उन गांवों के अन्दर पेयजल की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो चुकी है और वे कई बार धरना व प्रदर्शन कर चुके हैं। माननीय मंत्री महोदया से मैं यही निवेदन करना चाहूंगी कि जो ट्यूबवैल खराब पड़े हैं, वहां पर नये दो-दो ट्यूबवेल की स्वीकृति प्रदान की जाय।

जायल क्षेत्र के लोगों को, जो पेयजल की गम्भीर समस्या है, उससे मुक्ति दिलाने के लिए नागौर से फरड़ोद तक एक अस्थायी पाइपलाइन, इमरजेंसी पाइपलाइन जुड़वा दी जाएगी तो निश्चित रूप से उस समस्या का समाधान होगा और जायल क्षेत्र के 120 गांव माननीय मुख्य मंत्री महोदया और माननीय मंत्री महोदया का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करेंगे।

सभापति महोदय, आपको धन्यवाद कि आपने मुझे इस समस्या पर बोलने का मौका दिया।

श्री सभापति: थैंक यू। श्री बृजेन्द्र ओला।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): सभापति महोदय, आज मांग संख्या 27-पेयजल और मांग संख्या 46-सिंचाई, इंदिरा गांधी नहर सहित, पर चर्चा हो रही है। उन पर मैं आपकी अनुमति से अपने विचार प्रकट करूंगा।

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

सभापति महोदय, 1994 में राजस्थान और जो अन्य हिस्सेदार स्टेट थे, उनके मध्य यमुना जल के हिस्से पर एक समझौता हुआ और उसके तहत राजस्थान को जो पानी का एलोकेशन हुआ, उसमें भरतपुर, झुंझुनूं व चूरू को वह पानी दिया जाना था। लगभग 20 साल का समय गुजर गया है, हमको पानी अलाट हो गया, केन्द्रीय जल आयोग ने उसकी मंजूरी दे दी, अपर यमुना बोर्ड ने उसकी मंजूरी दे दी, हमने स्कीम बनाकर भारत सरकार को 2002 में पेश कर दी और जिसके लिए 900 करोड़ रुपये के लिए भारत सरकार ने सहमति कर दी, अब तो बहुत प्राइस एस्कलेशन हो गया, अब कास्ट बहुत बढ़ जाएगी। चूरू से आने वाले माननीय संसदीय कार्य मंत्री जब इधर विराजते थे तो जब भी इस विभाग की डिमाण्ड आती थी, उस पर बड़े जोर-शोर से बोलते थे। अब राजस्थान में भी बी जे पी की सरकार है, हरियाणा में भी बी जे पी की सरकार है, दिल्ली में भी अकेले बहुमत से बी जे पी की सरकार है। उस समय वे हम लोगों पर आरोप लगाते थे कि आप लोग यह पानी नहीं लाते हैं। मेरे स्वर्गीय पिताजी, जो इस सदन के सदस्य भी होते थे, लोक सभा के भी सदस्य होते थे, उनके नाम का भी उद्धरण करते थे। मैं आज उनसे चाहूंगा कि वे अपने प्रभाव का उपयोग करें। क्योंकि हमारे यहां कहा जाता है कि इनकी तो पांचों अंगुलियां घी में हैं। उनकी तो अंगुलियां ही नहीं, उनका तो सिर भी घी में है। इसलिए वे अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके, यमुना का पानी झुंझुनूं, चूरू व भरतपुर के लिए लाने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें। इस यमुना के पानी का हमारे लिए बहुत महत्व है।

झुंझुनूं जिले में 8 ब्लाक हैं जिनमें से 7 ब्लाक अति-दोहन की स्थिति में पहुंच गये हैं। एक ब्लाक में पानी की क्वालिटी खराब है, वह खारा पानी है अलसीसर में। 7 ब्लाक में से 4 ब्लाक की स्थिति ऐसी हो गयी है कि वहां ट्यूबवेल हर साल सूख जाते हैं। हर साल नया खुदवाते हैं, छह महीने बाद सूख जाते हैं। इस स्थिति में हम रह रहे हैं। हम हरियाणा की सीमा पर बसते हैं। एक तरफ हरियाणा के खेत में पानी लगता है, दूसरी तरफ 5 मीटर दूर राजस्थान के किसान के खेत में पानी नहीं है। उनमें हीन भावना घर कर रही है कि हरियाणा की सरकार तो अपने किसानों को सिंचाई के लिए पानी दे रही है और राजस्थान की सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है।

सभापति महोदय, यही नहीं, जो व्यक्ति किसी की किसी चीज का उपयोग करता है तो वह आसानी से उसको नहीं छोड़ता है। हरियाणा हमारे इस

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

पानी का उपयोग कर रहा है, तो वह क्यों छोड़ेगा? हम उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं कर रहे हैं।

वर्तमान सरकार से पहले जब बी.जे.पी. की सरकार थी तो 2003 के राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में और 2004 के राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह बात उनसे कहलवायी थी कि हम यमुना का पानी लायेंगे; सुराज संकल्प यात्रा में भी सदन की नेता जब झुन्झुनूं जिले में पधारी थीं तो यह घोषणा करके आई थीं कि हम यमुना जल को राजस्थान के झुन्झुनूं, चूरू और भरतपुर में लायेंगे, पर सरकार को बने हुए 14 महीने हो गये और कोई प्रयत्न नहीं किया गया है। 2010 के बाद तो न तो सेक्रेटरी लेवल की मीटिंग हुई है, न चीफ इंजीनियर लेवल की मीटिंग हुई है, न कोई मंत्री स्तर की मीटिंग हुई है और न कोई मुख्य मंत्री स्तर की मीटिंग हुई है। हमारे पास बहुत सारे एवेन्यू हैं, 25 के 25 सांसद लोक सभा में हैं, आप उनसे यह मुद्दा उठवायें। उत्तरी क्षेत्र में हमारे सिंचाई मंत्री और मुख्य मंत्री भी उसके मेम्बर होते हैं, वहां पर हमको मौका मिलता है तो उसमें उठायें। हरियाणा के मुख्य मंत्री को लिखें, भारत के सिंचाई मंत्री को लिखें और अब तो सिंचाई मंत्रालय में हमारे यहां के भी मंत्री हैं, तो उनके प्रभाव का भी उपयोग करें। मेरा सरकार से यह निवेदन है कि कृपा करके इसको राजनैतिक दृष्टि से नहीं देखें, झुन्झुनूं, चूरू और भरतपुर की बहुत बड़ी जनसंख्या है जो पलायन की स्थिति में आ जाएगी, अगर यह पानी नहीं आएगा, तो।

सभापति महोदय, इसी प्रकार से, इंदिरा गांधी नहर जो हमारे लिए जीवनदायिनी है, वह पंजाब में हरिके बैराज से निकलकर राजस्थान के मोहनगढ़ तक जाती है। उसका मुख्य फीडर है वह 204 किलोमीटर लम्बा है, जिसमें से 34 किलोमीटर राजस्थान में पड़ता है और बाकी का पंजाब और हरियाणा में पड़ता है। उस नहर के लिए पूर्ववर्ती सरकार ने भारत सरकार से उसकी मरम्मत के लिए ए.आई.बी.पी. में बजट सैंक्शन करवाया था, विशेष रूप से उस पोर्शन के लिए जो पंजाब में से गुजरता है। उसके लिए हमने टेण्डर करवा दिये थे; उसकी बंदी के लिए भी जन-प्रतिनिधियों की बैठक बुलाकर, उनमें से एक जो नोहर से सदस्य आते हैं वे विराजे हुए होंगे, उन्होंने सहमति दे दी थी; बंदी का कार्यक्रम भी तय हो गया था, पर चूंकि पंजाब में उस समय चुनाव होने थे, अकाली दल की सरकार थी, इसलिए उन्होंने उस काम को आगे नहीं बढ़ाया। अब पंजाब और राजस्थान, दोनों जगह मित्र दलों की सरकार है, तो

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

उनको उस परियोजना की मरम्मत करवानी चाहिए। वह नहर इतनी खतरनाक स्थिति में है, मैंने स्वयं ने भी दौरा करके देखा था, वह टूट जाएगी तो, वैसे ही पंजाब हमको हमारे समझौते के अनुसार जितना पानी है वह नहीं देता है, उसमें सीधे पाइप डालकर चोरी कर लेते हैं, हरियाणा में भी कर लेते हैं,, अगर वह टूट जाएगी तो उनको तो बहाना मिल जाएगा और पता नहीं, कब वे उसकी दुबारा मरम्मत करवायें। जिस नहर पर हमारी सेना निर्भर है, सेना को हम पानी देते हैं, उद्योगों को पानी देते हैं, बहुत सारी पेयजल योजनाएं उस नहर से जुडी हुई हैं और उस पर जितनी लागत आई है उससे कई गुना अधिक एक साल में वहां से पैदावार हो जाती है, मैं नहीं समझता कि 14 महीने में सरकार ने उस तरफ कोई कदम उठाया हो। हो सकता है कि भारत सरकार ने जो राशि हमको दी है, वह ही लेप्स हो जाए।

दूसरी बात मैं उस नहर के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि सदन की माननीया नेता ने 14 जनवरी को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस का जवाब देते हुए कहा, सिल्ट आ गयी है, तो यह कहा कि ''पेट्रोल और डीजल के अभाव में हमने इनको चलाया ही नहीं और इतने महंगे उपकरण वैसे ही आपने रख दिये बिकाज आपके पास डीजल और पेट्रोल नहीं था। क्या हालत थी उस सरकार की।''

सभापति महोदय, इस पर मैंने इसी विधान सभा में एक प्रश्न लगाया, उस प्रश्न की संख्या थी 1836 और अतारांकित प्रश्न था जो 17 जुलाई, 2014 की सूची में 76 नम्बर पर था। इसमें मैंने पूछा था कि ''क्या इंदिरा गांधी नहर परियोजना में नहरों की सफाई के लिए मशीनें खरीदी गई हैं?'' यदि हां, तो कितनी मशीनें और कब-कब खरीदी गई हैं?'' उत्तर दिया गया कि ''जी हां। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में नहरों की सफाई व अन्य कार्यों हेतु 58 मशीनें वर्ष 1990, 1997, 1998, 1999 और 2007 में खरीदी गई थीं, जिनका विवरण तालिका-'अ' पर संलग्न है।'' दूसरे में मैंने पूछा था कि ''गत पांच वर्षों में उक्त मशीनों के पश्चात् किस-किस वर्ष में कितनी दूरी में नहरों की सफाई की गई?'' इसके उत्तर में भी बताया गया कि ''तालिका-'ब' पर संलग्न है।'' तीसरे में मैंने पूछा था कि ''उक्त अवधि में मशीनों के रखरखाव एवं पी.ओ.एल. पर किस-किस वर्ष में कितनी राशि का व्यय किया गया?'' उसके उत्तर में बताया कि ''उपरोक्त अवधि में रखरखाव एवं पी.ओ.एल. पर वित्तीय वर्षवार किये गये व्यय का विवरण तालिका-स पर संलग्न है।'' सभापति महोदय, अब मैं तालिका-

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

स पढ़ देता हूं। इसमें लिखा है, ''कि गत 5 वर्षों में मशीनों द्वारा नहरों की सफाई का विवरण- 2009-10 में 697.46 किलोमीटर, 2010-11 में 624.30 किलोमीटर, 2011-12 में 594.90 किलोमीटर, 2012-13 में 403.17 किलोमीटर और 2013-14 में 551.85 किलोमीटर और इन पर जो पी.ओ.एल. का खर्चा हुआ, वह 2009-10 में 950.11, 2010-11 में 1057.75, 2011-12 में 896.74, 2012-13 में 719.11, 2013-14 में 1081.73 किया।''

सभापति महोदय, अब प्रश्न यह आता है कि एक तरफ तो सदन की नेता से यह कहलवा दिया कि पांच साल में एक किलोमीटर ही सफाई नहीं हुई, एक लीटर पेट्रोल इनके लिए उपलब्ध नहीं कराया और दूसरी तरफ मुझे इस प्रश्न का यह उत्तर दिया है। इसलिए या तो सदन की नेता से गलतबयानी करवाई गई है या मुझे यह गलत सूचना दी गई है। सभापति महोदय, मैंने यह इसलिए पूछा कि मैं इस विभाग से जुड़ा हुआ था और मुझे यह जानकारी थी कि हर साल सफाई हुई है और पी.ओ.एल. पर खर्चा किया गया है, पर माननीया सदन की नेता से यह कहलवा दिया गया कि पिछली सरकार बिलकुल नाकारा थी, न तो मशीनों का उपयोग किया, न एक किलोमीटर सफाई हुई और न पी.ओ.एल. के लिए कोई बजट दिया। तो इस तरह से गलतबयानी जिन अधिकारियों ने करवाई है, उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करे, यह तो सरकार की बात है।

सभापति महोदय, यही नहीं, इंदिरा गांधी नहर से सिंचाई के लिए पिछले बजट में माननीया सदन की नेता से घोषणा करवाई कि हम 6,740 हेक्टेयर में इंदिरा गांधी नहर का नया एरिया खोलेंगे और उसके विपरीत सिर्फ 1,671 हेक्टेयर में ही नया एरिया खोला गया। इस बार भी इसको बढ़ाकर घोषणा की गई है। तो जब पिछली साल की घोषणा ही नये एरिया को खोलने की पूरी नहीं हुई तो अब इसमें आप क्या कर सकते हैं? यह संदिग्ध बात है कि इस साल आप उसको पूरा कर पायेंगे।

यही नहीं, पूर्ववर्ती सरकार ने सभी नहरों में, इंदिरा गांधी नहर से जो बड़ी वितरिकाएं निकलती थीं, उनमें स्कोडा प्रणाली लगाई थी, जिससे यह पता लगे कि शुरू में कितना पानी उससे छोड़ा गया है और टेल पर कितना पानी छोड़ा गया है। उसको हम छोटे से छोटे लेवल पर ले जाना चाहते थे। बजट में घोषणा की गई है कि हम 15 वितरिकाओं पर और वह लगायेंगे, तो मुझे तो संदेह है कि जब इनका क्षेत्र खोलने का ही टार्गेट पूरा नहीं हुआ है तो उसको कहां से करेंगे।

श्री सभापति: ओलाजी, समाप्त करें। दो मिनट में समाप्त करें।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): सभापति महोदय, दो मिनट पेयजल पर और लूंगा। दो मिनट में कर दूंगा।

सभापति महोदय, आजादी के बाद भी हम जो हमारे हैबिटेशन और गांव हैं, उन सबको अच्छी गुणवत्ता का पेयजल देने का लक्ष्य अभी तक हासिल नहीं कर पाये हैं। बहुत सारे गांव और ढाणियां, जिनको हमने जोड़ दिया है, वे भी या तो नाइट्रेट मिला हुआ पानी पीते हैं, या फ्लोराइडयुक्त पानी पीते हैं।

आपने इस बजट में घोषणा की है कि हम 55 जो वृहद् पेयजल योजनाएं हैं, उनमें से 12 को इस साल पूरा करेंगे। तो इस साल इस हिसाब से तो ये जो 55 बड़ी पेयजल योजनाएं हैं, इनको आप अपने इस कार्यकाल में पूरा नहीं कर पायेंगे। पिछले साल जो आपने घोषणा की थी, उसको ही आप पूरा नहीं कर पाये।

कुम्भाराम लिफ्ट योजना से झुंझुनूं जिले के लिए पूर्ववर्ती सरकार ने पानी देने की घोषणा की थी और न केवल घोषणा की, बल्कि उसके लिए बजट भी आबंटित किया था 956 करोड़ रुपये का और वह पूरी योजना तीन साल में पूरी होनी थी लगभग 3,500 करोड़ रुपयों से। आपने उसके लिए इस बजट में एक नया पैसा दिया नहीं है। अलबत्ता जो हमने पहले बजट दिया था, उसको भी, पता नहीं, कहां डाइवर्ट कर दिया। उसके काम अधूरे पड़े हैं। कहीं टंकी बन गई तो उसके खम्भे खड़े हैं; कहीं पाइपलाइन डल रही है तो वह भी अधूरी पड़ी है। पानी देने की कहीं कोई उसमें है नहीं। तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि झुंझुनूं, जहां पेयजल की बहुत ज्यादा समस्या है और पानी की गुणवत्ता की समस्या है, आप इस नहर को अतिशीघ्र पूरा करें; इसका जो पीरियड था, उसके अन्दर इसको पूरा करें और इसके लिए आप बजट का एलोकेशन करें।

यही नहीं, हमने जो ट्यूबवैल खुदवाये थे, उनमें से आज तक कई ट्यूबवेलों के विद्युत कनेक्शन नहीं हुए हैं। उनके विद्युत कनेक्शन करवायें। आपने पिछले बजट में घोषणा की थी कि हम जनता जल योजनाओं का रखरखाव पंचायतों को समुचित बजट देकर करवायेंगे। उसके लिए आपने अभी तक तो कुछ नहीं दिया, अलबत्ता उन बहुत सारी जनता जल योजनाओं के कनेक्शन कट गये हैं जिनको आपने पंचायतों को सौंप दिया।

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

यही नहीं, सिंगल फेज ट्यूबवैल, जिनका बिल पी एच ई डी नहीं देती है, उसमें भी सरकार का धन लग गया, उपयोग में नहीं आ रहे हैं। क्योंकि झुंझुनूं जिले में हैण्डपम्प तो काम करेंगे नहीं, भू-जल स्तर बहुत नीचे चला गया है, तो आप कृपा करके उनका भी बिल पी एच ई डी से दिलाने की व्यवस्था करायें। आपने नया ट्यूबवैल तो एक खुदवाया नहीं और हैण्डपम्पों के लिए भी, खैर, हमारे जिले में तो उसका कोई उपयोग है ही नहीं, फिर भी हमारी तरफ के कई माननीय सदस्यों ने कहा कि आपने सिर्फ बी जे पी के विधायकों से प्रस्ताव लिये हैं ट्यूबवैल और हैण्डपम्पों के लिए, जबकि पूर्ववर्ती सरकार के समय में इस तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। सबसे प्रस्ताव लिये जाते थे। मेरा आपसे आग्रह है कि आप पेयजल के लिए कोई राजनैतिक भेदभाव नहीं करें। पानी तो सबको चाहिये, चाहे वहां से कांग्रेस का सदस्य जीतकर आया, चाहे ब स पा का जीतकर आया, चाहे निर्दलीय जीतकर आया, चाहे बी जे पी का जीतकर आया। इसलिए आप इस तरह की बातों में भेदभाव नहीं करके और राजस्थान को एक दृष्टि से देखते हुए पेयजल की व्यवस्था करें, गुणवत्ता का पानी दें।

बहुत सारा काम पी एच ई डी में अभी किया जाना शेष है। आपके प्रधान मंत्रीजी तो कह रहे हैं कि हम 2022 तक पूरे देश में पाइप्ड जल हर घर तक पहुंचायेंगे और अपन राजस्थान में किस स्थिति में हैं? बजट का जो एलोकेशन किया गया है पी एच ई डी को, वह लगभग उतना ही है जितना पिछले साल किया था और प्राइस एस्कलेशन कितना हो गया, वह आपसे छिपा हुआ नहीं है। तो जब तक आप इस विभाग का एलोकेशन नहीं बढ़ायेंगे, यह आपकी योजनाएं समय पर पूरी नहीं होंगी और जनता को इनका लाभ नहीं मिल सकेगा। आपने मुझे समय दिया, सभापति जी, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। कृपया स्थान ग्रहण करें, ओलाजी।

श्रीमती अलका सिंह।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 27, 38 एवं 46 पर बोलने का आपने मौका दिया, उसके लिए आपकी आभारी हूं।

सभापति महोदय, पानी हमारे राजस्थान के लिए बहुत बड़ी प्रोब्लम है क्योंकि पानी की कमी हमारे राजस्थान में बहुत ज्यादा है। सरफेस वाटर 1.16

(श्रीमती अलका सिंह)

प्रतिशत है और ग्राउण्ड वाटर 1.10 प्रतिशत है पूरे भारत का। हमारे यहां पीने के पानी की एक्यूट प्रोब्लम है। हमारा भू-जल स्तर प्रति वर्ष दो से तीन मीटर नीचे चला जाता है और राज्य की 66 per cent land is classified as arid or semi-arid zone.

(14:54 बजे)

(श्री ज्ञानचन्द पारख, सभापति, पदासीन)

हमारे देश में 142 डेजर्ट ब्लाक्स हैं, उनमें से, बड़े दु:ख का विषय है, हमारे राजस्थान में 85 डेजर्ट ब्लाक्स हैं। राजस्थान में जो डार्क जोन्स हैं, उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा है, 172 डार्क जोन्स हमारे राजस्थान में हैं। टोटल अवेलेबल सरफेस वाटर 21.71 बिलियन क्यूबिक मीटर है और हमारे यहां डिमांड एंड सप्लाई का जो आंकड़ा है, वह 8.0 प्रतिशत बी सी एम का अंतर है दोनों में।

सभापति महोदय, हमारे यहां तो दोहरी मार पड़ती है, क्योंकि बिजली की भी हमारे यहां समस्या है और भू-जल का स्तर नीचे जाने की वजह से बिजली पम्पों से, मोटर से पानी खींचा जाता है और उसकी वजह से बिजली का भार भी 62 प्रतिशत ज्यादा बढ़ गया है।

जनसंख्या के हिसाब से देखें तो 121.133 हैबिटेट में से 51.283 को पार्शली और 69.850 को टोटली पानी सप्लाई हो पाता है।

ये सब आंकड़े मैं इसलिए बता रही हूं कि पानी की जो एक्यूट प्रोब्लम है हमारे यहां, वह अभी से नहीं है, वह काफी वर्षों से है लेकिन बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं लाइब्रेरी में देख रही थी, 2010 में जब पूर्ववर्ती सरकार थी तो पानी के बारे में डिस्कस ही नहीं किया गया था, डिमांड पर डिस्कस ही नहीं किया गया था। मतलब, सीरियसनेस उस गवर्नमेंट की कुछ भी नहीं थी।

पानी आज इसेंशल कमोडिटी है और संविधान में भी हमारे आर्टिकल 21 में कहा गया है कि पानी हमारा फंडामेंटल राइट है। सरकार का भी यह दायित्व है कि पीने के पानी की उपलब्धता नागरिकों के लिए जरूर सुनिश्चित करायें। हमारे राजस्थान में सबसे बड़ी प्रोब्लम है फ्लोराइड के पानी की लेकिन पूर्ववर्ती सरकार के समय ना तो इस सम्बन्ध में कोई योजना ही बनाई गई और ना ही कोई प्रयास किये गये और इस वजह से जो योजनाएं थीं, उनकी

(श्रीमती अलका सिंह)

भी गति बहुत ज्यादा धीमी थी। यह मैं नहीं कह रही हूं, यह सी ए जी ने 14 अप्रैल, 2012 को जो अपनी रिपोर्ट दी थी, उसमें कहा कि विभाग ने अपना एक्सेस फंड था, वह इसलिए सरेंडर कर दिया कि योजनाओं की गति बहुत ज्यादा धीमी थी और पैसों का उपयोग नहीं हो पा रहा था। सी ए जी ने 31 मार्च, 2013 को एक रिपोर्ट में कहा कि राजस्थान के 19 प्रोजेक्ट्स को रि-फ्रेम किया गया क्योंकि पैसों की उपलब्धता नहीं थी। एक तरफ गति इतनी धीमी थी कि पैसा खर्च नहीं कर पा रहे थे और दूसरी तरफ रि-फ्रेम करना पड़ रहा था योजनाओं को क्योंकि पैसों की कमी थी। यह प्रशासनिक लापरवाही का नमूना है और प्रशासन लापरवाह इसलिए था, क्योंकि सरकार ही लापरवाह थी।

सभापति महोदय, यहां तक, कई केसेज ऐसे थे कि प्लानिंग कर दी गई, डिजाइन बना दी गयी और जमीन की उपलब्धता ही नहीं थी। जबकि कानून कहता है कि जो भी आप कोई प्लान बनायें तो साइट की उपलब्धता सबसे पहले आवश्यक है। इस सम्बन्ध में कई प्रोजेक्ट्स वन क्षेत्र में बना दिये गये, कई प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जो घनी आबादी के क्षेत्रों में बना दिये गये थे। इन सब प्लान्स पर 1,108.12 करोड़ रुपये का खर्च आया।

तो, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से यह निवेदन करना चाहूंगी कि इस सम्बन्ध में जिन भी अधिकारियों/ कर्मचारियों या विभाग के जिन भी लोगों की मिलीभगत से यह काम हुआ है और इतने करोड़ रुपये जो वेस्ट गये हैं, वह उनसे वसूला जाये। इस सारे फंड की व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के लिए की जाये, क्योंकि जनता पानी के बिना त्राहि-त्राहि कर रही है।

सभापति महोदय, जयपुर के बारे में न्यूज अभी मैं अख़बार में पढ़ रही थी कि ट्यूबवैल्स खोद दिये गये और वहां पर फीजिबिलिटी भी नहीं थी। मतलब, सरकारी पैसे का दुरुपयोग इससे बड़ा नहीं हो सकता है। भ्रष्टाचार का आलम यह था कि अगस्त, 2012 में हमारे हाई कोर्ट ने विभाग को निर्देश दिये, इनके बड़े तीन आफिशियल थे, उनकी इन्क्वायरी करवाई जायें और छह महीने में रिपोर्ट हाई कोर्ट में सब्मिट की जाये, क्योंकि सरकार पर भरोसा नहीं था कि सरकार कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी।

सभापति महोदय, राजस्थान के कई जिलों में पी एच ई डी के अधिकारियों की मिलीभगत से पैसों का बहुत दुरुपयोग हुआ। हैण्डपम्प्स खोदे

(श्रीमती अलका सिंह)

गये, लोहे के पाइप की जगह प्लास्टिक के पाइप डाल दिये गये। यह मैं नहीं कह रही हूं, यह पूर्ववर्ती सरकार के समय इनके विधायक माननीय प्रतापसिंह जी खाचरियावास, जो सिविल लाइन्स से विधायक थे, उन्होंने 15 मार्च, 2013 को यहां पर पेयजल की डिमांड पर चर्चा हो रही थी, उस समय दौसा जिले के बारे में कहा था। सभापति महोदय, मैं खुद दौसा जिले के बांदीकुई विधान सभा क्षेत्र से आती हूं और यह बात बिलकुल सही है कि वहां पर पी एच ई डी का सबसे बड़ा घपला हुआ था; हैण्डपम्प खोद दिये गये थे लेकिन उनकी गहराई इतनी कम थी कि एक साल ही उन्होंने पानी दिया और उसके बाद वे शो-पीस हो गये थे। इसके अतिरिक्त, प्लास्टिक के पाइप अन्दर डाल दिये गये।

मैं आपके मार्फत माननीय मंत्री महोदया से यह निवेदन करना चाहूंगी कि इस सम्बन्ध में पूरी जांच की जाये, क्योंकि वहां पर कई जगह ऐसी हैं कि टंकियां हैं, कनेक्शंस नहीं हैं; कनेक्शंस हो गये हैं तो घटिया पाइप हैं। तो यह जो सरकार का सारा पैसा है, वास्तव में यह जनता का पैसा है और उसका दुरुपयोग हो रहा है और कोई भी वास्तविक लाभ, जो सरकार की मंशा है जनता को पानी पिलाने की, पेयजल उपलब्ध कराने की, वह सारा काम नहीं हो पा रहा है। मैं माननीय मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहूंगी कि पैसा अधिकारियों से वसूला जाये।

एक और सुझाव देना चाहूंगी कि कई राज्यों में इस तरह के अधिकारियों की सम्पत्ति भी सीज कर दी जाती है, तो वह कार्रवाई भी की जाये, क्योंकि पानी बिलकुल इसेंशल कमोडिटी है और 'बिन पानी सब सून', यह बहुत पुरानी कहावत है हमारे यहां।

(15:00 बजे)

एक और निवेदन करना चाहूंगी, सभापति महोदय, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत सिंगल फेज कनेक्शन गांवों में लगाये गये थे। ये सिंगल फेज कनेक्शंस में सारे बिजली के कनेक्शंस हो गये। मेरे विधान सभा क्षेत्र में मैंने इन्क्वायरी के लिए भी कहा था, पिछले सदन में भी मैंने इस बात को उठाया था कि जो सिंगल कूप कनेक्शंस हैं, वे लोगों के घरों में लगा दिये गये। कई जगह मैंने देखा कि खेतों में लगे हुए हैं और उनसे सिंचाई हो रही है। यह सारा खेल विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से हुआ है और यह सरकारी पैसे का दुरुपयोग है। पैसे ले-लेकर के कनेक्शंस व्यक्तिगत लाभ के लिए लगा दिये गये।

(श्रीमती अलका सिंह)

इसके अतिरिक्त, इस ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत जो सिंगल कूप कनेक्शंस लगाये गये थे, वे पंचायतों को हैण्ड-ओवर कर दिये गये। इसलिए आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहती हूं कि पंचायतों के पास इस मद के अन्तर्गत बिजली के जो बिल हैं, इनके पुनर्भरण के लिए कोई पैसा नहीं आता है। इन बिलों के पुनर्भरण की व्यवस्था सरकार करे ताकि जो पैसा इन सिंगल फेज कनेक्शंस के लिए लगा दिया गया है, उसका सदुपयोग हो सके।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में फ्लोराइड़ की बहुत बड़ी प्राब्लम है और अभी तक एक भी आर.ओ. प्लांट वहां नहीं लगा है। बड़े खेद का विषय है कि पूर्ववर्ती सरकार में वहां से सामाजिक न्याय मंत्री थे, लेकिन वे समाज के साथ कोई न्याय नहीं कर पाये। एक भी फ्लोराइड़ का आर.ओ. प्लांट वहां नहीं है। तो आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी कि जिन क्षेत्रों में फ्लोराइड़ का पानी है, वहां आर.ओ. प्लांट लगवाने का आप प्रयास करें।

एक सबसे बड़ी समस्या है दौसा जिले के लिए पीने के पानी की। पिछली सरकार में पांच मंत्री थे दौसा जिले से, लेकिन पीने के पानी की पेयजल योजना के लिए कोई भी बड़ा काम उन लोगों ने नहीं किया। धन्यवाद देना चाहूंगी माननीय मुख्य मंत्री महोदया को कि पिछले सत्र में उन्होंने यह घोषणा की थी कि ईसरदा का पानी दौसा को पीने के पानी के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया का साधुवाद करना चाहूंगी और निवेदन करना चाहूंगी हमारी पी एच ई डी मंत्री महोदया से कि मेरे वहां पर एक रेडिया बांध है उसमें मीठा पानी है। अगर वहां से पीने के पानी की व्यवस्था बांदीकुई विधान सभा क्षेत्र के लिए करवा दी जाए तो बहुत कम पैसे में और बहुत जल्दी ही पीने के पानी की उपलब्धता मेरे क्षेत्र के लोगों को हो जाएगी।

अब मैं सिंचाई के बारे में बोलना चाहूंगी। मेरे यहां कोई बांध नहीं है। सभापति महोदय, वहां पर बजरी की वजह से पानी का जो भू-जल स्तर है, वह बहुत नीचे चला गया है। अवैध काफी खनन वहां पर होता है, वह खान विभाग की मांगों के समय मैं निवेदन करूंगी लेकिन वहां पर अभी उपरेडा एक बांध है, उपरेड़ा बांध जब भी यह बारिश का मौसम आता था, हर साल रिसता था।

(श्रीमती अलका सिंह)

पिछले पांच-छह सालों से उसकी यही स्थिति थी। पिछली सरकार के समय कभी दस लाख पास करा दिये जाते थे, कभी पन्द्रह लाख पास करा दिये जाते थे, सिर्फ रिपेयरिंग के नाम पर और अगले साल फिर वह पैसा मांगता था। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी सिंचाई मंत्रीजी को कि अबकी बार वहां 80 लाख का बजट दिया गया है जिससे वह बांध पूरी तरह से रिपेयर हो गया है और वहां के लोगों को अब इससे फायदा मिलेगा।

इसके अतिरिक्त, दो-तीन बांधों के लिए और मैं निवेदन करना चाहूंगी। सावा नदी पर एनिकट का निर्माण करवाया जाए ताकि ग्रामीणों को कृषि हेतु पानी मिल सके, और खूंटला, बड़ियाल और चोरवाड़ा तीन स्थान हैं मेरे यहां, जहां सब-सरफेस बनवाये जाएं।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री मदन राठौड़।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदय, आज मांग संख्या 27, 46 और 38 पर चर्चा करने के लिए आपने मुझे मौका दिया है। मुझे पता है कि आप थोड़े समय का भी पूरा ध्यान रखेंगे, इसलिए मैं थोड़ा तेजी से बोलूंगा।

श्री सभापति: समय का आप ध्यान रखें ताकि मुझे कहने की नौबत ही नहीं आये। मैं आपके समय का पूरा ध्यान रखूंगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपके पीने की पानी की समस्या है क्या, जो तेजी से बोलेंगे?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): क्योंकि जब से मैं बोलना शुरू कर रहा हूं, तब आप घड़ी देख रहे हैं। सभापति महोदय, मैं संक्षेप में जल्दी-जल्दी अपनी बात रखने की पूरी कोशिश करूंगा।

सबसे पहले तो मैं जलदाय विभाग की बात करना चाहूंगा कि जलदाय विभाग अपने पैरों पर कभी भी खड़ा नहीं हुआ होगा, केवल सिंचाई पर निर्भर कर रहा है। यह ठीक बात नहीं है। जब अभी नर्मदा का पानी सिलू पाइंट तक पहुंचाया है सांचौर में, तो मैंने आज मंत्रीजी से बात की थी और मैं उसी विषय पर आना चाहूंगा, तब मंत्रीजी से मैंने कहा कि अपन नर्मदा का पानी सिलू पाइंट से लिफ्ट करके सिन्दुरू तक ला सकते हैं और जो पूरे पाली जिले की पेयजल योजना बनी है, उस पाइप से इसको जोड़कर के पूरे जिले को पानी

(श्री मदन राठौड़)

पिला सकते हैं। जब इस प्रकार की बात कही तो मंत्रीजी ने मुझे एक अधिकारी के पास में भेजा, एक कोई कर्मचारी को साथ में लगा दिया।

मैं मंत्रीजी को यह निवेदन करना चाहूंगा, देखिए, मैं बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन उस अधिकारी ने इतनी लापरवाही से जवाब दिया, यह कतई बरूदाश्त करने लायक नहीं है। आप उस अधिकारी को पाबंद करें कि किसी जन-प्रतिनिधि से किस प्रकार की बात की जानी चाहिए। जब मैंने उनसे गम्भीरता से बात की कि सिलू पाइंट से यह पानी अपन लाना चाहते हैं सिन्दुरू तक और जवाई बांध पर लगातार योजनाएं बनती जा रही हैं। पहले 2,200 एम सी एफटी पानी रिजर्व रखा गया था पेयजल के लिए, बाकी का पानी किसानों को देने के लिए तय हुआ था। उसके बाद में इसको बढ़ा दिया गया और योजनाएं बनती गईं; 3,000 एम सी एफटी रिजर्व कर दिया, अभी 3,500 की योजना बनाई जा रही है, जैतारण तक पाइपलाइन लगाने का काम चालू है, वे स्वीकृतियां हो गई हैं। तो मैंने कहा, फिर किसान और पी एच ई डी के बीच में हमेशा संघर्ष होता रहता है। तो उन्होंने बड़ी लापरवाही से मुझे कहा कि आप यह तय कर लीजिए कि पहले पानी पीना है, या सिंचाई के लिए देना है। कमाल हो गया। मैं जब बात दूसरी कर रहा हूं, मैं यह कह रहा हूं कि अपन सिलू पाइंट से पानी ला सकते हैं ताकि एक परमानेंट व्यवस्था हो जाए, और पूरे जिले को आसानी से पानी मिल सकता है। जब इस प्रकार की बात मैंने उनसे कही तो उनको गम्भीरता से इस विषय पर सोचना चाहिए था। वे कहते कि हां, बैठिये और मैं जो बात बताना चाहता था, उसको समझ लेते और समझने के बाद में, फिर मुझे, अंत में, मंत्रीजी को समझाना पड़ा और मंत्रीजी ने इस बात को माना।

मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगा मंत्रीजी को कि उन्होंने इस बात को माना कि मैं आपके साथ और कुछ और लोगों को भी साथ में लेकर के गुजरात के मुख्य मंत्री से मिलकर के, 0.1 एम ए एफ पानी जो हमको मिल रहा है, इस पानी को हम किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, इसकी बात हम करेंगे और वहां से पानी की मात्रा बढ़ाकर के इस योजना के बारे में भी हम विचार करेंगे। मैं आपको तो धन्यवाद दे रहा हूं लेकिन मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि अधिकारी जब तक कोई फीडबैक ढंग से नहीं देंगे, तब तक आपके पास जादू का डंडा तो है नहीं कि आपको सारी सूचनाएं पर्याप्त तरीके से मिल जाएं और

(श्री मदन राठौड़)

उन योजनाओं पर काम करने लग जाएंगे। इसलिए यह तो मैं आपसे फिर से निवेदन करना चाहूंगा कि थोड़ा उनको भी आप आगाह करें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कृपया मंत्रीजी की क्षमता पर प्रश्न-चिह्न नहीं लगायें।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): देखिए, डोटासरा जी, क्या करना है और क्या नहीं करना है, मैं कोई प्रश्न-चिह्न नहीं लगा रहा हूं। उनकी क्षमता पर कोई प्रश्न-चिह्न नहीं है, वे सक्षम हैं और पानी लाने में भी सक्षम हैं और हमारी व्यवस्था पूरी करवाने में भी सक्षम हैं। इस मामले में आप चिंता नहीं करें और कोई आपको हस्तक्षेप भी इसके लिए करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि बीसलपुर का पानी हम ब्यावर के माध्यम से जैतारण को पिला सकते हैं। यदि इसके बारे में भी विचार कर सकें तो निश्चित रूप से जवाई बांध पर लोड कम होगा। दूसरा, जो फोर्थ फेज है जोधपुर से इंदिरा नहर का, जो पानी आ रहा है, उसको हम रोहट तक ला सकते हैं। यह भी मैं सोचता हूं कि विचाराधीन विषय है, इस पर भी आप विचार कर सकते हैं। यदि यह आपने कर दिया तो निश्चित रूप से हमारे इस क्षेत्र को पानी मिल सकेगा।

इसके अलावा मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ी श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जो चालू की थी, उसके बारे में चिंतन किया था। माननीय जल संसाधन मंत्रीजी, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से नदियों को जोड़ने की योजना बनी थी और वह योजना भी क्रियान्वित हो गई होती तो हमारा जैतारण के पास कुड़की एक टर्निंग पाइंट बनता था जिससे लूणी नदी में भी पानी जाता। इसलिए मैं सोचता हूं कि न केवल पाली जिला, अपितु जोधपुर और लूणी, वे भी लाभान्वित होते और वह योजना निश्चित रूप से अब पूरी करनी चाहिए। जैसे पहले ऐसा बना था कि ब्रह्मपुत्र को गंगा से जोड़ेंगे, गंगा को यमुना से जोड़ेंगे, यमुना को साबरमती से जोड़ने की योजना है। इसी प्रकार से कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये नदियां भी जब जुड़ेंगी तो निश्चित रूप से हिन्दुस्तान की हर इंच जमीन पानी पिएगी और मैं सोचता हूं कि राजस्थान में भी इसका लाभ निश्चित रूप से इस क्षेत्र के किसानों को मिलने लगेगा। इस पर निश्चित रूप से गम्भीर चिंतन करना चाहिए, इसके लिए विचार करना चाहिए।

(श्री मदन राठौड़)

जैसे जिस प्रकार से गुजरात में नदियों को जोड़ने की योजना बनी, मैं पहले 2003 में भी वहां गया था, तब वहां पर बहुत सूखा था, लेकिन जब नरेन्द्र भाई मोदी ने सुजलाम-सुफलाम योजना बनाई और नदियों को वहां पर जोड़ा और साबरमती में भी पानी डाला। इस प्रकार से वहां नहरों का निर्माण किया तो पूरा इलाका सर-सब्ज हो गया। जब गुजरात में सुजलाम-सुफलाम योजना फलीभूत हो सकती है तो राजस्थान में क्यों नहीं हो सकती? इसके बारे में भी विचार करना चाहिए।

अपन गुजरात को 0.5 एम ए एफ पानी माही का दे रहे हैं। मंत्रीजी ने मुझे बताया कि इसलिए पानी वहां जा रहा है कि हम उसकी योजना नहीं बना पा रहे हैं। योजना हम नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए पानी वहां गुजरात में जा रहा है। मैं तो ऐसा सोचता था कि जब गुजरात से हम पानी मांग रहे हैं, 0.5 एम ए एफ वर्षों से, जब से माही बना है, तब से हम गुजरात को दे रहे हैं, तो हम पानी मांग रहे हैं, हमें पानी मिल सकता है। जब वे खुद इस प्रकार की सोच रखने वाले देश के प्रधान मंत्री बन चुके हैं तो मैं सोचता हूं कि हमें कभी भी मना नहीं करेंगे। इस प्रकार की व्यवस्था भी हम कर सकते हैं।

जवाई पुनर्भरण के लिए, मंत्रीजी, मैंने क्वेश्चन के माध्यम से भी निवेदन किया था और मैं फिर से चाहूंगा कि जो साबरमती बेसिन का, मैंने उस समय साढ़े तीन सौ स्क्वायर किलोमीटर बोल दिया था, वह साढ़े तीन हजार स्क्वायर किलोमीटर है, साबरमती बेसिन का, और उसमें से देवास-थर्ड व फोर्थ की तो आपने योजना बनाई है लेकिन वाकल-फोर्थ का जो पानी अपने को मिल रहा है, जो बहकर के गुजरात में जा रहा है, पूरी स्कीम की तैयारी करके आपको जब सुपुर्द कर दी गई है और उससे हम 9,500 एम सी एफटी पानी बचा सकते हैं राजस्थान में और वह हम जवाई बांध में ला सकते हैं। मैं सोचता हूं, आज हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इसकी डी पी आर की घोषणा आज करेंगे। यह मैं आपसे उम्मीद करता हूं।

मंत्री महोदया, बहुत गम्भीर हैं आप और एक खुशी की बात और भी है कि हमारे यहां के पहले जल संसाधन मंत्री जो थे, सांवर लालजी जाट, वे अब केन्द्र में जल संसाधन राज्य मंत्री बन चुके हैं, तो वहां से भी हमको लाभ मिलेगा और उमाजी हैं, वे भी इसमें सहयोग करेंगी। आप भी प्रयास करेंगी, आपका भी बहुत अच्छा सम्पर्क है क्योंकि केन्द्र में आप भी बहुत रही हैं। तो

(श्री मदन राठौड़)

वहां से यदि प्रयास करेंगे तो हमको बहुत लाभ मिल सकेगा। नरेन्द्र भाई मोदी हैं, उनसे भी अपन सब मिलकर बात करेंगे तो वे भी इसमें चाहेंगे कि हमारा सहयोग करें, राजस्थान को पानी पिलायें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): वे तो आपके खास हैं न। आपकी ही तो कास्ट के हैं। आपके तो खास हैं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): हां, मैं बताना चाहूंगा आपको वह बात भी कि वे मेरे सुमेरपुर में आये थे और वहां आकर के, आज की बात नहीं कर रहा हूं, अभी इस चुनाव में भी आये थे, इस चुनाव में भी उन्होंने मंच पर यह घोषणा की थी कि जवाई के पुनर्भरण के लिए किसी प्रकार की कमी नहीं रहने दी जाएगी और जहां से जरूरत पड़ेगी, हम पानी लाएंगे और जवाई बांध को हम भरेंगे। जवाई बांध जब भरेगा तो केवल सुमेरपुर का लाभ नहीं है, केवल पाली जिले का ही लाभ नहीं है, जालोर का लाभ है। मैं आपसे बताना चाहूंगा कि जब से जवाई बांध बना है और जवाई नदी नहीं चल रही है, तो जालोर क्षेत्र के किसान के ऊपर आसमान और नीचे धरती, यह स्थिति बन चुकी है। उनके कुएं सूख चुके हैं और जहां-वहां पहले बाग-बगीचे और खेत-खलिहान बहुत हरे-भरे थे, आज वहां सूखा क्षेत्र बन चुका है। वहां पीने के पानी के लिए लोग दूर-दूर से टंकियों के माध्यम से पानी लाने को मजबूर हो गये। तो मैं सोचता हूं कि यदि इस प्रकार की व्यवस्था हमने कर दी और वह साबरमती का पानी यदि हम रोक करके और जवाई बांध में लेकर के आ गये, तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र को बहुत लाभ मिलने वाला है। जालोर के किसान भी लाभान्वित होंगे और हमारे इलाके के किसान भी आपको आशीर्वाद देंगे। निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ मिलेगा।

पहले भी आपको मालूम होगा, मंत्रीजी अपन ने सेई का जो पानी बह करके गुजरात जा रहा था, उस बांध को ऊंचा उठाया था। तब मैं भी एम एल ए था उस समय और जब मांग हमने की थी, श्रद्धेय मुख्य मंत्रीजी ने वहां राशि स्वीकृत की और उस बांध की दीवार को आठ फीट ऊंचा किया और जो पानी बह कर के गुजरात जा रहा था, जो गुजरात के लिए अभिशाप था, हमारे लिए वरदान साबित हो गया। उस पानी को हम लेकर के आये और वही कारण है कि आज पूरा क्षेत्र पीने के पानी के लिए धन्यवाद दे रहा है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक और निवेदन करना चाहूंगा कि जब यह व्यवस्था बने, जवाई बांध का पुनर्भरण हो जाए, तो आज

(श्री मदन राठौड़)

जो फ्लड इर्रिगेशन हो रहा है कि किसान, देखिये, किसान आखिर किसान है, वह यह सोचता है कि मेरे खेत को यदि अधिक पानी दिया जाएगा तो मेरी फसल अच्छी पकेगी, लेकिन यह बात ठीक नहीं है। यह बात सही है कि ज्यादा पानी देने से कोई फसल अच्छी नहीं पकती है। उसको पर्याप्त पानी मिल जाना चाहिए, यह ठीक रहेगा और इसके लिए, मैं सोचता हूं, फव्वारा पद्धति से यदि अपन डिग्गी बना दें अलग-अलग, आठ-दस, पांच-छह किसानों के बीच में, उनकी डिग्गी बना दें, पाइपलाइन लगा करके और उनकी डिग्गी को हम भरने की योजना बना दें और 12 महीने उस डिग्गी को भरने की व्यवस्था हम कर देंगे, तो मैं सोचता हूं कि अभी जितने क्षेत्र में इर्रिगेशन हो रहा है, उससे इर्रिगेटेड एरिया बढ़ाया जा सकता है और पूरे क्षेत्र को लाभान्वित किया जा सकता है। जो किसान आज वंचित हैं, कई किसानों के खेत में से होकर के नहरें निकल रही हैं, लेकिन वह किसान पानी देख रहा है केवल, उस पानी का उपयोग नहीं कर सकता।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): डिग्गियों का अनुदान तो कम कर दिया है। उसके बारे में भी थोड़ा सोचा जाए।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आपने जो बात कही, मैं इस विषय पर भी आना चाहूंगा।

सिंचाई मंत्रीजी का मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि पिछले तीन-चार वर्षों से सिंचाई नहीं हो रही है लेकिन आबियाना जो वसूली हो रही है, वहां किसी ने वसूली करने की कोशिश नहीं की; अब तीन-चार साल के बाद में जो वसूली की कोशिश कर रहे हैं, उनसे ब्याज वसूलने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं सोचता हूं कि जब किसान हमसे मिल रहा है, वह किसान कह रहा है कि हमसे क्यों वसूला जा रहा है? उस समय ले लेते, हम देने को तैयार थे। अब ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही कर रहे हैं। मैं सोचता हूं कि उनसे ब्याज लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब वह देने को तैयार था, उस समय किसी ने वसूली की नहीं और अब ब्याज लेना, मैं सोचता हूं, उनके साथ में अन्याय होगा। अतिरिक्त भार उन पर पड़ रहा है। एक तो पानी हम दे नहीं रहे हैं, पानी पीने के लिए ले रहे हैं, किसान को पानी मिल नहीं रहा है और ऊपर से वसूली के लिए दबाव डाला जा रहा है कि पीनल इंटरेस्ट के साथ में हम आपसे ये पैसा वसूलेंगे, मैं सोचता हूं कि यह ठीक नहीं है। इसके लिए थोड़ा-सा प्रयास करना चाहिए।

(श्री मदन राठौड़)

आपने कई ऐसी योजनाएं दी हैं, मैं उनके लिए तो आपको धन्यवाद दूंगा, लेकिन अब मैं ज्यादा शायद न बोल कर, केवल दो-तीन बातें करके, जैसे अभी हेमावास बांध है, मैं, सिंचाई मंत्रीजी, आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि हेमावास बांध में झगड़े हो रहे हैं। टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है। क्योंकि नजदीक में जो किसान हैं वे पानी पूरा ले लेते हैं और जैसे उसका जी नहीं भरता, अधिक से अधिक पानी लेना चाहते हैं, वे बार-बार अपने खेत में पानी देना चाहते हैं; टेल तक पानी नहीं पहुंचता। यदि इसकी योजना ऐसी बना लें, जैसे जवाई बांध में हमने व्यवस्था कर रखी है, बाराबंदी, वह सुनिश्चित है कि वहां कितने गेज का पाइप कहां होना चाहिए, दूर पर कितने गेज का पाइप होना चाहिए, ताकि एक साथ पानी छोड़ दिया जाए और सभी किसानों को, यानी, टेल तक के किसान को भी पानी मिल सके, इस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित करवायी जानी चाहिए। तो हेमावास बांध के लिए भी इस प्रकार की व्यवस्था करें। सरदारसमन्द बांध के लिए इस प्रकार की व्यवस्था करें।

मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहूंगा कि वह पानी, जैसे सरदारसमन्द बांध कई वर्षों से नहीं भर रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, सिंचाई मंत्रीजी, जो सोजत रोड से ऊपर वहां पर जैसे दो नदियां बहती हैं, एक नदी का पानी बह करके और बांध तक भी नहीं पहुंच पाता, बीच में ही सूख जाता है और दूसरी नदी का पानी भी बह करके बांध तक नहीं पहुंचता। यदि इन दोनों नदियों को एक कर दिया जाए, तो मैं सोचता हूं कि दबाव बढ़ेगा। जब पानी बह रहा है और बह करके और फैल जाता है और सूख जाता है। यदि इन दोनों नदियों को जोड़ दिया जाएं। वहां कोई एस्केप बना दिया जाए, तो मैं सोचता हूं कि इसके लिए भी बहुत राहत मिलेगी। इस प्रकार का प्रयास भी अपने को करना चाहिए। इसके लिए एक आप जांच करवा दें, कुछ अधिकारियों को इसके लिए नियुक्त कर दें और वे यदि इसका कोई वे-आउट निकाल सकें। दोनों नदियों का पानी, मुश्किल से तीन किलोमीटर दूरी है, केवल तीन किलोमीटर यदि एस्केप आप कुछ बना करके इस प्रकार ले सकें, तो मैं सोचता हूं कि इसके लिए भी अपने को प्रयास करना चाहिए।

दूसरी बात मैं और निवेदन करूं आपको कि जैसे यह पानी बह कर के जाता है, पानी बह करके, जैसे गांवों में अपन देख रहे हैं, जो बात मैंने पहले भी रखी थी आपके सामने कि बह करके पानी जाता है और वह फिर सूख जाता है, इवेपोरेट हो जाता है; यदि इस पानी को हम बोरिंग करा करके, जगह

(श्री मदन राठौड़)

-जगह, गांवों में भी हो सकता है, गलियों में भी हो सकता है, हम बोरिंग करा कर के जमीन में डाल दें तो निश्चित रूप से भूजल स्तर ऊंचा आएगा। अपन सोचते हैं, जैसे बाथरूम का पानी है, बाथरूम का पानी यदि वहीं पर हम जमीन में डाल दें गटर के माध्यम से, तो जब पानी बहेगा ही नहीं, कीचड़ होगा ही नहीं, सड़कें टूटेंगी ही नहीं, तो निश्चित रूप से जमीन के अन्दर भूगर्भ के पानी का लेवल ऊंचा आएगा। ये कई बातें हैं जो मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा।

राजस्थान सरकार ने राजस्थान रिवर बेसिन अथोरिटी का जो गठन किया है, निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा।

मुझे पता है, आप आगे आ रहे हों, मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती संजना आगरी।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 27 और 38 पर मुझे आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

मैं, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया को अवगत कराना चाहूंगी कि सोजत में पेयजल का स्थायी स्रोत तो कुछ है नहीं, लेकिन जो पानी मिल रहा था इतने सालों से, वह पानी 2,800 से 3,200 टी डी एस, फ्लोराइडयुक्त पानी है, जो जनता पी रही है। मैं हमारी लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने जब पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 2006-07 में, तो जवाई पाइपलाइन परियोजना जो प्रोजेक्ट बनाया था उस प्रोजेक्ट के माध्यम से, उस योजना को आगे बढ़ाते हुए, वह पानी आज हम सोजत भी लेकर गये और सोजत से आगे अब जैतारण में भी वह कार्य शुरू है।

मैं माननीया मंत्रीजी से निवेदन करना चाहती हूं कि मैं जिस विधान सभा क्षेत्र सोजत से आती हूं, वहां की आबादी 45 हजार के आस-पास है और वहां पर पानी की यह जो समस्या है, चूंकि हमें जवाई बांध का मीठा पानी तो अभी मिल चुका है, रा वाटर, और उसकी कैपेसिटी भी लगभग 40 लाख लीटर है, लेकिन सोजत की आबादी को देखते हुए जो पानी, रा वाटर हम सोजत लेकर गये हैं जवाई का, उसके लिए हमारे पास में फिल्टर स्टोरेज की आज भी

(श्रीमती संजना आगरी)

कमी है। चूंकि पुराना फिल्टर स्टोरेज, इस योजना के साथ में जो फिल्टर स्टोरज बनना तय हुआ था, वह पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार थी, उनकी व्यवस्था से उन डिग्गियों का पानी, वह मारवाड़ जंक्शन की पंचायतों को उनसे कनेक्ट कर दिया गया। तो आज भी सोजत क्षेत्र की जनता पेयजल से, वाकई पानी मिला है, लेकिन उस पानी का उपयोग सही तरीके से नहीं ले पा रहे हैं। मेरा माननीया मंत्रीजी से निवेदन है कि कम से कम 12 एम एल डी फिल्टर स्टोरेज की हमें आवश्यकता है, तो सोजत शहर क्षेत्र की आवश्यकता को देखते हुए आप इसमें घोषणा करवायेंगे तो जो पानी हमें मिल रहा है, उसका हम सही तरीके से उपयोग ले पायेंगे। हर गर्मी का समय आते ही कम से कम 5 या 6 दिन से सोजत शहर की जलापूर्ति की जाती है और विशेष तौर से महिलाओं में बहुत ही आक्रोश रहता है।

इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी कि नगर के बढ़ते विस्तार के साथ में, जो पुरानी जल वितरण प्रणाली के माध्यम से जो पाइपलाइनें बिछी हुई थीं, उन पाइपलाइनों से आज प्रेशर नहीं बन पाता है। वार्डों में समय-समय पर सप्लाई नहीं हो पाती है और 72 से 96 घंटे के अंतराल में जलापूर्ति की जानी सुनिश्चित है। बढ़ती आबादी को देखते हुए सुचारु जलापूर्ति हेतु योजना का आगुमेंटेशन करना अत्यन्त आवश्यक है।

मैं हमारी माननीया मंत्रीजी से निवेदन करूंगी कि 12 एम एल डी फिल्टर स्टोरेज की हमें आवश्यकता है। इस गर्मी को देखते हुए, आप हमें चाहे 4 एम एल डी फिल्टर स्टोरेज की व्यवस्था करायेंगे, तो जो पानी हमें हमारी मुख्य मंत्रीजी के अथक प्रयासों से मिला है, उसका लाभ मेरे क्षेत्र की जनता को मिलेगा।

इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगी कि सोजन नगरपालिका आबादी क्षेत्र में रहने वाले कई वार्ड आज भी ऐसे हैं जहां पर पेयजल पाइपलाइन बिछी हुई नहीं है। इसके लिए भी आप सम्बन्धित अधिकारियों को आदेश दें। यह भी बहुत ही इंपोर्टेंट काम है।

इसके साथ ही, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि मेरे क्षेत्र में कई ग्राम पंचायतें ऐसी हैं, जैसे अटपड़ा, कुशालपुरा, पीपलिया, देवली कला, बगड़ी, जहां पर 10 हजार से ज्यादा पापुलेशन है। वहां आज स्थायी जल स्रोतों का जो स्तर है, वह गिर चुका है। इससे वहां आज भी ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से, अभी तो

(श्रीमती संजना आगरी)

सर्दी का टाइम गया है और सर्दियों में भी ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से वहां पर जल उपलब्ध कराया जाता है। मेरा आपसे यही निवेदन है कि ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से जो पेयजल उपलब्ध करवाते हैं और जहां पेयजल पाइपलाइनें बिछी हुई हैं, वहां भी प्रति व्यक्ति आप कम से कम 30 लीटर तय करेंगे, तो हमारी समस्या का समाधान हो जायेगा।

इसके साथ ही, जी एल आर, टैंक, वगैरह बने हुए हैं, वहां तो 20 लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से..., मैं इसलिए निवेदन कर रही हूं कि हम जिस क्षेत्र से आते हैं वहां पशुधन भी ज्यादा हैं और गर्मी को देखते हुए मानव जीवन को पेयजल की जितनी आवश्यकता होती है, उससे ज्यादा पशुओं की चिंता करना भी स्वाभाविक है। इसलिए आप पशुधन के लिए भी व्यवस्था करें।

इसके साथ ही मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि सोजत नगर पालिका में कई राजस्व ग्राम आज भी ऐसे हैं जो पेयजल से वंचित हैं। वहां आज भी पाइपलाइनें बिछ नहीं पाई हैं। इसके साथ ही, सोजत तहसील की कई ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जो आज भी जवाई पाइपलाइन से वंचित हैं। मैं आपसे निवेदन कर रही हूं कि सोजत विधान सभा क्षेत्र के वंचित रहे गांवों को जवाई पाइपलाइन परियोजना का प्रोजेक्ट बनाकर जो कुछ गांव हैं, उनको भी आप इससे जोड़ें। जैसे रूपावास बहुत ही बड़ी ग्राम पंचायत है, वह भी वंचित है।

मैं हमारी लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि रायपुर में दीपावास बांध की स्कीम है जो पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारी माननीया मुख्य मंत्रीजी ने स्वीकृत की थी। पूर्ववर्ती सरकार ने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया था। लेकिन आज मुझे खुशी है, वह 30 करोड़ की योजना है, उसमें 18 गांवों की जो पेयजल योजना बनी है जिसमें सोजत विधान सभा क्षेत्र के भी गांव आते हैं, उसका कार्य चल रहा है। एक्चुअली में वह कार्य मई, 2014 में पूरा होना था, मई, 2015 आने वाला है, लेकिन अभी तक वह कार्य बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। मैं मानती रहती हूं कि समय रहते अगर यह दीपावास पेयजल परियोजना का कार्य पूरा हुआ होता तो आने वाली गर्मी में पानी की किल्लत नहीं होती। उस कार्य को भी आप अति शीघ्र करवायें, सम्बन्धित अधिकारियों से बात करें।

इसी के साथ में, रायपुर उप-खण्ड कार्यालय रहा है, जो पूर्व में विधान सभा क्षेत्र भी रहा है। दीपावास बांध की 18 गांवों की पेयजल की जो स्कीम बनी, उसमें कम से कम 10 से 15 हजार की पापुलेशन वाला उप-खण्ड

(श्रीमती संजना आगरी)

कार्यालय रायपुर है, उस रायपुर को दीपावास पेयजल परियोजना में नहीं लिया गया है। मैं मानती हूं कि यह दीपावास पेयजल परियोजना है, रायपुर गांव में होकर जा रही है, उस रायपुर गांव, जो उप-खण्ड कार्यालय है, इसको भी जोड़ा जायेगा तो मेरे क्षेत्र की जनता को बहुत बड़ा फायदा होगा।

मैं आपको सिंचाई के बारे में अवगत कराना चाह रही हूं कि रायपुर तहसील में झिलबिल बांध का निर्माण जल संसाधन विभाग द्वारा वर्ष 1974-75 में करवाया गया था और 2002-03 में राज्य सरकार के निर्देशानुसार उक्त डैम को पंचायती राज विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया। निर्माण के समय बांध की भराव क्षमता 15.61 मिली लीटर घन फीट थी, जिसमें 1.48 मिली लीटर घन फीट पानी डैड स्टोरेज था। उस समय बांध का कृषि योग्य क्षेत्र 188 एकड़ था और सिंचित क्षेत्र 113 एकड़ निर्धारित किया गया था। वर्ष 1982-83 में ग्रामवासियों की मांग पर इस बांध का गेज 5 फीट ऊपर बढ़ाकर इसकी भराव क्षमता 30.45 मिली लीटर घन फीट कर दी गई। बांध जब-जब भी पूर्ण रूप से भरा, उस वक्त विराटिया कला, जो मेरे विधान सभा क्षेत्र का गांव है, उस विराटिया कला के काश्तकारों को सिंचाई के लिए पानी दिया गया था। लेकिन जब से उस बांध की व्यवस्था पंचायती राज को हस्तांतरित की गई, विराटिया खुर्द गांव जो जैतारण विधान सभा क्षेत्र में आता है, पूर्व में जैतारण से पधारने वाले हमारे संसदीय मंत्री थे, उन्होंने अपने सरपंच के कहने से विराटिया कला के काश्तकारों को, जो लघु काश्तकार हैं, जिनके पास डेढ़-दो बीघा जमीन के टुकड़े हैं, उनके सरपंच ने अपनी ग्राम पंचायत के थ्रू प्रस्ताव लेकर हमारी पंचायतों को पानी देना बंद कर दिया है। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी कि झिलबिल बांध का पांच फीट का जो गेज बढ़ाया, उसके बढ़ाने के बाद में विराटिया कला वाले जो बारानी भूमि के काश्तकार हैं, उनका जो कमांड एरिया था, उसको नहीं बढ़ाया गया। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि झिलबिल बांध से विराटिया कला के काश्तकारों को, जो बिलकुल बी पी एल परिवार, छोटे काश्तकार हैं, उनका कमांड क्षेत्र बढ़ाकर उसमें जोड़ा जाये तो यह काश्तकारों को सबसे बड़ा फायदा होगा।

माननीय मंत्री महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जवाई बांध के पुनर्भरण की जो बात है, वाकई पूरे पश्चिमी राजस्थान का एक मात्र पेयजल स्रोत है, इसके पुनर्भरण के बारे में भी निश्चित तौर पर माननीया मुख्य मंत्रीजी पर हमें विश्वास है। चूंकि हमारे क्षेत्र की यह बहुत ही लम्बे समय से यह मांग

(श्रीमती संजना आगरी)

चली आ रही है और यह हमारी आवश्यकता है, 8-8 विधान सभा क्षेत्रों की जनता को जवाई बांध से पीने का पानी उपलब्ध होता है, मैं हमारी माननीया मंत्रीजी से निवेदन करूंगी कि इसको बहुत ही गम्भीरता से लेकर सी एम साहब से इसके बारे में बात करेंगे तो यह हमारे जिले की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी।

राजस्थान वह जगह है जहां हर तीन साल में एक बार अकाल की स्थिति रहती है और विशेष तौर से सोजत विधान सभा क्षेत्र पेयजल के मामले में सबसे क्रिटिकल जगह है जिसका जिले में पहला नंबर आता है। चूंकि वहां पर डार्क जोन भी है और बहुत-सा मेरा एरिया ऐसा है जो मगरा क्षेत्र में आता है, मगरा क्षेत्र में हैंड पम्प खुदवाने के लिए छोटी मशीनें भी हमें समय पर उपलब्ध नहीं होती हैं। अभी हाल ही में आपने जो 30 हैंड पम्पों की घोषणा की है और उस पर सोलर प्लांट भी लगा रहे हैं, उसके लिए भी मैं माननीया मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगी। इससे निश्चित तौर पर क्षेत्र की जनता को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। जो पैसे वाले हैं, वे तो पैसों से टैंकर डलवा लेते हैं लेकिन गरीब आदमी जो गांव और ढाणियों में रहता है, उसके लिए यह स्कीम जो आपने बनाई है वह बहुत ही मायने रखेगी। मेरा यही निवेदन है कि मगरा क्षेत्र में हैंड पम्प और पानी का निजी स्रोत भी वहां कुछ नहीं है। वहां पर आप गर्मी को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा पेयजल की व्यवस्था आप करवायें।

इसके साथ ही, उस क्षेत्र में हमें हैंड पम्प और ट्यूबवेल की अति आवश्यकता है। वह ऐसा मगरा क्षेत्र है जहां मशीनें ऊपर तक जाती नहीं हैं। अधिकारियों से बात करते हैं तो हमेशा यही कहते हैं कि मशीन की व्यवस्था हम लोग करवा रहे हैं, आ जायेगी, खुदवा देंगे। इसके लिए भी आपसे विशेष निवेदन है कि आप अधिकारियों को कहें। समय रहते जो हैंड पम्प दिये थे, वे खुद गये होते, तो आने वाला गर्मी का समय हमारा आराम से निकलेगा।

एक बार पुन: मैं आपसे यही निवेदन करना चाह रही हूं कि सोजत विधान सभा क्षेत्र में जो 10 हजार की आबादी वाली जो भी ग्राम पंचायतें हैं, चाहे पांच हजार की आबादी वाली, जहां अभी से पेयजल का संकट गहराने लग गया है और ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से पानी गांवों में पहुंचाया जाता है, उन टैंकरों की संख्या भी कम है, उसको भी आप बढ़ायेंगे तो ठीक रहेगा। क्योंकि जब पेयजल का जल स्तर ही नीचे चला गया है तो हमें तो 12 महीने ही ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से ही पेयजल उपलब्ध हो पाता है।

(श्रीमती संजना आगरी)

माननीया मंत्री जी से निवेदन है कि ग्राम पंचायतों में एक-एक ग्राम पंचायत ऐसी है जहां पर कम से कम 100 से 250 बेरे हैं और एक कुएं पर कम से कम 20 से 40 व्यक्ति वाले परिवार रहते हैं। तो गांव के अन्दर अगर एक टैंकर चला जाता है, दो चले जाते हैं, तो बेरों पर रहने वाले 50 घरों की आबादी के लोग हैं, उनको पेयजल की आपूर्ति इतनी दूर से नहीं हो पाती है। मेरा आपसे यह भी निवेदन है, चूंकि हमने जिला कलक्टर साहब से भी बात की थी, उन्होंने यह कहा कि आपके एरिये के अन्दर हम लोग टैंकर की व्यवस्था कर चुके हैं; अगर आपको ज्यादा आवश्यकता है तो आप अपने लैटरहैड पर हमें लिखकर दें। मैं मानती हूं कि सम्बन्धित पी एच ई डी विभाग के अधिकारी हैं, उन्हीं को आप आदेश कराएं कि जहां-जहां आपको लगता है कि पानी की वाकई कमी है, बेरों के 50 घर वहां हैं, तो वह आदमी गांव में आकर पानी कैसे ले जाएगा? कुओं पर रहने वाले नागरिकों के लिए भी आप पानी के लिए टैंकर बढ़ाकर व्यवस्था कराएंगे, मुझे पूरा विश्वास है।

एक बार पुन: हमारी मंत्रीजी को धन्यवाद देते हुए, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि हमारी सबसे गहरी समस्या, हमारे ऊपर जो संकट आया हुआ है, आने वाली मई-जून की गर्मी आ रही है और गर्मी में सोजत शहर को 6-7 दिन से पानी उपलब्ध कराया जाता है। क्यों नहीं आप, 12 एम एल डी फिल्टर स्टोरेज की हमें आवश्यकता है, उसका एक प्रपोजल भी बना दें? चूंकि यह बड़ी योजना है, तीस करोड़ का सिटी का प्रपोजल है...

श्री सभापति: माननीय सदस्या, आपकी बातें रिपीट हो रही हैं। आपकी बातें रिपीट हो रही हैं।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): शहर के अन्दर दबी हुई जल वितरण पाइपलाइन हैं। उसके लिए आप अधिकारियों को आदेशित करायें, कुछ वार्ड होंगे, सारे तो हैं नहीं, तो नई पाइप बिछा दें। 4 एम एल डी का वाटर फिल्टर स्टोरेज भी हमें गर्मी से पहले-पहले अगर उपलब्ध करावाएंगे तो मेरे क्षेत्र की जनता को, शहरवासियों को विशेष तौर से पानी की परेशानी नहीं होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मेवाराम।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): सभापति महोदय, आज मांग संख्या 27, 46 और 38 पर चर्चा हो रही है। आज ऐसा विषय है जो मनुष्य, पशु और

(श्री मेवाराम जैन)

पक्षी के लिए जीवन का प्रश्न है। जिनको अगर समय पर पानी नहीं मिलता है तो उनके साथ क्या बीतती है। बाड़मेर जिले में जहां तेल के अथक भण्डार हैं, 33 परसेंट, 1/3 तेल बाड़मेर में है; लिग्नाइट के अथक भण्डार; इतनी रायल्टी; बिजली उत्पादन हो रहा है; लिग्नाइट के भण्डार हैं और उसके बाद भी बाड़मेर पानी के लिए तरस रहा है।

पिछली सरकार में, हमारी कांग्रेस सरकार के अन्दर मोहनगढ़ से बाड़मेर लिफ्ट कैनाल योजना सैंक्शन कराई, 650 करोड़ रुपये लगाकर उस योजना का कार्य पूर्ण हुआ और बाड़मेर शहर तक पानी पहुंचा। उसके बाद उस स्कीम को अ, ब, स, तीन भागों में बांटा गया। उसमें मुख्य काम, बाड़मेर पानी पहुंचने के बाद, पहले 52 गांवों के लिए स्कीम सैंक्शन हुई, उसके लिए 202 करोड़ सैंक्शन हुए। उसके बाद सवा सौ करोड़ के लिए और सैंक्शन हुई। टैण्डर हो गए, ठेकेदार को कार्यादेश दे दिया और पाइप भी आ गये और कहीं लगने भी शुरू हुए लेकिन आज उसका काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। अगर टाइमली मानिटरिंग और गति से होता तो आज वह काम पूरा होता। जनता जो एक-एक साल, डेढ़-डेढ़ साल से पानी के लिए तरस रही है, उसको पीने के लिए पानी समय पर मिल जाता । जब पानी बाड़मेर में पहुंचा हुआ है पानी नहीं होता तब तो ठीक है कि पानी ही नहीं है, हम पहुंचाए क्या? पानी होने के बाद में, उन योजनाओं के ठेकेदार या तो काम करना नहीं चाह रहे हैं, या समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कारण है कि वह बंद पड़ा है।

तीसरी स्कीम थी भाग-स में, जिसमें करीबन 550 करोड़, 537 करोड़ की योजना बनी बाड़मेर, शिव और इनके गांवों को जोड़ना था। मैंने विधान सभा में प्रश्न भी लगाया, उसका मुझे 25/2 को जवाब भी आया कि इसी महीने में, 557 करोड़ की यह योजना है। पहले हमारे समय में भी वह योजना स्वीकृत हो चुकी थी, टेण्डर लग चुके थे, पर आचार संहिता लगने की वजह से वह टेण्डर नहीं हो पाये। उसको आज डेढ़ साल हो गया। आपके जवाब में भी यही आया कि इसी महीने निविदाएं आमंत्रित की गई हैं, जल्दी ही निविदाएं प्राप्त करके कार्यादेश दे दिये जाएंगे, यह आश्वासन दिया, परन्तु बजट और काम के हिसाब से मुझे नहीं लग रहा है कि समय पर इस योजना का काम शुरू हो पाएगा।

मैं कहना चाहूंगा कि बाड़मेर में पानी के हालात इतने खराब हैं, अगर आप टीम भेजकर दिखाओ, कई ऐसे गांव हैं जहां डेढ़-डेढ़, दो-दो साल तक पानी,

(श्री मेवाराम जैन)

चवार, रावतसर, आदरसवा, ये पंचायतें हैं, 5-6 पंचायतें, मूंडों की ढाणी, मुलटारागढ़ा, ऐसी पंचायतें हैं जहां 5-5 हजार की आबादी है लेकिन वहां दो-दो साल से पानी नहीं पहुंच रहा है। हौदियां सूखी पड़ी हैं। कोई सुनने वाला नहीं है।

हालत ऐसी है, एक्स ईएन उसी विधान सभा क्षेत्र का एक लगा रखा है; ए ईएन के चार में से तीन पद खाली हैं;, कोई स्टाफ नहीं है; जे ईएन नहीं हैं। सुनने वाला कोई नहीं है, टेलीफोन करो तो कोई उठाने वाला नहीं है। कोई अगर वहां पर शिकायत लेकर जाता है तो उसकी बात सुनते नहीं हैं।

पानी के विषय पर भी राजनीति हो रही है। सभापतिजी, आपके मार्फत मैं मंत्री महोदया से कहना चाहूंगा कि पानी पर राजनीति नहीं हो। सबको पानी मिले, हमारा यह ध्येय होना चाहिए। जिस तरह से इसमें हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, आप जल्दी ए ईएन लगायें। बाड़मेर सवा लाख पापुलेशन की सिटी है, जहां ए ईएन नहीं हैं। शहर के अन्दर पानी जा रहा है, जगह-जगह पाइपलाइन फूटी हुई हैं। पानी रोड पर जा रहा है। आधी बस्ती को पानी मिल रहा है और आधे लोगों को पानी नहीं मिल रहा है क्योंकि पाइप लाइनें फूटी हुई हैं। ठीक कौन कराये? शिकायत करें, कलक्टर भी खप गया, हम सबने कह दिया, पर करे कौन? सुनने वाला कोई नहीं है।

इस तरह से ही हैण्डपम्प हैं। मंत्रीजी जब जोधपुर पधारीं, मैंने हैण्डपम्प की लिस्ट दी थी और बाद में भी मैं मिला, आज तक वे हैण्डपम्प ठीक नहीं हुए। उनसे कहें तो एक ही बात, कि ठीक हो जाएंगे। बस एक ही

(15.37 बजे)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, पदासीन)

बात। कभी तो कहें कि हमारे पास सामान नहीं; कभी कहें, आदमी नहीं; कभी कहें, सामान नहीं। टयूबवेल खुदा है तो 6 महीने पहले खुद गया, उस पर कनेक्शन नहीं, उस पर लोरिंग नहीं। हैण्डपम्प खुद गया पर पाइप लगाकर चालू नहीं किया। और तो और, अब एम एल ए कोटे से पैसे देकर पाइपलाइन, वगैरह देना भी चाहें, तो एन ओ सी नहीं दें। यह हालत है।

मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस हालत को आप सुधारें। पानी के अन्दर राजनीति नहीं हो; हैण्डपम्प ठीक हों; गांवों के अन्दर हौदियां सूखी पड़ी हैं, वहां पर टयूबवेल ठीक कराकर, लीकेज ठीक कराकर, पानी

(श्री मेवाराम जैन)

पहुंचाने का काम करो। अभी तो गर्मी शुरू ही नहीं हुई है। जब गर्मी शुरू होगी तो हालात कैसे होंगे? आप टैंकरों द्वारा पानी पहुंचाओगे तो कहां पहुंचेंगे? एक टैंकर भेजोगे, एक टांके में खाली हो जाएगा; बाकी वाले यूं ही रहेंगे। 5-5 हजार की आबादी वालों के लिए टैंकरों से पूर्ति होनी नहीं है। जब आपके पास व्यवस्था है तो उसकी मानिटरिंग की आवश्यकता है। आप वहां पद भराओ, ए ईएन लगाइये। ए ईएन लगे हुए थे, उनको हटा दिया, सबको बाहर भेज दिया। काम करने वालों को रहने नहीं दिया। कोई एक लगा है, उसका मैं कहना नहीं चाहूंगा, बाकी तो रात को शराब पीकर बैठते हैं, वह ए ईएन बैठा है जो दिन में ही पिया हुआ रहता है, जो कोई बात करने लायक ही नहीं है। तो ऐसे हालात हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस ओर ज्यादा ध्यान दें।

अभी 30-30 हैण्डपम्प की बात की, हमें तो एक भी ध्यान नहीं कि बाड़मेर में कोई हैण्डपम्प खुद रहा है । दिया है तो इसमें सभी एम एल एज, इसमें कांग्रेस, बी जे पी नहीं होना चाहिए। सभी एम एल एज को 30-30 आये तो 30-30 दीजिये, हैण्डपम्प दीजिये ताकि इस गर्मी में जहां आवश्यकता हो, वहां पानी...

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): सभापति महोदय, यह भारी पक्षपात सरकार ने किया है। सत्ताधारी दल के कहने से तो 30 हैण्डपम्प दे दिये, लेकिन प्रतिपक्ष के विधायकों के कहने से न हैण्डपम्प दिया, न सिंगल फेज दिया। यह गम्भीर मामला है, जो माननीय सदस्य उठा रहे हैं।

श्री सभापति: मंत्रीजी ने आपकी बात सुन ली है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, हमारे यहां भी ऐसे ही हालात हैं। नागौर, खींवसर में भी जिन इलाकों के अन्दर पानी की आवश्यकता है, वहां जान-बूझकर हैण्डपम्प ....

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): ये मंत्रीजी ने अपनी स्वेच्छा से दिये हैं पूरे राजस्थान वालों को। राजस्थान की जनता के लिए दिये हैं। एम एल ए से इसमें डिजायर नहीं मांगी। (व्यवधान)

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): हमारे क्षेत्र में भी नहीं लगने देते। (व्यवधान)

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि एक तरफ तो हमारे प्रधान मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी कह

(श्री मेवाराम जैन)

रहे हैं, 'स्वच्छ भारत, निर्मल भारत'; जगह-जगह गांवों में बाथरूम बनने चाहिए, बाहर कोई जाए नहीं; मैं कहना चाहूंगा, स्वच्छ भारत की बात करें, बहुत अच्छी बात है, निर्मल भारत की बात करें, बहुत अच्छी बात है; गांवों में पानी नहीं है, वहां बनाकर उसका फायदा क्या होगा और उसका यूज क्या होगा? पड़ा-पड़ा खराब होगा। ये हालात होंगे। आप बनाकर देख लो और वहां जाकर चैक करो कि वहां क्या हालत है उनकी। पानी पीने के लिए नहीं है, तो फिर इसके लिए तो पांच-पांच लीटर चाहिए एक बार बाथरूम जाने के लिए। जब पानी पीने के लिए नहीं है, तो अपन यह बातें कर रहे हैं।

तो मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आप पीने के पानी की व्यवस्था कराओ। अभी से ये जितनी भी हमारी स्कीमें हैं, इन स्कीमों की मानिटरिंग करें, साहब। इनमें भेदभाव मत करें। पानी के साथ भेदभाव करेंगे तो आने वाले समय में जनता कभी माफ नहीं करेगी। मैं तो आपसे यही कहूंगा।

बाकी यह सांचौर-नर्मदा का पानी है, वहां गुढा और जालौर बेल्ट में आगे बाड़मेर जिले में भी आया है। पीने की स्कीम बनी है। इसके लिए सिंचाई की भी स्कीम बनी थी। वह स्कीम भी आपने रोक दी है। यह पानी बह कहां रहा है, कच्छ के रण के अन्दर। उस पानी का उपयोग करो और जनता को पीने के लिए और सिंचाई के लिए पानी मिल सकता है तो उसके लिए हमें करना चाहिए।

इन्दिरा गांधी नहर में सिंचाई का भी पानी, आप देख लो, पिछले समय में किस तरह से बारी-बारी से उनको पानी मिलता था किसानों को। आज हालात क्या हैं? यह भी आपके सामने है।

बाड़मेर में तो लगातार दो साल से आधे एरिये में सूखा पड़ा है। दो साल से एक बूंद पानी नहीं हुआ। शिव, रामसर और चौहटन, गुढा तहसील में, वहां पानी की इतनी विकट हालत है कि आप कहीं जाकर पता कर लें, वहां पीने के पानी के लिए एक-एक हजार, पन्द्रह-पन्द्रह सौ रुपये ट्रैक्टर के, जाकर वहां पानी पहुंचता है, लोग पीते हैं।

मवेशियों के लिए, आधे से ज्यादा मवेशी मर चुके हैं। अकाल में पशु शिविर खोल दिये आपने। खोलते ही, तीन महीनों में बंद कर दिये। खोलते ही नहीं तो एक जगह इकट्ठे तो नहीं होते। पशु इकट्ठे होकर, तीन महीनों में वे शिविर बंद कर दिये। लावारिस पशु, वहां पानी और चारे की वजह से, आप

(श्री मेवाराम जैन)

सर्वे कराएंगे तो आधे से ज्यादा पशु वहां खतम हो गये। आज भी आप वहां जाओगे तो लाशें पड़ी हैं पशुओं की। आप दुर्गंध से वहां रास्ते से निकल नहीं सकते हैं। ये हालात बने हुए हैं बाड़मेर में। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस एरिये में भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

पानी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस पर आप मेहरबानी करके अधिकारी लगाएं, स्टाफ की व्यवस्था करें। मैं तो चाहूंगा कि अधिकारी भी ऐसे लगाओ कि विधान सभा एरिये का नहीं हो, बाहर का हो, ताकि वह पानी के अन्दर राजनीति तो न करे। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: विराजें। धन्यवाद। श्री शंकर सिंह राजपुरोहित।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, मेरा एक पाइंट आफ इंफार्मेशन है। (व्यवधान) सभापति महोदय, मेरा एक पाइंट आफ इंफार्मेशन है।

श्री सभापति: हां, हां।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने जो जाट आरक्षण को रद्द किया है, इसको लेकर राजस्थान के अन्दर...(व्यवधान)

श्री सभापति: वह नियमानुसार लेकर आओ। अच्छा विषय है, इस पर यूं क्यों बोल रहे हों?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, दिल्ली सरकार ने पैरवी ढंग से नहीं की सुप्रीम कोर्ट के अन्दर। इसी वजह से जाटों का आरक्षण खतम हो गया।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, ऐसे ये प्रश्न नहीं उठाये जाते।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अभी राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर दो लड़के आत्मदाह कर रहे थे, हमारे समाज के। उनको मना कर मैं लेकर आया हूं, सभापति महोदय। सरकार को वक्तव्य देना चाहिये।

श्री सभापति: नहीं, आप बैठिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): पूरे देश के जाट समाज के अन्दर

(श्री हनुमान बेनीवाल)

आक्रोश है। बहुत बड़ा आन्दोलन देश के अन्दर हो सकता है, सभापति महोदय।

श्री सभापति: आप विराजिये। विराजिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): दिल्ली में भी आपकी सरकार है, राजस्थान में आपकी सरकार है। (व्यवधान) आपको इस दिशा में, सरकार को रिव्यू पिटिशन, दिल्ली की सरकार को रिव्यू पिटिशन दाखिल करनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बैठिये। (व्यवधान) यह नियम में लेकर आइये इसको। माननीय सदस्य, विराजो आप। नियम में लेकर आओ आप।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक्ट लाकर और संविधान संशोधन करके इस जाट आरक्षण के मामले को सुलटाना चाहिये।

श्री सभापति: आप नियम में लेकर आइये, माननीय सदस्य। आप ऐसे किसी विषय को, संजीदा विषय को उठाएं, उसको लाने के नियम हैं।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): सभापतिजी, यह जाट नियम है। जाट नियम के तहत इन्होंने उठाया है।

श्री सभापति: इसलिए मैं कह रहा हूं। बाकी और कोई दूसरा नियम होता तो मैं कहता ही नहीं। इसलिये मैं कह रहा हूं। माननीय सदस्य श्री शंकरसिंह राजपुरोहित।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से, पेयजल और सिंचाई की मांग पर आपने जो समय दिया, उसके लिए तो धन्यवाद।

श्री सभापति: आप तो हर रोज ही समय लेते हो। (व्यवधान) हर रोज ही समय लेते हो आप।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार के माननीय मंत्री महोदय बहुत ही संवेदनशील हैं। क्योंकि आप महिला मंत्री हैं और महिलाएं पानी की समस्या से बहुत ज्यादा वाकिफ रहती हैं, यह हमारा सौभाग्य है कि आप महिला मंत्री हैं।

माननीय सभापति महोदय, विषय जो जालौर से सम्बन्धित चला है, मैं खाली मेरे जालौर के उस विषय पर ही आऊंगा। जवाई पुनर्भरण वाला

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

विषय हो, चाहे पेयजल से हो, चाहे सिंचाई से हो, लेकिन आज जो आवश्यकता है, आजादी के 50-60 वर्ष के बाद भी गांव की जनता को फ्लोराइड-युक्त पानी पीने के लिये मजबूर होना पड़ रहा है और 5-5, 7-7 किलोमीटर दूर पानी लेने के लिए जाना पड़ता है। अगर छोटे से कस्बे में कहीं ट्यूबवेल है तो वहां 4-4, 5-5, 6-6 दिन के बाद पानी आता है।

निश्चित रूप से उस समस्या को ध्यान में रखते हुए 2005-06 में नर्मदा की योजना जालौर जिले के लिये बनाई गई। किसी कारण वश यह पूर्ववर्ती सरकार ने दबा दी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदया को कि इन्होंने जालौर में आकर नर्मदा के अधिकारियों और कम्पनी के मालिकों के साथ बैठक करके, मीटिंग करके, इस योजना में गति प्रदान की, लेकिन वह गति भी पूरी नहीं है। माननीय मंत्री महोदया, बहुत ही चिंतित होना पड़ेगा। एक तरफ पानी वेस्ट जा रहा है और दूसरी तरफ उस पानी की उपयोगिता। आज पीने के पानी की समस्याओं को लेकर आपकी उस मीटिंग के बाद थोड़ी गति हुई है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाह रहा हूं कि मेरे आहौर विधान सभा क्षेत्र के लगभग 154 गांवों की पानी पीने की योजना, जिनको 2009 में, 2010 में देना था, आज दिन तक अभी नहीं मिला है। लेकिन इस आने वाले समय में, जो महीने-दो महीने में पानी आहौर तक पहुंचेगा और इसके बाद इन गांवों में जाएगा, तब तक मेरे 80 प्रतिशत गांव, जिनके अन्दर ग्राउण्ड लेवल में पानी नहीं है, उनकी व्यवस्था के लिए कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि यह रात्रि चौपाल की छोटी-छोटी स्कीमें आई हैं, हमारे आहौर की। आहौर अपने आप में एक बहुत संवेदनशील इलाका है इस पानी के मामले में। मतलब, आये दिन किसी न किसी गांव का डेलीगेशन, चाहे तो कलक्टर के पास, चाहे हम वहां होते हैं तो हमारे पास आता है। कैसे न कैसे उनको समझा-बुझाकर भेजते हैं हम। लेकिन यह जो छोटी-छोटी रात्रि चौपाल की स्कीमें हैं, आप तुरन्त पास करें, जिससे गर्मी तो हमारी सही निकले।

माननीय मंत्री महोदया, आपके माध्यम से, यह जवाई के 154 गांवों के अलावा आहौर विधान सभा के 22 गांव, जो ई.आर. प्रोजेक्ट में हैं, अब उन 22 गांवों के सर्वे का आदेश नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे आहौर विधान सभा क्षेत्र के दो पार्ट कर दिये। 154 गांवों

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

में तो अभी आपको दो महीने बाद, मान लो, तीन महीने में पानी देना है, वह तो सारा कम्पनी का काम पूरा हो रहा है, लेकिन इन 22 गांवों में अभी तक सर्वे नहीं हुआ है। तो यह रामसिंह से जो पानी आना है, भीनमाल से, ई.आर. प्रोजेक्ट से, इन 22 गांवों का आप स्पेशली सर्वे करवाकर इनकी व्यवस्था करावें; जो रामसिंह से सियाणा बागड़ा को, जो 22 गांव, नहीं तो ये 22 गांव बाकी रह गये। आहौर विधान सभा क्षेत्र के 154 गांवों को पानी मिल गया और 22 गांव देखते रह जाएंगे। इसीलिए यह टेक्निकल खोट जो है हमारा, इसको आप ध्यान में लें और इसकी व्यवस्था आप करें।

माननीय मंत्री महोदया, मैं आपके माध्यम से, एक चीज है, ये जो ट्यूबवेल और सिंगल फेज के नलकूप हैं, अभी बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य, बाड़मेर में नहीं दिये। बाड़मेर में जमीन में पानी नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, इसका जवाब मंत्रीजी दे देंगी। आप अपने क्षेत्र की बात कहिये।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): यह तो किरोड़ीलालजी ने विषय उठाया, इसलिए बोल रहा था। (व्यवधान) किरोड़ीलाल जी ने विषय उठाया, इसलिए मैं कह रहा था, बाकी कोई विषय नहीं है।

मंत्री महोदया, जो 22 गांवों का और लगभग 50-60 गांवों में अभी भी छह महीने, आठ महीने पानी नहीं आना है, एक तो वे स्कीमें पास करें और आर.ओ. प्लाण्ट, जिससे वह जो खारा पानी है, उसको मीठा करके हम जनता को उपलब्ध तो कराएं। तो आर.ओ. प्लाण्ट मेरे यहां स्वीकृत करावें।

श्री सभापति: मेवारामजी चले गये क्या? एक मिनट, माननीय शंकरसिंहजी। मेवारामजी, चले गये क्या? माननीय सचेतक महोदय, आप भी अपने माननीय सदस्यों को कह दें कि माननीय सदस्य जब बोलकर बैठें, उसके बाद अगला माननीय सदस्य बोले, तब तक उनको सदन में बैठे रहना चाहिए। यह नियम है सदन का। इसलिए मैंने बीच में टोका इनको। अगर वे होते तो मैं नहीं टोकता। आप बोलिये।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय सभापति महोदय, अब आपके माध्यम से मैं सिंचाई मंत्री, सिंचाई मंत्रीजी भी बहुत संवेदनशील हैं, बहुत ही पुराने और अनुभवी आदमी हैं। यह वास्तव में कई ऐसी कमियां हैं, जैसे अभी जवाई बांध वाला, माननीय सभापति महोदय, यह जालौर जिले के साथ

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, जिस दिन जवाई बांध बना। यह आज जवाई बाँध का, पाली जिले में आप जो कह रहे हैं, 30 से 35 किलोमीटर सिर्फ एरिया है नदी का। 300 से 350 किलोमीटर जालौर जिले में नदी बहती है। आज जालौर जिला पूरा उजड़ गया है। अब इसके पुनर्भरण के बाद जवाई नदी को पहले सिंचित करना होगा, इसको जीवित करना होगा। आज डार्क जोन हो गया। कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। आपके पी.एच.ई.डी. के 300-400 ट्यूबवेल उस जवाई नदी के किनारे हर साल दस से बीस परसेंट सूखते जा रहे हैं। पैसे की हानि हो रही है।

तो एक चीज है, माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन है, जो पहले भी निकला है, यह जवाई पुनर्भरण वाला विषय कहीं न कहीं ऐसा असमंजस वाला हो रहा है। आपको साबरमती बेसिन से भी पानी दीजिए। उसके लिए भी सर्वे करवा लीजिए।

दूसरा, यह माही का पानी और बरसात का पानी जो वेस्टेज जा रहा है गुजरात में, समझौते के तहत वह जालौर, पाली, बाड़मेर और सिरोही को मिलना है। उसके तहत मेरा यह निवेदन है कि यह एक कड़ाणा डैम से, जहां कड़ाणा डैम से पानी सीधा, 200 किलोमीटर अगर नहर बनती है, तो बेसाला में पानी आता है। बेसाला से जवाई नदी में पानी पहुंचता है और जवाई नदी से 70 मीटर ऊपर, हाइट पर जवाई बांध है और आज जो नर्मदा का पानी सिरू से ले जाना कह रहे हैं, 270 मीटर हाइट पर है, वह सम्भव होगा नहीं। इससे जो सम्भव चीजें हैं, अब इसके लिए कोई न कोई सर्वे की टीम बनाइए।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदया से निवेदन है कि आज वे इस बात के लिए घोषणा करें कि जो माननीया मुख्य मंत्रीजी ने, संवेदनशील अपने आप को बताते हुए, इस बात के लिए एक कमेटी आपकी अध्यक्षता में जो बनायी है, उसकी भी आप आज घोषणा करें और इस बात को अपन आगे बढ़ायें।

जवाई के कैचमैंट में, मंत्री महोदया, देखिए, एक चीज है, जवाई बांध जब बना, जवाई बांध के बनने के बाद, उसके कैचमैंट एरिये में 120 एनिकट्स बन गये। अब वहां पानी में तो अवरोध आ रहा है, पानी जवाई में पहुंचता नहीं है। आप एक सर्वे, एक टीम और करवाइए कि जो एनिकट खाली पानी की रुकावट कर रहे हैं जवाई बांध में, उन एनिकट को तोड़ने की योजना बनाइए,

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

जिससे जवाई में पानी आए। जवाई में पानी, अगर उन एनिकट्स को, जैसे एक रघुनाथपुरा है, साल भर भरा पड़ा रहता है, उस पानी का कोई उपयोग नहीं होता है, और जवाई बांध का पानी रुक रहा है। अब किसी भी कारण से वह बना होगा, किन्हीं राजनीतिक ताकतों के कारण बना होगा, लेकिन आप इसका सर्वे करवाइए कि जवाई के कैचमैंट में जितने भी एनिकट्स हैं, जिनकी कोई उपयोगिता नहीं है, उन एनिकट्स को तुड़वाने की व्यवस्था करें जिससे जवाई में पानी बढ़ जाएगा।

अब, मंत्री महोदया, मैं आपको एक निवेदन करना चाहूंगा कि जवाई बांध हर तीन साल के अन्दर कम से कम 42, 45 या 50 फीट पर चला जाता है। मेरा एक करबद्ध निवेदन है, आज इतनी मेहरबानी कर दीजिए कि 42 फीट के बाद, उसमें सिंचाई और पी.एच.ई.डी. का पानी देने के बाद जो जवाई बांध में पानी बचता है, उसका थोड़ा-बहुत या उसका 50 परसेंट जवाई नदी में छोड़ दीजिए, जिससे जालौर जिला निहाल हो जाएगा। अगर तीन साल में कैसे भी करके बिना किसी वित्तीय भार के अगर नदी में 15 दिन भी पानी चला दिया तो यह जालौर जिला पूरा जीवित हो जाएगा, आपके ट्यूबवेल्स जीवित हो जाएंगे और जो भी खेती-बाड़ी है, वह हो जाएगी। मतलब, कहीं न कहीं यह बिना पैसे का है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इस 42 फीट के ऊपर थोड़ा-बहुत पानी इस जवाई नदी में छोड़ने के लिए, जिस नेचुरल, यह हाई कोर्ट का भी निर्णय है कि नेचुरल फ्लो का जो अवरोध करके बनाये हैं, उस नेचुरल फ्लो को जीवित करने के लिए उसका भी अधिकार है। इसलिए मेरे जालौर जिले का यह अधिकार है।

तीसरी बात, एक मेरा, माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय मंत्रीजी, आप यह बिना पैसे वाला काम तो कर देंगे न?

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहूंगा कि एक जो ...(व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय सभापति महोदय, आपका आदेश होगा तो जरूर कर देंगे।

श्री सभापति: नहीं, मेरा आदेश नहीं है। मैं कह रहा हूं कि पैसे से ही सब काम नहीं होते। बिना पैसे वाला काम भी करवा रहे हैं वे। (व्यवधान)

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से एक, मंत्री महोदया, सिंचाई, पी.एच.ई.डी., खनन और ये दो-तीन जो डिपार्टमेंट्स हैं, इनकी जोइंट अधिकारियों की कोई मीटिंग लें। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): खनन को काहे के लिए ला रहे हैं? खनन में तो घोटाले हो रहे हैं। (व्यवधान)

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): एक मिनट। ऐसा है, खनन के घोटाले की पैदाइश आपके कारण हुई है, चाहे वह बजरी के खनन की हुई हो। पूर्ववर्ती सरकार ने 500 करोड़ का लेन-देन किया है बजरी के घोटालों में। इसीलिए आज राजस्थान को बजरी महंगी पड़ रही है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपने 80 करोड़ के बजाय 460 करोड़ किये थे और आप भी पहल कीजिए, इन खानों को नीलाम करवाइए, दो हजार करोड़ रुपए मिलेंगे आपको। (व्यवधान)

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): बजरी के, यह सब आपकी पैदाइश है। यह भ्रष्टाचार की पैदाइश कांग्रेस की दी हुई है इस राजस्थान को। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अभी पानी ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हमारा अनुसरण कर रहे हों क्या?

श्री सभापति: माननीय गोविन्द सिंहजी, विराजिए। आप पानी पर बोलें। आप पानी-पानी क्यों हो रहे हैं? (व्यवधान)

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय सभापति महोदय, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि नदी में ...(व्यवधान) मैंने इसीलिए खनन वाला कहा है कि नदी में बजरी कितनी निकलनी चाहिए, जिससे वह नदी जीवित रहे; या तालाब में उसकी खुदाई नहीं होनी चाहिए, जिससे वह तालाब भी जीवित रहे। इसीलिए इन खनन वालों को साथ में बैठाना जरूरी है। यह एक टेक्निकल पाइंट है। यह भी आप एक व्यवस्था करें।

माननीय सभापति महोदय, एक छोटा-सा विषय सिंचाई मंत्री महोदय से है कि जालौर जिले में आहौर विधान सभा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक तालाब है, 'भीम तालाब' उसका नाम है। वहां से आहौर की तरफ से इन पांडवों का प्रस्थान हुआ था और भीम ने उस तालाब की खुदाई की थी। वह 'भीम तालाब' में आज भी पानी है। चाहे कितना भी अकाल हो जाए, उस तालाब में

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

पानी रहेगा ही। तो मेरा आपसे निवेदन है कि रायथल गांव के 'भीम तालाब' को, अगर उसमें थोड़े-से पानी की आवक बढ़ा दी जाए तो वह एक छोटा-सा मिनी डैम बन जाएगा और उस पानी से कम से कम, जहां पर ग्राउंड लेवल का पानी है ही नहीं, उन रायथल, ओड़वाला, भंवरानी, ऐसे दो-तीन गांव हैं जहां की चार हजार, पांच हजार बीघा जमीन की सिंचाई हो सकती है। पेयजल के लिए उपयोग भी हो सकता है। नहीं, तो पेयजल के लिए तो नर्मदा का पानी आ रहा है, इसलिए सिंचाई के लिए उपयोगी होगा। उस भीम तालाब को, आप हर भार उठाते हैं; अधिकारी कहते हैं कि साहब, फंड का विषय है; छोटा-मोटा पांच-पच्चीस करोड़ का फंड लगता है, करिए न। वहां के तीन गांवों के किसान सुखी हो जाएंगे। मैं तो यह कह रहा हूं कि उनका यह रायल्टी का भार भी किसानों पर डाल दीजिए, वे वह भी दे देंगे।

लेकिन, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री महोदय और पेयजल मंत्री महोदया, इन दोनों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि यह जवाई वाला विषय जालौर, सिरोही, बाड़मेर और पाली, इन चार जिलों का है। (व्यवधान)

श्री सभापति: समाप्त करिए।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): आप चिंता मत करिए कि 25 हजार, 30 हजार करोड़, यह दस साल की योजना है, हर साल एक-एक जिले के हित में है। दो-दो हजार करोड़ तो आते ही हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): यह योजना पूरी हो जाती है। अब बड़ी योजना नहीं करनी है, तो मैंने यह बताया कि कड़ाणा से बेसाला लीजिए, इसमें 200 किलोमीटर की खाली नहर बनेगी और नदी में पानी आएगा।

आप कहीं न कहीं, अब मेरा एक निवेदन आपसे अंतिम यही है, माननीय मंत्री महोदया, मैं आपका ध्यान चाहूंगा कि आप मेहरबानी करके इन तीन-चार जिलों का बीच का सेंट्रल आफिस दें। इस सर्वे के लिए एक एस.ई. आफिस स्वीकृत कर दीजिए, बहुत बड़ी मेहरबानी होगी मेरे इन जालौर, सिरोही और पाली के लोगों के ऊपर, इस सर्वे के लिए कि इस जवाई डैम का पुनर्भरण कैसे करें। निश्चित रूप से वसुन्धराजी ने यह अलाटमेंट किया है, फंड, वगैरह, सारा किया है। एक एस.ई., वहां पर एक अधिकारी अगर आपका बैठेगा तो

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

डे-टू-डे आपको जानकारियां मिलेंगी और हम लोग भी उनसे संवाद कर सकते हैं। कोई न कोई रास्ता निकलेगा, अच्छा निकलेगा और भला होगा। बस, यह जालौर की जनता आपसे भला चाहती है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। विराजिए। माननीय डाक्टर विश्वनाथजी।

श्री विश्वनाथ (खाजूवाला): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 27 और 46 पर आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, इंदिरा गांधी नहर परियोजना पश्चिमी राजस्थान के किसानों के लिए जीवन-दायिनी के रूप में साबित हुई है। सरकार द्वारा भी इस बजट में जो एग्जिस्टिंग बांध हमारे हैं, उनका पूर्ण उपयोग कैसे हो, राज्य में राज्य से बाहर जाने वाले पानी को हम कैसे रोक पाएं, इन पर सरकार ने घोषणाएं की हैं। मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

इस बार हमारे जो मंत्री बने हैं, हमारे डाक्टर, हमारे क्षेत्र से आने वाले, वास्तव में नहरों के बारे में यह माइनर तरीके से जानते हैं। हम आशा करते हैं इनसे कि नहरों की आज जिस तरीके से हालत है हमारी, पचास साल का समय हो गया, नहर बनने के बाद जितनी भी नहरें हैं हमारी, वे इस हालत में हैं, जर्जर हालत में हैं। उनको कैसे ठीक किया जाए और अंतिम छोर पर पूरा पानी कैसे पहुंचे, यह माननीय मंत्री महोदय अच्छे तरीके से जानते हैं। हमें इन पर पूरा विश्वास है कि आप इनका पूरा नहरों का रख-रखाव, डैम की क्षमता के अनुसार पानी, जिस तरीके से इंदिरा गांधी नहर का पानी एक पोंग डैम और भाखड़ा डैम से आता है, पोंग डैम की जो क्षमता है, कैचमेंट एरिये के अनुसार

(16.00 बजे)

1,420 फीट की है, 1,410 फीट तक भराव क्षमता पोंग डैम की होने के बावजूद उसमें पानी का भराव कम है, करीब 1,390 फीट तक ही उसको भरा जाता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से चाहूंगा कि आप एक अच्छा निर्णय कर, केन्द्र सरकार से टाई-अप कर, केन्द्र सरकार से वार्ता कर, इसकी जो ऊपर की भराव क्षमता है, उसमें बढ़ोतरी की जाए जिससे कि हमारे हिस्से का पूरा पानी अंतिम छोर तक पहुंच पाए।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारी जो नहर है, वह पूरा पानी नहीं ले पा रही है। हमारे हिस्से का पानी पाकिस्तान जाता है। बारिश के समय में 30 से 35 हजार क्यूसेक्स पानी

(श्री विश्वनाथ)

पाकिस्तान चला जाता है। माननीय मंत्री महोदय इसको अच्छी तरह से जानते हैं। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इस पर ध्यान दें।

पिछली बार माननीय कटारियाजी की अध्यक्षता में जन लेखा समिति ने भी इस नहर का दौरा किया था। माननीय सभापति महोदय, उसमें कई बिन्दुओं पर जन लेखा समिति ने अपनी रिपोर्ट भी इस विधान सभा में पेश की है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जन लेखा समिति द्वारा, जिसमें यहां के 11 माननीय सदस्य गये थे और मेरे को भी उनके साथ जाने का मौका मिला, हमने नहरों को बड़ा नजदीकी से देखा, डैम को भी नजदीकी से देखा और माननीय मंत्री महोदय भी पूरी चीज जानते हैं। इसमें कई चीजें सामने आईं।

नहरों में दूषित पानी, जैसे अभी हमारे माननीय प्रधान मंत्रीजी सूरतगढ़ आये थे, माननीया वसुन्धराजी ने भी यह बात उठाई थी कि लुधियाना की फैक्टरियों का पानी इस नहर में डाला जा रहा है। हमारे पश्चिम राजस्थान में पीने और सिंचाई के रूप में यह पानी हमारे काम आ रहा है। इसी नहर पर टोटली पीने के पानी के लिए इसी पर डिपेंड है हमारा क्षेत्र। तो मैं चाहूंगा कि जो दूषित पानी इस नहर में डाला जा रहा है, फैक्टरियों का पानी इसमें डाला जा रहा है, उस पर कोई ऐसा प्रपोजल बनाएं, केन्द्र सरकार से वार्ता करें और मंत्रीजी भी इसमें डिसिजन लेने में बड़े सक्षम हैं। तो मैं चाहूंगा कि ऐसा डिसिजन लेकर आप केन्द्र सरकार से वार्ता कर यह जो दूषित पानी इस क्षेत्र में आ रहा है, जिसके पीने से कैंसर जैसी बड़ी-बड़ी बीमारियां हो रही हैं, इसको रोकने का प्रयास आप करें। पंजाब सरकार से भी वार्ता करें।

माननीय सभापति महोदय, बी.बी.एम.बी. में 2007 से लेकर अब तक राजस्थान का जो प्रतिनिधित्व होना चाहिये, जहां से पानी का बंटवारा होता है, आज तक वहां पर हमारा कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। मैं माननीय मंत्री महोदय से, हमारी सरकार से यह मांग करना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार से वार्ता कर बी.बी.एम.बी. में हमारा प्रतिनिधित्व कैसे हो, वहां पर हमारा अधिकारी कैसे बैठ पाये, सेक्रेटरी का जो हमारा पद होता है, वह हमें मिले, जिससे कि राजस्थान का पूरा पानी का हिस्सा हमें मिल पाये; अंतिम छोर पर बैठे हुए किसानों को पूरा पानी मिल पाये। यह हम चाहेंगे कि आप एक ऐसी व्यवस्था करें। सरकार यहां भी बी जे पी की, ऊपर भी केन्द्र सरकार में बी जे पी की है, और आप इस चीज को पूरे अच्छी तरीके से जानते हैं।

(श्री विश्वनाथ)

मैं इस मौके पर यह भी कहना चाहूंगा, आप जिस तरीके से, पिछले बार भी हम सब लोग यह मांग उठाते रहे, जितने भी माननीय सदस्य थे, 0.6 एम.ए.एफ. का जो हमारा पानी का हिस्सा था राजस्थान के लिए, वह हिस्सा भी पंजाब गवर्नमेंट ने अभी तक ले रखा है। उसका भी पूरा उपयोग हमें मिले। मैं चाहूंगा कि इस पर भी गौर फरमाएं।

हरिके बैराज पर जो हमारी इंदिरा गांधी कैनाल बनी हुई है, उसकी जो क्षमता है 18 हजार 500 क्यूसेक्स की, उसमें जो हमारे हैड बने हुए हैं, वे 15 हजार क्यूसेक्स की डिजाइन से बने हुए हैं। उसके बारे में भी जन लेखा समिति ने रिपोर्ट पेश की है और उन्होंने माना भी है, बी.बी.एम.बी. ने कि एक लिंक चैनल बनाकर हम साढ़े तीन हजार क्यूसेक्स पानी इस नहर में डालेंगे। तो आप इस पर भी थोड़ा देखें। नहरों की स्थिति, जिस तरीके से 15 हजार क्यूसेक्स पानी के जो हैड बने हुए हैं लेकिन आज 15 हजार क्यूसेक्स पानी भी हमारी इंदिरा गांधी कैनाल नहीं ले पा रही है, करीब 11 हजार, साढ़े 11 हजार क्यूसेक्स पानी हम वहां से ले पा रहे हैं।

नहरों की जो जर्जर स्थिति हुई है, पिछली बार 2011 के आस-पास जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बजट दिया था 900 करोड़ के आस-पास, वह बजट आज तक नहीं लग पाया। केन्द्र सरकार ने बजट जारी कर दिया, फिर भी नहरों की मरम्मत नहीं हो पायी। एक इतनी बड़ी नहर, जो 50 साल से बनी हुई है, आज तक उसकी कोई मरम्मत नहीं हो पायी। तो मैं चाहूंगा कि इस पर भी माननीय मंत्री महोदय गौर फरमाकर, केन्द्र सरकार से टाई-अप कर और पंजाब सरकार से वार्ता कर, यह बजट लेकर इस नहर की मरम्मत करें।

15 हजार क्यूसेक्स पानी लेने वाली नहर आज 11 हजार क्यूसेक्स पानी ही ले रही है। इतना पानी होते हुए भी हमारे अंतिम छोर पर पानी नहीं पहुंच पा रहा है। सिंचाई का पानी तो दूर, माननीय सभापति महोदय, पीने का पानी भी हमारे नहीं पहुंच पा रहा है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस स्थिति में आप इसके लिए भी थोड़ा ध्यान दें।

मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, 50 साल से नहर बनी हुई है। इधर पाकिस्तान है, इधर हमारा राजस्थान है। नहरों के ऊपर पुल बने हुए हैं और उन पुलों की स्थिति ऐसी जर्जर हो चुकी है कि कई बार कैजुअल्टी हो जाती है। मतलब, अगर कोई आदमी पैदल चल रहा है तो उस नहर के अन्दर भी

(श्री विश्वनाथ)

गिर सकता है। मैं चाहूंगा कि नहरों पर जो पुल बने हुए हैं उनकी मरम्मत हो और उनको दुबारा से ठीक करवाया जाये।

माननीय सभापति महोदय, मेरे खाजूवाला विधान सभा क्षेत्र में जो पानी आ रहा है, वह अनूपगढ़ ब्रांच से आ रहा है। करीब डेढ़ सौ-पौने दो सौ किलोमीटर पर वह नहर चलती है। बहुत लम्बी नहर है। खाजूवाला विधान सभा क्षेत्र में हम बिलकुल अंतिम छोर पर बैठे हैं, पाकिस्तान बोर्डर पर बैठे हैं। हमारी कई ऐसी नहरें हैं, छोटी-छोटी जिनसे ब्रांच निकलती हैं, उनका बेड लेवल ठीक नहीं है। जैसे बी डी नहर है, के जी डी नहर है और बी जी एम नहर है, इन नहरों का आप दुबारा सर्वे करवाकर, हाइड्रोलिक सर्वे करवाकर, इन नहरों का बैड लेवल ठीक कर और अंतिम छोर पर पानी पहुंचायें। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

नहरों का जो डी-सिल्टिंग का कार्य है, हमारे पास मशीनें भी हैं; माननीया मुख्य मंत्रीजी जब पिछली बार थीं, उन्होंने ये मशीनें खरीदीं, तो उन मशीनों का सदुपयोग हो। पिछली सरकार ने तो तेल के अभाव में मशीनों का उपयोग नहीं किया। मैं चाहूंगा कि समय-समय पर डी-सिल्टिंग कार्य की एक योजना बने और नहरों का डी-सिल्टिंग कर, नहरों की मरम्मत कर, पूरा का पूरा क्षमता का पानी अंतिम छोर पर पहुंचे।

जो आई.जी.एन.पी. नहर है, इस पर जितना भी स्टाफ है, जब से स्टाफ लगा है, स्टाफ की वहां इतनी कमी हो गयी है कि लोग रिटायर होते जा रहे हैं, कोई रिक्रूटमेंट दुबारा हो नहीं रहा है। बेलदार से लेकर, जे.ईएन, ए.ईएन. तक जितने भी पद हैं, सब खाली पड़े हैं। तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में इस स्थिति में अगर नहरें आ जायेंगी तो नहरों का कोई रखरखाव ही नहीं होगा। तो मैं चाहूंगा कि सरकार इसमें भी स्टाफ का रिक्रूटमेंट कर, नहरों पर पूरा स्टाफ लगाकर, नहरों के रख-रखाव और मेंटीनेंस के कार्य में पूरा ध्यान दे।

सभापति महोदय, मैं अंतिम दो शब्द पेयजल पर कहना चाहूंगा। माननीय मंत्री महोदय हमारे बीच बैठे हैं। पूर्ववर्ती सरकार ने 67 जल परियोजनाओं की घोषणा तो कर दी, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पायी। हमारे पिछले बजट में 12 परियोजनाओं की इन्होंने घोषणा की, अब 12 परियोजनाओं पर 494 करोड़ रुपये देने की बात कही है; फ्लोराइडयुक्त पानी के

(श्री विश्वनाथ)

लिए 2 हजार आर.ओ. प्लांट की बात कही है; एक हजार सोलर एनर्जी बेस्ड बोरवेल की बात कही है। इसके लिए माननीया मुख्य मंत्रीजी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा।

मैं मेरे क्षेत्र के लिए भी कहना चाहूंगा कि खाजूवाला विधान सभा क्षेत्र पानी के लिए, पेयजल के लिए इसी इंदिरा गांधी कैनाल पर डिपेंड है। इंदिरा गांधी कैनाल से पानी हमें जो मिल रहा है, वह बिलकुल रा वाटर मिल रहा है। हमारे क्षेत्र में जितनी भी डिग्गियां बनी हैं, अभी पिछली बार जो प्रशासन और सरकार गांवों-की-ओर गयी थी, सरकार ने वहां देखा। माननीय चिकित्सा मंत्री जी वहां गये, उन्होंने स्पेशल डिग्गियों को देखा और डिग्गियों में इतनी गंदगी थी, मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदया कभी दौरा करेंगी तो मैं आपको दिखाऊंगा, आप उसका पानी पी नहीं सकते। वह पानी हमारी जनता पी रही है। टोटल फिल्टर वहां पर चोक पड़े हैं। इस बजट में माननीया मुख्य मंत्रीजी ने 90 करोड़ की घोषणा की है, उसी आधार पर कि बीकानेर जोन में जितने भी चार डिस्ट्रिक्ट हैं, उन डिस्ट्रिक्ट में डिग्गियों पर बेस्ट पानी हम...(व्यवधान)

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री विश्वनाथ (खाजूवाला): बस दो मिनट, माननीय सभापति महोदय।

मैं चाहूंगा कि उन डिग्गियों का रख-रखाव हो, उनका मेंटीनेंस हो, उनकी साफ-सफाई हो और फिल्टर हैं, उनको बिलकुल सही किया जाये और शुद्ध पेयजल जनता को मिले। इसके लिए आप हमारे लिए कुछ बजट की घोषणा करें।

एक मैं चाहूंगा कि खाजूवाला के करीब 40-50 गांव ऐसे हैं, जिनके लिये इन्हीं गांवों के लिए आप एक वृहत् पेयजल योजना भी हमें दें। उसके लिए आपसे मांग करेंगे कि एक बड़ी 682 मेन कैनाल के ऊपर एक बड़ी परियोजना बनाकर 40-50 गांवों को उससे जोड़ दिया जाये। मैं चाहूंगा कि इस मौके पर आप एक डी.पी.आर. की घोषणा करें।

उस पर ध्यान देते हुए और ज्यादा समय न लेकर, मैं अंतिम यही कहना चाहूंगा कि आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: धन्यवाद। विराजिये। श्री अभिषेक मटोरिया।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): माननीय सभापति महोदय, वर्ष 1993 के तखमीने, उसके बाद वर्ष 1995, 1997 में राज्य मंत्रिमण्डल ने एक निर्णय

(श्री अभिषेक मटोरिया)

लिया था सिंचाई के सम्बन्ध में। उस सम्बन्ध में, सभापति महोदय, प्रथम चरण इंदिरा गांधी नहर का जो प्रस्तावित सिंचित क्षेत्र था, वह 5.53 लाख हैक्टेयर था और द्वितीय चरण का प्रस्तावित सिंचित क्षेत्र 14.10 लाख हैक्टेयर था। इसमें 8.73 लाख हैक्टेयर फ्लो द्वारा सिंचाई होनी थी और 5.37 लाख हैक्टेयर लिफ्ट द्वारा सिंचाई होनी थी। कुल मिलाकर 19.63 लाख हैक्टेयर था। इसके बाद जैसे-जैसे समय बीतता गया, राज्य सरकार ने 2005 में एक फैसला लिया, जिसके अनुसार पूरे इस क्षेत्र में सिंचाई के लिए, जो सिंचाई का रकबा था, वह 16.17 लाख हैक्टेयर था, पहले चरण में 5.46 और द्वितीय चरण में 10.71 लाख हैक्टेयर और इसी के अनुसार सिंचाई होनी थी। सभापति महोदय, यह जो क्षेत्र कम हुआ है, उस रकबे के कम होने की वजह से गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर सम्भाग के बहुत सारे ऐसे किसान वंचित रह गये जिनकी भूमि कमाण्ड योग्य थी परन्तु वह किसी कारणवश अन-कमाण्ड हो गयी।

अब इसकी पूर्ति करने के लिए, उसके बाद पूर्ववर्ती राज्य सरकार ने, वसुन्धराजी ने एक बहुत बड़ी योजना लागू की पायलट प्रोजेक्ट के नाम से। उस पायलट प्रोजेक्ट को राजस्थान सरकार ने 10 प्रतिशत एग्जाम्पल बेसिस पर लागू किया था, अर्थात् हम इस पायलट प्रोजेक्ट को एक सीमित क्षेत्र में लागू करेंगे, अगर यह कारगर साबित होती है तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार और बहुत सारे ऐसे प्रदेश जहां पर बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति लागू की जाती है, उसके आधार पर इस योजना को आगे बढ़ाया जायेगा। इस पायलट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत 27,440 हैक्टेयर क्षेत्र फव्वारा सिंचाई से स्थापित किया गया था और 17,472 हैक्टेयर क्षेत्र जल उपभोक्ता संगठनों द्वारा फव्वारा पद्धति से लागू किया था। उसके बाद सरकार परिवर्तन होने की वजह से यह योजना ठंडे बस्ते में चली गयी।

अब मैं पुन: निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार हमारे प्रधान मंत्री जी की सोच है, मुख्य मंत्री महोदया की सोच है 'पर ड्राप मोर क्राप', इसकी अवधारणा को अगर हमें लागू करना है, जैसा कि उन्होंने हमें सूरतगढ़ में सोइल कार्ड वितरण के कार्यक्रम में बताया, तो हमें इस योजना को ले जाना पड़ेगा। पानी की कमी और उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, बूंद-बूंद सिंचाई और ड्रिप इर्रिगेशन को राजस्थान में बढ़ावा देने के लिए, जैसा कि सभी माननीय सदस्य बता रहे हैं, अधिकाधिक किसानों को उनकी भूमि कम पानी में

(श्री अभिषेक मटोरिया)

अधिक पैदावार कैसे दे, उसको अगर हमें लागू करना है तो हमें इस पायलट प्रोजेक्ट योजना को लागू करना पड़ेगा।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप इस योजना को लागू करें तो केन्द्र सरकार से इस योजना में आंशिक बदलाव करावें। वर्तमान में यह योजना सामुदायिक डिग्गियों द्वारा चलायी जाती है, अर्थात् समूचे चक की एक डिग्गी होगी जिससे आप पानी उठाकर पाइपों के माध्यम से बूंद-बूंद सिंचाई करेंगे। इस योजना में कुछ कमियां हैं, मैं चाहूंगा कि इसके स्थान पर आप निजी डिग्गियां काश्तकारों को दें। कृषि विभाग भी उनको प्रोत्साहित करता है। बिजली के बिल की बजाय आप सौर ऊर्जा लगाने के लिए प्रोत्साहित करें, क्योंकि किसान की फसल छह महीने बाद आती है और बिल दूसरे महीने आ जाता है। जब तक फसल नहीं आयेगी, उसको 70 हजार का औसतन बिल दो महीने में भरना पड़ता है। वह इकट्ठा करने के लिए सभी चकवासी आपस में लड़ते हैं। इसलिए इसके स्थान पर सौर ऊर्जा लगायी जाए।

सभापति महोदय, डिग्गी पर अनुदान की जो बात अभी कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, इस अनुदान की राशि को हमें इसलिए और अधिक बढ़ाना चाहिए क्योंकि 2001-2002 में जो निर्मित डिग्गी की संख्या थी वह 23 थी और प्रति डिग्गी जो अनुदान राशि 2000-2001 में मिलती थी वह 40 हजार रुपये ही थी, अनुदान का प्रतिशत 25 परसेंट और प्रति डिग्गी निर्माण लागत थी हमारी दो लाख रुपये। यह बढ़कर 2005-06 में 202 हो गयी, अनुदान राशि 50 हजार रुपये, अनुदान प्रतिशत वह ही 25 प्रतिशत और लागत हमारी दो लाख से तीन लाख बढ़ गयीं। अब 2013-14 में डिग्गियों की संख्या बढ़कर 23 से 823 हो गयीं, अनुदान की राशि चार लाख रुपये हो गयी, अनुदान प्रतिशत 50 प्रतिशत और डिग्गी की निर्माण लागत साढ़े छह लाख रुपये। इन बातों को ध्यान में रखते हुए, हमें निश्चित रूप से सौर ऊर्जा पर और डिग्गी निर्माण पर यह जो प्रतिशत है, यह अधिक बढ़ाना चाहिए।

इसी संदर्भ में अभी हाल ही में केन्द्र सरकार के कृषि मंत्रालय ने, सिंचाई विभाग ने 11 दिसम्बर, 2014 को एक नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री आफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट आफ इंडिया के माध्यम से अभी निकाला है। उसमें स्पष्ट

(श्री अभिषेक मटोरिया)

रूप से केन्द्र सरकार ने कहा है, कोई भी राज्य सरकार "…Accordingly, States are completely authorized to issue hundred per cent infrastructure and subsidies as far as diggis are concerned." उनके कहने का तात्पर्य यही है कि आप चाहें तो जो फसल प्रदर्शन पर अनावश्यक रूप से व्यय करते हैं, रासायनिक उपकरणों पर और उन चीजों के बंटवारे पर आप जो लाखों रुपये खर्च करते हैं, उसके स्थान पर आप समुचित राशि डिग्गी निर्माण पर दें।

तो इस लैटर के हवाले से भी मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप पूर्ण रूप से निजी डिग्गियों को बढ़ावा दें। जब बरसात होती है तो वह पानी हम उनमें स्टोर कर लेते हैं और नहरी पानी जो चलता है, वह रेग्यूलेशन के हिसाब से चलता है। जब हमें पानी की आवश्यकता होगी तो उस बरसात के पानी को हम अच्छे तरीके से उपयोग कर पायेंगे और जब नहरों का रेग्यूलेशन आयेगा तो उस पानी को स्टोर करके उसके वितरण में किसान को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। इसकी एवज में जो हमारी वर्तमान स्कीम है, उसमें आप पूरे चक को एक डिग्गी देते हों। उसी एक डिग्गी से सारे काश्तकारों को पानी लगाना पड़ता है। उसमें बड़ी दिक्कत आती है। पानी का प्रेशर भी नहीं बढ़ता; हवा चलती है तो फव्वारों की स्पीड भी कम हो जाती है और किसान को जितना इसका लाभ मिलना चाहिए, उतना लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए, मंत्री महोदय, आप इस डिग्गी में परिवर्तन करके और उसके बाद ही इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम करें।

माननीय सभापति महोदय, अपनी समय सीमा को ध्यान में रखते हुए, मेरी विधान सभा क्षेत्र की कुछ बातें आपके माध्यम से मंत्रीजी को बताना चाहूंगा।

सर्वप्रथम तो मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया का धन्यवाद देना चाहूंगा, जल संसाधन मंत्रीजी का धन्यवाद देना चाहूंगा। वर्ष 2001-02 में जब सोनिया गांधीजी ने बिहानी हैड में सिद्धमुख नोहर परियोजना का शिलान्यास किया था, उस दिन से आज तक 15 साल तक किसी भी सरकार ने इस योजना में एक रुपया भी नहीं दिया। पहली बार आपने इस योजना के पूर्ण रूप से डी-सिल्टिंग के लिए और नहर में आउटलेट लगाने के लिए, अभी तक इस नहर की सफाई नहीं हुई, आउटलेट नहीं लगे, पानी चलता था, उसके लिए आपने 2 करोड़ 9 लाख रुपये की राशि मंजूर की। मंजूर करने के परिणामस्वरूप समूची नहर की सफाई चल रही है, आउटलेट लग रहे हैं और ऐसे-ऐसे गांवों में

(श्री अभिषेक मटोरिया)

जहां किसी ने पानी नहीं देखा, मेरे विधान सभा क्षेत्र के टेल तक पानी पहुंचा है। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा।

पर इन दो बड़े कामों के साथ-साथ आपको एक तीसरा बड़ा काम यह भी करना पड़ेगा, जिसके लिए बहुत सारे माननीय सदस्यों ने भी कहा, पानी चोरी पर अंकुश लगाने के लिए आपको वर्तमान राजस्थान ड्रेनेज एक्ट, 1942, जिसके प्रावधान समय-समय पर बदलते रहे, 70, 80 और उसके बाद 90 में जो आंशिक संशोधन विधान सभा में किये गये, उन्हीं प्रावधानों के तहत आपको राजस्थान ड्रेनेज एक्ट में पानी चोरी का कानून सख्त बनाना पड़ेगा। जब तक आप एक सख्त कानून विधान सभा में पानी चोरी के लिए नहीं लायेंगे, तब तक जो व्यक्ति पानी चोरी करता है उसको इस बात का भय नहीं होगा। वर्तमान कानून के अनुसार बहुत कम राशि के अन्दर निचली अदालत में आपकी जमानत हो जाती है। आप लाखों की फसल पानी चोरी कर के उगा पाते हो और बहुत कम रुपये खर्च कर के आपकी जमानत हो जाती है। टेल पर बैठा काश्तकार रोता रहता है, उस तक पानी नहीं पहुंचता। इसलिए, मंत्री महोदय, आप इस पानी चोरी के कानून में निश्चित रूप से विभाग से बात कर के, राजस्थान ड्रेनेज एक्ट में परिवर्तन लाकर, उन टेल के काश्तकारों को जो पानी चोरी से परेशान हैं, उनको राहत दिलाने का काम करें।

इसी प्रकार, हरियाणा से आने वाली मेरे विधान सभा क्षेत्र की नोहर फीडर का, जो बहुत लम्बे समय से सिद्धमुख और नोहर फीडर का हरियाणा सरकार ने 0.6 एम.ए.एफ. पानी, जो इन्टर-स्टेट जल समझौते था उसके तहत 1980 में 0.6 एम.ए.एफ. पानी देने की घोषणा की थी, वह आज दिनांक तक नहीं दिया। अब हमारी जिम्मेदारी इसलिए और अधिक बढ़ गयी क्योंकि हरियाणा में, राजस्थान में और केन्द्र तक हमारी सरकार है। हम उनसे वार्तालाप करें, इन बातों को आगे बढ़ाएं और 0.6 एम.ए.एफ. पानी लेकर चूरू और हनुमानगढ़ जिले के जो बहुत सारे गांव सिंचाई सुविधा से वंचित हैं, उनको हम तभी पानी उपलब्ध करवा पायेंगे जब हरियाणा हमारा बकाया 0.6 एम.ए.एफ. पानी दे पाये।

इसके साथ-साथ, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड अर्थात् बी.बी.एम.बी. में राजस्थान का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। बड़े दु:ख की बात है कि पूर्व मुख्य मंत्री, माननीय अशोकजी ने जब केन्द्र को यह पत्र लिखा कि आप

(श्री अभिषेक मटोरिया)

बी.बी.एम.बी. में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करें, तो उस समय की उनकी कांग्रेस सरकार ने इनके इस प्रपोजल को टर्न डाउन कर दिया, और आज तक राजस्थान का प्रतिनिधित्व वहां पर नहीं हो रहा। राजस्थान के जितने भी हैड वर्क्स हैं, जहां से हमारा पानी रिलीज होता है, पूर्ण रूप से पंजाब, हरियाणा के लोगों का कब्जा है और जब वे चाहें, गेट को उठाते हैं; जब वे चाहें, उनको रेग्यूलेट करते हैं। राजस्थान का काश्तकार इस बात से पीड़ित है। अब हम इसको अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए, दोनों स्टेट्स पंजाब, हरियाणा की सरकार से वार्तालाप करके और केन्द्र का इन्वाल्वमेंट, इनकी भागीदारी को बढ़ाते हुए, बी.बी.एम.बी. में हमारा प्रतिनिधित्व भी बढ़ाएं; उसके साथ-साथ हैड वर्क्स पर भी हमारा कंट्रोल हो।

अभी हाल ही में माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने 2015-16 में चूरू जिले में शेष रहे सिंचित रकबे को पूर्ण करने की जो बात कही है, जो निर्माण कार्य किया है, इस घोषणा का हम बहुत स्वागत करते हैं। यह एक बहुत बड़ी घोषणा है।

इसके साथ-साथ मैं चाहूंगा कि आगामी बजट में मुख्य मंत्री महोदया सिंचाई मंत्रीजी से मिलकर नोहर-भादरा के सिंचाई सुविधा से वंचित जो 25 गांव हैं, उन गांवों को भी चूरू जिले की तर्ज पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायें। वे भी उन जिलों के साथ में ही वंचित रह चुके हैं। उनको अगर हम सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायेंगे तो इस क्षेत्र में यह आपके द्वारा भागीरथी प्रयास के रूप में माना जायेगा। यह भी एक बहुत बड़ी बात है।

इसी तरीके से, साहवा लिफ्ट से निकलने वाली सूई ब्रांच, जो कि नोहर, सरदारशहर और लूणकरणसर, तीनों तहसीलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायेगी, इसको घड़साना और रावला आन्दोलन के बाद इस योजना पर, इसके निर्माण पर राज्य सरकार ने पूर्ण विराम लगा दिया था। यह योजना अधरझूल में पड़ी है। बहुत अधिक धनराशि हमें खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। सूई ब्रांच का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए इसका सर्वे पूरा हो चुका है; इसके माइनर, सब-माइनर, फीडर, सभी का नक्शा तैयार हो चुका है। उसके लिए हम पहल करके इस सूई ब्रांच के निर्माण को आगे बढ़ायें और इसको पूरा करें। यह भी हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।

(श्री अभिषेक मटोरिया)

इसी तर्ज पर नोहर और भादरा की जो 40 हजार हैक्टेयर भूमि में राज्य सरकार ने पक्के खालों के निर्माण हेतु 115 करोड़ की राशि उपलब्ध कराने की बात कही है, उसके लिए मैं राज्य सरकार को और माननीय मुख्य मंत्री महोदया को धन्यवाद दूंगा, लेकिन साथ-साथ ही सिंचित क्षेत्र विकास, एस एन आई पी खण्ड चतुर्थ, आई जी एन पी नोहर के उपखण्डों को तोड़कर आपने अन्यत्र स्थानांतरित किया है, इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप उन दोनों उपखण्डों को वापस बहाल करें। हम एक तरफ 115 करोड़ की राशि से खाले निर्माण करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ उपखण्ड तोड़ दिये जाते हैं, जिनके अधीन, जिनका दायित्व इन खालों को बनाने का है। तो यह समझ से परे है। हमें इन दोनों उपखण्डों को बहाल करके नोहर और भादरा में स्थापित करना चाहिए।

लम्बे समय से अनकमांड भूमि को कमांड करने की जो कवायद चल रही है, उसको भी हम पूरा करें। मेरा मानना है कि आगामी बजट में हम इसको अति शीघ्र पूरा कर लेंगे।

माननीय सभापति महोदय, अपनी बात समाप्त करने से पहले, पेयजल के ऊपर मैं सीधे तौर पर चूरू, सीकर, हनुमानगढ़ और बीकानेर जिले की जो एक बहुत बड़ी योजना, जो कि एक बहुत ही विशाल हृदय के व्यक्ति आदरणीय भैरोंसिंहजी की सोच थी, जो जर्मनी से यह प्रोजेक्ट लेकर आये थे, जिसका नाम आपणी योजना था, इसमें लगभग 650-700 गांवों को जो पानी पिला रही है, ऐसी एक अनुपम योजना मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी संचालित है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि वर्तमान जो हालात हैं, वे आपसे छिपे हुए नहीं हैं। पेयजल की मांग बढ़ती जा रही है, सिंचाई की भी मांग बढ़ती जा रही है। इस हिसाब से आने वाले समय में सिंचाई महकमे का और पेयजल महकमे का आपस में कोआर्डिनेशन होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अभी हाल ही में पूर्ववर्ती सरकार ने जो रावतसर वितरिका से 50 क्यूसेक्स और साहवा लिफ्ट कैनाल के टेल तारानगर से नागौर लिफ्ट के लिए पन्नालाल बारूपाल नहर में जो 250 क्यूसेक्स पानी देने की व्यवस्था की है, अगर हम इसी प्रकार से पानी उपलब्ध कराते रहे, यह अच्छी बात है, परन्तु पानी की उपलब्धता और वित्तीय संसाधनों को देखें तो हमें इन योजनाओं को आगे इसलिए ले जाना चाहिए क्योंकि इस

(श्री अभिषेक मटोरिया)

योजना को कारगर बनाने के लिए हमें सीधे तौर पर मसीतांवाली हैड से कर्मसाना हैडवर्क्स तक रा वाटर को 125 किलोमीटर की पाइपलाइन द्वारा राजगढ़, बूंदी, सीकर और झुंझुनूं परियोजना को भी लाभान्वित करना है तो पाइपलाइन द्वारा इस योजना को हमें ले जाना पड़ेगा। तभी यह योजना कारगर हो पाएगी। पेयजल हमारी प्राथमिकता है। राज्य जल नीति भी यही कहती है। इसलिए जब हम हजारों करोड़ रुपये इन पेयजल योजनाओं पर खर्च करते हैं तो इस योजना पर भी हमें खर्च करना चाहिए।

'स्वच्छ भारत' अभियान के तहत जब हम प्रत्येक घर में शौचालय निर्माण की बात करते हैं तो क्यों न हम प्रत्येक घर में पाइपलाइन जल सम्बन्ध बनाने की भी बात करें? यह इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि जब सरकार-आपके-द्वार बीकानेर सम्भाग में गई थी तो समूचे इन तीनों-चारों जिलों का ज्ञापन जो मुख्य मंत्री महोदया को और मंत्रियों को दिया गया था, उसमें बड़े स्पष्ट रूप से सभी ने एक ही मांग की थी कि जहां-जहां आपणी योजना लागू है, वहां-वहां आप घर-घर कनेक्शन देने की बात करें। 3 हजार का दायरा तय कर दें, 3 हजार के ऊपर अगर कोई घर-घर कनेक्शन लेना चाहता है तो आप उन्हें घर-घर कनेक्शन दें। आपको जानकर, मंत्री महोदया, हैरानी होगी कि आपको शहरों में और गांवों में पानी के बिल कलेक्ट करने के लिए अभियान चलाने पड़ते हैं, इसके विपरीत हमारे यहां पर चूरू में, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर में जहां-जहां आपणी योजना लागू है, वहां-वहां पर 95 परसेंट बिलों की रिकवरी है। वह भी कार्यालय में जाकर; कोई लेने नहीं आता है। हम अपने बिल खुद कार्यालय में जमा करवाकर आते हैं। आप अगर हमें घर-घर कनेक्शन 3 हजार से ऊपर की आबादी में देंगे तो निश्चित रूप से जो जल की छीजत है, वह 40 प्रतिशत कम होगी, सरकार का राजस्व बढ़ेगा और आये दिन के जो झगड़े हैं, वे भी खतम होंगे। इसलिए आप इस योजना का जीर्णोद्धार करें।

अपनी बात समाप्त करने से पहले, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जैसा कि सभापति महोदय ने कहा कि कुछ एक चीजें बिना सरकारी खर्च के भी, मुफ्त में अगर दी जाएं तो जनता को बड़ा लाभ मिलता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैंने यह कहा था कि सरकार भी कुछ काम बिना पैसे का करे। हां, बोलिए।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): उसका मेरी समझ में अर्थ एक ही है।

रावतसर, नोहर और भादरा, तीनों तहसीलों के हैडक्वार्टर पर एक्स ईएन की पोस्ट नहीं है। हमें हमारी पेयजल सम्बन्धी समस्याएं, एम एल ए कोटे की स्वीकृति, मीटिंगों के लिए चूरू और सरदारशहर के अधिकारियों पर निर्भर रहना पड़ता है। आप रावतसर में और नोहर में एक एक्स ईएन की पोस्ट क्रीएट कर दें और चूरू में जो वर्तमान में अतिरिक्त मुख्य अभियंता का कार्यालय था, जिसे पूर्ववर्ती सरकार ने तोड़ दिया था, आप वापस वहां पर मुख्य अभियंता का कार्यालय खोलें, जिससे इन लाखों, करोड़ों की योजनाओं का फायदा मिल सके और आपणी योजना सुदृढ़ और मजबूत हो सके। यही मेरी आपके माध्यम से मांग है।

माननीय सभापति महोदय, आपने समय दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: सचेतक महोदय, आप यह प्रतिवेदन रखेंगे? प्रतिवेदन रख रहे हैं?

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के चौदहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अच्छी तरह बोलो, समझ में नहीं आ रहा है।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): अब तो आपकी समझ में आ ही जाना चाहिए। अभी तक भी नहीं आ रहा। कमाल हो गया। आपको निकाला, वापस लिया। अब तो समझ जाओ। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जोर से बोलो।

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति (क्र. सं. 14)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कार्य सलाहकार समिति के चौदहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

सभापति महोदय, कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 19 मार्च, 2015 को मध्याह्न पश्चात् 3.00 बजे माननीय अध्यक्ष के वेश्म में हुई।

(श्री कालू लाल गुर्जर)

समिति ने अपने बारहवें एवं तेरहवें प्रतिवेदनों में आंशिक संशोधन करते हुए निर्णय लिया कि शनिवार, दिनांक 21 मार्च 2015 से मंगलवार, दिनांक 7 अप्रैल 2015 तक सदन में अग्रेतर लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाए:-

शनिवार, दिनांक 21 मार्च 2015	1. राजस्थान झील (संरक्षण और विकास) प्राधिकरण विधेयक, 2015 - पर विचार एवं पारण। 2. अनुदान की मांग संख्या:- 37- कृषि 39- पशुपालन एवं चिकित्सा, एवं 36- सहकारिता - पर विचार एवं पारण।
रविवार, दिनांक 22 मार्च 2015	1. अतिरेक मांगें वर्ष 2010-2011 तथा अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2014-2015 पर मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर मतदान एवं पारण। 2. राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2015 एवं राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2015 का पुर:स्थापन, उन पर विचार एवं पारण। 3. अनुदान की मांग संख्या:- 29- नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास, एवं 20- आवास - पर विचार एवं पारण।
गुरुवार, दिनांक 2 अप्रैल 2015 शुक्रवार, दिनांक 3 अप्रैल 2015 शनिवार, दिनांक 4 अप्रैल 2015 रविवार, दिनांक 5 अप्रैल 2015	बैठक नहीं होगी।

(श्री कालू लाल गुर्जर)

सोमवार, दिनांक 6 अप्रैल 2015	1. राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2015, एवं 2. महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर (संशोधन) विधेयक, 2015 - पर विचार एवं पारण
मंगलवार, दिनांक 7 अप्रैल 2015	1. राजस्थान कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2015, एवं 2. डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2015 - पर विचार एवं पारण।

माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 14वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन कार्य सलाहकार समिति के 14वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गई।

श्री भंवर सिंहजी।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय सभापति महोदय, राठौड़ साहब दूसरे की सीट से बोल रहे हैं। दूसरे की सीट पर से 'हां' कर रहे हैं। अपनी सीट पर जाकर के 'हां' करनी चाहिए। वैसे तो नियमों और कानूनों की बात करते हैं, ये यहां पर सबको सिखाते हैं कि ऐसे किया करो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, राठौड़ साहब दूसरे की सीट पर जाकर के बैठ सकते हैं, वहां से बोल नहीं सकते हैं। हां, बैठ सकते हैं।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): सभापति महोदय, वही तो बोला है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय सभापति महोदय, बोल नहीं सकते हैं तो 'हां' भी कर सकते हैं क्या? 'हां' भी तो बोलने की श्रेणी में आता है, श्रीमान्।

श्री सभापति: जी। यह जो 'हां' और 'ना' है, उसको आसन ध्वनि में सुनता है। एक-एक व्यक्ति की आवाज में नहीं सुनता है। ध्वनि ज्यादा थी, इसलिए सुनकर के पास किया गया।

श्री भंवर सिंहजी।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घण्टा और बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: माननीय, मैं यह कह रहा हूं, आप प्रस्ताव रख देते हैं, लेकिन अभी सत्ता पक्ष की तरफ से 15 सदस्य और बोलने वाले हैं; कांग्रेस से भी और निर्दलीय भी हैं। सबको थोड़ा-थोड़ा समय देंगे, दो-तीन माननीय मंत्री महोदय बोलेंगे। तो उनका एक घण्टे में पूरा नहीं हो पाएगा।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): समय देखकर फिर और बढ़ा देंगे। थोड़ा-थोड़ा टाइम ही दो, नहीं तो पूरी रात ही हो जाएगी। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मुख्य सचेतक महोदय, फिर आप सो जाएंगे, फिर, पता नहीं, कब बढ़ाएंगे। इसलिए आप तो बढ़वा दो अभी।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मंत्रियों के उत्तर होने तक समय बढ़ाया जाए।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आपको तो खुश होना चाहिए, इतनी लम्बी विधान सभा कभी चली है क्या? कितने लम्बे उदार हृदय से चला रही है सरकार। (व्यवधान) आपको तो बड़ाई करनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री सभापति: कितना करें?

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय डेढ़ घण्टे तक बढ़ाया जाए। (व्यवधान)

श्री सभापति: ...(व्यवधान) चलो, फिर बढ़ा लेंगे।

प्रश्न यह है कि सदन का समय डेढ़ घण्टे और बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

समय डेढ़ घण्टा बढ़ाया गया।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): इतना ही बढ़ाया है?

श्री सभापति: और बढ़ जाएगा। (व्यवधान) श्री भंवर सिंहजी। (व्यवधान) सुनिए भंवर सिंहजी को।

मांग संख्या 27, 46 व 38 पर विचार

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 27-पेयजल योजना और मांग संख्या 46 -इन्दिरा गांधी नहर परियोजना एवं सिंचाई के ऊपर चर्चा में भाग लेने की अनुमति देने के लिए आपका आभार।

माननीय सभापति महोदय, पीने का पानी आज मानव की सबसे बड़ी आवश्यकता है लेकिन आज प्रदेश में और विशेषकर हमारे मरुस्थलीय जिलों में पेयजल की भारी किल्लत का सामना स्थानीय जनता को करना पड़ता है। माननीय सभापति महोदय, बीकानेर जिले के बहुत बड़े भू-भाग में भूमिगत जल है वह खारा है, लवणीय होने के कारण पीने लायक नहीं है। मेरे विधान सभा क्षेत्र कोलायत के 110 गांव और ढाणियों तक इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से पेयजल का पानी पहुंचाने के लिए पिछले वर्षों में एक योजना स्वीकृत की गई थी लेकिन लम्बा समय बीत जाने के बावजूद यह योजना बहुत ही धीमी गति से चल रही है और क्षेत्र के लोगों में इस योजना के पूरे होने का इन्तजार लम्बे समय से है। माननीय सभापति महोदय, मैं कोलायत विधान सभा क्षेत्र के 110 गांव और करीब 50 ढाणियों को पेयजल से जोड़ने की योजना को जल्दी से जल्दी पूरा करवाने की मांग आपके माध्यम से मंत्री महोदय से करना चाहूंगा।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में सैकड़ों गांव और ढाणियां ऐसे हैं जहां जलदाय विभाग की कोई योजना स्वीकृत नहीं है, या उन गांवों तक पेयजल का कोई सीधा साधन नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन तमाम गांवों में और ऐसी ढाणियां, जहां लोग बड़ी संख्या में लम्बे समय से रह रहे हैं, वहां ट्यूबवेल, आदि नहीं हैं। मेरी मांग रहेगी कि इन गांव और ढाणियों में आने वाले समय में आवश्यकता के अनुसार वहां की क्षेत्र की मांग को देखते हुए पेयजल के लिए पी एच ई डी के माध्यम से ट्यूबवेल खुदवाए जाएं।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कई गांव और ढाणियां ऐसे हैं जहां पी एच ई डी स्कीम बनी हुई हैं और लाखों करोड़ों रुपये विभाग के लगे हुए हैं लेकिन लम्बे समय से, दो साल से, चार साल से,

(श्री भंवरसिंह)

छह महीनों से उन गांव और ढाणियों में स्कीमों के माध्यम से पानी नहीं पहुंच रहा है। स्थानीय जनता के बार-बार विरोध करने के बावजूद, जन-प्रतिनिधियों के बार-बार कहने के बावजूद, स्थानीय विभाग की उदासीनता की वजह से इन गांव और ढाणियों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। माननीय सभापति महोदय, विधान सभा क्षेत्र कोलायत में बड़ी तादाद में ऐसे गांव और ढाणियों में योजनाएं स्वीकृत हैं। इन योजनाओं के द्वारा पानी पहुंचाने के लिए सरकार को सख्त रवैया अपनाकर एक कार्य योजना बनानी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में जलदाय विभाग में जो तकनीकी अधिकारी होते हैं, जे ईएन, एक्स ईएन, इनके पचास परसेंट के करीब पद रिक्त हैं। मैं मेरे कोलायत विधान सभा क्षेत्र के बारे में बताना चाहूंगा कि ए ईएन के चार पद स्वीकृत हैं, उनमें से एक पद पर ए ईएन काम कर रहा है और तीन पदों का चार्ज एक ए ईएन को दे रखा है। जे ईएन के पद दस-बारह की संख्या में हैं लेकिन दो या तीन जे ईएन पूरे विधान सभा क्षेत्र में कार्यरत हैं। वहीं नीचे के लेवल के कर्मचारियों की बात करें, पम्प ड्राइवरों की बात करें, मेंटीनेंस करने वाले कर्मचारी हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, तमाम प्रकार के जो कर्मचारी हैं, वे सारे पद लम्बे समय से रिक्त चल रहे हैं। मेरा निवेदन रहेगा कि सरकार आने वाले समय में इन सभी स्कीमों को सुचारु रूप से चलाने के लिए और गांव में, ढाणियों में पानी पहुंचाने के लिए विभागीय अधिकारियों की, तकनीकी अधिकारियों की और कर्मचारियों की भर्ती की जाए।

माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण जल योजना को संचालित करने के लिए 500 रुपये प्रति माह के अस्थायी कर्मचारियों से काम चलाया जा रहा है, जो वर्षों से यह काम सम्भालते रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, 500 रुपये में एक महीने तक ट्यूबवेल चलाने का कार्य करने वाले ये लोग इस उम्मीद से इस योजना में काम कर रहे हैं कि हमें दस साल, बीस साल का समय हो गया और शायद सरकार हमारे बारे में कोई विचार करेगी और हमें स्थायी किया जाएगा, या हमारा मानदेय बढ़ाया जाएगा। लेकिन, माननीय सभापति महोदय, इन लोगों के बारे में, बीकानेर और आसपास के जिलों में यह योजना चल रही है और मात्र 500 रुपये में ये लोग काम कर रहे हैं, तो मेरा निवेदन मंत्री महोदय से रहेगा कि ग्रामीण जल योजना के इन कर्मचारियों

(श्री भंवरसिंह)

को 500 रुपये के स्थान पर एक उचित मानदेय दिया जाए जिससे ये लोग इन योजनाओं का संचालन कर सकें।

मेरा निवेदन रहेगा, पाइपलाइन लीकेज की बात करें, या ट्यूबवैल की मोटर खराब होने की बात करें, मोटर खराब होने पर कई दिनों तक उसे ठीक नहीं किया जाता है। रखरखाव और मेंटीनेंस का बजट है, उसकी भी बहुत कमी रहती है।

मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में कई जगह बिजली की बहुत कमी रहती है। वहां डीजल जनरेटर रखवा कर इन ट्यूबवेलों को चलाया जाए जिससे कि इन क्षेत्रों में पानी पर्याप्त और समय पर पहुंच पाए। डीजल के बजट का रोना, हमेशा विभाग के ए ईएन, जे ईएन और एक्स ईएन कहते हैं कि हमारे पास डीजल का और जनरेटर चलाने के लिए बजट नहीं है। मेरा निवेदन रहेगा कि जहां लाइट की कमी रहती है, ऐसे क्षेत्रों में पी एच ई डी के माध्यम से डीजल का पर्याप्त बजट रखा जाए। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस क्षेत्र में 6 घण्टे बिजली रहती है और पी एच ई डी के ट्यूबवेल उनसे जुड़े हुए हैं, ऐसे ट्यूबवैलों को सेपरेट फीडर से, डेडिकेटेड फीडर से जोड़ा जाए ताकि इन ट्यूबवैलों को 24 घण्टे चलाया जा सके और क्षेत्र की जनता को पेयजल उपलब्ध हो सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि नहरी क्षेत्रों में किसान खेतों में स्थायी रूप से निवास करते हैं लेकिन इनके स्वच्छ पेयजल का कोई स्रोत नहीं होने से इनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में 20-25 से लेकर 50 फीट तक की गहराई में बहुत ज्यादा पानी उपलब्ध है। तो मेरा निवेदन रहेगा कि इस क्षेत्र में जहां लोग ढाणियों में, खेतों में निवास करते हैं, ऐसे स्थानों पर हैण्डपम्प लगाने की पी एच ई डी के माध्यम से एक कार्य योजना बनाकर इस क्षेत्र के लोगों को पेयजल का पानी उपलब्ध कराया जाए।

माननीय सभापति महोदय, पिछली कांग्रेस की सरकार में प्रत्येक विधायक की अनुशंसा पर अपने विधान सभा क्षेत्र में जहां पानी का लेवल ऊंचा है, जहां हैण्डपम्प कामयाब होते हैं, वहां सौ-सौ हैण्डपम्प प्रत्येक विधायक की अनुशंसा पर, जहां तक मेरी जानकारी में है, लगवाये गये थे। मेरा निवेदन रहेगा कि हैण्डपम्प लगवाने के लिए मंत्री महोदया विधायकों की अनुशंसा पर

(श्री भंवरसिंह)

या स्थानीय जनता की मांग पर पेयजल के लिए हैण्डपम्पों के लिए अलग से बजट का प्रावधान करें।

मेरा निवेदन रहेगा कि हैण्डपम्प लगाने के जो नियम हैं, उनमें भी संशोधन किया जाए। क्योंकि 250 की आबादी पर हैण्डपम्प लगाने का अभी वर्तमान में प्रावधान है, जबकि एक हैण्डपम्प एक परिवार के लिए आवश्यकता की पूरी करता है। 250 की आबादी में यदि एक हैण्डपम्प से काम चलाना चाहें, तो निश्चित रूप से कागजों में ही सम्भव है। माननीय सभापति महोदय, ऐसे एक हैण्डपम्प के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि एक, दो या पांच ढाणियों तक तो इसकी भरपाई की जा सकती है।

इसके अलावा, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो पानी है, वह प्रदूषित पानी है। हमारे पूर्व के विधायकों ने बताया कि पंजाब सरकार के द्वारा लुधियाना व अलग-अलग जगह से इंदिरा गांधी नहर में फैक्टरियों, आदि का प्रदूषित पानी है, उस पानी को नहर में डाल दिया जाता है और वह पानी हमारे राजस्थान में आ रहा है। राजस्थान का किसान, राजस्थान का आम आदमी, उस प्रदूषित पानी को पीने को मजबूर हो रहा है।

श्री सभापति: यह विषय आ गया है।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): इसके सम्बन्ध में भी नहर मंत्री और पी एच ई डी मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इसमें कोई कार्यवाही की जाए।

इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि देशनोक और नोखा नगरपालिका क्षेत्र के लिए पिछली सरकार द्वारा आई जी एन पी का पानी उपलब्ध करवाने के लिए 2013-14 में 400 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की गयी थी। 19.3.2013 को इस योजना के लिए 399.07 करोड़ की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गयी थी, टेण्डर भी हो गये, लेकिन सरकार बदलने के साथ इस योजना को समीक्षा के नाम पर रोक दिया गया है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि पूरे नोखा विधान सभा क्षेत्र और देशनोक नगरपालिका क्षेत्र की जनता को मीठा व गुणवत्तायुक्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 400 करोड़ की इस महत्वाकांक्षी योजना को स्वीकृति दिलाकर क्षेत्र की जनता को राहत दिलाने की कृपा करें।

(श्री भंवरसिंह)

इसके अलावा, गांव और ढाणियों में गर्मियों में पेयजल परिवहन के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। इसमें एक बहुत बड़ी त्रुटि है कि पेयजल जो परिवहन के माध्यम से दिया जाता है, उसमें एक सदस्य को 15 लीटर पानी दिया जाता है। सभापति महोदय, एक परिवार में पशुधन भी होता है, परिवार को पानी की और भी आवश्यकताएं होती हैं। यह बहुत ही पुराना नियम है, 15 लीटर प्रति यूनिट पानी देने का। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस नियम में बदलाव किया जाना चाहिए और वहां आज की आवश्यकता के अनुसार जितना पानी होना चाहिए, उसके अनुरूप पेयजल के माध्यम से रेगिस्तानी क्षेत्र और मरुस्थलीय क्षेत्र में पानी उपलब्ध कराया जाय।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा कोलायत विधान सभा क्षेत्र 200 किलोमीटर में फैला हुआ है और एक्स ईएन आफिस अभी बीकानेर में है। कोलायत विधान सभा क्षेत्र में तहसील मुख्यालय पर अधिशासी अभियन्ता कार्यालय खोलने की मांग मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा।

श्री सभापति: विराजिए। विराजिए।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): सभापति महोदय, आई जी एन पी के माध्यम से मैं दो-तीन बातें कहना चाहूंगा।

श्री सभापति: आप समाप्त करें, माननीय सदस्य। सबको बोलना है आज। संक्षेप कर दें। एक मिनट में बोलें आप।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): दो मिनट में।

श्री सभापति: हां, बोलिए।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): सभापति महोदय, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कोलायत विधान सभा क्षेत्र, खाजूवाला विधान सभा क्षेत्र में आई जी एन पी का बहुत बड़ा क्षेत्र है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हरिके से मसीतांवाली हैड तक आई जी एन पी की जो मुख्य नहर है, उस नहर की स्थिति आज बहुत दयनीय है। उसकी मेंटीनेंस की, उसकी रिपेयरिंग की कार्य योजना मंत्री महोदय बनाएं। मंत्री महोदय आई जी एन पी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, मेरा निवेदन रहेगा कि मुख्य मसीतांवाली हैड से मुख्य नहर तक की जो फीडर नहर है, इस नहर की आने वाले समय में मरम्मत की जाय।

(श्री भंवरसिंह)

इसके अलावा, हमारी मुख्य मंत्रीजी ने पिछले बजट में एक घोषणा की थी कि आई जी एन पी की लिफ्ट का एरिया है, उस एरिया में जो 6 लिफ्ट हैं, कोलायत, बांगड़सर, अलग-अलग लिफ्ट, उनमें करीब 1,500 करोड़ की लागत से बहुत बड़े भूभाग में स्प्रिंकलर सिस्टम के माध्यम से खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक कार्य योजना का ऐलान किया है। पिछले बजट से इस बजट तक हम पहुंच चुके हैं, लेकिन इस कार्य योजना पर अभी तक यह सिर्फ बजट घोषणा ही है। स्प्रिंकलर के माध्यम से लिफ्ट नहरों के एरिया को सिंचित करने की घोषणा की गयी है, इस घोषणा पर कोई अमल नहीं हुआ है। मेरा निवेदन रहेगा कि स्प्रिंकलर के माध्यम से लिफ्ट नहरों में सिंचाई आने वाले समय में सुनिश्चित की जाय।

एक अन्तिम बात और मैं कहना चाहूंगा कि हमारा जो आई जी एन पी का लिफ्ट का एरिया है, आई जी एन पी के निर्माण के समय सड़कों का निर्माण किया गया था। हमारी मुख्य मंत्रीजी ने पिछले बजट में यह घोषणा की थी कि आई जी एन पी की नहर के निर्माण के समय जो सड़कें बनी थीं, उन सड़कों की मेंटीनेंस के लिए, उन सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए हम बजट में प्रावधान कर रहे हैं और आने वाले समय में इनका दुबारा निर्माण किया जाएगा, लेकिन इन सड़कों के बारे में आज तक दुबारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन रहेगा कि आई जी एन पी क्षेत्र की 476 किलोमीटर लम्बी सड़कों का, जो आज आवागमन का बहुत बड़ा जरिया हो चुका है, इन सड़कों के पुनर्निर्माण, नवीनीकरण के लिए कुछ कठोर कदम उठाने चाहिए और अपनी बजट घोषणा के अनुसार इन सड़कों के निर्माण करने की मैं मांग करना चाहूंगा।

श्री सभापति: विराजें, माननीय सदस्य। समाप्त हुआ, विराजें। हो गया आपका। हो गया, माननीय सदस्य, विराजें। श्री रणधीर सिंह भीण्डर।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं पेयजल योजना और सिंचाई पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, एक मिनट। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि प्रदेश की कोई महत्वपूर्ण बात कहनी हो तो वह बात कहकर, फिर अपने क्षेत्र की बात को रख दें, ताकि समयबद्ध हम हमारा कार्यक्रम पूरा कर सकें। बोलिए, माननीय सदस्य।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): सभापति महोदय, मैं तो अपने क्षेत्र की बात ही कहता हूं।

श्री सभापति: आपके लिए नहीं, मैं सबके लिए कह रहा हूं।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): सभापति महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र उदयपुर जिले का सबसे बड़ा विधान सभा क्षेत्र है। इसमें करीब 3 लाख 30 हजार आबादी है और 68 पंचायतें हैं, दो नगरपालिकाएं हैं। पीने के पानी की जो स्कीम्स हैं, उनमें पी एच ई डी की 14 रूरल हैं और 2 अर्बन हैं। जनता जल योजना 20 हैं। मेरी जो 16 नई पंचायतें जुड़ी हैं, उनमें 4 स्कीम पेयजल की हैं और जनता जल योजना की 3 स्कीम हैं। लेकिन सब स्कीमों में बहुत बुरी स्थिति है। पानी के स्रोत सूखने लगे हैं, पानी की सप्लाई निरन्तर नहीं हो रही है, पाइपलाइनें गल गयी हैं, बहुत पुरानी हैं। जनता जल योजनाएं जो चल रही हैं, उनके बिजली के बिल भी बाकी हैं। इसके अलावा, उनकी पाइपलाइनें भी रखरखाव व मोटरों के कारण भी बहुत-सी जनता जल योजनाएं ठप पड़ी हैं, जिन पर सरकार का ध्यान जाना चाहिए।

सभापति महोदय, मेरे यहां 192 गांवों में बिलकुल पेयजल उपलब्ध नहीं है और 40 गांव ऐसे हैं जिनमें पानी में अशुद्धियां हैं, जैसे फ्लोराइड व अन्य अशुद्धियां। बहुत समय पहले भैरोंसिंहजी के समय पर देवास योजना शुरू हुई थी।

श्री सभापति: पेयजल मंत्रीजी तो आपके बहुत नजदीक हैं।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): नजदीक हैं, लेकिन मैं अपनी बात को यहां सभा में रखूंगा तो ठीक रहेगा।

श्री सभापति: ठीक है, बोलिए, बोलिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह राज आपको कैसे मालूम पड़ा, सभापति महोदय?

श्री सभापति: यह मुझे बहुत वर्षों से मालूम है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): हिन्दुस्तान में जासूसी प्रकरण की चर्चा बहुत हो रही है, सभापति महोदय। कहीं कुछ ऐसे आपने तो नहीं...

श्री सभापति: यह सारा काम तो सरकारों के पास होता है, हुजूर।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): सभापति महोदय, शेखावत साहब के समय पर देवास योजना बनी थी और देवास योजना के लिए नाबार्ड

से एक एम ओ यू साइन हुआ था। उसमें पी एच ई डी, सरकार, हिन्दुस्तान जिंक व नाबार्ड के बीच में एक एम ओ यू साइन हुआ। नाबार्ड ने उस समय यह कहा था कि हम शहरों को पानी नहीं देते, इसलिए आप ग्रामीण क्षेत्र में पीने का पानी उपलब्ध कराओ तो हम आपको इस योजना में स्वीकृति देंगे। उस समय वल्लभनगर और मावली का नाम लिया गया, उस एम ओ यू में साइन किया गया, लेकिन वल्लभनगर का नाम तो गायब हो गया और वहां उदयपुर शहर में पानी जा रहा है। सभापति महोदय, यह जो एम ओ यू है, उस एग्रीमेंट के बारे में...(व्यवधान)

श्री सभापति: उस समय जब यह पानी गया, उस समय वहां की नगर परिषद की सभापति श्रीमती किरण माहेश्वरीजी थीं।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): सभापति महोदय, अभी कुछ दिन पहले एक वरिष्ठ मंत्रीजी की अख़बार में मैंने सूचना पढ़ी थी कि देवास का पानी अगर राजसमन्द जाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उदयपुर से पहले वल्लभनगर को पानी मिल जाए, उस एम ओ यू की तर्ज पर, तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि जो पानी उदयपुर को दिया जा रहा है उसमें वल्लभनगर व मावली का हिस्सा पहले है, क्योंकि एम ओ यू में ऐसा साइन किया हुआ है।

(16.49 बजे)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

अध्यक्ष महोदय, वल्लभनगर के तो आप स्वयं हैं, आप खुद जानते हैं कि वहां पर कितनी पानी की समस्या है। देवास योजना आपके समय पर, भैरोंसिंहजी के टाइम पर शुरू हुई थी और जो एम ओ यू साइन हुआ था, उसमें यह तय हुआ था कि वल्लभनगर और मावली को भी पानी दिया जाएगा, लेकिन वल्लभनगर और मावली को पानी नहीं देकर, उदयपुर शहर को पानी जा रहा है।

मेरा आपसे निवेदन है कि हिन्दुस्तान जिंक को आपने डेडिकेटेड पाइपलाइन दे रखी है और हिन्दुस्तान जिंक अपनी दरीबा माइंस तक पानी की पाइपलाइन ले गया है। हिन्दुस्तान जिंक पूरी 12 पंचायतों को खराब कर चुका है और उसके रिसाव से 12 पंचायतों के करीब 50-55 गांवों में पीने लायक पानी नहीं रहा है। आपने हिन्दुस्तान जिंक को डेडिकेटेड पाइपलाइन दे दी पर वल्लभनगर के लिए आपने सोचा ही नहीं कि वल्लभनगर को भी डेडिकेटेड पाइपलाइन देनी चाहिए।

(म. रणधीर सिंह भीण्डर)

अध्यक्ष महोदय, हमने एक योजना कसोटिया योजना बनाई। कसोटिया बांध से पानी लाकर हमारे जो समस्याग्रस्त गांव हैं, उनमें से 180 गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने की यह योजना बनाई थी और मंत्री महोदया को भी, मुख्य मंत्रीजी को भी हमने वह योजना भेजी है। उसमें बांध का खर्चा मात्र 30 करोड़ रुपये है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वर्ष 30 करोड़ रुपया आप स्वीकृत करें ताकि बांध का निर्माण शुरू हो सके। अगले वर्ष आप और योजना में पैसे दें ताकि उन 180 गांवों में पेयजल उपलब्ध हो सके।

अध्यक्ष महोदय, 2002 में तत्कालीन मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत और गुलाब सिंहजी शक्तावत एक हेलिकाप्टर लेकर मेरे क्षेत्र में आयें और मेणार में आकर शिलान्यास किया वाना मेणार बांध का। उस मेणार वाना बांध का न तो आज तक कुछ पता चला, न वह बना और न हमको उसकी आगे जानकारी है कि वह बनेगा या नहीं बनेगा। जब पूर्व मुख्य मंत्री जी ने वहां पर आकर शिलान्यास किया है, गृह मंत्रीजी साथ में थे, उस बांध का क्या हुआ? उस बांध की जानकारी मैं सरकार से अवश्य चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मेरे यहां पर एक रानी डूंगला बांध है जिसमें पर्याप्त पानी है और वहां से 9 पंचायतों में पानी ले जाया जा सकता है, जिससे हमारे उस क्षेत्र में काफी फायदा होगा।

अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने विधायक फंड का पिछले साल करीब 70-80 प्रतिशत खर्चा सिर्फ पेयजल के लिए किया है और अगले साल भी मैं यही करने वाला हूं, लेकिन फिर भी सरकार को हमारी समस्या को गम्भीरता से लेना होगा और पेयजल उपलब्ध कराना होगा।

सिंचाई के मामले में, अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर दो बांध हैं, उदयसागर और वल्लभनगर। दोनों ही बांधों में पर्याप्त पानी आने पर सिंचाई होती है, लेकिन नहरों का रखरखाव कांग्रेस राज में कभी हुआ ही नहीं। सिंचाई मंत्रीजी, आपसे आशा है कि आप इन नहरों की मरम्मत भी करायेंगे और नहरों को पक्की भी करायेंगे। उदयसागर की जो दायीं नहर है, उसको गूपड़ी व मालकीटूस पंचायतों तक आगे बढ़ा देंगे तो उस क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या का भी समाधान होगा और किसानों को अच्छा, पर्याप्त पानी मिलेगा, जिससे वे खेती अच्छी तरह से कर सकेंगे। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इन दोनों योजनाओं में हमें पूरा सहयोग प्रदान करावें।

अध्यक्ष महोदय, मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री पब्बाराम। निवेदन यही है कि आप संक्षेप में करें।

श्री पब्बाराम (फलौदी): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, पिछला जो बजट है, इसमें हमें दो जलप्रदाय योजनाओं के लिए, फलौदी क्षेत्र के लिए, माननीय मंत्रीजी ने जो बजट दिया, उनका मैं आपके माध्यम से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि ये जलप्रदाय योजनाएं उन 12 जलप्रदाय योजनाओं में थीं जिनको पिछली सरकार ने बन्द कर दिया था अथवा रोक दिया था। उनके लिए बजट देकर उनको पूरा करने का आपने जो कार्य किया है, इसके लिए धन्यवाद। परन्तु अभी और दो जलप्रदाय योजनाएं हैं जिनमें क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना बावड़ी कलां, खारा, जालोड़ा योजना है, इनका कार्य आगे इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि यहां पर भूमि आवंटन का कार्य नहीं हो रहा है। मुख्य हैडवर्क्स हैं, उसके लिए जो शिवसर तालाब है, माननीया मुख्य मंत्री वसुंधराजी ने तत्कालीन समय में 5 तालाबों को एक करके जल का बड़ा स्रोत बनाया था और वहां से पानी की सप्लाई पूरे शहर और अन्य क्षेत्रों को होनी थी; उसके पास में अन्य क्षेत्रों को भी पानी सप्लाई के लिए इस योजना के तहत जाना है, परन्तु मुख्य हैडवर्क्स के लिए भी जमीन आबंटित नहीं होगी तो यह आगे कैसे बढ़ पाएगा? यहां पर 95 बीघा जमीन आबंटन का प्रकरण लम्बित है। मैं निवेदन करूंगा कि आप इसको बढ़ायें और यह आबंटन करवायें।

जो खण्ड 6 है, जिसके अन्दर ये प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इस खण्ड 6 के अन्दर अभियंताओं की निहायत कमी है। यहां पर एक एक्स.ईएन. काम कर रहा है और 6 सहायक अभियंताओं के पूरे पद रिक्त हैं। इसलिए सारी योजनाएं आगे बढ़ने में संशय है।

दूसरा, विधान सभा क्षेत्र फलौदी में रड़कापुरा, कुछ 6 गांव ऐसे हैं जहां पर नीचे फ्लोराइडयुक्त पानी हो गया और जिसका निवेदन मैंने मंत्रीजी से जोधपुर दौरे के समय किया था। फलौदी विधान सभा क्षेत्र में रड़कापुरा गांव के लोगों के दांत भी आज पीले पड़ गये हैं क्योंकि वे लगातार फ्लोराइडयुक्त पानी पी रहे हैं। रड़कापुरा, पड़ियार, बरसाजर, भिंयासर, गांधीसागर और सजनाणियों की ढाणी, ये 6 पंचायतें हैं जिनके लिए जलप्रदाय योजना के लिए आपने जो सर्वे करवाने का कहा था, वह कार्य आगे बढ़े, वह कार्यरूप में परिणत हो, यह मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो बावड़ी कलां वाला है, इसका कार्य भी आगे बढ़े और अन्य जो आबंटन हैं, उनका कार्य भी आगे बढ़े।

(श्री पब्बाराम)

इसी प्रकार से, फलौदी शहर जो 80 हजार की जनसंख्या वाला क्षेत्र है, उसके अन्दर सिर्फ एक फिल्टर प्लांट है। यदा-कदा पानी गन्दा आता है और गन्दे पानी की बातें समाचार पत्रों में भी यदा-कदा आती हैं तथा सुर्खियां बनती हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि एक दूसरा फिल्टर प्लांट, जिसकी योजना अधिकारियों ने आप तक पहुंचाई है, कृपया उसको स्वीकृति दें।

इसी प्रकार से, शहर का ¼ हिस्सा ऊपरी भाग में पड़ता है, थोड़ा पहाड़ी टाइप है या ऊंचा क्षेत्र है, वह केशव कुटिया क्षेत्र है। यहां पर पानी की सप्लाई पूर्ण वेग से नहीं हो पा रही है। वहां पर एक एस.आर. बनाने हेतु एक प्रस्ताव लम्बित है। मेरा आपसे आग्रह है कि वह एस.आर. बना दें तो उस पूरे क्षेत्र में पानी की सप्लाई पूर्ण वेग के साथ में सम्भव हो सकती है।

इसी प्रकार से, इन 3-4 योजनाओं के द्वारा कुछ गांव तो जुड़ेंगे परन्तु जो फलौदी क्षेत्र है, यह जैसलमेर और बीकानेर से लगता हुआ क्षेत्र है और यहां पर भी कमोबेश वही स्थितियां हैं जो बीकानेर और जैसलमेर में पानी की किल्लत वाली हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि वहां पर जो वंचित गांव हैं, उनके लिए भी सर्वे कराकर आगे का कार्य शुरू करायें।

अभी पिछला जो खरीफ का मौसम था, उसमें भी बरसात नहीं हुई और वहां के नाड़ी-तालाबों में बिलकुल पानी नहीं है। इस बारे में मैं बार-बार आग्रह भी कर चुका हूं कि वहां पर पशुओं के लिए भी पानी उपलब्ध नहीं है और नाड़ी-तालाब खाली पड़े हैं। इसलिए कृपया आपात योजना के द्वारा वहां पर टैंकर से सप्लाई करने का कार्य भी जल्दी शुरू करवायें, ऐसा मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

इसी प्रकार से सिंचाई योजनाओं के बारे में मैं माननीय सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में तीन लिफ्ट कैनाल आती हैं, जम्भेश्वर लिफ्ट, पोकरण लिफ्ट और कोलायत लिफ्ट की एक वितरिका, खिदरत वितरिका। इनके अन्दर गुरु जम्भेश्वर लिफ्ट नहर पर तालरिया माइनर पर आगे 3-4 किलोमीटर तक तो पानी पहुंचता है परन्तु नैंवा गांव का काफी हिस्सा, इसमें काफी कमी रह गई है और वहां पर वह पानी नहीं पहुंच पाता तथा उसको उसके सर्वे में नहीं लिया गया है। मेरा आपसे आग्रह है कि नैंवा गांव के तहत खेत खसरा नम्बर 14, 16, 17, 18, 19 और 522, जो बिलकुल पास में हैं, उसके शुरू होने पर ही आ जाते हैं और 4 किलोमीटर आगे तक

(श्री पब्बाराम)

पानी की सिंचाई होती है, तो उनको भी साथ में लिया जाए। ऐसा मेरा निवेदन है।

दो बातें और निवेदन करनी हैं।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये। दो बातें और निवेदन कर दीजिये।

श्री पब्बाराम (फलौदी): फलौदी लिफ्ट नहर प्रणाली में राज्य सरकार द्वारा सिंचित क्षेत्र 35,604 हेक्टेयर के लिए 176 क्यूसेक्स पानी निर्धारित किया गया था। माननीया वसुंधरा जी राजे जिस समय सुराज संकल्प यात्रा में आई थीं तो हमने निवेदन किया था कि यहां पर इस लिफ्ट में पानी बिलकुल नहीं दिया जा रहा है, पेयजल भी नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने कहा कि हम पानी

(17.00 बजे)

देंगे, और आते ही 75 क्यूसेक्स पानी मिलना शुरू हो गया और लोगों ने सिंचाई शुरू कर दी। यहां पर 176 क्यूसेक्स पानी निर्धारित है, मेरा निवेदन है कि आप उस पूरे पानी को दें। इसके अतिरिक्त, छीजत के लिए 10 क्यूसेक्स और 15 क्यूसेक्स पेयजल हेतु निर्धारित पानी को भी दें। इस प्रकार से 200 क्यूसेक्स जल उपलब्ध करवायें ताकि वहां की पूरी सिंचाई व्यवस्था सुचारु रूप से चल सके।

इसी प्रकार से, इसी सिंचाई नहर के ऊपर सात ऐसे पुल हैं जहां पर लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने खेतों में जाते हैं और आबादी इधर से उधर जाती है। उस पुल का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है और लोगों को 7-7, 8-8, 10-10 किलोमीटर दूर घूमकर जाना पड़ता है। मेरा आग्रह है माननीय मंत्रीजी से कि उनके ऊपर पुल भी बनवायें, जिसकी सूची मैंने आपसे निवेदन कर दी है।

श्री अध्यक्ष: बाकी आप लिखित में दे दीजिये। बाकी रह गया हो तो आप लिखित में दे दीजिये। हां, एक और ले लीजिये।

श्री पब्बाराम (फलौदी): हां, हुकुम। एक और है। लिफ्ट कैनाल, जम्बेश्वर लिफ्ट पर स्टेशन संख्या, पम्पिंग स्टेशन 4 से 7 के बीच में है। चोर लाइनें उखाड़कर ले गये हैं। वह सारा बाकी इन्फ्रास्ट्रक्चर वहां पर तैयार है, मशीनें हैं वहां पर, पानी लास्ट टेल तक पहुंचाया जा सकता है परन्तु वह कनेक्शन तोड़कर ले गये हैं। पुराने समय में तत्कालीन सरकार ने न तो एफ आई आर लाज की है और न ही उसके ऊपर कोई कार्रवाई की है। मेरा आपसे आग्रह है कि पम्पिंग स्टेशन 4 से लेकर 7 तक विद्युत लाइनों को पुन: लगाने

(श्री पब्बाराम)

के सम्बन्ध में आप थोड़ा एक्शन लें और इसको आगे बढ़ायें ताकि वहां टेल तक पानी पहुंच सके। यही मेरा निवेदन है। इसके ऊपर कार्य करेंगे, ऐसा मेरा निवेदन है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। विराजिये। श्री बाबूसिंह। संक्षेप में।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में अभी सबसे बड़ी समस्या है जनता जल योजना की और यह जनता जल योजना राजस्थान के करीबन 6,000 से अधिक गांवों में चल रही है। पूर्ववर्ती सरकार के समय में इन सारी योजनाओं को पंचायती राज विभाग में दे दिया गया था। न तो उनमें कोई इंजीनियर थे, न कोई तकनीकी सहायक थे, न कर्मचारी थे। ऐसे में जब वह पंचायती राज विभाग के पास गई तो पहले तो पंचायत पैसा भरते थे। अब वह राजनैतिक भेदभाव से उन्होंने कई ट्यूबवैल्स पर स्कीमों में पैसा जमा नहीं कराया जिससे वे ट्यूबवैल बंद हो गये। अब वे स्कीमें भी बंद हो रही हैं और वास्तव में उनके विद्युत के बिल बकाया हैं, विद्युत के बिल जमा नहीं हो रहे हैं।

हम यह चाह रहे हैं कि पूर्व की भांति यह काम जलदाय विभाग ही करे और जलदाय विभाग जैसे ही कोई योजना स्वीकृत करता है तो उस योजना को कलक्टर से परमिशन लेकर चलाये, अन्यथा इस जनता जल योजना की बहुत बड़ी भयंकर परेशानी पूरे इलाके में हो रही है। मैं यह कह सकता हूं कि जनता जल योजनाओं के माध्यम से कितने समय से लोग सेवा का माध्यम बनाकर इस योजना को चला रहे हैं। 500 रुपये में हमारा आदमी वहां पर रहता है और वह योजना को चलाता है। उसके बाद में आदरणीया वसुन्धराजी ने एक हजार रुपये किये थे और मेंटीनेंस के 400 रुपये मिलते थे।

मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि पिछली बार बजट के अन्दर पैरा नम्बर 39 में यह घोषणा की गई थी, ''पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने और उन्हें ग्रामीण जलप्रदाय योजनाओं के लिए प्रभावी रूप से उत्तरदायी बनाने के उद्देश्य से मैं घोषणा करती हूं कि सभी पंचायत स्तरीय पेयजल योजनाओं को एक बार पी एच ई डी के माध्यम से दुरुस्त कर पंचायतों को सुपुर्द किया जायेगा। पंचायतों के पास उपलब्ध टी एफ सी, एस एफ सी अनुदान का एक निर्धारित अंश पेयजल आपूर्ति के लिए उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा। इन योजनाओं का सुनियोजित तथा कुशल तकनीकी

(श्री बाबू सिंह)

प्रबन्धन हो सके, इस हेतु पर्याप्त इंजीनियर्स तथा अन्य तकनीकी स्टाफ प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर उपलब्ध कराये जायेंगे और पंचायत समितियों को इन योजनाओं के संचालन तथा नियंत्रण का उत्तरदायित्व सौंपा जायेगा।'' यह काम अभी तक नहीं हुआ है। इसलिए न तो आप तकनीकी सहायक भर्ती कर सकते हैं, न इंजीनियर की अलग से भर्ती कर सकते हैं।

जब जलदाय विभाग के पास, आपके पास इंजीनियर हैं, तकनीकी रूप से सक्षम हैं, वे सारा यह काम कर रहे थे; पांच साल में पूरा का पूरा उसमें पम्प, मशीनरी, सब देते थे और मेंटीनेंस भी समय पर कराते थे; विद्युत बिल समय पर जमा होते थे। पूरे सदन की यह मांग है कि पंचायती राज से नहीं होकर, यह जनता जल योजना है, जलदाय विभाग से ही की जानी चाहिये। इस जनता जल योजना से बहुत बड़ी परेशानी हो रही है।

उसके पास में जितने कर्मचारी हैं, वे कह रहे हैं कि हमको डेली वेजेज नहीं मिलता है। बेचारे घूमते हैं, फिरते हैं। उसके बाद वे अपने चप्पल और जूते फाड़ते हुए कोर्ट में गये। वहां से मिनिमम वेज का आदेश हुआ। तब से उनको 2,500 रुपये मिलने शुरू हुए हैं। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि वास्तव में वे धर्म का काम कर रहे हैं, इसलिए जितनी भी जनता जल योजना हैं; 15 साल, 20 साल से चल रही हैं और कर्मचारी वहां जो लगे हुए हैं, उनको कम से कम 5-6 हजार का मानदेय दें और जो मरम्मत राशि है, वह पहले 400 रुपये मिल रही थी, उसको बढ़ाकर 2,000 रुपये करें। एक बार में कोई पम्प तैयार करेगा, 2,000 रुपये से कम में कभी पम्प तैयार नहीं होता है और आप उनको होर्स पावर के ही 400 रुपये दे रहे हैं। इसलिए मरम्मत राशि भी बढ़ायें। संचालन और संधारण के लिए भी राशि बढ़ायें और इस जनता जल योजना को जलदाय विभाग के माध्यम से करवाकर इस व्यवस्था को सुनिश्चित करें। यह हमारी सरकार से खास तौर से मांग है।

इसके साथ ही मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि वास्तव में ऐसे मरुस्थलीय इलाके के अन्दर जो धरती पानी के लिए प्यासी है, वहां पर आदरणीया वसुन्धराजी स्वयं ने शेरगढ़ जाकर दो महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की थी। कांग्रेस के राज में उन योजनाओं को रोका। पिछले बजट में हमारे बालेसर की योजना की घोषणा की। एक साल में उस योजना को पूरा करके 77 गांवों में पानी पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने

(श्री बाबू सिंह)

किया। उसके साथ 234.46 करोड़ रुपये की योजना 11.10.2007 को वसुन्धराजी ने 264 गांवों में पानी पहुंचाने की स्वीकृत की थी। वह भी उन्होंने अधूरी रखी। इस बार बजट में स्वयं मुख्य मंत्रीजी ने कहा है कि केन्द्रीय सरकार से पैसा मिलेगा, चाहे नहीं मिलेगा, लेकिन 72 करोड़ रुपये की स्कीम बनाकर मंगाई है। उन्होंने कहा कि हम मुम्बई भेजेंगे और हम नाबार्ड से भी पैसा लेकर एक साल में अब आपकी योजना को पूरी करेंगे। जो उन्होंने घोषणा की है, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। अब उस शेरगढ़ की वह लाइफ-लाइन पूरी होगी।

साथ-साथ ही मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो हमारा इलाका है, वहां पर कई जगह खारा पानी भी है, फ्लोराइड है, नाइट्रेट है। सबसे अच्छा निर्णय आपने लिया है कि जो आर.ओ. प्लांट आप लगा रहे हैं, वास्तव में 10 पैसे में एक लीटर पानी, 50 लीटर पानी चार रुपये में गांव के अन्दर मिल रहा है। अब वहां आर.ओ. प्लांट लग गये। खारे पानी के ट्यूबवैल हो गये, पानी बहुत है लेकिन खारा है, अब वह पानी मीठा हो रहा है और वास्तव में लोग मीठे पानी को तरस रहे थे, उन आर.ओ. प्लांट के माध्यम से उनको मिल रहा है। इस प्रकार के आर.ओ. प्लांट, हम चाहेंगे, जहां खारा पानी है, फ्लोराइडयुक्त है, प्रत्येक राजस्व गांव मुख्यालय पर इस प्रकार के आर.ओ. प्लांट आप लगाने का निर्णय करें जिससे पानी की जो समस्या है, उसका समाधान हो सके।

साथ ही मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो हमारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम है एन आर यू डब्ल्यू पी, उसके तहत आप पानी पहुंचाने का योजना बनाकर काम कर रहे हैं। मरुस्थल में तो 100 प्रतिशत पैसा केन्द्र सरकार से मिल रहा है। इसलिए हम चाहेंगे कि हमारे मरुस्थलीय इलाके में जहां पर पानी खारा है, वहां पर आप अच्छे माडल टांके बनायें। हमने पहली बार योजना बनाकर भेजी। वहां से पांच-पांच लाख रुपये के टांके मंजूर होकर आये हैं। उसमें बहुत बड़ा आगोर बन रहा है। आर सी सी के फरमे का बहुत अच्छा टांका बन रहा है और जब बरसात होगी तो वहां टांका 20,000 लीटर का भर जायेगा और छह महीनों तक पानी खतम नहीं होगा। तो बरसात का पानी भी वहां संग्रहित होगा। साथ में हमारी वसुन्धराजी ने जिस योजना की घोषणा की है, यह योजना आएगी तो पाइपलाइन से वे जुड़ जायेंगे और टांके भर जायेंगे। दोनों काम होंगे। पाइपलाइन का पानी आयेगा, उससे भी और

(श्री बाबू सिंह)

बरसात का पानी भी आयेगा। तो खास तौर से यह जो मरुस्थलीय इलाका है, चाहे बाड़मेर है, चाहे जैसलमेर है, चाहे जोधपुर है, इन जिलों के अन्दर इस राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम में आप सारे टांके बनाकर, उसके साथ आगोर लें और माडल टांके बनायें जिससे बरसाती पानी को वहां बचा सकें। यह काम भी आप करें।

उसके साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जितनी भी आप पानी की योजनाएं तैयार कर रहे हैं, अब कर्मचारियों की तो कमी है, इसलिए सारी योजनाओं में उसका संचालन और संधारण करने के लिए आपको ओ. एण्ड एम. साथ ही करना पड़ेगा। उसके रखरखाव, संचालन और संधारण के लिए दो साल में करिये, चाहे पांच साल में करिये, अच्छा काम करेगा तो काम की गुणवत्ता भी सामने आयेगी। आप ठेकेदार को स्वयं को उसके साथ में दे दें कि पांच साल में आपकी गारंटी होगी इस योजना को चलाने के लिए। लेकिन अभी जो योजनाएं बन रही हैं, अब उसमें टंकी भी है, पाइपलाइन भी है, ट्यूबवेल भी है लेकिन आप एनुअल टेंडर दे रहे हैं, वार्षिक निविदा कर रहे हैं, जिसमें पाइप लगाने की वार्षिक निविदा। अब एक ठेकेदार तो पाइपलाइन लगा रहा है, दूसरा ठेकेदार टंकी बना रहा है। तो वे कहेंगे कि हमारा काम तो टंकी जोड़ने का नहीं है। वह टंकी बनाकर छोड़कर चला गया, पाइपलाइन लगाकर छोड़कर चला गया, ट्यूबवैल बनाकर छोड़कर चला गया। क्यों नहीं जो वर्क पूरा सैंक्शन हुआ है, वह पूरा का पूरा उसी ठेकेदार को मिले और ओ. एण्ड एम. के साथ वह काम करे जिससे वह योजना आगे तक चल सके? क्योंकि आपके यहां कर्मचारियों की और तकनीकी सहायकों की, इंजीनियरों की कमी है। हमें विश्वास है कि अब आप अभियन्ता तो भर्ती करेंगे, तकनीकी सहायक लेंगे, कर्मचारी लेंगे, उनके माध्यम से करेंगे लेकिन सारी पेयजल की योजना हैं, आप ओ. एण्ड एम. डालकर करेंगे तो ये गांवों में सुचारु रूप से चल सकेंगी; नहीं तो इन योजनाओं का काम होने के बाद और बिल पास होने के बाद कोई धणी-धोरी रहता नहीं है। इसलिए आप इनको ओ. एण्ड एम. करें।

अब हम यह खुद देख रहे हैं कि आप खोदते हैण्डपम्प हैं और हैण्डपम्प हाथ से चलाने के लिए होता है। होता तो वह पांच इंच चौड़ा है। अब उसके अन्दर योजना आती है कि सिंगल फेज लगायेंगे। आप उसके अन्दर सिंगल फेज बोरिंग कर देते हैं। अब पांच इंच का हैण्डपम्प है और सिंगल फेज

(श्री बाबू सिंह)

डाल दिया। वे सिंगल फेज फंसे पड़े रहते हैं, वापस बाहर नहीं निकलते हैं। अधिकतर सिंगल फेज आपके नाकामयाब हो गये हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि जहां आप सिंगल फेज लगा रहे हैं, वहां बोरिंग करें, वह होल आठ इंच का हो। जैसे आप ट्यूबवैल्स खोदते हैं, वह आठ इंच का करो, चाहे 10 इंच का करो और उसके बाद में आप सिंगल फेज लगाओ जिससे वे योजनाएं सही ढंग से चल सकें।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): दो-तीन पांइट हैं।

श्री अध्यक्ष: पाइंट ही बोल लीजिए।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): पाइंट ही बोल रहा हूं।

इसके साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जितने ये अवैध कनेक्शन हो रहे हैं, जैसे बिजली में विजिलेंस है, वैसे ही आपको जलदाय विभाग में भी विजिलेंस लानी पड़ेगी। विजिलेंस लाकर के, यह सारा जो अवैध कनेक्शन की वजह से करोड़ों रुपयों का नुकसान सरकार को हो रहा है, उसको रोकने का काम भी आपको साथ-साथ करना पड़ेगा।

हमारे जो परम्परागत स्रोत हैं, जैसे ओपन वेल हैं, कुएं हैं, जो हमारे पूर्वजों ने बनाये हैं, आंधियां चलने से उनमें कचरा और मिट्टी आ गई हैं। आप सारे जितने भी परम्परागत स्रोत हैं, चाहे वह बावड़ी हैं, चाहे कुएं हैं, उन सबकी सफाई करायें, उनमें बोरिंग करायें और उनकी मरम्मत करायें, कोटे खेलियां सब तैयार करायें, जिससे हमारा वह रिसाव होकर के पानी उसके अन्दर आता है, वह सुचारु और सही ढंग से चल सके।

इसके साथ-साथ, जितनी भी गांवों में आपकी क्षेत्रीय जलप्रदाय योजनाएं चल रही हैं, वे वर्षों से चल रही हैं लेकिन उनका आप आग्मेंटेशन नहीं कर रहे हैं। सारी योजनाओं को देखें और उनका सही ढंग से आग्मेंटेशन करें जिससे वे भी साथ-साथ सही ढंग से चल सकें।

मैंने पिछली बार देखा, आदरणीया वसुंधराजी जब क्षेत्र में जाती थीं तो उन्होंने ये ए सी पाइप और सीमेंट के पाइप देखे। बहुत खराब पाइप थे, कई बार उन पाइपों को बदलना पड़ता था। उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया था कि जितनी राइजिंग लाइनें होंगी, वे डी आई की लगेंगी और जो राजस्व गांव और ढाणियों को जोड़ने के लिए होंगी, वे यू पी वी सी लाइनें होंगी। इसलिए हम

(श्री बाबू सिंह)

आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि भविष्य में जितनी भी योजनाएं बनें, राइजिंग लाइन में डी आई पाइप लगे और राजस्व गांव और ढाणियों को जोड़ने के लिए यू-पी वी सी पाइपलाइन लगे जिससे पी एच ई डी का गुणवत्ता का काम लोगों को दिखाई दे।

श्री अध्यक्ष: अब आप स्थान ग्रहण कीजिए। दोनों पाइंट आ गये हैं आपके।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): एक मिनट। इसके साथ-साथ ही जितने आपके क्वार्टर्स, जी एल आर, एस आर, ये सारे मरम्मत करायें।

श्री अध्यक्ष: ये सब मरम्मत कराएंगे, विराजिए आप।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): ये सारे काम आप करायें और जोधपुर के अन्दर, बस दो-तीन पाइंट हैं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, अब आप विराजिए।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): ठीक है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री गिर्राज सिंह। आपने इधर बिठा लिया इनको। आपके मुख्य सचेतकजी ने मुझे विश्वास दिलाया है कि आपकी तरफ से, क्योंकि ज्यादा नाम दिये, तो पांच-पांच मिनट ही बोलेंगे। अब आप पांच मिनट ही बोलें।

आप बैठिये। दो तो मेम्बर हैं। आपको देख लेंगे फिर। रोज बोलें, यह कहां जरूरी है? यह जरूरी नहीं है।

माननीय श्री गिर्राज सिंहजी।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई के पानी के लिए बहुत कमी है।

श्री अध्यक्ष: आप तो पाइंट बोल दीजिये। ये सब नोट कर लेंगे।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में सिंचाई के लिए मुख्य तीन बांध हैं, राम सागर, पार्वती बांध, तालाब साई, इनमें से नहरें निकलती हैं और इनसे सिंचाई के लिए पानी दिया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब बारिश नहीं होती है तब वे ताल खाली रह जाते हैं, तो किसान खेती के लिए वंचित रह जाता है। अगर ताल में ही पानी नहीं है और जब बारिश ही नहीं हो रही हो, तो ताल में पानी कहां से आएगा?

(श्री गिर्राज सिंह)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारे बगल में चम्बल नदी है धौलपुर में, उसमें से पानी की लिफ्ट योजना करके और जो बाड़ी विधान सभा क्षेत्र है, बसेड़ी विधान सभा क्षेत्र है और कुछ हिस्सा इसमें धौलपुर का भी लगता है, एक चम्बल लिफ्ट योजना से...., माननीय अध्यक्ष महोदय, तीन विधान सभा क्षेत्र कवर हो रहे हैं और हमारे धौलपुर जिले की 75 परसेंट पानी की जो समस्या है, सिंचाई के लिए, पानी पीने के लिए, पशुओं के लिए, सबके लिए इतना पानी प्राप्त हो जाएगा कि हमारी 75 परसेंट जिले की पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा।

इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में तीन प्रमुख बांध हैं, तालाब साई, रामसागर और पार्वती बांध, इनमें पक्की नहरें करवाई जाएं। जो कच्ची नहरे हैं, ये आये-दिन टूट जाती हैं। टूटने के कारण जो हमारे यहां पानी की कमी है, उस पानी की कमी को आप नजर रखते हुए और इसको देखते हुए, हमारे तीनों तालाबों की पक्की नहरें करवाई जाएं। जो पानी की बरबादी हो रही है, एक तो वह पानी की बरबादी बचेगी और दूसरा, जो अपनी फसल भी बरबाद हो जाती है, जब खेत में पानी ज्यादा चला जाता है तो उससे वह फसल भी खराब हो जाती है, वह भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। किसानों के हित में इस पर ध्यान दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में सिंचाई के पानी के लिए बहुत कमी है। हमारे क्षेत्र का जो हमारे करौली से और धौलपुर का पानी इकट्ठा होकर जाता है, वह मेरे क्षेत्र से, धौलपुर विधान सभा क्षेत्र से और बसेड़ी विधान सभा क्षेत्र से होते हुए हमारे उत्तर प्रदेश में बह जाता है। वह पानी हमारा वेस्ट चला जाता है। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पानी को रोका जाए और कुछ नए एनिकट बनाये जाएं। इसमें एक तो भक्तीपुरा गांव पर, एक बामनी नदी सागोर, एक बादा का नगला, बादलपुर, एक हाजीपुर में, एक पार्वती नदी पर खुमेरी गांव के पास, एक सुरेठी गांव पर, नये एनिकट बनाये जाएं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बाड़ी क्षेत्र में जो नहरें सिंचाई के काम में नहीं आती हैं, वहां पर अब मकान

(श्री गिर्राज सिंह)

बन गये हैं। बाड़ी की आबादी बढ़ गई हैं, तो पहले तो उन ज़मीनों में खेती होती थी, अब वहां मकान बन गये हैं। वहां पर अभी नहरें हैं। अध्यक्ष महोदय, जब वहां पर कोई सिंचाई के पानी की जरूरत नहीं है और जहां मकान बन गये हैं। उस पानी से उन मकानों में लीकेज होता है। वह पानी वेस्ट में बहता है, वह पानी वहां पर रोका जाए।

जो अपनी नहरें हैं, जो कच्ची नहरें बनी हैं हमारी, उन नहरों पर लोग अवैध कब्जे कर रहे हैं। उन नहरों को या तो पी.डब्ल्यू.डी. में दे दी जाएं, या नगरपालिका में दे दीजिए। आबादी क्षेत्र में आने के कारण उन नहरों की अब जरूरत नहीं है। इसलिए चाहे उन पर पी.डब्ल्यू.डी. रोड़ बना दे, चाहे नगर पालिका रोड बना दे। उस पर भू-माफिया कब्जा कर रहे हैं। जब भू-माफिया उस सरकारी जमीन पर कब्जा कर लेंगे तो हमारे लिए आने-जाने के लिए जो साधन हैं, जैसे कल कोई बाइपास निकलेगा या कोई नगरपालिका क्षेत्र में अगर अपन कोई रोड निकालें या कोई बढ़िया और कोई चीज निकालें, तो जो सरकारी जमीन है उस पर अगर भू-माफिया कब्जा कर लेंगे तो उससे हमको नुकसान होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में पेयजल की गम्भीर समस्या है। चम्बल लिफ्ट योजना से जो मेरे क्षेत्र में सैंपऊ बसेई नवाब के लिए, अभी माननीय मंत्री महोदया, हमारे भरतपुर सम्भाग में गई थीं, वहां पर भी मैंने अपनी बात रखी थी कि जो चम्बल लिफ्ट योजना से मेरे यहां सैपऊ बसेई नवाब के लिए जो पाइपलाइन डाली जा रही है, वह पाइपलाइन बहुत घटिया किस्म की डाली जा रही है और वह पाइपलाइन बिलकुल रोड पर डल रही है। मेरा आपसे निवेदन है कि उसमें 35-36 करोड़ रुपया सरकार का लगा हुआ है और वह रोड पर डल रही है। कल अगर वह रोड चौड़ी हो गई तो वह पानी की पाइनलाइन रोड़ के नीचे दब जाएगी और वह पानी की पाइपलाइन एक दिन भी नहीं चल पाएगी। इसलिए उस पानी की पाइप लाइन को हटाकर रोड से थोड़ा दूर शिफ्ट किया जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ मेरे क्षेत्र के 12-13 गांव रह गये हैं जो इस पानी की पाइपलाइन से जोड़े जाएं। उनमें एक तो खड़गपुर है, एक बदियाना गांव है, जागीरपुरा, सायपुर, नगला खड़कपुर, नगरिया, भूरा का पुरा, रंजीतपुरा, कुरेन्दा, इंदौली और जारौली। इन मेरे गांवों को उस पाइपलाइन से जोड़ा जाएं।

(श्री गिर्राज सिंह)

अध्यक्ष महोदय, बस एक मिनट और लूंगा।

श्री अध्यक्ष: अच्छा, एक मिनट और। बस एक मिनट ही लीजिए। आपके मुख्य सचेतक ने कहा था कि पांच मिनट ही बोलेंगे और आपने आठ मिनट बोल लिया है।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि सरकार ने हम लोगों के साथ में भेदभाव किया। पानी बी जे पी के लोग भी पीते हैं, पानी कांग्रेस के लोग भी पीते हैं और यह नहीं है कि अगर कांग्रेस के विधायक को हैण्डपम्प दे दें तो इस पर कांग्रेस का ही व्यक्ति पानी पिएगा, या बी जे पी का व्यक्ति पानी नहीं पिएगा। तो ऐसी चीजों में, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजनीति नहीं की जाये। हम लोग अपने एम एल ए कोटे का भी पैसा देते हैं। तो हमारे उस कोटे से भी अभी तक मैं करीबन डेढ़-पौने दो करोड़ रुपये की लिख कर जिला परिषद में दे चुका हूं।

श्री अध्यक्ष: पानी पिलाना पुण्य का काम है। पुण्य लिया है आपने।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी विधायकों को बराबर हैडपम्प दें, बराबर सभी की समस्या का समाधान करें। पानी बी जे पी के लोगों को भी पिलाओ, पानी कांग्रेस के लोगों को भी पिलाओ, पानी जनता को भी पिलाओ। प्रदेश का भला करो। आप प्रदेश की मंत्री बनी हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ...।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। स्थान ग्रहण कीजिये। बस हो गया आपका।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): चलो, धन्यवाद, साहब।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती कमसा मेघवाल।

श्रीमती कमसा (भोपालगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज बहुत ही महत्वपूर्ण पानी की मांग पर बहस हो रही है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: बस सूत्रों में मांग कर लीजिये आप।

श्रीमती कमसा (भोपालगढ़): जीवन में अगर सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो सवेरे उठते ही पानी चाहिए। मारवाड़ी में कहावत है कि अगर घी गिर जाए तो आत्मा दु:ख नहीं पाती है, अगर पानी गिर जाए तो आत्मा दु:ख पाती है। पानी बहुत ही महत्वपूर्ण है।

तो मेरा मंत्री महोदया से निवेदन है कि तिवरी मथानिया भोपालगढ़

(श्रीमती कमसा)

बावड़ी परियोजना जो चल रही थी पिछले पांच सालों में, वसुन्धराजी ने पिछली सरकार में घोषणा की थी लेकिन कांग्रेस के राज में वह नहीं चल पायी, बंद पड़ी थी और अब वह शुरू हो रही है। तो मंत्री महोदया से मेरा निवेदन है कि हमारे क्षेत्र में पानी की बहुत ही समस्या है और इस परियोजना को आप शीघ्र चालू करके और पूर्ण करके गांवों में पानी पहुंच सकें, ऐसी आप व्यवस्था करावें।

जो खांगटा माणकलाव परियोजना है, यह पूर्ण तो हो चुकी है लेकिन कई गांव ऐसे हैं जो इस योजना से वंचित रह गये हैं। तो मेरा आपकी मार्फत निवेदन है कि इस योजना का आगे विस्तार करके, जो ढाणियां और जो गांव बच गये हैं, उन गांवों को भी जोड़ा जाए।

साथ ही, जिन गांवों में यह जनता जल योजना है, अभी माननीय सदस्यों ने बताया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है लेकिन गांवों की पंचायत चला नहीं पाती है। इसको सरकार अपने अण्डर में लेकर वापस डिपार्टमेंट से ही शुरू की जाए और डिपार्टमेंट ही इसको चलाएगा।

मेरा एक यह भी निवेदन है कि गांवों में सी सी सड़कें बनती हैं, डामर सड़कें बनती हैं, तब उनकी जो स्वीकृति निकलती है, उसके साथ पानी की जो पाइपलाइन उखड़ जाती है, वे उसका बजट उसके साथ आबंटित नहीं करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सड़क बनने में 6-6 महीने लग जाते हैं और वह पानी का पाइप भी बाहर निकल जाता है। फिर डिपार्टमेंट वाले कहते हैं कि हमारी योजना तो पूर्ण हो गई, हमारे पास अब बजट नहीं है। तो मैं सोचती हूं कि ये दोनों डिपार्टमेंट साथ बैठकर, जहां भी वे सड़कें स्वीकृत करें, उन सड़कों के नीचे जहां भी पाइपलाइन निकलती है, उस पाइपलाइन के पैसे, या तो ये पी एच ई डी वाले और पी डब्ल्यू डी वाले दोनों साथ बैठकर उस योजना को लागू करें कि जो पाइपलाइन उखड़ गई है, उस कारण से गांव में पानी कैसे जाएगा? तो जो सड़क भी निकलती है, उसके साथ-साथ यह पानी वाला भी करें।

भोपालगढ़ विधान सभा क्षेत्र में तीन एक्स ईएन हैं और तीन भागों में बंटे हुए हैं। तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि ये एक्स ईएन पोस्ट हर विधान सभा क्षेत्र वाइज करें तो उनकी समस्या का समाधान होगा। कई बार देखा जाता है कि परियोजना तो बनती है लेकिन एक्स ईएन को फोन करते हैं

(श्रीमती कमसा)

तो वे कहते हैं कि ये गांव हमारे अण्डर में नहीं आते हैं, दूसरा एक्स ईएन कहता है कि ये हमारे अण्डर में नहीं आता। इससे समस्या हल नहीं होती है। मेरा तो सरकार से निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्रवाइज अलग-अलग एक्स ईएन बैठा दें तो उन गांवों के अन्दर समस्याओं का समाधान हो जाए।

मैं यह भी कहना चाहूंगी कि जो जाजीवालकलां की अधूरी टंकी है, मैंने आपसे बार-बार निवेदन किया है और आज भी मैं आपसे निवेदन करती हूं कि वे आर्मी एरिया वाले अगर परमिशन नहीं दें, तो आप घोषणा करें कि उसको तुरन्त प्रभाव से आप दूसरी जगह स्वीकृति देंगे, ताकि उन 5-6 गांवों में उस टंकी से जो पानी जा रहा था वह पानी मिल सके।

मेरा यही आपके माध्यम से निवेदन है। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: बहुत-बहुत धन्यवाद। श्रीमती अनिता सिंह। आप भी कमसाजी को फालो कीजिये। धन्यवाद बोलिये।

श्रीमती अनीता (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलना है, कि नहीं बोलना?

श्री अध्यक्ष: नहीं, कमसाजी बहुत कम बोली हैं। मैंने आपका नाम लिया है श्रीमती अनिता सिंह का। वह इसलिए कह रहा हूं कि कमसाजी जिस तरह कम बोली हैं ...

श्रीमती अनीता (नगर): उन्होंने जो समय छोड़ा है न, वह मेरे लिए ही छोड़ा है।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 27, 46 और 38, महत्वपूर्ण मांगों पर चर्चा है। चूंकि माननीय अध्यक्ष महोदय का आदेश है, उसी हिसाब से मैं कहना चाहूंगी।

अध्यक्षजी, मैं मंत्री महोदया का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि मेरा जो विधान सभा क्षेत्र है, उसमें 80 परसेंट जो पानी है, वह फ्लोराइड ग्रसित है। कहीं पर तो फ्लोराइड होता है 4-5 हजार, लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र के गांवों में 18-20 हजार फ्लोराइड की मात्रा है, जिस वजह से वह पीने के काम ही नहीं, और किसी काम भी नहीं आता है; न पीने के लिए आता है, न सिंचाई के लिए आता है। तो ऐसी विकट परिस्थिति मेरे क्षेत्र की है।

उस मेरे क्षेत्र में जो तरीका है, वहां जो मिट्टी है वह भी चिकनी इतनी है कि जो वर्षा का जल आता है, उसको भी एब्जार्ब करने में उसकी

(श्रीमती अनीता)

क्षमता बहुत कम है। तो जो वर्षा का जल आता है, वह भी बहकर आगे निकल जाता है। पुराने जमाने से हमारे यहां जो पीने के पानी की व्यवस्था रही, वह ऐसी रही कि हर गांव में पोखर और तालाब होते हैं जिससे वर्षा का पानी उनमें इकट्ठा करते हैं और जो वर्षा का पानी इकट्ठा होता है, उसके आस-पास ही हैडपम्प्स लगाते हैं, या कुएं बनाते हैं जिससे वे पीने का पानी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से वर्षा कम होती जा रही है लगातार, तो पोखर वर्षा के जल से भरते नहीं है और जब वर्षा का जल कम है, पोखर भरते नहीं, तो पीने के पानी की बहुत विकट परिस्थिति वहां पर बन गयी है।

इसलिए मैं यह कहना चाहती हूं कि सरकार ने वहां पर चम्बल लिफ्ट परियोजना बनाई है 780 करोड़ रुपये की, लेकिन जिस धीमी गति से उसका काम हो रहा है, मुझे नहीं लगता, वैसे तो उसमें डैडलाइन सितम्बर, 2016 तक की दी है, उस समय तक योजना पूरी कर लेंगे। जिस फर्म को ठेका दिया है, उसने यह लिख कर दिया है।

जिस प्रकार से दो योजनाएं बनीं चम्बल की, एक तो है भरतपुर से नगर, जो पाइपलाइन पानी आयेगा, वह, और एक मेरे विधान सभा क्षेत्र में डिस्ट्रिब्यूशन का, टंकियों का और पाइपलाइन का। वह दोनों अलग-अलग फर्म पर है। जो भरतपुर से पानी नगर तक आना है, वह फर्म, मेरे ख्याल से, दो फर्म्स थीं जो काम करना चाहती थीं; थोड़ा-सा काम किया, छोड़ कर चली गई; फिर दूसरी फर्म ने लिया, उसने भी थोड़ा-सा काम किया और चली गई। अब जब टेण्डर प्रक्रिया होती है तो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा समय उसमें लगता है, पांच-छह महीने उसमें लग जाते हैं। फिर डिस्ट्रिब्यूशन का काम मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो फर्म चम्बल का कर रही है, उसकी भी गति इतनी ज्यादा धीमी है और उसके भी आसार इस प्रकार से लग रहे हैं कि वह भी ज्यादा काम नहीं करेगी और बीच में ही छोड़ कर चली जाएगी। तो चम्बल लिफ्ट परियोजना जो भरतपुर में आई, वह भी, मेरे ख्याल से, 12 से 16 वर्ष उसको लगे, जो भरतपुर में पानी दिया। तो एक बहुत लम्बी प्रक्रिया हो गई। चम्बल का पानी निश्चित रूप से आएगा तो सही, लेकिन उसका समय नियत नहीं कर सकते। अगर मंत्री महोदया इन दोनों फर्म्स से ध्यान करके इनकी बात करेंगे तो निश्चित रूप से पानी जल्दी आ जाएगा। क्योंकि इनका, मैं यह नहीं कह सकती कि कब तक पानी आएगा, और मेरे यहां पर पीने के पानी और इर्रिगेशन, जब पीने का नहीं है तो इर्रिगेशन की तो बात ही अलग है।

(श्रीमती अनीता)

वहां जो खारा पानी है, उसके लिए जो सबसे अच्छी योजना है, वह यह है आर ओ की योजना। गांव-गांव हमने जो आर ओज लगाये हैं, तो निश्चित रूप से खारे पानी को मीठा कर सकते हैं और उससे लोग पानी पी सकते हैं। मैं निश्चित रूप से इस बात को मानती हूं कि प्रचार-प्रसार की कमी की वजह से जितना आर ओ का यूज होना चाहिए, उतना जनता नहीं कर रही है, लेकिन सब लोग अगर मिल कर, हम भी मिल कर और जनता को सबको मिलाकर, यह प्रयास कर रहे हैं। सब लोग आर ओ का पानी वहां पियेंगे तो निश्चित रूप से बीमारियों का भी हल मिलेगा। इसलिए मैं मंत्री महोदया से डिमाण्ड भी करना चाहती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में क्योंकि वर्षा जल के अलावा कोई स्रोत नहीं है, इसलिए आर ओ की सख्त आवश्यकता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा वे आर ओ मेरे यहां पर सैंक्शन करें।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में पिछले कई सालों से बहुत सारी क्षेत्रीय योजनाएं वहां बनी हुई थीं। पानी की भी कमी और उनकी मेंटीनेंस की और काम करने का जो तरीका था, उससे भी जो बहुत सारी क्षेत्रीय योजनाएं हैं, छोटी-छोटी चीजों को लेकर बंद हैं। कोई पाइपलाइन के कटने से बंद है, कोई मोटर के काम से बंद है, कोई कर्मचारी नहीं होने की वजह से बंद है। ऐसी बहुत सारी छोटी-छोटी योजनाएं वहां गांवों में बनी हुई हैं जिससे पीने का पानी मिलता था लेकिन वे छोटी-छोटी चीजों से बंद हैं। मैं मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहती हूं कि इन योजनाओं की आप जानकारी करेंगी और अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, जो वहां एक्स ईएन और ए ईएन हैं, उनको भी आप टाइट करेंगी और इनमें थोड़ा-थोड़ा सा भी पैसा अगर डिपार्टमेंट लगायेगा तो इनसे भी वे जो गांव हैं वे सब लाभान्वित हो सकते हैं।

मेरे यहां पर सबसे ज्यादा जो पीने का स्रोत है, वह हैंडपम्प है और हैंडपम्प का भी इसलिए कि सौ से नीचे का हमारे यहां खारा पानी है, और बरसात का पानी सौ से नीचे जाता नहीं; सौ तो लास्ट है। बाकी कुछ गांव तो ऐसे हैं जहां 40-50 तक ही मीठा पानी है। तो हैंडपम्प आपने लगाया भी तो छह महीने तो मीठा पानी देता है, उसके बाद वह हैंडपम्प अबेंडंड हो जाता है। उससे मीठा पानी नहीं मिल पाता है। इसलिए तुरन्त हम अगर किसी को पीने के पानी का लाभ देना चाहते हैं तो उसको हमें गांवों में पोखरों के आस-पास हैंडपम्प देने पड़ते हैं और उन्हीं हैंडपम्प्स के द्वारा गांव के ग्रामीण पानी पी पाते हैं।

मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि एक सिंगल फेज की योजना है

(श्रीमती अनीता)

जो पी एच ई डी योजना से चलती है, सिंगल फेज पी एच ई डी लगा तो देती है गांव-गांव में लेकिन उसको पंचायतों को हैंडओवर कर देती है और पंचायतों को हैंडओवर करने की वजह से, उनका बिजली का बिल समय से पंचायतें जमा नहीं कराती हैं। और सब कुछ होने के बाद भी, बिजली के बिल की वजह से नहीं हो पाती है। इसलिए या तो विभाग इस बात को तय करे कि पंचायत हर हालत में वह बिजली का बिल भरे और अगर वह नहीं भर रहे हैं तो विभाग अपने रूट से भी उस बिल को अगर भरेंगे तो निश्चित रूप से लोगों के काम आयेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदया का ध्यान आकर्षण करना चाहती हूं कि जनता जल योजना की 6 योजनाएं मेरे विधान सभा क्षेत्र में हैं जो बिजली के बिल से और छोटी-छोटी चीजों को लेकर बंद हैं। मुझे आशा भी है कि जनता जल योजना का जिस प्रकार से बजट में प्रावधान किया गया है, इन योजनाओं को पुनर्जीवित करके चलाया जायेगा। निश्चित रूप से 6 पंचायतें तो ऐसी होंगी जिनमें पीने के पानी की व्यवस्था हो जायेगी।

मेरे यहां बड़ी टंकी का है, उसमें दो ही कस्बे हैं जिनमें पीने के पानी की व्यवस्था होती है, लेकिन उसमें भी स्थिति ऐसी है कि 24 घंटे में पानी नहीं मिल पाता। कभी 48 घंटे, दो दिन, कभी तीन दिन, कभी पांच दिन, सात-सात दिन में उन कस्बे वालों को पानी मिल पाता है, जिसकी वजह से परेशानी होती है। मैं मंत्री महोदया का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि सीकरी कस्बे में तीन-तीन, चार-चार दिन की व्यवस्था हो जाती है और वहां एक घूंट भी पीने का पानी दूर से लाना पड़ता है। ऐसी व्यवस्था एडमिनिस्ट्रेशन की वहां ए ईएन, जे ईएन करें और उनके जो कर्मचारी हैं उनकी भी नेग्लीजेंसी रहती है जिसकी वजह से पानी नहीं आ पाता। 24 घंटे में कम से कम एक बार पानी कस्बेवासियों को मिले जिससे वे पानी पी सकें।

मेरे यहां बहुत सारी योजनाएं कांग्रेस के जमाने से बराबर दे रही हूं, मेरे यहां 5-6 गांव ऐसे हैं जहां थोड़ा-सा मीठा पानी है, ककावली, डाभक, सागपुरी, सुंदरावली, जालुकी, गेनकर, मैं दो-तीन सालों से लगातार लग रही हूं लेकिन वे योजनाएं नहीं हो पाईं। अब मैं आशा करती हूं कि आप जिस प्रकार से काम करने वाली हैं, निश्चित रूप से इन योजनाओं को आप सैंक्शन करेंगी, जिसमें ये योजनाएं सैंक्शन होंगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं इर्रिगेशन पर और कहना चाहती हूं ...

श्री अध्यक्ष: बोलिए।

श्रीमती अनीता (नगर): इर्रिगेशन का जो हमारे यहां काम है वह 1966 में, मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं, 1966 में गुडगांव कैनाल का 500 क्यूसेक्स का हमारे एक एग्रीमेंट हुआ कि हम राजस्थान को, यानी भरतपुर जिले को यमुना का 500 क्यूसेक्स पानी मिलेगा, उसमें बजट भी सैंक्शन हुआ लेकिन 185 गांवों को होना था, जिसमें मेरे विधान सभा क्षेत्र नगर और डीग के गांव भी आते थे, लेकिन वह नहीं हो पाई और लगातार चलती रही। फिर 1978 में ऐसे ही लग के, मतलब, उस जमाने से लगातार हमारी मांग रही है कि हमको यमुना नदी का पानी मिले, लेकिन उसके बावजूद भी, अब तक भी यमुना का पानी, जो हमारे हिस्से का पानी है, वह हमें नहीं मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा कहना चाहती हूं कि जो हमारा हक है, वह दूसरे स्टेट से हमको मिलना चाहिये, वह हमारे स्टेट में हमको मिले। हमारी एक योजना गुडगांव कैनाल से ...

श्री अध्यक्ष: कल इसीलिए सिंचाई मंत्रीजी दिल्ली जा रहे हैं।

श्रीमती अनीता (नगर): हां, धन्यवाद। मैंने जानकारी की, मुझे भी बताया था कि 20 तारीख को मैं जाऊंगा। इसीलिए तो मैं उनका ध्यान आकर्षित कर रही हूं कि वहां जोरदार तरीके से पैरवी कीजिए।

श्री अध्यक्ष: बाकी बात आप मिलकर कर लीजिए।

श्रीमती अनीता (नगर): एक योजना हमारे यहां बहुत समय से, पिछली गवर्नमेंट में भी चली थी कि गुडगांव कैनाल में जो पानी अभी आ रहा है, वह वेस्ट हो रहा है, वह वापस चला जाता है। उसकी एक योजना बनी थी, सीकरी डैम लिफ्ट योजना, कि गुडगांव कैनाल से 100 क्यूसेक्स पानी को लिफ्ट द्वारा उठाकर अगर सीकरी डैम में डालेंगे तो सीकरी डैम से जो डाइवर्जन डैम है, उसकी 26 कैनाल में पानी जायेगा। तो निश्चित रूप से पूरे विधान सभा क्षेत्र को ही नहीं, नगर, डीग, नदबई, कुम्हेर और भरतपुर तक जो हमारे इर्रिगेशन का ग्रामीण एरिया का चैनल है, उसे पीने के पानी के साथ इर्रिगेशन का पानी मिलेगा। वह योजना मात्र एक संवेदक की कमी की वजह से ...

श्री अध्यक्ष: अब समाप्त कीजिए। सब आ गया। सब आ गया।

श्रीमती अनीता (नगर): अध्यक्ष महोदय, बहुत संवेदनशील मामला है। मेरा आपसे निवेदन है, 6 बजने हैं, मुझे भी पता है...

श्री अध्यक्ष: आप उनसे व्यक्तिगत मिल लेना।

श्रीमती अनीता (नगर): पेयजल योजना भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो दो मिनट फालतू लग जायें तो कोई बात नहीं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, फालतू नहीं, आप एक मिनट सही-सही बोलो। फालतू नहीं, आप ठीक बोल रही हैं।

श्रीमती अनीता (नगर): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। मेरा कहना है कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है और हमारे भरतपुर जिले की लाइफलाइन है, यह मात्र एक डेढ़ लाख रुपये के ऊपर इस योजना की डी पी आर अब तक नहीं आई। पिछली बार भी जब हमारा सैशन चला था, सांवरलालजी हमारे मंत्री थे, उन्होंने विधान सभा में आश्वासन दिया था कि 30 अगस्त से पहले-पहले मैं इसकी डी पी आर आपको मंगा दूंगा, लेकिन 30 अगस्त के बाद अब दूसरा 30 अगस्त आने वाला है, आश्वासन के बाद भी वह नहीं मिली है। मेरा, माननीय मंत्री महोदय, आपसे निवेदन है कि इस डी पी आर को आप अपना प्रेशर देकर मंगाइए क्योंकि डिपार्टमेंटल अगर प्रोजेक्ट आ जायेगा तो उसके बाद ही आगे की सैंक्शन की कार्यवाही हो सकेगी।

श्री अध्यक्ष: इसको नोट कर लीजिए। बस, स्थान ग्रहण कीजिए। श्री हमीर सिंह भायल।

श्रीमती अनीता (नगर): ...(व्यवधान) हमारी कैनाल में बंद है। उस सिल्ट के लिए मैं कहना चाहती हूं कि आपका टेंडर भी हो चुका है, आप उसका वर्क आर्डर जारी करे।

अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत धन्यवाद जो आपने समय दिया।

श्री अध्यक्ष: श्री हमीर सिंह भायल।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 27, 46 और 38 पर बोलने के लिए आपने समय दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: लेकिन कृपया संक्षेप में बोलिए।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): हुकुम, बहुत दूर से आता हूं, दो मिनट का समय ज्यादा देना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष: नहीं, संक्षेप में बोलिएगा।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आता हूं, कई वर्षों पूर्व सिवाना विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर का कश्मीर कहलाने वाला, आज

(श्री हमीरसिंह भायल)

वहां पीने का पानी कोसों दूर से टैंकरों से लाना पड़ रहा है। यह स्थिति पूरे विधान सभा क्षेत्र में है। मेरा निवेदन है पुराने कुर्सी कुओं पर भी ज्यादा आबादी है।

मेरे क्षेत्र में तीन योजनाएं हैं, नर्मदा नहर योजना से 13 गांव हैं; पोकरण-फलसूंड-सिवाना जो लिफ्ट योजना है, बालोतरा से लगाकर 101 गांव हैं; उम्मेदसागर-धवा-समदडी-गंडव योजना में 57 गांव हैं। उम्मेदसागर-धवा जो 2012-13 में पूरी होनी थी, अध्यक्ष महोदय, यह स्थिति है कि आज की तारीख में 35 गांवों तक पानी पहुंचा है। अगर बजट में और प्रावधान करके शीघ्र नहीं करवाया गया तो यह 2016 में भी पूरा नहीं होगा। पोकरण-फलसूंड की स्थिति यह है कि बीलिया से संतरा भाकरी तक आगे तो पाइप लग गया है और पीछे का 80 किलोमीटर का कार्य बिलकुल ठप पड़ा है। वहां 2014 तक पानी पहुंचना था, यह 2018 तक भी पूरा नहीं होगा। इस पर शीघ्र ही बजट का प्रावधान करके नहीं किया गया तो यह पीने का पानी नहीं मिलेगा। सिंधरी बेल्ट में आजादी के बाद भी नाकोड़ा से लगाकर कमठाई, डंडाली, कई गांवों में आज दिन तक पानी नहीं पहुच रहा है। पीने के लिए भी पानी नहीं है। इसकी भी शीघ्र ही व्यवस्था कराई जाये।

माननीय मंत्री महोदया ने जोधपुर और बालोतरा दो बार प्रवास करके इस योजना को काफी गति दी है और उम्मेदसागर-धवा योजना में भी कार्य चल रहा है, पर पोकरण-फलसूंड वाली योजना अगर समय पर पूरी नहीं की गई तो इस गर्मी में पीने के लिए पानी बिलकुल नहीं रहेगा। सिंधरी बेल्ट के नाकोड़ा से लगाकर जितने भी गांव हैं, उन गांवों में आज दिन तक यह स्थिति बनी हुई है कि पीने के लिए बिलकुल पानी नहीं है, यह स्थिति जल्दी सुधरे और जो ये सारी योजनाएं है, जनता जल योजना पी एच ई डी विभाग को दी जायें। यही मेरा निवेदन रहेगा।

सिंचाई मंत्रीजी से मांग है कि नर्मदा का पानी खेती के लिए, सिवाना की लाखों हेक्टेयर उपजाऊ जमीन, जहां सेवज होती थी, वहां जहां लूणी बेसिन योजना बनी थी। उसके बाद में लूणी जब श्रावण और भादवा में चलती थी, उस समय बालोतरा से लगाकर, गुढामालानी से लगाकर, सिवाना में कुओं में जल स्तर ऊपर था। आज की तारीख में पीने के लिए भी पानी नहीं है। इसलिए नर्मदा का विस्तार करके सिंचाई के लिए सिवाना और बालोतरा खण्ड को भी दिया जाना अति आवश्यक है।

(श्री हमीरसिंह भायल)

मेरे क्षेत्र में छोटे-मोटे तीन बांध बने हुए हैं। इनमें न तो उनका रखरखाव है, न उनकी रिपेयरिंग हो रही है। पूरा भाकल्डा बेल्ट, करीब 40 गांव, पहाड़ों से घिरा हुआ है। वहां किसानों की जमीन कटाव से खराब हो रही है। इसमें छोटे-छोटे चैक डैम बनें तो कुएं भी रिचार्ज होंगे और पीने के लिए भी पानी होगा और पहाड़ी क्षेत्र में जो वन्य जीव हैं, उनको भी पीने के लिए पर्याप्त पानी मिल जायेगा। यह मैं सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा।

लूणी बेसिन की योजना पूर्व मुख्य मंत्री श्री भैरोंसिंहजी शेखावत के समय में बनी थी। अभी भी लूणी नदी में पानी आये तो पूरा एरिया हरा-भरा हो सकेगा। यह आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन रहेगा।

पेयजल योजना, सिंधरी का पूरा बेल्ट और सिवाना के 101 गांव, पोकरण-फलसूंड का तीव्र गति से अगर कार्य सम्पूर्ण नहीं करवाया गया, तो इस गर्मी में पीने के लिए पानी की बहुत किल्लत हो जायेगी। आज भी दस कोस से टैंकरों में पानी लाकर ढाणियों और कुओं पर रहने वाले लोग पानी पी रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इसके लिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन रहेगा कि जल्दी से जल्दी इस योजना को पूरा करवाकर गांव और ढाणी तक पानी पहुंचाया जाये। यही मेरा निवेदन और प्रार्थना रहेगी।

मेरा यही निवेदन है कि हैण्डपम्प खराब पड़े हैं, वे जल्दी तैयार किये जाएं। पूरे विधान सभा क्षेत्र में जे ईएन के पद रिक्त पड़े हैं, इनको भी भरा जाए। इन दोनों योजनाओं को पूर्ण करवाकर एरिया में पानी पहुंचाया जाए।

अंत में कहना चाहूंगा कि जल ही जीवन है। जल के विभिन्न रूप हैं। पानी आकाश से गिरे तो बारिश; आकाश की ओर उठे तो भाप; अगर जमकर गिरे तो ओले; अगर गिरकर जमे तो बर्फ; फूल पर हो तो ओस; फूल से निकले तो इत्र; जमा हो जाए तो झील; बहने लगे तो नदी; सीमाओं में रहे तो जीवन; सीमाएं तोड़ दे तो प्रलय; आंख से निकले तो आंसू; शरीर से निकले तो पसीना; मेरे प्रभु के चरणों को छूकर निकले तो चरणामृत। जल ही जीवन। जल है तो कल है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। विराजिये।

श्रीमती शकुन्तला रावत। आपके सचेतकजी ने आपके लिए पांच मिनट तय किये हैं।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष: पूरणजी, बोल चुके आपके।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): नहीं बोले, साहब।

श्री अध्यक्ष: आप तो बैठिये। बैठिये। नहीं बोले तो बैठिये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 27, 38 और 46, पेयजल...साहब, यूं कह रहे हैं, पांच मिनट हैं, जल्दी-जल्दी बोल लो।

श्री अध्यक्ष: सही कह रहे हैं। यह तय ही आपके सचेतकजी ने किया है।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, मैं तो वैसे ही ज्यादा नहीं बोलती। काम-काम की बातें नोट करा देते हैं।

श्री अध्यक्ष: काम-काम की बातें नोट करा दो आप।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): गर्मी का सीजन बढ़ता जा रहा है। गांवों में सभी जगह पानी की कमी आती जा रही है। मेरा मंत्री महोदयाजी से अनुरोध है कि जिन गांवों में पहले बोरिंग चालू थी, वह सूख गई है, तो उन्हें पहले कराने की कृपा करें। जैसे काली पहाड़ी, नारायणपुर, कोलाड़ा और प्रोपर बानसूर, किसान कालोनी में बोरिंग चालू थीं, वे सूख गई हैं, जिसके कारण पानी की भारी कमी आ रही है। उसके बाद ज्ञानपुरा और हाजीपुर, बामनवास, काकंड के लिए हमने प्रपोजल दे रखा है। और सभी के जगह के भी भिजवाये हुए हैं, उन्हीं जगह पर ज्यादा दिक्कत है। तो उनको तो कंटिंजेंसी में लेकर, किसी न किसी योजना में आप जल्दी से जल्दी कराने का कष्ट करें। सिंगल फेज की बोरिंग के लिए, एस सी बस्ती के लिए प्रपोजल भिजवाये हुए हैं उन्हें भी आप जल्दी से जल्दी कराएं ताकि गर्मी का सीजन आये, उससे पहले पानी शुरू हो जाए।

कुछ गांवों में पानी है, टंकी भी बनी हुई है लेकिन पाइपलाइन के अभाव में कई गांव और ढाणी पानी के लिए 3-3, 4-4 किलोमीटर, 5-5, 6-6 किलोमीटर से पानी लाने पर मजबूर हैं। अगर यह पाइपलाइन जल्दी से स्वीकृत हो जाए तो आठ-दस ढाणियों को फायदा मिल जाएगा। यह गांव है लीलामड़ा, जिसमें पानी की पूर्ण रूप से सुविधा है, पाइपलाइन इसमें जल्दी से जल्दी स्वीकृत कराने की कृपा करें। कई महीनों से जो पाइपलाइन टूटी हुई है, लीकेज है, जीर्ण-शीर्ण है, पुरानी है, उनमें लोहे की लाइन के लिए भी प्रपोजल भेजे हुए हैं। तो उन्हें भी जल्दी से जल्दी स्वीकृत कराने की कृपा करें मंत्री महोदया।

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

मैं यह आशा रखती हूं कि मंत्री महोदया, अलवर में सिर्फ मेरे हैण्डपम्पों की वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं हुई है, तो उसे भी जल्दी से जल्दी करेंगी। मैं उम्मीद रखती हूं कि आप इसमें भेदभाव नहीं करेंगी।

जो सरकारी विद्यालय हैं, जिनमें पानी की बहुत कमी है, जलस्तर नीचे चला गया है, हैण्डपम्प सूख गये हैं, उनके प्रपोजल भी मैंने दिये हुए हैं, पी एच ई डी विभाग में भिजवाये हैं। बैकवर्ड हैं, जो पहाड़ के आसपास हैं। तो उनमें जल्दी से जल्दी पानी के हैण्डपम्प या सिंगल फेज बोरिंग स्वीकृत कराने की कृपा करें।

जो गांव और ढाणी बचे हुए हैं जल योजना से, उन्हें भी आप जल्दी से जल्दी जुड़वाने का कष्ट करें।

जो सिंगल फेज की बोरिंग खराब है, कई दिनों तक छोटी-छोटी खराबी के कारण, मिस्त्री नहीं आने के कारण, वह खराब पड़ी रहती है। तो कृपया करके आप निर्देशित करें मिस्त्रियों को भी।

कर्मचारियों की थोड़ी-बहुत कमी है। एक-दो इधर-उधर से कहीं सेट करें, जिससे कि गर्मियों में पानी की दिक्कत नहीं आये।

पी एच ई डी विभाग की जो पाइपलाइनें बिछाई जाती हैं, आनन-फानन में ठेकेदार पाइपलाइन बिछाकर चले जाते हैं। सड़क तोड़कर वे गड्ढे छोड़ जाते हैं। ना ही पाइपों के पेच होते हैं, उनको अच्छी तरह से कसते हैं, उसमें से पानी लीक होता रहता है। पूरे रास्ते में हजारों लीटर पानी भर जाता है। कृपया इसके लिए भी आप अपने प्रशासन को निर्देशित करें कि पानी की पाइपलाइन है, उनको सुव्यवस्थित तरीके से करें। सड़क नहीं बनायें तो कम से उन गड्ढों को तो भरकर ही जाएं।

सिंचाई के ऊपर मैं इतना कहना चाहूंगी कि अलवर जिले में पानी का जलस्तर घटता जा रहा है। जयसमंद बांध है, उसके पानी के रास्ते थे। नटणी का बारा होते हुए नदी जाती है, उस नदी पर अतिक्रमण कर लिया गया है, रोक लिया गया। इससे जयसमंद बांध भर नहीं पाता है, अतिक्रमण के कारण। कृपया उनको हटवाएं, जिससे अलवर जिले का जल स्तर बढ़ेगा।

ऐसी जगह जहां पर बारिश का पानी इकट्ठा हो सकता है, बहकर पहाड़ों से निकल जाता है, ऐसी जगह एनिकट और बांध बनवाएं। अपनी बानसूर तहसील के लिए, कई जगह ऐसी हैं जहां पर पानी रोककर यह जलस्तर

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

को बढ़ाने में सहायता करेगा। जैसे खरखड़ी, मालेरा, धामेड़ा धाम, कूल का कुण्ड, लेकड़ी, नाथूसरलो, जयसिंहपुरा, आशा का बास, रामपुर, कल्याणपुरा, अनेकों जगह ऐसी हैं जहां पर अपन बांध बनाकर जलस्तर बढ़ा सकते हैं।

कुछ नदी और तालाब ऐसे हैं जो ओवरफ्लो हो गये हैं। नदियों की भी सफाई अगर नरेगा में कराएं, या उनमें से मलबे को हटवाएं, तो उनमें पानी भी भरेगा और जलस्तर काफी ऊंचाई तक रिवर्स हो सकेगा।

बानसूर क्षेत्र में कई बार बारिश होती है, जो खेतों का कटाव है, क्योंकि वहां की मिट्टी रेतीली है तो काश्तकार को काफी परेशानी होती है। मेड़बंदी हो सके तो किसान को फायदा मिल सकता है।

काश्तकार को लघु सिंचाई के लिए, भूमि संरक्षण के लिए, बूंद-बूंद सिंचाई के लिए, ऐसे प्रशिक्षण शिविर लगाए जाएं जिससे उनको प्रोत्साहन मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदया से एक उम्मीद करती हूं कि जो आपका नाम है, जैसे हवा और प्रकाश, कभी भी किसी से कोई भेदभाव नहीं करता है, तो महोदयाजी का नाम भी 'किरण' के नाम से है, तो मैं यह आस और उम्मीद रखती हूं कि आप किसी भी तरीके से किसी से कोई भेदभाव नहीं रखेंगी और जल्दी से जल्दी वित्तीय स्वीकृतियां निकालकर हमें अनुग्रहित करेंगी और मेरी जनता तक पानी पहुंचेगा। धन्यवाद, साहब। राम-राम, साहब।

श्री अध्यक्ष: बहुत अच्छा। आपने ठीक टाइम पर खतम कर दिया। श्री हबीबुर्रहमान।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष: पांच मिनट। आप भी सूत्रों में बोलो पांच मिनट।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): हां, सूत्रों में ही बोलूंगा, मांग संख्या 46 पर।

इंदिरा गांधी नहर हमारे नागौर के लिए 2006-07 में पास हुई और इसका पानी 2009 में आया। अध्यक्ष महोदय, इसमें जो स्कीम बनी थी, वह ए, बी, सी, डी के लिए बनी थी। अभी तक इसका एक का भी काम पूरा नहीं हुआ। मेरे नागौर शहर में आठ ओवर हैड टैंक थे, उनमें से अभी चार ही तैयार हुए हैं। मुझे लगता है, दो को ही चालू किया है। पाइपलाइन भी नहीं बिछी है। नागौर में स्टाक टांकी, जो इन्होंने सप्लाई के लिए बनाई थी, वह भी अभी चालू

(श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा)

नहीं हुई है। पूरे नागौर में सेकण्ड फेज मांग रहे हैं, पहला फेज का अभी एक काम नहीं हुआ। छोटा-छोटा काम करें, पाइपलाइन डालें। जब तक एक का काम नहीं होगा, बी, सी, डी, ये तो अभी पूरे बाकी हैं मेरे विधान सभा क्षेत्र के। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इसकी पूरी मानिटरिंग करें।

नागौर शहर में 7-7 दिन से पानी आ रहा है। कई मोहल्लों में तो बिलकुल ही पानी नहीं पहुंच रहा है। इन्होंने ना ही पाइपलाइन डाली है। हमारे एम पी साहब और एम एल ए साहब ने मुख्य मंत्रीजी से मिलकर कहा था कि नागौर में इंदिरा गांधी नहर का चीफ इंजीनियर बैठेगा, वह भी आज तक वहां आकर नहीं बैठा। नगर परिषद कहती है कि इसका काम पी एच ई डी देखेगी और पी एच ई डी कहती है नगर परिषद। तो हमारे दोनों तरफ से, हमारे नागौर शहर में तो बिलकुल ही पानी की अव्यवस्था है। 400 जगह तो पाइप लीक हैं। आज तक उनको ठीक ही नहीं किया। वह कहेगा कि वह करेगा, वह कहेगा कि वह करेगा।

मंत्री महोदय, आप बैठकर इंदिरा गांधी नहर की मानिटरिंग करें। अभी सेकण्ड फेज के लिए ही ये लोग चिल्ला रहे हैं; पहला फेज ही पूरा नहीं हुआ तो सेकण्ड फेज कहां से चालू हो जाएगा? गर्मी अब बहुत आ रही है। अभी भी कुछ मोहल्लों में तो सात दिन से पानी आया है। इसलिए मैं आपसे ज्यादा नहीं कहते हुए, इंदिरा गांधी नहर का चीफ इंजीनियर है, मुख्य मंत्री महोदया ने कहा कि इसको नागौर बिठाएंगे, तो आप इसको जल्दी से नागौर भेजकर, इस स्कीम की आप मानिटरिंग करें कि किस कारण लेट हुआ है। लेट हुआ है तो आप ठेकेदार पर पेनल्टी लगाइये। जो अफसर नहीं देख रहा है, इसकी निगरानी नहीं कर रहा है, उसको वहां से हटाएं। इन्दिरा गांधी वाले तो बिलकुल ही इसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी पाइप कुचारा तक बिठा दें। जब नागौर में ही पानी पूरा नहीं आ रहा है, तो मूंडवा है, खींवसर है, कुचारा कैसे पहुंचाएंगे? सैकण्ड फेज के लिए ये लोग चिल्ला रहे हैं।

आपसे यही, मुझे ज्यादा नहीं कहना है, आप इसकी मानिटरिंग करें। एक दिन वहां नागौर में आ जाएं, एक-दो टंकी का आप उद्घाटन करेंगे तो ये अपने आप काम करेंगे।

श्री अध्यक्ष: यह बढ़िया रास्ता है।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): है ना, अध्यक्ष महोदय

श्री अध्यक्ष: हां, यह बढ़िया रास्ता है।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): आप आओ, उद्‌घाटन करें। मैं हूं ना वहां। आप उद्‌घाटन करेंगे, इसमें तेज गति आयेगी। हमारे यहां जो चीफ इंजीनियर, आपने घोषणा की है, उसको नागौर बैठायें।

धन्यवाद, अध्यक्षजी ने टाइम दिया।

श्री अध्यक्ष: श्री नवनीत नीनामा। पांच मिनट।

श्री नवनीत लाल (घाटोल): मान्यवर, अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, उसके लिए तो आपको धन्यवाद।

मेरा आग्रह है कि सभी, मारवाड़ की तरफ से तो पानी की मांग आ रही है और हमारे बांसवाड़ा की तरफ से पानी सम्भालने वाला कोई नहीं है। मेरा ऐसा आग्रह है कि बांसवाड़ा जिले में माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा 27-28 अप्रैल, 2006 में दौरा किया गया था। उस वक्त वहीं आमलीखेड़ा गांव में रात्रि विश्राम करके पूरे एरिये की सर्वे करवाई थी। सर्वे करवाई थी, तो माही डैम की जो नहरें बनी हैं, वे नहरें बायीं तरफ ही निकली हैं और बायीं तरफ की नहर को ही दायें-बायें का नाम दिया गया है। दायीं तरफ नहर नहीं निकली।

विधान सभा क्षेत्र घाटोल, वह अभी दो जिलों में विभक्त है, जिसमें पीपलखूंट का एरिया प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है। दायीं कैनाल की वहां सर्वे हुई है। उस सर्वे में करीब 16 गांव हैं और 16 गांवों की 648 हेक्टेयर भूमि सर्वे कर ली गई है। उस नहर की सर्वे का 112.48 करोड़ रुपया खर्चा आंका जाकर नहर को शुरू करने के लिए योजना बन चुकी थी, लेकिन गत सरकार, माननीय अशोक गहलोत साहब की सरकार के समय में वह कागज कहीं दबे पड़े हैं जिसके कारण उस नहर का काम प्रारम्भ नहीं हो सका। मेरा आग्रह है कि आप उन कागजों को दिखवा करके, माननीय सिंचाई मंत्रीजी से मेरा आग्रह है कि वे आपके आफिस में कहां पड़े हैं, कैसे पड़े हैं, किस हालत में हैं, आप उसको दिखवायें और गांवों की सर्वे करवा करके उस नहर को शुरू करें। क्योंकि ये जो गांव बसे हुए हैं, जिन गांवों का नाम दे रहा हूं, टामटिया, श्योकी, नलदा, केलामेला, बोरी, दांता, मउड़ीखेड़ा, धारणा, मोरवनिया, तलाइयापाड़ा, पीपलखूंट, जेठलिया, चिकलीपाड़ा, सोबनिया, ये जो गांव हैं, वे नदी के किनारे बसे हुए हैं, पानी देख रहे हैं लेकिन अपने खेतों में नहीं ला सकते। ऐसी स्थिति में उस सर्वे के अनुसार, उन कागजों को दिखवा करके, नहर का काम शुरू करवाया जाए। सर्वेशुदा नहर है।

श्री अध्यक्ष: बहुत अच्छा।

श्री नवनीत लाल (घाटोल): मान्यवर, दूसरा ऐसा मेरा निवेदन है कि माही डैम बना और माही डैम की नहरें बने आज 30 साल हो गये; 30 वर्ष पुरानी नहरें हो गयीं। वहां आज की तारीख में करीब 25 हजार हेक्टेयर में मक्का की फसल खड़ी है, इन दिनों में; गेहूं अलग है। 25 हजार हेक्टेयर मक्का खड़ी है। वह मक्की आज की तारीख में मौके पर सूख रही है। अब सरकार का आदेश हुआ, माननीया मुख्य मंत्री की तरफ से आदेश हुआ कि आपदा के कारण फसल का नुकसान हुआ, उसका सर्वे करने के लिए क्षेत्रीय विधायकों को कहा गया। मैं सर्वे में गया तो मेरे सामने आपदा तो कम हुई, बाकी फसल पानी के अभाव में सूख गई, यह रिपोर्ट सामने आई।

मेरा ऐसा आग्रह है कि माही डैम का जो आफिस है मुख्य अभियंता का, वह आफिस बांसवाड़ा जिले से हटाकर अन्यत्र लगा दिया गया है। अत: मेरा आग्रह है कि इस आफिस को वापस बांसवाड़ा जिले में लगाया जाए। क्योंकि यह खेती का तालाब है, माही डैम खेती का तालाब है, जहां 80 हजार हेक्टेयर जमीन में पानी पीता है। आज वह माही का आफिस नहीं होने से उन नहरों का कोई धनी-धोरी नहीं है। अभी करोड़ों रुपयों की घोषणा हुई है, माननीया मुख्य मंत्रीजी के द्वारा लेकिन उन नहरों को सम्भालेगा कौन? हैडों पर तो सारे सीपेज से फसलें खतम हो रही हैं और टेलों में पानी के अभाव में सूख रही हैं।

श्री अध्यक्ष: आपने ध्यान आकर्षित कर लिया, दोनों मुद्दों पर।

श्री नवनीत लाल (घाटोल): अत: मेरा आग्रह है माननीय मंत्री महोदय से कि इसकी आप जानकारी लें।

श्री अध्यक्ष: जीजी। जीजी, आप बोलेंगी ना? बहुत संक्षिप्त, बहुत सूक्ष्म में बोलिये।

श्री नवनीत लाल (घाटोल): अधिकारियों की कमी के कारण पानी का कोई धनी-धोरी नहीं है। अत: मेरा आग्रह है कि इनका सर्वे करवाकर, जो अधिकारियों की कमी है, उसकी माननीय सिंचाई मंत्री महोदय, पूर्ति करें और पानी की सम्भाल करें ताकि वहां का किसान अपनी व्यवस्था से अपनी खेती कर सके और अपना पेट पाल सके। ऐसा मेरा आग्रह है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। जीजी। उसके बाद मानिकजी, फिर रमेशजी। आप बोलेंगे क्या? नाम तो दिलाया ही नहीं आपने। उधर ही रह गया दिखता है। हां, जीजी, बोलो आप।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान की मुख्य मंत्री और सदन की नेता को बधाई दे रही हूं कि जलदाय विभाग एक महिला को सौंपा है। यह एक बहुत ही खुशी की बात है। क्योंकि आज तक मैंने पानी के लिए ही संघर्ष किया है और पानी के लिए संघर्ष करते-करते ही यहां पहुंची हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया का ध्यान सूरसागर की तरफ दिलाना चाहूंगी, जहां से मैं जन-प्रतिनिधि हूं। सबसे बड़ी बात वहां है कि पानी की तो तकलीफ है नहीं मगर कालोनियां जो बसी हैं, वहां पर पानी की भयंकर तकलीफ है। बाकी कहीं इतनी तकलीफ नहीं है। जो नई कालोनियां बसी हैं, उन कालोनियों के अन्दर कालोनाइजर तो बनाकर चले गये, जे.डी.ए. ने भी बना दीं, यू.आई.टी. थी तो यू.आई.टी. ने भी बनाईं, मगर वहां न तो सड़क की व्यवस्था, न कोई गटर की लाइन की व्यवस्था, न पानी की व्यवस्था। और कोई व्यवस्था नहीं है, उसकी चिंता नहीं, मगर पानी की व्यवस्था होनी अति आवश्यक है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से यह कहना चाहूंगी कि वहां पर जिधर कालोनियां हैं, वहां पर दो एस.आर. बनाने की स्वीकृति प्रदान करें और आज घोषणा करें कि वहां पर दो एस.आर. बनाएंगे। तो वहां पर कालोनियों के अन्दर पानी की व्यवस्था हो जाए, कालोनी वाले प्यासे नहीं रहेंगे।

मैं एक मिनट में ही कहूंगी, आप मेरे को टोकना मत।

श्री अध्यक्ष: नहीं टोकेंगे।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से।

श्री अध्यक्ष: दो मिनट में कहिये आप।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): शहर के अन्दर, मैं शहर से भी लड़ी हूं चार दफे और दो दफे सूरसागर से, तो सबसे बड़ी समस्या है, पानी की पाइपलाइन और सीवर पाइपलाइन साथ-साथ चलती हैं। पानी गंदा हो जाता है लीकेज होने के कारण। तो मैं मंत्री महोदया से यह कहना चाहूंगी आपके माध्यम से कि वहां पर जितनी भी पुरानी पाइपलाइनें हैं, उन्हें आप तुरन्त चेंज कराएं ताकि लोग गंदे पानी से बच सकें और पीलिया होने से भी उनका बचाव हो सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से एक मेरा यह भी इनसे

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

निवेदन है कि सूरसागर एरिया बहुत बड़ा है। मैं यह चाहूंगी कि कम से कम, आप कुछ नहीं दे सकें, दो टंकी और 10-15 किलोमीटर की पाइपलाइन की सैंक्शन कर दें तो उससे हमारी सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। (व्यवधान) बीच में मत बोलिये, मैं भूल जाऊंगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सूरसागर के अन्दर माइन्स एरिया बहुत ज्यादा है और माइनिंग होती है। वहां पर पानी की इतनी कमी रहती है। जहां-जहां पर भी पाइपलाइन नहीं है, वहां पर पाइपलाइन डाली जाए। माइन्स वाले यह कहते हैं कि जब माइन्स का काम करते हैं तो पानी की आवश्यकता होनी जरूरी है। वे मुंह के बांध लेते हैं, टोपी लगा लेते हैं, लेकिन पानी की समस्या का समाधान नहीं होता है। इसलिए वहां पर भी पाइपलाइन लगाई जाए और उनकी समस्या का समाधान किया जाए।

आपने मेरे को बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद, मगर मंत्री महोदया से मेरी यह घोषणा करवा देना। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री मानिकचन्दजी सुराना। पांच मिनट।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): अध्यक्ष महोदय, पांच मिनट का समय हमें भी दे दो।

श्री अध्यक्ष: बैठिये। बैठिये आप।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): मैं पार्टी का सचेतक; क्या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, दो ही थोड़ी हैं, साहब। (व्यवधान) हमारी भी पार्टी है और हमें भी आप निर्धारित रोटेशन बनाकर दें।

श्री अध्यक्ष: बैठिये आप। (व्यवधान) एक बार आप बैठिये। 40 इधर हैं और 160 इधर हैं। चार और एक का रेशो बनता है, जबकि मैं...(व्यवधान)

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): जो भी है, जो भी हमारी पार्टी का, पांच या दो मिनट, जो भी मिलें, हमें आप जरूर दें।

श्री अध्यक्ष: हां, देंगे। बैठिये। बैठिये। माननीय मानिकजी, पांच मिनट आप, शोर्ट कीजिये।

(18:00 बजे।)

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बिना किसी भूमिका के...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: Yes, yes. Very good. Like a good Advocate.

(18:00 बजे।)

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इंदिरा गांधी नहर मंत्री और जल संसाधन मंत्रीजी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करता हूं कि कंवरसेन लिफ्ट के डेढ़ हजार किसानों ने सन् 2000 में अपने क्षेत्र में, जो कमांड हो चुका था, उस कमांड के सर्वे की फीस जमा करवाई, विभाग ने सर्वे किया और सर्वे करके हजारों किसानों के पक्ष में यह रिपोर्ट की कि हां, इस किसान की पांच बीघा, इस किसान की चार बीघा, इस किसान की आठ बीघा भूमि कमांड के लायक है। मैं अर्ज करना चाहता हूं मंत्री महोदय, अनेक परिस्थितियों के कारण वह मामले पेंडिंग पड़े रहे और आज हजारों किसानों को पीड़ा यह है कि जो भूमि उनकी कमांड के लायक है और मौके पर कमांड है, रिकार्ड में कमांड नहीं है और फलस्वरूप उसको 15 बीघा का पानी मिलता है, जिसको वह 20 बीघा में फैलाता है। तो यह जो पीड़ा है किसान की, इस पीड़ा का आप समाधान करें।

इस पीड़ा में सबसे बड़ी रुकावट जो तकनीकी तौर पर अब आ रही है, वह यह है कि सन 2005 में माननीया मुख्य मंत्रीजी ने इंदिरा गांधी नहर की सिंचित क्षमता को 16.17 लाख हैक्टेयर पर सीमित कर दिया। मैं बहुत आभारी हूं नोहर से आने वाले माननीय सदस्य श्री अभिषेक मटोरिया साहब का कि उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल क्षमता 19 लाख हेक्टेयर से ऊपर है, जो भी परिस्थितियां रहीं सन् 2005 में इस पर पाबंदी लगाने की, इसका सिंचित क्षेत्र नहीं बढ़े, एक कारण तो यह था कि गंग नहर में खालें बनाने थे, गंगनहर क्षेत्र में, यह भी था कि हनुमानगढ़ में यह सिद्धमुख नहर और अमरसिंह पुरा ब्रांच में खालें बनाने थे और उसको डवलप करना था। मैं निवेदन करता हूं कि ये सब काम हो चुके, गंग कैनाल के खालों का काम भी हो गया, सिद्धमुख नहर में भी काफी कुछ खालें भी बन गये और वे माननीय सदस्य अभी उसकी बात को कह भी रहे थे। ठीक है, हर क्षेत्र में विकास की और अधिक गुंजाइश है।

मेरा निवेदन यह है कि माननीय मंत्री महोदय, राज्य सरकार और माननीय मुख्य मंत्रीजी इस बात को बिलकुल रिव्यू करें कि अब 16.17 लाख हैक्टेयर तक इसकी सीमा रखने की कहीं आवश्यकता नहीं है। लूणकरणसर लिफ्ट या कंवरसेन लिफ्ट की, माननीय मंत्रीजी, हमारा 61,905 हैक्टेयर सिंचित

(श्री मानिक चन्द सुराना)

क्षेत्र है। बहुत-सा एरिया हमारा ऐसा है जिसमें, जैसे बीकानेर सब-माइनर है, बीकानेर सब माइनर, बी.एस.एम. है, वहां अब काफी क्षेत्र उसका आबादी में आ गया। जो क्षेत्र सिंचित होना था, वह असिंचित हो गया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप 61,905 हैक्टेयर अभी हम ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, इसका बिलकुल सर्वे करें, इसकी बिलकुल जांच करें और जो एरिया हमारा किसी भी परिस्थिति से अनकमांड हो गया, उस हद तक तो आप हमारे काश्तकार को, जो उसकी 2000 से पीड़ा है, उस काश्तकार को उसकी जो सिंचित जमीन मौके पर हो गयी है; नहर ऊपर है, जमीन नीचे है; ऐसी सब भूमियों को और जिनके पक्ष में सर्वे रिपोर्ट भी है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उनको आप बिलकुल, 2000 से 15 साल हो गये, उनको न्याय देने की कृपा करें। यह काम, माननीय मंत्री महोदय, आप इसको बहुत आवश्यक समझें।

दूसरी जो पीड़ा है, वह यह है कि लूणकरणसर लिफ्ट में जो बाराबंदी है, उस बाराबंदी में तारीख तय है, समय तय है किसान को पानी मिलने का, पर अनेक बार न तो उस तारीख को पानी आता है और न उस समय पर नहर के मोगे खोले जाते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अब तो आधुनिक युग बहुत आगे आ गया है, हमारी लिफ्टों पर, आपके पम्पिंग स्टेशंस पर यह रिकार्ड है कि कब बिजली थी और कब बिजली नहीं थी और जब बिजली नहीं थी, उस कारण से किन-किन किसानों की बारी मरी। मेरा निवेदन है कि जब अपने यह रिकार्ड में है कि इन किसानों की बारी मर चुकी, इनको पानी नहीं मिल पाया, मोगे चाहे आपने खोल भी दिये होंगे, उसमें पानी नहीं था। अनेक बार तो यही स्थिति होती है। अभी 14, 15 फरवरी, 2015 को ही 381.700 के मोगे खोल दिये गये, नहर में पानी ही नहीं था; 369.900 के मोगे खोल दिये गये, नहर में पानी ही नहीं था। दो-दो दिन तक किसान चिल्लाते रहे कि साहब, पानी तो है ही नहीं। आपने मोगे खोल दिये तो क्या होगा? एक्स.ईएन. को मालूम है, एस.ई. को मालूम है एडिशनल चीफ इंजीनियर को मालूम है, पर किसान को राहत नहीं मिलती।

मेरा निवेदन है कि जिन किसानों की बारी जितने घंटे के लिए मरती है, यह जो नियम बना रखे हैं अपन ने, पुराने नियम, जिनमें लिखा है कि यदि बिजली फेल हो गयी तो विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं है, और पानी भी नहीं हुआ नहर में और पानी नहीं आया किसान की बारी में तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है; आप इन नियमों में परिवर्तन करें। जब सारा डैटा अपने

(श्री मानिक चन्द सुराना)

पास है, विभाग के पास है कि कब तो बिजली गयी और किस कारण से कितने काश्तकारों को नुकसान हुआ, तो मैं, माननीय मंत्री महोदय, यह अर्ज करना चाहता हूं कि उन नियमों को भी क्वाश करें, फ्रेश करें और उसमें यह प्रावधान डालें। आप पम्पिंग स्टेशंस पर रिजरवायर बनाएं और रिजरवायर बनाकर, वह किसान जिनकी बारी मरती है, आप कोई भी सिस्टम ईजाद करें, यह तो मेरा एक सुझाव है कि आप रिजरवायर बनाएं, और जिस दिन उसकी बारी मरी, क्योंकि पानी तो वापस उस बारी को ही मिल सकता है, तो उस बारी को, या वरीयता जब नहीं है, गैर-वरीयता के दिन आप उनको वापस पानी की भरपाई करें, ताकि सिंचित क्षेत्र का किसान ऐसी परिस्थिति में नहीं रहे जैसे बरसात का किसान रहता है कि बरसात हुई तो ठीक है और नहीं हुई तो ठीक है।

जब वह सिंचित क्षेत्र है और आपने बारियां बांध रखी हैं और विभाग की गलती से नहर में पानी नहीं होने के कारण या बिजली न होने के कारण से उनकी बारियां मरी हैं, तो निश्चित रूप से मेरा इस सरकार से निवेदन है कि किसान को आश्वस्त पानी, एश्योर्ड वाटर हमको देना ही चाहिए और एश्योर्ड वाटर देकर हमें जो हमारे देश की फसल है, राजस्थान की फसल है, उसमें कमी नहीं हो, ऐसी हमको व्यवस्था में सुधार करके ऐसे काश्तकारों को रिलीफ देनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): दो मिनट मुझे दें।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): चलिए, दो मिनट, एक मिनट, जैसा आप उचित समझें।

श्री अध्यक्ष: आप पूरा कीजिए, एक मिनट और।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मैं फिर, माननीय अध्यक्ष महोदय, जलप्रदाय पर कोई बात नहीं कहूंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सवाल यह है कि समय का कंस्ट्रेंट है। 6 बजे से आगे हम बढ़ रहे हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मैं इतनी छूट लेता हूं आपसे कि जो कुछ मुझे कहना है, मैं माननीय मंत्री महोदय को बता दूंगा।

श्री अध्यक्ष: हां, एक मिनट में। हां, लिखित में दे दीजिए।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): लिखित की जरूरत नहीं है, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे परमिशन ही ले रहा हूं कि उनको बता दूंगा

समस्याएं बहुत हैं जलप्रदाय में और जो कुछ अपन ने किया है, इस सरकार ने मेरे यहां पर 22 करोड़ रुपये पिछले वर्ष खर्च किये हैं। उस वक्त पी.एच.ई.डी. की मंत्री भी माननीया मुख्य मंत्रीजी ही थीं। आठ योजनाएं चल रही हैं, 27 गांवों को लाभ होगा। उसके लिए तो मैं बहुत आभार और धन्यवाद देता हूं और मैं चाहता हूं कि उसी क्रम में आपके पास भी सारा रिकार्ड आया हुआ है कि कौन-कौनसी योजनाएं आपके सामने प्रस्तावित हैं और वह भी मुख्य मंत्रीजी के कार्यालय से जानकारी करने के आधार पर आपको मैंने पत्र भी लिखा है और जो एडिशनल चीफ इंजीनियर ने पत्र लिखा है, उसकी प्रति भी आपको भेजी है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी बात को, माननीय सिंचाई मंत्रीजी का विशेष तौर से ध्यान आकर्षित करते हुए, मेरी बात को समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। श्री रमेश। पांच मिनट। पांच मिनट। (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे हक का पानी हमें मिले और दूसरे राज्यों में जो हमारा हिस्सा है, वह अभी तक हमें पूरा नहीं मिल पाया है। इस विषय को सरकार को गम्भीरता से लेना चाहिए। जो यमुना-पंजाब का विवाद है, 67 सालों में हम एक परसेंट भी पानी का उपयोग नहीं कर पाये, चाहे सरकार हमारी रही हो, या बी.जे.पी. की रही हो। तो अपने हक के लिए सरकार को अपनी बात भारत सरकार में मजबूती से रखनी चाहिए और इस विवाद को निपटा कर हमारे हिस्से का पानी हमें दिलाएं।

दूसरा मेरा निवेदन है कि राजस्थान के अन्दर बहने वाली नदियों का जो पानी है, उसका सदुपयोग हो और ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाएं जिससे हमारी सीमा में बह रही, जैसे चम्बल नदी है, इसके पानी का हम सदुपयोग कर सकें। एनिकट्स हैं, डैम्स हैं, इस तरह से इनको बनायें कि यह पानी बाहर नहीं जाए।

मेरा निवेदन है कि जिस किसान के पास नहर का पानी नहीं है, नहर नहीं पहुंच रही है, उस किसान के बारे में भी सरकार को सोचना है। कभी उसकी मोटर जलती है, तो कभी डीजल खतम होता है और उसकी फसल की

(श्री रमेश)

लागत ज्यादा आती है। तो ऐसे जो किसान हैं, इंटीरिअर में रहते हैं, उनके बारे में भी सरकार सोचे।

जो किसान, वहां पर जो नहरें हैं, वहां पर टेल पर पानी नहीं पहुंचता है। वहां पर सरकार का प्रयास रहे कि टेल तक पानी पहुंचे। मेरे करौली जिले में चम्बल नदी, पांचना बांध और पांचना बांध से जगर बांध में डालने से उस क्षेत्र के लोगों को पानी मिल सकेगा और इस योजना को आगे बढ़ायें तो दौसा, जयपुर को भी पानी मिल सकता है।

इसी प्रकार, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक रऊंघाट है चम्बल पर, यदि वहां पर डैम बन जाता है तो उस पानी को आप जयपुर तक ला सकते हो। जो वह पानी गिरता है, 150 फीट गहराई से नीचे गिरता है, तो वहां पर एक हाइडल प्रोजेक्ट भी बन सकता है। कम कीमत पर विद्युत पैदा कर सकते हैं।

एक हमारी चम्बल-नादौती-सवाई माधोपुर परियोजना काफी समय से, 2005-06 से चल रही है। वह अभी तक पूर्ण नहीं हो पायी है और इसमें जो भी काम हुआ है, वह घटिया किस्म का हुआ है। इसमें टेण्डर में जो शर्त थी, उसके अनुसार पी.एस.ई. पाइप की जगह एम.एस. पाइप में कन्वर्ट कर दिया गया। इसमें करीब 100 करोड़ रुपये का घोटाला है। मंत्रीजी इसकी जांच करवायें और इस कार्य को शीघ्र पूरा करवायें। करौली और सवाई माधोपुर के लोगों को पानी मिल सके, यह मेरा निवेदन है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक दोहरी लघु सिंचाई परियोजना एम.आई.पी. की स्वीकृत हुई थी और उसमें धारा 4 के बाद 6 की कार्यवाही होना बाकी है और उसमें जो अंतिम रिपोर्ट, जो फाइनल अवार्ड मिलना है, वह 28 मार्च लास्ट है। इसमें मेरा निवेदन है, मंत्रीजी, मेरी बात पर ध्यान दें, इसमें वहां पर अभी प्रजेंट में कार्यवाहक एस.डी.एम. लगा रखा है, उसको ये शक्तियां नहीं हैं। इसलिए कलक्टर के माध्यम से इस काम को पूरा करवायें, जिससे वहां के लोगों को इस एम.आई.पी. का लाभ मिल सके।

एक मेरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, बारां, झालावाड़, कोटा जिलों में 313 गांवों की 10 लाख बीघा भूमि को सिंचित करने एवं 820 गांवों को 12 महीने पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए 2,360.43 करोड़ रुपये की परवन वृहद् सिंचाई योजना हमारी सरकार के समय स्वीकृत हुई थी और उसकी प्रशासनिक स्वीकृति 30.8.2013 को हो गयी। यह जो योजना है, यह भारत सरकार के सहयोग से स्वीकृत हुई और इसमें जल संसाधन विभाग द्वारा

(श्री रमेश)

652.65 करोड़ की निविदाएं समाचार पत्रों में प्रकाशित हो गयीं, लेकिन राजनीतिक द्वेषता के कारण इस टेण्डर को निरस्त कर दिया। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से और सरकार के मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि इसको वापस चालू करवायें।

अभी आपकी बजट घोषणा में नदियों के जोड़ने की योजना है। ये कब तक जोड़ी जायेंगी? कैसे भूमि का अधिग्रहण होगा? और आपके इस टर्म में क्या यह योजना, जो जोड़ने वाली है, शुरू हो पायेगी?

इसी प्रकार, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके जिले का मामला है, जहां से आप सम्बन्ध रखते हैं, भीलवाड़ा जिले से, वहां चम्बल से पेयजल की व्यवस्था की बात थी। 72 घंटे पानी नहीं आ पाता, कहीं आपके 96 घंटे पानी नहीं आ पाता। तो इससे निजात दिलाने के लिये हमारे पूर्व केन्द्रीय मंत्री, सी.पी. जोशी ने 2010 में 3 हजार करोड़ का प्रोजेक्ट शुरू करवाया था। दूसरे चरण में 820 करोड़ का खर्चा हो चुका है परन्तु इस काम की जो गति है, वह बहुत धीमी चल रही है।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): उन्होंने घोषणा की थी और पांच साल में कुछ भी काम नहीं हुआ था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजिये। डिस्टर्ब मत कीजिये। समय कम है।

श्री रमेश (सपोटरा): आपका समय आये, तब आप बोलना। इस काम के जो कार्य की गति धीमी है, उसको पूर्ण करवाने के लिए कह रहा हूं। मैं आपके फायदे के लिए कह रहा हूं। इसको रुकवाना चाह रहे हों तो आपकी मर्जी। यह पूरी हो, जिससे भीलवाड़ा जिले के लोगों को पानी मिल सके।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष: बस हो गया।

श्री रमेश (सपोटरा): पानी पर तो बोल लूं दो मिनट, साहब। मैं इतना फास्ट बोल रहा हूं, तेज गति से, उसमें भी रोक रहे हो क्या?

श्री अध्यक्ष: एक मिनट और।

श्री रमेश (सपोटरा): एक मिनट, बस। मैं माननीय पी.एच.ई.डी. मंत्री से, क्योंकि अभी हमारी सूरसागर से आने वाली जो हमारी सीनियर माननीया विधायक हैं, उन्होंने कहा था कि महिला मंत्री हैं पी एच ई डी की, तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन तब शर्म आती है कि हैण्डपम्प खराब है, ट्यूबवैल खराब

(श्री रमेश)

है, सिंगल फेज खराब है और महिलाएं कुओं से पानी ला रही हैं। तो मैं माननीय मंत्री महोदयाजी को कहना चाहता हूं कि मेरे करौली जिले में, जो आपके पास रिपोर्ट भेजी है, दिसम्बर के बाद विशेष अभियान चलाया है, 600 से 1000 के बीच में हैण्डपम्प ठीक किये हैं; एक भी हैण्डपम्प ठीक नहीं हुआ है। करौली जिले में सवा साल में एक भी काम नहीं हुआ है। आपने एक हजार आर.ओ. की बात की थी पूरे राजस्थान में लगाने की, लेकिन आप मेरे जिले में मुझे 10-20 आर.ओ. बता दें कि आर.ओ. प्लांट हमने लगवा दिये हैं और वे चालू कंडिशन में हैं।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो हैण्डपम्प और एक टेम्परेरी व्यवस्था है, इसकी जगह आप सिंगल फेज ट्यूबवैल, परमानेंट व्यवस्था करवायें और हैण्डपम्प वहीं लगवायें जहां डार्क जोन हो, या ऊपरी सतह पर पानी हो। अदरवाइज वे दो महीने या तीन महीने में खराब हो जाते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जितने भी सिंगल फेज, ट्यूबवेल, हैण्डपम्प आप लगवाते हों, उसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की तय करो। जिस प्रकार हमारी सड़क में या अन्य कार्यों में गारण्टी देते हैं, तीन साल या पांच साल तक रख-रखाव वही करेगा।

मैं इर्रिगेशन मिनिस्टर से एक बात कहना भूल गया था कि हमारे जो तालाब हैं, छोटे बांध हैं और सिंचाई परियोजना में नहीं हैं, वे इर्रिगेशन डिपार्टमेंट में देने चाहिये। वह पंचायतों को दे रखा है। इस वजह से उनका रख-रखाव नहीं हो पाता है, न उनकी मेंटीनेंस हो पाती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमें जो गर्मी का मौसम आया है...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष: श्री श्रीचन्द कृपलानी।

श्री रमेश (सपोटरा): साहब, एक मिनट बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष: नो-नो-नो। बैठिये, पांच मिनट से आठ मिनट ले लिये। आपने मुझे कहा, पांच-पांच मिनट से ज्यादा नहीं बोलेंगे।

श्री रमेश (सपोटरा): जिस प्रकार आपका मेंटीनेंस विशेष अभियान चलाया जाता है, कुछ ही महीनों में अल्प समय के लिए ..(व्यवधान) यह अभियान मेंटीनेंस का बारह महीने चले तो क्या परेशानी है? इससे लोगों को मदद हो सके।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय विधायकजी, महिलाओं से पानी मत भराओ, खुद ही भरो न।

श्री अध्यक्ष: आपने तीन मिनट मांगे हैं, मैं आपको पांच मिनट दे रहा हूं, लेकिन पांच मिनट में खतम कर देना।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 27, 46 व 38 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, समय बहुत कम है, मैं संक्षिप्त में अपनी बात रखूंगा।

श्री अध्यक्ष: सूत्रों में।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): मैं राजस्थान की हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री वसुन्धराजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने बजट में सिंचाई विभाग को और पेयजल विभाग को बहुत पैसा दिया है। अब इन दोनों मंत्रियों पर डिपेंड करता है कि ये हमारी कितनी हमारे क्षेत्र में मदद करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ सुझाव, अगर आप कहें, तो मैं देना चाहूंगा किरणजी को। अभी यहां पर जनता जल योजना के बारे में सभी विधायकों ने आपकी तारीफ की कि जनता जल योजना को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है और आने वाले समय में जनता जल योजना, जो बंद पड़ी है, वह प्रारम्भ हो जायेगी। लेकिन, मैं माननीय मंत्री महोदया, आपको निवेदन करना चाहता हूं कि जनता जल योजनाओं के अलावा कई ऐसी योजनाएं हैं, जिनमें सांसद कोटे का पैसा लगा है, कहीं विधायक कोटे का पैसा लगा है, कहीं गांव वालों ने अपनी इच्छा से ट्यूबवेल खुदाकर छोटी-छोटी पनघट योजना चला रखी है, लेकिन मोटर जल जाने की वजह से, यहां कृषि के कनेक्शन नहीं होने की वजह से, लाखों रुपये लगने के बाद भी वे योजनाएं बंद पड़ी हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि जनता जल योजनाओं के साथ-साथ उन योजनाओं को भी अगर आप थोड़ा बहुत पैसा दे देंगे तो योजनाएं चल जायेंगी और हजारों गांवों को राजस्थान में इनका फायदा मिलेगा।

आपने पेयजल योजना बनाने के लिए जो एक क्राइटेरिया तय कर रखा है, मेरा आपसे निवेदन है कि उस क्राइटेरिया को थोड़ा कम करें। 2 हजार की आबादी का क्राइटेरिया होगा तो निश्चित रूप से काफी गांवों को फायदा मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे मेवाड़ में, जिसमें चित्तौड़गढ़ जिला भी है, भीलवाड़ा भी है,

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

उदयपुर जिला भी है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सभी को अगर हम देखें तो बीसलपुर जो योजना बनी, उस योजना के बाद हमारे पूरे सम्भाग में, अध्यक्ष महोदय, आपको भी पता है कि एनिकट बनाने पर, दो मीटर से बड़ा एनिकट बनाने पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है। इसकी वजह से, अध्यक्ष महोदय, कोई भी नई योजना पिछले कई वर्षों से एनिकट बनाने की वहां स्वीकृत नहीं हो पा रही है। उस प्रतिबन्ध को हटाने का मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

मैं इसके साथ ही साथ निम्बाहेड़ा नगर में पेयजल के लिए जो गंभीरी डैम से योजना वसुन्धराजी के राज में पहले स्वीकृत हुई थी, उसका प्रथम फेज स्वीकृत होकर, कार्य प्रारम्भ होकर, काम खतम हो चुका है, लेकिन उसका जो द्वितीय फेज है, उसके लिए गंभीरी डैम में 250 एम.सी.एफ.टी. पानी आरक्षित करके उस योजना को स्वीकृत करना है। उसके लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

साथ ही, कनेड़ा में जो पेयजल योजना आपकी चल रही है, उसमें गंदे पानी के आने की वजह से गांव वालों को गंदा पानी पीना पड़ रहा है। उसको भी अगर स्वीकृति देकर, फिल्टर प्लांट को स्वीकृति, देकर अगर प्रारम्भ करायेंगे तो उसका निश्चित रूप से हमको फायदा मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत संक्षेप में दो-तीन बातें सिंचाई मंत्रीजी को निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: तीन मिनट मांगे थे, आपने पांच ले लिये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): अध्यक्ष महोदय, दो मिनट में।

श्री अध्यक्ष: हां, समाप्त करिये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): अध्यक्ष महोदय, निम्बाहेड़ा में कनेड़ा घाटी में एक रेनका नाका बांध है, जो हमारी राजस्थान की लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने गई बार, जब वे मुख्य मंत्री थीं, उन्होंने उस बांध को स्वीकृत किया था। स्वीकृत होने के बाद में उसके टेण्डर भी हो गये, सांवरमलजी जाट, जो उस समय तत्कालीन सिंचाई मंत्री थे, उन्होंने उसका शिलान्यास भी कर दिया और कार्य प्रारम्भ होने की स्थिति में आया और इन लोगों का राज आ गया। आते ही उन्होंने उस काम को बंद कर दिया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): दुबारा आ रहा है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): दुबारा तो नहीं आयेगा 25 साल तक। भूल जाओ उस बात को।

अध्यक्ष महोदय, मैं डाक्टर साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि रेनका नाका बांध, जो कि हमारी मुख्य मंत्रीजी का सपना था, उन्होंने घोषणा की थी, उस कार्य को प्रारम्भ कर दिया; उसको वापस स्वीकृत करके, स्वीकृति हालांकि उन्होंने रोक रखी है, उस रेनका नाका बांध को अब शीघ्र प्रारम्भ करायें।

साथ ही, सिगरिया हनुमानजी का एनिकट, साकलखेड़ा बांध की ऊंचाई बढ़ाने के लिए और भैंरू घाटी बांध का निर्माण कराने का कष्ट करावें। इतना ही मुझे निवेदन करना है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: बहुत अच्छे। माननीय श्री नरपतसिंहजी। इसके बाद आप और आप में से एक बोलेगा, जो भी आप चाहें।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): दो-दो मिनट दे दें।

श्री अध्यक्ष: नो-नो-नो। दो मेम्बर हो, दोनों ही बोलेंगे, यह नहीं। आपको बोलना हो तो आप बोल लेना, या उनको बोलना होगा, वे बोल लेंगे।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): साहब, मेरा भी नाम है, मुझे भी चार मिनट का मौका दे दें।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): हमारी मांग हैं, सुझाव हैं, निवेदन है। यह थोड़ा टेबल कराने का आदेश फरमा दें, हम टेबल कर दें।

श्री अध्यक्ष: आप टेबल कर दीजिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): हम भी इस बात को नहीं बोल पा रहे। इसलिए मुझे भी अगर चार मिनट का समय देंगे तो बहुत-बहुत धन्यवाद होगा।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं। आप यह एकाध नाम बढ़ा देते हो। आप देते हो, उस समय बढ़ा दिये आपने सब। आप तो साढ़े छह बजे बढ़ा दीजिए, आज के दोनों मंत्रियों के भाषण तक। बाकी साढ़े छह बजे बाद में किसी को नहीं बोलने दूंगा।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): हमें भी बुलवा दो, अध्यक्षजी।

श्री अध्यक्ष: माननीय नरपत सिंहजी।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र से नहीं, उससे हट कर बात कहना चाहूंगा। जब आप इसी सदन में प्रतिपक्ष में थे...

श्री अध्यक्ष: था।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): और माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत ने जो लोंगोवाल अकोर्ड के खिलाफ बात कही, इतिहास है, उस समय कहा था कि 0.6 एम.ए.एफ. पानी हम नहीं ले पायेंगे और कभी भी कंजम्प्टिव यूज करने के बाद में राजस्थान को उसके हिस्से का पानी नहीं मिलेगा। मैंने मंत्रीजी से कहा है, निवेदन किया है कि यह पहला मौका है, 1977 में नोटिफिकेशन तैयार हो गया था, सिर्फ साइन होने की आवश्यकता थी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साइन हो गये थे, लेकिन पंजाब के द्वारा एक हफ्ते का समय मांगा गया और उसके बाद में सरकार गिर गयी। मोरारजी भाई देसाई के समय, जनता पार्टी की सरकार में, नोटिफिकशन जारी होना था उसमें। अब हमारे यहां पर सरकार हमारी है, पूर्व सिंचाई मंत्री हैं वे केन्द्र में सिंचाई मंत्री हैं। प्रधान मंत्रीजी के सामने यह फेडरल स्ट्रक्चर का सीधा सामने रखें तो कम से कम अगर आज नोटिफिकेशन जारी होता है, यह भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, या यमुना, जो पानी हमारे को 0.5 एम.ए.एफ. मिलना है वह, जो इन्टर-स्टेट डिस्प्यूट्स के मैटर्स हैं, आज अगर टेकअप नहीं करेंगे तो उससे ज्यादा कमजोरी सरकार की और मंत्रीजी की नहीं होगी। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

मैं आपको एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, उस समय माना था, 17.17 एम.ए.एफ. पानी मिलेगा, उस दिन से लेकर आज तक एक बार भी कभी 17.17 एम.ए.एफ. पानी आया नहीं है। 15 से ऊपर कभी नहीं आया है। स्टोरेज लेवल 10 फीट का, जब पंजाब में आतंकवादी गतिविधि थी, तब खाली रखना आरम्भ किया था। उससे पहले कभी खाली नहीं रखते थे। 10 फीट का अगर टाप से खाली होता है, तो कम से कम पूरे अपने इंदिरा गांधी कैनाल और पंजाब में दो पानी और दे सकते हैं उतने में। कोई सिक्योरिटी, डैम सेफ्टी के नाम पर कर रहे हैं। इस चीज को भी तो अब टेकअप किया जा सकता है। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड का अगर सीरियस एफर्ट अभी नहीं किया गया, तो मैं सोचता हूं कि राजस्थान का जो इर्रिगेटेड एरिया है, या जहां से पीने का पानी मिलने वाला है, वह वर्षों तक पछतायेगा।

साउथ घग्घर कैनाल, आप स्वयं थे वह एग्रीमेंट करवाने में, 44 क्यूसेक्स पानी वहां से मिलना चाहिए। हरियाणा आपको देता ही नहीं है। अब

(श्री नरपत सिंह राजवी)

आप कुछ कर लें, अब स्वयं मंत्री हैं। जहां-जहां पर है, सिवाय सीधा हैडवर्क्स से लेने से, बीच में जहां-जहां भी, हरियाणा ने अभी चार माइनर्स निकाले हैं कांग्रेस शासन में, पहले भी एक माइनर निकाला था, वह मेन कैनाल, फीडर कैनाल में नहीं निकल सकता, आपके प्रावधान हैं, लेकिन यहां पर विभाग ध्यान नहीं देता। पता नहीं, पंजाब क्या कर देगा, या हरियाणा क्या कर देगा, उस आधार पर हमारा पानी दूसरे स्टेट्स में जा रहा है, वह अच्छा नहीं है।

फीडर कैनाल के रिपेयर, मेंटीनेस की मुख्य मंत्रीजी ने बात भी कही है, पिछले बजट में भी कही थी, अब वह काम आरम्भ होना है लेकिन उसकी टेरेन ऐसी है, जहां से पानी आ रहा है, उस सिल्ट को अगर आदमी निकालना चाहे, नहीं निकलेगी, जब तक सूखती नहीं है। ड्रेजिंग के लिए आपने कोशिश की है क्या? पुरानी क्रेन्स, जो काम करती थीं, ड्रेज क्रेंस, वे उसमें काम नहीं कर पायेंगी, उसमें कम से कम 20-20 फीट, 30-30 फीट सिल्ट उसमें लगी हुई है। आप चाहे खाजूवाला के पास देखें, या छत्तरगढ़ के पास देखें, चाहे ओटू हैड में देखें, चाहे मसीतांवाली में देखें, जिन हैड्स पर भी आप देखेंगे, यहां पर एक बार छत्तरगढ़ के पास में टूटा था, कम से कम 20 फीट से ज्यादा वहां पर सिल्ट थी। मानिकजी, आपने तो स्वयं ने वहां पर जाकर देखा है।

उस ड्रेजिंग के लिए नयी टेक्नोलोजी आ गयी। हैड पर आपको जहां पर चेंज करना है, उसी कन्टेनर को एक ही आदमी उसको एक दिन में हटा लेगा और हैड के डाउनस्ट्रीम में रख देगा। तो ड्रेजिंग करवाकर करेंगे, तब तो इंदिरा गांधी मेन कैनाल है, फीडर कैनाल हैं, वे साफ हो पायेंगी, वरना नहीं कर पायेंगे। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: संक्षेप में कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण विषय है लेकिन सूत्रों में।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): इसीलिए कर रहा हूं। पांच-दस मिनट प्लस-माइनस हों, मैं तो ज्यादा नहीं बोलने वाला हूं, बोलता भी नहीं हूं। लेकिन अब मौका है, आप स्वयं अपना पुराना एक्सपीरियंस बता दें। इससे ज्यादा बढ़िया मौका होगा क्या? नरेन्द्र मोदी जैसे पार्लियामेंटेरियन हैं, प्रधान मंत्री हैं।

श्री अध्यक्ष: आप कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू कीजिए।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): अब मैं जलदाय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि मंत्री पद तो ले लिया, लेकिन इन इंजीनियरों के चक्कर में आ जाओगे तो चकरी...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): छीन कर ले लिया, आप जैसे वरिष्ठ माननीय सदस्यों से छीन कर।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): जी, आपकी मेहरबानी नहीं चाहिए।

लेकिन इन इंजीनियर्स के चक्कर में अगर आप आयेंगे तो निश्चित तौर पर जो रिजल्ट आज जनता एक्सपेक्ट कर रही है, जो विधायक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वह नहीं दे पायेंगे।

टेरेस्ट्रियल स्टडी क्या है, आपने जानकारी की है क्या?

श्री अध्यक्ष: यों डाइरेक्ट मत पूछिये। आप अपनी बात कहिये।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): अध्यक्ष महोदय, आप ही बता देना, आपके माध्यम से पूछ लेता हूं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, माध्यम से पूछें, वे जवाब दे देंगी। आप पूछ लो। अभी नहीं। (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): टेरेस्ट्रियल स्टडी के सम्बन्ध में, मेरे ख्याल से, 1991 में यहां पर बहस हुई थी और पांचना बांध के कोई एक इंजीनियर थे, उन्होंने ही कोई स्कीम लगायी थी, उस समय यह बात हुई थी। ड्रिंकिंग वाटर के लिए टेरेस्ट्रियल स्टडी होती है। पूरे राजस्थान में पांच ऐसे सब-डिविजन बता दें जिनके अन्दर टेरेस्ट्रियल स्टडी की हुई हो। और लम्बी-लम्बी स्कीम्स बना रहे हैं। पानी पिलाना है।

श्री अध्यक्ष: आप ये सारे सुझाव लिखकर उनको देंगे तो बड़ी कृपा होगी।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): दिये हुए हैं, लैटर भी साथ लाया हूं, ताकि यह नहीं कह दें। सारे लिखे हुए हैं और लिखकर इनके पास पहुंचाया हुआ है। अब मैं हाउस के फ्लोर पर कह रहा हूं।

पहले 24 घंटे पानी देने का जयपुर में यूज किया था, 4 इंच की टाइल लगायी; आधे घंटे, एक घंटे के बीच में पानी मिलता है। सारे कन्जूमर एक साथ उसको इस्तेमाल करते हैं। आज 4 इंच की लाइन सफिशिएंट नहीं है। तो वह प्लानिंग जो आप निभा ही नहीं सकते, उसको स्वीकृत सरकार को नहीं करनी है। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, अभी तक भी कान्सेप्ट क्लीयर नहीं है। अध्यक्ष महोदय एक सर्कुलर आया है कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं लगेगा तो नहीं होगा। बिलकुल सही है।

(श्री नरपत सिंह राजवी)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जिनके हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर हैं, इंस्पेक्शन हो गया, अभी तक सर्कुलर क्लीयर नहीं है कि इनको कैसे डिवाइड किया जायेगा, कैसे दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): मैं तो मेरे विद्याधर नगर की सेण्ट्रल स्पाइन की बात कह रहा हूं, तीन साल पहले लाइन लग गयी है लेकिन कन्जूमर को फायदा नहीं है। पब्लिक का पैसा लग गया, स्टेट का पैसा लग गया, कन्जूमर को फायदा नहीं।

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि पेरिफेरी, जयपुर और शहरों के पेरिफेरी एरिया में जो वार्ड में आ गया...

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दोनों माननीय मंत्रीगण का जवाब आने और मांगें पारित होने तक के लिए बढ़ा दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: क्या समय बढ़ाया जाय।

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया जाता है।

हां, अब आप दो मिनट में खतम कीजिए।

मांग संख्या 27, 46 व 38 पर विचार

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): तो पेरिफेरी का एरिया जितना भी है, उसका रूरल में डाल रखा है, जबकि शहर में 160 लीटर, 165 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन मिलता है बजट और ग्रामीण क्षेत्र में मिलेगा सिर्फ 65 लीटर। तो इन एक ही वार्ड के दो भाग में इतना डिफरेंस आता है कि उसमें भावनाएं भड़कती हैं। जहां पर स्कीम एप्रूव्ड नहीं है वहां पर ट्यूबवेल नहीं करें लेकिन 1984 में, 1990 में जो स्कीम्स एप्रूव हो गयीं, उनमें आज भी लाइनें नहीं डाली हैं। तो यह विभाग कर क्या रहा है? पैसा जमा हो गया कन्जूमर का।

(श्री नरपत सिंह राजवी)

रोंग कनेक्शंस, अभी अख़बार में आया था कि ये फर्जी कनेक्शन लिये हुए हैं। कटवाओ न फर्जी कनेक्शन। किसने मना किया है? ये जितने भी निर्वाचित प्रतिनिधि जयपुर के हैं, सब आपको सहयोग करेंगे, कटवायेंगे साथ में, लेकिन वाटर का जितना लासेज, स्काडा टेक्नोलोजी जयपुर जैसे बड़े शहर में आप काम में लें तो हर क्यूसेक का, हर लीटर का आपको ज्ञान होगा और चार परसेंट लासेज से ज्यादा कहीं भी लोस होगा, तो ओ एण्ड एम करने वाला उसको भुगतेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष: अब विराजिये।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): इन सब व्यवस्थाओं को आप करने की व्यवस्था करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए।

आप में से आप बोलेंगे कि वे? केवल पांच मिनट, इसके आगे नहीं। फिर मैं मंत्रीजी का जवाब लूंगा।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): अब चार मिनट में सलटा देंगे।

श्री अध्यक्ष: बहुत अच्छे आदमी हो। आपसे बढ़िया कोई विधायक नहीं।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं।

सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में राजगढ़-बुंगी जलदाय परियोजना चल रही है, जो 2006-07 से चल रही है और आज दिन तक पूरी नहीं हुई है। 2015 के बजट तक उसको पूरा किया जाए। माननीय मंत्री महोदया से विशेष निवेदन करना चाह रहा हूं, उसको बढ़ाकर के घर-घर कनेक्शन के लिए आप क्रमोन्नत करें क्योंकि अगर घर-घर कनेक्शन दिया जायेगा तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल पायेगा।

साहब, राजगढ़ शहर में 20-25 वर्षों से पुरानी जो लाइन पड़ी है, उस लाइन का पुनर्गठन करके, जो लाइन 20-25 फीट गहराई में चली गयी, उसका परिवर्तन करके, उसके लिए बजट की व्यवस्था करके, उन शहर के लोगों को फायदा दिलाएं।

(श्री मनोज कुमार)

राजगढ़ शहर में पंचायत समिति भवन में दो करोड़ से बनी हुई एक ऊपरी टंकी, जिसको बने हुए आठ साल हो गये, वह आज दिन तक पानी से नहीं जुडी और राजगढ़ की जनता को उसको कहीं भी फायदा नहीं मिल पाया।

साहवा से राजगढ़ के बीच में जो पानी पहुंच रहा है, उसके बीच में अवैध कनेक्शंस हो रहे हैं। उन अवैध कनेक्शंस को कटवा कर, चोरी करने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर, उनके खिलाफ कार्यवाही की जावे।

मेरे सादुलपुर विधान सभा क्षेत्र में, मैं कई बार कह चुका हूं कि जो तीन ए.ईएन. और 6 जे.ईएन. की पोस्ट हैं, उनमें से मात्र एक ए.ईएन. है और वह ए.ईएन. भी महीने में एक बार जाता है और 29 दिन तक छुट्टी पर रहता है, या अनुपस्थित रहता है। सारे हैंडपंप लीकेज हैं, सब खराब हैं। सुनने वाला कोई नहीं है। एम एल ए लैड से भी हमने सिंगल फेज के जितने भी बोरिंग के लिए सैंक्शन किये, उनके एस्टिमेट तक भी बनाकर के भेजने वाला कोई नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए मंत्री जी को निवेदन करना चाहता हूं कि वहां तुरन्त प्रभाव से ए ईएन, जे ईएन लगाये जाएं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र के 80-90 गांव ऐसे हैं जहां जलदाय विभाग के द्वारा पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। वहां आप गर्मी के मौसम में टैंकरों की ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था करके उन लोगों तक पानी पहुंचाने का काम करें। जो 80-90 गांव वंचित हैं, वहां भी पानी की दूसरी व्यवस्था आप करने का पूर्णतया प्रयास करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सिंचाई मंत्रीजी से दो बातें और कहना चाहूंगा। हमारे नोहर से आने वाले माननीय सदस्य मटोरियाजी ने जो बात रखी थी, हमारी सिद्धमुख नहर का नाम आया था, लेकिन हमारी सिद्धमुख नहर में जो 14 गांव मेरी उप-तहसील के हैं, वहां तक आपकी नहर कभी नहीं पहुंची। टेल तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। आपकी नहर टूटी पड़ी है। उसको तुरन्त रिपेयर करके राजगढ़ तहसील के 14 गांवों को आप पानी पहुंचाने का कष्ट करें। उनके खाले, नाले और मोरियों का निर्माण कराने का काम करें। उन 14 गांवों में आज दिन तक पानी नहीं पहुंचा है, 1981 से लेकर के आज दिन तक। नहर का नाम सिद्धमुख नहर परियोजना है, लेकिन सिद्धमुख नहर का पानी सिद्धमुख के लोगों को आज दिन तक नहीं मिला है। माननीय मंत्री महोदय से विशेष निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे इन 14 गांवों को, जो

(श्री मनोज कुमार)

1981 से आपका इन्तजार कर रहे हैं नहर के पानी के लिए, उन लोगों तक पानी पहुंचाने का काम करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरी मांगों पर विचार करें। धन्यवाद।

(मांग संख्या 27, 46 व 38 पर माननीय सदस्य श्री कन्हैया लाल (मालपुरा), श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी), श्री दलीचन्द डांगी (मावली) एवं श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण) द्वारा सदन पटल पर रखे गये वक्तव्यों के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे आपसे एक बात निवेदन करनी है कि कार्य सलाहकार समिति में सामान्यत: 6 बजे हाउस एडजोर्न करने का निर्णय लिया गया था। उसके बाद विशेष परिस्थितियों में 7 बजे तक रहे। अगले 6 दिनों तक हमें लगातार बैठना है और उसमें हम थकें भी नहीं। अब यह है कि आप नाम दे देते हैं, आप नाम देते हैं, तो आप तो नाम दे देते हैं लेकिन मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है कि कैसे इनको शामिल किया जाए। सबको करना भी चाहिए।

इसलिए मैं निवेदन करता हूं, मेरी राय है कि आज जो लोग बोल लिये, क्योंकि सबके कट मोशंस के जवाब आपको लिखित में घर पर आ जायेंगे, वह एक व्यवस्था है, उसका लाभ आपको मिलेगा; यहां बोलने के लिए, जैसे आज जो बोल लिये, चाहे इस पक्ष के हों या इस पक्ष के हों, उनको कल कम मौका दीजिए और 7 दिन में करीब-करीब सभी बोल लेंगे। क्योंकि 160 इधर और 40 इधर हैं, मंत्रिमंडल को निकाल दें तो 140 तो रहते ही हैं और 40 इधर हैं। सबको मौका मिले, इसलिए मेरी राय है दोनों सचेतकों को। अब निर्दलीयों को भी मुझे एकोमोडेट करना पड़ता है क्योंकि वे भी चुनकर आते हैं। लेकिन रोज वे भी बोलें, यह भी आवश्यक नहीं है, निर्दलीयों के लिए भी। इसलिए कई बार लिहाज रखना पड़ता है।

मैं आज आपसे विशेष तौर से निवेदन करता हूं कि 6 बजे तक हमारे सब माननीय विधायक बोल लें और 6 बजे के बाद मंत्री का जवाब आ जाए और फिर हम एडजोर्न कर लें, क्योंकि अगले 6 दिन हमें बड़ा हैवी बिजनेस करना है।

अब मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सिंचाई मंत्रीजी पहले बोलेंगे। किरणजी, मैंने आपसे पहले भी कहा, क्योंकि उनको दिल्ली जाना है, कल मीटिंग है। वे पहले बोलेंगे, उसके बाद आप बोलेंगी। (व्यवधान) अब नहीं। अब नहीं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ढाई मिनट।

श्री अध्यक्ष: नहीं, बिलकुल नहीं। नहीं, डोटासरा साहब। आपकी बात मान ली। नहीं, नहीं, बिलकुल नहीं। बैठिये। (व्यवधान) नहीं, बैठिये, मैं निवेदन कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ढाई मिनट। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, मैं फिर आइंदा नहीं लूंगा। आइंदा फिर मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। आप सबने 5-5 मिनट का बोला और 8-8, 10-10 मिनट लिये हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मेरा नाम है।

श्री अध्यक्ष: वह है, लेकिन 5 मिनट के लिए था सबका। अब आप चुप रहो आज, कल बात करेंगे।

श्री संजीव कुमार (भादरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें तो कभी समय मिलता ही नहीं बोलने का। कभी तो मिले।

श्री अध्यक्ष: कल आपका नाम आ जाएगा। कल दीजिए पहले। विराजिये। यह टेबल कीजिये।

श्री संजीव कुमार (भादरा): कभी समय नहीं मिलता हमें।

श्री अध्यक्ष: कल आ जाएगा आपका नम्बर, मैंने कह दिया। अब आप विराजिए।

श्री संजीव कुमार (भादरा): हम भी अपनी बात रखने के लिए आते हैं यहां।

श्री अध्यक्ष: अब आप विराजिये।

श्री संजीव कुमार (भादरा): आज सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, हमारे जिले से सबसे ज्यादा सिंचाई...(व्यवधान) समय कभी नहीं मिलता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपने जो कट मोशंस दिये हैं, उनका जवाब आ जाएगा। (व्यवधान) अब आप विराजिये।

श्री संजीव कुमार (भादरा): जवाब आ जाएगा, बोलने के लिए आते हैं हम भी यहां पर।

श्री अध्यक्ष: जरूरी नहीं है। विराजिये।

श्री संजीव कुमार (भादरा): हमको कभी भी समय नहीं मिलता है। (व्यवधान)

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में मांग संख्या 38 और 46 पर माननीय सदस्यों ने अपने बहुत ही उपयोगी सुझाव दिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 154 कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए। मैं आपकी मार्फत माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि अगले 2 दिन में कटौती प्रस्तावों के जवाब आपको भेज दिये जाएंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी सदस्य जल्दी में हैं, मैं जल्दी में दो-तीन बातों का निवेदन करना चाहूंगा। माननीय नरपत सिंहजी बोले तो मुझे थोड़ा था कन्फ्यूजन है, आपने मुद्दा उठाया, मोरारजी देसाई का नाम लिया, तो मोरारजी देसाई तो मेरे ख्याल से 1980 से पहले नहीं थे क्या? 1977 से 1980 में थे।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): तभी का ले रहा हूं।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): मैं वही कह रहा हूं। माननीय नरपत सिंहजी, जो समझौता अपना हुआ, वह 1981-82 का है। जो यह समझौता है जिस .47 की आप बात कर रहे हों, यह आपके 1981 में समझौता हुआ और बाद में सेक्रेटरी, गवर्नमेंट आफ इंडिया को अधिकृत किया सब स्टेट्स ने कि यह .57 अपना पानी था, इनको किस रूप से दिया जाए। वह शायद कोई अनौपचारिक बात हुई होगी उनकी।

खैर, दूसरा, बी बी एम बी में पंजाब अकेला नहीं है, दूसरी भी पार्टियां हैं। इसको हैंडल करने वाली है वह पावर मिनिस्ट्री है। इसके साथ में आपने घग्घर का जिक्र किया, तो घग्घर तो उस समझौते के हिसाब से, जब सिद्धमुख को बनना था तो इसको आई जी एन पी में स्विच-ओवर करना ही था। समस्या हमारी दूसरी है। हमें .47 पानी मिलना चाहिए था सिद्धमुख के लिए, जिसके लिए अभी माननीय सदस्य ने जिक्र किया था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि आप भी सिंचाई मंत्री रहे हैं, आपको अच्छी तरह से पता है कि पानी हमें मिल रहा है .17, 300 क्यूसेक्स के बराबर होता है। कुछ तो हरियाणा चोरी कर लेता है और 300 क्यूसेक्स पानी हमें कम देता है। उसकी वजह से 1,100-1,200 क्यूसेक्स के अगेंस्ट में हमें 500-600 क्यूसेक्स पानी मिलता है। समस्या इस वजह से है और इंटर-स्टेट मैटर है।

(डा. रामप्रताप)

इंटर-स्टेट मैटर को मुझे यहां कहते हुए कोई संकोच नहीं है, सरकार किसी की रही हो, हमने इंटर-स्टेट मैटर को सीरियसली डील ही नहीं किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि दिल्ली के अन्दर हर स्टेट का कम से कम एक चीफ इंजीनियर बैठा है और राजस्थान का उसके इक्विवेलेंट एक ए ईएन बैठा है। अब आप यह बतायें कि एक ए ईएन किस आफिस में जाकर के कहां लाइजनिंग कर लेगा? जब माननीय मुख्य मंत्री महोदया को पता चला, तो आज हमने वहां पर एक चीफ इंजीनियर को लगा रखा है।

इसके साथ, इंटर-स्टेट मैटर्स को और चाहे सी एस एस के वर्क्स हों, उनको हमने इतना सीरियसली लिया है कि हमारे आई डी आर में, उस दिन भी मैंने जिक्र किया था, माननीय घनश्यामजी ने थोड़ा उसको अदरवाइज ले लिया, हमने एक वार रूम बना रखा है। वॉर रूम का मतलब यह नहीं है कि हम पाकिस्तान से लड़ाई कर रहे हैं; यहां से निर्देश दे रहे हैं। वार रूम का मतलब यह है, उसकी मंशा यह है कि जितने भी हमारे प्रोजेक्टस हैं, उनके लिए कुछ इंजीनियर्स एक जगह बैठकर के, चाहे उनकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो, चाहे उनकी ड्राइंग हो, चाहे डिजाइन हो और well equipped with every thing, नक्शे, वगैरह साथ में, आपके कम्प्यूटर, वगैरह; वह वार रूम हमने बना रखा है। वह माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने बनाया है। कहने का भाव एक ही है कि इंटर-स्टेट मैटर्स को हम बड़ी सीरियली ले रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, चारों तरफ से हमें लास हो रहा है, चाहे गुजरात का मामला हो, चाहे हरियाणा का मामला हो, चाहे पंजाब का मामला हो। अभी बीच में यहां पर यमुना रिव्यू बोर्ड की बात आई, मेरे ख्याल से मैं थोड़े में ही बोल रहा हूं, माननीय ओला साहब ने इसको उठाया था। मैं स्वर्गीय शीशरामजी ओला का बहुत-बहुत मान और सम्मान करता हूं,वे मेरे पिता तुल्य थे लेकिन यह जो अपर यमुना रिवर मामला है, उसमें जो मेजर शेयर होल्डर हैं वे झुंझुनूं और चूरू हैं; माननीय ओला साहब मंत्री रहे केन्द्र में भी और स्टेट में भी रहे, उन्होंने प्रयास में भी कोई कमी नहीं रखी, लेकिन हम पानी नहीं ले सके। उसके बाद में कमलाजी आईं। कमला भी चूंकि झुंझुनूं की रहने वाली थीं, उन्होंने भी अपनी तरफ से बहुत प्रयास किया लेकिन कोई नतीजा हाथ नहीं आया।

(डा. रामप्रताप)

प्रयास के तौर पर हरियाणा से मुख्य मंत्री यहां पर आये। 1981 के एग्रीमेंट के तहत हरियाणा को हमें .05 एम ए एफ पानी देना था आई जी एन पी से। वह पानी लेना था 496 से अपस्ट्रीम के अन्दर और चौटाला साहब लेना चाहते थे डाउनस्ट्रीम में, क्योंकि उनके गांव उस एरिये में आते थे। तब वे यहां आयें, और मैं थोड़ा-सा आपसे लिबर्टी ले रहा हूं, बहन जी-बहन जी कहकर के उनसे तो वे पानी ले गये खुद का, और ले ही क्या गये, केन्द्र सरकार की मंजूरी इसमें चाहिए, केन्द्र सरकार को तो वे बाद में लिखते हैं और उन्होंने अपने माइनर्स पहले ही बनाने शुरू कर दिये। हमारी सदाशयता का यह हुआ कि यहां पर उनको जब गर्ज थी, तब तो उन्होंने कहा कि आप अपने टेक्निकल आफिसर्स को भेजिये और अगर यह फीजिबल होगी तो हम आपको ताजेवाला से डाउनस्ट्रीम में पानी दे देंगे, लेकिन जब उनका काम पूरा हो गया, उसके बाद में उन्होंने, एम ओ यू भेजा, उस पर साइन नहीं किये।

इंटर-स्टेट मैटर्स में, माननीय ओला साहब, आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मैं ईमानदारी से शीशरामजी ओला के सामने अपने आपको बहुत छोटा महसूस करता हूं, लेकिन फिर भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीया मुख्य मंत्रीजी लगातार सम्पर्क में हैं, लगातार पत्राचार चल रहा है और अपर यमुना रिवर कमेटी की मीटिंग है, मैं कल ही अटेंड करने जा रहा हूं और दो साल के बाद में हो रही है। इसलिए किसी राजनीतिक पार्टी का या किसी व्यक्ति विशेष का देखें, तो, मेरे ख्याल से, ऐसा नहीं है। हरियाणा है, अगर आप मुझे लिबर्टी दें, तो मैं इस हद तक जाने के लिए तैयार हूं कि यह तो अपने देश का हिस्सा है, अगर दूसरा देश हो, तो यह हमारे साथ पाकिस्तान से भी ज्यादा बुरा व्यवहार करेगा।

अब आपके माननीय सदस्य ने कहा था गुडगांव कैनाल का, उसमें सिल्ट सफाई की बात आई, तो सिल्ट सफाई तो करवा देंगे, लेकिन पानी की चोरियां इतनी होती हैं कि जोइंट इंस्पेक्शन में, माननीय अध्यक्ष महोदय, 189 जगह पर इल्लीगल साइफनिंग करते मिले।

कल हमारी बैठक होगी। हमारा जो एजेंडा है, उसमें मुख्य मांग हमारी एक यह होगी कि ओवरफ्लो, जो हमारे को पानी मिलता है, उसमें जहां से हरियाणा में पानी एन्टर होता है, एक वह पाइंट और एक दूसरा जो हरियाणा से राजस्थान में आता है, उस पाइंट पर आटोमेटिक गेजिंग हो और उसमें जो डिफरेंस आता है, वह कम से कम एक महीने के अन्दर जो भी हमारे साथ,

(डा. रामप्रताप)

चाहे यू पी करे, या हरियाणा करे, वह हमें कम्पनसेट करना चाहिए। मैं यह निवेदन इसलिए करना चाहता हूं कि पूरे सदन को सारी जानकारी मिले।

अभी आपने आई जी एन पी का मुद्दा उठाया, मैं इतना कह सकता हूं कि आदमी के मन में काम करने की इच्छाशक्ति हो तो वह कहीं का कहीं, कुछ का कुछ भी कर सकता है। राजस्थान में इतने मुख्य मंत्री हुए, जून के महीने में 2008 में यह वसुन्धराजी थीं जो हरिके बैराज से लेकर मोहनगढ़, रामगढ़, यहां तक कि तनोट तक गई थीं। आज तक कोई मुख्य मंत्री नहीं गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको यह ताज्जुब होगा कि उनके इंस्ट्रक्शंस ये थे कि कहीं भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है, क्योंकि जहां भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो जो टार्गेट, जिसको आपको देखना है, उसको आप सही तरीके से नहीं देख सकते। उन्होंने हर चीज को बड़ी नजदीक से देखा और देखने के बाद में, पंजाब पार्ट का जो आप कह रहे थे, संगरूर के माध्यम से आती है, आपके पास आई जी एन पी का संगरूर नहीं है, वह फरीदकोट है; वह फरीदकोट के बिलकुल अन्दर से निकलती है। वहां देखने से बिलकुल भयावह स्थिति है। मुख्य मंत्रीजी ने आने के बाद में 950 करोड़ रुपये की स्कीम बनाकर केन्द्र सरकार को भेजी है। यह 2008 की बात है। यह मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि सबको जानकारी हो। दूसरी स्कीम भेजी आई जी एन पी मेन कैनाल की 401 करोड़ की। दोनों स्कीमें 2009 में पूरी हुईं। वह हमारी 90 और 10 के अन्दर स्कीम थी। 90 परसेंट केन्द्र सरकार को देना था और 10 परसेंट हमारा था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा अफसोस है कि इतना भारी अमाउंट, कम से कम 300 से लेकर 400 क्यूसेक्स पानी का हम लास कर रहे हैं, हजारों बीघा जमीन हमारी सेम से ग्रस्त हो रही है और सिर्फ 40 करोड़ रुपये में हमें इतना पानी मिल रहा था। पंजाब से कोई टाई-अप नहीं किया, कोई प्रयास नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि पांच साल का पीरियड उनका निकल गया।

उसके बाद, जो राजस्थान का पार्ट था, उसके लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं जो कह रहा हूं वह मुझे ऐसा लगता है कि मैं कह तो रहा हूं लेकिन शायद आपको विश्वास नहीं होगा, मुझे जब यह जिम्मेदारी दी गई, तो मैंने उच्च अधिकारियों से पूछा कि पंजाब का हिस्सा तो समझ में आता है कि यह इन्टर-स्टेट मैटर है और वह कई दफा लिंगरआन करते रहते हैं, लेकिन जो राजस्थान का पार्ट है, जीरो आर डी से लेकर 200 आर डी तक का कैनाल

(डा. रामप्रताप)

का काम, उस काम में देरी किसलिए हुई? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, उस अधिकारी की तारीफ भी करूंगा, उसने मुझे जवाब दिया कि सर, हम इसको भूल गये थे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आई जी एन पी का वह हिस्सा जिसमें 4 कांस्टिट्यूएंसी इफेक्टेड हैं, अगर वहां उस पार्ट को हम रिलाइनिंग करके माडनाइज कर देते तो कम से कम हमारा 75 परसेंट का सेम का पार्ट खतम हो जाता। It is a glaring example of negligence on the part of the politicians. I will blame. अधिकारी है उसको कोई जरूरत नहीं होती लेकिन आप 400 करोड़ रुपये लेकर आये थे, 40 करोड़ में आपको 200 आर डी की लाइनिंग मिल रही थी। कितना नुकसान हमने किया है, इसका आप अन्दाजा लगा सकते हैं।

अब हमने उस स्कीम को रिवाइव करके, उसमें हमने सरफेस और सरफेस ड्रेनेज भी साथ में रखा है। साथ में जो सूरतगढ़ के डिप्रेशंस हैं, उनको भी साथ रखते हुए 2,885 करोड़ रुपये की स्कीम केन्द्र सरकार को भेजी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी तबीयत खराब थी, अगर आप इजाजत दें तो मैं एक पानी का गिलास चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य को पानी उपलब्ध कराया जाए।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): इसके बाद, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मेरी बात पर आ रहा हूं। हमेशा जब भी कम से कम इर्रिगेशन की डिमांड होती है तो एक जुमला बना हुआ है कि राजस्थान के पास में 1 परसेंट पानी है, राजस्थान के पास 1.6 परसेंट पानी है। यह राग हम कब तक अलापते रहेंगे? यह समस्या है, इसको बार-बार गिनाने से इसका समाधान नहीं होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आदमी में इच्छाशक्ति होनी चाहिए। मैं आज से 115-120 साल पहले ले जाना चाहता हूं, छप्पनिये का अकाल पड़ा था, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह इतना भयंकर था कि लोगों ने खेजड़ी के छिलकों को पीस कर खाया। क्यों श्रवणजी, सुना है यह? (व्यवधान) उस छप्पनिये के अकाल के अन्दर, चूंकि मैं बीकानेर स्टेट से बिलोंग करता हूं, महाराजा गंगासिंह, रोया नहीं, न किसी के सामने भीख का कटोरा लेकर गया। उस आदमी ने लगातार 15 साल तक नवाब बहावलपुर से झगड़ा किया और

(डा. रामप्रताप)

झगड़ा करके, मेरे ख्याल से, राजस्थान ने आज तक जितने भी झगड़े किये हैं इन्टर-स्टेट मैटर में, किसी भी जगह में सक्सेसफुल नहीं रहे; उस आदमी ने 15 साल के बाद में वह एक किस्म का युद्ध जीता और बीकानेर को और अब राजस्थान को उसका राइपेरियन स्टेट मानकर पानी का हिस्सा मिला। आज जो गंग कैनाल बोल रही है, यह उस आदमी की देन है। उस आदमी की देन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, लोग अब तो कोई मिल जाए थोड़ा मेरे जैसा कोई सफेद कपड़े पहने हुए, उसी को अन्नदाता कह देते हैं; अगर रीयल सेंस में कोई डिजर्व करता है अन्नदाता के लिए, तो वह शख्सियत करती है, महाराजा गंगा सिंह, जिसने गंग कैनाल लाकर दी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वह तो महाराज गंगा सिंह थे, लेकिन आज एक महिला यहां पर बैठी है, जिसने गंगा सिंहजी वाला काम पूरे राजस्थान के लिए किया है और कहीं भी 1 परसेंट वाला राग नहीं अलापा। यह जो फोर-वाटर कंसेप्ट आपका है, यह इन्टर-लिंकिंग आफ द रिवर्स है, क्या हम पहले नहीं कर सकते थे? मैं न कांग्रेस को दोष दे रहा हूं, न हमारी पहले की भारतीय जनता पार्टी को दोष दे रहा हूं, लेकिन आज यह काम वसुन्धराजी कर रही हैं। उनको किसने रोका था करने के लिए?

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी सन्दर्भ में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इन्टर-लिंकिंग आफ रिवर्स में चम्बल बेसिन सरप्लस है, बनास बेसिन है वह डेफिसिट है। इसलिए चम्बल की जो ट्रिब्यूटरी है, ब्राह्मणी है, उससे इसकी बनास की कनेक्टिविटी करके हम बीसलपुर डैम को रिप्लेनिश करेंगे।

दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, पार्वती से कालीसिंध और काली सिन्ध के बाद बनास, गम्भीरी व पारबती; एक पार्वती नदी है, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक पारबती है; तो पार्वती, कालीसिंध और उसके बाद में गम्भीरी और गम्भीरी के बाद में पारबती; धौलपुर के पास में इनका इन्टर-लिंकिंग का हमारा प्रोग्राम है और इस परियोजना की डी पी आर बनाने के प्रस्ताव भी हमने भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेज दिये हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पानी कितनी दूर से आएगा?

श्री अध्यक्ष: वह आ गया, आपके पीछे। (व्यवधान)

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): आप तो पानी देने वाले हैं। (व्यवधान)

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के अन्दर सबसे ज्यादा, उग्र मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो चिन्ता दिखाई, जो-जो जन-प्रतिनिधि उस क्षेत्र की अगर चिन्ता नहीं दिखाता है तो सही तरीके से जन - प्रतिनिधि कहलाने का हकदार नहीं है। पाली, सिरोही और जालौर के तमाम माननीय सदस्य थे, उनका प्रयास यह था कि जवाई बांध को किसी भी तरीके से रिप्लेनिश किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, पाली, सिरोही और जालौर जिलों में पेयजल की बहुत गम्भीर समस्या है। जवाई बांध खाली रह जाता है। साबरमती नदी का पानी जवाई बांध में लाने की मांग बरसों से उठती आ रही है। इसके लिए हमारी सरकार द्वारा एक कमेटी बनाकर रिपोर्ट प्राप्त कर ली गई है। माननीया मुख्य मंत्रीजी इस विषय में बहुत गम्भीर हैं। इस विषय में उनकी पहल पर हमने एक कंसेप्ट पेपर तैयार करके केन्द्र सरकार को प्रस्तुत किया है एवं इसकी डी पी आर बनाने हेतु प्रयास किये जाएंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, चौथा इन्टरलिंक है राजसमन्द बांध। राजसमन्द बांध में कई वर्षों से पानी कम आ रहा है। राजसमन्द जिले में पेयजल की विकट समस्या बनी रहती है। इसके समाधान हेतु हमारी मुख्य मंत्रीजी ने एक अति महत्वाकाक्षी परियोजना की घोषणा, देवास-चतुर्थ बांध का निर्माण कर, टनल द्वारा नंदसमंद बांध के जरिये राजसमंद बांध तक पानी लाने के प्रोजेक्ट की डी पी आर बनाने के प्रस्ताव की बजट घोषणा 2015-16 में की है। माननीय मुख्य मंत्री महोदया के निर्देशानुसार हमने इसके कंसेप्ट नोट एवं डी पी आर हेतु प्रस्ताव भी भारत सरकार को प्रस्तुत कर दिये हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बीच में मेरे को धीरे-धीरे याद आ रहा है, माननीय ओला साहब ने एक सवाल और उठाया था, नहरी तंत्र से पानी को नापने का, आटोमेटिक, जिसको स्काडा सिस्टम कहते हैं। मैं आपके मार्फत माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री महोदया की कृपा से मुझे पिछले टर्म में आई जी एन पी का चेयरमैन बना रखा था। स्काडा सिस्टम मैंने खुद खरीदे हैं और मेरे साइन से खरीदे गये हैं और मुख्य मंत्रीजी के आशीर्वाद से खरीदे गये हैं; किसी और सरकार का दिया हुआ नहीं है। इसको हम आगे और डवलप कर रहे हैं।

जहां तक आपने मशीनों की बात कही है, ड्रेजिंग का कहा है, यह सिस्टम नया है। इसको भी मैं प्रयास कर रहा हूं, अगर मेरे पास पैसे होंगे तो लेकर आने का है। जो मशीनें आज की तारीख में चल रही हैं, ये उसी टाइम

(डा. रामप्रताप)

की खरीद हैं; कम से कम 20 करोड़ के अंदाज की मशीनें हैं। इसके लिए हमने स्पेशल बूम की मशीनें मंगायीं, छोटा बूम होने की वजह से क्लीयरेंस नहीं होती।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और काम करने की हमारी सलाह है, हालांकि वह मेरे जंच नहीं रहा है, पानी चोरी की भयंकर समस्या है। अभी तो हमने क्रॉस रेग्यूलेटर के ऊपर मूवी कैमरा लगाया है। उसके बाद ड्रान के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। वह 8-10 किलोमीटर तक वाच करेगा जिससे चोरियां कम होंगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक ओर जहां जल संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु प्रयासों को अधिक गति प्रदान किये जाने की जरूरत है, वहीं यह भी आवश्यक है कि राज्य में जो पूर्व निर्धारित परियोजनाएं हैं, उनकी वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ाने पर भी जोर दिया जाय, जिससे कि इन परियोजनाओं से प्राप्त जल का कुशल उपयोग किया जा सके। इन कार्यों को किये जाने के लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा अपने बजट भाषण 2015-16 में निम्न घोषणाएं की गयी हैं;

- ''पंचायती राज संस्थानों को स्थानांतरित तालाबों में से 35 तालाबों का जीर्णोद्धार 35 करोड़ की लागत से पूर्ण करवाया जाएगा।
- 53 सिंचाई परियोजनाओं की बेंचमार्किंग स्टडी करवायी जा चुकी है। वर्ष 2015-16 में 70 अन्य सिंचाई परियोजनाओं की बेंचमार्किंग स्टडी करवाकर इन सभी परियोजनाओं को उनकी डिजाइन्ड एफिशिएंसी के स्तर पर लाने हेतु चरणबद्ध रूप से आवश्यक कार्य करवाये जायेंगे।
- बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, पाली, जोधपुर, जालौर, धौलपुर, करौली तथा बूंदी जिले में 90 करोड़ रुपये की लागत से 32 जलाशयों के जीर्णोद्धार के कार्य प्रारम्भ कर…''ट्रिपल आर योजना में प्रारम्भ कर''... इनमें से 17 कार्यों को… पूर्ण किया जायेगा। साथ ही विभिन्न जिलों के 77 जलाशयों के जीर्णोद्धार कार्यों की डी पी आर तैयार की जायेगी।
- जयपुर, भरतपुर, कोटा, बारां, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर जिले की 33 सिंचाई परियोजनाओं को 15 करोड़ रुपये की लागत से पूर्ण किया जायेगा। साथ ही चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बांसवाड़ा, कोटा तथा जयपुर जिले के 27 बांधों एवं नहरों के जीर्णोद्धार हेतु डी पी आर तैयार करवाई जायेगी।

(डा. रामप्रताप)

- आगामी वर्ष में कोटा, बूंदी, टोंक, श्रीगंगानगर तथा हनुमानगढ़ जिले में 53 हजार 612 हेक्टेयर क्षेत्र में 118 करोड़ रुपये की लागत से पक्के खालों का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर 40 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में इसे पूरा करवाया जायेगा।(व्यवधान) ताली क्यों नहीं बजाते? यह मेरा काम है क्या?
- भीलवाड़ा जिले के जैतपुरा डैम की मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य 21 करोड़ 44 लाख की लागत से करवाया जायेगा। बारां गोपालपुरा तहसील किशनगंज मध्यम सिंचाई परियोजना का पुनरुद्धार 20 करोड़ रुपये की लागत से।
- बांसवाड़ा की माही परियोजना के विद्यमान नहरी तंत्र के सुदृढ़ीकरण का कार्य आगामी तीन वर्ष में 110 करोड़ रुपये की लागत से।
- भविष्य में बनायी जाने वाली सिंचाई परियोजनाओं में स्प्रिंकलर एवं ड्रिप पद्धति से सिंचाई की अनिवार्यता लागू की जायेगी। साथ ही पूर्व निर्मित सिंचाई परियोजनाओं में भी स्प्रिंकलर एवं ड्रिप पद्धति लागू करने की कार्य योजना तैयार की जायेगी।

''484. जैसा कि हम सभी जानते हैं, राजस्थान में पूरे देश का...'' (व्यवधान) मैं आ गया उसी बात पर। ''...एक मात्र प्रतिशत जल उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में सतही जल की एक-एक बूंद का संग्रहण करना...'' आवश्यक है। इसके मद्देनजर माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा अपने बजट भाषण 2015-16 में निम्न घोषणाएं भी की गयी हैं।

''वर्षा जल, सतही जल, भूजल यानी की फोरवाटर कंसेप्ट के तहत साबरमती, लूणी, वेस्ट बनास तथा सूकली बेसिन में वर्ष 2015-16 में 300 करोड़ रुपये की 115 माइक्रो सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण कर 5,265 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाना।

बांसवाड़ा जिले में माही नदी की सहायक बुनाद व झालावाड़ जिले में चंबल की सहायक आहू के बेसिन में 25 करोड़ रुपये की लागत से 263 माइक्रो इर्रिगेशन टैंक के निर्माण के कार्य करवाया जाना। (व्यवधान) इनको सारा समझ में आता है। समझ में थोड़ा आपको आता है।

झालावाड़ जिले में 100 करोड़ रुपये की लागत से गुराडिया एवं रोशनबाड़ी लघु सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करवाना।

(डा. रामप्रताप)

चूरू जिले में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर प्रणाली के शेष सिंचित क्षेत्र में 70 करोड़ की लागत से स्प्रिंकलर पद्धति से सिंचाई उपलब्ध करवाया जाना।'' (व्यवधान) आपका एक साथी नहीं दिख रहा है।

''इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण में शेष रहे 11 हजार हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र तथा नर्मदा वृहद् सिंचाई नहर परियोजना में शेष रहे 7 हजार हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र को खोला जाकर इन परियोजनाओं को पूरा कर इस क्षेत्र में भी स्प्रिंकलर सिस्टम लागू करना।

'टोंक जिले की ढीबरू सागर, झालावाड़ जिले की पीपलाद मध्यम सिंचाई परियोजना, जयपुर जिले की मामतोरी, चित्तौड़गढ़ जिले की सांकल खेड़ा, मालादेवी एवं घाघड़ा, प्रतापगढ़ जिले की सिरसी का नाका एवं बांसवाड़ा जिले की भीखाभाई सागवाड़ा नहर लघु सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण किया जाकर 8 हजार 71 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाना।''

हमारी सरकार द्वारा नहरी क्षेत्र के काश्तकारों को पर्याप्त मात्रा में सिंचाई हेतु जल उपलब्ध करवाने के लिए निम्न कार्य करवाये जा रहे हैं : इंदिरा गांधी मुख्य नहर की आर डी 109 पर...

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात बीच में और याद आ गयी। 2002 में माननीया सोनिया गांधी भादरा में पधारी थीं, सिद्धमुख नहर की शुरुआत की थी उन्होंने। मुझे आप लोग और समाज परमिट नहीं करता, अन्यथा इससे कोई गलत काम नहीं हो सकता। माननीय सोनियाजी का कोई कसूर नहीं है, लेकिन जो स्थानीय लोग थे, जो नेता लोग थे, उन लोगों को इतनी भी शर्म नहीं आयी कि जिस नहर का उस महिला से आप उद्‌घाटन करवा रहे हो, उसमें न तो आउटलेट लगे हुए हैं, न उसमें खाले बने हुए हैं, न उसमें चकबंदी हुई है, न उसमें फिटिंग हुई है। अब एक क्लोज चैनल के अन्दर आपने पानी छोड़ दिया और उस पानी से वह भरेगी तो टूटेगी, या नहीं टूटेगी? अधिकारियों ने कहा कि आप साइफन लगाकर पानी लगाओ। काश्तकारों ने साइफन लगाकर पानी लगाना शुरू कर दिया। जब पानी लगा तो फसल होने लगी; फसल होने लगी तो उनको भी चस्का पड़ गया। वे रोटेशन नहीं रखते थे और चोरियां करने लगे। मैं यहां तक कहूंगा कि उस वक्त के जितने भी नेता लोग थे, जो प्रभावशाली थे, उन लोगों ने इतना बड़ा पाप किया है, उस क्षेत्र के

(डा. रामप्रताप)

संस्कार ही खतम कर दिये, उन्होंने अपनी चोरी की परिभाषा ही बदल दी। काम पूरा करके, कम से कम कमाकर तो खाओ।

यह एक उदाहरण नहीं है। आई जी एन पी की 1175 आर डी है (व्यवधान) बात आ गयी तो कहनी पड़ेगी। स्वर्गीय माननीय बैद साहब थे आई जी एन पी मिनिस्टर। स्वर्गीय राजीव गांधीजी से उसका उद्घाटन करवाना था। अब पानी छोड़ने का तय हो गया कि फलां तारीख को आएंगे और पानी छोड़ेंगे। अब आगे की लाइनिंग पूरी नहीं हो रही थी। रात के वक्त में खोरे, खखोरे, बिट्स, वगैरह लगाकर उसको बना दिया। आज कम से कम करोड़ों रुपये लगाकर हमको दुबारा लाइनिंग करनी पड़ी है। तो इस किस्म के काम हमें नहीं करने चाहिए। मेरा आपसे आग्रह है। मैं आपसे कोई दुराग्रहपूर्वक नहीं कह रहा हूं।

(19.00 बजे)

इन्दिरा गांधी मुख्य नहर की आर डी 109 पर क्रोस-रेग्यूलेटर का कार्य 31.5.2015 तक पूर्ण हो जाएगा। इसको पूरा करके, हमारी मन्शा है कि माननीया मुख्य मंत्री के द्वारा इसकी शुरुआत करायी जाय। 31 करोड़ रुपये का यह स्ट्रक्चर है और इससे सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा तो आपकी साहवा लिफ्ट को लाभ मिलेगा।

इन्दिरा गांधी मुख्य नहर के क्रोस रेग्यूलेटर, हैड रेग्यूलेटर एवं गेटों की मरम्मत लम्बे समय से नहीं हो रही थी। अध्यक्ष महोदय, जितने भी इंदिरा गांधी नहर के गेट्स हैं, वे सारे के सारे टूटे हुए थे। अब आप गेट की फ्रेम को तो बन्द कर दो, पर बीच में पत्ती है ही नहीं, तो फिर पानी तो मर्जी आये उतना ही निकलेगा और आप कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, चाहे मसीतांवाली हो, चाहे लेखूवाली हो, चाहे 243 हो। इन सब गेट्स की कम्प्लीट रिपेयर करायेंगे। इस क्षेत्र के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि हम क्लोजर के टाइम में जीरो डिस्चार्ज पर रखेंगे। इसलिए आपको जो असुविधा होगी, उसके लिए मैं तो माफी मांग रहा हूं, लेकिन क्षेत्र के लोगों को भी सावचेत करके, अपनी-अपनी डिग्गियां पूरी भरकर रखें। अध्यक्ष महोदय, जीरो डिस्चार्ज के बिना वे गेट बदले नहीं जा सकते।

माननीय अध्यक्ष महोदय, न्यू फतेहगढ़ माइनर का निर्माण करीब चार वर्ष पूर्व हो गया था और इस नहर के काश्तकार को पानी देना है काटन क्रोप

(डा. रामप्रताप)

में। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मेरे क्षेत्र की नहर है और इसका भी इतिहास है। 1998 में हमने इसको मंजूर करवाया। कांग्रेस का राज आते ही मार्च, 1999 में इसको और हमारे आर ओ बी, दोनों को ही कैन्सिल कर दिया। दुबारा जब हमारा राज आया तो फिर इसको मंजूर करवाकर, जब चुनाव की घोषणा होनी थी, उससे पहले इसका काम मैंने शुरू करवा दिया। इसे बने आज चार साल हो गये, पर उसमें आकड़े खड़े हैं, बुई खड़ी है, घास-कचरा खड़ा है। पानी ही नहीं छोड़ा उसके अन्दर। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, एक-दो की तो मैं कह नहीं सकता, वहां पर टोटल एस.सी. क्लास के लोग हैं। किसी के 5 बीघा जमीन है, किसी के 10 बीघा जमीन है और उसकी, बीच की रेशा इतनी तगड़ी है कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। उनको 50 साल तक इस चीज को भुगतना पड़ा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, घग्घर डाइवर्जन सिस्टम की बुर्जी 109 पर नौरंगदेसर से आदर्शनगर रास्ते पर आवागमन की सुविधा हेतु डेढ़ करोड़ रुपये की लागत से काजवे का निर्माण।

सिद्धमुख नोहर परियोजना में विशेष प्रयास करके जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं विभागीय अधिकारियों की टीम ने संयुक्त रूप से प्रभावी कार्य करके पानी की चोरी रोककर नहरों के अंतिम छोर तक सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध करवाया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि नहर तो हरियाणा से आ रही है, राजस्थान में एंटर हुई, पाइप लगाये और नीचे से जमीन से 2-2, 3-3 किलोमीटर तक अन्दर हरियाणा में पानी लगा रहे थे। राजस्थान का पानी हरियाणा में जाकर लगा रहे थे।

सिद्धमुख नोहर परियोजना का दो करोड़ रुपये से सिल्ट सफाई का काम तो बता ही दिया है। ए पी एम भी लगे हैं। जो ए पी एम इन्होंने सोनिया जी के टाइम पर नहीं लगाये थे, वे अब मैं लगवा रहा हूं, माननीया वसुंधराजी के आशीर्वाद से।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सिल्ट की बात करें, माननीय सदस्य यहां से खड़े होकर सिल्ट के लिए बोल रहे थे। मेहरबानी करके आप राजसमाणा वितरिका पर जाकर देखना, माननीय अध्यक्ष महोदय, पांच दिन बाद में, मशीन लगी हुई थी, तो मैंने उस एक्स.ईएन. से पूछा कि कितना आपने इसको क्लीयर कर दिया। उसने मुझे बताया कि साहब, 40 फीट हुआ है। मेरे दिमाग

(डा. रामप्रताप)

में उससे यह बैठ गई कि यह तेल बेच रहा है। इतनी बड़ी मशीन है और 5 दिन में 40 फीट ही निकाला है। जब मैंने स्वयं ने मौके पर जाकर देखा तो 15 साल से नहर तो पूरी रेत से भर गई थी, तो वह इतना ही होगा। इससे ज्यादा कहां से करे? 15 साल तक उसमें से सिल्ट सफाई का काम नहीं किया गया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 2003 से 2008 में आप आये थे न तब क्या किया था?

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): यह आप दिमाग से निकाल दो कि थ्हे ज्यादा भला कोनी, तो ज्यादा भला म्हे भी कोनी, लेकिन आपसे तो फिर भी ठीक हैं।

सार्दुल ब्रांच एवं करणीसिंह ब्रांच की प्रथम बार स्ट्रेंथनिंग का कार्य हाथ में लिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी तरफ देखो, मैं आपको बहुत सारी चीजें बता रहा हूं। 60 साल हो गये भाखड़ा नहर को आये हुए और आज पहली दफा उसकी स्ट्रेंथनिंग का काम हो रहा है। 60 साल तक उसके ऊपर एक कंकर भी नहीं लगाया इन्होंने। भाखड़ा नहर प्रणाली की 374 किलोमीटर कच्ची नहरों को पक्का करने की डी.पी.आर. बनाने का कार्य प्रगति पर है। इसके पश्चात् कच्ची नहरों की लाइनिंग करवाई जाएगी, जिससे नहरों के काश्तकारों को अधिक पानी का लाभ मिलेगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपको 12 महीने मंत्री किसने नहीं बनने दिया, वह बात बताओ।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): ऐसी सूगली बात मैं कोनी करूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इंदिरा गांधी फीडर की बुर्जी संख्या 496 से 555 व 555 से 671, यह मैं आपको बता चुका हूं कि यह 2,885 करोड़ की स्कीम है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ऊपर वाले से डरकर आपसे निवेदन कर रहा हूं कि यह सिस्टम अगर इस तरीके से बन गया तो 100 साल तक इसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकेगा; पानी के लासेज निल होंगे, झाड़-झंखाड़ पैदा नहीं होगा।

आप जो बार-बार यह कहते हैं कि आप जाते ही नहीं हों, तो जैसे ही मुझे यह दायित्व दिया गया, माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने मुझे पंजाब भेजा। मैं पंजाब के मुख्य मंत्रीजी से मिला। गंदे पानी की जो बात बार-बार आ

(डा. रामप्रताप)

रही है, सुराणाजी, आप भी बहुत उठाते हों; गंदे पानी के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी, पंजाब ने मुझे आश्वस्त किया कि इसमें जितने भी ट्रीटमेंट प्लांट्स लग रहे हैं, उनका सुपरविजन मैं खुद देख रहा हूं, उनकी मानिटरिंग मैं खुद कर रहा हूं। मेरे साथ में फिर दुबारा बात हुई थी, सूरतगढ़ में थोड़ा ज्यादा उठ गया था, उसके बाद में उन्होंने यह भी कहा कि आपके अधिकारी आ जाएं और हमारे अधिकारी मिलकर जोइंट इंस्पेक्शन कर लें और अगर आपको कहीं कमी-खामी नजर आए तो हम इसमें सुधार कर लें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, घग्घर नहर की बुर्जी संख्या 0 से 20 का दोषपूर्ण तल स्तर, मतलब, बेड लेवल गलत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आई.जी.एन.पी. नहर एक नहर नहीं है, यह एक दरिया है। इतना बड़ा दरिया और इन्हीं डिफिकल्ट कंडिशंस में बनाया। ईमानदारी से तो मुझे इस बात की शुरुआत करने से पहले आई.जी.एन.पी. को बनाने वाले इंजीनियर्स और कामगार, सैकड़ों की तादाद में जिन्होंने अपने जीवन की आहुति दी है, मुझे सबसे पहले तो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए थी। ऐसी डिफिकल्ट कंडिशंस में, माननीय अध्यक्ष महोदय, कई दफे तो वे सर्वे करते-करते पाकिस्तान में चले जाते थे क्योंकि उस वक्त में तारबंदी नहीं थी; ऐसे हालात में उन लोगों ने इस नहर का निर्माण किया और निश्चित तौर पर ऐसी डिफिकल्ट कंडिशंस में जो काम करता है, तो लेवल्स, वगैरह कई दफा सही नहीं रहते। खाजूवाला से आने वाले माननीय सदस्य ने लेवल्स का बताया। मैंने खुद ने देखे आपके के.जे.डी. में और उस साइड में लेवल सही नहीं हैं। अभी मैंने जो एक अमाउंट बताया 2,885 करोड़ रुपये, उसमें इन छोटी नहरों के जो लेवल्स हैं, इनको भी ठीक करने का हमारा इसमें प्रोविजन है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मूंडा माइनर हेतु जी.डी.सी. के क्षतिग्रस्त साइफन की विशेष मरम्मत करायी जायेगी। रणजीतपुरा माइनर की, यह भी आपके इसके बेड लेवल्स खराब हैं। इनको ठीक करवाया जायेगा।

गंगनहर आधुनिकीकरण परियोजना के शेष बचे सभी 55 कार्यों की निविदाओं में से 37 कार्यों की निविदाएं स्वीकृत कर कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं। शेष 8 कार्यों की निविदाएं स्वीकृत कर आगामी वित्त वर्ष में आधुनिकीकरण के समस्त कार्य पूर्ण कर लिये जायेंगे। यह इतना महत्वपूर्ण काम है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से, कब से इसका माडर्नाइजेशन

(डा. रामप्रताप)

चल रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक साइड में माडर्नाइजेशन हो गया, वह नहर तो अपनी फुल कैपेसिटी यूज कर लेती है। जिस साइड में आपने, उसका सैक्शन है, उसको रिवाइज नहीं किया, वह पूरा पानी नहीं ले सकती। तो आप यह अंदाजा लगाओ कि कम से कम आधा गंगानगर जिला, आधे जिले के किसान इससे प्रभावित रहते थे। यह पहली दफा माननीय मुख्य मंत्री महोदया के निर्देश पर अगले फाइनेंशल यीअर तक इसको पूरा करके और उन्हीं के मार्फत उद् घाटन कराऊंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें शायद 15 किलोमीटर के करीब एच. फीडर भी है। उसकी राइट साइड की बाउंण्डरी का जो डोला है, उसके पास तक लाइनिंग है। उस डिफिकल्ट कंडिशन में सुबह 8 बजे से पहले तो वे डिफेंस वाले जाने नहीं देते, शाम को 6 बजे के बाद में वे रुक नहीं सकते। तो उस नहर का निर्माण भी इसके साथ करवाया जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सिस्टम के अन्दर बेलदार, गेज रीडर और जे.ईएन्स की बड़ी भारी कमी थी। बेलदार और गेज रीडर्स की तो यह कंडिशन थी, माननीय अध्यक्ष महोदय, कई दफा जो हमारे डैम्स हैं, उनको रेग्यूलेट करने के लिए भी मेरे पास आदमी नहीं थे। माननीय मुख्य मंत्री महोदया का मैं बहुत-बहुत आभारी हूं कि हमें बेलदार और गेज रीडर रखने के लिए अनुमति दी है। इंदिरा गांधी, भाखड़ा व गंगनहर प्रणाली के जो मोगे, जो आउट-लेट्स थे, जो ओवरड्रा कर रहे थे, कई अंडरड्रा कर रहे थे, उनको रेक्टिफाई करके युद्ध स्तर पर अप्रैल और मई में सबको ठीक कर दिया जायेगा।

चौधरी कुम्भाराम आर्य लिफ्ट नहर पर राशि रुपये ...(व्यवधान) यह वह नहीं है आपकी। यह एक करोड़ 70 लाख रुपये उनके पम्प्स को ठीक कराने के लिए है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मैं सारी लिफ्ट्स के बारे में बता रहा हूं। पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट, डाक्टर कर्णसिंह लिफ्ट, जय नारायण व्यास लिफ्ट, इन्दिरा गांधी मुख्य नहर से निकलने वाली 11 नहरों पर हैड रेग्यूलेटर, ये ऊपर वाले इनके सारे पम्प्स, मोटर्स, वगैरह, सब ठीक करवायेंगे। यह सारा इसमें प्रोविजन लिया है।

पूर्व में निर्मित 14 पाइप वाटरकोर्स, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने स्वयं ने जाकर देखा है, पूगल साइड में 14 आउटलेट, इनके राज में जब नहर आई थी, उस वक्त में यह सोचकर कि यहां आंधियां चलती हैं, ओपन चैनल

(डा. रामप्रताप)

ठीक नहीं रहेगा, इसलिए पाइप्ड वाटरकोर्स दे दिया और वह चोक हो गया। अब आप बताओ, कब इन्दिरा गांधी नहर वहां पर आयेगी? कम से कम 30 साल से वे लोग इर्रिगेशन कर रहे हैं, वे रो रहे थे। उन पाइप्स को हमने रिप्लेस करके, उनको वाटरकोर्सेज बनाकर दिये हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 13 करोड़ रुपये की लागत से नहरों की सिल्ट्स, सफाई करवाकर नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाया गया। सात करोड़ रुपये की राशि से नहरों की लाइनिंग व डाउन्स मरम्मत के कार्य करवाये गये।

मुख्य नहर की बुर्जी 710 से निकलने वाली दातोर डिस्ट्रिब्यूटरी को वर्तमान में हैड रेग्यूलेटर की क्षमता कम होने के कारण दो बारी में चलाया जाता है। दो बारी में चलाने से लासेज बहुत ज्यादा होते हैं। इस क्लोजर पीरियड में उसका क्रेश लेवल नीचे करके उसको एक बारी में चलायेंगे, जिससे हमारे पानी की बचत होगी।

इसी तरीके से, बरसलपुर और चारनुवालागाछ, उनके पैरेलल डिच माइनर्स बनाकर, उनको भी एक दफा में चलायेंगे, जिससे तीनों नहरों की वजह से कम से कम हमें 150 से लेकर 200 क्यूसेक्स पानी की बचत होगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, अभी ओला साहब फरमा रहे थे, माफी चाहता हूं आपसे, बुरा मत मानना आप, मुझे अधिकारियों ने जैसा बताया है, पिछले टेन्योर में, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, सिंचाई अधिकारियों के पास में स्टेशनरी खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे। जिनके पास में स्टेशनरी खरीदने के लिए पैसे नहीं हों, वह आपकी नहर को मेन्टेन कर देगा? जिनके पास गाड़ियां नहीं होंगी, वह रात को जाकर पैट्रोलिंग कर देगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन परिस्थितियों में इन लोगों ने काम किया है, इसलिए इनकी भी तारीफ करनी चाहिये। बिना हथियार के आदमी लड़ाई नहीं लड़ सकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ, आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, आपकी मार्फत सभी माननीय सदस्यों ने बात सुनी, मैं आप सबका बहुत-बहुत आभारी हूं और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मांग संख्या 38 और मांग संख्या 46 को पारित करवाकर मुझे अनुगृहीत करें।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती किरण माहेश्वरी। श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, धौलपुर जिले में पक्की नहर तो बनवा दो। मुख्य मंत्रीजी का गृह जिला है धौलपुर।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने, मेरे ख्याल से, ध्यान नहीं दिया। कल अपर यमुना रिव्यू कमेटी की मीटिंग है और जो मैंने विस्तार से बताया था कि हरियाणा के चीफ मिनिस्टर यहां आये थे, उनको गर्ज थी, उन्हें तीन आउटलेट्स लेने थे छोटे माइनर्स के, तो यहां पर उन्होंने ताजेवाला से पानी देने की 'हां' की थी और उसके बाद में जब उन्होंने अपना काम कर लिया, उसके बाद में आज तक नहीं दिया। हमारी कई रिव्यू मीटिंग हो चुकीं।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): हमारे यहां तो, माननीय मंत्रीजी, पानी तो है, हम तो पक्की नहर बनाने की बात कर रहे हैं। मुख्य मंत्रीजी का गृह जिला होते हुए भी आपने पक्की नहरों की घोषणा नहीं की। आप पक्की नहर बनवा दो।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): जब धौलपुर पानी जा रहा है तो नहरें भी बनेंगी।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): पानी तो है, मंत्री महोदय, हमारे यहां तालाब बने है; पानी तो है, परन्तु नहरों को पक्की कराने की आप घोषणा करें इस सदन के अन्दर। जिनकी मेहरबानी से आप मंत्री बनकर बैठे हों, हमारी माननीय मुख्य मंत्री महोदया के गृह जिले का भी तो आप ध्यान रखो। मंत्री महोदय से ऐसा मेरा निवेदन है।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): माननीय मुख्य मंत्रीजी का गृह जिला पूरा राजस्थान है और वे पूरे राजस्थान की चिंता करती हैं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): मंत्री महोदय, हमारे रेहड़का नाका इन्होंने कैंसिल कर दिया कांग्रेस ने। बी जे पी के राज में मुख्य मंत्री महोदया ने...

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): करा देंगे, चिंता मत कीजिये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): कब करा देंगे? यह आश्वासन तो दे दो आप। कांग्रेस के राज में उसको निरस्त किया।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): इनका काम निरस्त करना है, अपना काम बनाना है।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती किरण माहेश्वरी। अब यह नहीं। (व्यवधान) आप अपना भाषण चालू कीजिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने हमारे सिंचाई मंत्रीजी डाक्टर रामप्रतापजी को पहले उनकी मांग के ऊपर जवाब प्रस्तुत करने के लिए बुलाया क्योंकि बिना पानी के तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। हमारी सारी योजनाएं, वे पानी देंगे, सरफेस वाटर देंगे, हम उसके ऊपर बनायेंगे। इसलिए इन्होंने काफी सारी घोषणाएं आज की हैं।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): यह तबला कौन बजा रहा है? तबला बजाओ आप। हम बजायेंगे ये। ये बजायेंगे। तबला आप बजाओ। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पानी के महत्व के सम्बन्ध में रहीमजी की प्रसिद्ध उक्ति आज भी प्रासंगिक है, ''रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून। पानी गये न उबरे, मोती मानस चून''।

अब मैं सारे माननीय सदस्य, जिन सबने यहां पर अपनी मांग प्रस्तुत की और इस बहस में जिन्होंने हिस्सा लिया, उन सभी को मैं बहुत धन्यवाद देती हूं, चाहे वह पक्ष के हों, चाहे विपक्ष के हों। सकारात्मक सुझाव आये, रचनात्मक सुझाव आये, कुछ आलोचना भी हुई, लेकिन उन सबके बाद में भी जिन सदस्यों ने जो सुझाव यहां पर प्रस्तुत किये, मैं उन्हें आश्वस्त करती हूं कि उनके द्वारा यहां पर कहे गये एक-एक वाक्य को हम लोगों ने नोट किया है और उनके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई करने का हम और हमारा पूरा विभाग इस पर पूरी तरीके से मुस्तैदी से काम करेगा।

आज, अध्यक्ष महोदय, विभाग की मांग संख्या 27 के सम्बन्ध में 240 कटौती प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं। संसदीय प्रणाली में माननीय सदस्यों के प्रस्तावों का बड़ा महत्व है और इसलिए मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वस्त करना चाहती हूं कि उनके प्रस्तावों के उत्तर 72 घंटे तक उन तक पहुंच जायेंगे। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्षजी, अभी उनकी मांग पारित नहीं हुई और मंत्रीजी चले गये।

श्री अध्यक्ष: उनको जाना है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): बड़ी चिंता है हमारे लक्ष्मणगढ़ से आने वाले सदस्य को। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, आपको भाव बहुत आता है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): नहीं, उनके भाव भी उतारने अपने को आते हैं। अभी उतारेंगे।

माननीय अध्यक्षजी, मानव सभ्यता की उत्पत्ति और जल का गहरा सम्बन्ध है। धर्म ग्रंथ कहते हैं, मनु जिसने मानव सभ्यता की आधारशिला रखी थी, का जीवन भी जल से ही आरम्भ हुआ था। समय का चक्र घूमता रहा। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, ये सब आगे बढ़ती रहीं और विज्ञान ने भी बहुत तरक्की की। हम लोग यह सोचने लग गये, चन्द्रमा पर भी घर बसाने के बारे में विचार भी आने लगे और यह सोच भी चलती रही। लेकिन इन सबके बावजूद आज तक ऐसा कोई आविष्कार नहीं हुआ कि जहां पर हम जल को पैदा कर सकें; ऐसा कोई आविष्कार अभी तक नहीं हुआ। जो जल उपलब्ध है, उसी जल से हमें कैसे पूर्ति करनी है, उसके बारे में ही हमारी सोच और हमारी प्लानिंग है। जल, जिसे जीवन भी कहते हैं, वह प्रकृति की सौगात है, चाहे वह नभ से वर्षा के रूप में हमें मिले, चाहे वह धरती के गर्भ से भूजल के रूप में हमें मिले, चाहे यह अपने आगोश में छिपाये इतिहास के रूप में समुद्र से हमें मिले। यह जल की कीमत जानना बहुत ही आवश्यक होगा।

अध्यक्ष महोदय, जब राजपुताना से राजस्थान बना, तब इसकी आबादी 1.59 करोड़ थी और तब भी राष्ट्रीय पैमाने पर सतही जल 1.17 प्रतिशत ही था, लेकिन भूजल उस समय काफी मात्रा में था। 1984 में जो सर्वे हुआ, उसमें 237 ब्लाक्स में से 203 ब्लाक्स सुरक्षित थे, 10 संवेदनशील थे और 23 ब्लाक्स डार्क जोन में थे। आजादी के 67 वर्ष पूर्ण होने के बाद, जनसंख्या के विस्फोट के कारण, आज पेयजल स्रोतों पर पानी की मांग के दबाव में जब मैं देखती हूं तो एक भयावह दृश्य मेरे सामने आता है। आज जिस तरीके से भूजल का दोहन हो रहा है, वह 135 प्रतिशत हो रहा है। आज की स्थिति में अगर हम देखें तो 243 ब्लाक्स हैं, उनमें मात्र 25 ब्लाक्स ही सुरक्षित हैं, हमारे 196 ब्लाक्स डार्क जोन में हैं, 20 ब्लाक्स संवेदनशील हैं और यह हम सबके लिए बहुत चिंता का विषय है। न केवल राजस्थान के लिए, बल्कि मैं देखती हूं तो हिन्दुस्तान में भी और सिर्फ हिन्दुस्तान में ही नहीं, पूरे विश्व में भी यह चिंता का विषय बना हुआ है। तभी प्रसिद्ध वैज्ञानिक अलबर्ट आइंसटाइन ने यह कहा था कि जो स्थितियां जल की पैदा हो रही हैं, उनसे लगता है कि आने वाला जो हमारा विश्व युद्ध है, वह जल को लेकर ही होगा। यह भी हम सबके सामने बात है।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

मेरी तो यह दृढ़ मान्यता है कि कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनमें 'हां' पक्ष और 'ना' पक्ष नहीं होता। पानी का विषय भी इसी प्रकृति का है जिसमें सभी समग्र प्रयासों से ही हम लोग इसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की वीर प्रसूता धरती ने महाराणा प्रताप और मीरा को जन्म दिया है। जहां के सैनिक देश के सीमाओं की रक्षा में अपने प्राण बलिदान करने में गर्व महसूस करते हैं, उसी राजस्थान की धरती का जल अपनी गुणवत्ता खोता जा रहा है। इतनी विपरीत परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए हमारी सरकार दृढ़ संकल्पित है।

माननीय अध्यक्षजी, आपके माध्यम से सदन का ध्यान राजस्थान की अधिकांश जनता की गुणवत्ता प्रभावित पानी की समस्या की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं। राज्य में 23 हजार 257 ग्राम, ढाणियों के भू-जल में अधिक फ्लोराइड़ व सेलिनिटी है। देश के सारे गांव और ढाणियों को अगर देखें तो 84 प्रतिशत अभी भी खारे पानी के गांव और ढाणियां राजस्थान में हैं; 54 प्रतिशत फ्लोराइड के गांव और ढाणियां हमारे राजस्थान में हैं; 55 प्रतिशत नाइट्रेट के गांव और ढाणियां हमारे राजस्थान में हैं। सोचिए, किस तरीके से कैसे संकट और कैसी चुनौतीपूर्ण स्थिति के अन्दर यह राजस्थान पानी को लेकर है।

हमारी मुख्य मंत्रीजी, हमारी सदन की नेता, जिन्होंने परिवर्तन यात्रा की, सुराज संकल्प यात्रा की, इस पूरे राजस्थान को उन्होंने गांव-गांव में जाकर और लोगों की समस्याओं को सुना। मेरा सौभाग्य था कि मुझे भी उनके साथ रहने का कुछ मौका मिला उन यात्राओं के दरमियान और मैंने यह देखा कि उनकी संवेदनशीलता पानी को लेकर इतनी थी कि वे अपनी गाड़ी को रोक लेती थीं, जब किसी गांव की महिला को सिर पर मटका लेकर देखा और पूछती थीं कि तुम कितनी दूर से पानी लेकर आ रही हो। वह गाड़ी को रोक लेती थीं जब वे देखती थीं कि बारिश का पानी एक गड्ढे में भरा पड़ा है और उस गड्ढे से महिला अपना पानी ले रही है, जो कीचड़ का पानी है वह ले रही है; उसकी मजबूरी है। वह देखकर अपनी गाड़ी को रोककर वे पूछती थीं कि यह क्या ऐसी मजबूरी है? यानी, इस तरह की स्थितियों को, उनकी संवेदनशीलता, जिनको हमने महसूस किया।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

यही कारण है कि अभी मुख्य मंत्री बनते ही उन्होंने एक ऐसी योजना, जिसकी शायद कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, हिन्दुस्तान में किसी ने ऐसी कल्पना नहीं की होगी जो कल्पना उन्होंने की और ड्रिंकिंग वाटर ग्रिड बनाने की एक संकल्पना उन्होंने शुरू की। उन्होंने कहा कि यह ड्रिंकिंग वाटर ग्रिड वह होगा जहां सरफेस वाटर उपलब्ध है और जहां पानी की किल्लत है, उस जगह पर उस सरफेस वाटर को पहुंचाया जाए और उसके लिए योजना बनाई जाए। इस ड्रिंकिंग वाटर ग्रिड की योजना का काम शुरू हो चुका है; एक विस्तृत जी.आई.एस. मैप बनाने का कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया है। मैं आज सदन के माध्यम से माननीया मुख्य मंत्रीजी की इस परिकल्पना का बहुत आभार प्रकट करती हूं कि उन्होंने ड्रिंकिंग वाटर ग्रिड बनाकर, यह पूरे हमारे राजस्थान में आने वाले समय में पानी का जो हम लोग संकट महसूस कर रहे हैं, क्योंकि भू-जल के ऊपर ही आधारित अभी 90 प्रतिशत हमारी योजनाएं हैं, लेकिन अब हमें धीरे-धीरे सरफेस वाटर के ऊपर आना पड़ेगा। यह ड्रिंकिंग वाटर ग्रिड एक ऐसी उनकी दूरदर्शिता का जीता-जागता उदाहरण हमारे सामने है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सत्ता परिवर्तन लोकतंत्र की एक सामान्य प्रक्रिया है। अफसोस की बात यह है कि सत्ता परिवर्तन में वोटों की फसल पैदा करने में कई बार आमजन को ऐसा सपना दिखाया जाता है जो शायद कभी पूरा नहीं हो सकता। हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने ऐसा ही सपना राजस्थान की जनता को दिखाया, बजटीय प्रावधान कहीं नहीं था और योजना-पर-योजना स्वीकृत करते चले गये और सिर्फ यह कहते चले गये, लोगों को गुमराह करते गये कि तुम्हारी योजना स्वीकृत हो गई, तुम्हारी योजना स्वीकृत हो गई, और उन स्वीकृत योजनाओं के ऊपर किसी तरीके का कोई बजटीय प्रावधान नहीं था।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 832 करोड़ की योजना तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में चल रही है। आपने तो 30-30 हैण्डपम्प भी नहीं दिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): मैं बताऊंगी ना, आपके विधान सभा क्षेत्र में जो चल रही है, वह कब से चल रही है। माननीय लक्ष्मणगढ़ से आने वाले सदस्य, माननीय अध्यक्षजी के सामने कहिये, जो कहना है।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

माननीय अध्यक्षजी, जब सच्चाई सामने आएगी तो कुछ लोगों के मन में कष्ट जरूर होगा लेकिन यह मेरा फर्ज है कि मैं सदन के सामने सच्ची बात रखूं और इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके सामने कहना चाहती हूं कि विरासत में जो मुझे योजनाएं मिलीं, जिनकी स्वीकृति पूर्ववर्ती सरकार ने की, उनमें बजटीय प्रावधान कुछ भी नहीं था, मात्र थोथी घोषणाएं थीं। फिर मैं कहती हूं, अभी माननीय सदस्य, जिन्होंने यहां कहा और बार-बार एक ही चीज की चिंता जता रहे थे और कह रहे थे कि आप भेदभाव मत रखना हमसे, ऐसा न हो कि आप भेदभाव रखो, लेकिन हमने तो कभी किसी से कोई भेदभाव नहीं रखा। हमने कभी नहीं कहा कि ये योजनाएं पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने शुरू की हैं, इसलिए अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इसलिए उन योजनाओं को ड्राप किया जाए। हमने ऐसा कभी नहीं सोचा।

माननीया मुख्य मंत्री वसुंधरा राजेजी ने मुख्य मंत्री बनते ही जो पहला उनका बजट का भाषण था, उस पहले बजट के भाषण में उन्होंने कहा कि हमारी 67 वृहत् परियोजनाएं जो चल रही हैं, उन सारी योजनाओं को हम धीरे-धीरे पूरा करेंगे, बजट की उपलब्धता के आधार पर और उन्होंने शुरू किया। पहले वर्ष में उन्होंने 12 परियोजनाओं को कम्प्लीट करने की इस बजट में घोषणा की और मुझे कहते हुए हर्ष है कि 12 में से 11 योजनाएं 31 मार्च को पूरी हो जाएंगी और एक योजना जो रह रही है, वह इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन की कमी के कारण से रह रही है। तो उसको भी हमें मात्र एक-डेढ़ महीने का समय और चाहिए, उसमें पूरा कर देंगे। यही नहीं, अभी का बजट भी अगर आपने सुना हो, 2015-16 का, तो उसमें भी उन्होंने कहा कि और भी जो अगले साल में 12 परियोजनाएं हैं, उनको भी हम पूरा करेंगे। माननीया मुख्य मंत्रीजी ने कभी यह नहीं कहा कि यह योजना किस सरकार ने शुरू की थी, इसलिए हम क्यों पूरा करें?

यह तो आगे समय बताएगा जब मैं इनका खुलासा करूंगी कि ये किस तरीके का भेदभाव रखते हैं। तब इन्हें पता चलेगा कि कैसे खाली आरोप लगाना किसी के ऊपर आसान होता है। काम करके दिखाना, यही हमारी ताकत होती है और काम करके दिखाते हैं। यह भी मैं कहना चाहूंगी कि हर नेता का सोच का जो दृष्टिकोण होता है, वह अलग होता है। इन्होंने तो केवल घोषणाएं कीं। 2003 से 2008 में जो हमारी माननीया मुख्य मंत्रीजी थीं, उस समय जो उन्होंने योजनाएं स्वीकृत कीं, उन योजनाओं को 2008 से लेकर 2013 में इनके

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

राज में इन्होंने सब ठण्डे बस्ते में डाल दिया। मैं यह भी कहना चाहती हूं कि इन्होंने सारी योजनाओं को ठण्डे बस्ते में डालकर और फिर 2013 में जब इन्हें लगा कि अब तो हमें फील्ड में जाना है, जनता के बीच में जाकर और जनता को फेस करना है, उस समय इन्होंने आपाधापी में उन सारी योजनाओं को स्वीकृत करना शुरू किया। दो साल पहले भी जो इन्होंने योजनाएं इनके समय में स्वीकृत कीं, उसका भी मैं पूरा चिट्ठा आपके सामने रखना चाहती हूं। वर्क आर्डर्स देने के बाद भी, दो-दो साल हुए वर्क आर्डर को दिये, उसके बाद भी काम शुरू नहीं कर पाये। यह इनकी सरकार की अकर्मण्यता है जो हमारे सामने दिखाई देती है।

माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहती हूं कि जो अभी हमारे नागौर जिले से आये हुए माननीय सदस्य यहां पर कह रहे थे कि फर्स्ट फेज की योजना माननीया मुख्य मंत्री वसुंधरा राजेजी थीं, तब वह योजना उन्होंने शुरू की और वह पानी लेकर आये। उस योजना में कहीं कमी है, उस कमी को भी हम पूरा करेंगे। लेकिन पांच साल जो इनका राज रहा, नागौर जिले में सबसे ज्यादा भयंकर समस्या है फ्लोराइड़ की और उस जिले में पांच साल तक ये सेकण्ड फेज को नहीं ला सके। फर्स्ट को पूरा नहीं कर सके, सेकण्ड फेज के बारे में सोचा तक नहीं इन्होंने। जैसे ही हमारी सरकार आई, हमने सेकण्ड फेज के बारे में योजना बनाई और योजना ही नहीं बनाई, उसके टेण्डर्स और सारी प्रक्रिया भी हमारी हो चुकी है और अब वह काम भी शुरू होने वाला है। यह योजना करीब 3 हजार करोड़ की योजना है। पूरे नागौर जिले को सरफेस वाटर से पानी पिलाने की यह हमारी योजना आपके सामने आने वाली है।

यही नहीं, भीलवाड़ा जिले की बात अभी हमारे माननीय सदस्य श्री रमेशजी, सपोटरा से आते हैं, वे अभी बात कर रहे थे। उन्होंने बड़ी चिंता की थी कि भीलवाड़ा जिले के लिए चम्बल से पानी लाये और वह चम्बल से पानी लाने के बाद में भी उस पानी को हम लोग नहीं पहुंचा पाये। मैं आपको इसकी थोड़ी जानकारी देना चाहती हूं...

श्री रमेश (सपोटरा): धीमी गति के लिए कहा है, मंत्रीजी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): धीमी गति कितनी है, वह मैं आपको बताना चाहती हूं।

श्री रमेश (सपोटरा): और जो कोटा, झालावाड़ और बारां के 820 गांव हैं, उनके लिए भी बता दो, क्या कर रहे हो?

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): मैं सब बताऊंगी आपको। सारी चीजें सुनो। क्योंकि आप ही ने विषय उठाया है, इसीलिए आपकी ही बात का जवाब दे रही हूं।

इस पेजयल योजना को, गांव और शहर में पानी पीने के लिए चम्बल से जो पानी लाना था, वह चम्बल का पानी वाया चित्तौड़ होकर फिर भीलवाड़ा आता है, लेकिन चित्तौड़ तो भूल गये। चित्त्तौड़ के लिए कोई योजना नहीं बनाई। एनरूट विलेजेज में भैंसरोडगढ़ वहां जो पंचायत समिति आती है, उसको छोड़ दिया और सारे विधायक इनके थे, छोड़ दी और सीधा भीलवाड़ा में लेकर आये, क्योंकि भीलवाड़ा में इनके उस समय के केन्द्रीय मंत्री ने एक ऐसा सपना लोगों को दिखाया कि मैं चम्बल का पानी भीलवाड़ा में लेकर आऊंगा। 2013 में यह योजना जो स्वीकृत हुई, इन्होंने की और यह अगर हम देखें तो इस योजना को स्वीकृत करने के बाद, 2012 में स्वीकृत की, 2,223.67 करोड़ की यह योजना थी और इसके विरुद्ध अगर मैं नवम्बर 2013 तक अगर देखूं तो इसमें मात्र 380 करोड़ रुपये ही खर्च हुए। यानी, सवा दो हजार करोड़ की योजना में मात्र 380 करोड़ रुपये।

हमारी सरकार ने इस योजना को भी बहुत गम्भीरता से लिया है, यह आपकी जानकारी के लिए डाल दूं और पूरे कार्य को मेरे स्तर पर भी और हमारे सारे जो हमारे विधायक लोग हैं, वे सब लोग इस बात को अच्छी तरीके से देख रहे हैं कि इस योजना को हम समय-सीमा के अन्दर पूरा करें और उसके लिए हम कटिबद्ध हैं। इन्होंने भीलवाड़ा को चम्बल का पानी नहीं पिलाया लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीया मुख्य मंत्री वसुन्धराजी के नेतृत्व में यह भीलवाड़ा जिले को पानी पिलाने का काम चम्बल से हमारी सरकार करेगी।

अभी जोधपुर की बात आई। यहां पर यह बात उल्लेखनीय है, माननीय अध्यक्षजी कि हमारे पूर्व मुख्य मंत्रीजी जोधपुर से आते हैं, उनका गृह जिला है और वहां जोधपुर की दुर्दशा भी मैं आपके सामने बयान करना चाहती हूं। राजस्थान में जयपुर के बाद में जोधपुर ही सबसे बड़ा शहर है। ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण सूर्यनगरी हेतु पिछली सरकार ने फ्रांस की एजेंसी ए एफ डी से रुपये 740.50 करोड़ की योजना को स्वीकृत करवाया।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): दीये तले अंधेरा होता है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): हां, दीये तले अंधेरा। यह बात अब आपके समझ में आ गई न, अच्छा हुआ। परन्तु पिछली सरकार की कार्यशैली...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): सुनते-सुनते हमारे कान भारी हो गये, ठप-ठप। करता कोई कुछ नहीं है, बातें ही बातें करते हों।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): श्रवणजी, आपके समझ में तो आती है पर बहुत देर से आती है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): अभी हम बतायेंगे न, जो करते हैं। जो कर रहे हैं, वह ही तो बता रहे हैं आपको। आपने जो नहीं किया, वह भी साथ-साथ बता रहे हैं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ...(व्यवधान) वह ही इधर से सुन लेते हैं, कभी उधर से सुन लेते हैं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): तो 740.50 करोड़ की यह ए एफ डी योजना जो जोधपुर शहर के लिए थी, जहां की पुरानी पाइपलाइन को चेंज करना था, नये एस आर्स बनाने थे, फिल्टर प्लांट लगाने थे, यह सारा इस योजना के तहत था। लेकिन पिछली सरकार की कार्यशैली के कारण जमीन पर कोई कार्य नहीं हुआ। जोधपुर के लोगों को पानी नहीं मिला। नवम्बर, 2013 तक जो इन्होंने खर्चा किया 740 में से, वह मात्र 125.19 करोड़ रुपये का ही किया। शिलान्यास तो हुआ, शिलान्यास पर खर्च किया होगा इसमें से।

अब मैं यह कह सकती हूं, माननीय सदस्य, आप जाकर आपके पूर्व मुख्य मंत्रीजी को यह आश्वस्त कर सकते हैं कि उनके गृह जिले में जो पानी को लेकर इतनी दुर्दशा हो रही है, पीने के पानी को लेकर अब हमारी सरकार उनके गृह जिले में कार्य करके, और जोधपुर शहर की सारी योजनाओं को पूरा करेंगे समय-सीमा में और इस काम को कम्प्लीट करेंगे।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): उनको भी पानी पिला देंगे।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): यहां मैं सूरसागर से आने वाली माननीय सदस्या...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): पूरा पैसा दिलाया है। आपके लिए छोड़ा है।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): माननीय मंत्री महोदया उनको भी पानी पिला देंगी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): हां, हां, वह तो हमने राजसमन्द में पिला ही दिया, वह वाला पानी तो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मंत्रीजी में क्षमता है, सबको पानी पिला देंगी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, यहां पर डिमाण्ड रखते समय सूरसागर से आने वाली हमारी वरिष्ठ सदस्या, माननीय सूर्यकान्ताजी अभी सदन में तो नहीं हैं, लेकिन मैं उनका बहुत मान रखती हूं और उन्होंने मुझसे यहां पर डिमाण्ड के अन्दर यह मांग रखी कि दो एस आर्स हमारे यहां पर बनाये जाएं। उनकी मैं स्वीकृति प्रदान करती हूं।

जालौर जिले में नर्मदा की नहर के सम्बन्ध में भी यहां पर शंकर सिंहजी ने बोला; जालौर जिले के और सारे, हमारे पटेल साहब तो बहुत बार कहते रहते हैं, और सारे ही जो हमारे मेम्बर्स हैं उन सभी लोगों ने हमेशा कहा कि हमें नर्मदा नहर का जो पानी है, हमारे यहां पर जालौर की जो योजना है, उसको पूरी करो। अब उस योजना के बारे में भी मैं जानकारी देना चाहती हूं, क्योंकि यह माननीया मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजेजी की पिछली सरकार थी, नर्मदा का पानी जालौर तक अगर पहुंचाने वाला कोई था तो वह माननीया वसुन्धरा राजेजी की पिछली सरकार थी और आज जालौर जिले में पेयजल की जो विकराल समस्या है, जालौर जिले की पेयजल व सिंचाई की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जो गुजरात सरकार से एक समझौता किया हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने, माननीया वसुन्धराजी ने और उनके विशेष प्रयासों से ही जालौर हेतु नर्मदा नहर से हमें पानी मिला था। अब पांच वर्ष के कार्यकाल में इन्होंने तो कुछ नहीं किया, एक फुट भी पाइप नहीं डाला, पीछे से आवाज आ रही है, और पेयजल की सात योजनाएं जो 2,115 करोड़ की लागत की स्वीकृत की गईं, वे किसने कीं?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अगर, मंत्रीजी, ऐसे ही भाषण दोगे तो हमसे भी बुरी दुर्गति होगी। आप तो ये बतायें कि डेढ़ साल में क्या किया?

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): हां, हां, कोई दिक्कत नहीं। बतायेंगे न। वह भी बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं आपको।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

आप सुनने की क्षमता रखिये तो वह भी बतायेंगे। आप आराम से सुनिये, जो बोल रहे हैं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): सुनेंगे। यह पक्की बात है, सुनेंगे। मैं तो, मंत्रीजी, एक बात कहना चाहता हूं कि सुनेंगे आपकी, लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि 16 महीनों में, गांवों में जाकर पूछो; इस हाउस में तो कोई हां-ना बोलेगा, वह बोलेगा; गांवों में जाकर पूछो। इतनी बुरी दशा है। आपने पानी के नाम पर जीरो किया। जो फिल्टर प्लांट लगाये थे न हमने, कांग्रेस के राज में लगे थे, आपने एक भी नहीं लगाया आज तक। बातें करने से कुछ होगा नहीं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): अबकी बार मैं दौरे पर लेकर जाऊंगी तो उनको भी साथ लेकर जाऊंगी ताकि उन्हें वस्तुस्थिति पता लगे।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): श्रवणजी, आपको ऐसे ही दिखता है। आप तो कभी गये ही नहीं गांव में।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): पेयजल की जो सात योजनाएं हैं जो 2,115.12 करोड़ की लागत की स्वीकृत की गईं, जिनसे जालौर जिले के आहोर, जालौर, रानीवाड़ा, सांचौर व भीनमाल विधान सभा क्षेत्रों के चार सौ उन्नीस गांव इनसे लाभान्वित होंगे, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यहां अवगत कराना चाहती हूं कि जालौर जिले के लिए महत्वपूर्ण उक्त योजना पर नवम्बर, 2013 तक मात्र 475.86 करोड़ रुपये ही व्यय हुए, और पानी तो किसी को मिला ही नहीं। इतने रुपये इन्होंने खर्च किये लेकिन उसके बाद भी पानी किसी को नहीं मिला। अब इस विस्तृत कार्य योजना को बना कर चरणबद्ध तरीके से इसे समय पर ही हम पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे और मैं सदन को आश्वस्त करती हूं कि माननीया मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में हम ये सारे कार्य करने के लिए कटिबद्ध हैं।

अब जयपुर शहर की बात लें, तो जयपुर शहर की पचास साल पुरानी मांग थी कि उसे बीसलपुर से पानी दिलाया जाए। सरकारें आईं और गईं लेकिन इस पर कुछ नहीं हुआ। वर्ष 1999 में तो बिना पैसे के प्रबंधन किये कांग्रेस सरकार ने सांगानेर में शिलान्यास भी कर दिया, परन्तु होना क्या था, 'ढाक के तीन पात', और वही हुआ। हमारी सरकार 2003 में आई और हमने

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

वित्तीय प्रबंधन किया और जयपुर शहर में बीसलपुर का पानी लेकर अगर कोई आये तो माननीया वसुन्धराजी की पूर्ववर्ती सरकार लेकर आई। जयपुर का पेयजल समाप्त होने के कगार पर था और अगर समुचित वित्तीय प्रबंधन कर हम इस योजना को हाथ में नहीं लेते तो जयपुर से पलायन की स्थिति थी। हमारी सरकार द्वारा लगभग पूर्ण की गई बीसलपुर परियोजना से 400 एम एल डी पानी जयपुर लाने की व्यवस्था की गई। जयपुर हेतु कुल 870 एम एल डी पानी लाना था, पूर्ववर्ती कांग्रेस ने पांच वर्ष में इस बारे में कोई व्यवस्था नहीं की; व्यवस्था तो छोड़, सोचा तक नहीं। आज भी जयपुर शहर का तीस प्रतिशत से अधिक हिस्सा पाइप व्यवस्था से जुड़ा हुआ नहीं है। हमारी सरकार ने इसे गम्भीरता से लिया है और हमने बचे हुए पानी को बीसलपुर से जयपुर लाने हेतु डी पी आर बनाने के लिए 2.80 करोड़ रुपये की राशि इस वर्ष स्वीकृत की है। इस कार्य की निविदाएं आमंत्रित कर ली गई हैं। इसकी डी पी आर बनाकर योजना हेतु संसाधनों के प्रबंधन पश्चात् हम आपके सामने फिर से आयेंगे और यह काम करने के बारे में योजना आपके सामने रखेंगे।

वृहत् पेयजल परियोजना के शीघ्र एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विभाग में चल रही योजनाओं की समीक्षा करने पर यह स्पष्ट हुआ कि...(व्यवधान) योजनाएं पिछली सरकार के समय से वर्ष 2007 से ही चल रही हैं, कई संवेदकों द्वारा कई कार्य तो ले लिये गये, पर उनका कार्य बहुत ही धीमी गति से हो रहा है। इन कार्यों को समय पर पूरा करने हेतु विभाग द्वारा नियमित व त्वरित समीक्षाएं की जा रही हैं।

ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति के सुदृढ़ीकरण करने के कार्य, जो 2014-15 के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 570 अनुसूचित जाति बहुल हैबिटेशन, 390 अनुसूचित जनजाति बहुल हैबिटेशन, 100 अल्पसंख्यक हैबिटेशन सहित, कुल 3,173 बस्तियों को पेयजल से लाभान्वित किया जाना लक्षित किया गया था, इसको माह मार्च में पूरा कर दिया जायेगा। आप जानना चाह रहे हैं न कि डेढ़ साल में क्या किया? सुन लें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ...(व्यवधान) उनके कनेक्शन कट गये। जो हमारे समय में हुए थे, कनेक्शन कट गये। आपने एक पैसा नहीं दिया और वे कनेक्शन कट गये। लोग डी पी ले जा रहे हैं।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): वह केवल आपके ही कनेक्शन कटे हैं। जनता ने आपके कनेक्शन काट दिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): आप सुनने की क्षमता रखें। आराम से विराजें। जब सारी बात हो जाये, तब बोलना। कोई छूट जाये तो वह भी बता देना।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2014-15 में जनवरी माह तक पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए राशि रुपये 1001 करोड़ की कुल 1,681 योजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

आर ओ प्लांट के बारे में अभी बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमारे यहां पानी की गुणवत्ता ठीक नहीं है, बहुत ही गुणवत्ता से प्रभावित क्षेत्र हैं, यहां आर ओ लगाना चाहिये। कांग्रेस के लोगों को याद नहीं आया कि आर ओ प्लांट लगाना चाहिये। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ): माननीय अध्यक्ष महोदय, लगाये हैं। यह बात नहीं कहोगे। लगाये हैं, मेरे क्षेत्र में भी 60 आर ओ प्लांट लगाये हैं। (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): ...(व्यवधान) इस सदन में असत्य क्यों बोल रही हैं? (व्यवधान) सरकार नहीं चलेगी। असत्य मत बोलिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): लगाये हैं, वही मैं बता रही हूं। मैंने जब यह बात कही, आप खड़े हुए। किसके क्षेत्र में लगाये? (व्यवधान) यह भेदभाव की नीति की आपने। आर ओ प्लांट लगाना था पूरे राजस्थान में और लगा दिया गया कुछ ही माननीय सदस्यों के यहां पर। यह भेदभाव की नीति पिछली सरकार ने की।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): श्रवणजी, बैठ जाओ, आपके आर ओ लगा देंगे।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): लेकिन, माननीय वसुंधराजी ने 2014-15 का जब बजट रखा तो उन्होंने यह बात कही कि हर वर्ष एक हजार आर ओ ओ प्लांट प्रति वर्ष पूरे राजस्थान में लगाये जायेंगे। इस बात की उन्होंने घोषणा की और उस घोषणा के अनुरूप, माननीय अध्यक्षजी, अब तक 15 जिलों में लगभग 700 आर ओ प्लांट स्थापित हो चुके हैं और वे चालू कर दिये गये हैं। आने वाल समय में, यह जो आने वाला वर्ष है, उसमें 2 हजार आर ओ प्लांट पूरे राजस्थान में और लगाये जायेंगे, गुणवत्ता से प्रभावित क्षेत्रों में। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): रमेशजी, आपके भी आर ओ लग जायेगा, बैठ जाओ।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, वर्तमान सरकार द्वारा शहरी पेयजल योजना के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्गठन हेतु 270 कार्य जिनकी लागत 291.88 करोड़ है, की स्वीकृति जारी की गई है। प्रमुख योजनाओं का विवरण बहुत ही संक्षेप में आपके सामने रख रही हूं।

शहरी पेयजल योजना, भिवाड़ी, जिला अलवर पर 75 लाख नलकूप एवं पाइपलाइन निर्माण कार्य से स्रोत सुदृढ़ीकरण एवं अपग्रेडेशन का कार्य, लागत रुपये 12.53 करोड़।

शहरी पेयजल योजना, विजयनगर, जिला अजमेर पर फ्लोराइड नियंत्रण परियोजना भिनाय, मसूदा अन्तर्गत भिनाय से विजयनगर तक राइजिंग मेन पाइपलाइन एवं भिनाय पम्प हाउस पर पम्प सेट आपूर्ति एवं लगाने का कार्य, मय दस वर्ष संचालन एवं संधारण, लागत रुपये 20.40 करोड़।

शहरी पेयजल योजना, टोंक के पुनर्गठन का कार्य, लागत 47.20 करोड़।

शहरी पेयजल योजना, सार्दुलशहर, पदमपुर, गजसिंहपुर, श्रीकरणपुर, सूरतगढ़, विजयनगर, रायसिंहनगर एवं अनूपगढ़, जिला गंगानगर में पेयजल शुद्धीकरण हेतु गैस क्लोरिनेचर की आपूर्ति एवं स्थापना का कार्य, मय दस वर्ष के संचालन एवं संधारण, लागत 6.55 करोड़।

शहरी पेयजल योजना, बीकानेर पर अति आवश्यक प्रवृत्ति के पेयजल कार्य लागत, रुपये 45.54 करोड़।

शहरी पेयजल योजना, सवाई माधोपुर पर पुरानी जीर्ण-शीर्ण पेयजल पाइपलाइनों को बदलने का कार्य, लागत 2.60 करोड़।

शहरी पेयजल योजना, उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं पर राइजिंग मेन पाइपलाइन एवं पेयजल भंडारण जलाशयों के निर्माण सहित संवर्धन का कार्य, लागत रुपये 3.11 करोड़।

शहरी पेयजल योजना, जयपुर के बनीपार्क क्षेत्र में पेयजल वितरण सिस्टम के पुनर्गठन एवं पेयजल प्रदूषण को रोकने के कार्य के साथ गैर-राजस्व पेयजल को कम करने के पायलट अध्ययन क्षेत्र बनीपार्क में पेयजल कार्य, लागत रुपये 24.52 करोड़।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

शहरी पेयजल योजना, जयपुर के रामगंज चौपड़ से ब्रह्मपुरी पम्प हाउस तक 600 मिलीमीटर डी आई पाइपलाइन आपूर्ति एवं जोड़ने-बिछाने का कार्य, लागत 4.96 करोड़।

शहरी पेयजल योजना, जयपुर के टोंक रोड पर जयपुरिया हास्पिटल एवं आसपास के क्षेत्रों की कालोनियों में पेयजल व्यवस्था पुनर्गठन, लागत रुपये 4.60 करोड़।

शहरी पेयजल योजना, जयपुर के नगर निगम क्षेत्र में पृथ्वीराज नगर दक्षिण एवं जामडोली आगरा रोड क्षेत्र में विस्तृत पेयजल योजना प्रस्ताव हेतु आउटस्कर्टिंग से सर्वे एवं कंसलटेंसी के कार्य लागत, रुपये 2.22 करोड़।

शहरी पेयजल योजना, जोधपुर पर राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना में विभिन्न पम्प हाउसों पर स्थापित पम्प सेटों के कलपुर्जों की निर्माता फर्म से आपूर्ति के कार्य, लागत 3.27 करोड़।

शहरी पेयजल योजना, डूंगरपुर के सुधार एवं पुनर्गठन के कार्य, लागत रुपये 8.17 करोड़।

शहरी पेयजल योजना, सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर पर सतही जल स्रोत लोहढ़ेश्वर बांध से शहरी पेयजल योजना, सागवाडा के पुनर्गठन एवं 18 ग्रामों में पेयजल कार्य, लागत रुपये 4.63 करोड़।

शहरी पेयजल योजना, देवगढ़ फेज द्वितीय, जिला राजसमंद के पुनर्गठन का कार्य, लागत रुपये 17.19 करोड़।

पाइप पेयजल योजना, देलवाडा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमंद के पुनर्गठन का कार्य, लागत रुपये 4.63 करोड़।

इसके अतिरिक्त भी हमने और भी जो आप सब माननीय सदस्यों ने हमें लिखकर दिया है, क्योंकि ये वे योजनाएं हैं जिनका एस्टिमेट बनकर कम्प्लीट हो गया है, आपके द्वारा दी गई योजनाएं, जो यहां पर डिमांड रखी गई हैं, उन सारी योजनाओं को हमारे वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर धीरे-धीरे सारी योजनाएं, जो यहां पर माननीय सदस्यों ने रखी हैं, उनको पूरा करने के लिए मैं उन्हें आश्वस्त करती हूं कि उन योजनाओं को भी हम स्वीकृति दिलवायेंगे।

हमारे विद्याधर नगर से आने वाले माननीय सदस्य राजवी जी ने जो बात यहां पर कही थी कि स्काडा सिस्टम के माध्यम से हम लोग क्यों नहीं

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

अपना काम करते हैं, सिस्टम को क्यों नहीं अपनाते हैं, ताकि हम लोग पानी की बचत कर सकें। मैं उन्हें कहना चाहती हूं कि जयपुर की जो बीसलपुर योजना है, वह आलरैडी स्काडा सिस्टम पर चल रही है और यही नहीं, अब हम पूरे राजस्थान में स्काडा सिस्टम के माध्यम से पीने के पानी की मानिटरिंग करने का सिस्टम लागू करने का विचार रखते हैं।

माननीय अध्यक्षजी, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सरकार-आपके-द्वार के समय जो दौरा किया, उसमें गांव स्तर तक की समस्या उन्होंने जानी और सम्भागवार दौरा करने में भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर सम्भाग के जो उनके दौरे थे, उस दौरान हमें विभाग से सम्बन्धित राज्य सरकार के स्तर पर कुल 1,419 प्रकरण, शिकायतें और मांग ऐसी प्राप्त हुईं, जिनमें से 424 प्रकरणों में हमने प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी कर दी हैं। शेष पूरे किये जाने वाले 844 प्रकरणों में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इनमें से अधिकतर लम्बी अवधि में पूर्ण होने योग्य हैं।

इस दौरान माननीया मुख्य मंत्रीजी निम्न शहरों के लिए पेयजल आपूर्ति के सुदृढ़ीकरण हेतु घोषणा की, जिनका विभाग द्वारा निम्नानुसार क्रियान्वयन किया जा रहा है।

जल सेवा स्तर सुधारने हेतु जिला करौली के हिण्डौन शहर हेतु संवर्धन योजना राशि रुपये 55.32 करोड़ के कार्यों को पूर्ण करने हेतु दिनांक 16.9.2014 को कार्यादेश जारी कर दिया गया है। वर्तमान में कार्य प्रगति पर है।

बीकानेर शहर के लिए योजना राशि रुपये 45.54 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 18.7.2014 को जारी की गई। उक्त योजना के कार्यों को पूर्ण करने हेतु कार्यादेश जारी कर दिया गया है तथा वर्तमान में कार्य प्रगति पर है।

गंगानगर जिले के 8 शहरों में क्लोरिनेशन प्लांट की स्थापना हेतु राशि 6.55 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। उक्त कार्यों को पूर्ण करने हेतु दिनांक 15.1.2015 को निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी हैं जो अनुमोदन की प्रक्रिया में हैं।

डूंगरपुर शहर के लिए योजना राशि 8.17 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 9.12.2014 को जारी कर दी गई है और निविदा प्रपत्र तैयार किये जा रहे हैं।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

प्रतापगढ़ शहर के लिए योजना राशि 94.42 करोड़ के प्रस्ताव की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु विभागीय नीति निर्धारण समिति के समक्ष अभी रखा गया है, उसे भी पास कर दिया जायेगा।

यानी, माननीया मुख्य मंत्रीजी ने सरकार-आपके-द्वार के अन्दर जो भ्रमण किया, तीनों सम्भाग में जो उन्होंने घोषणाएं कीं, उन घोषणाओं के ऊपर हमारे विभाग ने जो त्वरित कार्यवाही की, उसका मैंने आपके सामने लेखा-जोखा प्रस्तुत किया।

माननीय अध्यक्षजी, यही नहीं, यह सरकार-आपके-द्वार का नीति का अनुसरण करते हुए, हमने भी अपने विभाग द्वारा अजमेर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर, जोधपुर, सीकर, इन सम्भागों के दौरे किये और वहां पर जन-प्रतिनिधियों को बुलाया। यहां पर भी बैठे हैं वे जन-प्रतिनिधि जो उस मीटिंग में बुलाये गये थे। जन-प्रतिनिधियों को बुलाकर, अधिकारियों के साथ बैठकर उन मीटिंग्स को किया। (व्यवधान) एक बार पहले पूरी बात सुन लीजिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सीकर जिले में 15 करोड़ का बजट बकाया पड़ा है । (व्यवधान) हमने कहा था। मंत्री महोदया, आपने कहा, मैं बजट दूंगी, आज तक एक रुपया नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष: नहीं, बैठिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, 15 करोड़ का बजट है।

श्री अध्यक्ष: बैठिये। वक्तव्य होने दीजिए। (व्यवधान) पहले वक्तव्य होने दीजिए। कृपया वक्तव्य होने दीजिए। डिस्टर्ब मत कीजिए। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 15 करोड़ रुपये...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: रनिंग कमेंट्री नहीं। माननीय मंत्री महोदया।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, यह बार-बार कह रहे हैं, ये सुनने की क्षमता रखें तो यह सब बात आ जाएगी जो मीटिंग के अन्दर हुई है। (व्यवधान) सारे जन-प्रतिनिधियों ने, प्रमुख रूप से जो उनकी प्रोब्लम थी उस मीटिंग में, जैसे हैण्डपम्प रिपेयर करना है, पाइपलाइन लीकेज है, तो पाइपलाइन को चेंज करना है, कहीं पर सूखे हुए नलकूप हैं तो उन्हें बदलकर नये नलकूप वहां पर लगवाने हैं, ये चीजें; जो

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

नाकारा हुए नलकूप हैं उनको ठीक करना, और छोटी-मोटी जो समस्याएं आई थीं, उसके बारे में जानकारी देना चाहती हूं कि हमारे...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठिये। रनिंग कमेंट्री नहीं। बैठिये। कृपया बैठिये। रनिंग कमेंट्री नहीं। मंत्रीजी का वक्तव्य आने दीजिए। रनिंग कमेंट्री नहीं, बैठिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): 38वां हैण्डपम्प मरम्मत अभियान, जो दिनांक 1.4.2014 से निरन्तर जारी है, उसके अन्तर्गत अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में 1 लाख 81 हजार 452 एवं शहरी क्षेत्रों में 31 हजार 512 हैण्डपम्पों की मरम्मत की जा चुकी है। मरम्मत अभियान निरन्तर जारी है। इस अभियान में पेयजल वितरण व्यवस्था को सुचारु रूप से बनाये रखने हेतु 260 किराये के वाहन एवं 1,500 अनुबंध श्रमिकों को रखा गया है। 1 अप्रैल, 2015 से अब फिर से इस अभियान के अन्दर और गति लाने के लिए हमने कुछ और श्रमिकों को बढ़ाया है।

विभाग द्वारा हमने अभी तक 60 हजार नये हैण्डपम्प खोदे हैं। विभाग द्वारा सभी खराब हैण्डपम्प के समयबद्ध तरीके से मरम्मत के प्रयास किये जाते हैं। (व्यवधान) किन्तु माननीय अध्यक्ष जी, जो अबेंडन हो जाते हैं, जो अबेंडन हो जाते हैं, उसको भी देख लें कि हर वर्ष लगभग 15 हजार से 20 हजार हैण्डपम्प अबेंडन हो जाते हैं। जो सूख जाते हैं, उनको वापस से हम नये करते हैं। तो आपको लगता है कि इतने सारे हैण्डपम्प किये, लेकिन वह अबेंडन होने पर हम वापस से नये खुदवा लेते हैं।

इन सभी क्षेत्रों में मुझे जन-प्रतिनिधियों से पेयजल मांग हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए। उनमें से प्राथमिकता के आधार पर त्वरित गति से कार्यवाही कर गत दो माह में असफल नलकूपों के विरुद्ध 106 नये नलकूपों के निर्माण कार्य, जिनकी लागत राशि रुपये 13.90 करोड़ है, की स्वीकृति जारी कर दी गई। इसी तरह 54 योजनाओं में पाइपलाइन बदलने हेतु राशि 10 करोड़ की भी स्वीकृति जारी कर दी गई है।

मैं आज आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगी कि माननीय सदस्यों ने जब वहां पर मीटिंग के अन्दर जो-जो बात उन्होंने उठाईं, उन पर हम लोगों ने जो कार्यवाही की है। उसमें सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, जो बार-बार यह कह रहे हैं कि हमने यह किया, आपने क्या किया,

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

आपने क्या किया, मैं बताऊं कि आपने क्या किया। पिछली सरकार ने 10 करोड़ के बिजली के बिलों को हमारे लिए बकाया छोड़ा। यानी, दो साल इनकी सरकार में, 2013 में तो गये लेकिन 2011 से लेकर 2013 तक जो बिल बकाया थे, वे 10 करोड़ के थे। यही नहीं, इसके अलावा, एस सी, एस टी का बहुत बखान करते हैं कि हम एस सी, एस टी का बहुत ध्यान रखते हैं, एस सी, एस टी की बस्तियों के भी बिजली के, पेयजल के बिल थे, वे 5 करोड़ की लागत के बकाया इन्होंने छोड़े। (व्यवधान) हमने जब वहां पर मीटिंग की, तो मीटिंग करते ही, उसी समय, वहीं टेबल पर, हमने यह आदेश दिये और बिजली का भुगतान भी हो गया। 10 करोड़ में से साढ़े सात करोड़ के बिजली बिल का भुगतान हम कर चुके हैं। आपने जो नहीं किया, वह हमने करके दिखाया, यानी बिजली के बिल का भुगतान किया। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, आज भी 15 करोड़ रुपये सीकर जिले के बकाया पड़े हैं। मंत्रीजी, आज भी पड़े हैं। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): साढ़े सात करोड़, दस करोड़ में से साढ़े सात करोड़ दिये। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 15 करोड़ रुपये बकाया हैं। बिजली के कनेक्शन कट रहे हैं, लोगों के टयूबवेल के कनेक्शन बिजली बोर्ड काट रहा है। ...(व्यवधान)... नये विद्युत कनेक्शन नहीं हो रहे। टयूबवेल खुदे पड़े हैं, 12 महीने हो गये, एक भी टयूवबेल पर आपने कनेक्शन नहीं कराया। (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई): अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी जवाब दे रही हैं और ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सचेतक हैं, इनको यह ही पता नहीं है। पूरक प्रश्न पूछ रहे हैं क्या? (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक रुपये की स्वीकृति नहीं दी। जो एम एल ए थे, वे दो-दो टयूबवेल मांग रहे थे, आपने एक भी नहीं दिया।

श्री हीरालाल (निवाई): पूरक प्रश्न पूछ रहे हैं क्या आप? (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): माननीय सदस्य, आप वे 15 करोड़ खा गये, इसलिए जमा नहीं कराये। (व्यवधान) आप खा गये वे रुपये। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कम से कम पशुओं की चूरी तो नहीं खाई। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया शांत रहें। मंत्री जी का वक्तव्य होने दीजिए।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): चूरी पशु ही खाते हैं, आदमी नहीं खाते हैं। ...(व्यवधान)...

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, सीकर, चूरू और झुन्झुनूं के दौरे में ...(व्यवधान) यह ध्यान में लाया गया कि चूरू-बिसाऊ परियोजना का डिजाइन पीरियड 2012 में ही खतम हो गया था, जिस पर पिछली सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। हालत यह थी कि जो टंकियां बनी हैं, उन टंकियों के अन्दर जो मेन राइजिंग पाइप है, वह टूट गई, पानी टंकी में नहीं पहुंच रहा था। आपकी सरकार पांच साल रही, टंकी में पानी तक नहीं पहुंचा पाये। यहां पर चिकित्सा मंत्रीजी विराजमान हैं, उसी क्षेत्र से आते हैं। (व्यवधान) जब ये दौरे पर गये और इन्होंने जब वहां पर कहा कि टंकी में पानी नहीं पहुंच रहा, तो टेलीफोन, एक आदेश देकर हमने 30 करोड़, टंकियों में पानी पहुंचे, उसके लिए स्वीकृत किये। जिसके टेण्डर हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। यह रनिंग कमेंट्री अलाउ नहीं करूंगा मैं। (व्यवधान) फिर मुझे आदेश देना पड़ेगा कि अंकित नहीं करें। क्या मतलब है? मंत्रीजी का वक्तव्य हो रहा है और बार-बार उठ रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। नो रनिंग कमेंट्री। बैठिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, अभी नगर से आने वाली माननीय सदस्या अनिता जी गुर्जर, और भी माननीय सदस्यों ने एक बात को उठाया ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इधर भी शांत रहिये। शांत रहिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): ...और उन्होंने बार-बार यह कहा कि हमारी छोटी-मोटी पाइपलाइन कहीं टूट जाती है, उसको रिपयेर करना है, तो उसके लिए भी फंड अवेलेबल होना चाहिए। इसलिए, माननीय अध्यक्ष जी, हमने आपात उपाय हेतु प्रत्येक क्षेत्र के अतिरिक्त मुख्य अभियंता को मार्च, 2015 में एक करोड़ तथा अप्रैल, 2015 में एक करोड़ रुपये, इस तरीके से दो करोड़ रुपये प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने हेतु

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

वहीं पर उसी एडिशनल चीफ को दे दिये ताकि आपके छोटे-मोटे रिपेयर के काम हैं, वे वहीं पर हो सकें। (व्यवधान)

अब समय आ गया है कि जब हम जन सहभागिता एवं सामाजिक सरोकार के....

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो। बैठिये आप।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। एक शब्द भी अंकित नहीं होगा।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): राजस्थान हमेशा जाना गया है तालाब, टांके और जौहर संस्कृति...(व्यवधान) इसके आरम्भ से ही यह गढ़ रहा है।

श्री अध्यक्ष: खींवसर से आने वाले विधायक ने बोला, वह एक भी शब्द अंकित नहीं हो।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): तालाब थे तो भूमिगत जल स्तर में...(व्यवधान) तालाब थे तो कभी भी भूमिगत जल स्तर में कमी नहीं आई। लेकिन जल संरक्षण की समाज की समृद्धि, संस्कृति से विमुख होना, अपने आप से विमुख होने के समान था। इसलिए कहते हैं कि कम बरसात तेज अकाल, पानी रो टांको करे कमाल।

माननीय अध्यक्ष जी, माननीया मुख्य मंत्रीजी ने पिछले कार्यकाल 2003-2008 की अवधि में चूरू जिले में एक बहुत ही अच्छी 'आपणी योजना' शुरू करवाई जो पानी के क्षेत्र में जल सहभागिता का उत्कर्ष उदाहरण है, जहां

(20.00 बजे)

ग्रामवासी मिलकर गांव के छोर तक आये हुए पानी को अपने स्तर पर घर तक लेकर जाते हैं, यानी पी.एस.पी. तक वे पानी लेकर आते हैं। परन्तु आज जनसंख्या के बढ़ते दबाव और राजनीतिक रूप से बढ़ती मांग के कारण ये पूर्व स्वीकृत योजनाएं, उनकी स्थिति अभी ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग अब इसको, क्योंकि माननीया मुख्य मंत्रीजी ने हमें पेयजल, ग्रामीण पेयजल के अन्दर सुदृढ़ीकरण करने हेतु जो कुछ बजट दिया है, 140 करोड़, उसमें से

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

कुछ-कुछ पैसा, यहां पर जो पाइपलाइन्स टूटी हुई हैं, उनको रिपेयर करने के लिए निश्चित रूप से हम यहां पर देंगे।

यही नहीं, जो घर-घर कनेक्शन देने की बात, जो अभिषेक जी मटोरिया ने उठाई, जो हमारे और सारे सदस्य, मनोज कुमार, सादुलपुर से आने वाले माननीय सदस्य, आपने भी उठाया इस बात को, उसके बारे में भी हम लोग विचार रख रहे हैं। इस योजना को, कैसे हम घर-घर तक पानी पहुंचा सकें, उसके बारे में विस्तृत चर्चा सभी से करके, उसके बाद में उसको करने का भी प्रयास करेंगे।

इसलिए आप यह नहीं कह सकते हो कि हम भेदभाव रख रहे हैं। हमने कभी यह नहीं कहा कि किस घर ने हमें वोट दिया, उसी घर तक पानी ले जाएंगे, या किस विधान सभा से हमारा विधायक जीता है तो वहीं ले जाएंगे। आपने बात उठाई और हमने यहां पर कहा...(व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): मंत्री महोदय, मेरे तो किये नहीं आपने हैण्ड-पम्प, लिस्ट स्वीकृत नहीं की, वित्तीय स्वीकृति। अलवर जिले में सारे कर दिये। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): सूरजगढ़ में एक रुपया भी नहीं दिया है। उदयपुर में दिये हैं साढ़े तीन करोड़ रुपये, सूरजगढ़ में एक रुपया भी नहीं दिया है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रकृति ने हमें नभ और भूगर्भ से जल दिया है। हाल ही में अल्माटा में हुए अर्थ समिट में विश्व के पर्यावरणविदों ने ओजोन परत में छेद व बदलते जलवायु के कारण आने वाले जल संकट की ओर विश्व का ध्यान आकृष्ट किया है। आज समय आ गया है कि जब हम जल की एक-एक बूंद को सहेजें और उसे सहज कर रखने की आवश्यकता तो है ही, लेकिन देश में बिहार जैसा प्रदेश, जहां बाढ़ आती है, वहीं हमारा प्रदेश पानी को तरसता है। उसके लिए योजना बनाना, यह बहुत जरूरी है, और उसके लिए योजना बनाई जा रही है। हमारे पूर्व प्रधान मंत्रीजी, अटलबिहारी वाजपेयी जी ने नदियां जोड़ने का जो संकल्प लिया था, उस संकल्प को अभी हमारे वर्तमान प्रधान मंत्री, नरेन्द्र भाई मोदी जी, उस कार्य में गति लाने का काम उनका चल रहा है। यही नहीं, माननीया मुख्य मंत्रीजी हमारे राजस्थान में भी नदी जोड़ने के प्रयास में आगे बढ़ चुकी हैं और वह काम भी प्रगति पर चल रहा है।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

हाल ही में माननीय प्रधान मंत्रीजी ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान को अग्रणी राज्य माना है। हमारी लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने इस ऊर्जा का प्रयोग करते हुए एक अभिनव प्रयोग राजस्थान में करने के लिए एक हजार सोलर नलकूप ऐसे क्षेत्रों में लगाये जाएंगे जहां पर बिजली की उपलब्धता नहीं है। इन एक हजार सोलर नलकूपों के माध्यम से हम उन गांवों, उन ढाणियों को पानी पिला देंगे, जहां लाइट का एक तार भी इनकी सरकार इतने वर्षों तक रही, लेकिन नहीं कर पाये। हम वहां पर पानी पहुंचाने का काम करेंगे।

माननीय अध्यक्षजी, प्रदेश में अभी तक सरफेस सोर्स पर आधारित जो कुल 109 वृहद् पेयजल परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई, उनमें से 38 परियोजनाएं हमारी पूर्ण हो चुकी हैं; तीन योजनाएं डी.पी.आर. बनाने की हैं जो बनना शुरू हो गई हैं; 67 परियोजनाओं के विभिन्न चरणों में कार्य चल रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2014-15 में पांच वृहद् परियोजनाएं, बाड़मेर-सी, बाड़मेर-डी क्लस्टर स्कीम, भैंसरोडगढ़, बीसलपुर-जयपुर फीजिबिलिटी स्टडी और बनास के डाउनस्ट्रीम में ईसरदा बांध के निर्माण की भी स्वीकृति उनमें दी गई है, जिनकी कुल राशि लगभग रुपये 1,734.80 करोड़ है।

हमारी सरकार की सोच है कि सिर्फ घोषणाएं नहीं, बल्कि समयबद्ध तरीके से योजनाओं को पूर्ण करने हेतु भी समुचित आर्थिक प्रबन्धन भी किया जाए ताकि आमजन को पेयजल प्राप्त हो सके। विभाग की सभी प्रगतिरत वृहद् पेयजल योजनाओं के कार्य की समीक्षा माननीया मुख्य मंत्रीजी के स्तर पर भी, विशेष रूप से 26-27 दिसम्बर, 2014 को की गई। पर्यवेक्षण में सुधार करने के लिए एक बड़ा कदम, विभाग की वेबसाइट पर 'प्रामिस' के तहत सभी वृहद् परियोजनाओं को इन्द्राज कर प्रति माह अपडेट कर उनका पर्यवेक्षण किया जा रहा है। साथ ही, सी.एम.आई.एस. के तहत भी सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति प्रति माह अपडेट की जाती है। विभाग परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से तय सीमा में पूरी गुणवत्ता के साथ पूरा करने के लिए कटिबद्ध है।

माननीय अध्यक्षजी, हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने यहां पर बातें उठाई थीं, हमारी माननीय सदस्या, जो जायल से आती हैं, मंजू जी बाघमार, यहां पर विराजमान हैं, उन्होंने कैसे जायल को पानी जल्द से जल्द पहुंचाया जाए, उसके सन्दर्भ में कहा। नागौर का जो सेकण्ड फेज है, वह 2018 तक पूरा

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

होना है। आपकी चिंता थी कि हम कब तक इन्तजार करेंगे? इसलिए उस योजना के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव बनाया है, वह 35 करोड़ के लगभग का प्रस्ताव है। क्योंकि आपको, योजना का प्रस्ताव बना है, ध्यान में आ जाए। उसको भी हम लोग आने वाले समय में, जैसे-जैसे वित्तीय प्रबन्धन, जो हमारा होगा, उसके आधार पर उसको स्वीकृत करने की कोशिश करेंगे।

यहां पर हमारे सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य श्री मदन जी राठौड़ साहब ने बात कही कि नर्मदा का पानी सीलू से सिंदरू तक लाना है। उसके बारे में भी हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि नर्मदा का जो जल हमें उपलब्ध होना चाहिए, जो गुजरात से मिलना है, उसके लिए गुजरात भी जाना पडा तो जाएंगे, वहां के मुख्य मंत्री जी से मिलना पड़ा तो भी मिलेंगे लेकिन अपनी आवाज को वहां पर उठाएंगे और वह पानी की कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि हम लोग उस पानी से योजनाएं बना सकें, जिससे हमारे सिरोही में भी पानी मिल सके और पूरे जालौर में, और हमारी सोजत से आने वाली माननीय सदस्या, उनकी चिंता है, उन सारी चिंताओं को भी हम पूरे तरीके से देख सकेंगे।

यही नहीं, जो सोजत शहर की आग्मेंटेशन की जो आपने बात कही थी, उसमें 4 एम.एल.डी. का तो आलरैडी फिल्टर प्लांट हमारा है लेकिन वह 20 वर्ष पहले बना था, इसलिए वह अभी वर्किंग कंडिशन में इतना, शायद उसकी क्षमता कम हो गई होगी। लेकिन अब आने वाले समय में आठ एम.एल.डी. का नया फिल्टर प्लांट और पाइपलाइन बदलने की योजना भी हम अभी बना रहे हैं । वह भी शीघ्र ही, जैसे ही, हम लोग योजनाओं को, बजट की उपलब्धता के आधार पर उसे करेंगे। लेकिन यह निश्चित रूप से आपको आश्वस्त करना चाहती हूं कि रायपुर-दीपावास योजना, जिसके बारे में आपने कहा, उसकी लागत 26 करोड़ है और उसमें फिल्टर प्लांट, पाइप लाइन, उच्च जलाशय, ये सारे काम तो हो चुके हैं, केवल वहां पर रेलवे क्रासिंग की अनुमति के लिए ही वह काम अधूरा पड़ा है। रेलवे क्रासिंग के लिए पूरा प्रयास हमारा चल रहा है कि उसकी अनुमति हमें मिल जाए। शीघ्र ही, अनुमति मिलते ही उस काम को भी हम लोग पूरा कर देंगे और ये 18 गांव जो आपके हैं, उनको पेयजल से लाभान्वित कर देंगे।

खाजूवाला से आने वाले माननीय सदस्य श्री विश्वनाथ जी ने जो यहां

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

पर कहा कि एक फीजिबिलिटी स्टडी करवाई जाए, उसके लिये पचास लाख रुपये सर्वे करने के लिए, डी.पी.आर. तैयार करने के लिए स्वीकृति प्रदान कर रहे हैं। (व्यवधान) हमारी 'आपणी योजना' के तहत जो हमने स्वीकृति दी हैं, वह मैं पहले ही कह चुकी हूं।

किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र से आने वाले माननीय सदस्य, भागीरथजी, उनके लिये हमने, किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में जो सड़क निर्माण के दौरान पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर गांवों में पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई थी, ऐसे आठ गांव थे, जिनमें पानी नहीं पहुंच पा रहा था, क्योंकि वह पाइपलाइन टूट गई, रोड की वजह से, तो उसमें भी 85.25 लाख की हमने स्वीकृति प्रदान कर दी है।

इसी तरीके से हमारे माननीय सदस्य, जो राजगढ़ से आ रहे हैं, आपके बारे में कहूं, हां, एकदम; इन्होंने जो कहा, 2006 में स्वीकृत की गई यह योजना थी आपकी, भारतीय जनता पार्टी का शासन था, माननीय वसुन्धराजी ने योजना शुरू की थी और उसमें द्वितीय चरण, बूंगी-राजगढ़ परियोजना से राजगढ़ शहर को कुम्भाराम लिफ्ट नहर से पानी पहुंचना था। वह योजना खटाई में पड़ गई, जब कांग्रेस का राज आया था। अब फिर से उस योजना को हम लोग कर रहे हैं। माननीया मुख्य मंत्रीजी ने, आपने भी देखा होगा, इस बजट के अन्दर उन्होंने कहा कि बूंगी-राजगढ़ परियोजना, नवम्बर, 2015 तक हम इसे पूर्ण कर लेंगे। इसको मैं आश्वस्त कर रही हूं।

भीलवाड़ा जिले की बात हम कर चुके हैं। नागौर की बात हम कर चुके हैं। हमारी माननीय सदस्या, श्रीमती शकुन्तला जी रावत, चली गईं यहां से।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): जो चली गयीं, वह मत बताओ।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): तो ठीक है, नहीं बताते हैं। (व्यवधान) उनका भी जो प्रस्ताव हमारे पास में है, उसके ऊपर हम लोग विचार करेंगे।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): आ गयीं, शकुन्तलाजी आ गयीं।

श्री अध्यक्ष: वे आ गयीं। अब बता दीजिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): मैंने यह कहा है कि...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): महिला का आया है, जेंट्स का नहीं आया है। हमारे झुंझुनूं में ...(व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): मैं कह रही हूं कि आप मजाक को भी नहीं समझते हैं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): झुंझुनूं का तो नाम ही नहीं आया। झुंझुनूं का तो नाम ही नहीं आया। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): हमारी माननीया सदस्य, शकुन्तलाजी, आप बाहर चली गयी थीं। आपने जो भी हैंडपम्प के प्रस्ताव दिये हैं, उन पर भी हम लोग विचार करके और जो भी हम कर सकेंगे, निश्चित रूप से करने का प्रयास करेंगे।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): मंत्री महोदया, जो सभी विधायकों की स्वीकृति निकल गयी अलवर जिले की, तो मेरी अकेली की क्यों नहीं निकली? मैं तो इतना ही पूछ रही हूं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): निकल जाएगी। आपको मैं आश्वस्त करती हूं कि आपकी भी निकल जाएगी।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, दु:खी होकर कह रहे हैं, ईमानदारी की बात कह रहे हैं, एक भी पम्प नहीं दिया, एक भी कुआं नहीं दिया, पूरे डेढ़ साल हो गये, दु:खी होकर कह रहे हैं। आपने कहा, बैठ जाओ, तो बैठकर क्या करें?

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे राजस्थान को ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): काम तो करवाओ। अब कंटिंजेंसी में पैसा मिलता नहीं, गर्मियों में कोई पैसा नहीं दिया, एक कुआं मंजूर नहीं किया, क्या करेंगे? बातें करते हो दुनिया भर की। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): पूरे राजस्थान की जनता के लिए जो उनकी शिकायतें पेयजल के सम्बन्ध में प्राप्त होती हैं, उनमें त्वरित गति से उन्हें समाधान मिल सकें, उसके लिए हमारे डिपार्टमेंट ने काल सेंटर की स्थापना की है और इस काल सेंटर में शहरी व ग्रामीण क्षेत्र से आम जन टोल-फ्री टेलीफोन, फैक्स अथवा ई-मेल द्वारा पेयजल से सम्बन्धित शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं। काल सेंटर का फोन नम्बर 1800 180 6088 पर नि:शुल्क फोन करके नागरिक पेयजल से सम्बन्धित समस्या दर्ज करा सकते हैं। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): निम्बाहेड़ा के सेकड फेज का क्या हुआ, मंत्रीजी?

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): काल सेंटर के माध्यम से, पेयजल समस्या की शिकायत दर्ज करने हेतु निस्तारण में पारदर्शिता लायी जाकर विभाग के प्रत्येक स्तर पर लगातार इसकी समीक्षा की जा रही है, जिससे समस्या निस्तारण में गति आयी है। दिनांक 12.10.2010 से 16.3.2015 तक काल सेंटर के माध्यम से प्राप्त पेयजल से सम्बन्धित 1 लाख 20 हजार 587 शिकायतों का निवारण कर दिया गया है और यह जो हमारे कॉल सेंटर है, उस काल सेंटर के बारे में बहुत ही अच्छी रिपोर्टस हम लोगों के पास में आ रही है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आडवाणीजी के आदमी हैं कृपलानीजी, इनका एक भी काम नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: चलो।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): मैं सदन का ध्यान हमारी प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति की प्रतीक पवित्र सरस्वती नदी की ओर आकर्षित करना चाहती हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रायोगिक तौर पर सरस्वती नदी की चर्चाएं तो चल रही हैं। यह नदी विलुप्त हो चुकी है। मैं इस अवसर पर इतिहास संकलन समिति, इनको धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने सरस्वती नदी के पेलिओ चैनल के पुनर्जीवीकरण की दिशा में बहुत अनुसंधान किया। बहुत सारी बुक्स उन्होंने लिखीं। उन्होंने मुझे वे बुक्स भी दीं। मैंने भी उसको पढ़ा और उसके बाद में इस बात को पूरी तरीके से हम अब दृढ़ संकल्पित हैं कि यह सरस्वती नदी जो है, उसका पुनरुत्थान करना है। उसके लिए डी.पी.आर. का काम हमारे भू-जल विभाग ने कर लिया है और लगभग 70 करोड़ रुपये की लागत का, यह योजना में लगेगा, जिसमें करीबन 25 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 543 किलोमीटर पेलिओ चैनल के प्रवाह के प्रमाण खोजे जाएंगे। भू-जल विभाग ने सरस्वती नदी के पुनर्जीवीकरण की एवं भू-जल प्रबंधन हेतु जो लगभग 70 करोड़ रुपये की डिटेल्ड, डी.पी.आर. बनायी है, वह भारत सरकार को वित्त पोषण हेतु हमने प्रेषित कर दी है।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

यह कहना चाहूंगी, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि अगर यह नदी राजस्थान के अन्दर से जिन जिलों से निकलती है, क्योंकि जो जिले हैं, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर और बीकानेर, यह पांच जिले हैं जिन जिलों से यह नदी गुजर रही है। इस तरीके का प्रमाण ग्लोबर पिक्चर्स के अन्दर आया है और इसके लिए काम हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है। यह अगर हो जाएगा तो यह बहुत बड़ा काम होगा। हमारे पानी पीने की जो समस्या उन क्षेत्रों में है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये वे ही जिले हैं, बाड़मेर से, चौहटन से आए हुए हमारे माननीय सदस्य बार-बार खड़े होते हैं, ये वे जिले हैं जहां पर पीने के पानी की भयंकर समस्या है। अगर, इस नदी का पुनरुत्थान होता है और वहां पर एन नम्बर आफ ट्यूबवेल्स हम लोग लगा सकते हैं और उन ट्यूबवेल्स के माध्यम से पेयजल की जो हमारी जरूरत है उसको हम लोग पूरा कर सकेंगे। इसलिए मैं घोषणा करती हूं कि हमारी प्राचीन धरोहर के पुनर्जीवीकरण हेतु अन्वेषण एवं अनुसंधान हेतु चिह्नित प्रवाह क्षेत्र में 100 नलकूप खोदे जाएंगे। इसकी मैं आज घोषणा करती हूं।

अभी माननीय सदस्यों ने ...(व्यवधान)

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): माननीय मंत्री महोदय, पिछले बजट में माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना की डी.पी.आर. बनवाने के लिए घोषणा की थी। डी.पी.आर. बन चुकी है। उसका आपने नाम भी नहीं लिया। झुंझुनूं जिले के साथ बहुत बड़ा अन्याय है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): नहीं, मैंने लिया।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): हमने प्रभारी मंत्री महोदय से बहुत बड़ा निवेदन किया था जिले में कि आप जिले को मात्र एक सौगात कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना दीजिए। न हमें बोलने दिया गया, न आपने सुना। मुख्य मंत्री महोदया, यह तो हमारे साथ में बहुत अन्याय है। झुंझुनूं जिले के साथ इससे बड़ा अन्याय कोई नहीं हो सकता। पुन: जिला डार्क जोन में है, पीने के लिए पानी नहीं है, हम पानी के लिए त्राहि-त्राहि कर रहे हैं और झुंझुनूं जिले का नाम भी आपने नहीं लिया। मैं आपसे पुन: निवेदन करना चाहूंगा कि आप झुंझुनूं जिले के साथ अन्याय नहीं करें और कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना की घोषणा आप उदयपुरवाटी और सूरजगढ़-बुहाना के लिए जरूर करें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय शुभकरणजी चौधरी साहब, मैं आपको यह आश्वस्त करना चाहती हूं कि झुंझुनूं जिले की इस योजना पर कार्य प्रगति पर है। हम लोगों के विचाराधीन है। बजट की उपलब्धता के अनुसार हम इस योजना को भी पास करेंगे। डी.पी.आर. बन चुका है। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, झुंझुनूं जिले में सबसे ज्यादा शहीद होते हैं, सबसे ज्यादा एजुकेटेड हैं, सबसे ज्यादा फौजी हैं, उसके बाद भी जिले की यह हालत है। (व्यवधान)

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): मंत्री महोदया, चाहे आप 20 करोड़ रुपये की घोषणा कर दें लेकिन आप टोकन अमाउंट जरूर घोषित कर दें। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय मंत्रीजी, झुंझुनूं जिला बहादुरों का जिला है, ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल मंत्रीजी डी.पी.आर. मंत्री नहीं रहे, काम करें। (व्यवधान)

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): आप चाहे 10-20 करोड़ की ही घोषणा करें, पर करें। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): प्रदेश को काम करने वाले मंत्री की जरूरत है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): झुंझुनूं जिला सबसे ज्यादा फौजियों का जिला है। (व्यवधान)

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): मैं प्रभारी मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि प्लीज आप यह जरूर करवाएं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): एजुकेशन सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा शहीद होते हैं, उसके बाद भी झुंझुनूं जिले की यह दशा है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ और घोषणाएं भी मैं कर रही हूं।अगर माननीय सदस्य शांति से सुनें तो ...(व्यवधान)

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): मैं प्रभारी मंत्री महोदय से भी निवेदन करूंगा कि प्लीज आप हमारे लिए चाहे 20 करोड़ रुपये की टोकन घोषणा करवायें लेकिन करवायें जरूर। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): जरूर इस पर विचार करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी वल्लभनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने, शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने, निम्बाहेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने, इन सब ने जे.जे.वाई. के लिए अपनी चिंता जाहिर की। क्योंकि यह सदन सब सुनना चाहता है और यह जे.जे.वाई. के बारे में उनकी बड़ी चिंता है और यह चिंता स्वाभाविक भी है, माननीय अध्यक्ष महोदय। मुझे यह कहते हुए बड़ा हर्ष है कि माननीया मुख्य मंत्रीजी ने भी इनकी चिंता को समझा है और उसके बाद में 139 करोड़ उन्होंने स्वीकृत किये। हम इस जनता जल योजना का कैसे सुदृढ़ीकरण करें, उसके लिए उन्होंने 140 करोड़ रुपये की घोषणा की अपने बजट में। मैं आज इस सदन के अन्दर यह कहना चाहती हूं कि हमारा विभाग प्रथम चरण में दो हजार जनता जल योजनाओं का शुद्धिकरण इसी वर्ष करेगा। इस बात की मैं आज घोषणा करती हूं।

सरकार इस वर्ष 564 गांव, 307 ढाणियों को सतही जल से जोड़कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाएगी।

जो सूखे पड़े नलकूपों के स्थान पर नये नलकूप प्राथमिकता के आधार पर किए जाएंगे और मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने बीकानेर संभाग में नहरी क्षेत्र से आपूर्ति किए जाने वाले पेयजल हेतु बनी जो डिग्गियों के शुद्धिकरण हेतु 90 करोड़ रुपये का प्रावधान इस बजट में किया। अभी माननीय सदस्यों में से बहुत सारे माननीय सदस्य, लोग इस बारे में कह रहे थे, कैंसर ट्रेन के बारे में कहा गया, यह कहा गया कि उन डिग्गियों की सफाई नहीं होती; यह कहा गया कि वहां पर जो फिल्टर प्लांट्स हैं, वह वर्किंग कंडिशन में नहीं हैं इसलिए मैं यह कहना चाहूंगी कि इसी वर्ष में 300 डिग्गियां और 300 फिल्टर प्लांट्स के रिनोवेशन का कार्य। हम इन 90 करोड़ के माध्यम से कर लेंगे। इस बारे में मैं आपको आश्वस्त करना चाहती हूं और यही नहीं,...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): डी.पी.आर. करेंगे, या काम भी करेंगे?

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): यही नहीं, डी.पी.आर. नहीं बनाएंगे, उन डिग्गियों की सफाई करेंगे और जो फिल्टर प्लांट्स हैं उनको ठीक करेंगे। अगर आप इसको ठीक से सुनेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

यही नहीं, यह जो बार-बार बात आती है कि काम तो होता है लेकिन काम अगर गुणवत्ता का हो, इसके बारे में भी हमें हमेशा शंका रहती है। तो हमने थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन, इन डिग्गियों का और टंकियों की सफाई के संदर्भ में थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन, यह सुनिश्चित किया है। इस बारे में भी मैं आपको बताना चाहती हूं।

हमारी सरकार द्वारा विभाग में सभी पेयजल योजनाएं...(व्यवधान)

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): उस एग्रीमेंट की पालना नहीं की, जिसकी मैंने शिकायत की है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): विभागीय कार्य-कलाप, इत्यादि की मानिटरिंग के साथ-साथ विभागीय कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए आई.टी. के उपयोग पर हमने विशेष ध्यान दिया है। विभाग में सभी योजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति आन लाइन की जा रही है। इसी के साथ विभागीय वेबसाइट को भी अप डेट कर सभी स्वीकृत कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी ऑन लाइन पर की जा रही है।

मैं आज यह कहना चाहती हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक तो सैंक्शंस, स्वीकृत कार्यों की कार्य प्रगति को हम लोग देख रहे थे, ई-टेंडरिंग तो बहुत पहले से माननीया मुख्य मंत्री वसुन्धराजी ने शुरू कर दिया था लेकिन अब हमारे विभाग का जो भुगतान है, जो कांट्रेक्टर्स को भुगतान होता है, वह भी अब आनलाइन होगा इसलिए पब्लिक डोमेन में आप इस बात को देख सकेंगे कि इस योजना पर, किस योजना पर कितना रुपया खर्च हो चुका है और कितना कार्य की प्रगति हुई है, यह सारा काम पारदर्शिता के साथ होगा...

और हम पब्लिक डोमेन इन सारी चीजों को अपडेट कर देंगे।

विभाग की स्वीकृत पेयजल योजना एवं कार्यों को निर्धारित समयावधि में पूर्ण किये जाने के उद्देश्य से निविदाओं की प्री-क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में भी हमने संशोधन किया है और यह संशोधन इस तरीके से किया कि अनुभवी एवं वित्तीय दृष्टि से सुदृढ़ जो संवेदक हैं, वे समयबद्धता में और गुणवत्ता के अनुसार कार्य का सम्पादन करें और इन कार्यों का थर्ड पार्टी इंसपेक्शन हो। इस सबको हमने सुनिश्चित किया है।

जो अभी कुछ क्राइट-एरियाज की बात कर रहे थे हमारे माननीय सदस्य, कि कुछ हैण्डपम्प लगाने के क्राइट-एरियाज चेंज होने चाहिये, कुछ पी.एस.पी. लगाने के क्राइटेरियाज चेंज होने चाहिये; माननीय अध्यक्ष महोदयजी, आज तक तो 250 तक की आबादी पर हम हैण्डपम्प लगाते थे, 250 की आबादी पर हम एक पी.एस.पी. देते थे, लेकिन अब इन क्राइटेरियाज

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

को भी हम चेंज कर रहे हैं और 100 की आबादी पर हम हैण्डपम्प लगायेंगे और 100 की आबादी पर हम पी.एस.पी. कनेक्शन देंगे।

माननीय अध्यक्षजी, वर्ष 2015-16 के लिए आयोजना मद के लिए केन्द्रीय प्रवर्तित सहायता के रूप में रुपये 409 करोड़ सहित, कुल रुपये 4,661.16 करोड़ का प्रावधान रखा गया है जिससे वृहद परियोजनाओं के लिए रुपये 2,572.13 करोड़, शहरी जल योजनाओं हेतु 245.95 करोड़ एवं ग्रामीण जल योजनाओं हेतु 1,523 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। बंद पड़ी जनता जल योजना को सुदृढ़ करने हेतु भी 149.55 करोड़ का प्रावधान रखा गया।

अध्यक्ष महोदय, पेयजल जिसकी चर्चा हम हर माह, हर वर्ष, हर शहर, हर गांव, हर ढाणी के अन्दर निरन्तर करते रहते हैं, किसी के घर में यदि एक दिन भी पेयजल की आपूर्ति बंद हो जाये तो घर की जीवन-पद्धति इस प्रकार से ठहर-सी जाती है कि जैसे घर में कुछ भूचाल आ गया। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहती हूं कि पेयजल की चर्चा तो हर घर में हो, परन्तु इसके साथ-साथ राज्य सरकार की संवेदनशीलता, सरकार द्वारा उठाये जाने वाले कदमों को, भू-जल के गिरते स्तर के रोकथाम के उपाय, आदि के सम्बन्ध में भी हमें घर-घर में चर्चा करनी होगी। सरकार का प्रयास है कि जल की एक-एक बूंद प्यासे कंठों को तर करने के काम आये। मैं सदन में यह स्पष्ट करना चाहती हूं कि जल जनता का है, जल समितियों के माध्यम से जल की धरोहर पर मालिकाना हक गांव वालों का है, वे इसके संरक्षक हैं, राज्य सरकार इन्हीं संरक्षकों की संरक्षा में पेयजल धरोहर का विकास करने हेतु संकल्पित है। इसलिए कहा जाता है, Where there is a will, there is a way. हम दृढ़ संकल्पित हैं कि हम पेयजल के अन्दर सुधार लायेंगे और जो हमारी योजनाएं हैं उन योजनाओं को पूरी समयबद्धता के अन्दर करेंगे।

माननीय अध्यक्ष जी, मांग संख्या 27 को पारित कर आप मुझे अनुगृहीत करें।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अलवर को कुछ नहीं दिया। अलवर के लिए कोई योजना नहीं।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): ...इंस्पेक्शन की...(व्यवधान) परियोजना की शिकायत है और एक भी क्राइटेरिया में काम नहीं करते।

श्री अध्यक्ष: विराज जाइये आप।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, मैं, आपकी अनुमति से, सदन की नेता को, माननीया मुख्य मंत्रीजी को और हमारी पी.एच.ई.डी. मिनिस्टर को नागौर की जनता की ओर से धन्यवाद देना चाहता

(श्री युनुस खान)

हूं कि हमारे द्वितीय चरण में, जिसमें जायल, डीडवाना, लाडनूं, मकराना, नावां, कुचामन, इन सब के लिए 1,596 करोड़ रुपये के टेण्डर प्राप्त कर लिये और उनकी बिड खोल ली गई। मैं इसके लिए इनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

मांग संख्या 27-पेयजल योजना का पारण

श्री अध्यक्ष: विराजिये। प्रश्न यह है कि मांग संख्या 27 – पेयजल योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 62,01,74,26,000 (बासठ अरब एक करोड़ चौहत्तर लाख छब्बीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 46-सिंचाई (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना सहित) का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 46 – सिंचाई (इंदिरा गांधी नहर परियोजना सहित) के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 30,59,85,24,000/- (तीस अरब उनसठ करोड़ पिचासी लाख चौबीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 38-लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 38 – लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,30,54,99,000/- (एक अरब तीस करोड़ चौवन लाख निन्यानवे हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 20 मार्च 2015 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 20.25 बजे शुक्रवार, दिनांक 20 मार्च 2015 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रदेश में जैविक खाद के प्रयोग को प्रोत्साहन देने की योजना

266. श्रीमती गोलमा (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) व **डा. किरोड़ी लाल** (लालसोट) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में कृषि कार्यों में कुल कितने प्रकार की रासायनिक खाद एवं जैविक खाद का उपयोग किया जाता है? उक्त प्रत्येक खाद का निर्धारित मात्रा में उपयोग होने पर क्या लाभ मिलता है?

(2) प्रदेश में गत दस वर्षों में कृषि कार्यों में रासायनिक खाद एवं जैविक खाद की खपत की मात्रा एवं व्यय राशि कितनी है?

(3) क्या यह सही है कि जल्दी और अधिक मात्रा में फसल पैदा करने के लिए किसानों द्वारा तय मात्रा से अधिक रासायनिक खाद का उपयोग किया जाता है जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति कम होती है और ऐसी फसलों से उपजे खाद्य पदार्थों के सेवन से मानव के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पडता है? यदि हां, तो क्या-क्या?

(4) क्या सरकार रासायनिक खादों से किसानों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ और इनके प्रयोग से भूमि और मानव शरीर पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों के मध्यनजर जैविक खाद और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो इसके प्रयोग करने से अब तक के क्या परिणाम रहे?

उत्तर

(1) प्रदेश में कृषि कार्य में उपयोग किये जाने वाले रासायनिक एवं जैविक खादों की विस्तृत सूचना परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। उक्त खादों का तकनीकी सिफारिश अनुसार उपयोग करने पर फसलोत्पादन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है इनके उपयोग से पौधों में वानस्पतिक वृद्धि, उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि होती है।

(2) प्रदेश में गत 10 वर्षों में कृषि कार्यों में उपयोग की गई रासायनिक/जैविक खादों से सम्बन्धित सूचना परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी हां। यह सही है कि उर्वरकों का निर्धारित मात्रा से ज्यादा उपयोग होने पर भूमि की उर्वरा शक्ति प्रभावित होने की सम्भावना रहती है। तकनीकी सिफारिश से अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों से उत्पादित खाद्य

(कृषि मंत्री)

पदार्थों के सेवन से मानव शरीर पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की आधिकारिक जानकारी विभाग के पास उपलब्ध नहीं है।

(4) जी हां। राज्य में जैविक खेती को बढावा दिया जा रहा है। वर्ष 2014-15 में राज्य के 10 जिलों में 2,000 हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिसमें जैविक खेती करने वाले कृषकों को 8,000 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष की दर से तीन वर्ष तक अनुदान देय है। इसमें 3,000 रुपये पंजीकरण एवं प्रमाणीकरण शुल्क भी सम्मलित है।

वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य के 16 जिलों में फार्मर्स फील्ड स्कूल आधारित जैविक खेती के 1,100 प्रदर्शनों का भी आयोजन किया जायेगा ताकि कृषकों को जैविक खेती की तकनीकी जानकारी प्राप्त हो सके। प्रति प्रदर्शन 0.4 हे. क्षेत्र हेतु जैविक आदान लागत का 50 प्रतिशत या 2,000 रुपये जो भी कम हो, अनुदान देय है।

उद्यानिकी फसलों में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिये किसानों को निम्नांकित सहायता प्रदान की जा रही है :-

1. राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अन्तर्गत कृषकों को जैविक खेती हेतु लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर 3 वर्षों में देय है;

2. किसानों के समूह द्वारा जैविक उत्पाद के प्रमाणीकरण हेतु 50 हे. क्षेत्रफल के समूह के लिये 5 लाख रुपये की सहायता देय है;

3. वर्मीकम्पोस्ट इकाई की स्थापना हेतु लागत का 50 प्रतिशत अथवा रुपये 50,000, जो भी कम हो, की दर से अनुदान देय है; एवं

4. एच.डी.पी.ई वर्मी बेड इकाई की स्थापना हेतु लागत का 50 प्रतिशत अथवा रुपये 8,000, जो भी कम हो, अनुदान दिया जाता है।

राज्य में उक्त योजना के क्रियान्वयन के फलस्वरूप उद्यानिकी फसलों के अन्तर्गत 4,227 हे. में जैविक खेती की जा रही है।

(सूचना पुस्तकालय में रखी गयी)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय, टोंक में रिक्त पद

269. श्री अजीत सिंह (टोंक) : क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र टोंक में स्थित सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय में सहायक श्रम आयुक्त एवं अन्य कार्मिकों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कब से एवं उक्त पदों को अब कब तक भर दिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा वर्तमान में कौन-कौनसी योजनाएं संचालित हैं? क्या उक्त योजनाओं में पात्र व्यक्तियों को विवाह हेतु सहायता राशि एवं साइकिल, आदि का वितरण किया गया है? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों को कब-कब व नहीं, तो क्यों व इसके लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं व उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। सहायक श्रम आयुक्त एवं अन्य कार्मिकों के चल रहे रिक्त पदों की स्थिति निम्न रही है :-

क्र. सं.	पद का नाम	कब से रिक्त
1.	सहायक श्रम आयुक्त, टोंक	1.11.2013 से
2.	श्रम निरीक्षक (2 पद)	19.2.2008 से तथा 1.8.2013
3.	वरिष्ठ लिपिक	11.2.2015
4.	कनिष्ठ लिपिक (2 पद)	25.10.2014 से तथा 22.7.2014 से

वर्तमान में सहायक श्रम आयुक्त के रिक्त पद का अतिरिक्त कार्यभार श्री सुधीर सिंह ब्रोका, सहायक श्रम आयुक्त, अजमेर; श्रम निरीक्षक के 1 पद का अतिरिक्त कार्यभार श्री गोपाल लाल मीणा, श्रम निरीक्षक, जयपुर को, एवं कनिष्ठ लिपिक के 1 पद पर श्री दारासिंह, कनिष्ठ लिपिक, जालौर को कार्य व्यवस्था के तहत लगाया हुआ है।

(श्रम एवं रोजगार मंत्री)

विभाग में वर्तमान में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भारी कमी है, किन्तु विभागीय पदोन्नति समिति के आयोजन के उपरान्त सहायक श्रम आयुक्त, टोंक का पद भरा जा सकेगा। श्रम निरीक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग को दिनांक 6.8.2013 को कार्मिक विभाग के माध्यम से अभ्यर्थना भेजी गई है। उक्त पदों की भर्ती हेतु आयोग द्वारा दिनांक 30.8.2013 को विज्ञप्ति प्रकाशित की गई है। चयन के उपरान्त श्रम निरीक्षक टोंक के पद को भर दिया जायेगा।

(2) भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल, राजस्थान द्वारा टोंक में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए निम्न कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं :-

1. विवाह सहायता योजना;
2. निर्माण श्रमिक की सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दशा में सहायता योजना;
3. शिक्षा सहायता योजना;
4. प्रसूति सहायता योजना;
5. गम्भीर बीमारी पुनर्भरण योजना;
6. आवास निर्माण सहायता योजना;
7. मेधावी छात्र पुरस्कार योजना;
8. साईकिल सहायता योजना (31.3.2014 तक);
9. एन.पी.एस. स्वावलम्बन पेंशन योजना;
10. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना; एवं
11. कौशल शक्ति योजना।

जी हां। इन योजनाओं में पात्र व्यक्तियों को विवाह हेतु सहायता राशि एवं साइकिल, आदि का वितरण किया गया है।

टोंक कार्यालय में विवाह सहायता योजना के अन्तर्गत 10 व्यक्तियों को तथा साइकिल वितरण योजना के तहत 551 व्यक्तियों को हितलाभ दिया गया है। व्यक्तियों की नामजद एवं सहायता स्वीकृति दिनांक सहित सूची क्रमश: परिशिष्ट "अ" एवं "ब" पर संलग्न हैं।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

बारां जिले में माडा योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य

270. श्री ललित कुमार (किशनगंज): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत पांच वर्षों में बारां जिले में माडा योजनान्तर्गत कितनी-कितनी राशि के कार्य किस-किस स्थान हेतु कब-कब स्वीकृत किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजनान्तर्गत विकास कार्यों की स्वीकृति एवं राशि आबंटन हेतु क्या नियम एवं प्रक्रिया अपनाई जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिले में माडा योजनान्तर्गत सर्वाधिक राशि किस गांव पर व्यय की गई एवं क्यों? कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त योजनान्तर्गत एक ही गांव को इतनी राशि का आबंटन किया जा सकता है? यदि हां, तो किस आधार पर व नहीं, तो सरकार दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत पांच वर्षों में जिला बारां के माडा में स्वीकृत की गई राशि के कार्यो का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) माडा में कार्य स्वीकृति के कोई लिखित मापदण्ड निर्धारित नहीं हैं।

माडा में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रावधित राशि एवं क्षेत्र से प्राप्त प्रस्तावों के क्रम में उपलब्ध राशि के आधार पर सक्षम स्तर पर निर्णय लिया जाकर कार्य स्वीकृत किये जाते हैं।

(3) सबसे अधिक राशि 48.72 लाख रुपये आनन्दपुरा गांव के लिये स्वीकृत की गई, जिसका कारण स्थानीय मांग एवं आवश्यकता थी।

(4) माडा में किसी गांव में कार्यों की स्वीकृति हेतु अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है। कार्य स्वीकृति स्थानीय मांग एवं आवश्यकता के आधार पर किया जाना उचित समझा गया। इसमें कोई दोषी नही है। अत: कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

दौसा जिले में रोजगार मेले का आयोजन

271. श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) दौसा जिले में गत पांच वर्षों में औद्योगिक गतिविधियों के विकास हेतु सरकार द्वारा कब-कब रोजगार मेलों का आयोजन किया गया एवं कितने बेरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया?

(2) क्या यह सही है कि जिला उद्योग केन्द्र, दौसा द्वारा गत पांच वर्षों में एक बार भी रोजगार मेले का आयोजन नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? इस हेतु कौन अधिकारी दोषी है एवं सरकार द्वारा उक्त अधिकारी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

(3) सरकार द्वारा दौसा जिले में अब कब तक रोजगार मेले का आयोजन किया जायेगा।

उत्तर

(1) जिला दौसा में औद्योगिक गतिविधियों के विकास हेतु जिला उद्योग केन्द्र, दौसा एवं जिला रोजगार कार्यालय के संयुक्त तत्वाधान में रोजगार मेलों का निम्न प्रकार आयोजन किया गया:-

क्र.सं.	आयोजन वर्ष	रोजगार हेतु प्रारम्भिक चयन की संख्या
1.	2009-10	2803
2.	2010-11	2072

(2) जी नहीं।

(3) जिला उद्योग केन्द्र, दौसा एवं रोजगार कार्यालय, दौसा के संयुक्त तत्वाधान में माह दिसम्बर 2015 में मेले का आयोजन प्रस्तावित है।

बीसलपुर बांध से नावां के गांवों को पेयजल आपूर्ति की योजना

272. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बीसलपुर बांध से नावां तहसील के 72 गांवों की ग्रामीण जलापूर्ति योजना (जिला नागौर) के तहत वर्ष 2014-15 में कितने गांवों को पेयजल उपलब्ध करवाया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

(2) उक्त योजना पर अब तक कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है और उक्त धनराशि योजना के मूल प्रावधान की कितनी प्रतिशत है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बीसलपुर बांध सतही जल स्रोत से स्वीकृत एवं प्रगतिरत बीसलपुर-दूदू-नावां वृहद् पेयजल परियोजना (जिला नागौर) से वर्ष 2014-15 में अब तक नावां तहसील के किसी भी ग्राम को पेयजल उपलब्ध नहीं कराया गया है।

(2) उक्त परियोजना पर माह फरवरी, 2015 तक रुपये 79.55 करोड़ की राशि व्यय की गई है तथा यह राशि परियोजना की मूल प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि का 61.80 प्रतिशत है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 व 89 पर होने वाली सड़क दुर्घटनाएं

273. श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला नागौर से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 व 89 तथा मेगा हाई-वे पर विगत तीन वर्ष की अवधि में हुए सड़क हादसों में एक हजार से भी अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं से बचाव हेतु माकूल उपाय/बन्दोबस्त किये गये हैं? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। जिला नागौर से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 व 89 तथा मेगा हाई-वे पर विगत तीन वर्ष की अवधि में पुलिस अधीक्षक, जिला नागौर के पत्र दिनांक र-6( ) नागौर/अप.शा./सांख्यकी/2015/7388 दिनांक 12.3.2015 से प्राप्त सूचना (परिशिष्ट-1) के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग 65 पर 176 व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग 89 पर 155 व्यक्ति जान गवा चुके हैं तथा रिडकोर के पत्र दिनांक 9.3.2015 से प्राप्त सूचना (परिशिष्ट-2) के अनुसार 127 कि.मी. लम्बे मेगा हाइवे पर रिडकोर रिकार्ड के अनुसार वर्ष 2012-13 में 25, वर्ष 2013-14 में 27 एवं वर्ष 2014-15 में अब तक 13

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। पुलिस अधीक्षक, जिला नागौर से प्राप्त उपरोक्त सूचना के अनुसार दुर्घटना का मुख्य कारण 'तेज गति व चालक की लापरवाही' रही है।

(2) जी हां। राष्ट्रीय राजमार्ग 89 पर दुर्घटनाओं से बचाव हेतु वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार माकूल उपाय/बन्दोबस्त किये गये हैं एवं किये जा रहे हैं जो अजमेर-नागौर अनुभाग पर मुख्यतया निम्न प्रकार हैं:-

1. डामर सड़क की चौड़ाई 7 मीटर से बढ़ाकर 10 मीटर करना;
2. आबादी क्षेत्र यथा गुडा, लाम्पोलाई, गवारड़ी, चकढाणी, बुटाटी एवं जुंजाला में 4 लेन सड़क का निर्माण;
3. गांव थांवला, पादुकलां, रेन, कुचेरा एवं इनाणा में बाइपास का निर्माण;
4. गांव थांवला, पादुकलां, रेन, कुचेरा एवं इनाणा के अन्दर सी.सी. सड़क का निर्माण;
5. मेड़ता कस्बे की सड़क का ज्योमेट्रिक सुधार;
6. कमजोर/सकड़े पुलों का निर्धारित मापदण्डों के अनुसार निर्माण;
7. रेन गांव के पास कि.मी. 91 में स्थित रेलवे क्रासिंग पर आर.ओ.बी. का निर्माण;
8. समस्त जंक्शन का सुधार तकनीकी मापदण्डों के अनुसार पुनः निर्माण करना;
9. आवश्यकतानुसार रोड़ साईनेज लगाना;
10. सड़क पर रोड मार्किंग करना; एवं
11. तकनीकी मापदण्डानुसार ट्रक ले बाई, बस वे एवं बस शेल्टर बनाना।

राष्ट्रीय राजमार्ग 65 पर दुर्घटनाओं से बचाव हेतु जगह-जगह सांकेतिक बोर्ड, चेतावनी बोर्ड लगाये हुये हैं। रम्बल स्ट्रीप, कर्व लाइन, सेन्टर लाइन, जेबरा लाइन बनी हुई हैं।

इन राजमार्गों पर वर्तमान में सड़क चौड़ाईकरण कार्य कन्सेशनर कम्पनियों द्वारा किया जा रहा है। डाइवर्जन बोर्ड, चेतावनी बोर्ड, आदि पर्याप्त संख्या में लगाये गये हैं।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

रिडकोर द्वारा संचालित मेगा हाइवे परियोजना के अन्तर्गत आने वाले मार्गों पर दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु आवश्यक रूप से साइन बोर्ड, फोटोग्राफिक सुरक्षा संकेतक, लेन डिवाइडर, केट आइज, मार्ग पट्टिका, रम्बल स्ट्रिप लगाये गये हैं। इसके अलावा, पैट्रोलिंग एवं एम्बूलेन्स की सुविधा भी प्रदान की गई है। विभिन्न अन्तराल पर सड़क सुरक्षा शिविरों के आयोजनों के माध्यम से सड़क उपभोक्ताओं को सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाता है।

(सूचनाएं पुस्तकालय में रखी गयीं)

अनूपगढ़ में डिग्गी निर्माण पर देय अनुदान

274. श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में गत पांच वर्षों में कितने किसानों को सिंचाई हेतु डिग्गियों के निर्माण पर अनुदान दिया गया है? अनुदानित किसानों की सूची विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार किसानों को डिग्गियों के निर्माण पर दिये जाने वाले अनुदान में वृद्धि करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार किसानों को सिंचाई हेतु डिग्गियों के रख-रखाव के लिए राशि देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में गत पांच वर्षो में 735 किसानों को सिंचाई हेतु डिग्गियों के निर्माण पर अनुदान दिया गया है। किसानों की सूची परिशिष्ट-1 से 5 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। डिग्गियों का निर्माण राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत करवाया जा रहा है, जो कि भारत सरकार की योजना है एवं इस योजना के अन्तर्गत अनुदान राशि का निर्धारण भारत सरकार द्वारा ही किया जाता है।

(3) जी नहीं। भारत सरकार की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में डिग्गियों के रखरखाव हेतु प्रावधान नहीं है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रश्न संख्या-275

(स्थगित)

भादरा के गोगामेड़ी में विकास कार्य

276. श्री संजीव कुमार (भादरा) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र भादरा में लोक देवता गोगाजी के श्रद्धास्थल गोगामेड़ी में प्रति वर्ष भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और उनके द्वारा मंदिर में चढ़ावे के रूप में एवं अन्य स्रोतों से सरकार को काफी आय होती है? गत पांच वर्षों में कितने श्रद्धालु गोगाजी मेले के समय आये तथा सरकार को कितनी आय हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार को मेले से भारी आय होने के उपरान्त भी गोगामेड़ी मेले में विकास एवं व्यवस्थाओं का निरन्तर अभाव बना रहता है? यदि हां, तो क्यों? गत पांच वर्षों में सरकार ने गोगामेड़ी मेले के विकास एवं व्यवस्थाओं पर कितना-कितना व्यय किस-किस कार्य पर किया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार के अधीन आने वाले प्रदेश के अन्य मंदिरों से सरकार को गत पांच वर्षों में कितनी-कितनी आय हुई और उन मंदिरों के विकास पर कितना-कितना व्यय किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार लोक देवता गोगाजी के श्रद्धास्थल गोगामेड़ी में व्यवस्थाओं को सुधारने एवं विकास करवाने के लिए उक्त स्थान को पर्यटन स्थल घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। पिछले पांच वर्षों में लगभग एक करोड़ श्रृद्धालु गोगाजी मेले के समय आये।

इस मेले से देवस्थान विभाग को संयुक्त निधि मद के अन्तर्गत पिछले 5 वर्षों में हुई आय का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	वर्ष	आय (लाखों में)
1	2010	2,12,31,211
2	2011	2,73,91,974

(देवस्थान मंत्री)

क्र.सं.	**वर्ष**	**आय (लाखों में)**
3	2012	2,96,37,121
4	2013	3,84,81,996
5	2014	3,57,54,219
	योग	15,24,96,521

(2) जी नहीं। पिछले पांच वर्षों में देवस्थान विभाग द्वारा गोगामेडी मेले के विकास एवं व्यवस्थाओं पर किये गये व्यय का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(3) देवस्थान विभाग के अन्तर्गत आने वाले राजस्थान के अन्य मंदिरों से देवस्थान विभाग को पिछले पांच वर्षों में हुई आय का विवरण निम्नानुसार है-

क्र.सं.	**वर्ष**	**आय (लाखों में)**	
		राजकीय मद	**संयुक्त निधि मद**
1	2009-10	235.52	687.84
2	2010-11	226.70	759.52
3	2011-12	227.55	935.48
4	2012-13	255.44	981.68
5	2013-14	352.00	1133.24
	योग	1297.21	4497.76

मंदिरों के विकास पर पिछले पांच वर्षों में किये गये खर्चे का विवरण निम्नानुसार है-

क्र.सं.	**वर्ष**	**व्यय (लाखों में)**	
		राजकीय मद	**संयुक्त निधि मद**
1	2009-10	534.12	51.45
2	2010-11	440.91	205.76
3	2011-12	293.87	348.37
4	2012-13	404.02	151.28
5	2013-14	666.60	11.62
	योग	**2339.52**	**768.48**

(देवस्थान मंत्री)

(4) लोक देवता गोगाजी के श्रृद्धास्थल गोगामेड़ी में व्यवस्थाओं को सुधारने एवं विकास करने के लिये माननीय मुख्य मंत्री महोदया की बजट घोषणा के अनुरूप देवस्थान विभाग द्वारा धार्मिक स्थलों को विकसित करने के लिये मास्टर प्लान बनाने का प्रस्ताव है। इसके लिये पी.डी. कोर लि. जयपुर को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट नियुक्त किया गया है । जिन धार्मिक स्थलों का मास्टर प्लान बनाने का वर्तमान में प्रस्ताव है उनमें मंदिर श्री गोगाजी गोगामेडी, हनुमानगढ़ भी सम्मिलित है। गोगामेड़ी धार्मिक स्थल है, पर्यटन स्थल नहीं है।

परिशिष्ट-1

पिछले पांच वर्षों में देवस्थान विभाग ने गोगामेड़ी मेले की विकास एवं व्यवस्थाओं पर किये गये व्यय का विवरण

क्रम संख्या	वर्ष	व्यय राशि आयोजना मद	कार्य का विवरण	व्यय राशि संयुक्त निधि मद	कार्य का विवरण
1	2009-10	0.00	0	39.71	गोगामेड़ी मेले की व्यवस्था हेतु
2	2010-11	0.00	0	129.03	गोगामेड़ी मेला व्यवस्था रुपये 54.03 श्रृद्धालुओं की सुविधार्थ विभिन्न निर्माण कार्य रुपये 75.00
3	2011-12	41.00	श्रृद्धालुओं की सुविधार्थ विभिन्न निर्माण कार्य	42.56	गोगामेड़ी मेले की व्यवस्था हेतु

क्रम संख्या	वर्ष	व्यय राशि आयोजना मद	कार्य का विवरण	व्यय राशि संयुक्त निधि मद	कार्य का विवरण
4	2012-13	0.00	0	107.59	गोगामेड़ी मेला व्यवस्था हेतु रुपये 57.59 लाख श्रृद्धालुओं की सुविधार्थ विभिन्न निर्माण कार्य रुपये 50.00
5	2013-14	200.00	1.00 करोड़ की धर्मशाला 1.00 करोड़ के अन्य विकास कार्य प्रगति पर हैं।	76.51	गोगामेड़ी मेले की व्यवस्था हेतु
				395.40	

जनजाति उपयोजना क्षेत्र के छात्रावासों में सोलर लाइट लगाने की योजना

277. श्री सुशील कटारा (चौरासी) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार टी.एस.पी. क्षेत्र में संचालित आश्रम छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में विद्युत आपूर्ति हेतु सोलर लाइट की स्थापना करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा जनजाति आश्रम छात्रावासों में सोलर लाइटें लगायी गई हैं? यदि हां, तो कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) टी.एस.पी. अनुसूचित क्षेत्र में संचालित 202 आश्रम छात्रावासों, 11 आवासीय विद्यालयों एवं 5 खेल छात्रावासों (कुल 218) में विद्युत आपूर्ति हेतु

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

वर्ष 2013-14 में सोलर लाइट की स्थापना की जा चुकी है। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। सरकार द्वारा अनुसूचित क्षेत्र में संचालित 202 जनजाति आश्रम छात्रावासों में सोलर लाइट लगाई गई है। विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जोधपुर पत्थर उत्खनन को उद्योग का दर्जा देने की योजना

278. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार विश्व प्रसिद्ध जोधपुर पत्थर उत्खनन एवं इससे सम्बन्धित व्यावसायिक गतिविधियों को उद्योग का दर्जा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। क्योंकि जोधपुर पत्थर उत्खनन कार्य विनिर्माण की श्रेणी में नहीं आता है।

जोधपुर पत्थर के खनन उपरान्त होने वाली गतिविधियों हेतु एम एस एम ई डी एक्ट, 2006 के अन्तर्गत उद्यमियों से उद्यमियता ज्ञापन भाग-प्रथम व द्वितीय निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त होने पर अभिस्वीकृतियां जारी की जाती हैं।

चौहटन के गांवों में मीठे पेयजल की आपूर्ति

279. श्री तरुण राय कागा (चौहटन) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नर्मदा नहर पेयजल परियोजना के तहत चौहटन विधान सभा क्षेत्र में मीठा पानी पहुंचाने हेतु नर्मदा आधारित पेयजल योजना पैकेज 1 व 2 तथा गुढामालानी एवं चौहटन तहसील के 308 गांवों की पेयजल योजना की प्रशासनिक स्वीकृति 19 सितम्बर, 2013 को जारी की गई थी? यदि हां, तो उक्त स्वीकृति को निरस्त करने के क्या कारण हैं?

(2) सरकार उक्त योजना के स्थान पर उक्त गांवों को मीठा पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए क्या विकल्प रखती है और अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री तरुण राय कागा)

(3) क्या सरकार उक्त पेयजल योजनाओं में आवश्यक संशोधन कर पुन: स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) चौहटन विधान सभा क्षेत्र के किन-किन गांवों में फ्लोराइड/ लवणीय पानी है? क्या सरकार उक्त क्षेत्र की जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। विभाग की नीति निर्धारण समिति की 191वीं बैठक दिनांक 19.9.2013 द्वारा विधान सभा क्षेत्र चौहटन के 267 ग्रामों सहित जिला बाड़मेर के कुल 637 ग्रामों में नर्मदा नहर का स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिये तीन परियोजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नानुसार जारी की गई थी:-

(अ) नर्मदा नहर आधारित तहसील चौहटन के 119 ग्राम एवं गुढामलानी के 22 ग्रामों की जल प्रदाय परियोजना-पैकेज प्रथम;

(ब) नर्मदा नहर आधारित तहसील चौहटन के 188 ग्रामों की जल प्रदाय परियोजना-पैकेज द्वितीय; एवं

(स) नर्मदा नहर आधारित तहसील चौहटन एवं गुढामलानी के 308 ग्रामों की जल प्रदाय परियोजना ।

मंत्रिमण्डलीय समिति के आदेश डी02/मंमं समिति/2014 दिनांक 10.10.2014 द्वारा विगत सरकार के अन्तिम छह माह में स्वीकृत योजनाओं पर पुन: विचार के पश्चात्, 26 योजनाओं की स्वीकृति को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है एवं इन 26 योजनाओं में उक्त तीनों योजनाएं भी सम्मिलित हैं ।

(2) वर्ष 2013-14 में विधान सभा क्षेत्र चौहटन के 35 ग्रामों में मीठा पेयजल उपलब्ध कराने हेतु 47 आर.ओ. संयंत्र स्थापित करने की स्वीकृति जारी की गई। इस स्वीकृति के विरुद्ध 22 ग्रामों में 30 आर.ओ. संयंत्र स्थापित कर 27 आर.ओ. संयंत्र चालू कर दिये गये हैं एवं शेष का कार्य प्रगति पर है। सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) जी हां। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित होने के उपरान्त नर्मदा नहर आधारित उक्त योजनाओं की स्वीकृति पर निर्णय लिया जावेगा।

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

(4) समेकित प्रबंधन सूचना तंत्र (आई.एम.आई.एस.) की दिनांक 1 अप्रैल, 2014 की स्थिति के अनुसार विधान सभा क्षेत्र चौहटन के समस्त 347 ग्रामों के स्थानीय भू-जल में सैलिनिटी (लवणता) की समस्या है। पेयजल गुणवत्ता समस्या के तात्कालिक समाधान के अन्तर्गत उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्तानुसार आर.ओ. संयंत्र स्थापना/चालू करने की कार्यवाही की गई/जा रही है ।

परिशिष्ट 'अ'

वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा की अनुपालना में विधान सभा क्षेत्र चौहटन के ग्रामों हेतु स्वीकृत आर.ओ. संयंत्रों की वर्तमान प्रगति का प्रगति विवरण

क्र. सं.	तहसील	गांव का नाम	स्वीकृत आर.ओ. संयंत्र की संख्या	स्थापित आर.ओ. संयंत्र की संख्या	चालू आर.ओ. संयंत्र की संख्या
1	चौहटन	चौहटन	2	0	0
2	चौहटन	सणाऊ	2	0	0
3	चौहटन	राणीसर	1	0	0
4	चौहटन	ईशरोल	1	0	0
5	चौहटन	मिठडाऊ	2	2	2
6	चौहटन	गुमाने का तला	1	0	0
7	चौहटन	बूठ राठौड़ान	2	0	0
8	चौहटन	कोनरा	2	2	2
9	चौहटन	खारावाला	1	1	0
10	सेडवा	लीलसर	1	1	1
11	सेडवा	बाछड़ाऊ	1	1	1
12	सेडवा	बामणोर भंवरशाह	2	1	1
13	सेडवा	बिसारणियां	1	1	1
14	चौहटन	आलमसर	1	1	1
15	सेडवा	ईटादिया	1	0	0
16	सेडवा	ईटादा	2	2	2

क्र. सं.	तहसील	गांव का नाम	स्वीकृत आर.ओ. संयंत्र की संख्या	स्थापित आर.ओ. संयंत्र की संख्या	चालू आर.ओ. संयंत्र की संख्या
17	चौहटन	मीठे का तला	2	2	1
18	चौहटन	बींजासर	2	0	0
19	चौहटन	मियें का तला	1	0	0
20	चौहटन	सरूपे का तला	1	1	1
21	चौहटन	गौहड का तला	2	2	1
22	सेडवा	सैयद मौज अली का तला	1	1	1
23	सेडवा	बुरहान का तला	2	2	2
24	सेडवा	धनाऊ	2	2	2
25	सेडवा	सांवा	1	1	1
26	सेडवा	भूणियां	1	1	1
27	सेडवा	तालसर	1	1	1
28	सेडवा	भीलों का तला	1	1	1
29	सेडवा	बिसासर	1	1	1
30	सेडवा	सारला	1	1	1
31	सेडवा	सेड़वा	1	1	1
32	सेडवा	भंवार	1	1	1
33	सेडवा	सिंहानियां	1	0	0
34	चौहटन	पोकरासर	1	0	0
35	सेडवा	साता	1	0	0
		योग	**47**	**30**	**27 (22 गांवों में)**

जमवारामगढ़ में सड़क निर्माण पर व्यय राशि

280. श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में जनवरी 2014 से 31 जनवरी, 2015 तक सड़क निर्माण व मरम्मत के कौन-कौन से कार्य कहां-कहां और

(श्री जगदीश नारायण)

कितनी-कितनी राशि के स्वीकृत किये गये? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) स्वीकृत कार्यों में से कौन-कौन से कार्य पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त स्वीकृत कार्यों में से कौन-कौन से कार्य अपूर्ण हैं तथा अपूर्ण रहने के क्या कारण हैं? उक्त स्वीकृत कार्य अब कब तक पूर्ण कर दिये जायेंगे?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन जनवरी 2014 से 31 जनवरी, 2015 तक स्वीकृत किये गये सड़क निर्माण कार्यों का ग्रामवार विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है तथा मरम्मत कार्यों का विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(2) उक्त स्वीकृत कार्यों पर व्यय राशि का विवरण क्रमश: परिशिष्ट-1 व परिशिष्ट-2 पर अंकित है।

(3) उक्त कार्यों में अपूर्ण कार्यों का कारण सहित विवरण परिशिष्ट-1 पर अंकित है। इन कार्यों को निर्धारित तिथि तक पूर्ण कर लिया जाना प्रस्तावित है। परिशिष्ट-2 के सभी कार्य पूर्ण हैं।

परिशिष्ट-1

विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में जनवरी, 2014 से 31 जनवरी, 2015 तक स्वीकृत किये गये सड़क निर्माण कार्यों का ग्रामवार विवरण

क्र. सं.	योजना का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सड़क कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (रु. लाख)	व्यय राशि (रु. लाख)	कार्य की वर्तमान स्थिति (पूर्ण/ अपूर्ण)	यदि कार्य अपूर्ण है तो पूर्ण करने की निर्धारित तिथि	कार्य अपूर्ण रहने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	गौरव पथ	टोडामीणा	टोडामीणा बहलोड रोड 0/0 से 1/0	50.00	0.00	अपूर्ण	27.8.2015	कार्य प्रगतिरत
2	गौरव पथ	बोबाड़ी	बोबाड़ी से गोल सड़क 0/0 से 0/600 ताला बोबाड़ी से अजबपुरा 0/0 से 0/400	50.0	0.00	अपूर्ण	27.8.2015	कार्य प्रगतिरत
3	गौरव पथ	जयचन्द पुरा	ताला बोबाड़ी वाया गठवाड़ी रोड 2/250 से 2/250	50.00	0.00	अपूर्ण	27.8.2015	कार्य प्रगतिरत
4	गौरव पथ	बिलोद	ताला टोडा रोड से दताला 11/0 से 11/400 एवं 11/800 से 12/400	50.00	0.00	अपूर्ण	27.8.2015	कार्य प्रगतिरत

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	गौरव पथ	रूपवास	राहोरी रूपवास रोड 2/500 से 3/500	50.00	0.00	अपूर्ण	27.8.2015	कार्य प्रगतिरत
6	गौरव पथ	मानोता	नक्ची घाटी नायला रोड 12/400 से 13/400	50.00	0.00	अपूर्ण	27.8.2015	कार्य प्रगतिरत
7	गौरव पथ	खरखड़ा	नक्ची घाटी नायला रोड 4/500 से 5/500	50.00	0.00	अपूर्ण	27.8.2015	कार्य प्रगतिरत
8	गौरव पथ	मातासूला	मैन रोड से मातासूला 2/0 से 3/00	50.00	0.00	अपूर्ण	27.8.2015	कार्य प्रगतिरत
9	गौरव पथ	महंगी	रामगढ़ बांध से महंगी वाया रायसर 20/500 से 21/500	50.00	0.00	अपूर्ण	27.8.2015	कार्य प्रगतिरत
10	गौरव पथ	सानकोटड़ा	सम्पर्क सड़क भावनी 1/800 से 2/800	50.00	0.00	अपूर्ण	27.8.2015	कार्य प्रगतिरत
11	आरआई डीएफ-20	भौडियावाला	ए/आर चावडिया से भौडियावाला	70.00	0.00	अपूर्ण	-	निविदा प्रक्रियाधीन है।
12	आरआई डीएफ-20	फूटोलाव भोण्डा	एन.एच.-11 से आधी धूला वाया फूटोलाव भोण्डा	145.00	0.00	अपूर्ण	-	निविदा प्रक्रियाधीन है।
13	आरआई डीएफ-20	रायनावाला	थली से रायनावाला	87.50	0.00	अपूर्ण	-	निविदा प्रक्रियाधीन है।
			योग	**802.50**	**0.00**			

परिशिष्ट-2

विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में जनवरी 2014 से 31 जनवरी 2015 तक कराये गये पेच मरम्मत कार्यों का विवरण

क्र. सं.	योजना/मद का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (रु. लाखा)	व्यय राशि (रु. लाख)	कार्य की वर्तमान स्थिति पूर्ण/अपूर्ण
1	2	3	4	5	6
1	3054-साधारण मरम्मत	पेच रिपेयर एण्ड जनरल मेन्टिनेस केयूएम रोड उपखण्ड-उत्तर	9.49	10.11	पूर्ण
2	3054-साधारण मरम्मत	पेच रिपेयर एण्ड जनरल मेन्टिनेस वेरियस रूरल रोड उपखण्ड-उत्तर	9.55	10.03	पूर्ण
3	3054-साधारण मरम्मत	पेच रिपेयर एण्ड जनरल मेन्टिनेस उपखण्ड-जमवारामढ़	9.99	10.46	पूर्ण
4	3054-साधारण मरम्मत	पेच रिपेयर कार्य मेजर जिला सडक उपखण्ड-उत्तर	9.97	10.36	पूर्ण
5	3054-साधारण मरम्मत	पेच रिपेयर एण्ड जनरल मेन्टिनेस वेरियस रोड उपखण्ड-जमवारामगढ़	9.99	10.43	पूर्ण
6	3054-साधारण मरम्मत	पेच रिपेयर वर्क आन एस.एच.-55 जिला उपखण्ड–जमवारामगढ़	4.99	5.16	पूर्ण
7	3054-साधारण मरम्मत	पेच रिपेयर आन सा.नि.वि. जिला उपखण्ड-जमवामरागढ़	4.60	4.62	पूर्ण
8	3054-साधारण मरम्मत	पेच रिपेयर आन केयूएम जिला उपखण्ड-जमवारामगढ़	4.59	4.81	पूर्ण

1	2	3	4	5	6
9	3054-साधारण मरम्मत	पेच रिपेयर आन केयूएम जिला उपखण्ड-उत्तर	4.77	4.75	पूर्ण
10	3054-साधारण मरम्मत	पेच रिपेयर सा.नि.वि., जिला उपखण्ड-उत्तर	4.74	4.81	पूर्ण
11	3054-साधारण मरम्मत	पेच रिपेयर आन एस.एच.-55	4.40	3.41	पूर्ण
12	3054-साधारण मरम्मत	पेच रिपेयर आन केयूएम जिला उपखण्ड-उत्तर	4.35	3.82	पूर्ण
13	3054-साधारण मरम्मत	बाढ़ राहत कार्य उपखण्ड-उत्तर	1.98	0.85	पूर्ण
14	3054-साधारण मरम्मत	बाढ राहत कार्य उपखण्ड-जमवारामगढ़	1.98	1.97	पूर्ण
15	3054-साधारण मरम्मत	पेच रिपेयर आन केयूएम जिला उपखण्ड-जमवारामगढ़	4.96	4.96	पूर्ण
16	3054-साधारण मरम्मत	पेच रिपेयर आन मेन रोड से मातासूला	1.98	1.97	पूर्ण
17	3054-साधारण मरम्मत	पेच रिपेयर आन रायसर रोड से सामरेड कलां	1.99	1.98	पूर्ण
18	3054-साधारण मरम्मत	पेच रिपेयर आन एमडीआर दौसा से डागौता	3.98	3.77	पूर्ण
19	3054-साधारण मरम्मत	पेच रिपयेर ऑन एमडीआर नक्की घाटी से दौसा	3.97	3.94	पूर्ण
20	3054-साधारण मरम्मत	पेच रिपेयर आन नक्की घाटी से नायला	3.76	3.40	पूर्ण
21	3054-साधारण मरम्मत	पेच रिपेयर आन थली से नीमलां	3.97	3.95	पूर्ण
22	3054-साधारण मरम्मत	पेच रिपेयर आन एनएच-8 से निम्बी वाया भानपुर कलां	2.99	2.96	पूर्ण

1	2	3	4	5	6
23	3054-साधारण मरम्मत	पेच रिपेयर आन आंधी से सायपुर	2.97	0.40	पूर्ण
24	3054-साधारण मरम्मत	पेच रिपेयर ताला बोबाड़ी से बामनवास	2.98	2.98	पूर्ण
		योग	**118.94**	**115.92**	

भीम के पशु चिकित्सालयों में रिक्त पद

281. श्री हरिसिंह रावत (भीम) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र भीम में वर्तमान में कितने पशु चिकित्सालय संचालित हैं? उक्त पशु चिकित्सालयों में कितने चिकित्सक एवं पशुधन सहायक एवं अन्य कर्मचारी कार्यरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में सृजित पदानुसार कितने पद किस-किस चिकित्सालय में रिक्त हैं? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र भीम में 2 पशुधन आरोग्य चल इकाई, 6 प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय एवं 7 पशु चिकित्सालय संचालित हैं। उनमें कार्यरत कर्मियों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र भीम में संचालित पशु चिकित्सालयों में सृजित एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

जी हां । सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है। पशु चिकित्सा अधिकारियों के 350 पदों पर भर्ती की कार्यवाही राजस्थान लोक सेवा आयोग के स्तर से की जा रही है । अधीनस्थ सेवाओं के रिक्त पदों पर भर्ती के लिये राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड को अभ्यर्थना शीघ्र भिजवाई जायेगी । चयनित कार्मिकों की उपलब्धता अनुसार पशु चिकित्सा संस्थाओं में चल रहे रिक्त पदों को प्राथमिकता अनुसार भरा जायेगा।

परिशिष्ट-1

विधान सभा क्षेत्र भीम (राजसमन्द) में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण

क्र. सं.	नाम संस्था	वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी			पशु चिकित्सा अधिकारी			पशु चिकित्सा सहायक			पशुधन सहायक			पशुधन परिचर			जलधारी			गडरिया			सफाईकर्ता		
		स्वीकृत	रिक्त	कार्यरत	स्वीकृत	रिक्त	कार्यरत	स्वीकृत	रिक्त	कार्यरत	स्वीकृत	रिक्त	कार्यरत	स्वीकृत	रिक्त	कार्यरत	स्वीकृत	रिक्त	कार्यरत	स्वीकृत	रिक्त	कार्यरत	स्वीकृत	रिक्त	कार्यरत
1	प.आ.च.ई., देवगढ़	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
2	प्र.श्रे.प.चि. देवगढ़	1	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1
3	प.आ.च.ई., भीम	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
4	प्र.श्रे.प.चि. भीम	1	1	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1
5	प्र.श्रे.प.चि. लसानी	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-
6	प्र.श्रे.प.चि. बग्गड़	1	1	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
7	प्र.श्रे.प.चि. दिवेर	1	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1

क्र. सं.	नाम संस्था	वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी			पशु चिकित्सा अधिकारी			पशु चिकित्सा सहायक			पशुधन सहायक			पशुधन परिचर			जलधारी			गडरिया			सफाईकर्ता		
		स्वीकृत	रिक्त	कार्यरत	स्वीकृत	रिक्त	कार्यरत	स्वीकृत	रिक्त	कार्यरत	स्वीकृत	रिक्त	कार्यरत	स्वीकृत	रिक्त	कार्यरत	स्वीकृत	रिक्त	कार्यरत	स्वीकृत	रिक्त	कार्यरत	स्वीकृत	रिक्त	कार्यरत
8	प्र.श्रे.प.चि. लगेतखेड़ा	1	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
9	प.चि., कुवांथल	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-
10	प.चि. कालेसरिया	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
11	प.चि., कुंदवा	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
12	प.चि., बरार	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-
13	प.चि., पीपलीनगर	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
14	प.चि., छापली	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
15	प.चि., सारोठ	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-

जैसलमेर जिले में नवीन पंचायत समितियों का गठन

282. श्री छोटू सिंह (जैसलमेर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा पंचायत समितियों के पुनर्गठन में बाड़मेर, बीकानेर एवं जोधपुर में कितनी पंचायत समितियों का गठन किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जैसलमेर जिला राज्य का सबसे बड़ा जिला होते हुए भी उसमें नवीन पंचायत समितियों का गठन नहीं किया गया है? यदि हाँ, तो क्यों?

उत्तर

(1) सरकार द्वारा पंचायत समितियो के पुनर्गठन में बाड़मेर में 9, बीकानेर में 1 एवं जोधपुर में 6 पंचायत समितियों का गठन किया गया है, जिनका जिलेवार विवरण निम्नानुसार है-

क्र.स.	नाम जिला	नवगठित पंचायत समिति का नाम
1	बाड़मेर	1. रामसर 2. गिडा 3. पाटौदी 4. कल्याणपुर 5. धनाउ 6. सेड़वा 7. समदड़ी 8. गुढामालानी 9. गडरारोड
2	बीकानेर	1. पांचू
3	जोधपुर	1. शेखाला 2. देचू 3. तिवरी 4. बापिणी 5. लोहावट 6. पीपाड़ शहर

(पंचायती राज मंत्री)

(2) जी हां। पंचायत समितियों के पुनर्गठन हेतु निर्धारित किये गये मानदण्डों को पूर्ण नहीं किये जाने के कारण जैसलमेर जिले की किसी भी पंचायत समिति का पुनर्गठन कर नई पंचायत समिति का गठन नहीं किया गया है।

प्रदेश में राजस्व अधिकारियों के रिक्त पद

283. श्री हीरालाल नागर (सांगोद) : क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में राजस्व निरीक्षक, गिरदावर, अमीन व पटवारी के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं और उनमें से कितने-कितने पद रिक्त हैं? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र सांगोद में वर्तमान में राजस्व निरीक्षक, गिरदावर, अमीन और पटवारी के कितने-कितने पद कहां-कहां पर स्वीकृत हैं और उनमें से कितने-कितने पद कब से रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार उक्त रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में भू-अभिलेख निरीक्षक, पटवारी एवं अमीनों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार है :-

पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
भू-अभिलेख निरीक्षक	3965	2809	1156
पटवारी	12223	8256	3967
अमीन	860	463	397

सूची परिशिष्ट-अ एवं ब पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र सांगोद में वर्तमान में गिरदावर एवं पटवारी के रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

(राजस्व राज्य मंत्री)

भू-अभिलेख निरीक्षक

नाम तहसील	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
दीगोद	5	4	1
सांगोद	9	4	5
कनवास	7	4	3

पटवारी

नाम तहसील	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
दीगोद	20	14	6
सांगोद	28	20	8
कनवास	24	15	9

विधान सभा क्षेत्र सांगोद में अमीन का कोई पद स्वीकृत नहीं है।

सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) राज्य में प्रथम चरण में 1,400 पटवारियों के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु सीधी भर्ती पटवार प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जा रही है। शेष रिक्त पदों को भरे जाने हेतु सम्बन्धित विभागों को निर्देशित कर दिया गया है।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

मालपुरा में गौण मण्डी यार्ड की स्थापना

374. श्री कन्हैयालाल (मालपुरा) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार विधान सभा क्षेत्र मालपुरा की गौण मंडी टोडारायसिंह में सब्जी मण्डी यार्ड खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र की कृषि उपज मण्डी, मालपुरा के मण्डी क्षेत्र लाम्बा हरिसिंह में गौण मण्डी यार्ड स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। कृषि उपज मण्डी समिति, मालपुरा के अधीन टोडारायसिंह गौण मण्डी यार्ड घोषित है। गौण मण्डी टोडारायसिंह में फल सब्जी के कुल 7 अनुज्ञापत्रधारी व्यापारी हैं जिनमें से केवल 3 अनुज्ञापत्रधारी व्यापारी सक्रिय हैं। अत: पृथक फल सब्जी यार्ड का कोई औचित्य नहीं है।

(2) जी नहीं । नियमानुसार गौण मण्डी यार्ड घोषित करने के लिए 15 लाख रुपये प्रति वर्ष मण्डी शुल्क से आय के मानदण्ड निर्धारित हैं। लाम्बा हरिसिंह क्षेत्र से गत 5 वर्षों में मण्डी शुल्क की औसत आय 0.66 लाख रुपये प्रति वर्ष रही है। मण्डी शुल्क से आय निर्धारित मानदण्ड से कम होने के कारण अलग से गौण मण्डी यार्ड घोषित किया जाना सम्भव नहीं है।

बगरू में गौशालाओं हेतु भूमि का आबंटन

375. श्री कैलाश वर्मा (बगरू) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बगरू में कहां-कहां और कितनी-कितनी सरकारी भूमि पर गौशालाएं बनी हुई हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार गौ रक्षार्थ उक्त गौशालाओं को जे डी ए द्वारा यथा स्थान पर भूमि आबंटन कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बगरू में सरकारी भूमि पर संचालित गौशालाओं का विवरण निम्नानुसार है-

क्र. सं.	**गौशाला का नाम एवं पता**	**भूमि जिस पर गौशाला संचालित है**	**गौशाला द्वारा कब्जेशुदा क्षेत्रफल**
1	श्री रामदेव गौशाला, अठमेरिया, बगरू	खसरा नं. 4272 ग्राम बगरूकला, तहसील सांगानेर	2 हैक्टेयर
2	श्री नारायण धान गौशाला, अवानिया	खसरा नं. 41 ग्राम अवानियां, तहसील सांगानेर	12.37 हैक्टेयर
3	श्री राधागोविन्द गौशाला, दहमीकलां	खसरा नं. 769 ग्राम दहमीकलां, तहसील सांगानेर	07.5 हैक्टेयर
4	श्री राम गौशाला सांझरिया (ठीकरिया)	खसरा नं. 596 ग्राम सांझरिया, तहसील सांगानेर	1.76 हैक्टेयर
5	श्री कृष्ण गोपाल गौशाला, मोहनपुरा वाटिका	खसरा नं. 159 ग्राम मोहनपुरा	2.80 हैक्टेयर
6	श्री पंचमुखी दरबार श्री रामानन्दचार्य परमार्थिक गौशाला समिति, बणियावाली	खसरा नं. 608, 609 ग्राम हरगुण की नांगल, उर्फ चारणवाला	1.17 हैक्टेयर

(2) जी नहीं। वर्तमान में सरकारी भूमि पर संचालित उक्त गौशालाओं को जयपुर विकास प्राधिकरण स्तर से यथास्थान भूमि आबंटित की जानी प्रस्तावित नहीं है ।

प्रदेश में जीरा उत्पादकों के प्रोत्साहन हेतु विशेष सहायता

376. श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान प्रति हेक्टेयर जीरा उत्पादन में देश में पहले स्थान पर है? यदि हां, तो वर्तमान में राजस्थान में प्रति वर्ष कुल कितने हेक्टेयर में कितने हजार मिलियन टन जीरा उत्पादित हो रहा है व औसतन कितने किलोग्राम जीरा प्रति हेक्टेयर उत्पादित हो रहा है? देश में

(श्री जोगाराम पटेल)

दूसरे स्थान पर कौनसा प्रदेश है और उस प्रदेश में कितने किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जीरा उत्पादित हो रहा है?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जीरा उत्पादन करने वाले किसानों की सहायता एवं उन्हें विभिन्न प्रकार की जानकारी देने के लिए कृषि विभाग में कोई अलग से स्पेशल सेल बनाया गया है और उसमें विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध हैं?

(3) क्या यह सही है कि किसान अज्ञानता के कारण दुकानदार व डीलरों के कहने पर दवाइयों व कीटनाशकों का इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे जीरा उत्पादन कम हो रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी रोकथाम हेतु कोई विशेष कार्य योजना बनाकर किसानों की सहायता करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व किस प्रकार?

उत्तर

(1) जी नहीं। राजस्थान प्रति हेक्टेयर जीरा उत्पादन में देश में दूसरे स्थान पर है। वर्ष 2013-14 में 4.88 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जीरे की बुवाई की गई एवं 2.34 लाख मैट्रिक टन जीरे का उत्पादन हुआ। राजस्थान में वर्ष 2013-14 में जीरे की औसत पैदावार 478.34 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रही है। देश में गुजरात प्रति हेक्टेयर जीरा उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। वर्ष 2013-14 में गुजरात में जीरे की औसत पैदावार 756.75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रही है।

(2) जी नहीं। सरकार ने जीरा उत्पादन के सम्बन्धित किसानों की सहायता एवं उन्हें विभिन्न प्रकार की जानकारी देने के लिए कृषि विभाग/उद्यान विभाग में कोई अलग से स्पेशल सेल कायम नहीं किया है, किन्तु इन क्षेत्रों में कृषि/उद्यान विभाग के सहायक कृषि अधिकारी/कृषि पर्यवेक्षक कार्यरत हैं जो आवश्यकता पड़ने पर कृषकों को जीरे से सम्बन्धित समस्त जानकारियां देते है। किसान काल सेन्टर पर भी किसान जीरे में उन्नत तकनीकी एवं कीटव्याधि की जानकारी प्राप्त करते हैं। उद्यान विभाग द्वारा विभिन्न बागवानी फसलों पर समय-समय पर प्रशिक्षण भी आयोजित किये जाते हैं।

(3) किसान दुकानदारों एवं डीलरों के कहने पर दवाइयों/कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं एवं इससे जीरा उत्पादन में ह्रास हो रहा है, इसकी जानकारी विभाग के पास नहीं है।

प्रदेश में गोपालन विभाग द्वारा संचालित योजनाएं

377. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में गोपालन विभाग का गठन कब किया गया?

(2) उक्त विभाग द्वारा क्या-क्या योजनाएं संचालित की जाती हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 2014-15 में सरकार द्वारा क्या-क्या कार्य कब-कब और कहां-कहां पर कितनी-कितनी राशि के कराये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में दिनांक 13.3.2014 को गोपालन विभाग का गठन किया गया।

(2) गोपालन विभाग द्वारा संचालित की जा रही गतिविधियों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) वित्तीय वर्ष 2014-15 में गोपालन विभाग द्वारा सम्पादित कार्य का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

परिशिष्ट-1

गोपालन विभाग

विभाग बनने के बाद से अब तक किये गये कार्यों की सूचना मय राशि

क्र. सं.	कार्य का नाम	स्थान	माह	राशि रु. में
1	एक दिवसीय एक्सपोजर विजिट कार्यक्रम	राजस्थान गौ सेवा संघ दुर्गापुरा, जयपुर तथा श्री कन्हैया गौशाला पाल ग्राम जोधपुर	सितम्बर 2014	1,69,105
2	छह दिवसीय सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण	राजस्थान राज्य पशुधन प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान जामडोली, जयपुर	(1) दिसम्बर 2014, फरवरी 2015 (2) मार्च 2015 में प्रक्रियाधीन	7,62,500

क्र. सं.	कार्य का नाम	स्थान	माह	राशि रु. में
3	प्रदेश के 10 सर्वाधिक पंजीकृत गौशालाओं वाले जिलों में से आदर्श गौशालाओं को पुरस्कार वितरण	नागौर, जोधपुर, सीकर, पाली, चूरू, जयपुर, जालौर, हनुमानगढ़, जैसलमेर व बीकानेर जिलों की गौशालाएं	जनवरी 2015	1,10,000
4	पंचगव्य के संदर्भ में सेमीनार	आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	फरवरी 2015	90,000
			योग	**11,31,605**

सरकार द्वारा कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से सड़क निर्माण

378. श्री दर्शन सिंह (करौली) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा पूर्व में आर. आई. डी. एफ. योजना के अन्तर्गत कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से प्रदेश में सड़कों का निर्माण कराया गया था? यदि हां, तो कहां-कहां व कब-कब?

(2) क्या यह सही है कि उक्त सड़कों के निर्माण में व्यय हुई राशि सम्बन्धित मण्डी समितियों के नाम दर्ज कर दी गई है? यदि हां, तो किस-किस मण्डी समिति पर कितनी-कितनी? क्या उक्त के प्रस्ताव मण्डियों से मांगे गये थे? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त व्यय भार के कारण मण्डी समितियों की आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ने से ऋणात्मक स्थिति होने के कारण मण्डी समितियां क्षेत्र में विकास नहीं करवा पा रही हैं?

(4) क्या सरकार ऐसी मण्डी समितियों को उक्त व्यय भार से मुक्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां । सरकार द्वारा पूर्व में आर.आई.ड़ी.एफ. योजना के अन्तर्गत कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से राजस्थान राज्य में सड़कों का निर्माण कराया गया, जिनका विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) यह सही है कि उक्त सड़कों के निर्माण में व्यय हुई राशि आर.आई.ड़ी.एफ.-V एवं आर.आई.ड़ी.एफ.-XIII के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण की कुल लागत का क्रमश: 90 प्रतिशत व 80 प्रतिशत सम्बन्धित कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा वहन की गई है/ की जा रही है। आर.आई.ड़ी.एफ.-V एवं आर.आई.ड़ी.एफ.-XIII के अन्तर्गत सड़कों पर हुए व्यय का सम्बन्धित कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा वहन की जाने वाली राशि का विवरण क्रमश: परिशिष्ट 'ब' व परिशिष्ट 'स' पर उपलब्ध है ।

उक्त सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में राज्य सरकार के स्तर पर नीतिगत निर्णय लिया गया था।

(3) जी नहीं ।

(4) जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में कृषकों को नवाचार हेतु प्रोत्साहित करने की योजना

379. श्री पब्बाराम (फलौदी): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा प्रदेश में कृषकों को नवाचार हेतु प्रोत्साहन दिये जाने के लिए कौन-कौन सी योजनाएं कब से प्रारम्भ की गई हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या वर्ष 2009 से 2014 की अवधि में प्रदेश में नवाचार हेतु कृषकों को इनाम राशि वितरित की गई है? यदि हां, तो जोधपुर ज़िले में विधान सभा वार दी गई राशि का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त इनामी योजना को जारी रखने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार कृषकों को देय इनाम की राशि में वृद्धि करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से एवं कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय प्रवर्तित योजना, नेशनल मिशन आन एग्रीकल्चर एक्सटेशन एण्ड टेक्नोलोजी के सब-मिशन आन एग्रीकल्चर एक्सटेशन, आत्मा योजना के तहत वर्ष 2009-10 से प्रदेश के प्रगतिशील नवाचारी किसानों को प्रोत्साहन देने हेतु सम्मान स्वरूप नगद पुरस्कार राशि एवं प्रशस्ति पत्र देने की योजना शुरू की गई है। चयनित कृषक को पंचायत समिति स्तर पर 10,000 रु. जिला स्तर पर रु. 25,000 एवं राज्य स्तर पर रु. 50,000 प्रति कृषक पुरस्कार राशि एवं प्रशस्ति पत्र दिये जाने का प्रावधान है।

(2) जी हां,। जोधपुर जिले में वर्ष 2009-10 से 2012-13 तक नवाचारी कृषकों को वितरित की गई इनामी राशि का विवरण विधान सभा क्षेत्र एवं वर्ष वार परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। वर्ष 2013-14 की राशि का वितरण एवं वर्ष 2014-15 मे नवाचारी कृषकों का चयन प्रक्रियाधीन है।

(3) भारत सरकार द्वारा इस योजना के प्रावधानानुसार ही राज्य में नवाचारी कृषकों को इनाम देने की योजना जारी रखी जायेगी।

(4) जी नहीं। भारत सरकार द्वारा इस योजना में इनाम राशि बढाये जाने पर ही राज्य के नवाचारी कृषकों की इनाम राशि में बढ़ोतरी की जा सकेगी।

परिशिष्ट 'अ'

जोधपुर जिले में विधानसभावार एवं वर्षवार वितरित इनाम राशि की सूचना

क्र. सं.	विधान सभा क्षेत्र का नाम	वर्ष 2009-10 राशि (रु. में)	वर्ष 2010-11 राशि (रु. में)	वर्ष 2011-12 राशि (रु. में)	वर्ष 2012-13 राशि (रु. में)	वर्ष 2013-14 राशि (रु. में)
1	जोधपुर शहर	-	-	-	-	-
2	सूरसागर	10000	-	10000	-	10000
3	सरदारपुरा	-	25000	-	-	-
4	लूणी	35000	30000	45000	70000	20000
5	बिलाड़ा	30000	20000	35000	20000	45000
6	भोपालगढ़	45000	30000	20000	30000	35000
7	औसिया	10000	45000	30000	20000	40000
8	फलौदी	20000	40000	40000	40000	30000
9	शेरगढ़	20000	20000	20000	20000	20000
10	लोहावट	40000	20000	30000	30000	30000

कृषि विश्वविद्यालय कोटा में कार्मिकों का पदस्थापन

380. श्री हीरालाल नागर (सांगोद) : क्या तकनीकी शिक्षा [कृषि] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कोटा में सरकार द्वारा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? यदि हां, तो उक्त कृषि विश्वविद्यालय द्वारा अब तक क्या-क्या गतिविधियां संचालित की गई हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कोटा में सरकार द्वारा स्थापित कृषि विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये कार्मिक अपने मूल स्थान पर वापस चले गये हैं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। कृषि विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा संचालित गतिविधियों का विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं । विश्वविद्यालय में कुल सचिव (राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी) के अलावा कोई भी कार्मिक प्रतिनियुक्ति पर नहीं है।

जी नहीं । कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की जायेगी अपितु राज्य सरकार को कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए रुपये 50 करोड़ उपलब्ध कराये जायेंगे।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पाक सीमा से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार हेतु कातिन/बुनकर शैडों का निर्माण

381. श्री तरुण राय कागा (चौहटन) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पश्चिम राजस्थान के पाक सीमा से 50 कि.मी. की परिधि में सरकार द्वारा ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र स्थापित कर कातिन/बुनकर शैड निर्माण करवाकर खादी व ग्रामोद्योग योजना संचालित की गई थी?

(2) क्या यह भी सही है कि जिला बाड़मेर में 2 और जैसलमेर में 1 केन्द्र खोलकर कार्य प्रारम्भ करवाया गया था?

(श्री तरुण राय कागा)

(3) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने हेतु उक्त तीनों केन्द्रों को यथावत रख कर स्थानीय कार्मिकों को नियुक्त कर उक्त को पुन: चालू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, भारत सरकार के बाड़मेर कार्यालय के अधीन कताई-बुनाई कार्य करने हेतु पाक सीमा के समीप उत्पादन केन्द्र बैकुण्ठग्राम नाम से (झिनझिनियाली) व शास्त्रीग्राम (बाड़मेर) में कार्यरत है।

(2) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, भारत सरकार के अधीन है।

(3) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, भारत सरकार के अधीन है।

रीको औद्योगिक क्षेत्र, श्रीनगर (अजमेर) में व्यावसायिक भू-खण्डों का आबंटन

382. श्री रामनारायण (नसीराबाद) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के अन्तर्गत रीको औद्योगिक क्षेत्र श्रीनगर को व्यावसायिक भूखण्ड हेतु कितनी भूमि आबंटित की गई थी? उक्त में से कितनी भूमि पर व्यावसायिक भूखण्ड बनाये जायेंगे? आबंटित भूमि व व्यावसायिक भूखण्ड का साइजवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि रीको औद्योगिक क्षेत्र श्रीनगर को 258 बीघा भूमि आबंटित की गई थी? यदि हां, तो क्या आबंटित भूमि को अधिग्रहित कर लिया गया है? यदि हां, तो आबंटित भूमि में से कितनी भूमि को अधिग्रहित किया गया तथा कितनी भूमि अधिग्रहित नहीं की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि आबंटित भूमि पर किसी अन्य का कब्जा होने के कारण कुछ क्षेत्र को छोड़कर व्यावसायिक भूखण्ड आबंटित किये जा रहे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अतिक्रमण हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के अन्तर्गत रीको औद्योगिक क्षेत्र श्रीनगर के लिये कोई भी व्यावसायिक भूमि आबंटित नहीं की गई है। उक्त क्षेत्र में रीको द्वारा कोई व्यावसायिक भूखण्ड आबंटित नहीं किये गये हैं।

(उद्योग मंत्री)

(2) जी नहीं। रीको औद्योगिक क्षेत्र श्रीनगर के लिये 202.81 बीघा राजकीय भूमि आबंटित की गई है। इस समस्त भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया गया है।

(3) जी नहीं। रीको औद्योगिक क्षेत्र श्रीनगर में व्यावसायिक भूखण्ड हेतु किसी को भी भूमि आबंटित नहीं की गई है।

उक्त 202.81 बीघा आबंटित भूमि पर लगभग 893 वर्ग मीटर भूमि पर एक कमरा व चारदीवारी बनाकर पूर्व से ही अतिक्रमण है। इस अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की जा रही है।

जयपुर जिले में खेल एवं युवा केन्द्रों की स्थापना

383. डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) : क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार खेल प्रतिभाओं के विकास एवं प्रोत्साहन के लिए जिला स्तर एवं तहसील स्तर पर खेल एवं युवा केन्द्र स्थापित किये जाने की कार्य योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो योजना के प्रावधान सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार जयपुर जिले की किन-किन तहसीलों/संस्थानों पर खेल एवं युवा केन्द्र स्थापित कर उक्त केन्द्रों को जनता को कब तक समर्पित करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विराटनगर व पावटा कस्बों में खेल केन्द्र स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्ष 2007-08 में राजस्थान राज्य जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले पंचायत समिति मुख्यालयों पर ग्रामीण युवा केन्द्र की स्थापना की घोषणा की गई थी जिसे बाद में बंद कर दिया गया था । वर्ष 2014-15 की बजट घोषणा संख्या 167 के तहत इन ग्रामीण युवा केन्द्रों को पुन: प्रारम्भ किये जाने के साथ ही अन्य पंचायत समितियों में भी इन्हें चरणबद्ध रूप से प्रारम्भ किये जाने की घोषणा की गई है। योजना का विवरण पताका "क" पर संलग्न है।

(युवा मामले एवं खेल मंत्री)

(2) जी नहीं। वर्ष 2014-15 की बजट घोषणा संख्या 167 के तहत प्रथम चरण में जनजातिय ग्रामीण क्षेत्रों के 6 जिलों (उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाडा, प्रतापगढ़, सिरोही, बारां) की 25 पंचायत समितियों में ग्रामीण युवा केन्द्र पुन: संचालित किये जा रहे हैं जिसके लिए रुपये 125 लाख की राशि स्वीकृत की जा चुकी है। विभागीय प्राथमिकताओं एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर अन्य पंचायत समितियों में भी चरणबद्ध रूप से ग्रामीण युवा केन्द्र स्थापित किये जायेंगे ।

(3) वर्तमान में वर्ष 2014-15 की बजट घोषणा संख्या 167 के तहत प्रथम चरण में जनजातिय ग्रामीण क्षेत्रों के 6 जिलों (उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, बारां) की 25 पंचायत समितियों में ग्रामीण युवा केन्द्र पुन: संचालित किये जा रहे हैं जिसके लिए रुपये 125 लाख की राशि स्वीकृत की जा चुकी है। विभागीय प्राथमिकताओं एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर अन्य पंचायत समितियों में भी चरणबद्ध रूप से ग्रामीण युवा केन्द्र स्थापित किये जायेंगे ।

पताका ''क''

ग्रामीण युवा केन्द्र

वर्ष 2007-08 में राजस्थान राज्य जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले पंचायत समिति मुख्यालयों पर ग्रामीण युवा केन्द्र की स्थापना की घोषणा की गई थी जिसे बाद में बन्द कर दिया गया था। बजट घोषणा वर्ष 2014-15 में ग्रामीण युवा केन्द्रों को पुन: प्रारम्भ करने की घोषणा की गई है। योजना का विवरण निम्नानुसार है :-

विजन : जनजातीय ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों का व्यापक आधार बनाकर युवाओं के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव, आत्मविश्वास की भावना जागृत करने की परिकल्पना की गई है।

मिशन : प्रथम चरण में जनजातीय ग्रामीण क्षेत्रों के 6 जिलों की 25 पंचायत समितियों में जनजातीय युवाओं में खेलों की उत्कृष्टता का विकास करके आजीविका को सुनिश्चित करना ग्रामीण युवा केन्द्र एक नवीन पहल है।

लक्ष्य : एक ग्रामीण युवा केन्द्र में अग्रणी युवाओं का पंजीयन तथा जयादा से ज्यादा युवाओं को यूथ क्लबों एवं अन्य संस्थाओं के माध्यम से जोड़कर उनका विकास चरणबद्ध रूप से करना।

मुख्य उद्देश्य :-

''जनजाति ग्रामीण युवा केन्द्र'' में जनजाति क्षेत्रों के गांवों में खेलों को बढ़ावा देना।

ग्रामीण युवा केन्द्रों को खेल प्रतिभा खोज केन्द्र के रूप में विकसित करना।

केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित योजना की जानकारी देना।

प्रत्येक ग्राम पंचायत में वालीबाल, फुटबाल, तीरदांजी, हाकी खेलों की सामग्री उपलब्ध कराना।

खेल प्रशिक्षण देना।

ब्लाक स्तर एवं जिला स्तर पर खेल प्रतियोगिता आयोजित करना।

खेल प्रतिभाओं को खोज कर उनको उत्कृष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराना।

युवाओं का सर्वांगीण विकास के लिए प्रशिक्षण देना।

ग्रामीण युवा केन्द्र योजना का कार्य क्षेत्र :- प्रथम चरण

जिला का नाम	पंचायत समितियों की संख्या	पंचायत समिति का नाम
उदयपुर	9	कोटड़ा, झाडोल, गिर्वा के 81 गांव, लसाड़िया, सलूम्बर, सराडा, खेरवाड़ा, ऋषभदेव, गोगुन्दा के 52 गांव
बांसवाड़ा	5	कुशलगढ़, गढ़ी, बागीढोरा, घाटोल, बांसवाड़ा
डूंगरपुर	4	सीमलवाड़ा, सागवाड़ा, आसपुर, डूंगरपुर
प्रतापगढ़	4	प्रतापगढ़, अरनोद, धरियाबढ, पीपलखूंट
सिरोही	1	आबूरोड
बारां	2	शाहाबाद, किशनगंज
कुल	25	977 ग्राम पंचायतों में

पीपल्दा में ग्रामीण परिवहन बस सेवा के तहत बसों का संचालन

384. श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा) : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री विद्याशंकर नन्दवाना)

(1) ग्रामीण परिवहन बस सेवा योजना के तहत कोटा जिले को कितनी बसें आबंटित की गयी हैं एवं उक्त बसों का किस-किस मार्ग पर संचालन किया जा रहा है? मार्गवार बसों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र, पीपल्दा में ग्रामीण परिवहन बस सेवा के तहत किस-किस मार्ग पर बसों का संचालन किया जा रहा है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि ग्रामीण परिवहन बस सेवा के तहत उक्त विधान सभा क्षेत्र में पूर्व में संचालित बसों की संख्या में कटौती कर कतिपय मार्ग पर बसों का संचालन बंद किया गया है? यदि हां, तो किस-किस मार्ग पर एवं किन कारणों से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में बंद की गई बसों को पुन: चलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) ग्रामीण परिवहन बस सेवा योजना के तहत कोटा जिले को निगम की 12 मिडी बसें आबंटित की गई थीं। वर्तमान में इस योजना के अन्तर्गत कोटा आगार द्वारा निम्न दो मार्गों पर एक-एक मिडी बस का संचालन किया जा रहा है :-

1. कोटा-सूनेल-कोटा वाया दरा, ढाबादेह, मोडक, रामगंजमण्डी; एवं
2. कोटा-सांगोद-कोटा वाया भण्डाहेडा, चोमामालियान, रेल गांव।

(2) विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में वर्तमान में कोई ग्रामीण बस सेवा संचालित नहीं की जा रही है।

(3) जी हां। ग्रामीण परिवहन बस सेवा के तहत विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में पूर्व में संचालित चार ग्रामीण बसों के संचालन में कटौती कम यात्री भार प्राप्त होने के कारण की गई है । विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा सीमित संसाधनों के कारण विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में बंद की गई बसों को पुन: चलाने का विचार नहीं है।

परिशिष्ट-1

क्र. सं.	विधान सभा क्षेत्र	मार्ग का नाम	औसत आय प्रति कि.मी. (रु.)	औसत यात्री भार
1	पीपल्दा	कोटा से टाकरवाडा वाया सुल्तानपुर	8.43 रु. (जून 14 से सितम्बर 14)	35 प्रतिशत
2		कोटा से मदनपुरा वाया सुल्तानपुर	8.96 रु. (जून 14 से सितम्बर 14)	38 प्रतिशत
3		कोटा से निमोदा-चन्द्रावल वाया मानसगांव	8.61 रु. (जून 14 से सितम्बर 14)	36 प्रतिशत
4		कोटा से सहनावदा वाया सुल्तानपुर-ईटावा	12.20 रु. (जून 14 से सितम्बर 14)	51 प्रतिशत

खानपुर कस्बे में बस स्टैण्ड की स्थापना

385. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर) : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या वर्तमान में खानपुर कस्बे में बस स्टैण्ड स्थापित नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कस्बे में बस स्टैण्ड बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

खानपुर कस्बे में बस स्टैण्ड ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित है तथा उपयुक्त नहीं होने के कारण राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा संचालन नहीं किया जा रहा है। वर्तमान में निगम के सीमित संसाधनों को देखते हुए खानपुर कस्बे में नया बस स्टैण्ड बनाने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

लूणकरणसर पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों को एस.एफ.सी. व टी.एफ.सी. के तहत स्वीकृत धनराशि

386. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री मानिक चन्द सुराना)

(1) पंचायत समिति लूणकरणसर की ग्राम पंचायतों को एस.एफ.सी. व टी.एफ.सी. के तहत कितनी-कितनी धनराशि वित्तीय वर्ष 2013-14 में दी गई है? पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मदों से प्राप्त धनराशि के कितने उपयोगिता प्रमाण पत्र अब तक सरकार को प्राप्त होने बाकी हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सरकार द्वारा पंचायत समिति लूणकरणसर को वित्तीय वर्ष 2013-14 में तेरहवें वित्त आयोग (टी एफ सी), राज्य वित्त आयोग चतुर्थ (एस एफ सी) योजना अन्तर्गत निम्नानुसार राशि आबंटित की गई है :-

1. 13वें वित्त आयोग (टी एफ सी) रुपये 3,28,94,069/-

2. राज्य वित्त आयोग चतुर्थ (एस एफ सी) रुपये 5,58,57,419/-

ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त मदों के अन्तर्गत पंचायत समिति लूणकरणसर की ग्राम पंचायत सुई से एस.एफ.सी. योजनान्तर्गत राशि रु. 24,36,795/-एवं टी.एफ.सी. योजनान्तर्गत राशि रु. 2,50,911/-के तथा ग्राम पंचायत कांकड़ावाला से एस.एफ.सी. योजनान्तर्गत राशि रु. 31,98,225/-एवं टी.एफ.सी. योजनान्तर्गत राशि रु.18,73,952/-के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने शेष हैं।

परिशिष्ट 'अ'

					2013-14											
					SFC				TFC							
S. No.	**District**	**Panchayat Samiti**	**No. of GP**	**Gram Pacnchayat**	**SFC 1**	**SFC 2**	**SFC 3**	**Total**	**GBG1+ SP1**	**GBG2+S P2**	**TOTAL**	**GPGI**	**GPG2**	**GPG3**	**TOTAL**	**GRAND TOTAL**
1	BIKANER	LUNKARANSAR	1	AJEETMANA	232706	232706	465412	930825	292127	279751	571878	199380	191160	157647	548157	205859
2	BIKANER	LUNKARANSAR	2	BADERAN	260846	260846	521691	1043383	327452	313579	641031	223490	214241	176710	614441	2298855
3	BIKANER	LUNKARANSAR	3	BALADESAR	235450	235450	470900	941800	295572	283050	578622	201731	193383	159505	554619	2075041
4	BIKANER	LUNKARANSAR	4	BHEEKHNER A	128381	128381	256762	513524	161163	154335	315498	109995	105444	86972	202411	1131433
5	BIKANER	LUNKARANSAR	5	CHAK JOR	228942	228942	457883	915767	287401	275226	562627	196155	188038	155096	539289	2017383
6	BIKANER	LUNKARANSAR	6	DHANI PAN-DUSAR	247191	247191	494381	988763	310310	297164	607474	211760	203026	167459	582275	2178512
7	BIKANER	LUNKARANSAR	7	DHEERERAN STATION	472878	472878	945756	1891512	593626	568477	1162103	405157	38391	320351	1113899	4167514
8	BIKANER	LUNKARANSAR	8	GARAB DESAR	315529	315529	631057	1262115	366098	379317	775415	270342	259155	213755	743252	2780782
9	BIKANER	LUNKARANSAR	9	HANSERAN	382208	382208	764414	1528830	479803	459476	939279	327471	313920	258926	900317	3368425
10	BIKANER	LUNKARANSAR	10	JITPURA	511482	511482	1022963	2045927	642087	614885	1256972	438232	420098	246503	1204833	4507732
11	BIKANER	LUNKARANSAR	11	KALOO	569611	569611	1139220	2278442	715059	684766	1399825	488036	467841	385882	134159	5020026
12	BIKANER	LUNKARANSAR	12	KANKAR-WALA	547916	547916	1095831	2191663	387825	658685	1346510	469449	450022	371185	1290656	4828829
13	BIKANER	LUNKARANSAR	13	KAPOORISAR	359173	359173	718345	14636691	450887	431785	882672	307736	295001	243321	846058	3165421
14	BIKANER	LUNKARANSAR	14	KELAN	323505	323505	647009	1294019	406111	388906	795017	277175	265706	219158	762039	285107
15	BIKANER	LUNKARANSAR	15	KHARBARA	655815	655815	1311628	2623258	823275	788397	1611672	561895	538643	444281	1544819	5779749
16	BIKANER	LUNKARANSAR	16	KHEENYERA	214011	214011	428021	856043	268658	257276	525934	183362	175774	144981	504117	1886094
17	BIKANER	LUNKARANSAR	17	KHOKHA-RANA	236726	236726	473452	946904	297174	284584	581758	202825	194431	160370	557626	2086288
18	BIKANER	LUNKARANSAR	18	KUJTI	431722	431722	863444	1726888	541961	519001	1060962	369895	354588	292470	1016953	3804803
19	BIKANER	LUNKARANSAR	19	LUNKARAN-SAR	1635900	1635900	3271796	6543596	2053622	1966620	4020242	1401621	1343621	1108239	3853481	14417319
20	BIKANER	LUNKARANSAR	20	MAHA DEOWALI	380612	380612	761224	1522448	477801	457559	935360	326105	312610	257846	89561	3354369
21	BIKANER	LUNKARANSAR	21	MAHAJAN	456033	456033	912065	1824131	572480	548227	1120707	390724	374556	308939	1074219	4019057

2013-14																	
					SFC				TFC								
S. No.	District	Panchayat Samiti	No. of GP	Gram Pacnchayat	SFC 1	SFC 2	SFC 3	Total	GBG1+SP1	GBG2+SP2	TOTAL	GPGI	GPG2	GPG3	TOTAL	GRAND TOTAL
22	BIKANER	LUNKARANSAR	22	MAKSASAR	254062	254062	508163	1016327	318961	305448	624409	217695	208686	172128	598509	223245
23	BIKANER	LUNKARANSAR	23	NATHWANA	396373	396373	792745	1585491	497586	476505	974091	339608	325555	268522	933685	3493267
24	BIKANER	LUNKARANSAR	24	PEEPERA	390247	390247	780494	1560988	489896	469141	959037	334360	320524	264373	919257	3436285
25	BIKANER	LUNKARANSAR	25	RAJASAR/ KARNISAR	231430	231430	462860	925720	290525	278217	568742	198287	190082	15782	545151	2039613
26	BIKANER	LUNKARANSAR	26	RAJASAR BHATIYAN	267737	267737	535473	1070947	336103	321864	657967	229394	219901	181378	630673	2359587
27	BIKANER	LUNKARANSAR	27	RAMBAGH	446334	446334	892668	1785336	560304	536567	1096871	382414	266590	302369	1051373	3933580
28	BIKANER	LUNKARANSAR	28	RANER DHAMOLAI	453162	453162	906322	1812646	568875	544775	1113650	388264	372197	306994	1067455	3993751
29	BIKANER	LUNKARANSAR	29	RAWANSAR	311892	311892	623783	1247567	391532	374948	766477	267225	256167	211291	734683	2748728
30	BIKANER	LUNKARANSAR	30	ROJHAN	509568	509568	1019134	2038270	639684	612584	1252268	436592	418526	345206	1200324	4490862
31	BIKANER	LUNKARANSAR	31	SANSARDE-SAR	342711	342711	685421	1370843	430221	411995	842216	293631	281480	232169	807280	3020339
32	BIKANER	LUNKARANSAR	32	SHEKHSAR	371360	371360	742720	1485440	466186	446436	912622	318178	305011	251578	874767	3272829
33	BIKANER	LUNKARANSAR	33	SHERPURA	280115	280115	560230	1120460	351642	336745	688387	240000	230068	189764	659832	2468679
34	BIKANER	LUNKARANSAR	34	SODHWALI	272586	272586	545172	1090344	342190	327693	669883	233549	223884	184663	642096	2402323
35	BIKANER	LUNKARANSAR	35	SUIN	286879	286879	573758	1147516	360133	344876	705009	245759	235624	194346	675765	2528290
36	BIKANER	LUNKARANSAR	36	TAKHAT-PURA	323249	323249	646498	1292996	405790	388599	794389	276957	265624	218985	761438	2848823
				TOTAL	**13964362**	**13964362**	**27928695**	**55857419**	**27530120**	**16787456**	**34317576**	11964515	**11469410**	**9460144**	32894069	**123069064**

प्रदेश के विश्राम गृहों में कर्मचारियों के रिक्त पद

387. श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अजमेर जिले की रेलवे लाइनों व नेशनल हाई-वे पर कितने ओवरब्रिज, पुलिया व अंडरपास निर्माणाधीन हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में कुल कितने विश्राम गृह निर्माणाधीन हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश के विश्राम गृहों में कितने कर्मचारियों के पद सृजित हैं उनमें से कितने रिक्त हैं व रिक्त पदों को भरने की सरकार की क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अजमेर जिले रेलवे लाइनों व नेशनल हाइवे पर निर्माणाधीन ओवरब्रिज, पुलिया व अण्डरपास निम्नानुसार हैं:-

1. सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन नेशनल हाईवे:-

(अ) नेशनल हाइवे 79 (अजमेर नसीराबाद सड़क कि.मी. 0/0 से 14/0) :- 6 पुलियाओं का चौड़ाईकरण का कार्य प्रगतिरत है।

अजमेर जिले में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा रेलवे लाइन पर किसी भी ओवरब्रिज या पुलिया व अण्डरपास का कार्य निर्माणाधीन नहीं है।

2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधीन राष्ट्रीय राजमार्ग:-

भा.रा.रा.प्रा. से प्राप्त जबाव के अनुसार, 'अजमेर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-8 किशनगढ़-अजमेर-ब्यावर खण्ड में रेलवे लाइन पर एक आर.ओ.बी. चैनेज संख्या 38+065 पर एवं एक अण्डरपास (VUP) चैनेज संख्या 92+070 पर निर्माणाधीन है।' भा.रा.रा.प्रा. से प्राप्त उत्तर की प्रति परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) प्रदेश में कुल 6 विश्रा गृह निर्माणाधीन हैं। निर्माणाधीन विश्राम गृहों की सूची परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(3) प्रदेश के विश्रामगृहों में 87 कर्मचारियों के पद सृजित हैं, जिनमें से 31 पद रिक्त हैं, जिसका विवरण परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है। रिक्त पदों को भरा जाना सरकार के उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

परिशिष्ट-1

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
1	अजमेर जिले के रेलवे लाइनों व नेशनल हाइवे पर कितने ओवरब्रिज, पुलिया व अण्डरपास निर्माणधीन है? विवरण सदन की मेज पर रखें।	अजमेर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 किशनगढ़-अजमेर-ब्यावर खण्ड में रेलवे लाइन पर एक आरओबी चैनज संख्या 38-065 पर एवं एक अण्डर पासर (VUP) चेनैज संख्या 92+070 पर निर्माणाधीन है।

परिशिष्ट-2

निर्माणाधीन विश्राम गृहों की सूची

क्र. सं.	सम्भाग का नाम	जिले का नाम	डाकबंगला का स्थान	विशेष विवरण
1	अजमेर	अजमेर	पुष्कर	निर्माणाधीन
2	अजमेर	नागौर	डीडवाना	पुराने डाकबंगले का विस्तार किया जा रहा है।
3	भरतपुर	सवाई माधोपुर	बामनवास	कार्य शुरू होना है।
4	भरतपुर	धौलपुर	बाडी	निर्माणाधीन
5	कोटा	कोटा	सांगोद	निर्माण अंतिम चरण में है।
6	कोटा	कोटा	दीगोद	निर्माण अंतिम चरण में है।

परिशिष्ट-3

विश्राम गृहों में कर्मचारियों के सृजित पद एवं रिक्त पदों की सूची

क्र.सं.	जिले का नाम	सृजित पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1	जयपुर	29	9
2	झुन्झुनूं	3	2
3	सीकर	2	2
4	अलवर	2	2
5	बीकानेर	3	1
6	हनुमानगढ़	2	0
7	चूरू	2	1
8	सवाई माधोपुर	4	3

क्र.सं.	जिले का नाम	सृजित पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
9	भरतपुर	2	1
10	अजमेर	12	5
11	टोंक	3	0
12	जोधपुर	5	0
13	पाली	3	2
14	जालोर	3	1
15	सिरोही	1	0
16	जैसलमेर	3	0
17	बांसवाड़ा	6	2
18	डूंगरपुर	2	0
	कुल योग	**87**	**31**

नगर की पंचायतों में 'निर्मल भारत' अभियान के तहत शौचालय निर्माण

388. श्रीमती अनीता (नगर) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार ने ग्राम पंचायतों में साप्ताहिक सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु एस.एफ.सी. से जाब मेकर पर कर्मचारी रखे जाने के निर्देश दिये गये हैं? यदि हां, तो अब तक कितनी पंचायतों में इस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित कर दी गई है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों में रोशनी हेतु ग्राण्ट-इन-एक्ड के तहत प्राप्त राशि से रोशनी व्यवस्था सुनिश्चित कर दी गई है? यदि हां, तो किन-किन ग्राम पंचायतों में एस.एफ.सी., टी.एफ.सी. व निर्बन्ध कोष से कितना-कितना व्यय रोशनी पर किया गया है? भरतपुर जिले की पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत सीकरी में सफाई कर्मचारी नियुक्त हैं? यदि हां, तो कितने व सरकार द्वारा उनको कितना वेतन दिया जाता है?

(4) विधान सभा क्षेत्र नगर की पंचायतों में गत एक वर्ष में 'निर्मल भारत' अभियान के तहत कितने शौचालयों के निर्माण की राशि आबंटित की गई? पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। सरकार ने ग्राम पंचायतों में साप्ताहिक सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु एस.एफ.सी. से कार्मिक जाब मेकर पर कर्मचारी रखे जाने के निर्देश प्रदान नहीं किये है।

(2) ग्रान्ट-इन-एड के तहत एस.एफ.सी., टी.एफ.सी. व निर्बन्ध राशि योजनाओं के तहत प्राप्त राशि से ग्राम पंचायतों में रोशनी व्यवस्था हेतु योजना के दिशा-निर्देशों में प्रावधान किया गया है। भरतपुर जिले में एस.एफ.सी, टी.एफ.सी व निर्बन्ध कोष से रोशनी पर किये गये व्यय का पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न हैं।

(3) जी हां। ग्राम पंचायत सिकरी में 12 सफाई कर्मचारी नियुक्त हैं। उनको रु. 525 रु. राज्य सरकार द्वारा चुंगी क्षतिपूर्ति से एवं रु. 525 ग्राम पंचायत की निजी आय से प्रति माह प्रति व्यक्ति मानदेय दिया जाता है।

(4) विधान सभा क्षेत्र नगर की पंचायतों मे गत एक वर्ष में 'निर्मल भारत' अभियान के तहत शौचालयों के निर्माण हेतु आबंटित राशि एवं निर्मित किये गये शौचालयों का पंचायतवार, संख्यावार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में निजी यात्री बसों द्वारा भारी सामान ढोने पर प्रतिबंध

389. श्री बंशीधर (खण्डेला) : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के विभिन्न मार्गों पर प्राइवेट बसों का संचालन किया जाता है?

(2) उक्त प्राइवेट बसों को परमिट यात्री भार का दिया जाता है अथवा सामान का? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त प्राइवेट बसों की छतों पर सामान ले जाने के प्रकरण सामने आये हैं? यदि हां, तो कब?

(4) क्या सरकार यात्री बसों की छतों पर भारी मात्रा में सामान ढोने पर सख्ती से प्रतिबंध लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) मोटर यान अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत यात्री बसों को यात्री परिवहन हेतु अनुज्ञापत्र जारी किया जाता है। इसके अतिरिक्त यात्री बसों मे उचित मात्रा में सामान ले जाने के लिए भी, पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की शर्त के साथ नियमों में प्रावधान किये गये हैं जिसके अनुसार सामान की एक निश्चित मात्रा नि:शुल्क एवं शेष सशुल्क ले जाने के प्रावधान उपलब्ध हैं। उक्त प्रावधानों से सम्बन्धित राजस्थान मोटर यान नियम 1990 के नियम 5.21, 5.24 एवं 5.25 की छायाप्रतियां परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) जी हां। नियमों में उपलब्ध प्रावधानों के विपरीत प्राइवेट बसों की छतों पर अतिरिक्त सामान ले जाने के प्रकरण भी पाये जाते है जिन पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। गत 3 वर्षों में की गई कार्यवाही का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	**वर्ष**	**बनाये गये चालानों की संख्या**
1	2012-13	960
2	2013-14	932
3	2014-15	1,201
कुल योग		**3,093**

(4) जी हां। बसों की छतों पर नियमों के विपरीत सामान ले जाने की प्रवृति पर अंकुश लगाने हेतु विभाग द्वारा आदेश जारी किये गये हैं जिनकी अनुपालना में नियमित रूप से तथा समय-समय पर विशेष अभियान चलाकर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। आदेशों की छायाप्रतियां परिशिष्ट-2 पर संलग्न हैं।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत निर्मित सड़कों की गुणवत्ता जांच

390. श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कोटपूतली विधान सभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में कितनी सड़कें स्वीकृत हुई व कितनी सड़कों पर वर्तमान में कार्य चालू है?

(श्री राजेन्द्र सिंह यादव)

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त सड़कों की गुणवत्ता की जांच की गई? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) कोटपूतली विधान सभा क्षेत्र में प्रारम्भ से (वर्ष 2000) वर्तमान (वर्ष 2015) तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 80 सड़कों के कार्य स्वीकृत हुए हैं, जिनमें से 41 कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं तथा 37 कार्य चालू हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सड़क कार्यों की गुणवत्ता की समय-समय पर नियमानुसार त्रिस्तरीय जांच की जाती है। क्षेत्र में चल रहे सड़क कार्यों की विभिन्न स्तर पर की गई जांच का विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बारां जिले में मनरेगा के कार्यों का बकाया भुगतान

391. श्री ललित कुमार (किशनगंज) : क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नरेगा कार्य का भुगतान 15 दिनों में करने का नियमों में प्रावधान है? यदि हां, तो वर्तमान वित्तीय वर्ष में बारां जिले में किस-किस कार्य का भुगतान अब तक नहीं हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि नरेगा के नियमों में समय पर भुगतान नहीं होने पर सम्बन्धित अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया गया है एवं उसे दण्डित करने का प्रावधान है? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत भुगतान की एक सतत प्रक्रिया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में बारां जिले की समस्त ग्राम पंचायतों के कार्यों का भुगतान किया जा चुका है।

(2) जी हां। प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रदेश में 20 हजार से अधिक आबादी की पंचायतों का पुनर्गठन

392. श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में नवीन पंचायतों के पुनर्गठन के उपरांत भी कई ऐसी पंचायतें पुनर्गठित होने से रह गई हैं, जिनकी आबादी 20 हजार से भी अधिक है? यदि हां, तो ऐसी पंचायतों की जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार अब उक्त पंचायतों का पुनर्गठन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। ऐसी पंचायतों की जिलेवार सूची परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। अब राज्य सरकार की पंचायती राज संस्थाओं के पुर्नगठन की कोई योजना नहीं है।

20 हजार से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों की जिलेवार सूची

क्र.सं.	जिले का नाम	पंचायत समिति का नाम	20 हजार से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायत का नाम
1	अलवर	1. बानसूर	1. बानसूर
2	बाड़मेर	1. सिवाना	1. सिवाना
3	बीकानेर	1. बीकानेर 2. लूणकरणसर	1. नापासर 2. लूणकरणसर
4	दौसा	1. बांदीकुई 2. महवा	1. बसवा 2. महवा
5	धौलपुर	1. बसेडी	1. सरमथुरा
6	जयपुर	1. गोविन्दगढ़ 2. बस्सी	1. खेजरोली 2. बस्सी
7	कोटा	1. खैराबाद	1. सुकेत
8	नागौर	1. नागौर 2. मकराना	1. बासनी बेलिमा 2. बोरावड

जयपुर शहर में दूषित पेयजल सप्लाई के दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

393. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर के कतिपय इलाकों में नवम्बर, 2014 से जनवरी, 2015 के मध्य सप्लाई किये गये पेयजल के नमूने लिये गये हैं? यदि हां, तो किन-किन इलाकों में किस-किसके घर से कब-कब एवं उन्हें किस प्रयोगशाला में कब जांच हेतु भेजा गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जांच हेतु भेजे गये पेयजल के सैंपलों की जांच रिपोर्ट कब-कब प्राप्त हुई? जांच रिपोर्ट की प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जांच रिपोर्ट में पेयजल में बैक्टीरिया एवं क्लोरीन की मात्रा निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई? यदि हां, तो क्यों, एवं इसके लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार दूषित पेयजल सप्लाई किये जाने के दोषी अधिकारियों को निलम्बित कर कठोर कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार द्वारा भविष्य में दूषित पानी की सप्लाई नहीं हो, इसके लिए कोई कारगर योजना बनाई गई है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां । जयपुर शहर में माह नवम्बर, 2014 से जनवरी, 2015 के मध्य विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के दौरान 975 पेयजल के नमूने लिये गये। इन नमूनों का रासायनिक एवं जीवाणु परीक्षण विभाग की गांधी नगर, जयपुर स्थित केन्द्रीय प्रयोगशाला में किया गया। जयपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों से पेयजल आपूर्ति के दौरान लिये गये पेयजल नमूने एवं इनके परीक्षण के सम्बन्ध में वांछित पूर्ण विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्तानुसार परीक्षण हेतु लिये गये पेयजल नमूनों की प्राप्त जांच रिपोर्ट की प्रतियां परिशिष्ट-अ पर संलग्न हैं।

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

(3) जी नहीं । उक्त वर्णित अवधि में जयपुर शहर में पेयजल आपूर्ति के दौरान उक्तानुसार लिये गये 975 पेयजल नमूनों का जीवाणु परीक्षण किया गया तथा समस्त नमूने इस परीक्षण में सफल रहे हैं । साथ ही, इन नमूनों की जांच में अवशेष, मुक्त क्लोरीन की मात्रा निर्धारित मानक (आई.एस.:10500, 1992 के अनुसार वांछित 0.2) के अनुरूप पाई गई । परिशिष्ट-अ पर संलग्न पेयजल नमूनों की जांच रिपोर्ट से यह स्पष्ट है ।

(4) जी नहीं। उक्त वर्णित अवधि में जयपुर शहर में पेयजल आपूर्ति के दौरान उक्तानुसार लिये गये 975 पेयजल नमूनों में से 938 पेयजल नमूनों का रासायनिक परीक्षण एवं 975 पेयजल नमूनों का जीवाणु परीक्षण किया गया तथा समस्त नमूने रासायनिक एवं जीवाणु परीक्षण में सफल रहे हैं। परिशिष्ट-अ पर संलग्न पेयजल नमूनों की रासायनिक एवं जीवाणु परीक्षण जांच रिपोर्ट से यह स्पष्ट है। अत: कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

(5) जयपुर शहर में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये विभाग द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की गई है:-

(अ) माह नवम्बर, 2014 से जनवरी, 2015 के मध्य शहर के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न साइज एवं प्रकार की 12,708 मीटर पुरानी/जर्जर पाइप लाइनों को बदला गया । सूची परिशिष्ट-क पर संलग्न है ।

(ब) वित्तीय वर्ष 2014-15 में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न साइज एवं प्रकार की 10,630 मीटर पुरानी/जर्जर पाइप लाइनों को बदलने के कार्य हेतु आवश्यकतानुसार 6 योजनाएं कुल राशि रुपये 309.20 लाख की स्वीकृत की गई हैं । इनमें से 5 योजनाओं का कार्य प्रगति पर है एवं एक योजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ करने हेतु निविदा सम्बन्धी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । सूची परिशिष्ट-ख पर संलग्न है ।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

बस्सी के बीसलपुर योजना से जोड़े जाने वाले गांव

394. श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी के कितने ग्रामों को बीसलपुर योजना से जोड़ा जा चुका है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती अंजू देवी धानका)

(2) उक्त क्षेत्र के जिन गांवों को बीसलपुर योजना से नहीं जोड़ा गया है, सरकार उन्हें अब कब तक उक्त योजना से जोड़ने का विचार रखती है?

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में बीसलपुर बांध से वर्तमान में कितने दिनों में पेयजल आपूर्ति की जा रही है? क्या सरकार प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से?

(4) वर्तमान में सरकार द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र के लिये पेयजल आपूर्ति की क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है?

उत्तर

(1) सतही जल स्रोत बीसलपुर बांध से स्वीकृत एवं प्रगतिरत दो वृहद् पेयजल परियोजनाओं से विधान सभा क्षेत्र बस्सी के किसी भी ग्राम को जोड़ा नहीं गया है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बस्सी के समस्त ग्रामों को सतही जल स्रोत बीसलपुर बांध से लाभान्वित करने हेतु 2 वृहद् पेयजल परियोजनाओं (अ) बीसलपुर-दूदू-बस्सी (तहसील बस्सी के कुल 210 ग्राम) तथा (ब) बीसलपुर-दूदू-चाकसू (तहसील चाकसू के 267 एवं फागी के 8 ग्राम) हेतु क्रमश: राशि रुपये 299.55 करोड़ एवं 254.45 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 30.5.2013 को जारी की गई थी। बीसलपुर-दूदू-बस्सी तथा बीसलपुर-दूदू-चाकसू वृहद् पेयजल परियोजनाओं का क्रियान्वयन प्रारम्भ करने हेतु कार्यादेश क्रमश: राशि रुपये 284.81 करोड़, दिनांक 18.9.2013 तथा राशि रुपये 234.96 करोड़, दिनांक 13.8.2013 को जारी किया गया। बीसलपुर-दूदू-बस्सी तथा बीसलपुर-दूदू-चाकसू की प्रगतिरत वृहद् पेयजल परियोजनाओं से विधान सभा क्षेत्र बस्सी के ग्रामों को कार्यादेश अनुसार 27.3.2016 एवं 22.2.2016 तक जोड़कर लाभान्वित करना लक्षित है।

(3) उपरोक्तानुसार।

(4) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में कुल सम्मिलित 237 ग्राम विभिन्न पेयजल योजनाओं से वर्तमान में लाभान्वित हैं। इन ग्रामों में वर्तमान पेयजल आपूर्ति का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

शेरगढ़ में शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु आर.ओ. संयंत्र लगाने की योजना

395. श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बजट घोषणानुसार सरकार द्वारा गुणवत्ता प्रभावित पेयजल समस्या वाले गांव/ढाणियों में आर.ओ. संयंत्र लगाये जाने प्रस्तावित थे? यदि हां, तो कितने आर.ओ. प्लॉन्ट कहां-कहां लगाये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त घोषणा अनुसार विधान सभा क्षेत्र शेरगढ में गुणवत्ता प्रभावित पेयजल समस्या वाले गांव/ढाणियों में कितने आर.ओ. संयंत्र लगाये गये एवं कितने प्रस्तावित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में गुणवत्ता प्रभावित पेयजल समस्या वाले गांव/ढाणियों को मध्यनजर रखते हुए और अधिक आर. ओ. अथवा अन्य संयंत्र लगाकर उन्हें शुद्ध तथा अच्छी गुणवत्ता का पेयजल उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा अन्तर्गत प्रदेश के पेयजल गुणवत्ता प्रभावित हैबिटेशन्स में फीजिबिलिटी के अनुसार 1,000 आर.ओ. संयंत्र लगाये जाने थे । इस घोषणा की अनुपालना में प्रदेश के 15 जिलों में अब तक 698 आर.ओ. संयंत्र स्थापित किये गये हैं एवं शेष कार्य प्रगति पर हैं। जिलेवार स्थापित किये गये आर.ओ. संयंत्रों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा अनुसार विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के पेयजल गुणवत्ता प्रभावित वाले 5 ग्रामों में आर.ओ. संयंत्र लगाये गये हैं, जो वर्तमान में चालू हैं। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2014-15 की बजट घोषणा के अनुसार उक्त विधान सभा क्षेत्र के पेयजल गुणवत्ता प्रभावित वाले 22 ग्रामों हेतु आर.ओ. संयंत्र स्वीकृत हैं। वांछित सूची क्रमश: परिशिष्ट-ब व स पर संलग्न है।

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

(3) वर्ष 2014-15 की बजट घोषणा के अनुसार विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के पेयजल गुणवत्ता प्रभावित वाले 22 ग्रामों हेतु स्वीकृत आर.ओ. संयंत्रों को स्थापित करने का कार्य उक्तानुसार वित्तीय वर्ष 2015-16 के लक्ष्यों में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है । इसके अतिरिक्त शेष पात्र ग्राम/ढाणियों में तकनीकी संभाव्यता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार स्वीकृति पर विचार किया जायेगा ।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

बनास नदी क्षेत्र में अवैध बजरी दोहन पर रोक

396. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि बनास नदी से बजरी दोहन से क्षेत्र में जल स्तर काफी प्रभावित हुआ है? यदि हां, तो क्या सरकार अवैध बजरी दोहन व गिरते जल स्तर को रोकने हेतु कोई विशेष कार्य योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व किस प्रकार, व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। जिला टोंक से गुजरने वाली बनास नदी में बजरी दोहन से क्षेत्र का जल स्तर प्रभावित हुआ है । "स्टेटस आफ रिवर्स सेण्ड माइनिंग विज-ए-विज प्रोब्लम आफ वाटर सोर्सेज एण्ड एन्वायरनमेंट इन पार्टस ऑफ बनास रिवर फ्राम विलेज लहन टू महागांव (नई पुलिया) अराउण्ड टोंक, मई 2013" की रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्र में लगातार बजरी खनन से नदी में एल्यूवियम की मोटाई कम हुई है । इससे भू-जल का पुनर्भरण तथा क्षेत्र के कुओं एवं नलकूपों की भू-जल निकास क्षमता प्रभावित हुई है । रिपोर्ट के सन्दर्भित अंश की प्रति 'परिशिष्ट अ' पर संलग्न है ।

बजरी खनन के कार्यानुमति के क्षेत्रों में 3 मीटर/जल स्तर, जो भी कम हो, तक खनन किया जाता है। जिला कलक्टर, टोंक के आदेश से संयुक्त दलों का गठन किया गया है जिनके द्वारा क्षेत्र में समय-समय पर कार्यवाही की जाकर अवैध बजरी खनन पर अंकुश लगाया जाता है । तहसील टोंक के राजस्व ग्राम लहन, वजीरपुरा, बिछारस, सईदाबाद, सरवराबाद, मेहगांव, टोंक कस्बों में पड़ने वाली बनास नदी में जलदाय विभाग के कुओं तथा सेफटी जोन का कुल क्षेत्रफल 1,143.89 हैक्टेयर बजरी खनन से प्रतिबंधित किया हुआ है।

(भू-जल मंत्री)

इस प्रतिबंधित क्षेत्र में बजरी का खनन नहीं हो पाये, इसकी रोकथाम हेतु जिला कलक्टर, टोंक के आदेश दिनांक 1.1.2014 से ग्राम मोलाईपुरा बनास नदी में चैकपोस्ट कायम की गई है ।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

चित्तौड़गढ़ जिले में डी-फ्लोरिडेशन यूनिट की स्थापना

397. श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में चित्तौड़गढ़ में शहरी एवं ग्रामीण स्तर पर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु पेयजल की जांच करवायी गई है? यदि हां, तो कब-कब एवं किस संस्था द्वारा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जांच में कहां-कहां कितनी मात्रा में फ्लोराइड की मात्रा पायी गयी एवं इसके निदान हेतु सरकार द्वारा क्या-क्या प्रयास किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इस हेतु गत पांच वर्षों में राज्य सरकार को केन्द्र सरकार द्वारा आर्थिक योगदान दिया गया है? यदि हां, तो उक्त राशि में से कितनी राशि जिला चित्तौड़गढ़ में शुद्ध पेयजल हेतु कहां-कहां व्यय की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में वर्तमान में कहां-कहां पर पेयजल शुद्धिकरण के लिए कितने डी-फ्लोरिडेशन संयंत्र संचालित हैं एवं उनकी वर्तमान में क्या स्थिति है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार जिले में पंचायत स्तर पर पेयजल की शुद्धता की पुन: जांच कर फ्लोराइडयुक्त जल को विशेष डी-फ्लोरिडेशन यूनिट लगाकर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां । जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जिला चित्तौड़गढ़ में गत 3 वर्षों में विभागीय प्रयोगाशाला द्वारा 6 शहरों के 578 जल नमूनों की जांच की गई। एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. कार्यक्रम के तहत विभागीय प्रयोगशाला

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2012-13 व 2013-14 में विभाग द्वारा तथा वर्ष 2014 -15 में ब्लाक स्तरीय प्रयोगशाला (मैसर्स रामकी इन्वायरो लिमिटेड, नई दिल्ली) एवं विभाग द्वारा कुल 2,182 ग्राम/ढाणियों के जल नमूनों की जांच की गई है, जिनका वर्षवार गोश्वारा परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उपरोक्त जांच में शहर कपासन में फ्लोराइड की मात्रा 1.3 मिलीग्राम प्रति लीटर से 2.8 मिलीग्राम प्रति लीटर तक पाई गई तथा उक्त जिले के अन्य 5 शहरों में फ्लोराइड की मात्रा मानक मात्रा 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम पाई गई है। विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

ग्रामीण क्षेत्र में 1,818 ग्राम/ढाणियों में फ्लोराइड की मात्रा मानक सीमा 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर तक (परिशिष्ट-स) तथा शेष 364 ग्राम/ढाणियों में फ्लोराइड की मात्रा 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक पाई गई है। विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

फ्लोराइड प्रभावित उक्त 364 ग्राम/ढाणियों में से 154 ग्राम/ढाणियों में 160 हैण्डपम्प सम्बद्ध डी-फ्लोरीडेशन यूनिट एवं 22 ग्राम/ढाणियों में 24 नलकूप सम्बद्ध डी-फ्लोरीडेशन यूनिट स्थापित कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। विवरण परिशिष्ट-य पर संलग्न है।

(3) जी हां। केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2010-11 से वर्ष 2014-15 तक एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. मद में प्राप्त राशि में से जिला चित्तौड़गढ़ हेतु रुपये 2,419.69 लाख का व्यय किया गया। उक्त राशि में से फ्लोराइड प्रभावित ग्राम/ढाणियों में पेयजल हेतु हैण्डपम्प/नलकूप सम्बद्ध डी-फ्लोरीडेशन यूनिट स्थापित करने हेतु रुपये 85.97 लाख का व्यय किया गया। वर्षवार व्यय का गोश्वारा परिशिष्ट-र पर तथा लाभान्वित ग्राम/ढाणियों का संलग्न विवरण परिशिष्ट-य में निहित है।

(4) विधान सभा क्षेत्र, चित्तौड़गढ़ की पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ के 218 ग्राम तथा पंचायत समिति भदेसर के 45 ग्राम सम्मिलित हैं। उक्त क्षेत्र की पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ के ग्राम कैसरपुरा एवं पंचायत समिति भदेसर के ग्राम चापाखेड़ी, इस प्रकार कुल दो ग्रामों में फ्लोराइड की मात्रा निर्धारित मानक सीमा से अधिक है एवं शेष ग्रामों में फ्लोराइड की मात्रा निर्धारित मानक की सीमा में है।

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

ग्राम कैसरपुरा (फ्लोराइड की मात्रा 1.6 मिलीग्राम प्रति लीटर) में आदित्य सीमेन्ट वर्क्स द्वारा पी.एस.पी. के माध्यम से फिल्टर वाटर उपलब्ध करवाया जा रहा है। ग्राम चापाखेड़ी (फ्लोराइड की मात्रा 1.6 मिलीग्राम प्रति लीटर) में हैण्डपम्प सम्बद्ध डी-फ्लोरीडेशन यूनिट संचालित है व वर्तमान में चालू है।

(5) मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कार्यादेश दिनांक 30.9.2013 के द्वारा चित्तौड़गढ़ जिले के 11 ब्लाकों में ब्लाक स्तरीय प्रयोगशाला स्थापित करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं । आदेश के तहत ब्लाक बेगूं व भैंसरोडगढ़ में ब्लाक स्तरीय प्रयोगशालाएं स्थापित की जा चुकी हैं तथा अब तक 2,940 जल नमूनों की जांच की जा चुकी है। शेष 9 ब्लॉक स्तरीय प्रयोगशाला स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है।

जल नमूनों की प्राप्त होने वाली रिपोर्ट एवं बजट उपलब्धता के अनुसार अग्रिम निर्णय लिया जावेगा ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पाली जिले के गांवों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति की योजना

398. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पाली जिले के मणिहारी, गोदावास, भांवरी व उरी, आदि गांवों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए SLSSC के तहत सरकार ने स्वीकृति जारी कर दी है? यदि हां, तो उक्त योजना को कब तक पूरा कर दिया जायेगा?

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के सभी ग्रामों को जवाई बांध का शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व किस प्रकार? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पाली जिले के भू-जल योजनाओं से लाभान्वित मणिहारी, गोदावास, भांवरी एवं डरी ग्रामों सहित कुल 12 ग्राम/ढाणियों में सतही जल स्रोत (जवाई पाइपलाइन परियोजना के मण्डली आफ-टेक से) मानक गुणवत्ता एवं मात्रा अनुरूप स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु क्षेत्रीय जल

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

प्रदाय योजना मणिहारी-डरी-भांवरी की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एस.एल.एस.एस.सी. की 12वीं बैठक दिनांक 23.6.2014 द्वारा राशि रुपये 2,492.23 लाख की तथा तकनीकी स्वीकृति तकनीकी समिति की 608वीं बैठक दिनांक 17.12.2014 द्वारा जारी की गई थी। उक्त योजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ करने हेतु राशि रुपये 2278.00 लाख की दिनांक 16.2.2015 को आमंत्रित की गई निविदा दिनांक 6.4.2015 को प्राप्त कर दिनांक 7.4.2015 को खोली जानी है। कार्यादेश उपरान्त योजना पूर्ण करने की समयावधि 24 माह निर्धारित है।

(2) जी हां। जवाई पाइप लाइन परियोजना में विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के कुल 161 ग्रामों में से 150 ग्रामों को सम्मिलित किया गया है जिनमें से 105 ग्राम उक्त परियोजना अन्तर्गत जवाई बांध से पूर्व में ही लाभान्वित हैं । 45 अन्य ग्रामों को कलस्टर वितरण प्रणाली द्वारा स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के कार्य हेतु जवाई कलस्टर परियोजना-प्रथम की स्वीकृति दिनांक 27.9.2011 को राशि रुपये 199.40 करोड़ की जारी की गई तथा इसका कार्यादेश दिनांक 22.8.2012 को राशि रुपये 142.00 करोड़ का जारी किया गया। कार्यादेश अनुसार योजना माह मार्च, 2015 तक पूर्ण करनी लक्षित है।

विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर एवं बाली के शेष ग्रामों को जवाई बांध का पानी उपलब्ध कराने हेतु जल उपलब्धता का फीजिबिलिटी अध्ययन करने, सर्वेक्षण कार्य, विस्तृत अभियांत्रिकी रिपोर्ट व निविदा प्रपत्र बनाने हेतु एस.एल.एस.एस.सी. की बैठक दिनांक 3.9.2014 द्वारा राशि रुपये 18.06 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई। इस कार्य हेतु कार्यादेश दिनांक 19.11.2014 को जारी किया जाकर कार्य वर्तमान में प्रगति पर है । रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त तकनीकी संभाव्यता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार परियोजना के निर्माण की स्वीकृति जारी करने पर विचार किया जायेगा।

बाड़मेर नगर खण्ड के क्षतिग्रस्त भू-तल जलाशयों की मरम्मत

399. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री मेवाराम जैन)

क्या यह सही है कि नगर खण्ड बाड़मेर में कुल 31 भूतल जलाशय (जी एल आर) क्षतिग्रस्त हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त 31 जलाशयों में से 13 जलाशयों की मरम्मत का कार्य इसी वित्तीय वर्ष में कराने का विचार रखती है? हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के नगर खण्ड, बाड़मेर में विभिन्न ग्रामीण जल योजनाओं के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त पाये गये कुल 31 भू-तल जलाशयों में से 13 भू-तल जलाशयों की मरम्मत के प्रस्तावों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 19.9.2013 को राशि रुपये 18.73 लाख की जारी की गई थी। इन 13 भू-तल जलाशयों के मरम्मत कार्य हेतु दिनांक 30.6.2014 को संवेदक को कार्य आदेश जारी किया जाकर, ग्राम रामदेरिया में स्थित एक भू-तल जलाशय का मरम्मत कार्य पूर्ण कर लिया गया है। संवेदक द्वारा आदेशित कार्य धीमी गति से करने के कारण शेष रहे जलाशयों की मरम्मत का कार्य माह जून, 2015 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है। भू-तल जलाशयवार वांछित विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

परिशिष्ट 'अ'

जन स्वास्थ्य अभियन्त्रिकी विभाग के नगर खण्ड, बाड़मेर की तहसील बाड़मेर की विभिन्न ग्रामीण जल योजनाओं में क्षतिग्रस्त भू-तल जलाशय एवं इनकी वर्तमान स्थिति का विवरण

क्र.सं.	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	गांव का नाम	भू-तल जलाशय का स्थान	स्वीकृति प्राप्त	स्वीकृति विवरण	कार्यादेश विवरण	विशेष विवरण
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	बाड़मेर	दूदाबेरी	दूदाबेरी	दूदाबेरी	नहीं	-	-	-
2	बाड़मेर	सुरा चारणान	कनोड़ा	कनोडा	नहीं	-	-	-
3	बाड़मेर	सुरा चारणान	केरावा	केरावा	नहीं	-	-	-
4	बाड़मेर	सुरा चारणान	नांद	भीलों की ढाणी	नहीं	-	-	-
5	बाड़मेर	नांद	कसवा	नांद	नहीं	-	-	-
6	बाड़मेर	दूदाबेरी	समों की ढाणी	समों की ढाणी	नहीं	-	-	-
7	बाड़मेर	बिशाला आगोर	सोनडी	सोनडी	नहीं	-	-	-
8	बाड़मेर	सुरा चारणान	सुरा चारणान	सुरा चारणान	नहीं	-	-	-
9	बाड़मेर	कपुरडी	बोथिया जागीर	सुथारों की ढाणी	नहीं	-	-	-
10	बाड़मेर	भादरेश	भादरेश पुनासिया	भादरेश पुनासिया	नहीं	-	-	-
11	बाड़मेर	भादरेश	धनोडा	धनोडा	नहीं	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	बाड़मेर	बोला	बोला	बोला	नहीं	-	-	-
13	बाड़मेर	कपुरड़ी	रोहिली	भीखाणी वजीरों की ढाणी	नहीं	-	-	-
14	बाड़मेर	भाडखा	प्रगाणियों की ढाणी	जाटों की ढाणी	नहीं	-	-	-
15	बाड़मेर	भाडखा	सुथारों की ढाणी	सुथारों की ढाणी	नहीं	-	-	-
16	सिणधरी	शिवकर	गालाबेरी	गालाबेरी	नहीं	-	-	-
17	सिणधरी	बेरीवाला तला	बेरीवाला तला	बेरीवला तला	नहीं	-	-	-
18	बाड़मेर	बान्दरा	पुरोहितों की बस्ती	पुरोहितों की बस्ती	नहीं	-	-	-
19	बाड़मेर	हाथीतला	रामदेरिया	रामदेरिया	हां	मु अ (ग्रा)/20 13-14/ 11/ 19.09.2013	अअ/नगर/ बाड/1191/ 30.6.2014	मरम्मत कार्य पूर्ण
20	बाड़मेर	उण्डखा	उण्डखा	उण्डखा	हां			मरम्मत कार्य शेष
21	बाड़मेर	रानीगांव	बलाऊ	बलाऊ	हां			मरम्मत कार्य शेष
22	बाड़मेर	सनावड़ा	सनावड़ा	सनावड़ा	हां			मरम्मत कार्य शेष
23	बाड़मेर	हाथीतला	डूगरों का तला	डूगरों का तला	हां			मरम्मत कार्य शेष
24	बाड़मेर	हाथीतला	हाथीतला	हाथीतला	हां			मरम्मत कार्य शेष

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	बाड़मेर	हाथीतला	सुथारों का तला	सुथारों का तला	हां			मरम्मत कार्य शेष
26	बाड़मेर	गरल	गरल	गरल	हां			मरम्मत कार्य शेष
27	बाड़मेर	महाबार	महाबार	महाबार	हां			मरम्मत कार्य शेष
28	बाड़मेर	महाबार	महाबार पीथल	महाबार पीथल	हां			मरम्मत कार्य शेष
29	बाड़मेर	महाबार	सांसियों का तला	सांसियों का तला	हां			मरम्मत कार्य शेष
30	बाड़मेर	सरली	बक्से का तला	बक्से का तला	हां			मरम्मत कार्य शेष
31	बाड़मेर	खुडासा	नोख	नोख	हां			मरम्मत कार्य शेष

परसरामपुरा ग्राम (सीकर) में आवासीय पट्टे देने में अनियमितता की जांच

400. श्री कंवर लाल (मनोहरथाना) : क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत सरगोट के गांव परसरामपुरा, जिला सीकर में तत्कालीन ग्राम सेवक, पदेन सचिव द्वारा आवासीय पट्टे आबंटन करने में अनियमितता की गई थी? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि आवासीय पट्टे आबंटन करने में की गई अनियमितता की जांच किसी जांच एजेन्सी से करवाई गयी थी? यदि हां, तो जांच में कौन-कौन दोषी पाया गया व उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि आवासीय पट्टों के दोषी तत्कालीन पदेन सचिव के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सीकर से मांगी गई थी? यदि हां, तो कब व इस पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों में ग्राम पंचायत सरगोठ के ग्राम परसरामपुरा में तत्कालीन ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव द्वारा आवासीय पट्टे आबंटन के सम्बन्ध में अनियमितता की शिकायत की जांच/अनुसंधान में श्री बद्री प्रसाद यादव, ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव को दोषी पाया गया।

(2) जी हां। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों द्वारा की गई जांच में श्रीमती मोहनी, सरपंच श्री ब्रदी प्रसाद यादव, ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, श्री बंशीधर, उप सरंपच श्री हनुमान प्रसाद, वार्ड पंच, श्रीमती जोदी देवी, वार्ड पंच एवं गवाह श्री दिनेश कुमार व गंगाराम तथा लाभार्थी श्री नागरमल व सुरेन्द्र कुमार तथा श्रीमती मुन्नी देवी को दोषी माना है।

श्री ब्रदी प्रसाद यादव, ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव लोकसेवक होने से श्री यादव के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रकरण जिला परिषद सीकर को प्राप्त हो चुका है। प्रकरण में जिला स्थापना समिति की बैठक आयोजित नहीं होने से आगामी बैठक में नियमानुसार निर्णय लिया जा सकेगा।

(राजस्व राज्य मंत्री)

उक्त सरपंच/उपसरपंच/वार्ड पंचों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से दोषी जन-प्रतिनिधियों के विरुद्ध प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

(3) जी हां। जिला स्थापना समिति की बैठक आयोजित नहीं होने से आगामी बैठक में अभियोजन स्वीकृति हेतु नियमानुसार निर्णय लिया जा सकेगा।

प्रदेश की खातेदारी भूमि पर पुत्रियों के नाम सम्पत्ति का नामान्तरण

401. श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर) : क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में खातेदारी भूमि पर पुत्रियों का अधिकार कानून कब से लागू किया गया? क्या उक्त नियम लागू होने से पूर्व में पुत्रियों का हक का दावा किया जाना गैर-कानूनी है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या प्रदेश के विभिन्न राजस्व न्यायालयों में अवधिपार करीब 20-25 वर्षों पहले खोले गये नामान्तरणों पर अब हक का दावा (मुकदमा) करना खारिज किये जाने योग्य है? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे मामलों के शीघ्र निपटान हेतु कोई कार्य योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या नि:सन्तान होने पर जीवित रहते हुए सक्षम अधिकारी के समक्ष पंजीकृत वसीयत किये जाने के उपरान्त भी पत्नी/पुत्री/बहन का उसकी भूमि अथवा सम्पत्ति पर मालिकाना हक होगा अथवा वसीयतकर्ता के नाम ही होगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या नि:सन्तान होने पर पति/पत्नी दोनों की मृत्यु होने के उपरान्त यदि भू-स्वामी (मुखिया) की बहनें हैं, तो भूमि का नामान्तरण/ सम्पत्ति किस प्रकार उनके नाम की जावेगी? नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) भू-स्वामी के नि:सन्तान रहने पर उसकी सक्षम अधिकारी के समक्ष पंजीकृत वसीयत के उपरान्त उसकी भूमि/सम्पत्ति के नामान्तकरण खुलवाने हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई जावेगी तथा उसमें क्या-क्या दस्तावेज संलग्न करने होंगे? क्या इसमें कोई समय सीमा भी निर्धारित की हुई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती सोनादेवी)

(5) क्या भू-स्वामी की मृत्यु के बाद पत्नी तथा उसके पुत्र (यदि एक ही पुत्र हो, तो) दोनों की मृत्यु हो जाने के उपरान्त उसकी पुत्रियों का हक माना जायेगा? यदि हां, तो सम्पत्ति का नाम नामान्तकरण किस प्रकार खोला जायेगा? नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) खातेदारी भूमियों पर निर्वसीयती उत्तराधिकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 40 में अधिनियम के प्रभावशील होने की तिथि से पवृत है। उत्तराधिकार में पुत्र, पुत्री, पत्नी या अन्य उत्तराधिकारियों का अंश (हिन्दू, मुस्लिम, जैसी भी स्थिति हो) खातेदार को लागू व्यक्तिगत (स्वीय) विधि से शासित होता है। व्यक्तिगत (स्वीय) विधि में रखी गई व्यवस्था अनुसार पुत्री उत्तराधिकारी अपने अंश हेतु दावा सक्षम न्यायालय में कर सकती है। इस बाबत धारा 40 में स्पष्ट व्यवस्था होने से पृथक से अन्य कानून/विधि की आवश्यकता नहीं रह जाती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस हेतु रखी गई व्यवस्था अनुसार सक्षम राजस्व न्यायालय प्रकरणों में तय प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही करते हैं। इस हेतु पृथक से कोई कार्य योजना अपेक्षित नहीं है।

(2) स्व अर्जित सम्पत्ति में वसीयतकर्ता के जीवनकाल तक वसीयत करने के उपरान्त भी वसीयतकर्ता का अधिकार बना रहता है। क्योकि अन्तिम वसीयत वसीयतकर्ता के मृत्यु उपरान्त प्रभावशील होती है।

(3) खातेदार आसामी के नि:सन्तान मृत्यु को प्राप्त होने पर उसकी भूमि का उत्तराधिकार उस पर लागू व्यक्तिगत (स्वीय) विधि से शासित होगा। इस सम्बन्ध में RT Act की धारा 40 की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(4) खातेदार आसामी अपनी भूमि के सम्बन्ध में अपने हित या हितांश का उस पर लागू स्वीय विधि अनुसार अन्तिमेच्छा पत्र द्वारा वसीयत में दे सकता है। वसीयत के उपरान्त उक्त भूमि क्षेत्र का वसीयत उत्तराधिकार बाबत नामान्तरण प्रक्रिया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 133 व 135 परिशिष्ट-ब एवं नियम 1957 के नियम 119 से 148 (विशिष्टता नियम 132 में) राजस्थान भू-राजस्व भू-अभिलेख उल्लेखित है जिसकी प्रति परिशिष्ट-स पर संलग्न है। वसीयती उत्तराधिकार में मुख्य दस्तावेज अन्तिम इच्छापत्र (वसीयत) ही होती है।

(राजस्व राज्य मंत्री)

(5) खातेदार आसामी, उसकी पत्नी एवं उसके अविवाहित पुत्र की मृत्यु होने की दशा में उसकी पुत्रियों का उत्तराधिकारी हक खातेदार आसामी को व्यक्तिगत (स्वीय) विधि अनुसार प्राप्त होता है। RT Act की धारा 40 की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

प्रदेश के देवालयों के पुनरुद्धार की कार्य योजना

402. श्री कैलाश चौधरी (बायतू) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार देवालयों का चयन कर उनका पुनरुद्धार कार्य करवा रही है? यदि हां, तो कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार पश्चिमी राजस्थान में नागों के देवता के रूप में प्रसिद्ध श्री खेमा बाबा धाम, बायतू और महादेव मंदिर, परेऊ, बाड़मेर को सरकारी मन्दिर घोषित कर उक्त मंदिरों का पुनरुद्धार कार्य करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। देवस्थान विभाग द्वारा कतिपय महत्वपूर्ण मन्दिरों में तीर्थ यात्री सुविधा विकास अथवा/एवं मन्दिर पुनरुद्धार कार्यों हेतु मास्टर प्लान बनवाये जा रहे हैं। जिन 36 मन्दिरों हेतु यह कार्य प्रस्तावित है उनकी सूची (परिशिष्ट 1 व 2) संलग्न है।

(2) श्री खेमा बाबा धाम, बायतू और महादेव मंदिर, परेउ, बाड़मेर देवस्थान विभाग द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित राजकीय मंदिर नहीं हैं। इन मन्दिरों के पुनरुद्धार की वर्तमान में कोई योजना नहीं है। बजट उपलब्धता के आधार पर धार्मिक स्थलों का विकास करवाया जाता है।

परिशिष्ट-1

प्रस्तावित 24 देवालयों (मंदिरों) की सूची (प्रथम चरण)

क्र. सं.	जिला	मास्टर प्लान में प्रस्तावित मंदिर
1	झालावाड	द्वारकाधीश मंदिर झालरापाटन
2	सवाई माधोपुर	चौथामाता मंदिर
3	सीकर	खाटूश्याम जी
4	चूरू	सालासर हनुमान जी
5	हनुमानगढ़	गोगामेडी
6	बीकानेर	करणी माता मंदिर देशनोक
7		श्री जम्बोजी मुखाम
8		श्री रतन बिहारी जी/श्री रसिक बिहारीजी
9		नागणेचा जी
10		लक्ष्मीनाथ जी
11	अजमेर	पुष्कर
12	जोधपुर	ओसिया जी
13	जेसलमेर	रामदेवरा लुदारवा
14	राजसमंद	चारभुजा जी
15		रूपनारायण मंदिर सेंवत्री
16	उदयपुर	एकलिंग जी
17	डूंगरपुर	बेणेश्वर धाम
18	चित्तौड़गढ़	श्री सांवलिया जी मंदिर
19		मात्रकुण्डिया
20		शनि महाराज
21	प्रतापगढ़	गौतमेश्वर महादेव
22	टोंक	डिग्गी मालपुरा
23	जालौर	सुधा माता मंदिर
24	भरतपुर	बिहारी जी

परिशिष्ट-2

प्रस्तावित 12 देवालयों (मंदिरों) की सूची (द्वितीय चरण)

क्र. सं.	जिला	मास्टर प्लान में प्रस्तावित मंदिर
1	सवाई माधोपुर	श्री गणेशजी
2	जयपुर	श्री गोविन्द देव जी
3	हनुमानगढ़	श्री भद्रकाली जी
4	राजसमंद	द्वारकाधीश जी
5	उदयपुर	जगदीश मंदिर
6	डूंगरपुर	देव सोमनाथ जी
7	बांसवाड़ा	त्रिपुरा सुन्दरी
8		मानगढ़ धाम
9		गोटिया अम्बा जी
10	झालावाड़	सूर्य मंदिर झालरापाटन
11		कायावर्णेश्वर
12	टोंक	राज राजेश्वर

परबतसर में नये राजस्व ग्रामों की घोषणा

403. श्री मानसिंह किनसरिया (परबतसर) : क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र परबतसर में गत पांच वर्षों में कई नये राजस्व ग्राम घोषित किये गये हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ग्राम पंचायत रसाल के ग्राम केरपुरा को राजस्व ग्राम घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) परबतसर विधान सभा क्षेत्र में तहसील परबतसर में गत 5 वर्षों में 2 नये राजस्व ग्राम निम्नानुसार बनाये गये:-

1. मूल ग्राम गूलर में से शिवनगर
2. मूल ग्राम मालास गुसाईयां में से सिहोटगढ़।

(राजस्व राज्य मंत्री)

(2) परबतसर विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत रसाल की सीमा डीडवाना विधान सभा क्षेत्र के ग्राम भदलिया में से नवसृजित ग्राम केरपुरा से लगती है। ग्राम पंचायत रसाल में से ग्राम केरपुरा राजस्व ग्राम घोषित करने के मापदण्ड के अनुरूप नही हैं।

प्रदेश में श्रमिकों के बच्चों हेतु संचालित शिक्षा सहायता योजना

404. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) : क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में श्रमिकों के बच्चों के लिए शिक्षा सहायता योजना संचालित है? यदि हां, तो कब से एवं इसकी परिधि में कौन-कौन से श्रमिक एवं बच्चे आते हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत छह वर्षो में उक्त योजनान्तर्गत कितनी बजट राशि उपलब्ध कराई गई एवं कितने बच्चों को शिक्षा हेतु कुल कितनी सहायता राशि स्वीकृत की गई तथा उसमें से कितनी राशि वास्तविक रूप से मुहैया कराई गई? वर्षवार व जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि गत तीन वर्षों में बाल श्रमिकों की पहचान हेतु सर्वे अथवा अन्य कार्य किये गये हैं? यदि हां, तो कब-कब व क्या-क्या? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा जिला स्तर पर बाल श्रम को रोकने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है? यदि हां, तो अलवर जिले में गठित टास्क फोर्स के सदस्यों का विवरण एवं गत छह वर्षों में उसके द्वारा किये गये कार्यों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए शिक्षा सहायता (छात्रवृत्ति) योजना दिनांक 28 अप्रैल, 2011 से प्रभावशील है। इसकी परिधि में भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल के अन्तर्गत पंजीकृत हिताधिकारियों के 2 बच्चों को छात्रवृत्ति, कक्षा-6 से स्नातकोत्तर स्तर तक प्रदान की जाती है।

(2) शिक्षा सहायता योजना के लिए पृथक से बजट आबंटित नहीं किया जाकर भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल द्वारा जिला कार्यालयों को सभी कल्याणकारी योजनाओं के लिए एकमुश्त बजट राशि

(श्रम एवं रोजगार मंत्री)

उपलब्ध करायी जाती है। शिक्षा सहायता योजना के अन्तर्गत जिलेवार लाभान्वित बच्चों की संख्या, स्वीकृत राशि एवं मुहैया कराई गई राशि का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) जी हां। जिलेवार कराये गये सर्वे की सूचना परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(4) जी हां। अलवर जिले में गठित टास्क फोर्स के सदस्यों का विवरण एवं गत छह वर्षों में उनके द्वारा किये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट "स" व "द" पर संलग्न है।

(विवरण व सूचना पुस्तकालय में रखे गये)

प्रदेश में पंजीकृत कारखाने

405. डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) : क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में कुल कितने पंजीकृत कारखाने हैं एवं उनमें कितने नियोजित श्रमिक हैं? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कारखानों में कितने कारखाने जोखिमपूर्ण श्रेणी में है और कितने कारखाने गैर जोखिमपूर्ण श्रेणी में है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) 1 जनवरी, 2014 के पश्चात् प्रदेश में कितने नये कारखानों/बायलर्स का पंजीकरण किया गया है और कितने कारखानों/बायलर्स का नवीनीकरण किया गया? उक्त कारखानों/ बायलर्स से पंजीकरण व नवीनीकरण शुल्क के रूप में कितनी राशि प्राप्त हुई? प्राप्त राशि का उपयोग किस कार्य के लिये किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) कारखानों/बायलर्स के पंजीकरण, नवीनीकरण तथा निरीक्षण में 1 जनवरी, 2014 के पश्चात् भ्रष्टाचार व अनियमितताओं की शिकायत किस-किस अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध प्राप्त हुई? प्राप्त शिकायतों के आधार पर किस-किस अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विभाग में कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत (जनवरी, 2015 तक) कुल 13291 पंजीकृत कारखाने है एवं उनमें 501487 श्रमिक नियोजित है।

जिलेवार संख्या परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(श्रम एवं रोजगार मंत्री)

(2) उक्त कारखानों में 1356 कारखाने जोखिमपूर्ण श्रेणी में है और 11935 कारखाने गैर जोखिमपूर्ण श्रेणी में हैं।

(3) विभाग में 1 जनवरी, 2014 के पश्चात् 445 नये कारखाने एवं 239 नये बायलर्स का पंजीकरण किया गया है एवं 3208 कारखाने, 1158 बायलर्स का नवीनीकरण किया गया है।

उक्त कारखानों/बायलर्स से पंजीकरण व नवीनीकरण शुल्क की राशि रु. 820.00 (लाखों में अनुमानित) प्राप्त हुई।

प्राप्त राशि विभाग द्वारा राजकोष में जमा कराई जाती है।

(4) विभाग में कारखानों /बायलर्स के पंजीकरण नवीनीकरण तथा निरीक्षण में 1 जनवरी, 2014 के पश्चात् किसी अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ भ्रष्टाचार अनियमितताओं की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्न का शेष भाग लागू नहीं।

परिशिष्ट 'अ'

WORKING FACTORIES AT THE END OF JAN. 2015

S.No.	District	TOTAL WOKING FACTORIES	
		No. of Fact.	AVERAGE EMPLOYEES
1	Ajmer	1032	24064
2	Alwar	1698	102443
3	Banswara	94	7293
4	Baran	25	2450
5	Barmer	201	4448
6	Bhartpur	213	5159
7	Bhilwara	741	42047
8	Bikaner	476	12519
9	Bundi	146	4019
10	Chittorgarh	298	14749
11	Churu	106	1408
12	Dausa	50	715
13	Dholpur	53	1856
14	Dungerpur	31	2809
15	Hanumangarh	738	22736
16	Jaipur	2599	99615
17	Jaisalmer	26	567
18	Jalore	64	960
19	Jhalawar	70	4326

S.No.	District	TOTAL WOKING FACTORIES	
		No. of Fact.	**AVERAGE EMPLOYEES**
20	Jhunjhunu	102	4864
21	Jodhpur	1101	33219
22	Karoli	10	87
23	Kota	350	21770
24	Nagour	344	6140
25	Pali	564	15853
26	Rajsamand	244	6017
27	Sawaimadhopur	36	639
28	Sikar	210	5597
29	Sirohi	186	7086
30	Sri Ganganagar	746	24501
31	Tonk	80	2815
32	Udaipur	654	18673
33	Pratapgarh	**3**	**43**
	Total	**13291**	**501487**

मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स
राजस्थान, जयपुर

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-268 की सूची)

परिशिष्ट 'अ'

उपखण्ड कार्यालयों में स्वीकृत/रिक्त पदों का विवरण

क्र.सं.	आशु लिपिक		क.लि. कम स्टेनो		सहायक कार्यालय अधीक्षक		लिपिक ग्रेड-I		लिपिक ग्रेड-II		जमादार		चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी		कुल	
1	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त
2	269	242	49	16	79	36	272	95	590	169	2	1	609	218	1889	786

तहसील कार्यालयों में स्वीकृत/रिक्त पदों का विवरण

क्र. सं.	कनिष्ठ लेखाकार		तहसील राजस्व लेखाकार		सहायक कार्यालय अधीक्षक		लिपिक ग्रेड-I		वाहन चालक		लिपिक ग्रेड-II		चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी		जमादार		भू.अ. निरीक्षक		पटवारी		कुल	
1	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त
2	289	214	441	315	104	62	570	222	220	125	2071	960	5308	2186	201	99	4207	1225	13003	4214	26434	9628

परिशिष्ट-2

मांग संख्या 27–पेयजल योजना पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-27 मुख्य शीर्षक पेयजल के अन्तर्गत मांग में से 100 रूपया कम कर दिया जाये-

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर) :

1 आहौर विधान सभा क्षेत्र के सभी गांवों को नर्बदा से पेयजल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाडा-आबू) :

2 विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा में सेई बांध का पानी पेयजल हेतु उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

3 विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के तखतगढ़ नगर की पेयजल व्यवस्था को जलदाय विभाग में सम्मिलित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुन्दरलाल (पिलानी) :

4 झुन्झुनूं जिले को चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट परियोजना से पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

5 विधान सभा क्षेत्र पिलानी के पिलानी, चिड़ावा व मण्ड्रेला में उच्च जलाशय बनाने (ओवर हैड टैंक) की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

6 विधान सभा क्षेत्र पिलानी एवं सूरजगढ़ के फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों में शुद्व पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

7 झुन्झुनूं जिले में जलस्तर नीचे जाने से हैण्डपम्पों पर सिंगल फेज कनेक्शन की स्वीकृति दिलाने के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर) :

8 विधान सभा क्षेत्र नोहर के नोहर, रावतसर व भादरा तहसीलों में पेयजल हेतु आपणी योजना का सुद्दढ़ीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

9 विधान सभा क्षेत्र नोहर-भादरा व रावतसर तहसीलों में आपणी योजना के अन्तर्गत आने वाले सभी गांवों में प्रत्येक घर में कनेक्शन देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर) :

10 विधान सभा क्षेत्र भरतपुर के विभिन्न ग्रामों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए हैण्डपम्प एवं सिंगल फेज ट्यूबवेल खुदवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

11 भरतपुर शहर की सभी कालोनियों में चम्बल के पानी की पाइप लाइन डलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

12 भरतपुर शहर में टूटी हुई पाइप लाइनों को बदलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

13 विधान सभा क्षेत्र भरतपुर में चम्बल परियोजना 1 फेज में टंकी बनाकर पेयजल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर) :

14 विधान सभा क्षेत्र खानपुर के बकानी उप तहसील के ग्राम पंचायत आगरिया, कुशलपुरा, मोडी, रेपला, नानोर में धापी बांध/कालीसिंध बांध से पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना) :

15 विधान सभा क्षेत्र सिवाना के खारा बेल्ट में धवा, उम्मेद सागर खण्ड समदड़ी परियोजना से गर्मी में 57 गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) :

16 अलवर में चम्बल का पानी लाये जाने की पूर्ववर्ती सरकार की घोषणा पर अमल नहीं हो पाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

17 अलवर शहर में कृषि भूमि से आवासीय भूमि में कन्वर्टेड भूखण्डों (कालोनियों) में पेयजल उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर) :

18 विधान सभा क्षेत्र आहौर के जिन गांवों में खारे पानी की समस्या है वहां पर आर.ओ. प्लांट लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ललित कुमार (किशनगंज) :

19 विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में वर्ष 2007-08 में बनी एस एल आर टंकियों से घट्टी एवं परानियां ग्रामों में पाइप लाइन से पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

20 विधान सभा क्षेत्र किशनगंज की शाहबाद तहसील में पानी का स्तर नीचे जाने से पेयजल की उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर) :

21 विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर के नहरी क्षेत्र में पेयजल की योजना बनाकर गांवों को मीठा पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

22 जैसलमेर जिले के गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ओमप्रकाश (महुवा) :

23 विधान सभा क्षेत्र महुवा के ग्राम हुडला, समलेटी, रसीदपुर-पाखर एवं दगवाना–बालाहेडी की पेयजल योजना के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

राजकुमारी दियाकुमारी (सवाई माधोपुर) :

24 विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर में बनास लिंक परियोजना से पेयजल उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

25 चम्बल-नादोती मण्डरायल परियोजना का कार्य समय पर पूर्ण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

डा. जसवंत सिंह यादव (बहरोड़) :

26 विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के तलवाना, दुधेडा, कायसा, डूमरोली, अकलीमपुर, निहालपुरा, नारेडा खुर्द, गूवाना, जटगावड़ा गांवों में उच्च जलाशय की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

27 विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के गडाला, माढंणा व अन्य गांवों में तथा बहरोड़ नगरपालिका क्षेत्र में पुरानी पाइप लाइन बदलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

28 विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में फ्लोराइड युक्त पानी होने से आर.ओ. प्लांट लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

29 विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में जल स्तर नीचे जाने से गहरे नलकूप लगवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

30 विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में सभी स्कूलों शैक्षणिक संस्थाओं में पीने के पानी की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास) :

31 विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास के सभी गांवों में उच्च जलाशय योजना (पाइप्ड स्कीम) स्वीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

32 विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में लगी सिंगल फेज बोरिंगों आदि का बिजली का बिल विभाग द्वारा भरवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

33 विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास मुख्यालय पर अधिशासी अभियन्ता कार्यालय व ग्राम हरसोली में सहायक अभियन्ता कार्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

34 विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में पेयजल योजनाओं को स्वीकृति के पश्चात् भी सुचारू रूप से चालू करने में देरी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) :

35 विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की वृहद जलप्रदाय योजना आर.डी 134 में उच्च जलाशय भालू कलां, केतू मंदा, धीरपुरा, हनवन्तनगर, गड़ा, भूंगरा, चुतरपुरा में पिछले 2 वर्ष से अधिक समय से उच्च जलाशयों को बनाने हेतु आर.सी.सी. का फाउण्डेशन व पोल लगाने के अलावा शेष कार्य बकाया रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

36 विधान सभा क्षेत्र शेरगढ की वृहद जलप्रदाय योजना आर.डी. 134 देवानिया-नाथड़ाऊ–कानोड़िया-54 मील–चौरडिया-शेरगढ़-चाबा के 264 गांवों में आमजन को मीठा पेयजल उपलब्ध कराने के लिए योजना का तय सीमा में कार्य पूर्ण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

37 प्रदेश में जनता जल योजना का मानदेय 3500 रुपये, मरम्मत राशि रुपये 1500 प्रति हार्सपावर करने व योजना के विद्युत बिल जलप्रदाय विभाग के माध्यम से ही जमा करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

38 विधान सभा क्षेत्र शेरगढ के उपखण्ड शेरगढ़ में खुले हुये (ओपन वैल) पर सिंगल फेज पावर पम्प लगाकर चालू करने व नलकूपों के पास भू-तल जलाशय बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

39 विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के ग्रामों में नकारा नलकूपों के स्थान पर नये नलकूप बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शत्रुघ्न गौतम (केकड़ी) :

40 विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के विभिन्न ग्रामीण इलाकों में पेयजल आपूर्ति हेतु नवीन पाइप लाइन बिछायी जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

41 विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में केकड़ी से गुलगांव तक लोहे की पाइप लाइन बिछाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

42 विधान सभा क्षेत्र केकडी के केकड़ी शहर में ढण्ड रास्ते से जूनियां गेट तक लोहे की पाइप लाइन बिछाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

43 विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में केकड़ी-बघेरा पम्प हाऊस तक सीमेन्ट की पाइप लाइन को लोहे की पाइप लाइन में बदलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) :

44 विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में पेयजल की गम्भीर स्थिति को देखते हुये 100 हैण्डपम्प एवं 5 ट्यूबवेल स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

45 विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में सैकड़ों खराब पड़े हैण्डपम्पों को सही करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

46 विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में जनता जल योजना को पंचायती राज से वापिस लेकर जलदाय विभाग को सुपुर्द करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

कुं. जगत सिंह (कामां) :

47 विधान सभा क्षेत्र कामां के कामां शहर में पेयजल की संमस्या से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री खेमाराम (सुजानगढ़) :

48 विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ में पेयजल की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री सुशील कटारा (चौरासी) :

49 विधान सभा क्षेत्र चौरासी में कडाणा बैंक वाटर से पंचायत समिति सीमलवाड़ा एवं पंचायत समिति चिखली के समस्त गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

50 विधान सभा क्षेत्र चौरासी में खराब हैण्ड पम्पों को ठीक करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

51 विधान सभा क्षेत्र चौरासी में पीठ, सीमलवाड़ा, घम्बोला, कुंआ, माण्डली, करावाडा, गेजी, विकासनगर में पुरानी पाइप लाइनों को बदलकर नई पाइप लाइन बिछाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

52 विधान सभा क्षेत्र चौरासी में पेयजल हेतु नये ट्यूबवेल खोदे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

53 विधान सभा क्षेत्र चौरासी में गुजरात की तर्ज पर ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डा. प्रेमचन्द बैरवा (दूदू) :

54 विधान सभा क्षेत्र दूदू में फागी पंचायत समिति के गांवों में बीसलपुर पाइप लाइन से पेयजल आपूर्ति में पावर सप्लाई पम्प के स्थान पर घर-घर पाइप लाइन बिछवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री दर्शन सिंह (करौली) :

55 विधान सभा क्षेत्र करौली के गांवों में पीने का पानी टैंकरों द्वारा सप्लाई किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

56 विधान सभा क्षेत्र करौली के करौली शहर में पीने के पानी की समस्या के समाधान के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) :

57 विधान सभा क्षेत्र लूणी में विभिन्न जलप्रदाय योजनाओं को स्वीकृत करवाने एवं जलप्रदाय योजना चौखा बड़ली गोलासनी योजना स्वीकृत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

58 विधान सभा क्षेत्र लूणी की ग्राम पंचायत पाल, बोरानाड़ा, सांगरिया, कुड़ी, तनावड़ा, झालामण्ड, नांदड़ी, नांदड़ा कला को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के शहरी खण्ड से जोड़ने एवं ग्राम पंचायत पाल

एवं बोरानाड़ा को ए.एफ.डी. योजना में सम्मिलित करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

59 विधान सभा क्षेत्र लूणी के ग्राम धुन्धाडा में 40 वर्ष पुरानी जर्जर पानी की पाइप लाइन को बदलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हीरालाल (निवाई) :

60 विधान सभा क्षेत्र निवाई के गांवों में बीसलपुर बांध का पानी पहुंचाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

61 विधान सभा क्षेत्र निवाई के गांव रानोली, अन्नासनगर, गुढारामदास, इब्राहिमपुरा (छोटा ढाढा) बगडवा, कठमाना, मूंडियां में पेयजल योजना के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री भजनलाल जाटव (वैर) :

62 विधान सभा क्षेत्र वैर की प्रत्येक पंचायत हैडक्वार्टर पर पानी की टंकी बनाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण)

63 विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में यू.आई.टी. के पेराफेरी क्षेत्र में पानी की व्यवस्थित कार्य योजना बनाकर सभी गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

64 विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण विधान सभा के गांव सुराणा, डोडावली, पीपलिया, रायता, कालीवास, हसीगढ़, केली, गांवों में नये हैण्डपम्प खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

65 विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में जनता जल योजना के तहत बड़े-बड़े गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

66 विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण के लालमंगरी गिरजा व्यास पैट्रोल पम्प के पास बसी हुई कालोनियों में पेयजल उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामपाल (बारां-अटरू) :

67 विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू के अटरू कस्बे सहित आसपास के पैंतीस गांवों में शेरगढ़ बांध एवं परवन नदी से पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा) :

68 विधान सभा क्षेत्र दौसा में ईसरदा बांध से पेयजल आपूर्ति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर) :

69 विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर की कसोटिया, रानी डूंगला एवं वाना मेणार पेयजल योजना को प्रारम्भ कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बंशीधर (खण्डेला) :

70 विधान सभा क्षेत्र खण्डेला में फ्लोराइड के पानी से मुक्ति दिलाने हेतु आर.ओ. प्लांट लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री घनश्याम (टोडाभीम) :

71 विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में पीने के पानी की भयंकर समस्या से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

72 विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की नादोती-सवाई माधोपुर में चम्बल पेयजल योजना के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

73 विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में खराब पड़े हैण्डपम्प ठीक कराने एवं सिंगल फेज व नये हैण्डपम्प लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री दलीचन्द डांगी (मावली) :

74 विधान सभा क्षेत्र मावली की पेयजल योजनाओं की स्वीकृति जारी करने एवं पुरानी पाइप लाइनों को बदलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) :

75 विधान सभा क्षेत्र सांगानेर के टोंक रोड स्थित गोरधन नगर व आसपास के इलाकों में सरकारी पेयजल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

76 जयपुर शहर में सरकारी पेयजल से वंचित कालोनियों में बीसलपुर से आने वाले पानी की शीघ्र सप्लाई करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा) :

77 विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के डीआर प्रोजेक्ट से वंचित गांवों को पीने का पानी उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

78 विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में कनिष्ठ अभियन्ताओं के रिक्त पदों को भरे जाने एवं सूखे नलकूपों के स्थान पर नये नलकूप स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नवनीत लाल (घाटोल) :

79 विधान सभा क्षेत्र घाटोल में जलदाय योजना के बंद पड़े हैण्डपम्पों को पुन: चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

80 बांसवाड़ा जिले में जनता जल योजना की बंद पड़ी 20 योजनाओं को पुन: प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए!

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (चाकसू) :

81 विधान सभा क्षेत्र चाकसू में बंद पड़ी टंकियों से पुन: पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर) :

82 विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में डूंगरपुर नगर को सोमकमला, आम्बा बांध का पानी पेयजल हेतु उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

83 विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के ग्रामीण इलाके की संगठित आबादी के लिए शुद्ध पेयजल हेतु उच्च जलाशय के निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

84 डूंगरपुर जिले की सिन्टेक्स मिल के आस-पास 6-7 गांवों का भू-जल दूषित होने से पेयजल की उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिए।

85 डूंगरपुर जिले के डूंगरपुर नगर की पेयजल व्यवस्था सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

86 विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के ग्रामीण इलाकों में पेयजल हेतु 50 व्यक्तियों की जनसंख्या पर हैण्डपम्प उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री पब्बाराम (फलौदी) :

87 विधान सभा क्षेत्र फलौदी के गांव रड़ का पुरा, पडियाल, बरजासर, भिंयासर, गांधीसागर एवं सजनाणियों की ढाणी में नहर का स्वच्छ मीठा पेयजल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

88 विधान सभा क्षेत्र फलौदी की क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना बावडीकलां–खारा-जालोडा में भूमि आबंटन की प्रक्रिया पूर्ण कर कार्य प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती कमसा (भोपालगढ़) :

89 विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के खांगटा, माणकलाब, पेयजल योजना से वंचित ढाणियों को जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

90 विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ से .तिवरी, मथानियां, बावड़ी, भोपालगढ, पेयजल योजना का कार्य शीघ्र पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

91 विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के ग्राम नांदिया प्रभावती, सुरपुराकला, बोड़वी, मेलावास में एसआर एवं नादिया प्रभावती गांव में स्कूल के पास विश्नोई, जाटों की ढाणियों में जी.एल.आर. बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

92 विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के रामनगर व गोदारों की ढाणी में सालवाकलां से पाइप लाइन जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

93 विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के जाजीवाल कलां में एसआर का कार्य मिलेट्री ऐरिया से हटाकर दूसरे गांव में एसआर बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमृतलाल (सलूम्बर) :

94 विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के मेवल की 15 ग्राम पंचायतों के 72 गांवों में जयसमंद से पेयजल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

95 विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के उपखण्ड सराड़ा व सेभारी में समुचित पीने के पानी की व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

96 विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के उपखण्ड सलूम्बर एवं सराड़ा व पंचायत समिति सेभारी में हैण्डपम्प खोदकर शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

97 विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के सभी गांवों में फ्लोराइड रहित शुद्ध पेयजल की व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

98 विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के सभी स्कूलों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण) :

99 विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में पेयजल के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण) :

100 विधान सभा क्षेत्र कोटा दक्षिण के कोटा शहर की आर.के. पुरम्, श्रीनाथपुरम्, बोम्बे योजना बस्ती में पेयजल व्यवस्था पुन: जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को स्थानान्तरित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

101 विधान सभा क्षेत्र कोटा दक्षिण के कोटा शहर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए नये फिल्टर प्लांट की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) :

102 विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन की रानी पंचायत समिति के गांवों को जवाई पाइप लाइन परियोजना से पेयजल दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

103 विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में सांसद व एम.एल.ए. कोष से पिलावनी गांव में बनी ओवर हैड टैंक से गांव के लिये पाइप लाइन की स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) :

104 विधान सभा क्षेत्र चौमूं के ग्राम शिम्भूपुरा, कानपुरा, डेहरा, झीडा, पाटावाली, भालेरा आदि में पेयजल योजना के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

105 विधान सभा क्षेत्र चौमूं में जनता जल योजना व स्वच्छ पेयजल योजना के अन्तर्गत पेयजल स्कीमों के बिलों के भुगतान नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

106 चौमूं नगरपालिका क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

107 चौमूं तहसील के नांगल गोविन्द व किशनमानपुरा ग्राम पंचायतों के अनेकों गांव व ढांणियों में पेयजल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

108 चौमूं तहसील के ग्राम सबलपुरा, बाईका बास, दौलतपुरा, गौरीका बास, जैफों की ढाणी कालाडेरा आदि में पेयजल व्यवस्था करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी) :

109 विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी के पापड़ा, पंचलगी, जोधपुरा, माणक साज, जहाज मण्डावरा, छापोली, गुडा, पौखा में फ्लोराइड होने की वजह से आर.ओ. प्लांट लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री श्रीराम भींचर (मकराना) :

110 विधान सभा क्षेत्र मकराना में जे.जे. वाई एवं टीएसएस योजना में सुधार कर अपने अधीनस्थ लेने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भैराराम चौधरी (ओसियां) :

111 विधान सभा क्षेत्र ओसियां में भीषण पेयजल की समस्या से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री शैतान सिंह (पोकरण) :

112 विधान सभा क्षेत्र पोकरण में अबेडेऊ में हैण्डपम्प खुदवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

113 विधान सभा क्षेत्र पोकरण में एस.सी. एवं एस.टी. एरिया में हैण्डपम्प खोदने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री नरेन्द्र कुमार (मण्डावा) :

114 विधान सभा क्षेत्र मण्डावा की अलसीसर पंचायत समिति में मीठे पानी की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री जयनारायण पूनियां (तारानगर) :

115 विधान सभा क्षेत्र तारानगर में पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री विश्वनाथ (खाजूवाला) :

116 विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला में गांवों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए एक वृहद्ध पेयजल योजना बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू) :

117 विधान सभा क्षेत्र बायतू के सहायक अभियन्ता के कार्य क्षेत्र में आने वाली लम्बित योजनाओं की स्वीकृति जारी करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

118 विधान सभा क्षेत्र बायतू के डण्ड-हीरा की ढाणी जलप्रदाय योजना की मरम्मत और रख-रखाव की स्वीकृति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

119 बाड़मेर में पूर्व में संचालित जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की परियोजना के लिए अतिरिक्त राशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

120 बाड़मेर जिले में पेयजल आपूर्ति के लिए संचालित नहरी पानी की परियोजनाओं को जल्द पूरा करवाने के संबध में चर्चा के लिए।

श्रीमती अनिता कटारा (सागवाड़ा) :

121 विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा की पादरड़ी बड़ी एवं डेचा पेयजल योजना को पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री विश्वनाथ (खाजूवाला) :

122 विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला में पेयजल डिग्गियों की साफ-सफाई करने एवं फिल्टर प्लांट ठीक करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) :

123 पाली जिले की रोहट तहसील के गांव फेकारिया, मुरडिया, पुरूलारी, गेलावास, राखना, धीगाना, सरदारपुरा की ढाणी, सज्जनपुरा, भीलों की ढाणी, खुरानी में पर्याप्त पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु पुरानी कम क्षमता वाली एवं क्षतिग्रस्त पाइप लाइनों को बदलकर अधिक क्षमता की नई पाइप लाइन बिछाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर) :

124 विधान सभा क्षेत्र बानसूर में पाइप लाइन डालने की स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

125 विधान सभा क्षेत्र बानसूर के सरकारी विद्यालयों में बोरिंग व हैण्डपम्प लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डा. मंजू बाघमार (जायल) :

126 विधान सभा क्षेत्र जायल में इन्दिरा गांधी नहर का पानी पेयजल के लिए पहुंचाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) :

127 विधान सभा क्षेत्र भीम में बीसलपुर व चम्बल योजना से भीम में पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) :

128 विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के पहाड़ी एवं ऊंचाई वाले क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति में सहयोग हेतु आवश्यक सिंगल फेज पम्प की स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

129 विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में कम दबाव से जल आपूर्ति की समस्या वाले क्षेत्रों में नई पाइप लाइन बिछाने एवं आवश्यक उच्च जलाशयों के निर्माण की स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

130 विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के ईस्ट-वेस्ट पाल रोड योजना क्षेत्र की आबादी को पेयजल समस्या से मुक्ति दिलाने हेतु डालीबाई मंदिर एवं डी.पी.एस. के पास प्रस्तावित उच्च जलाशय निर्माण के कार्य को प्राथमिकता से स्वीकृत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

131 विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में दूषित जल आपूर्ति की समस्या वाले क्षेत्रों में नई पाइप लाइन बिछाने की स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

132 जोधपुर शहर के लिए प्रस्तावित ए.एफ.डी. योजना को विशेष प्राथमिकता से स्वीकृत कर कार्य आरम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़) :

133 विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के घड़साना में वाटर वर्क्स कार्यालय का नवीनीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

134 विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के वाटर वर्क्स की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर) :

135 सांचौर में बंद पड़ी पेयजल स्कीमों को पुन: चालू कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

136 सांचौर में सीलू पेयजल परियोजना के 22 गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती अमृता मेघवाल (जालौर) :

137 जालौर शहर में नर्मदा परियोजना का पानी पेयजल के लिए उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (चाकसू) :

138 विधान सभा क्षेत्र चाकसू में बीसलपुर पेयजल योजना की क्रियान्विति कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) :

139 विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा की तहसील निम्बाहेड़ा जिला-चित्तौड़गढ़ के ग्राम रानीखेड़ा, उखलिया एवं फलवा के लिए प्रस्तावित पेयजल योजना की शीघ्र स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

140 विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा की तहसील छोटी सादड़ी जिला प्रतापगढ़ के ग्राम जलोदा जागीर एवं गांगरोल के लिए प्रस्तावित पेय योजना की शीघ्र स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

141 विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा की तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ के कनेरा गांव की भावलिया डैम से पेयजल स्कीम में गंदे पानी की समस्या के समाधान के लिए विभागीय स्कीम की शीघ्र स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

142 विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ की पेयजल समस्या के स्थाई समाधान हेतु क्षेत्र के गम्भीरी बांध में पेयजल हेतु 250 एम.सी.एफ.टी. पानी रिजर्व रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

143 विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा-छोटी सादड़ी के 1500 से अधिक आबादी वाले गांवों को विभागीय मापदण्डानुसार हैण्डपम्प से जनता जल योजना के अन्तर्गत परिवर्तित करने हेतु विभागीय स्कीम तैयार करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई) :

144 बांदीकुई में नवगठित पंचायतों में उच्च जलाशय की टंकी निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

145 बांदीकुई क्षेत्र के फ्लोराइड युक्त पानी वाले क्षेत्र में फिल्टर प्लांट लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

146 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल स्कीम के तहत लगे स्कल बिन्दुओं का बिल पंचायतों द्वारा नहीं भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

147 रेहडिया बांध से बांदीकुई को पेयजल सप्लाई करने का सर्वे करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

डा. प्रेम चन्द बैरवा (दूदू) :

148 विधान सभा क्षेत्र दूदू में बीसलपुर पाइप लाइन को पी.एस.पी. के स्थान पर घर-घर पानी के कनेक्शन दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

149 विधान सभा क्षेत्र दूदू के फ्लोराइडयुक्त गांवों में बीसलपुर बांध से पानी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

150 विधान सभा क्षेत्र दूदू के गांवों में खराब पड़े हैण्डपम्पों को पुन: चालू करवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

151 विधान सभा क्षेत्र दूदू के गांवों को बीसलपुर से पानी उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

सुश्री कीर्तिकुमारी (माण्डलगढ़) :

152 विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में चम्बल योजना से पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

153 विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ के बिजोलियां कस्बे की पेयजल आपूर्ति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

154 विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ की पंचायत समिति माण्डलगढ़ में पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन) :

155 विधान सभा क्षेत्र कपासन के ग्रामों में पेयजल योजना स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

156 कपासन कस्बे एवं भादसोडा कस्बे को पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

157 विधान सभा क्षेत्र कपासन के उपखण्ड मुख्यालय रासनी में संचालित कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय को क्रमोन्नत कर सहायक अभियंता कार्यालय बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) :

158 विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर क्षेत्र की जलप्रदाय योजनाओं की कमियों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

159 विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर की लूणकरणसर-कालू योजना में कालू ग्राम के दसों मौहल्लों को जो 25 दिन बाद पानी उपलब्ध होता है उसमें व्यापक सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) :

160 विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के जसवन्तपुरा, शिवनगर में खारे पानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

161 विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में स्कूलों में लगे सिंगल फेज बोरिंगों के विद्युत कनेक्शन काटने पर पेयजल की उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

162 विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में हैण्डपम्प तथा बोरिंगों में जल स्तर नीचे चले जाने से पेयजल न मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

163 विधान सभा क्षेत्र विराट नगर के नगरपालिका के वार्ड नं; 5, 6, 13, 14, 15, 16 एवं 17 में पीने के पानी की व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

164 विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के कस्बा पावटा, प्रागपुरा, बडनगर आदि में पेयजल के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) :

165 विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर में पेयजल लाइनों को तोड़कर अवैध रूप से पानी का दोहन कर सिंचाई आदि के कार्य में लिये जाने से पेजयल सप्लाई प्रभावित होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

166 विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर के विभिन्न हिस्सों में पुरानी हो चुकी पेजयल लाइनों के जगह-जगह क्षतिग्रस्त हो जाने से व उनके नालियों में से गुजरने के कारण नालियों का पानी इन जर्जर व टूटी हुई

लाइनों के माध्यम से आमजन के घरों में पहुंचने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

डा. किरोडी लाल (लालसोट) :

167 विधान सभा क्षेत्र लालसोट के शिवसिंहपुरा में ब्याड़वालों की ढाणी में पाइप लाइन डालकर पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

168 विधान सभा क्षेत्र लालसोट के फ्लोराइडयुक्त गावों में फिल्टर प्लांट लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

169 विधान सभा क्षेत्र लालसोट के ग्राम खोहरा, मुल्ला के पास सी.डब्ल्यू.आर. के निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

170 विधान सभा क्षेत्र लालसोट के महुआ में खेड़ला-सलेम्पुर योजना से पेयजल हेतु पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री घनश्याम (टोडाभीम) :

171 विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में टैंकरों से पानी सप्लाई किये जाने में हो रहे फर्जीवाड़े की रोकथाम के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री संजीव कुमार (भादरा) :

172 विधान सभा क्षेत्र भादरा की ढाणियों एवं चकों का सर्वे करवाकर पेयजल योजनाएं बनवाकर पीने का पानी पहुंचाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

173 विधान सभा क्षेत्र भादरा में आपणी योजना (पी.एन.सी.) से जुडे हुये गांवों में पेजयल नियमित रूप से नहीं पहुंचने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

174 विधान सभा क्षेत्र भादरा के पेयजल से वंचित गांवों में घर-घर पानी का कनेक्शन देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

175 विधान सभा क्षेत्र भादरा में पेयजल की नई योजनाएं बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

176 विधान सभा क्षेत्र भादरा के पी.एच.ई.डी. उप खण्ड कार्यालय भादरा एवं उप खण्ड-द्वितीय कार्यालय में कनिष्ठ अभियन्ताओं एवं अन्य कर्मचारियों के रिक्त पद शीघ्र भरवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़) :

177 विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के सूरतगढ़ शहर में पीने के पानी की समस्या को दूर करने के लिए नई योजना बनाकर पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) :

178 विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के गुढ़ा अखेराज पंचायत समिति देसूरी को पेयजल के लिए एम.एल.ए. कोटे से केसूली में खुदवाये जा रहे ओपनवेल से गुढा अखेराज तक पी.वी.सी. पाइप लाइन डालने की स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम) :

179 विधान सभा क्षेत्र बीकानेर पश्चिम के मुरलीधर व्यास कालोनी, बंगला नगर, गंगाशहर एवं अंदरूनी शहर में पानी की आपूर्ति पूरी नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

180 विधान सभा क्षेत्र बीकानेर पश्चिम के बीकानेर में पेयजल के नये प्रोजेक्ट न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

181 बीकानेर के शोभासर जल संग्रह की खस्ता हालत एवं निरन्तर पानी रिसाव की रोकथाम के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

182 विधान सभा क्षेत्र बीकानेर पश्चिम के अंदरूनी शहर में पुरानी एवं क्षतिग्रस्त पाइप लाइन को बदलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर) :

183 विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की तहसील कोटड़ी के ग्राम सांखड़ा में पेयजल पहुंचाने एवं ठेके पर लगे कर्मचारी जो पानी खोलने का कार्य करते हैं उनके भुगतान के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

184 विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के ग्राम कोठाज, आसोप, विश्नेया में पानी सप्लाई तत्काल सुचारू एवं पाइप लाइन बदलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

185 तहसील जहाजपुर व तहसील कोटड़ी में फ्लोराइडयुक्त पानी के लिए फिल्टर प्लांट लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

186 भीलवाड़ा जिले की महत्वपूर्ण पेयजल योजना चम्बल प्रोजेक्ट को समय सीमा में पूर्ण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री खेमाराम (सुजानगढ़) :

187 विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ में आपणी योजना द्वितीय फेज के कार्य के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

188 विधान सभा क्षेत्र जैतारण को ब्यावर से बीसपुर (बीसलपुर) बांध का पानी सप्लाई कराने एवं रोहट क्षेत्र को जोधपुर से पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं) :

189 विधान सभा क्षेत्र झुन्झुनूं के अन्तर्गत पेयजल योजनाओं को शीघ्र पूर्ण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

190 कुम्भाराम लिफ्ट नहर से झुन्झुनूं तहसील एवं अन्य क्षेत्र के लिए चल रही पेयजल स्कीम का कार्य शीघ्र पूरा करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

191 विधान सभा क्षेत्र झुन्झुनूं में बने हुये ट्यूबवेलों को शीघ्र वियुतीकरण से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) :

192 राज्य में स्थित जलदाय विभाग के सभी सम्भाग स्तरीय अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता कार्यालय को विभाग की पेयजल वितरण एवं आपूर्ति सम्बन्धी योजनाओं एवं कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की सीमा राशि 50 लाख तक कर अधिकार दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर) :

193 विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में बीसलपुर योजना के स्वीकृत कार्य को शीघ्र पूर्ण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर) :

194 विधान सभा क्षेत्र आदर्श नगर की क्षतिग्रस्त पाइप लाइनों को बदलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

195 आगरा रोड के बायीं ओर की कालोनियों को बीसलपुर योजना से जोड़कर पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

196 जयपुर शहर में गंदे पानी की समस्या के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

197 जयपुर शहर में 24 घण्टे पेयजल उपलब्ध कराने की योजना की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भंवर सिंह (कोलायत) :

198 विधान सभा क्षेत्र कोलायत के कोलायत, बज्जू व देशनोक में सहायक अभियन्ता एवं कनिष्ठ अभियन्ता के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

199 राज्य में जलदाय विभाग में तकनीकी अधिकारियों व अन्य रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

200 बीकानेर जिले में सार्वजनिक ट्यूबवेल चलाने तथा पाइप लाइन का रख-रखाव करने वाले कर्मचारियों को नियमित करने एवं उनका मानदेय बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

201 विधान सभा क्षेत्र कोलायत के तीन दर्जन से अधिक गांवों में जलदाय विभाग द्वारा पेयजल उपलब्ध नहीं करवाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

202 वर्ष 2013-14 में बीकानेर जिले की नोखा तहसील व देशनोक नगर पालिका क्षेत्र को इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पेयजल उपलब्ध कराने के स्वीकृत शुदा कार्य को चालू कर पेयजल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी) :

203 विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में जाखम डैम से ग्राम पंचायत थड़ा, बरड़िया, रठाजना, देवगढ़, खोरिया, चिकलाड़ एवं ग्यासपुर में पेयजल की योजना बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

204 विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के पंचायत समिति प्रतापगढ़ के वन क्षेत्रों में बसे लागों को पेयजल हेतु सोलर पम्प लगवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

डा. मंजू बाघमार (जायल) :

205 विधान सभा क्षेत्र जायल में पेयजल हेतु नागौर से फरडौद तक 35 किलोमीटर की एक अस्थाई पाइप लाइन द्वारा इंदिरा गांधी नहर का पानी पहुंचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

206 विधान सभा क्षेत्र जायल (नागौर) में पेयजल हेतु प्रत्येक गांव में ट्यूबवेल खुदवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

207 विधान सभा क्षेत्र जायल के ग्राम मीण मांजरा और लालगढ़ में दो-दो नये ट्यूबवेल खुदवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री लादूराम (गुढामालानी) :

208 विधान सभा क्षेत्र गुढामालानी पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत अनियमित सप्लाई के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

209 विधान सभा क्षेत्र गुढामालानी में नर्मदा नहर से पेयजल आपूर्ति के कार्य को शीघ्र पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती अनीता (नगर) :

210 विधान सभा क्षेत्र नगर में जनता जल योजना में बिजली का बिल विभाग द्वारा भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

211 विधान सभा क्षेत्र नगर के फ्लोराइड से ग्रसित प्रत्येक गांव में आर.ओ. प्लांट लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

212 विधान सभा क्षेत्र नगर में खराब पड़े सभी हैण्डपम्प सही कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

213 विधान सभा क्षेत्र नगर के गावों के लिए मीठे पानी की नई योजना स्वीकृत करने एवं सीकरी ग्राम पंचायत की पेयजल आपूर्ति को 24 घण्टे के अन्तराल में किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

214 विधान सभा क्षेत्र नगर के गांवों में खाली पड़ी टंकियों को काम में लेने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़) :

215 विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के अन्तर्गत जमवारामगढ़ झील में पानी लाये जाने की योजना स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

216 विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में नकारा हैण्डपम्पों की जगह नये हैण्डपम्प लगाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

217 विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में खारे पानी एवं फ्लोराइड पानी वाले गांवों में शुद्ध मीठा जल उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

218 विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में जिन ग्राम पंचायत स्तर पर पीने के पानी की वृहद योजना नहीं है वहां वृहद योजना स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

219 विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में आगामी गर्मी के मौसम को देखते हुये आवश्यक स्थानों पर सिंगल फेज ट्यूबवेल लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री रमेश (सपोटरा) :

220 बजट अभिभाषण में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पैरा संख्या-37 में की गई घोषणा के अनुसार फ्लोराइड और सेलिनिटी प्रभावित विधान सभा क्षेत्र सपोटरा के गांवों में 100 आर.ओ. प्लांट की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

221 माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बजट घोषणा के पैरा संख्या-38 के क्रम में विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में 50 सोलर एनर्जी बेसड् बोरवेल की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) :

222 विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के फुलेरा, सांभर, नरेना एवं किशनगढ़ रेनवाल कस्बे में पेयजल सप्लाई की मात्रा में बढ़ोतरी करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

223 विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में बीसलपुर परियोजना का कार्य शीघ्र पूरा करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

224 विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के किशनगढ़-रेनवाल में नया सहायक अभियन्ता कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

225 विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के फुलेरा, किशनगढ़-रेनवाल एवं नरेना कस्बे के लिए पेयजल वितरण एवं नई पाइप लाइन डालने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती सुशील कंवर (मसूदा) :

226 विधान सभा क्षेत्र मसूदा में निर्मित 26 एस.एल.आर. व जी.एल.आर. पानी की टंकियों को बीसलपुर परियोजना खण्ड भिनाय से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

227 विधान सभा क्षेत्र मसूदा में सौर ऊर्जा से चलने वाली सिंगल फेज ट्यूबवेल का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

228 विधान सभा क्षेत्र मसूदा में पुराने खराब पम्प हाउसों की मरम्मत कराने एवं नये बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) :

229 विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में नवलगढ़ की संवर्घन ग्रामीण योजना कोलसिया, परसरामपुरा एवं बसावा तथा नवलगढ़ की पुर्नगठित शहरी जल योजना नवलगढ़ का कार्य पूर्ण नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

230 विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में 13 दिसम्बर, 2013 के बाद पेयजल आपूर्ति हेतु एक भी हैण्डपम्प व ट्यूबवेल स्वीकृत नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

231 विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के विभिन्न कस्बों/गांवों को तारानगर, झुन्झुनूं, सीकर एवं खेतड़ी वृहद पेयजल परियोजना के द्वितीय चरण में सम्मिलित करने के बावजूद योजना की स्वीकृति नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

232 विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में संवर्द्धन शहरी, नवलगढ़ योजना का कार्य प्रारम्भ नहीं करने तथा पम्प एवं टैंक से परिवर्तित पाइप्ड योजना, ग्राम कोलसिया का कार्य पूर्ण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री कृष्णा कड़वा (संगरिया) :

233 विधान सभा क्षेत्र संगरिया के ग्राम–वन एम.के.एस.–ए, गुडिया तहसील टिब्बी में वाटर सप्लाई स्कीम मंजूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

234 विधान सभा क्षेत्र संगरिया के चक 3 एस.एन.जी. ग्राम पंचायत ढ़ाबा तहसील संगरिया में Single Filter Scheme के तहत एक अतिरिक्त फिल्टर की स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

235 विधान सभा क्षेत्र संगरिया के ग्राम-14 एम.के.एस, शेरगढ़ तहसील टिब्बी में Single Filter Scheme योजना के तहत एक अतिरिक्त फिल्टर की मंजूरी के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

236 विधान सभा क्षेत्र संगरिया में अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र ग्राम कीकरवाली में वाटर सप्लाई स्कीम मंजूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

237 विधान सभा क्षेत्र संगरिया के ग्राम 6 बी एस पी-ए, ढाबा में वाटर सप्लाई स्कीम योजना के तहत पुरानी पाइप लाइनों को बदलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) :

238 पाली जिले की रोहट तहसील के अंतिम छोर के गांवों को भी पर्याप्त पेयजल पहुंचाने हेतु नई योजना स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

239 पाली जिले की रोहट तहसील के प्रत्येक गांव में नया टयूबवेल लगाने एवं आर.ओ. प्लांट लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

240 पाली जिले की रोहट तहसील के गांव भीतडा, माडपुरिया, इन्द्रको की ढाणी की पेयजल आपूर्ति पाली शहर से नई योजना बनाकर सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

परिशिष्ट-3

मांग संख्या 46-सिंचाई (इंदिरा गांधी नहर परियोजना सहित) पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-46 मुख्य शीर्षक सिंचाई (इंदिरा गांधी नहर परियोजना सहित) के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

1. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के जवाई बांध में नियमित पानी की आवक बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर) :

2. विधान सभा क्षेत्र कोटा उत्तर में कोटा शहर की चम्बल नदी के दोनों किनारों पर प्रोटेक्शन वाल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर) :

3. विधान सभा क्षेत्र नोहर के नोहर-फीडर तथा सिद्धमुख परियोजनाओं में पूर्ण बजट उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
4. नोहर भादरा क्षेत्र के सिंचाई सुविधा से वंचित 25 गांवों को सिंचाई सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर) :

5. भरतपुर स्थित सी एफ सी डी को अतिक्रमण से मुक्त कराकर पक्का बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
6. भरतपुर में 1995-96 में आई भंयकर बाढ़ से टूटे चिकसाना बांध की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
7. भरतपुर जिले के बंधबरेठा बांध से बरसात के समय ओवरफ्लो पानी को (उत्तर प्रदेश) जाने से बचाने के लिए ग्राम माड़ापुरा के पास नाला बनाकर सिंचाई हेतु अंजान बांध में पानी उपलब्ध करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
8. भरतपुर शहर की सी.एफ.सी.डी. के ऊपर ब्रिगेडियर थाजीराम नगर के सामने पुल बनाकर मदरपुर ग्राम वासियों को रास्ता दिलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

9. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर को पांचना बांध की गम्भीर नदी के द्वारा अजान बांध में सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर) :

10. कोटा सम्भाग की परवन बृहत सिंचाई परियोजना की जल्दी स्वीकृति जारी कर काम पूर्ण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना) :

11. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में नर्मदा प्रोजेक्ट को सिवाना क्षेत्र तक बढ़ाकर सिंचाई हेतु पानी देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) :

12. प्रदेश में बरसात के पानी को रोकने के लिए चैक डेम एवं एनिकट बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

13. बहरोड़ तहसील को डार्क जोन घोषित करने के कारण चंबल का पानी बहरोड़ में लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

14. अलवर जिले में सिंचाई हेतु यमुना नदी का पानी लाने की योजना बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

15. बहरोड़ तहसील में नहरें बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

16. इंदिरा गांधी नहर परियोजना में पंजाब से प्रदूषित व औद्योगिक इकाइयों का रासायनिक पानी डाले जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास) :

17. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में निर्मित बांधों का सुदृढ़ीकरण करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

18. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में यमुना नदी के पानी में राजस्थान के हिस्से का पानी हरियाणा कैनाल से लाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) :

19. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में नये एनिकटों के लम्बित प्रस्तावों को स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

20. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में खिरजां तिबना से बोलनाडी नदी के तट की बंधाई एवं मरम्मत हेतु विभाग द्वारा तैयार किये गये राशि 57.30 लाख के प्रस्ताव की स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

21. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों के गांवों में बरसाती पानी को रोकने हेतु एनिकट निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

22. जोधपुर जिले को सिंचाई के लिए इंदिरा गांधी नहर से पानी देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

कुं. जगत सिंह (कामां) :

23. विधान सभा क्षेत्र कामां के गुडगांवा नहर में पहाड़ी वितरिका के कार्यों की गुण्वत्ता की जांच कराने एवं गुडगांवा नहर के जीर्णोद्धार हेतु राशि स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

24. विधान सभा क्षेत्र कामां में गुडगांवा नहर में राजस्थान के हिस्से का पानी सिंचाई हेतु नियमित दिलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुशील कटारा (चौरासी) :

25. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में कडाणा बैंक वाटर से लिफ्ट कर सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

26. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में कडाणा बांध का पानी सिंचाई के लिए लिफ्ट योजना के माध्यम से उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

27. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में डोल कुन्जेला, राताघाटा, बलवनिया नाका एवं भैकानाका के बांधों का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

28. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

29. राज्य की नदियों एवं बड़े बांधों को आपस में जोड़ने के लिए वृहत योजना बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) :

30. विधान सभा क्षेत्र लूणी में बहने वाली लूणी नदी पर पुलिया बनाने एवं इसमें फैक्ट्रियों के प्रदूषित पानी को पर्यावरण सुरक्षा हेतु रोकने

एवं लूणी, सुकड़ी व बांडी नदियों को साबरमती नदी से प्रस्तावित लिंक कैनाल से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भजनलाल जाटव (वैर) :

31. विधान सभा क्षेत्र वैर में सिंचाई की समस्या के समाधान हेतु कारगर उपाय किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामपाल (बारां-अटरू) :

32. विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू में परवन बांध परियोजना से परवन नदी पर बांध बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) :

33. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में आहू नदी पर बड़ा एनिकट एवं लघु सिंचाई परियोजनाएं जैसे फावा के तालाब, धीगदा बांध, उण्डवा का तालाब, बोराबास का तालाब आदि पर नई सिंचाई परियोजनाएं बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

34. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में ताकली सिंचाई परियोजना को तत्परता से पूर्ण कर पेयजल हेतु 20 एम एल ओ पानी सुरक्षित रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीधर (खण्डेला) :

35. विधान सभा क्षेत्र खण्डेला में पहाड़ी क्षेत्र में छोटे-छोटे एनिकट बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम (टोडाभीम) :

36. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के विभिन्न बांधों को गहरा कर पानी भराव क्षमता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी) :

37. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में सिंचाई की दृष्टि से भंवरबड़ा बांध, झांतला बांध एवं खैरियादो बांध के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

38. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में बने वागन डैम की नहरों की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री दलीचन्द डांगी (मावली) :

39. विधान सभा क्षेत्र मावली में नहरों का सुदृढ़ीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र गुर्जर (देवली-उनियारा) :

40. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में स्थित बांधों की मरम्मत नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

41. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में बीसलपुर नहरों के धोरों का निर्माण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

42. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में बीसलपुर नहरों के धोरों का रखरखाव नहीं होने के कारण पानी व्यर्थ बहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा) :

43. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में अरावली पर्वतमाला की श्रृंखला होने के कारण छोटे-बड़े चलने वाले नदी-नालों पर चैक डैम, एनिकट एवं बांध बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

44. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा की पंचायत समिति सांचोर की 8 ग्राम पंचायतें गुन्दाऊ, नैंनोल, सरनाऊ, दांता, पूर, पांचला, सांकड़ एवं सुरावा जिनके पास से ही नर्मदा नहर निकलती है, को सिंचाई का पानी उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

45. जालौर, सिरोही एवं बाड़मेर जिलों को माही का पानी उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नवनीत लाल (घाटोल) :

46. विधान सभा क्षेत्र घाटोल के माही डैम की दायीं तरफ पीपलूखूंट क्षेत्र में 2006 में किये गये सर्वे अनुसार कार्य प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

47. विधान सभा क्षेत्र घाटोल में माही डैम की जर्जर नहरों की मरम्मत कराने एवं मुख्य अभियंता का पद स्थापन बांसवाड़ा हैड क्वार्टर पर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर) :

48. जिला डूंगरपुर के सिंचाई विभाग द्वारा जिला परिषद को हैण्डओवर किये गये तालाबों को पुन: सिंचाई विभाग के अधीन लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

49. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के सभी नदी-नालों का सर्वे कर तालाब-बांध-एनिकट आदि बनाने हेतु डी.पी.आर. तैयार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

50. डूंगरपुर जिले की मेवाड़ा सिंचाई परियोजना की दांई-बांई नहरों का निर्माण पूर्ण करने तथा बनी नहरों को ठीक करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

51. डूंगरपुर जिले का सिंचाई अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय डूंगरपुर में स्थापित कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

52. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर का सतही जल बहकर समुद्र में जाता है उसे रोककर सिंचाई के उपयोग में लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पब्बाराम (फलौदी) :

53. विधान सभा क्षेत्र फलौदी में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की गुरु जम्भेश्वर लिफ्ट नहर पर ग्राम नेंवा एवं कानासर में स्थानों का चिन्हीकरण कर आमजन एवं किसानों के आवागमन हेतु पुलियांओं का निर्माण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

54. विधान सभा क्षेत्र फलौदी में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की जम्भेश्वर लिफ्ट कैनाल के पम्पिंग स्टेशन 4 से 7 तक विद्युत लाइनों को पुन: लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

55. विधान सभा क्षेत्र फलौदी में गुरु जम्भेश्वर लिफ्ट से निकलने वाली तालरिया माइनर के सिंचाई प्लान में ग्राम नेंवा के खेत खसरा नंम्बर 14, 16, 17, 18, 19, 582 को शामिल किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

56. विधान सभा क्षेत्र फलौदी में इंदिरा गांधी नहर के द्वितीय चरण में निर्मित लिफ्ट कैनाल के पैट्रोलिंग हेतु निर्मित सड़क मार्ग की मरम्मत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

57. विधान सभा क्षेत्र फलौदी में गुरु जम्भेश्वर लिफ्ट (फलौदी लिफ्ट) के सिंचित क्षेत्र 35604 हैक्टेयर के लिए निर्धारित 176 क्यूसेक पानी उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अमृतलाल (सलूम्बर) :

58. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में नहरों को पक्का करने एवं मरम्मत कर पानी को टेल तक पहुंचाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

59. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में जयसमन्द झील की सभी नहरों की मरम्मत, सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

60. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में डाया तालाब एवं हरचन्द तालाब की मरम्मत, नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

61. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में घूरघाटी तालाब एवं केजड़ तालाब की नहरों का नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

62. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में लिफ्ट लगाकर सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण) :

63. विधान सभा क्षेत्र कोटा दक्षिण में चम्बल नदी की दांयीं एवं बायीं मुख्य नहरों के जीर्णोद्धार कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

64. विधान सभा क्षेत्र कोटा दक्षिण में चम्बल नदी की दायीं एवं बायीं मुख्य नहर के टेल क्षेत्र तक नहरी पानी पहुंचाने के लिए विशेष कार्य योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) :

65. पाली शहर के लोडिंया बांध के पानी के आवक के रास्ते एवं लोडिंया फीडर पर हुए अतिक्रमण को हटाकर पानी आवक का मार्ग खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

66. पाली जिले की रोहर तहसील के खाटड़ा बांध के पानी के आवक के मार्ग से आ रही चट्टानों एवं अन्य बाधाओं को हटाकर आवक का रास्ता बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

67. विधान सभा क्षेत्र पाली की विचारधीन जंवाई पुर्नभरण योजना को तत्काल स्वीकृत कर कार्य शुरू कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

68. पाली जिले के सरदार समंद बांध के कैचमेंट क्षेत्र में माननीय उच्च न्यायालय की रोक के बाद भी हुए निर्माण को तत्काल हटाने एवं निर्माण के दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जय नारायण पूनियां (तारानगर) :

69. विधान सभा क्षेत्र तारानगर में चौ. कुम्भाराम आर्य लिफ्ट सिंचाई योजना में छोड़ा गया एरिया पुन: खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) :

70. विधान सभा क्षेत्र भीम के अन्तर्गत भोपाल सागर, नीमझर बांध, बरार बांध, कडिया देह बांध एवं क्षतिग्रस्त सभी बांधों की नहरों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री विश्वनाथ (खाजूवाला) :

71. विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला की के.जे.डी., बी.डी., बी.जी.एम. नहरों का बेड लेवल ठीक कराकर अंतिम छोर पर पानी पहुंचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

72. विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला की नहरों की मरम्मत एवं डिसिल्टिंग का कार्य करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू) :

73. जैसलमेर में इंदिरा गांधी नहर की वितरिकाओं में खेती के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

74. विधान सभा क्षेत्र बायतू में इंदिरा गांधी नहर की वितरिकाओं और खालों का रखरखाव के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

75. विधान सभा क्षेत्र बायतू में नर्मदा नहर परियोजना का बाड़मेर जिले तक विस्तार करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

76. जैसलमेर में इंदिरा गांधी नहर पर आबंटित कच्चे खालों के मुरब्बों के खालों का पक्का निर्माण कार्य कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दर्शन सिंह (करौली) :

77. विधान सभा क्षेत्र करौली में स्थित गुडला पांचना बांध की बंद पड़ा लिफ्ट परियोजना का कार्य चालू करवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) :

78. विधान सभा क्षेत्र पाली में पाली शहर की आबादी बस्ती से गुजरने वाली खुली जवाई नहर को ढकवाने एवं इसमें पड़ी गंदगी की सफाई करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) :

79. बाड़मेर लिफ्ट केनाल परियोजना के द्वितीय चरण में हुए टेण्डरों को निरस्त करने एवं लिफ्ट के कार्यों में हो रही देरी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर) :

80. राज्य की एवं अलवर जिले की नदियों की खुदाई कराकर गहरा कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. मंजू बाघमार (जायल) :

81. विधान सभा क्षेत्र जायल के किसानों को प्रशिक्षण देकर बूंद-बूंद एवं ड्रिप सिस्टम से सिंचाई कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

82. विधान सभा क्षेत्र जायल में इंदिरा गांधी नहर परियोजना में तकनीकी अधिकारियों एवं अन्य विभागीय कर्मचारियों के रिक्त पद भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़) :

83. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ की अनूपगढ़ शाखा से निकलने वाली माइनरों के सतह का स्तर सही कर टेल तक पानी पहुंचाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

84. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ की अनूपगढ़ शाखा की मरम्मत व सील्ट निकालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर) :

85. विधान सभा क्षेत्र सांचौर में नर्मदा नहर परियोजना की सभी वितरिकाओं में टेल तक पानी नहीं पहुंचने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

86. विधान सभा क्षेत्र सांचौर में नर्मदा नहर की बालेरा वितरिका पर घटिया निर्माण की जांच के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री श्रीचन्द्र कृपलानी (निम्बाहेड़ा) :

87. विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा की तहसील निम्बाहेड़ा के ऊंचा बांध की ऊंचाई बढ़ाने एवं विरियाखेड़ी जाने वाले रास्ते पर पुलिया (ब्रिज) निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

88. विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ के कनेरा घाटा क्षेत्र के पीलखेड़ी गांव के नाले पर प्रस्तावित रोण्का नाका लघु सिंचाई परियोजना की स्वीकृति शीघ्र जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

89. विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा की तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ की ग्राम पंचायत जलिया के अन्तर्गत प्रमुख दर्शनीय स्थल सिगरी हनुमानजी जाने वाले रास्ते पर कदमाली नदी पर एनिकट कम काजवे की ऊंचाई बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

90. जिला चित्तौड़गढ़ के सांखलाखेड़ा बांध की ऊंचाई बढ़ाकर तहसील क्षेत्र निम्बाहेड़ा की ग्राम पंचायत अरनोदा व टाई के गांवों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

91. विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा के किसानों की सिंचाई सुविधा के लिए पंचायत समिति निम्बाहेड़ा की ग्राम पंचायत ढोरिया के समीप भेरूघाटी बांध के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) :

92. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में स्थित ग्रामीण क्षेत्र के सभी तालाबों के पानी आवकों, नालों एवं मोरियों को खोलने की प्रशासनिक स्तर पर महत्वपूर्ण प्रभावी योजना का क्रियान्वयन कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

93. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ स्थित नेशनल हाइवे 8 पर स्थित बादंरसिदंरी गांव में स्थित रामसरोवर तालाब का पक्का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

94. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में स्थित डीडवाडा गांव के मदनसागर एवं जयसागर तालाब की नहरों को पक्का कर सिंचाई कराने की योजना की क्रियान्विती कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

95. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ स्थित काचरिया गांव के नया तालाब की नहर बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन) :

96. मात्रीकुंडिया बांध से बनास नदी को रिचार्ज करने के लिए 50 एमसीएफटी पानी छोड़ने एवं मात्रीकुंडिया बांध से नहर बनाकर डिण्डोली बांध को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

97. विधान सभा क्षेत्र कपासन में सोमी बांध की मरम्मत व नहरों को पक्का करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

98. विधान सभा क्षेत्र कपासन में अपूर्ण एवं क्षतिग्रस्त एनिकट मोरपगा, ऊपरडा, राश्मी बगतावरपुरा एवं गेगपुरा के लिए राशि स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (चाकसू) :

99. विधान सभा क्षेत्र चाकसू में अतिवृष्टि से टूटे एनिकटों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) :

100. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में इंदिरा गांधी परियोजना के सिंचित क्षेत्र को सीमिति रखने पर लगी हुई पाबंदी वर्ष 2005 से हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) :

101. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में सिंचाई हेतु बने बांधों से सिंचाई न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

102. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर स्थित जवानपुरा धाबाई में निर्मित बांध के निकासी क्षेत्र में अतिक्रमण से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

103. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के छितोली बांध के भराव क्षेत्र में कृषि कार्य करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

104. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर जवानपुरा बांध से निकली नहर पर अतिक्रमण होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

105. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में तालाबों एवं बांधों का सुदृढ़ीकरण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) :

106. अलवर के जयसमन्द बांध के जल स्रोत पर कब्जे हो जाने के कारण उक्त बांध के कई वर्ष से खाली रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट) :

107. विधान सभा क्षेत्र लालसोट में बाणगंगा नदी पर ग्राम टुडियाना एवं पाली के पास सिंचाई हेतु एनिकट बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

108. विधान सभा क्षेत्र लालसोट के लिए पांचना बांध (करौली) से सिंचाई हेतु पानी छोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

109. विधान सभा क्षेत्र लालसोट में चम्बल पर निर्मित इंदिरा लिफ्ट सिंचाई योजना को स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

110. विधान सभा क्षेत्र लालसोट हेतु चम्बल के पानी को लिफ्ट कर सिंचाई हेतु उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

111. विधान सभा क्षेत्र लालसोट में पीपलदा, पिपलेट सिंचाई योजना की स्वीकृति देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संजीव कुमार (भादरा) :

112. विधान सभा क्षेत्र भादरा में अमरसिंह सब ब्रांच में हरियाणा से अपने हिस्से का पूरा पानी लेने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

113. विधान सभा क्षेत्र भादरा के गांव डाबड़ी मौजाना एवं रतनपुरा के सिंचाई से वंचित रकबे की पुन: सर्वे कराकर सिद्धमुख नहर परियोजना से जुड़वाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

114. विधान सभा क्षेत्र भादरा के सिंचाई से वंचित 14 गांवों को सिंचाई से जोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

115. आर.डब्ल्यू.एस.आर.पी. खण्ड भादरा एवं उसके अधीन उपखण्डों में सहायक अभियंताओं, कनिष्ठ अभियंताओं एवं अन्य कर्मचारियों के रिक्त पद शीघ्र भरवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

116. विधान सभा क्षेत्र भादरा में सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना में हरियाणा से सिंचाई हेतु पूरा पानी लेने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) :

117. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के फुलाद बांध से हो रही सिंचाई की कच्ची नहरों को पक्का करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़) :

118. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पानी लेकर सिंगरासर माइनर का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

119. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में कंवरसेन लिफ्ट परियोजना से बूंद-बूंद सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

120. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में पीबीएन व एसटीजी की टेल व खालों को पक्का करने एवं मोखों का डिस्चार्ज ठीक कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

121. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में चक 9 व 10 एम सी एम में खाले बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

122. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में सेम समस्या से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुन्झुनूं) :

123. विधान सभा क्षेत्र झुन्झूंनू में इंदिरा गांधी नहर की मरम्मत एवं सफाई कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

124. विधान सभा क्षेत्र झुन्झुनूं में यमुना जल में से राजस्थान के हिस्से का पानी सिंचाई हेतु झुंझुनूं एवं चूरू जिले में शीध्र लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी) :

125. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के रामसागर बांध एवं पार्वती बांध में चम्बल से लिफ्ट कर पानी पहुंचाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

126. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में पार्वती बांध से निकली नहरों को पक्की किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

127. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में रामसागर बांध की नहरों को पक्की किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं) :

128. विधान सभा क्षेत्र बेगूं की राणा प्रताप सागर की नहरों के पुर्ननिर्माण व कारयामुडी एनिकट निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. मंजू बाघमार (जायल) :

129. सरकार द्वारा बूंद-बूंद सिंचाई को बढ़ावा देने हेतु दी जाने वाली सब्सिडी राशि में बढोतरी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर) :

130. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर की नहरों के क्षतिग्रस्त हेड रेगुलेटर ठीक करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

131. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में इंदिरा गांधी नहर का सिल्ट निकालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

132. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में इंदिरा गांधी नहर की डिग्गी निर्माण कर फब्बारा पद्धति से सिंचाई कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनीता (नगर) :

133. विधान सभा क्षेत्र नगर में सीकरी बांध को गुडगांव कैनाल से लिफ्ट द्वारा सौ क्यूसेक पानी देने की योजना की डी.पी.आर. के लिए मात्र 1.50 लाख रुपये की स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

134. गुडगांव कैनाल से भरतपुर के हिस्से का पूर्ण पानी दिलाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

135. विधान सभा क्षेत्र नगर के गांव ककडा में टूटे बांधों का पुर्ननिर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

136. पांचना बांध के गम्भीर नदी से आने वाले पानी को रोके जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

137. यमुना जल बटवारे के समझौते के अनुरूप भरतपुर जिले को शीघ्र पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़) :

138. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में राया बाला बांध की सिंचाई नहर बिनजारा की ढाणी से दु:खभेजन हनुमानजी के मंदिर तक पक्की सड़क बनवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

139. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में फब्बारा एवं बूंद-बूंद सिंचाई योजना को प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

140. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में नकटी घाटी के पास दोत की दहड़ा में एनिकट बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

141. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में जमवारामगढ़ बांध से निकलने वाली सिंचाई की नहरों पर किये गये अतिक्रमण को हटाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

142. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में खरड़ बांध से निकलने वाली सिंचाई की नहर की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रमेश (सपोटरा) :

143. विधान सभा क्षेत्र सपोटरा की दोहरी बांध परियोजना को पूर्ण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

144. विधान सभा क्षेत्र सपोटरा की कालीसिंध नदी की नहरों की टेल तक पानी पहुंचाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

145. विधान सभा क्षेत्र सपोटरा के नींदर बांध (मण्डरायल) की नहरों के टेल तक पानी पहुंचाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई) :

146. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के ग्राम गादरवाड़ा गूजरान नाले पर एनिकट निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

147. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के ग्राम भावंता भावंती में एनिकट निर्माण कार्य कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) :

148. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के जैतपुरा बांध के पुन: निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

149. जयपुर जिले के कालख बांध के पुन: निर्माण की योजना बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) :

150. झुंझुनूं जिले में सिंचाई हेतु वृहद सिंचाई योजना स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) :

151. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा की सिंचाई परियोजनाओं का पुन: निर्माण एवं मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कृष्णा कड़वा (संगरिया) :

152. विधान सभा क्षेत्र संगरिया में इंदिरा गांधी नहर बुर्जी नं. 582 पर गेट बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) :

153. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के किसानों के कुओं के कृषि कनेक्शनों में गिरते हुए जल-स्तर को ध्यान में रखते हुए सिंचाई के लिए सिंगल फेस कनेक्शन जारी किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू) :

154. जैसलमेर में इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में आवासीय कालोनियों की व्यवस्था करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

परिशिष्ट-4

मांग संख्या 38-लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण पर

कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-38 मुख्य शीर्षक लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

1. पाली जिले के विभिन्न बांधों के कमांड क्षेत्र के किसानों के लिए लघु सिंचाई योजनाएं बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर) :

2. विधान सभा क्षेत्र कोटा उत्तर में बी.सी. रेशो समाप्त कर लघु सिंचाई परियोजनायें बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना) :

3. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के गुडानाल, सिनेर, गुगरोट, धारणा, कुण्डल, कांखी, धीरा, सैला, भणवा, मवडी, देवरी, गोपणा, भाखरपर, चैकडेम/एनिकट निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर) :

4. विधान सभा क्षेत्र आहौर के ग्राम रायथल के भीम तालाब में पानी की आवक बढ़ाकर मिनी डैम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) :

5. मुख्य मंत्री की बजट घोषणा वर्ष 2013-14 में क्षतिग्रस्त धारिया बांध के जीर्णोद्धार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) :

6. बहरोड़ तहसील डार्क जोन घोषित होने पर बूंद-बूंद सिंचाई योजना को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
7. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में खापडीया गांव के पास एनिकट बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
8. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में शिवदानसिंहपुरा गांव के पास एनिकट बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

9. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के नीमराना तहसील में खुदरोढ गांव के पास एनिकट बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

10. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में माढणां एवं मंगलपुर गांव के पास बांध बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत) :

11. विधान सभा क्षेत्र सोजत के बिराटियाकला ग्राम के लघु काश्तकारों को सिंचाई हेतु रायपुर झिलमिल बांध का कमांड एरिया बढ़ाकर सिंचाई हेतु पानी देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुशील कटारा (चौरासी) :

12. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में मह्डुडीपाल एवं माण्डेला उपली में नये तालाब निर्माण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

13. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में गजपुर तालाब, भादर, पिपलिया, घोड़ियों का नाका, बिलपन, सीयल तालाब की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

14. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में भैका नाका लघु परियोजना से लिफ्ट योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

15. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में विभिन्न क्षेत्रों के गांवों को बरसाती पानी को बचाने हेतु तालाब एवं एनिकटों के निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

16. प्रदेश में बरसात के समय बहकर जाने वाले पानी को रोकने के लिए चैकडैम एवं छोटे-छोटे एनिकट बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ललित कुमार (किशनगंज) :

17. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज की अहमदी सिंचाई परियोजना को जल्दी शुरू कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

18. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में हथियादह सिंचाई परियोजना एवं बिलासी नदी पर कन्यादह एनिकट बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) :

19. तहसील बाड़मेर के ग्राम लूणू में सिंचाई विभाग द्वारा पूर्व में बनाये गये एनिकट में मृदाभराव होने के कारण उसके विस्तार हेतु स्वीकृति देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) :

20. जोधपुर, बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में पानी की कमी को ध्यान में रखते हुए किसानों को फव्वारा पद्धति में बढ़ावा देने के विशेष प्रयास करने एवं विभिन्न गांवों के छोटे-छोटे नालों में बरसाती पानी को रोकने हेतु एनिकट एवं बांधों का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण) :

21. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में लघु सिंचाई के लिए फव्वारा या पाइप लाइन की योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

22. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में एनिकट बनवाकर छोटे-छोटे किसानों को नहर द्वारा सिंचाई करवाने की योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

23. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण के ग्रामीण क्षेत्रों में खुले कुएं खुदवाकर किसानों को सिंचाई सुविधा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीधर (खण्डेला) :

24. विधान सभा क्षेत्र खण्डेला में बंजर भूमि व खेतों की भूमि का पानी से कटाव को रोकने हेतु छोटे-छोटे एनिकट बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा) :

25. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में भूमि संरक्षण के लिए बड़ी नदियों पर सिरीज आफ एनिकट निर्माण कराने एवं पुराने बने एनिकटों की मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

26. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में अरावली पर्वतमाला की श्रृंखला होने के कारण छोटे-बड़े नदी-नालों पर चैकडैम एनिकट एवं बांध बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नवनीत लाल (घाटोल) :

27. विधान सभा क्षेत्र घाटोल में वड़लीखेड़ा के वेवनाला डुगलावाणी में मोकाटोक, भूराकुण्ड एवं गांव जामली उमरिया में पेशावालाखोरा पर तालाब बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमृतलाल (सलूम्बर) :

28. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में भूमि कटाव रोकने के लिए जगह-जगह एनिकटों का निर्माण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

29. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में बड़ी नहरों से छोटी-छोटी नहरों का निर्माण कर खेतों में सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

30. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में जगह-जगह पर छोटे-छोटे एनिकटों का निर्माण कर भूमि संरक्षण को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

31. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में जगह-जगह चैकडैमों का निर्माण कर भूमि संरक्षण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

32. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में लघु सिंचाई के लिए जगह-जगह धोरों का निर्माण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण) :

33. राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिये चलाई जा रही लघु सिंचाई सम्बन्धित योजना पर अनुदान राशि को बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) :

34. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में सोलर पर आधारित ऊर्जा को विकसित कर बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति को प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

35. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति को प्रभावी बनाने के लिए किसानों को देय अनुदान राशि बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) :

36. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति के प्रोत्साहन हेतु कार्य योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर) :

37. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में भूमि संरक्षण हेतु खेतों की मेड़बन्दी कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

38. विधान सभा क्षेत्र बानसूर के ग्रामों में एनिकट बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर) :

39. विधान सभा क्षेत्र सांचौर में भूमि संरक्षण के लिए महानरेगा के तहत एनिकट, मेड़बन्दी व थोररोपण के कार्य कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) :

40. पंचायत समिति छोटी सादड़ी जिला प्रतापगढ़ की गाम पंचायत रंभावली के गांव नरवालाखेड़ा से रंभावली के मध्य रास्ते पर स्थित नाले पर एनिकट-कम-काजवे का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

41. बांडी मानसरोवर बांध पंचायत समिति निम्बाहेड़ा के कमाण्ड क्षेत्र में नहर के पक्के धोरों का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट) :

42. विधान सभा क्षेत्र लालसोट के ग्राम शिवसिंहपुरा, मस्ताना, दौलतपुरा एवं होदाहेयली गांवों की एम.एन.पी. में राशि दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

43. विधान सभा क्षेत्र लालसोट की पेंडिंग पड़ी रिवाइज योजना की स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

44. महुवा की लघु सिंचाई योजना कोडेला एवं खोहरा मुल्ला में अतिरिक्त पानी लाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड जंक्शन) :

45. पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन के मुसलिया ग्राम में बने हुए एनिकट से हो रहे भूमि कटाव को रोकने हेतु कन्यालिया नदी पर तट बन्धन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर) :

46. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में वर्षा जल के लिए एनिकट व खडीन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनीता (नगर) :

47. विधान सभा क्षेत्र नगर के पुराने तालाबों को ठीक कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

48. विधान सभा क्षेत्र नगर के काश्तकारों को कृषि के लिए लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण के लिए प्रशिक्षण एवं सम्मेलनों की भागीदारी हेतु प्रोत्साहन के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

49. विधान सभा क्षेत्र नगर में बरसाती पानी का भू-संरक्षण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

50. विधान सभा क्षेत्र नगर मे पंचायतों के अन्तर्गत आने वाले बांधों के सुदृढ़ीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

51. विधान सभा क्षेत्र नगर के भूमिगत जल स्तर में अभिवृद्धि करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई) :

52. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में सावा नदी पर एनिकट निर्माण कार्य कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

53. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के ग्राम बडियाल कला के सब सरफेस के लिए निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

54. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के सावा नदी पर एनिकट निर्माण कार्य करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

55. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के ग्राम चारेवाड़ा में सावा नदी पर सब सरफेस बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

56. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के ग्राम खूंटला में बाणगंगा नदी पर सब सरफेस बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. मंजू बाघमार (जायल) :

57. विधान सभा क्षेत्र जायल में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के शीघ्र ही लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

परिशिष्ट-5

मांग संख्या 27-पेयजल योजना; 46-सिंचाई (इंदिरा गांधी नहर परियोजना सहित) एवं 38-लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण पर माननीय सदस्यों द्वारा सदन पटल पर रखे गये वक्तव्य

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा) :

मांग संख्या-46

मेरे विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के टोंक जिले का सबसे बड़ा बांध टोरडी सागर की नहरों और बांध की मरम्मत करायी जावे जिससे जो पानी व्यर्थ बहता है जिससे 12000 हैक्टयेर पानी की सिंचाई हो सके और किसानों का भला हो सके।

मांग संख्या-27

मेरे विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के टोडारायसिंह कस्बे की 40 वर्ष पुरानी पाइप लाइन को बदलने की कृपा करें। यह पाइप लाइन 40 वर्ष पुरानी जनसंख्या के आधार पर बनी है अकं जनसंख्या 5 गुना बढ़ रही है और पाइप लाइन भी जगह-जगह से क्षतिग्रस्त हो जाने से पानी की सप्लाई नहीं हो पाती है और सीवरेज का पानी भी मिल जाने से मेरे क्षेत्र के लोगों को कई रोगों से ग्रस्त हो रहे।

आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि इन दोनों मांगों की इस बजट में लेकर मेरे क्षेत्र के लोगों को मदद दिलवाने की कृपा करें।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी) :

हमारे विधान सभा क्षेत्र में प्रतापगढ़ जिले में सरफेस वाटर की बहुतायत है। यदि वहां अधिक से अधिक एनिकट एवं बांधों का निर्माण किया जावे तो जल स्तर में वृद्धि होगी। हमारे क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण बांध जातला बांध और खेरियादों बांध बना दिये जावें स्थानीय जनता को बड़ी राहत मिलेगी। इसी प्रकार यदि हमारे क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में बड़ी सादड़ी तहसील में भंवरबेडा एवं डूंगला तहसील में मामादेव बांधों का निर्माण कर दिया जावे तो जल स्तर एवं सिंचाई सुविधा में वृद्धि होगी।

हमारे क्षेत्र में तलऊ बांध है जो काफी वर्षों पूर्व बनाया गया था। इसकी नहरों की स्थिति काफी खराब है और पानी टेल तक नहीं पहुंच पाता

है। यदि इन नहरों का सुदृढ़ीकरण किया जावे और सोमावास एवं भीमलोत गांवों तक भी नहर पहुंच जावे तो क्षेत्र के किसानों को राहत मिलेगी।

प्रतापगढ़ तहसील के नारायणखेड़ा गांव में एक तालाब का जीर्णोद्धार एवं बड़ी सादड़ी तहसील के बड़ी सादड़ी में पालाखेड़ी एनिकट को ठीक किया जावे तो क्षेत्र की जनता को काफी राहत मिलेगी।

हमारे क्षेत्र में प्रतापगढ़ तहसील के बरड़िया, थडा, रठांजना, खोरिया, नारायणखेड़ा, देवगढ़ ग्यासपुर और चिकलाड़ पंचायतों में यदि कोई छोटी परियोजना बनाकर इन पंचायतों में पानी की आपूर्ति की जावे। तो क्षेत्र की जनता को आने वाले समय में होने वाली समस्या से निजात मिलेगी।

यदि हमारी बड़ी सादड़ी तहसील में पंड़ेड़ा, इंदिरा कालोनी, बड़ी सादड़ी, अमिरामा बड़बल, भाटोली बाह्मणान एवं डूंगला तहसील में मंगलवाड़ लोठियाना, करसाना बड़वई किशन करेरी देलवास अरनेड़, भदेसर तहसील में खोड़ीप एवं नन्डाना में नई पेयजल योजनाएं यदि स्वीकृत कर दी जावें तो स्थानीय जनता को पेयजल समस्या से राहत मिलेगी।

फ्लोराइड की समस्या को देखते हुए, यदि आप नगरपालिका बड़ी सादड़ी में, डूंगला तहसील में डूंगला मंगलवड़ चिकारडा एवं बड़ी सादड़ी तहसील में बोइड़ा बान्सी निकुम्भ एवं प्रतापगढ़ तहसील में बारावरदा रठांजना एवं भेदसर तहसील में आवरीमाता में यदि आर.ओ. प्लांट लगा दिये जावें तो इनका रखरखाव पंचायत कर लेगी।

हमारे क्षेत्र में प्रतापगढ़ तहसील में वन्य जीव अभयारणय में एक पाल पंचायत है वहां बिजली नहीं है। यदि वहां स्थापित टयूबवेलों में सोलर पम्प द्वारा जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी जावे तो इस पंचायत के निवासियों की वर्षो पुरानी समस्या समाप्त हो जायेगी और वन क्षेत्र में रहने वाले निवासियों को काफी राहत मिलेगी।

श्री दलीचन्द डांगी (मावली) :

बागोलिया बांध बनास बेसिन की बेड़च नदी की सहायक नदी पर निर्मित है। विगत 10-15 वर्षों में पानी की आवक कम होने से बागोलिया बांध अधिकांशत: खाली रहता है।

इस बजट में बांगोलिया बांध को भरने के लिए उदयसागर बांध की बायी मुख्य नहर की चेन 480 से बागोलिया तक डी पी आर बनाने की स्वीकृति जारी की जाय।

उदयसागर बांध की दायीं व बायीं नहरें व पुलियाएं काफी पुरानी जीर्ण -शीर्ण हैं। साथ ही, खरताणा ढुढिया, सालेरा, घासा बाधों एवं नहरों-पुलियाओं का सुदृढ़ीकरण व माइनर नहरों का आवश्यक मरम्मत कार्य स्वीकृत करायें।

विधान सभा क्षेत्र मावली में पेयजल से वंचित रहे अलाभान्वित ग्रामों/ ढाणियों/मजरों को माही परियोजना से जोड़ने का कष्ट करावें जिससे कि क्षेत्र में पेयजल का स्थायी समाधान हो सके।

ग्राम पंचायत नामरी में वर्तमान में पी एण्ड टी योजना के अन्तर्गत बनी टंकियों से पूरे ग्राम में पानी की सप्लाई नहीं होती है। नजदीक ही 1 किलोमीटर भीमल ग्राम है जिसमें भी पानी की समस्या है। ग्रामीण जल योजना सागवा में पेयजल की गम्भीर समस्या है। निवेदन है कि पी एण्ड टी योजना को पाइप्ड योजना में परिवर्तन करें जिससे समस्त ग्रामवासियों को पाइप्ड योजना से जोड़ते हुए पेयजल उपलब्ध हो सके।

ग्रामीण जल योजना विजनवास में पेयजल की गम्भीर समस्या है।

हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड से निकलने वाले दूषित पानी से मेरे मावली क्षेत्र के कई गांवों को गम्भीर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड एवं औद्योगिक क्षेत्र रीको गुडली-सनवाड-लकडवास के केमिकल प्लांट से निकलने वाले दूषित पानी को शुद्धिकरण किया जावे। मेरे विधान सभा क्षेत्र मावली में एक बहुत बड़ा आर.ओ. प्लांट लगाया जावे और ये आर.ओ. प्लांट हिन्दुस्तान जिंक द्वारा ही लगवाया जावे, ताकि 20-25 गांवों की जनता को पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध हो सके।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण) :

माननीय अध्यक्ष महोदय, उदयपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में पानी की भारी परेशानी है। यू.आई.टी. की मेगा आवास बेडवास योजना में लगभग 1,700 फ्लैट बन रहे हैं, जिनमें करीब 7,500 से 8,000 के करीब पब्लिक रहेगी। इस योजना का गत वर्ष माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा भूमि पूजन करवाया गया था। वहां के लिये भी योजना बनानी है। साथ ही, नाकोडा नगर धावजी की बावड़ी, सौभाग्य नगर (नाकोडा I, II, III) पूर्व में रहने वाली जनता अभी से 300 से 500 रुपये का टैंकर डलवाना शुरु हो गयी है। इस जनता के साथ अन्याय हो रहा है क्योंकि यू.आई.टी. ने नियमन करके प्लाट दिये थे, तब जनता ने यह सोचा था कि उन्हें सारी सुविधायें मिलेंगी। 10-12 वर्षों से ये कालोनियां बसी हुई हैं मगर अभी तक पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

इसलिये यहां बहुत जरूरी है कि जल्द ही इस समस्या का समाधान करवाने की योजना बनाकर जनता को राहत प्रदान की जाये।

अध्यक्ष महोदय, मै बताना चाहूंगा कि पेरिफेरी गांवों में पानी की समस्या है। अत: आपके माध्यम से इनका भी ध्यान रखकर योजना बनाकर पानी की समस्या से निजात दिलाने की कृपा करें।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि देवास की टनल खोद कर उदयपुर लाये हैं। उसके ऊपर बसी आबादी के गांवों में हैण्डपम्प भी सूख गये हैं और 300 फीट तक गहरा खोदने पर भी पानी नहीं आ रहा है। इसके परिणामस्वरूप आम जनता को पानी बिना बहुत परेशानी होती है। इनके लिये कोई बड़ी योजना बनानी पड़ेगी और इनको पानी की सुविधा देकर राहत प्रदान करें। विशेष करके रायता, केली, कालीवास, पीपलिया, सुराणा, आदि गांव पानी बिना परेशान हैं, क्योंकि पहाड़ी एरिया होने की वजह से वहां टैंकर भी नहीं जा सकता है। कुछ गांव एक ही जगह बसे हुए हैं। उनमें भी जनता जल योजना के मार्फत पानी की व्यवस्था करवाने का कष्ट करें।